लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

दूसरा सत्र
(तेरहवीं लोक सभा)



(खंड 2 में अंक 1 से 10 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : पचास रुपये

सम्पादक मण्डल

गुरदीप चन्द मलहोत्रा
महासचिव
लोक सभा

डा. अशोक कुमार पांडेय
अपर सचिव

हरनाम सिंह
संयुक्त सचिव

प्रकाश चन्द्र भट्ट
मुख्य सम्पादक

केवल कृष्ण
वरिष्ठ सम्पादक

जे.एस. वत्स
सम्पादक

पीयूष चन्द्र दत्त
सहायक सम्पादक

उर्वशी वर्मा
सहायक सम्पादक

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उ प्रामाणिक नहीं माना जायेगा।)

विषय-सूची

[त्रयोदश माला, खंड 9, दूसरा सत्र, 1999/1921 (शक)]

अंक 1, सोमवार, 29 नवम्बर, 1999/8 अग्रहायण, 1921 (शक)

विषय	कालम
लोक सभा के सदस्यों की वर्णानुक्रम सूची	(v)—(xvi)
लोक सभा के पदाधिकारी	(xvii)
मंत्रिपरिषद्	(xviii)—(xxi)
राष्ट्रगान	1
सदस्यों द्वारा शपथ ग्रहण	1
मंत्रियों का परिचय	1
निधन संबंधी उल्लेख	2–3
अध्यक्ष द्वारा उल्लेख	
भारत के संविधान की 50वीं वर्षगांठ के बारे में	4–5
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या 1–2	9–30
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या 3–20	31–76
अतारांकित प्रश्न संख्या 1–230	76–576
सभा पटल पर रखे गए पत्र	576–609
समिति के लिए निर्वाचन	
राष्ट्रीय पोत परिवहन बोर्ड	609–610
विदेशी मुद्रा प्रबंध विधेयक–पुर:*स्थापित*	611–628
बोफोर्स मामले की जांच के बारे में	629–638
नागालैण्ड के मुख्य मंत्री पर जानलेवा हमले के बारे में	640–641

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिह्न इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस सदस्य ने ही पूछा था।

विषय	कालम
नियम 377 के अधीन मामले	643–651
(एक) उड़ीसा में गोपालपुर पत्तन का अधिग्रहण करने तथा उसे सभी मौसमों के अनुकूल विकसित किए जाने की आवश्यकता	
श्री अनादि साहू	643
(दो) हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे के नीचे शीघ्रातिशीघ्र सुरंग का निर्माण किए जाने की आवश्यकता	
श्री महेश्वर सिंह	643
(तीन) उत्तर प्रदेश में नरोरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र और एन.टी.पी.सी. संयंत्र के निर्माण के कारण विस्थापित लोगों के पुनर्वास हेतु एक योजना तैयार किए जाने की आवश्यकता	
श्री अशोक प्रधान	644
(चार) हिमाचल प्रदेश में बिलासपुर में पर्यटन के विकास की संभावनाओं का पता लगाने के लिए एक केन्द्रीय दल भेजे जाने की आवश्यकता	
श्री सुरेश चन्देल	645
(पांच) घातक जापानी एनसिफलाईटिस रोग को नियंत्रित करने के लिए आंध्र प्रदेश राज्य सरकार को सहायता प्रदान किए जाने की आवश्यकता	
श्री वाई.एस. विवेकानंद रेड्डी	646
(छह) पश्चिम बंगाल के उत्तर दीनाजपुर के रायगंज का सर्वांगीण विकास करने के लिए एक व्यापक मास्टर योजना बनाए जाने की आवश्यकता	
श्री प्रियरंजन दासमुंशी	646
(सात) गुजरात की पेयजल की समस्या के समाधान हेतु नर्मदा परियोजना को शीघ्र पूरा किए जाने की आवश्यकता	
श्री शंकर सिंह वाघेला	647
(आठ) पश्चिम बंगाल के सीमावर्ती क्षेत्रों में स्थानीय जनता तथा अर्द्धसैनिक बलों के बीच सौहार्दपूर्ण संबंध रखे जाने की आवश्यकता	
श्री मोइनुल हसन	648
(नौ) आंध्र प्रदेश के पेद्दापल्ली संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र में उद्योगों के कारण हो रहे प्रदूषण की समस्या पर ध्यान दिए जाने की आवश्यकता	
डा. (श्रीमती) सी. सुगुणा कुमारी	649
(दस) उत्तर प्रदेश में फर्रुखाबाद और शिकोहाबाद के बीच रेल लाइन को मजबूत किए जाने की आवश्यकता	
श्री चन्द्र भूषण सिंह	649

विषय		कालम
(ग्यारह)	बिहार में मुजफ्फरपुर और सीतामढ़ी के बीच शीघ्र रेल लाइन बिछाए जाने की आवश्यकता	
	श्री नवल किशोर राय	650
(बारह)	पेंगुइन बुक्स इंडिया द्वारा 1999 में प्रकाशित "दि कम्पनी आफ वीमैन" नामक पुस्तक को प्रतिबंधित किए जाने की आवश्यकता	
	श्री जी.एम. बनातवाला	650
नियम 193 के अधीन चर्चा		
उड़ीसा में आए भीषण तूफान से हुई जान-माल की हानि और इसे एक राष्ट्रीय आपदा घोषित किए जाने की आवश्यकता		651–742
	श्री रवि प्रकाश वर्मा	651
	श्री त्रिलोचन कानूनगो	654
	श्री माधवराव सिंधिया	664
	श्री अनादि साहू	674
	श्री हन्नान मोल्लाह	681
	प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेश्वरलु	689
	श्री के.पी. सिंह देव	694
	श्री प्रभात सामन्तराय	707
	श्रीमती गीता मुखर्जी	713
	श्री विक्रम केशरी देव	716
	श्री प्रियरंजन दासमुंशी	719
	श्री जगन्नाथ मलिक	724
	श्री अर्जुन सेठी	726
	श्री अटल बिहारी वाजपेयी	728
	श्री एन. जनार्दन रेड्डी	731
	श्री राजेश पायलट	732
	श्री नीतीश कुमार	733

लोक सभा के सदस्यों की वर्णानुक्रम सूची

अ

अजय कुमार, श्री एस. (ओट्टापलम)

अडसूल, श्री आनन्दराव विठोबा (बुलढाना)

अनंत कुमार, श्री बंगलौर (दक्षिण)

अब्दुल्ला, श्री उमर (श्रीनगर)

अब्दुल्लाकुट्टी, श्री ए.पी. (कन्नानौर)

अमीर आलम, श्री (कैराना)

अम्बरीश, श्री (माण्डया)

अम्बेडकर, श्री प्रकाश यशवंत (अकोला)

अय्यर, श्री मणि शंकर (मयिलादुतुराई)

अर्गल, श्री अशोक (मुरैना)

अलवी, श्री राशिद (अमरोहा)

अहमद, श्री ई. (मंजेरी)

अहमद, श्री दाऊद (शाहाबाद)

आ

आंग्ले, श्री रमाकांत (मारमागाओ)

आचार्य, श्री प्रसन्न (सम्बलपुर)

आचार्य, श्री बसुदेव (बांकुरा)

आजाद, श्री कीर्ति झा (दरभंगा)

आठवले, श्री रामदास (पंढरपुर)

आडवाणी, श्री लाल कृष्ण (गांधीनगर)

आदि शंकर, श्री (कुड्डालोर)

आदित्यनाथ, योगी (गोरखपुर)

आर्य, डा. (श्रीमती) अनिता (करोल बाग)

आल्वा, श्रीमती मार्ग्रेट (कनारा)

इ

इन्दौरा, डा. सुशील कुमार (सिरसा)

ई

ईडन, श्री जार्ज (एर्णाकुलम)

उ

उमा भारती, कुमारी (भोपाल)

उराम, श्री जुएल (सुन्दरगढ़)

उस्मानी, श्री ए.एफ. गुलाम (बारपेटा)

ए

ए. नरेन्द्र, श्री (मेडक)

एटकिन्सन, श्री डेन्जिल, वी. (नामनिर्दिष्ट)

एम. मास्टर मथान, श्री (नीलगिरि)

एलानगोवन, श्री पी.डी. (धर्मपुरी)

ओ

ओला, श्री शीश राम (झुंझुनू)

ओवेसी, श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन (हैदराबाद)

क

कटारा, श्री बाबूभाई के. (दोहद)

कटारिया, श्री रतन लाल (अम्बाला)

कटियार, श्री विनय (फैजाबाद)

कथीरिया, डा. वल्लभभाई (राजकोट)

कन्नप्पन, श्री एम. (तरूचेन्गोड़े)

कमलनाथ, श्री (छिन्दवाड़ा)

करूणाकरन, श्री के. (मुकुन्दपुरम)

कलिअप्पन, श्री के.के. (गोबिचेट्टिपालयम)

कश्यप, श्री बली राम (बस्तर)

कस्वां, श्री राम सिंह (चुरू)

कानूनगो, श्री त्रिलोचन (जगतसिंहपुर)

काम्बले, श्री शिवाजी विट्ठलराव (उस्मानाबाद)

किन्डिया, श्री पी.आर. (शिलांग)

कुप्पुसामी, श्री सी. (मद्रास उत्तर)

कुमार, श्री अरूण (जहानाबाद)

कुमार, श्री वी. धनंजय (मंगलौर)

कुमारमंगलम, श्री पी.आर. (तिरूचिरापल्ली)

कुमारासामी, श्री पी. (पलानी)

कुरुप, श्री सुरेश (कोट्टायम)

कुलस्ते, श्री फग्गन सिंह (मण्डला)

कुसमरिया, डा. रामकृष्ण (दमोह)

कृपलानी, श्री श्रीचन्द (चित्तौड़गढ़)

कृष्णदास, श्री एन.एन. (पालघाट)

कृष्णन, डा. सी. (पोल्लाची)

कृष्णमराजू, श्री (नरसापुर)

कृष्णमूर्ति, श्री के. बलराम (ओंगोले)

कृष्णमूर्ति, श्री के.ई. (कुरमूल)

कृष्णस्वामी, श्री ए. (श्रीपेरम्बुदुर)

कौर, श्रीमती प्रेनीत (पटियाला)

कौशल, श्री रघुवीर सिंह (कोटा)

ख

खांडेलवाल, श्री विजय कुमार (बेतूल)

खण्डूड़ी, मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र (गढ़वाल)

खन्ना, श्री विनोद (गुरदासपुर)

खां, श्री अबुल हसनत (जंगीपुर)

खां, श्री मनसूर अली (सहारनपुर)

खां, श्री सुनील (दुर्गापुर)

खांडोकर, श्री अकबर अली (सेरमपुर)

खान, श्री हसन (लद्दाख)

खावरी, श्री बृजलाल (जालौन)

खुराना, श्री मदन लाल (दिल्ली सदर)

खूटे, श्री पी.आर. (सारंगढ़)

खैरे, श्री चन्द्रकांत (औरंगाबाद) (महाराष्ट्र)

ग

गंगवार, श्री सन्तोष कुमार (बरेली)

गढ़वी, श्री पी.एस. (कच्छ)

गमांग, श्रीमती हेमा (कोरापुट)

गवली, कुमारी भावना पुंडलिकराव (वाशिम)

गांधी, श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल (अहमदनगर)

गांधी, श्रीमती मेनका (पीलीभीत)

गांधी, श्रीमती सोनिया (अमेठी)

गाड़े, श्री राम मोहन (विजयवाड़ा)

गामलिन, श्री जारबोम (अरूणाचल पश्चिम)

गालिब, श्री जी.एस. (लुधियाना)

गावित, श्री माणिकराव होडल्या (नन्दुरबार)

गावीत, श्री रामदास रूपला (धुले)

गितुवा, श्री लक्ष्मण (सिंहभूम)

गीते, श्री अनंत गंगाराम (रत्नागिरी)

गुढे, श्री अनंत (अमरावती)

गुप्त, प्रो. चमन लाल (उधमपुर)

गुप्त, श्री इन्द्रजीत (मिदनापुर)

गेहलोत, श्री थावरचन्द (शाजापुर)

गोगोई, श्री तरूण (कलियाबोर)

गोयल, श्री विजय (चांदनी चौक)

गोविन्दन, श्री टी. (कासरगौड़)

गोहेन, श्री राजेन (नौगांव)

गौंड़ा, श्री जी. पुट्टास्वामी (हसन)

गौतम, श्रीमती शीला (अलीगढ़)

घ

घाटोवार, श्री पवन सिंह (डिब्रुगढ़)

च

चक्रवर्ती, श्री अजय (बसीरहाट)

चक्रवर्ती, श्री स्वदेश (हावड़ा)

चक्रवर्ती, श्रीमती विजया (गुवाहाटी)

चटर्जी, श्री सोमनाथ (बोलपुर)

चतुर्वेदी, श्री सत्यव्रत (खजुराहो)

चन्देल, श्री अशोक कुमार सिंह (हमीरपुर) (उत्तर प्रदेश)

चन्देल, श्री सुरेश (हमीरपुर) (हिमाचल प्रदेश)

चन्द्रशेखर, श्री (बलिया) (उत्तर प्रदेश)

चिन्नासामी, श्री एम. (करूर)

चीखलीया, श्रीमती भावनाबेन देवराजभाई (जूनागढ़)

चेन्नितला, श्री रमेश (भवेलीकारा)

चौटाला, श्री अजय सिंह (भिवानी)

चौधरी, कर्नल (सेवानिवृत्त) सोना राम (बाड़मेर)

चौधरी, श्री अधीर (बरहामपुर) (पश्चिम बंगाल)

चौधरी, श्री ए.बी.ए. गनी खां (मालदा)

चौधरी, श्री निखिल कुमार (कटिहार)

चौधरी, श्री पद्मसेन (बहराइच)

चौधरी, श्री मणिभाई रामजीभाई (बलसाड़)

चौधरी, श्री राम टहल (रांची)

चौधरी, श्री राम रघुनाथ (नागौर)

चौधरी, श्री विकास (आसनसोल)

चौधरी, श्री समर (त्रिपुरा-पश्चिम)

चौधरी, श्री हरिभाई (बनासकांठा)

चौधरी, श्रीमती रीना (मोहनलालगंज)

चौधरी, श्रीमती रेणूका (खम्माम)

चौधरी, श्रीमती संतोष (फिल्लौर)

चौधरी, श्रीमती निशा (साबरकांठा)

चौबे, श्री लाल मुनी (बक्सर)

चौहान, श्री नंदकुमार सिंह (खंडवा)

चौहान, श्री निहाल चन्द (श्रीगंगानगर)

चौहान, श्री बालकृष्ण (धोसी)

चौहान, श्री शिवराजसिंह (विदिशा)

चौहान, श्री श्रीराम (बस्ती)

ज

जगतरक्षकन, डा. एस. (अर्कोनम)

जगन्नाथ, डा. मन्दा (नगर कुरनूल)

जगमोहन, श्री (नई दिल्ली)

जटिया, डा. सत्यनारायण (उज्जैन)

जय प्रकाश, श्री (हरदोई)

जयशीलन, डा. ए.डी.के. (तिरुचेंदूर)

जरदी, श्री महबूब (कटवा)

जाधव, श्री सुरेश रामराव (परभनी)

जाफर शरीफ, श्री सी.के. (बंगलौर उत्तर)

जायसवाल, डा. मदन प्रसाद (बेतिया)

जायसवाल, श्री जवाहर लाल (चन्दौली)

जायसवाल, श्री शंकर प्रसाद (वाराणसी)

जायसवाल, श्री श्रीप्रकाश (कानपुर)

जार्ज, श्री के. फ्रांसिस (इदुक्की)

जालप्पा, श्री आर.एल. (चिकबल्लपुर)

जावमा, श्री वनलाल (मिजोरम)

जावीया, श्री जी.जे. (पोरबंदर)

जोगाजीनागी, श्री रमेश सी. (चिक्कोडी)

जैन, श्री पुष्प (पाली)

जोशी, डा. मुरली मनोहर (इलाहाबाद)

जोशी, श्री मनोहर (मुम्बई उत्तर मध्य)

जोस, श्री ए.सी. (त्रिचूर)

झ

झा, श्री रघुनाथ (गोपालगंज)

ठ

ठक्कर, श्रीमती जयाबहन, बी. (वडोदरा)

ठाकुर, डा. सी.पी. (पटना)

ठाकुर, श्री चुन्नी लाल भाई (भंडारा)

ठाकुर, श्री रामशेठ (कुलाबा)

ड

डिसूजा, डा. (श्रीमती) बीट्रिक्स (नामनिर्दिष्ट)

डूडी, श्री रामेश्वर (बीकानेर)

डोम, डा. राम चन्द्र (वीरभूम)

ढ

ढिकले, श्री उत्तमराव (नासिक)

त

तिरुनावकरसू, श्री (पुडुक्कोट्टई)

तिवारी, श्री नारायण दत्त (नैनीताल)

तिवारी, श्री लाल बिहारी (पूर्वी दिल्ली)

तिवारी, श्री सुन्दर लाल (रीवा)

तुड़, श्री तरलोचन सिंह (तरनतारन)

तोपदार, श्री तरित बरण (बैरकपुर)

तोमर, डा. रमेश चंद (हापुड़)

त्रिपाठी, श्री प्रकाश मणि (देवरिया)

त्रिपाठी, श्री ब्रजकिशोर (पुरी)

त्रिपाठी, श्री रामनरेश (सिवनी)

थ

थामस, श्री पी.सी. (मुवत्तुपुजा)

द

दग्गुबाटि, श्री राम नायडू (बापतला)

दत्तात्रेय, श्री बंडारू (सिकन्दराबाद)

दास, श्री नेपाल चन्द्र (करीमगंज)

दासमुंशी, श्री प्रियरंजन (रायगंज)

दाहाल, श्री भीम (सिक्किम)

दिनाकरन, श्री टी.टी.वी. (पेरियाकुलम)

दिलेर, श्री किशन लाल (हाथरस)

दिवाथे, श्री नामदेव हरबाजी (चिमूर)

दीपक कुमार, श्री (उन्नाव)

दुराई, श्री एम. (वन्डावासी)

दूलो, श्री शमशेर सिंह (रोपड़)

देलकर, श्री मोहन एस. (दादरा और नगर हवेली)

देव, श्री विक्रम केशरी (कालाहांडी)

देव, श्री संतोष मोहन (सिल्चर)

देवी, श्रीमती कैलाशो (कुरुक्षेत्र)

न

नरह, श्रीमती रानी (लखीमपुर)

नाईक, श्री राम (मुम्बई उत्तर)

नाईक, श्री श्रीपाद येसो (पणजी)

नागमणि, श्री (चतरा)

नायक, श्री अनन्त (क्योंझर)

नायक, श्री अली मोहम्मद (अनंतनाग)

नायक, श्री ए. वेंकटेश (रायचूर)

निषाद, कैप्टन जय नरायण प्रसाद (मुजफ्फरपुर)

नीतिश कुमार, श्री (बाढ़)

प

पटनायक, श्री नवीन (आस्का)

पटवा, श्री सुन्दर लाल (होशंगाबाद)

पटेल, डा. अशोक (फतेहपुर)

पटेल, श्री आत्माराम भाई (मेहसाना)

पटेल, श्री चन्द्रेश (जामनगर)

पटेल, श्री ताराचंद शिवाजी (खरगौन)

पटेल, श्री दहयाभाई वल्लभभाई (दमन और दीव)

पटेल, श्री दिनशा (कैरा)

पटेल, श्री दीपक (आनंद)

पटेल, श्री धर्म राज सिंह (फूलपुर)

पटेल, श्री प्रहलाद सिंह (बालाघाट)

पटेल, श्री मानसिंह (मांडवी)

पद्मानाभम, श्री मुद्रागाड़ा (काकीनाड़ा)

परस्ते, श्री दलपत सिंह (शहडोल)

परांजपे, श्री प्रकाश (ठाणे)

पलानीमनिक्कम, श्री एस.एस. (तंजावूर)

पवार, श्री शरद (बारामती)

पवैया, श्री जयभान सिंह (ग्वालियर)

पांजा, डा. रंजीत कुमार (बारासाट)

पांजा, श्री अजित कुमार (कलकत्ता उत्तर पूर्व)

पांडियन, श्री पी. एच. (तिरुनेलवेली)

पाटसाणी, डॉ. प्रसन्न कुमार (भुवनेश्वर)

पाटिल, श्री अमरसिंह वसंतराव (बेलगाम)

पाटिल, श्री आर.एस. (बागलकोट)

पाटिल, श्री बसनगौडा रामनगौड (यत्नाल) (बीजापुर)

पाटील, श्री अण्णासाहेब एम.के. (इरन्दोल)

पाटील, श्री उत्तमराव (यवतमाल)

पाटील, श्री जयसिंगराव गायकवाड़ (बीड़)

पाटील, श्री दानवे रावसाहेब (जालना)

पाटील, श्री प्रकाश वी. (सांगली)

पाटील, श्री बालासाहिब विखे (कोपरगांव)

पाटील, श्री भास्करराव (नांदेड़)

पाटील, श्री लक्ष्मणराव (सतारा)

पाटील, श्री शिवराज वी. (लातूर)

पाटील, श्री श्रीनिवास (कराड़)

पाठक, श्री हरिन (अहमदाबाद)

पाण्डेय, डा. लक्ष्मीनारायण (मंदसौर)

पाण्डेय, श्री रवीन्द्र कुमार (गिरिडीह)

पायलट, श्री राजेश (दौसा)

पार्थसारथी, श्री बी.के. (हिन्दुपुर)

पाल, श्री रूपचन्द (हुगली)

पासवान, डा. संजय (नवादा)

पासवान, श्री राम विलास (हाजीपुर)

पासवान, श्री रामचन्द्र (रोसड़ा)

पासवान, श्री सुकदेव (अररिया)

पासी, श्री राजनारायण (बांसगांव)

पासी, श्री सुरेश (चायल)

पुगलिया, श्री नरेश (चन्द्रपुर)

पोटाई, श्री सोहन (कांकेर)

पोन्नुस्वामी, श्री ई. (चिदंबरम)

प्रधान, डा. देवेन्द्र (देवगढ़)

प्रधान, श्री अशोक (खुर्जा)

प्रभु, श्री सुरेश (राजापुर)

प्रमाणिक, प्रो. आर.आर. (मथुरापुर)

प्रसाद, श्री जितेन्द्र (शाहजहांपुर)

प्रसाद, श्री वी. श्रीनिवास (चामराजनगर)

प्रेमाजम, प्रो. ए.के. (बडागरा)

फ

फर्नान्डीज, श्री जार्ज (नालन्दा)

फारूक, श्री एम.ओ.एच. (पांडिचेरी)

फूलन देवी, श्रीमती (मिर्जापुर)

ब

बंगरप्पा, श्री एस. (शिमोगा)

बंद्योपाध्याय, श्री सुदीप (कलकत्ता उत्तर पश्चिम)

बंसल, श्री पवन कुमार (चंडीगढ़)

बखला, श्री जोआकिम (अलीपुरद्वारस)

बघेल, प्रो. एस. पी. सिंह (जलेसर)

बचदा, श्री बची सिंह रावत (अल्मोड़ा)

बदनोर, श्री विजयेन्द्र पाल सिंह (भीलवाड़ा)

बनर्जी, कुमारी ममता (कलकत्ता दक्षिण)

बनातवाला, श्री जी.एम. (पोन्नानी)

बन्शीवाल, श्री श्याम लाल (टोंक)

बब्बन राजभर, श्री (सलेमपुर)

बब्बर, श्री राज (आगरा)

बस्वाला, श्री सुरेन्द्र सिंह (हिसार)

बराड़, श्री जे.एस. (फरीदकोट)

बर्मन, श्री रनेन (बलूरघाट)

बलिराम, डा. (लालगंज)

बसवराज, श्री जी.एस. (तुमकुर)

बसु, श्री अनिल (आरामबाग)

बालयोगी, श्री जी.एम.सी. (अमालापुरम)

बालु, श्री टी.आर. (मद्रास दक्षिण)

बिश्नोई, श्री जसवंत सिंह (जोधपुर)

बिश्वास, श्री आनन्द मोहन (नवद्वीप)

बुन्देला, श्री सुजान सिंह (झांसी)

बेगम नूर बानो (रामपुर)

बेहरा, श्री पद्मनाव (फूलबनी)

बैंदा, श्री रामचन्द्र (फरीदाबाद)

बैठा, श्री महेन्द्र (बगहा)

बैनर्जी, श्रीमती जयश्री (जबलपुर)

बैस, श्री रमेश (रायपुर)

बैसीमुथियारी, श्री सानछुमा खुंगुर (कोकराझार)

बोचा, श्री सत्यनारायण (बोब्बिली)

बोस, श्रीमती कृष्णा (जादवपुर)

बौरी, श्रीमती संध्या (विष्णुपुर)

ब्रह्मनैया, श्री ए. (मछलीपटनम)

भ

भगत, प्रो. दुखा (लोहरदगा)

भगोरा, श्री ताराचन्द (बांसवाड़ा)

भडाना, श्री अवतार सिंह (मेरठ)

भाटिया, श्री आर.एल. (अमृतसर)

भार्गव, श्री गिरधारी लाल (जयपुर)

भूरिया, श्री कांतिलाल (झाबुआ)

भौरा, श्री भान सिंह (भटिंडा)

म

मंजय लाल, श्री (समस्तीपुर)

मंडल, श्री ब्रह्मानन्द (मुंगेर)

मंडल, श्री सनत कुमार (जयनगर)

मंडलिक, श्री सदाशिवराव दादोबा (कोल्हापुर)

मकवाना, श्री सवशीभाई (सुरेन्द्रनगर)

मरांडी, श्री बाबू लाल (दुमका)

मलिक, श्री जगन्नाथ (जाजपुर)

मलयसामी, श्री के. (रामनाथपुरम)

मल्लिकार्जुनप्पा, श्री जी. (दावणगेरे)

मल्होत्रा, डा. विजय कुमार (दक्षिण दिल्ली)

महंत, डा. चरणदास (जांजगीर)

महताब, श्री भर्तृहरि (कटक)

महतो, श्री बीर सिंह (पुरुलिया)

महतो, श्रीमती आभा (जमशेदपुर)

महरिया, श्री सुभाष (सीकर)

महाजन, श्री वाई.जी. (जलगांव)

महाजन, श्रीमती सुमित्रा (इन्दौर)

महाले, श्री हरीभाऊ शंकर (मालेगांव)

मांझी, श्री रामजी (गया)

माझी, श्री परसुराम (नवरंगपुर)

मान, श्री जोरा सिंह (फिरोजपुर)

मान, श्री सिमरनजीत सिंह (संगरूर)

माने, श्री शिवाजी (हिंगोली)

माने, श्रीमती निवेदिता (इचलकरांजी)

मायावती, कुमारी (अकबरपुर)

मारन, श्री मुरासोली (मद्रास मध्य)

मलयाला, श्री राजैया (सिद्दीपेट)

मिश्र, श्री राम नगीना (पडरौना)

मिश्र, श्री श्याम बिहारी (बिल्हौर)

मीणा, श्री भेरूलाल (सलूम्बर)

मीणा, श्रीमती जस कौर (सवाई माधोपुर)

मुखर्जी, श्री एस. बी. (कृष्णनगर)

मुखर्जी, श्रीमती गीता (पंसकुरा)

मुण्डा, श्री कड़िया (खूंटी)

मुत्तेमवार, श्री विलास (नागपुर)

मुनि लाल, श्री (सासाराम)

मुनियप्पा, श्री के.एच. (कोलार)

मुरलीधरन, श्री के. (कालीकट)

मुरुगेसन, श्री एस. (तेनकासी)

मुर्मू, श्री रूपचन्द (झाड़ग्राम)

मुर्मू, श्री सालखन (मयूरभंज)

मूर्ति, श्री ए.के. (चेंगलपट्टू)

मूर्ति, श्री एम.वी. चन्द्रशेखर (कनकपुरा)

मूर्ति, श्री एम.वी.वी.एस. (विशाखापत्तनम)

मेहता, श्रीमती जयवंती (मुंबई दक्षिण)

मोल्लाह, श्री हन्नान (उलबेरिया)

मोहन, श्री पी. (मदुरै)

मोहले, श्री पुन्नू लाल (बिलासपुर)

मोहिते, श्री सुबोध (रामटेक)

मोहोल, श्री अशोक ना. (खेड़)

य

यादव, डा. (श्रीमती) सुधा (महेन्द्रगढ़)

यादव, डा. जसवंतसिंह (अलवर)

यादव, श्री जगदम्बी प्रसाद (गोड्डा)

यादव, श्री दिनेश चन्द्र (सहरसा)

यादव, श्री देवेन्द्र प्रसाद (झंझारपुर)

यादव, श्री देवेन्द्र सिंह (एटा)

यादव, श्री बलराम सिंह (मैनपुरी)

यादव, श्री भालचन्द्र (खलीलाबाद)

यादव, श्री मुलायम सिंह (सम्भल)

यादव, श्री रमाकान्त (आजमगढ़)

यादव, श्री शरद (मधेपुरा)

यादव, श्री हुक्मदेव नारायण (मधुबनी)

येरननायडू, श्री के. (श्रीकाकुलम)

र

रंगपी, डा. जयन्त (स्वशासी जिला असम)

रमण, डा. (राजनांदगांव)

रमैया, डा. बी.बी. (एलूरू)

रवि, श्री शीशराम सिंह (बिजनौर)

राजवंशी, श्री माधव (मंगलदाई)

राजा, श्री ए. (पैरम्बलूर)

राजूखेडी, श्री गजेन्द्र सिंह (धार)

राजे, श्रीमती वसुन्धरा (झालवाड़)

राजेन्द्रन, श्री पी. (विक्लोन)

राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव, श्री (पूर्णिया)

राठवा, श्री रामसिंह (छोटा उदयपुर)

राणा, श्री काशीराम (सूरत)

राणा, श्री राजू (भावनगर)

राधाकृष्णन, श्री वरकला (चिरायिंकिल)

राधाकृष्णन, श्री सी.पी. (कोयम्बटूर)

राधाकृष्णन, श्री पोन (नागरकोइल)

राम सजीवन, श्री (बांदा)

राम, श्री ब्रजमोहन (पलामू)

रामशकल, श्री (राबर्टसगंज)

रामुलू, श्री एच. जी. (कोप्पल)

रामैया, श्री गुनीपाटी (राजमपेट)

राय, श्री नवल किशोर (सीतामढ़ी)

राय, श्री विष्णु पद (अंडमान और निकोबार द्वीप समूह)

राय, श्री सुबोध (भागलपुर)

रायप्रधान, श्री अमर (कूचबिहार)

राव, श्री एस.बी.पी.बी.के. सत्यनारायण (राजामुन्दरी)

राव, श्री गंता श्रीनिवास (अनकापल्ली)

राव, श्री डी.वी.जी. शंकर (पार्वतीपुरम)

राव, श्री वाई.वी. (गुंटूर)

राव, श्री सीएच विद्यासागर (करीमनगर)

राव, श्रीमती प्रभा (वर्धा)

रावत, प्रो. रासासिंह (अमजेर)

रावत, श्री प्रदीप (पुणे)

रावत, श्री रामसागर (बाराबंकी)

रावले, श्री मोहन (मुम्बई दक्षिण मध्य)

राष्ट्रपाल, श्री प्रवीण (पाटन)

रिजवान जहीर, श्री (बलरामपुर)

रियान, श्री बाजू बन (त्रिपुरा पूर्व)

रूडी, श्री राजीव प्रताप (छपरा)

रेड्डी, श्री ए.पी. जितेन्द्र (महबूबनगर)

रेड्डी, श्री एन. जनार्दन (नरसारावपेट)

रेड्डी, श्री एन.आर.के. (चित्तूर)

रेड्डी, श्री एस. जयपाल (मिरयालगुडा)

रेड्डी, श्री गुथा, सुकेन्दर (नालगोंडा)

रेड्डी, श्री चाडा सुरेश (हनमकोण्डा)

रेड्डी, श्री जी. गंगा (निजामाबाद)

रेड्डी, श्री बी.वी.एन. (नांदयाल)

रेड्डी, श्री वाई.एस. विवेकानन्द (कुडप्पा)

रेनु कुमारी, श्रीमती (खगड़िया)

रामचन्द्रन, श्री गिनगी एन. (टिंडिवनाम)

ल

लाहिड़ी, श्री समीक (डायमंड हार्बर)

लेपचा, श्री एस.पी. (दार्जिलिंग)

व

वंग्चा, श्री रांजकुमार (अरुणाचल पूर्व)

वनगा, श्री चिंतामन (दहानू)

वर्मा, प्रो. रीता (धनबाद)

वर्मा, श्री बेनी प्रसाद (कैसरगंज)

वर्मा, श्री रतिलाल कालीदास (धन्धुका)

वर्मा, श्री रवि प्रकाश (खीरी)

वर्मा, श्री राजेश (सीतापुर)

वसावा, श्री मनसुखभाई डी. (भरूच)

वाघेला, श्री शंकर सिंह (कपड़वंज)

वाजपेयी, श्री अटल बिहारी (लखनऊ)

वाडियार, श्री एस.डी.एन.आर. (मैसूर)

विजयन, श्री ए.के.एस. (नागापट्टिनम)

विजया कुमारी, श्रीमती डी. एम. (भद्राचलम)

वीरप्पा, श्री रामचन्द्र (बीदर)

वीरेन्द्र कुमार, श्री (सागर)

वुक्कला, डा. राजेश्वरम्मा (नेल्लौर)

वेंकटेस्वरलु, प्रो. उम्मारेड्डी (तेनाली)

वेंकटस्वामी, डा. एन. (तिरुपति)

वेंकटेस्वरलु, श्री बी. (वारंगल)

वेणुगोपाल, डा. एस. (आदिलाबाद)

वेणुगोपाल, श्री डी. (तिरुपत्तूर)

वेत्रिसेलवन, श्री वी. (कृष्णागिरि)

वैको, श्री (शिवकाशी)

व्यास, डा. गिरिजा (उदयपुर)

श

शर्मा, कैप्टन सतीश (रायबरेली)

शर्मा, वैद्य विष्णु दत्त (जम्मू)

शशि कुमार, श्री (चित्रदुर्ग)

शहाबुद्दीन, मोहम्मद (सिवान)

शांडिल्य, कर्नल (सेवानिवृत्त) डा. धनी राम (शिमला)

शाक्य, श्री रघुराज सिंह (इटावा)

शान्ता कुमार, श्री (कांगड़ा)

शाह, श्री मानवेन्द्र (टिहरी गढ़वाल)

शाहीन, श्री अब्दुल रशीद (बारामूला)

शिंदे, श्री सुशील कुमार (शोलापुर)

शिवकुमार, श्री वी.एस. (तिरुअनन्तपुरम)

शुक्ल, श्री श्यामा चरण (महासमुन्द)

शेरवानी, श्री सलीम आई (बदायूं)

श्रीकांतप्पा, श्री डी.सी. (चिकमंगलूर)

श्रीनिवासन, श्री सी. (डिंडीगुल)

श्रीनिवासुलु, श्री कालवा (अनन्तपुर)

ष

षणमुगम, श्री एन.टी. (वेल्लौर)

स

संकेश्वर, श्री विजय (धारवाड़ उत्तर)

संखवार, श्री प्यारे लाल (घाटमपुर)

संगमा, श्री पुर्णो ए. (तुरा)

संघाणी, श्री दिलीप (अमरेली)

सईद, श्री पी.एम. (लक्षद्वीप)

सईदुज्जमा, श्री (मुजफ्फर नगर)

सन्दी, प्रो. आई. जी. (धारवाड़ दक्षिण)

सर, श्री निखिलानन्द (बर्दवान)

सरडगी, श्री इकबाल अहमद (गुलबर्गा)

सरोज, श्री तूफानी (सैदपुर)

सरोज, श्रीमती सुशीला (मिसरिख)

सरोजा, डा. वी. (रासीपुरम)

सांगतम, श्री के.ए. (नागालैंड)

सांगवान, श्री किशन सिंह (सोनीपत)

साथी, श्री हरपाल सिंह (हरिद्वार)

सामन्तराय, श्री प्रभात (केन्द्रपाडा)

साय, श्री विष्णुदेव (रायगढ़)

साहू, श्री अनादि (बरहामपुर)

साहू, श्री ताराचंद (दुर्ग)

सिंधिया, श्री माधवराव (गुना)

सिंह देव, श्रीमती संगीता कुमारी (बोलनगीर)

सिंह, कुंवर अखिलेश (महाराजगंज) (उ.प्र.)

सिंह, कुंवर सर्वराज (आंवला)

सिंह, कैप्टन (सेवानिवृत्त) इन्द्र (रोहतक)

सिंह, चौधरी तेजवीर (मथुरा)

सिंह, डा. रामलखन (भिण्ड)

सिंह, राजकुमारी रत्ना (प्रतापगढ़)

सिंह, श्री अजित (बागपत)

सिंह, श्री खेलसाय (सरगुजा)

सिंह, श्री चन्द्र प्रताप (सिधी)

सिंह, श्री चन्द्र भूषण (फरुखाबाद)

सिंह, श्री चन्द्र विजय (मुरादाबाद)

सिंह, श्री चन्द्रनाथ (मछलीशहर)

सिंह, श्री चरनजीत (होशियारपुर)

सिंह, श्री छत्रपाल (बुलन्दशहर)

सिंह, श्री जयभद्र (सुल्तानपुर)

सिंह, श्री तिलकधारी प्रसाद (कोडरमा)

सिंह, श्री टीएच. चाओबा (आंतरिक मणिपुर)

सिंह, श्री दिग्विजय (बांका)

सिंह, श्री प्रभुनाथ (महाराजगंज) (बिहार)

सिंह, श्री बलबीर (जालन्धर)

सिंह, श्री बहादुर (बयाना)

सिंह, श्री बृज भूषण शरण (गोंडा)

सिंह, श्री महेश्वर (मंडी)

सिंह, श्री राजो (बेगुसराय)

सिंह, श्री राधा मोहन (मोतिहारी)

सिंह, श्री राम प्रसाद (आरा)

सिंह, श्री रामजीवन (बलिया) (बिहार)

सिंह, श्री रामपाल (डुमरियागंज)

सिंह, श्री रामानन्द (सतना)

सिंह, श्री लक्ष्मण (राजगढ़)

सिंह, श्री विश्वेन्द्र (भरतपुर)

सिंह, श्री साहिब (बाहरी दिल्ली)

सिंह, श्रीमती कान्ति (विक्रमगंज)

सिंह, श्रीमती श्यामा (औरंगाबाद (बिहार)

सिंह, सरदार बूटा (जालौर)

सिंह, डा. रघुवंश प्रसाद (वैशाली)

सिकंदर, श्री तपन (दमदम)

सिन्हा, श्री मनोज (गाजीपुर)

सिन्हा, श्री यशवन्त (हजारीबाग)

सिंह देव, श्री के.पी. (ढेंकानाल)

सी. सुगुणा कुमारी, डा. (श्रीमती) (पेद्दापल्ली)

सुदर्शन नाच्चीथपन, श्री ई.एम. (शिवगंगा)

सुधीरन, श्री वी.एम. (अलेप्पी)

सुनील दत्त, श्री (मुम्बई उत्तर पश्चिम)

सुन्ब्रा, श्री एम.के. (तेजपुर)

सुमन, श्री रामजी लाल (फिरोजाबाद)

सुरेश, श्री कोडीकुनील (अड्डूर)

सेठ, श्री लक्ष्मण (तामलुक)

सेंठी, श्री अर्जुन (भद्रक)

सेन, श्रीमती मिनाती (जलपाईगुड़ी)

सेनगुप्ता, डा. नीतिश (कोन्टाई)

सेल्वागनपति, श्री टी.एम. (सेलम)

सोमैया, श्री किरीट (मुम्बई उत्तर पूर्व)

सोराके, श्री विनय कुमार (उदुपी)

सोलंकी, श्री भूपेन्द्र सिंह (गोधरा)

स्वाईं, श्री खारबेल (बालासोर)

स्वामी, श्री ईश्वर दयाल (करनाल)

स्वामी, श्री चिन्मयानन्द (जौनपुर)

ह

हंसदा, श्री थामस (राजमहल)

हक, मोहम्मद अनवारूल (शिवहर)

हमीद, श्री अब्दुल (धूबरी)

हसन, श्री मोइनुल (मुर्शिदाबाद)

हान्दिक, श्री विजय (जोरहाट)

हुसैन, श्री सैयद शाहनवाज (किशनगंज)

हौकिप, श्री होलखोमांग (बाह्य मणिपुर)

लोक सभा के पदाधिकारी

अध्यक्ष
श्री जी.एम.सी. बालयोगी

उपाध्यक्ष
श्री पी.एम. सईद

सभापति तालिका*
श्री बसुदेव आचार्य
श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा
डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय
डा. रघुवंश प्रसाद सिंह
श्री बेनी प्रसाद वर्मा
श्री के. येरननायडू

महासचिव
श्री गुरदीप चन्द मलहोत्रा

---

*2.12.1999 को नाम-निर्देशित।

भारत सरकार

मंत्रिपरिषद

मंत्रिमंडल के सदस्य

श्री अटल बिहारी वाजपेयी	प्रधानमंत्री तथा ऐसे मंत्रालयों/विभागों के प्रभारी, जिनका प्रभार विशिष्ट तौर पर किसी अन्य मंत्री को आबंटित नहीं किया गया है अर्थात्: (1) कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन; (2) योजना; (3) सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन; (4) परमाणु ऊर्जा; (5) अंतरिक्ष
श्री लाल कृष्ण आडवाणी	गृह मंत्री
श्री अनन्त कुमार	संस्कृति, युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री
श्री टी.आर. बालू	पर्यावरण और वन मंत्री
कुमारी ममता बनर्जी	रेल मंत्री
श्री सुखदेव सिंह ढिंडसा	शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्री
श्री जार्ज फर्नान्डीज	रक्षा मंत्री
श्री जगमोहन	शहरी विकास
डा. सत्यनारायण जटिया	श्रम मंत्री
श्री राम जेठमलानी	विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री
श्री मनोहर जोशी	भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री
डा. मुरली मनोहर जोशी	मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री
श्री पी.आर. कुमारमंगलम	विद्युत मंत्री

श्री प्रमोद महाजन	संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री
श्री मुरासोली मारन	वाणिज्य और उद्योग मंत्री
श्री राम नाईक	पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री
श्री नीतीश कुमार	कृषि मंत्री
श्री जुएल उराम	जनजातीय कार्य मंत्री
श्री राम विलास पासवान	संचार मंत्री
श्री नवीन पटनायक	खान और खनिज मंत्री
श्री सुन्दर लाल पटवा	ग्रामीण विकास मंत्री
श्री सुरेश प्रभु	रसायन और उर्वरक मंत्री
श्री काशीराम राणा	वस्त्र मंत्री
श्री शांता कुमार	उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री
श्री जसवन्त सिंह	विदेश मंत्री
श्री राजनाथ सिंह	जल-भूतल परिवहन मंत्री
श्री यशवन्त सिन्हा	वित्त मंत्री
डा. सी.पी. ठाकुर	जल संसाधन मंत्री
श्री शरद यादव	नागर विमानन मंत्री

राज्य मंत्री
(स्वतंत्र प्रभार)

श्रीमती मेनका गांधी	सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री
श्री अरूण जेटली	सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री
श्री एम. कन्नप्पन	अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री
श्री दिलीप राय	इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री
श्रीमती वसुन्धरा राजे	लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री; कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री

श्री एन.टी. षणमुगम	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री
कुमारी उमा भारती	पर्यटन मंत्रालय की राज्य मंत्री

राज्य मंत्री

श्री रमेश बैस	रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्रीमती विजया चक्रवर्ती	जल-संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री श्रीराम चौहान	उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री बंडारू दत्तात्रेय	शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री संतोष कुमार गंगवार	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री जयसिंगराव गायकवाड़ पाटील	मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री
प्रो. चमन लाल गुप्त	नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री सैयद शाहनवाज हुसैन	कृषि मंत्रालय के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग विभाग में राज्य मंत्री
डा. वल्लभभाई कथीरिया	भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री फग्गन सिंह कुलस्ते	जनजातीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री वी. धनंजय कुमार	वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री बंगारू लक्ष्मण	रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्रीमती सुमित्रा महाजन	मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री सुभाष महरिया	ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री बाबू लाल मरांडी	पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्रीमती जयवंती मेहता	विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री मुनिलाल	श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री उमर अब्दुल्ला	वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री अजित कुमार पांजा	विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री हरिन पाठक	रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
डा. देबेन्द्र प्रधान	जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री

श्री ई. पोन्नुस्वामी	पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री ए. राजा	ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री ओ. राजगोपाल	विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
डा. रमण	वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन	वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री सीएच. विद्यासागर राव	गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री एस.बी.पी.बी.के. सत्यनारायण राव	कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री अरूण शौरी	योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग में राज्य मंत्री
श्री बची सिंह रावत "बचदा"	विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में राज्य मंत्री
श्री तपन सिकदर	संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री दिग्विजय सिंह	रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री टीएच. चाओबा सिंह	संस्कृति, युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद	उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री ईश्वर दयाल स्वामी	गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री
प्रो. रीता वर्मा	खान और खनिज मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री बालासाहिब विखे पाटील	वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री हुक्मदेव नारायण यादव	कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री

लोक सभा

सोमवार, 29 नवम्बर, 1999/8 अग्रहायण, 1921 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई

[अध्यक्ष महोदय *पीठासीन* हुए]

राष्ट्र गान

(राष्ट्र गान की धुन बजाई गई)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: महासचिव अब शपथ ग्रहण या प्रतिज्ञान करने के लिए सदस्यों के नाम पुकारेंगे।

पूर्वाह्न 11.02 बजे

सदस्यों द्वारा शपथ ग्रहण

श्री अब्दुल हमीद (धूबरी)

श्री थामस हंसदा (राजमहल)

श्री सुबोध राय (भागलपुर)

श्रीमती रेनु कुमारी (खगड़िया)

श्री होल खोमांग (बाह्य मणिपुर)

श्री सुरेश पासी (चायल)

श्री डेन्जिली बी. एटकिन्सन (नाम-निर्दिष्ट)

डा. (श्रीमती) बीट्रिक्स डीसूजा (नाम-निर्दिष्ट)

पूर्वाह्न 11.08 बजे

मंत्रियों का परिचय

[अनुवाद]

प्रधान मंत्री (श्री अटल बिहारी वाजपेयी): अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं आपको और आपके माध्यम से इस सम्मानित सभा को अपने उन सहयोगियों का परिचय कराना चाहता हूँ जो हाल ही में मंत्रिपरिषद में सम्मिलित हुए हैं।

श्री राजनाथ सिंह – जल-भूतल परिवहन मंत्री

श्री सुखदेव सिंह ढिंढसा – शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्री

डा. सी.पी. ठाकुर – जल संसाधन मंत्री

राज्य मंत्री

श्री अरुण शौरी – योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग में राज्य मंत्री।

पूर्वाह्न 11.11 बजे

निधन संबंधी उल्लेख

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मुझे सदन को अपने दो भूतपूर्व सहयोगी सर्वश्री एम. शंकरपांडियन एवं एल. कृष्णस्वामी भारती के दुखद निधन की सूचना देनी है।

श्री एम. शंकरपांडियन प्रथम एवं द्वितीय लोक सभा के 1952 से 1962 तक सदस्य थे और उन्होंने तत्कालीन मद्रास राज्य के शंकरन नारकावली तथा तेनकासी संसदीय क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व किया था।

पेशे से कृषक श्री शंकर पांडियन ने गरीबों व दलितों के उत्थान के लिए सतत कार्य किया।

श्री शंकरपांडियन एक योग्य सांसद थे। उन्होंने मजदूर वर्ग एवं किसानों के कल्याण हेतु कार्य किया और उनकी समस्याओं को सदन के समक्ष रखने के मामले में कोई भी मौका नहीं गंवाया। वह 1958 से 1960 तक प्राक्कलन समिति के सदस्य थे।

श्री एम. शंकरपांडियन का निधन 81 वर्ष की आयु में तमिलनाडु के पुलगुडी में 8 अक्तूबर 1999 को हो गया।

श्री एल. कृष्णस्वामी भारती 1946 से 1950 तक संविधान सभा एवं 1950 से 1952 तक अंतरिम संसद के सदस्य थे। उन्होंने तत्कालीन मद्रास राज्य का प्रतिनिधित्व किया था।

इससे पूर्व वह 1937 में तत्कालीन मद्रास प्रेसीडेंसी की विधान सभा के सदस्य थे।

श्री भारती एक सक्रिय स्वतंत्रता सेनानी थे। 1932 एवं 1940 में सत्याग्रह आंदोलनों में भाग लेने के लिए उन्हें कैद में डाल दिया गया था।

श्री भारती एक योग्य सांसद थे तथा वे 1949-50 में अखिल भारतीय भाषा विशेषज्ञ सम्मेलन के सदस्य रहे। वह 1951 में भारतीय संविधान का तमिल में अनुवाद के लिए गठित समिति के भी सदस्य थे।

श्री एल. कृष्णस्वामी भारती का निधन 31 अक्तूबर, 1999 को 95 वर्ष की आयु में हुआ।

हम इन मित्रों के निधन पर गहरा दुख व्यक्त करते हैं और मुझे विश्वास है कि यह सभा शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करने में मेरे साथ है।

माननीय सदस्यों को याद होगा कि इस सभा में गत सत्र के दौरान, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल एवं आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्रों में 29 अक्तूबर को आए विनाशकारी तूफान के संबंध में गहरी संवेदना व्यक्त करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया गया था। जैसी कि बात सामने आई है, इस देश में घटित किसी भी प्राकृतिक आपदा की तुलना में यह तूफान अत्यधिक विनाशकारी साबित हुआ है। प्राप्त सूचना के अनुसार दस हजार से अधिक लोगों की इसमें जानें गई हैं और उड़ीसा की आधी आबादी इस त्रासदी से प्रभावित हुई है।

हम इस अपार जनहानि पर गहरा शोक व्यक्त करते हैं।

अब सदस्यगण दिवंगत आत्माओं के सम्मान में थोड़ी देर मौन खड़े होंगे।

पूर्वाह्न 11.13 बजे

तत्पश्चात् सदस्यगण थोड़ी देर मौन खड़े रहे।

पूर्वाह्न 11.15 बजे

अध्यक्ष द्वारा उल्लेख

भारत के संविधान की 50वीं वर्षगांठ के बारे में

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: दलों के नेताओं की बैठक में हुई सहमति के अनुसार मुझे एक और टिप्पणी करनी है।

माननीय सदस्यगण मैं भारत के संविधान के सफल 50 वर्षों का उल्लेख करता हूँ।

हमारे देश के लिए 26 नवम्बर एक महत्वपूर्ण तिथि है। इसी दिन पचास वर्ष पहले संविधान सभा ने संविधान को स्वीकार किया था। 1922 में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने भारत की जनता की इस मांग को सामने रखा कि भारत के राजनैतिक भाग्य का निर्णय भारतीयों द्वारा ही किया जाना चाहिए। उनका यह सपना उस समय साकार हुआ जब हमने अपना संविधान स्वीकार किया।

जैसाकि सदस्य जानते हैं संविधान सभा की बैठक 166 दिन हुई और यह कार्य दो वर्ष 11 महीने एवं 18 दिनों तक चला। 26 नवम्बर, 1949 को जब संविधान स्वीकार किया गया तो उस समय अन्यत्र किए गए अनुभव के आधार पर संविधान सभा के सदस्यों ने हमारी आवश्यकताओं एवं वास्तविकताओं को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक प्रावधान को बारीकी से जांचा परखा।

गत पचास वर्षों के अनुभव ने यह प्रमाणित किया कि हमारा संविधान एक जीवंत एवं स्वत: स्फूर्त दस्तावेज है। हर दृष्टि से यह संविधान देश की आत्मा को प्रतिबिम्बित करता है और हमारे देश की जनता की एकता एवं उनकी सम्प्रभु इच्छा को व्यक्त करता है।

सर्वदा परिवर्तनशील वास्तविकताओं की आवश्यकता के अनुरूप ढलने में संविधान की क्षमता ने इसे सामाजिक परिवर्तन का माध्यम बनाया है और इस प्रक्रिया को संसद ने और भी सुगम बनाया है। अब तक संविधान में 78 संशोधन हुए हैं और उनमें से अधिकांश लोगों की आकांक्षाओं और आशाओं को पूरा करने में अत्यधिक सफल हुए हैं। संविधान मूल रूप से देश की जनता का प्रतिज्ञापत्र है, उनकी स्वतंत्रता का दस्तावेज है तथा भविष्य को संवारने की रूपरेखा है।

संविधान की प्रस्तावना में ही पूरे संविधान का उद्देश्य परिलक्षित होता है। जिसमें भारत को एक सम्प्रभु राष्ट्र समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष तथा लोकतांत्रिक गणतंत्र बनाने का संकल्प लिया गया है।

व्यापक रूप से यह बात स्वीकार की गई है कि संविधान की उद्देशिका उन विचारों की विस्तृत रूप रेखा को परिलक्षित करती है जो हमारी प्राचीन विरासत में निहित है और भारतीय लोकाचार का हिस्सा है। संविधान इसे परिलक्षित करता है और यही वे मौलिक बातें हैं जो इसका आधार हैं।

हमारे संविधान निर्माता दूरदृष्टि रखते थे और उन्होंने कुछ मानदण्ड निर्धारित किये थे। इस संविधान ने विगत पचास वर्षों के दौरान लोकतांत्रिक समाज की आवश्यकताओं एवं दबावों का सफलतापूर्वक सामना किया है। संविधान निर्माताओं ने संविधान को जिस रूप में लिया था वह मौलिक ढांचा आज भी उसी तरह बरकरार है। हमारा संविधान हमारे राष्ट्रीय जीवन का एक अत्यन्त महत्वपूर्ण दस्तावेज है जो हमारा मार्गदर्शन करता है और पुराने आदर्शों के अनरूप कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करता है। इस महान विरासत के उत्तराधिकारी होने के नाते यह हमारा दायित्व है कि हम संविधान निर्माताओं की आकांक्षाओं को मूर्तरूप दें। इस उद्देश्य से हमें फिर से स्वयं को इसके प्रति समर्पित करना होगा।

[अनुवाद]

श्री हन्नान मोल्लाह (उलूबेरिया): महोदय, मैंने उड़ीसा में चक्रवात के मुद्दे पर चर्चा करने के लिए प्रश्न काल को निलंबित करने के लिए सूचना दी थी। हम प्रश्न काल का निलंबन चाहते हैं *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न संख्या 1

...(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा): महोदय, चक्रवात के मामले पर शीघ्र ही चर्चा की जानी चाहिए। यह अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है। इसलिए प्रश्न काल को निलंबित किया जाना चाहिए *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न संख्या 1—श्री अधीर चौधरी

...(व्यवधान)

श्री हन्नान मोल्लाह: महोदय, मैंने उड़ीसा में आये चक्रवात के कारण उत्पन्न स्थिति पर चर्चा करने के लिए प्रश्नकाल के निलंबन हेतु सूचना दी थी। उसका क्या हुआ?

अध्यक्ष महोदय: कृपया मेरी बात मानिए कि हमने इस विषय पर नेताओं की बैठक में भी चर्चा की थी। अब प्रश्न काल को चलने दीजिए।

...(व्यवधान)

श्री हन्नान मोल्लाह: हमने एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है। इस पर आपका क्या विनिर्णय है? *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: सरकार इस विषय पर चर्चा करने के लिए तैयार है।

संसदीय कार्य मंत्री और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन): हम आज इस पर दो बजे चर्चा करेंगे *...(व्यवधान)*

श्री राजेश पायलट (दौसा): उड़ीसा में आए चक्रवात का मामला एक गम्भीर मामला है। हमने भी एक सूचना दी है।

अध्यक्ष महोदय: कृपया यह समझिए कि पिछली बार भी हमने इस पर चर्चा की थी। आज भी हम इस पर चर्चा करने के लिए सहमत हैं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: अध्यक्षपीठ आपके साथ सहयोग कर रही है। हमने इसके संबंध में नेताओं की बैठक में निर्णय लिया है। सरकार को भी इस विषय पर चर्चा करने में किसी प्रकार की आपत्ति नहीं है। भोजनावकाश के तुरंत बाद हम उड़ीसा में आए चक्रवात पर चर्चा करेंगे। श्री पायलट, हम आज ही इस विषय पर चर्चा करने के लिए सहमत हैं।

श्री राजेश पायलट: यह अत्यंत गंभीर त्रासदी है। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्री रूपचंद पाल, आप अनावश्यक रूप से इस पर आपत्ति कर रहे हैं। जैसाकि मैं कह चुका हूं हम आज ही इस विषय पर चर्चा के लिए तैयार हैं। कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए।

---

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री हन्नान मोल्लाह: महोदय, स्थगन प्रस्ताव पर आपका क्या विनिर्णय है?

श्री बसुदेव आचार्य: हमने इस विषय पर एक सूचना दी है *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। जब सभा इस विषय पर आज ही चर्चा के लिए सहमत है तब आप सहयोग नहीं कर रहे हैं। यह सब क्या है? यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है।

[हिन्दी]

श्री प्रमोद महाजन: यह कौन सा तरीका है? *...(व्यवधान)* मुझे अपनी बात कहने दी जाए। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री एन.एन. कृष्णदास (पालघाट): स्थगन प्रस्ताव पर आपका विनिर्णय क्या है?

श्री रूपचंद पाल (हुगली): प्रधानमंत्री को इस संबंध में कुछ कहने दीजिए।

अध्यक्ष महोदय: कृपया अपने स्थान पर बैठिए। प्रधानमंत्री को इसका उत्तर देने दीजिए।

[हिन्दी]

श्री रामदास आठवले (पंढरपुर): अध्यक्ष महोदय, उड़ीसा के बारे में सरकार ने क्या किया है? हम इस बात का जवाब चाहते हैं। *...(व्यवधान)*

प्रधान मंत्री (श्री अटल बिहारी वाजपेयी): अध्यक्ष महोदय, सारा सदन, सारा देश, अगर मैं कहूँ कि सारी दुनिया उड़ीसा के चक्रवात से हुई भीषण क्षति जिस में जन, धन दोनों की क्षति हुई है, उससे चिंतित है। हम आज पहली दफा मिल रहे हैं। उसके बाद उड़ीसा पर चर्चा हो, यह नितान्त स्वाभाविक है। आवश्यक है। सरकार इसके लिए तैयार है।

अध्यक्ष महोदय, चर्चा कब हो, इसका फैसला आपको करना है।

श्री रूपचंद पाल: हमारा एडजर्नमेंट मोशन कब होगा?

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य: अध्यक्ष महोदय, प्रश्नकाल को निलंबित किया जाना चाहिए। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्री बसुदेव आचार्य, कृपया अपने स्थान पर बैठिए।

श्री बसुदेव आचार्य: महोदय, प्रश्न काल को निलंबित किया जाना चाहिए और उड़ीसा में आए चक्रवात के विषय पर स्थगन प्रस्ताव पर तुरन्त चर्चा की जानी चाहिए। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: हम पहले ही नेताओं की बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा कर चुके हैं और हमने यह निर्णय लिया है कि आज ही दो बजे इस पर चर्चा करेंगे। सरकार को भी कोई आपत्ति नहीं है। कृपया अध्यक्षपीठ के साथ सहयोग करें।

...(व्यवधान)

श्री रूपचंद पाल: अध्यक्ष महोदय, स्थगन प्रस्ताव पर आपका विनिर्णय क्या है?

अध्यक्ष महोदय: मैं अपना विनिर्णय दे रहा हूँ। नेताओं की बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार मैं पहले ही स्थगन प्रस्ताव को रद्द कर चुका हूँ। हम आज ही 2 बजे इस पर चर्चा कर रहे हैं। कृपया अध्यक्षपीठ के साथ सहयोग करें।

श्री बसुदेव आचार्य: महोदय, स्थगन प्रस्ताव के संबंध में दिये गये हमारे स्थगन प्रस्ताव का क्या हुआ? हमें इस बारे में सूचित किया जाना चाहिए। हमारे स्थगन प्रस्ताव पर आपने क्या कार्रवाई की है?

अध्यक्ष महोदय: इसे पहले ही रद्द किया जा चुका है। आज ही हम उड़ीसा में आए चक्रवात पर चर्चा कर रहे हैं, इसलिए स्थगन प्रस्ताव की सूचना को पहले ही रद्द किया जा चुका है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न काल में जनहित से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। इसीलिए आपकी सूचना को अस्वीकृत किया जाता है। कृपया अपने स्थान पर बैठिए।

प्रश्न संख्या 1—श्री अधीर चौधरी।

पूर्वाह्न 11.26 बजे

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[अनुवाद]

गैर-कानूनी पाकिस्तानी आप्रवासी

*1. श्री अधीर चौधरी :
श्रीमती श्यामा सिंह :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बड़ी संख्या में पाकिस्तानी आप्रवासी अवैध रूप से देश के विभिन्न भागों में रह रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उनके यहां रहने से हमारी अर्थव्यवस्था और सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और देश में ऐसे गैर-कानूनी आप्रवासियों के आने को रोकने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी): (क) से (घ) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) से (घ) उपलब्ध सूचना के अनुसार 31.7.1999 की स्थिति के अनुसार, यह सूचित किया गया है कि जो पाक राष्ट्रिक भारत आए थे उनमें से कुल 11,327 पाक राष्ट्रिक अपने ठहरने की वैध निर्धारित अवधि समाप्त होने के बाद वापस नहीं गए।

राज्य-वार आंकड़े निम्न प्रकार से हैं:-

क्र.सं.	राज्य का नाम	निर्धारित अवधि से अधिक समय तक रह रहे व्यक्ति	लापता व्यक्ति	कुल
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	21	29	50
2.	बिहार	23	36	59
3.	दिल्ली	07	90	97
4.	गुजरात	621	20	641
5.	हरियाणा	611	–	611
6.	कर्नाटक	01	68	69
7.	केरल	284	112	396
8.	मध्य प्रदेश	869	231	1100

1	2	3	4	5
9.	महाराष्ट्र	244	1172	1416
10.	उड़ीसा	24	08	32
11.	पंजाब	137	–	137
12.	राजस्थान	4658	75	4733
13.	तमिलनाडु	97	20	117
14.	उत्तर प्रदेश	670	400	1070
15.	पश्चिम बंगाल	329	362	691
16.	जम्मू व कश्मीर	94	04	98
17.	गोवा	10	–	10
	कुल	8700	2627	11327

इस प्रकार के पाक राष्ट्रिकों का पता लगाने और उन्हें देश से निकालने के लिए केन्द्र सरकार, राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों के साथ निरन्तर बातचीत कर रही है। इस प्रकार के अवैध आप्रवासन को रोकने के लिए उठाए गए कदमों में सम्मिलित हैं:- सीमा पर बाड़ लगाना, तेज रोशनी की व्यवस्था करना, गश्त ट्रेक का निर्माण, सीमा पर आसूचना क्षमताओं को सुदृढ़ करना और नियंत्रण रेखा/सीमा पर घुसपैठ को रोकने के लिए सेना, केन्द्रीय अर्ध सैनिक बलों और राज्य पुलिस की बहु-स्तरीय तैनाती सहित विकसित सीमा प्रबन्धन।

श्री अधीर चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मैं विनम्रतापूर्वक कहना चाहता हूं कि मेरे प्रश्न के संबंध में दिए गए उत्तर से मैं किंचित भी संतुष्ट नहीं हूं। उनके उत्तर में विषयान्तर स्पष्ट रूप से दिखलाई पड़ता है।

महोदय, हम सब इस बात से अवगत हैं कि पाकिस्तानियों के अवैध आप्रवासन से न केवल हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा उत्पन्न हुआ है अपितु इससे हमारी अर्थव्यवस्था पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है और हम रक्तपात के द्वारा हमारे देश को अस्थिर करने के लिए भारत में चल रही आई.एस.आई. की गतिविधियों के साथ इस बात को जोड़कर देख सकते हैं। ऐसी सूचना है कि कारगिल संघर्ष के चलते पाकिस्तानियों का आगमन बढ़ गया है जो भारत की शांतिप्रिय जनता को भयाकुल करने वाली बात है।

अध्यक्ष महोदय : आप का प्रश्न क्या है? आपको व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं है। माननीय मंत्री उत्तर देंगे। आप केवल प्रश्न पूछिए।

श्री अधीर चौधरी : महोदय, अपने उत्तर में गृह मंत्री ने तेज रोशनी की व्यवस्था, सीमा पर बाड़ लगाना, आसूचना को सुदृढ़ बनाना और ऐसी कई बातें कहीं, जिनकी पोल जमीनी वास्तविकताओं का सामना होने पर खुल जाती हैं। मैं माननीय गृह मंत्री से पूछना चाहता हूं कि व्यापक सुरक्षा तंत्र आप्रवासन कानूनों और अन्य अपेक्षित व्यवस्थाओं के बावजूद भी उन अवैध आप्रवासियों के लिए यह कैसे सम्भव हो जाता है कि वे भारत को सुरक्षित शरणस्थली में परिवर्तित कर दें।

क्या आप मानते हैं कि अवैध आप्रवासियों और गृह मंत्री की कमान में आने वाले सुरक्षाकर्मियों के बीच कपटपूर्ण सांठ-गाठ है?

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : महोदय, माननीय सदस्य ने उन लोगों के मामलों का उल्लेख किया है जो वैध पासपोर्ट, वैध वीजा लेकर भारत आते हैं और जो निर्धारित समय से अधिक रहते हैं।

दो पहलू हैं। गैर-कानूनी आप्रवासियों अथवा गैर-कानूनी घुसपैठ से संबंधित दूसरा पहलू पृथक मामला है। यह विशेष प्रश्न जो कि पूछा गया है उन पाक-आप्रवासियों से सम्बन्ध रखता है जो देश के विभिन्न भागों में गैर-कानूनी तरीके से रह रहे हैं। उन लोगों के ब्यौरे दिये गए हैं जो समय सीमा से अधिक से रह रहे है और उनमें से कुछ लापता हो जाते हैं और पकड़ में नहीं आते हैं इन दोनों के आंकड़े दिये गए हैं।

यद्यपि आप्रवास और निर्वासन के लिए बनाए गए कानून केन्द्रीय कानून हैं लेकिन उन्हें लागू करने की शक्ति राज्य सरकारों को हस्तांतरित कर दी गई है।

काफी समय से, पाकिस्तान से आप्रवासियों की संख्या, जो निर्धारित अवधि से अधिक समय से यहां रह रहे हैं अथवा जो लापता हो गए हैं, काफी अधिक है। सरकार राज्य सरकारों से यह सुनिश्चित करने के लिए निरन्तर संपर्क बनाए हुए है कि वे पकड़े जाएं और उन्हें वापस भेजा जाए।

श्री अधीर चौधरी : क्या मैं माननीय गृह मंत्री जी को एक कहावत याद दिला सकता हूं कि जो गर्मियों में अधिक सोते हैं उन्हें सर्दियों में रोना पड़ता है। चुनाव से पहले माननीय मंत्री ने भारत की जनता से वायदा किया था कि आई.एस.आई. की गतिविधियों पर श्वेत-पत्र प्रकाशित करेंगे आपके श्वेत-पत्र कहां हैं?

मैं इतना जरूर कहूंगा कि गैर-कानूनी आप्रवास का आई.एस.आई. की गतिविधियों से अत्यधिक संबंध है। इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : मैं एक बार फिर से कह रहा हूं कि दो वर्ग हैं एक वर्ग उन लोगों का है जो निर्धारित अवधि से अधिक समय से यहां रह रहे हैं और उनकी उपस्थिति की जानकारी है और उन्हें सूचनाएं विधिवत नोटिस आदि दिए जा रहे हैं। लेकिन अन्य वर्ग वह है जो लापता हो जाते हैं आम जनता में घुल मिल जाते हैं और लापता हो जाते हैं और राज्य सरकारों अथवा संघ शासित प्राधिकरणों को इसकी जानकारी नहीं होती है। ये वही लोग होते हैं जो आपत्तिजनक अथवा खतरनाक गतिविधियों में लिप्त हो सकते हैं। इनमें से कुछ आई.एस.आई. से भी सम्बद्ध हो सकते हैं।

जहां तक आई.एस.आई. सम्बन्धी श्वेत-पत्र जारी करने के प्रस्ताव का सम्बन्ध है इस पर सरकार विचार कर रही है। उपर्युक्त समय पर सरकार घोषणा करेगी।

श्री मोइनुल हसन : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय गृह मंत्री द्वारा सभा पटल पर रखे गए वक्तव्य को मैंने देखा है। जहां तक आंकड़ों का संबंध है, मैंने देखा कि राजस्थान में निर्धारित अवधि से अधिक से यहां रह रहे पाकिस्तानियों की संख्या 4,658 है और लापता पाकिस्तानियों की संख्या 75 है कुल संख्या 4733 है।

मेरे प्रश्न का भाग (क) यह है भारत सरकार ने राजस्थान की राज्य सरकार को निर्धारित अवधि से अधिक समय से रह रहे पाकिस्तानियों और लापता पाकिस्तानियों को रोकने अथवा उन के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए क्या संदेश भेजा था? क्या राजस्थान सरकार की ओर से कोई प्रतिक्रिया प्राप्त हुई है? यह मेरे प्रश्न का पहला भाग है।

अध्यक्ष महोदय : श्री हसन आप केवल एक ही अनुपूरक प्रश्न पूछ सकते हैं दो नहीं।

श्री मोइनुल हसन : इसे इकट्ठा कर दिया गया है।

अध्यक्ष महोदय : आप भाग (क) के साथ भाग (ख) जोड़ दीजिए और एक अनुपूरक प्रश्न पूछिए।

श्री मोइनुल हसन : क्या भारत और पाकिस्तान के बीच बस सेवा को बढ़ाए जाने का कोई प्रस्ताव है यह भाग (ख) है।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : महोदय, पहला प्रश्न इससे संबंधित है और दूसरा प्रश्न पृथक प्रश्न है। जहां तक पहले प्रश्न का संबंध है जो राजस्थान के संबंध में है जहां आप्रवासियों की संख्या जिनमें लापता हुए लोगों की संख्या अपेक्षाकृत ज्यादा नहीं

है लेकिन निर्धारित अवधि से अधिक समय से रह रहे लोगों की संख्या अधिक है। लेकिन इसका राजस्थान की सरकार को पता है। हम इसका पता लगाने के लिए अन्य सरकारों के साथ-साथ राजस्थान सरकार के साथ निरन्तर सम्पर्क बनाए हुए हैं कि इस मामले पर शीघ्र कार्यवाही की जाए ...*(व्यवधान)*

श्री राजेश पायलट : कर्नाटक के मामले में स्थिति भिन्न है ...*(व्यवधान)*

श्री अनिल बसु : महोदय, यह पूर्णत: अस्पष्ट है। उन्होंने किसी भी बात का जवाब नहीं दिया है ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर): मान्यवर अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय गृह मंत्री जी से जानना चाहता हूं ...*(व्यवधान)* अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से गृह मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि देश में पाकिस्तानी आप्रवासियों के आज्ञा से अधिक दिनों तक ठहरने के जो आंकड़े दिये गये हैं और जिनका पता नहीं लग पाया है और जैसा अभी माननीय सदस्य ने कहा कि राजस्थान के अंदर इनकी संख्या ज्यादा है। क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि मैं जिस निर्वाचन क्षेत्र अजमेर से आता हूं, वहां किसी न किसी कारणवश ये पाकिस्तानी आप्रवासी आकर अधिक दिनों तक ठहरते हैं। उसके बाद बाड़मेर, जैसलमेर और जालौर जो सीमावर्ती जिले हैं, उन जिलों में देशद्रोहपूर्ण और अव्यवस्था पैदा करने की उनकी मंशा रहती है और वहां के लोग संकट में घिरे रहते हैं। क्या सरकार को इस बात की जानकारी है और क्या सरकार सख्त कदम उठाकर सीमावर्ती जिलों में अधिक दिनों तक ठहरे हुए इन पाकिस्तानी आप्रवासियों का पता लगाकर उन्हें बाहर निकालने का आश्वासन इस सदन को देगी?

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : अध्यक्ष महोदय, यह सही है कि इस प्रकार के पाकिस्तानी इमिग्रेन्ट्स की संख्या सीमावर्ती जिलों में अधिक है। आप तो अपने जिले की भी जानकारी दे रहे हैं, लेकिन मैं इतना ही आश्वासन दे सकता हूं कि हम राजस्थान सरकार को इस मामले में सख्त और त्वरित कदम उठाने के लिए जरूर कहेंगे।

श्रीमती कृष्णा बोस : अध्यक्ष महोदय, माननीय गृह मंत्री ने इस मामले में अत्यन्त महत्वपूर्ण समस्या को उठाया है कि राष्ट्रीय सुरक्षा राष्ट्रीय जिम्मेदारी है लेकिन कानून और व्यवस्था राज्य के पास है।

मुझे मालूम है कि पश्चिम बंगाल में गैर-कानूनी आप्रवासियों के 691 मामले हैं और जैसाकि हम जानते हैं कि उनमें आई.एस.आई. एजेन्ट भी हैं। हमारा राज्य पाकिस्तान के साथ लगने वाला राज्य नहीं है। अत: इन लोगों ने यहां आने में काफी समय लिया होगा और वहां तक पहुंचने में काफी जाल बिछाया होगा।

जैसाकि माननीय गृह मंत्री ने बताया है कि समस्या यह है कि राज्य और केन्द्र नामक दो एजेन्सियों को मिलकर काम करना होगा। क्या माननीय गृह मंत्री जी उसके लिए कोई समन्वय एजेन्सी का गठन करने पर विचार कर रहे हैं? माननीय मंत्री ने कहा कि वे बातचीत जारी रखे हुए हैं लेकिन केवल बातचीत ही पर्याप्त नहीं होगी। मैं जानना चाहता हूं क्या वह समझते हैं कि राज्य और केन्द्र जो कर रहे हैं उसमें तालमेल रखने के लिए कोई समन्वय एजेन्सी होनी चाहिए। केन्द्र को चेतावनी दी जानी चाहिए और जब कुछ लोग गिरफ्तार होते हैं तो केन्द्र और राज्य को मिलकर कार्य करना चाहिए।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : मुख्य प्रश्न के जवाब में दिये गए उत्तर से यह तथ्य संबंधित नहीं है कि कानून और व्यवस्था राज्य का विषय है। इस विशेष मामले में, यद्यपि आप्रवास के संबंध में कानून केन्द्रीय सरकार के कानून हैं लेकिन उन कानूनों को लागू करने की शक्ति राज्य सरकारों को हस्तांतरित कर दी गई है और इस हस्तान्तरण के कारण ही राज्य सरकार को कार्यवाही करने की शक्ति मिली हुई है। वे कार्यवाही कर सकते हैं। लेकिन यह सच है कि पश्चिम बंगाल में पाकिस्तानियों की संख्या जो निर्धारित अवधि में अधिक समय से रह रहे हैं, उतनी अधिक नहीं है जितनी उनकी है जो आम जनता में मिल गए हैं और जिनका पता लगाना कठिन है यह एक बड़ी संख्या है।

हाल ही में, मेरी पश्चिम बंगाल में राष्ट्र विरोधी तत्वों द्वारा दी गई धमकी के संबंध में वहां के गृह मंत्री के साथ काफी लम्बी बातचीत हुई। उस सन्दर्भ में हम इस विशेष मामले पर राज्य सरकार के साथ पुन: बातचीत करेंगे।

श्री अमर राय प्रधान : महोदय, यह प्रश्न नहीं है कि भारत में इतने पाकिस्तानी घुसपैठिए कैसे आए और यहां बन्दी बनाए गए। मुख्य प्रश्न जिसे मैं पूछना चाहता हूं वह यह है कि इतने घुसपैठिए कैसे आए और अन्तत: कहां लापता हो गए।

यह मुख्य प्रश्न है। माननीय गृह मंत्री इसे बेहतर जानते होंगे। पश्चिम बंगाल के उत्तर भाग और पूर्वोत्तर क्षेत्र में - असम से त्रिपुरा तक के आठ सहयोगी संगठनों की - आई.एस.आई.

गतिविधियां बहुत अधिक चल रही हैं और वे देश में अस्थिरता उत्पन्न कर सकती हैं। मैं स्पष्ट रूप से जानना चाहता हूं क्या आप इन क्षेत्रों में राज्यों और केन्द्र के बीच कोई समन्वय एजेंसी स्थापित कर रहे हैं।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : मैं फिर से इस बात पर जोर देना चाहता हूं कि यह प्रश्न उस प्रश्न से अलग प्रकार का है जोकि अभी आपने पूछा था। यह आपको केवल 11,327 पाकिस्तानियों के आंकड़ों को प्रदान करता है, जिसमें से 2,627 पाकिस्तानी गायब हो गए हैं लेकिन ऐसे अवैध आप्रवासियों की संख्या जिनके आगमन की भी जानकारी नहीं है और जो लोगों के साथ घुल-मिल गए हैं उनकी संख्या लाखों में है ...*(व्यवधान)*

श्री अमर राय प्रधान : गायब हो चुके लोग विशेष रूप से आई.एस.आई. द्वारा संचालित गतिविधियों में भाग ले रहे हैं ...*(व्यवधान)*

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : यह संख्या कई लाखों में, मिलियन में हो सकती है। इस मामले में, मैं यही कह सकता हूं कि स्थायी समन्वय एजेन्सी की कोई आवश्यकता नहीं है। गृह सचिव राज्य सरकारों के साथ लगातार संपर्क बनाए हुए हैं क्योंकि ये लोग केवल राज्य की राजधानियों में ही नहीं रहते हैं। ये लोग जिलों में भी जाकर रहने लगते हैं।

जहां तक केन्द्र सरकार का संबंध है, इसके पास बहुत कम जगहों पर, विशेष रूप से आसूचना से संबंधित उपाय और साधन उपलब्ध हैं। सैद्धांतिक रूप से हम इस प्रकार के कानून को राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों के माध्यम से ही कार्यान्वित कर सकते हैं।

श्री प्रियरंजन दास मुंशी : क्या मैं माननीय गृह मंत्री से भारत में घुसपैठियों को आने से रोकने से संबंधित राज्य और केन्द्र के मध्य की नीति के संबंध में जान सकता हूं; क्या कोई विशेष प्रकार की प्रणाली को अपनाया गया है जिसके तहत भारत सरकार द्वारा व्यापक निगरानी पर विचार किया जा सकता है? मैंने इस मुद्दे को माननीय गृह मंत्री के समक्ष इसीलिए उठाया है क्योंकि चुनावों के समय मैंने अपने निर्वाचन क्षेत्र में यह बात देखी कि मुस्लिम समुदाय के कई निर्दोष देशभक्तों को घुसपैठियों और आई.एस.आई. एजेंटों के नाम पर पुलिस द्वारा परेशान किया गया जबकि वे लोग घुसपैठिए और आई.एस.आई. एजेण्ट नहीं थे। वे देशभक्त और भारतीय नागरिक हैं। मैंने इस बात को गृह राज्य मंत्री के ध्यान में लाया था। मालदा के डा. महमूद जैसे प्रतिष्ठित व्यक्ति को भी सार्वजनिक रूप से पर्चे जारी करने पड़ रहे हैं कि उनके साथ इस प्रकार का व्यवहार किया जा रहा है। यदि इस मामले को निचले स्तर के पुलिस स्टेशन पर छोड़ दिया जाये तो वे इस स्थिति का लाभ उठा रहे हैं और अपनी निजी दुश्मनियों के कारण निर्दोष मुस्लिमों पर अत्याचार करने का प्रयास कर रहे हैं और इस कारण दहशत फैल रही है। गैसल रेल दुर्घटना के दिन, मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र में था। यह स्थान मेरे निर्वाचन क्षेत्र की सीमा पर है। उस दिन यह खबर फैली कि उस गांव के मुस्लिमों को गिरफ्तार किया जाएगा क्योंकि उनके कारण दुर्घटना घटी है और वे सब आई.एस.आई. के एजेण्ट और घुसपैठिए हैं। सौभाग्य से जिला मजिस्ट्रेट ने खण्डन किया कि यह एक दुर्घटना थी जोकि घुसपैठियों के कारण नहीं हुई थी। स्थानीय पुलिस स्टेशन द्वारा प्रति दिन इस प्रकार के आपराधिक कार्य किए जाते हैं। मैं माननीय गृह मंत्री से जानना चाहता हूं, भारत सरकार क्या आश्वासन दे सकती है कि व्यापक निगरानी में निर्दोष व्यक्तियों और मुस्लिम समुदाय के देशभक्तों पर अत्याचार नहीं होंगे।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : माननीय सदस्य का प्रश्न एक बार फिर से अवैध आप्रवासन और घुसपैठ का उल्लेख करता है। मैं केवल यह कह सकता हूं कि जब कभी भी केन्द्र सरकार— यह मुख्य रूप से सीमा पर स्थित राज्य सरकारों से संबंधित है— घुसपैठ या अवैध आप्रवासन के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए किसी राज्य सरकार से कहेगी तब हम इस बात पर भी जोर देंगे कि वास्तविक भारतीय नागरिकों को किसी भी परिस्थिति में परेशान नहीं किया जाए और इस बात को सुनिश्चित करने का ध्यान रखा जाए कि केवल उसके धर्म के आधार पर किसी भी वास्तविक भारतीय नागरिक को परेशान नहीं किया जाए। इस प्रकार के मामलों - जिसमें नागरिक को मुस्लिम होने के कारण परेशान किया गया हो - से अत्यंत सावधानीपूर्वक बचा जाए और यदि इस प्रकार का कोई मामला आपके ध्यान में लाया जाता है तो आपको इसमें संलिप्त लोगों के विरुद्ध पर्याप्त कार्रवाई करनी चाहिए।

राष्ट्रीय राजमार्गों की खराब हालत

***2. श्री +अशोक ना. मोहोल :**
श्री राम टहल चौधरी :

क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के अधिकांश राष्ट्रीय राजमार्ग उचित रख-रखाव और धन की कमी के कारण खस्ता हालत में हैं;

(ख) यदि हां, तो ऐसे राष्ट्रीय राजमार्गों का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) राष्ट्रीय राजमार्गों के रख-रखाव की उचित व्यवस्था न होने के क्या कारण हैं;

(घ) सरकार द्वारा राष्ट्रीय राजमार्गों को अच्छी हालत में बनाए रखने के लिए तैयार की गई कार्य योजना का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस प्रयोजनार्थ गत तीन वर्षों के दौरान और चालू वर्ष में राज्यवार कितनी धनराशि आबंटित की गई है?

[अनुवाद]

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री राजनाथ सिंह): (क) से (ङ) विवरण सभा पटल पर प्रस्तुत है।

विवरण

(क) जी नहीं। यद्यपि राष्ट्रीय राजमार्गों के रख-रखाव के लिए उपलब्ध निधियां अपर्याप्त रहीं हैं परन्तु उन्हें उपलब्ध संसाधनों से यातायात योग्य स्थिति में रखा जा रहा है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

(घ) राष्ट्रीय राजमार्गों की विशेष मरम्मत करने के लिए सरकार ने एक चरणबद्ध कार्यक्रम तैयार किया है। इस वित्त वर्ष में राष्ट्रीय राजमार्गों की 8000 कि.मी. लंबी सड़कों की ऊपरी सतह का नवीकरण किया जाना है।

(ङ) ब्यौरे अनुबंध में दिये गये हैं।

विभिन्न राज्यों में रख-रखाव और मरम्मत के अंतर्गत निधियों (लाख रु.) के आबंटन को दर्शाने वाला विवरण

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	1996-97	1997-98	1998-99	1999-2000 नवम्बर, 99 तक
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	3545.34	3898.00	4568.40	2642.26
2.	अरूणाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00	–
3.	असम	1006.87	1162.55	2815.51	2632.44
4.	बिहार	2193.95	3410.77	3336.97	4399.64
5.	चंडीगढ़	45.00	71.00	48.04	32.20
6.	दिल्ली	207.00	330.20	210.00	100.44
7.	गोवा	325.36	450.39	617.08	319.04

1	2	3	4	5	6
8.	गुजरात	2731.50	3758.96	3296.94	1646.17
9.	हरियाणा	885.24	772.34	1239.42	1311.70
10.	हिमाचल प्रदेश	1516.80	2034.32	2256.01	1272.82
11.	जम्मू एवं कश्मीर	103.37	87.40	129.65	244.00
12.	कर्नाटक	2457.80	3002.90	3111.75	2727.90
13.	केरल	1073.27	2268.11	2090.63	1608.00
14.	मध्य प्रदेश	3176.72	3313.78	3945.04	4721.56
15.	महाराष्ट्र	3277.04	5157.68	4957.67	2938.63
16.	मणिपुर	276.00	277.03	365.59	657.08
17.	मेघालय	553.70	584.54	625.80	638.89
18.	मिजोरम	0.00	0.00	0.00	299.00
19.	नागालैंड	14.00	37.11	382.90	355.63
20.	उड़ीसा	1981.73	2522.00	2761.15	2382.24
21.	पांडिचेरी	35.88	29.96	64.18	63.00
22.	पंजाब	1182.13	1357.75	1538.81	1443.86
23.	राजस्थान	2669.08	3841.71	3718.19	3404.00

1	2	3	4	5	6
24.	सिक्किम	0.00	0.00	0.00	-
25.	तमिलनाडु	2413.14	2981.37	3740.00	3117.15
26.	त्रिपुरा	0.00	0.00	0.00	24.00
27.	उत्तर प्रदेश	3373.40	4949.19	6128.44	4671.49
28.	पश्चिम बंगाल	2081.68	3264.94	2757.83	2440.00
29.	जोगीघोपा पुल	0.00	0.00	0.00	-
30.	मंत्रालय	0.00	0.00	0.00	-
31.	सी.स.वि. बोर्ड	0.00	0.00	0.00	-
32.	भा.रा.रा.प्रा.	70.00	375.00	274.00	0.00
33.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0.00	0.00	0.00	-
34.	अन्य संस्थान	-	13.00	-	0.00
	जोड़	37200.00	49750.00	54980.00	46093.14

[हिन्दी]

श्री अशोक ना. मोहोल : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने अपने जवाब में कहा है कि राष्ट्रीय राजमार्गों के रख-रखाव के लिए उपलब्ध धन कम है और दूसरे भाग के उत्तर में जवाब दिया है कि राष्ट्रीय राजमार्गों की स्थिति कहीं भी खराब नहीं है जबकि यदि सही ढंग से इस बात का सर्वे किया जाए, तो मालूम पड़ेगा कि हर राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों की स्थिति कई जगह बहुत खराब हो गई है। कई जगह भारी वर्षा के कारण गड्ढे पड़े हुए हैं, कई जगह रास्ते भी टूटे हुए हैं और कई जगह वाहनों में बढ़ोत्तरी के कारण सड़कें उनका बोझ झेलने में असमर्थ हैं। इस संबंध में मैं नैशनल हाइवे नम्बर चार का उदाहरण देना चाहता हूं। नैशनल हाइवे नम्बर चार में देवू रोड से लोनावला और लोनावला से सोपोली, पूना मुम्बई में ट्रैफिक अधिक होने के कारण वहां जाम हो जाता है। इसकी वजह से लोगों को 18-18 घंटे तक बस में ही सोना पड़ता है। मुझे ऐसा ज्ञात हुआ है कि इस बारे में महाराष्ट्र सरकार ने देवू रोड से फोपोली तक हाइवे की जो दो लाइन है, उसको चार लाइन में बदलने का प्रस्ताव रखा है। क्या सरकार इस पर विचार करेगी?

श्री राजनाथ सिंह : हमने जो उत्तर दिया है, उसमें हमने यह स्वीकार नहीं किया है कि सड़कों की हालत खस्ता है। मैंने यह कहा है कि सभी सड़कों की हालत खराब नहीं है। कुछ सड़कों की हालत निश्चित रूप से खराब है। ...*(व्यवधान)*

श्री अनिल बसु : अध्यक्ष महोदय, अभी यू.पी. में बहुत भारी एक्सीडैंट हुआ है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया इस बात को समझिए कि माननीय मंत्री सभा में पहली बार उत्तर दे रहे हैं। कृपया इस बात को समझिए। ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप चेयर को एड्रैस कीजिए।

श्री राजनाथ सिंह : माननीय सदस्य ने नैशनल हाइवे नम्बर चार के बारे में जानना चाहा है। नैशनल हाइवे नम्बर चार की सड़क 13.54 किलोमीटर लम्बी है। यह कहना कि यह सड़क ट्रैफिक वृद्धि के लिए नहीं रह गई है, चलने के योग्य नहीं रह गयी है, तो ऐसी बात नहीं है। लेकिन कुछ स्थानों पर इस सड़क की हालत निश्चित रूप से खराब है। हमने फाइनेंशियल ईयर 1999-2000 में इस सड़क के निर्माण का फैसला किया है।

श्री अशोक ना. मोहोल : अध्यक्ष महोदय, सरकार ने वर्ष 1997-98 की तुलना में 1998-99 में हाइवे के रख-रखाव के लिए महाराष्ट्र को दिये जाने वाले धन में कटौती की है जबकि उसको बढ़ाना चाहिए था। इस वर्ष अभी तक 2938 लाख रुपये ही दिये गये हैं। मैं जानना चाहता हूं कि सरकार ने महाराष्ट्र सरकार को इस साल हाइवे के रख-रखाव के लिए कितना धन आवंटन किया है?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : वे महाराष्ट्र के संबंध में पूछ रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री राजनाथ सिंह : श्रीमान्, यह बात सच है कि नैशनल हाइवे के रख-रखाव के लिए हमारे विभाग को जो धनराशि चाहिए थी, वह 1250 करोड़ रुपये की थी। हमारी रिक्वायरमैंट 1250 करोड़ रुपये की रहती तो जो नैशनल हाइवे ट्रैफिक वृद्धि के लिए नहीं रह गये हैं, उनको हम ट्रैफिक वृद्धि के लिए बनाने में सफल हो जाते लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियां थीं कि 1250 करोड़ रुपये के अगेंस्ट हमें केवल 703 करोड़ रुपये का फंड ही एलोकेट हुआ। जहां तक महाराष्ट्र का सवाल है तो वर्ष 1999-2000 के लिए 2938 लाख रुपये की धनराशि स्वीकृत हुई है। यह बात सच है कि फाइनेंशियल ईयर 1998-99 की अपेक्षा यह धनराशि कम है लेकिन यह धनराशि क्यों कम हुई, यह फंड एलोकेशन क्यों कम हुआ, वह इसलिए हुआ क्योंकि हमारी रिक्वायरमेंट 1250 करोड़ रुपये के अगेंस्ट हमें 703 करोड़ रुपये ही प्राप्त हो सके। इस कारण इसमें कमी आयी।

श्री राम टहल चौधरी : अध्यक्ष महोदय, बिहार का तीन सालों का जो विवरण दिया गया है, मैं माननीय नीतीश कुमार जी को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने इस बार कुछ ज्यादा पैसा देने का काम किया है और उन्होंने 1999 तक 4399 लाख रुपये आबंटित किए हैं। बिहार की सब सड़कों की हालत दयनीय है। इस बार अपने कहा है कि 8000 किलोमीटर सड़क बनाने जा रहे हैं। हम मंत्री जी से जानना चाहेंगे कि उसमें से बिहार के लिए कितना किलोमीटर दिया है और कौन-कौन सी सड़कें ली हैं?

रांची बहुत बड़ी आबादी वाला शहर है। उसकी आबादी लगभग 15 लाख है। छोटे-छोटे कस्बों में बॉय-पास रोड बने हैं। मैं तीन-चार वर्षों से केन्द्र सरकार का ध्यान बराबर आकर्षित करता आया हूं लेकिन रांची में बॉय-पास रोड न बनने से भारी दिक्कत हो रही है। रांची से पटना, रांची से टाटा या रांची-गुमला, उन सड़कों की हालत बहुत दयनीय है। सरकार ने लिखा है कि अर्थाभाव के कारण यह काम नहीं हो पाया है। आप ताज्जुब करेंगे कि बिहार में जो जी.टी. रोड है, इसकी हालत यह है कि उसमें तीन-चार फीट के गड्ढे हैं जो आज तक नहीं बने हैं। आप बिहार से बाहर उत्तर प्रदेश, बंगाल जाएंगे तो वहां की सड़कों की हालत अच्छी है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न बिहार का नहीं है, नैशनल हाईवेज का है।

श्री राम टहल चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मैं जानना चाहूंगा कि बिहार के राष्ट्रीय पथ की जो दयनीय हालत है, सरकार कब तक उसकी मरम्मत करना चाहती है? रांची में बॉय-पास सड़क कब तक बनाने जा रहे हैं?

श्री राजनाथ सिंह : यह सच है कि बिहार की सड़कों की हालत जितनी अच्छी होनी चाहिए उतनी अच्छी नहीं है। लेकिन हमने करैंट फाईनैंशल ईयर में नॉर्मल मेनटेनैंस के लिए 307

किलोमीटर की सड़क ली है और स्पैशल रिपेयर के लिए 361 किलोमीटर की सड़क ली है। माननीय सदस्य ने जानना चाहा है कि रांची का बॉय-पास कब बनेगा। माननीय सदस्य यह बात संज्ञान में लाए हैं, मैं देखूंगा कि इस संबंध में हम क्या कर सकते हैं।

श्री राजेश पायलट : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी का स्वागत है। इन्हें बहुत आवश्यक क्षेत्र की जिम्मेदारी सौंपी गई है। मुझे पूरी उम्मीद है कि यदि आपने इस क्षेत्र का कल्याण कर दिया, यह क्षेत्र देश के लिए बहुत आवश्यक है। ...*(व्यवधान)*

श्री राजनाथ सिंह : आपका सहयोग चाहिए। ...*(व्यवधान)*

श्री राजेश पायलट : इस विभाग में मांग ज्यादा रही है और साधन कम रहे हैं। यह सच्चाई है कि 1986 में नैशनल हाईवेज अथॉरिटी की स्थापना इसी विचार को लेकर की गई थी कि इससे साधन जोड़े जा सकें। इन साधनों से देश की मांग पूरी नहीं हो रही थी। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि उस तरफ क्या कदम उठे हैं जिससे स्रोत और जोड़े जाएं? सैस की बात चली थी। हमारे जमाने में जो सरकार थी, हमने पैट्रोल पर सैस एप्रूव कर दिया था लेकिन मैं इस बात को मानता हूं कि वह लागू नहीं हो पाया था। क्या अब सरकार इस बात को सोच रही है, क्योंकि बिना टैक्स कलैक्ट किए हुए आपके साधन इकट्ठे नहीं हो सकते हाईवेज टैक्स हों या पैट्रोल पर सैस लगाएं?

सदन में सब साथियों की मांग थी कि जो पैसा पी.डब्ल्यू.डी. को जाता था, वह पूरी तरह और प्रॉपर यूटीलाइज नहीं होता था। इसलिए नैशनल हाईवेज अथॉरिटी बनाई थी कि वह मॉनीटर करे और उसमें जवाबदेही लाए, थोड़ी पारदर्शिता भी आए। हम नहीं चाहते थे कि पी.डब्ल्यू.डी. को फंड जाए और उनसे पूछ भी नहीं पाएं कि आपने क्या किया। इन बातों पर नैशनल हाईवेज अथॉरिटी बनने के बाद अब विभाग ने क्या कदम उठाए हैं जिससे साधन बढ़ जाएं, सब मांग पूरी हो सके और मॉनीटर करने के लिए कि पी.डब्ल्यू.डी. कैसे खर्च कर रही है, उसमें हमने कुछ इनीशिएटिव लिए थे, सुधार किए थे, वे अब लागू हैं या नहीं जिससे उस क्षेत्र का पूरा कल्याण हो जाए?

श्री राजनाथ सिंह : श्रीमन्, नेशनल हाइवेज के मेंटीनेंस, रिपेयर अथवा उसके डवलपमेंट के लिए डिपार्टमेंट ने एक वर्कप्लान तैयार किया है। यदि माननीय सदस्य जानना चाहेंगे तो उस प्लान की जानकारी मैं माननीय सदस्य को दे दूंगा।

हमने यह फैसला किया है कि प्रतिवर्ष, जितने हमारे टोटल हाइवेज हैं, उसका 20 परसेंट हम रीसर्फेसिंग के लिए लेंगे। साथ ही पहले जो हम दो-दो, चार-चार किलोमीटर टुकड़ों में लेते थे और उसकी रीसर्फेसिंग करते थे, हमने अब यह फैसला किया है कि हम इस लेंथ को बढ़ाएंगे और 10 से 15 किलोमीटर तक की सड़क को रीसर्फेसिंग के लिए लेंगे। जिन मशीनों से सड़कें बनाई जाती हैं, आवश्यकता है कि उन मशीनों में भी इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए और उसमें नई टैक्नोलोजी आनी चाहिए। इसलिए उसके बारे में भी हमने अपनी योजना बनाई है। जो इम्पोर्ट्स हैं, हम उनको ड्यूटी फ्री करेंगे, यह हमने एलाऊ किया है। उनको मशीन खरीदने के लिए 10 परसेंट एडवांस मिल सके, इसकी भी व्यवस्था हमने की है। डीजल के ऊपर जो एक रुपया सैस लगा है, इस सैस के लगने से हमको अनुमानत: 5000 करोड़ रुपये प्राप्त होंगे, जिसमें से 2500 करोड़ रुपये रूरल डवलपमेंट पर खर्च होंगे, लेकिन जो बाकी 2500 करोड़ रुपये होंगे, उसका 30 परसेंट, जिस स्टेट में यह सैस कलैक्शन होगा, उस स्टेट का होगा और जो शेष पैसा बचेगा, उसे नेशनल हाइवेज एथॉरिटी या डिपार्टमेंट मेंटीनेंस, रिपेयर और रोड्स के डवलपमेंट के ऊपर खर्च करेगा।

मैं एक जानकारी देना चाहता हूं कि हमारे ऑनरेबिल प्राइम मिनिस्टर का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है, जिसकी चर्चा किसी माननीय सदस्य ने अभी की है, वह ड्रीम प्रोजैक्ट है, 13,000 किलोमीटर फोर लेन की सड़कें बनाने का और चारों महानगरों को आपस में जोड़ने का। दिल्ली को मुंबई, मद्रास और कलकत्ता से जोड़ने का प्लान है। इस दिशा में भी कार्य प्रारम्भ हो चुका है। 670 करोड़ रुपये का काम हमने शुरू कर दिया है। आगे दिसम्बर के अन्तिम सप्ताह में हमने टेंडर इन्वाइट किये हैं और 300 करोड़ रुपये तक का काम हम मार्च तक ही पूरा कर देंगे।

श्री राजेश पायलट : मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया महोदय। अध्यक्ष महोदय, मैं यह पूछना चाहता हूं कि ये 5000 करोड़ रुपये फाइनेंस मिनिस्ट्री से सर्फेस ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री को कब आ रहे हैं? ये आ तो बहुत दिन से रहे हैं। फाइनेंस मिनिस्ट्री ने आपको बता दिया, लेकिन किस डेट से आ रहे हैं?

श्री राजनाथ सिंह : मैंने कहा है कि डीजल के ऊपर सैस अभी लगा है।

श्री राजेश पायलट : इस बजट में आएंगे?

श्री राजनाथ सिंह : सैस लगने के कारण वे 5000 करोड़ रुपये हमको मिलेंगे, लेकिन इसमें से 2500 करोड़ रुपये रूरल

डवलपमेंट के लिए जायेगा और 2500 करोड़ रुपये में 30 परसेंट जिस स्टेट से यह कलैक्शन होगा, उसको जायेगा। जो शेष धनराशि बचेगी, वह निश्चित रूप से विभाग को प्राप्त होगी।

[अनुवाद]

प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु (तेनाली): महोदय, मुझे खुशी है कि माननीय मंत्री महोदय ने माना कि अधिकतर राजमार्ग अच्छी हालत में नहीं हैं। न केवल सड़कें अपितु राष्ट्रीय राजमार्गों पर स्थित पुलों पर भी सड़क नहीं बनायी जा सकती है। मेरे विचार से इन पुलों का जीवन-काल पूरा हो गया है। उनकी उम्र 100 साल से भी ज्यादा है। आंध्र प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 5 पर विजयवाड़ा और ओंगोल के बीच चिलकालूरीपेट स्थित एक पुल टूट गया है और यातायात को राज्य राजमार्गों पर चलाया जा रहा है। पिछले छह महीनों से वहां पर यही स्थिति बनी हुई है और पुल की मरम्मत नहीं की गई है। मैं माननीय मंत्री से विशेष रूप से पूछना चाहता हूं कि यह पुल कब तक बनकर तैयार हो जाएगा और इस पर यातायात चलाया जोगा। यह मेरे प्रश्न का (क) भाग है। मेरे प्रश्न का (ख) भाग है क्या राष्ट्रीय राजमार्गों पर पुराने पड़ चुके पुल का पता लगाने के लिए क्या कोई राज्य-वार सर्वेक्षण, विशेष रूप से आंध्र प्रदेश में, कराया गया है और यदि हां तो पुराने पुलों के स्थान पर नए पुलों को निर्मित करने के लिए सरकार क्या कदम उठाएगी?

[हिन्दी]

श्री राजनाथ सिंह : माननीय सदस्य ने जिस ब्रिज के डैमेज हो जाने की बात कही है, उसे मैं दिखवा लूंगा कि इसकी क्या स्थिति है। यदि आपकी अनुमति होगी तो माननीय सदस्य को उसकी जानकारी भी मैं दे दूंगा। वैसे अगली योजनाओं में 7000 ब्रिजेज को स्ट्रेंथन करने का हमने फैसला किया है।

मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी : माननीय अध्यक्ष जी, राष्ट्रीय राजमार्गों के रखरखाव के बारे में इस आधार पर ध्यान किया जाता है या पैसा दिया जाता है कि वह कितना महत्वपूर्ण है या किन बड़े-बड़े शहरों से वह जा रहा है।

मध्याह्न 12.00 बजे

इसके अलावा एक और पहलू भी है, जिसकी ओर मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं। कुछ राष्ट्रीय राजमार्ग सुरक्षा से संबंधित हैं। मेरे क्षेत्र में एक ऐसा ही मार्ग है – हरिद्वार-ऋषिकेश-बद्रीनाथ मार्ग – जो केवल राष्ट्रीय राजमार्ग ही नहीं है, बल्कि सुरक्षा से संबंधित मार्ग भी है। इस मार्ग का रखरखाव बार्डर रोड आर्गेनाईजेशन करती है। पहाड़ी क्षेत्र होने, बरसात और प्राकृतिक आपदाओं की वजह से इस मार्ग पर व्यवधान पड़ता रहता है। इस संबंध में मैं माननीय मंत्री जी से दो बातें जानना चाहता हूं—एक, इस प्रकार के मार्ग के लिए, जो सुरक्षा से संबंधित हैं, क्या विशेष धन और विशेष व्यवस्था करेंगे, ताकि उसका रखरखाव ठीक हो सके? दो इस मार्ग पर प्राकृतिक आपदाओं की वजह से जो व्यवधान पड़ता है, तो क्या मंत्री जी बाईपास रोड्स की व्यवस्था बी.आर.ओ. को देने के लिए विचार करेंगे।

श्री राजनाथ सिंह : महोदय, माननीय सदस्य ने जिन मार्गों का जिक्र किया है, उनकी देखरेख बार्डर रोड आर्गेनाइजेशन द्वारा होती है। माननीय सदस्य यह मामला हमारे संज्ञान में लाये हैं, मैं इसको दिखवा लूंगा।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री ए.सी. जोस, आप एक सटीक प्रश्न पूछिए क्योंकि हमारे पास आधे मिनट का समय ही बचा है।

श्री ए.सी. जोस : महोदय, मैं यह अवसर प्रदान करने के लिए आपको धन्यवाद देता हूं। महोदय, मैं नए मंत्री महोदय का स्वागत करता हूं परन्तु मुझे यह सूचित करना है कि जहां तक राष्ट्रीय राजमार्गों का संबंध है, भारत में एक राज्य केरल भी है, जोकि देश का सुदूर स्थित दक्षिणी राज्य है, जहां पर राष्ट्रीय राजमार्गों की स्थिति अपनी आरंभिक अवस्था में ही है। हमारे पास केवल दो राष्ट्रीय राजमार्ग हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग-47 पर आवागमन होता है। राष्ट्रीय राजमार्ग-17 पर निर्णय ही नहीं लिया गया है। मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं क्या वे अन्ततः कदम उठाएंगे ...*(व्यवधान)* महोदय, यह क्या हो रहा है? मैं अपना प्रश्न नहीं पूछ सकता हूं। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपने स्थानों पर बैठिए।

श्री ए.सी. जोस : क्या सरकार इदपपल्ली से कोडुनगल्लुर तक राष्ट्रीय राजमार्ग-17 को अन्तिम रूप देने के लिए कदम उठाएगी?

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न काल समाप्त हुआ। मंत्री उत्तर भेज सकते हैं।

कृपया अपने स्थान पर बैठिए।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

भारतीय गैस प्राधिकरण लिमिटेड का विनिवेश

*3. श्रीमती गीता मुखर्जी :
श्री कोडीकुनील सुरेश :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय गैस प्राधिकरण लिमिटेड (गेल) के विनिवेश की प्रक्रिया में इसके शेयर संभावित कीमत की अपेक्षा काफी कम कीमतों पर विदेशी निवेशकों को बचे गए;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और अब तक गेल ने कुल कितने शेयर बेचे हैं;

(ग) क्या सरकार ने पूर्व में प्रत्याशित कीमत न मिलने के कारण शेयरों की बिक्री पर रोक लगा दी थी;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) ''गेल'' के शेयरों की कीमत का निर्धारण करने के लिए क्या मूल्य निर्धारण व्यवस्था अपनाई जा रही है;

(च) विदेशी खरीदारों के लिए शेयरों की कीमतें कम रखने का क्या औचित्य है; और

(छ) इस सौदे में गेल को अनुमानत: कितनी हानि उठानी पड़ी?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री राम नाईक): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता। गैस अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड द्वारा कोई शेयर नहीं बेचे गए हैं। तथापि, गैस अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड के अंतर्गत सरकार की इक्विटी में से 27 करोड़ शेयर सरकार द्वारा वर्ष 1991 के बाद से अब तक बिक्री किए गए हैं।

(ग) और (घ) जी, हां। अनुमोदन के समय 160 रुपए प्रति शेयर के घरेलू मूल्य के प्रति 125 रुपए प्रति शेयर न्यूनतम मूल्य पर 10 रुपए प्रति शेयर अंकित मूल्य के 20 करोड़ शेयर तक बिक्री करन के शासनादेश के साथ अक्तूबर, 1997 में गैस अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड का ग्लोबल डिपोजिटरी रिसीप्ट (जी.डी.आर.) निर्गम जारी किया गया था। न्यूनतम अनुमोदित मूल्य से कम मूल्यों पर भी अत्यधिक कम मांग के कारण इस निर्गम को वापस ले लिया गया था।

(ङ) गैस अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड के शेयरों का मूल्य निर्धारण बुक बिल्डिंग प्रक्रिया पर अधारित है। इस प्रक्रिया का तात्पर्य मुख्यत: बाजार संचालित मूल्यों अर्थात् ऐसे भूल्य से है जिसे निवेशक किसी दिए हुए समय विशेष पर किसी शेयर विशेष के लिए भुगतान करने को तैयार होते हैं। जी.डी.आर. बाजारों के लिए निर्गम मूल्य का निर्णय करने हेतु इस प्रक्रिया का अनुसरण किया जा रहा है।

(च) इन शेयरों के मूल्यांकन में कोई कमी नहीं है। गैस अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड के एक शेयर का बुक मूल्य लगभग 48 (अड़तालीस) रुपए है, जबकि इसका अंकित मूल्य 10 (दस) रुपए है। फरवरी, 1999 में सरकार ने घरेलू निवेशकों के लिए लगभग 8 करोड़ शेयर प्रस्तावित किए थे जिसमें 60 (साठ) रुपए प्रति शेयर के मूल्य पर केवल 3 करोड़ शेयर बेचे जा सके थे। प्रति शेयर 70 रुपए मूल्य, जिस पर हाल ही में, नवम्बर, 1999 में, जी.डी.आर. बाजार के अंतर्गत विनिवेश किया गया है, फरवरी, 1999 में 60 (साठ) रुपए के घरेलू निर्गम मूल्य से अपेक्षाकृत 17 (सत्रह) प्रतिशत अधिक है।

(छ) गैस अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड को हुई हानि का प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

प्रमुख पत्तनों की कंटेनर क्षमता

*4. श्रीमती शीला गौतम:
श्री सुल्तान सल्लाहुद्दीन ओवेसी:

क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश के प्रमुख पत्तनों की वर्तमान कंटेनर क्षमता कितनी है;

(ख) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इनकी क्षमता बढ़ाने के बारे में कितनी प्रगति हुई है;

(ग) क्या नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में पत्तनों की कंटेनर क्षमता बढ़ाने का सरकार का विचार है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उनकी क्षमता बढ़ाने हेतु इस योजना के दौरान अब तक क्या प्रयास किये जा रहे हैं;

(ङ) क्या सरकार ने बी.ओ.टी. आधार पर उपलब्ध कराये गये या निर्यात किये गये कंटेनर टर्मिनलों के कार्य-निष्पादन की समीक्षा की है;

(च) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार बी.ओ.टी. के आधार पर निजी संगठनों को अतिरिक्त बर्थ देने का है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री राजनाथ सिंह): (क) 31.3.99 तक देश में महापत्तनों की कुल कंटेनर हैंडलिंग क्षमता 22.90 मिलियन टन थी।

(ख) आठवीं योजना के दौरान 1992-97 की अवधि में महापत्तनों की कंटेनर हैंडलिंग क्षमता 6.83 मिलियन टन से बढ़ाकर 19.30 मिलियन टन कर दी गई।

(ग) जी हां।

(घ) नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान महापत्तनों की कंटेनर हैंडलिंग क्षमता में 13 मिलियन टन की बढ़ोत्तरी का लक्ष्य है। अभी तक 3.60 मिलियन टन अतिरिक्त कंटेनर हैंडलिंग क्षमता सृजित की जा चुकी है।

(ङ) बी.ओ.टी. परियोजनाएं निर्माणाधीन/अंशत: चालू स्थिति में हैं। पूर्णत: प्रचालनरत हो जाने के बाद उनके कार्य की समीक्षा की जाएगी।

(च) जी हां।

(छ) जवाहर लाल नेहरू पत्तन में 7.8 मिलियन टन क्षमतायुक्त एक कंटेनर टर्मिनल और टूटीकोरिन पत्तन में 3.6 मिलियन टन क्षमता का एक कंटेनर टर्मिनल बी.ओ.टी. आधार पर दिया गया है और पत्तन न्यासों तथा निजी पार्टियों के बीच क्रमश: दिनांक 3.7.1997 और 15.7.1998 को तत्संबंधी करारों पर हस्ताक्षर किये जा चुके हैं। कांडला पत्तन में बी.ओ.टी. आधार पर कंटेनर टर्मिनल संबंधी प्रस्ताव को अभी हाल ही में अनुमोदन प्रदान किया गया है। चेन्नई में बी.ओ.टी. आधार पर कंटेनर टर्मिनल हेतु प्रस्ताव विचाराधीन है और मौजूदा कंटेनर टर्मिनल के विस्तार और कोचीन में ट्रांशिपमेंट टर्मिनल के विकास के लिए गैर-सरकारी क्षेत्र से बोली आमंत्रित की गई है।

[अनुवाद]

नये टेलीफोन कनेक्शन

***5. श्री बाजू बन रियान:**
श्री धावरचन्द गेहलोत:

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में टेलीफोन कनेक्शन के लिए प्रतीक्षारत लोगों की अनपेक्षित रूप से लम्बी सूची है;

(ख) यदि हां, तो किन-किन राज्यों में उक्त सूचियां अन्य राज्यों की तुलना में लम्बी हैं;

(ग) देश में विशेषकर त्रिपुरा में अक्तूबर, 1999 तक की स्थिति के अनुसार नये टेलीफोन कनेक्शनों की प्रतीक्षा सूचियों में राज्यवार और संघ राज्य क्षेत्रवार कितने लोग हैं;

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान राज्यवार और संघ राज्य क्षेत्रवार कितने टेलीफोन कनेक्शन दिये गये;

(ङ) क्या सरकार ने देश में टेलीफोन कनेक्शन के त्वरित आबंटन के लिए कोई योजना बनाई है;

(च) क्या सरकार आवेदकों द्वारा फोन कनेक्शन हेतु आवेदन पत्र जमा करने के एक माह के भीतर उन्हें टेलीफोन कनेक्शन देने हेतु कोई कार्य योजना तैयार कर रही है;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ज) देश भर में कब तक मांग पर तुरंत टेलीफोन कनेक्शन दिये जाने की संभावना है?

संचार मंत्री (श्री राम विलास पासवान): (क) से (ग) लंबे समय से टेलीफोन कनेक्शनों के लिए प्रतीक्षारत व्यक्तियों की संख्या केरल में अधिक है। 31.10.99 की स्थिति के अनुसार देश में प्रतीक्षा सूची में दर्ज नामों की संख्या 3286545 है जिसमें त्रिपुरा के 5287 व्यक्ति भी शामिल हैं। ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(घ) ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(ङ) से (ज) सरकार की, नौवीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक (31.03.2002) देश में मांग पर टेलीफोन कनेक्शन उपलब्ध कराने की योजना है। यह उद्देश्य, दूरसंचार विभाग और बुनियादी सेवाओं के निजी प्रचालकों के संयुक्त प्रयास से पूरा किया जायेगा।

विवरण I

अक्तूबर 1999 की स्थिति के अनुसार देश में नये टेलीफोन कनेक्शनों की प्रतीक्षा सूची में व्यक्तियों की राज्य-वार और संघ शासित क्षेत्र-वार संख्या

क्र.सं.	राज्य	31.10.99 की स्थिति के अनुसार प्रतीक्षा-सूची
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	801736
2.	असम	25211
3.	बिहार	95100
4.	गुजरात	184741
5.	दमन व दीव (संघ शासित क्षेत्र)	2179
6.	दादरा व नगर हवेली (संघ शासित क्षेत्र)	837
7.	हरियाणा	107315
8.	हिमाचल प्रदेश	45497
9.	जम्मू-कश्मीर	38033
10.	कर्नाटक	150355
11.	केरल	673658
12.	लक्षद्वीप (संघ शासित क्षेत्र)	1643
13.	मध्य प्रदेश	31175
14.	महाराष्ट्र (मुंबई सहित)	259179
15.	गोवा	6655
	उत्तर-पूर्व	
16.	अरुणाचल प्रदेश	2118
17.	मणिपुर	4275
18.	मेघालय	2496
19.	मिजोरम	2699
20.	नागालैण्ड	1521
21.	त्रिपुरा	5287
22.	उड़ीसा	22232
23.	पंजाब	196386
24.	चंडीगढ़ (सं. राज्य क्षेत्र)	1342
25.	राजस्थान	130564

1	2	3
26.	तमिलनाडु (चेन्नई सहित)	226759
27.	पांडिचेरी (सं. राज्य क्षेत्र)	8436
28.	उत्तर प्रदेश	109548
29.	पश्चिम बंगाल (कलकत्ता सहित)	116185
30.	सिक्किम	2474
31.	अंडमान और निकोबार	1948
32.	दिल्ली	28761
	कुल	3286545

विवरण II

पिछले तीन वर्षों के दौरान आबंटित टेलीफोन कनेक्शनों की राज्य-वार और संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या

क्र.सं.	राज्य	1996-97	1997-98	1998-99
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	153606	216487	404980
2.	असम	18003	36477	50375
3.	बिहार	52368	66294	103128
4.	गुजरात	161681	211541	251523
5.	दमन व दीव (संघ शासित क्षेत्र)	599	1774	1511
6.	दादरा व नगर हवेली (संघ शासित क्षेत्र)	773	509	2354
7.	हरियाणा	608000	73081	96170
8.	हिमाचल प्रदेश	31452	40176	43217
9.	जम्मू-कश्मीर	15945	20819	18501

1	2	3	4	5
10.	कर्नाटक	189608	254378	237002
11.	केरल	172071	228357	267210
12.	लक्षद्वीप (संघ शासित क्षेत्र)	704	1653	3855
13.	मध्य प्रदेश	75541	102692	140352
14.	महाराष्ट्र (मुंबई सहित)	440760	489147	483505
15.	गोवा	17500	12294	18624
(उत्तर पूर्व)				
16.	अरुणाचल प्रदेश	1576	3542	7135
17.	मणिपुर	3154	2506	2533
18.	मेघालय	2733	4014	6314
19.	मिजोरम	3639	3022	4615
20.	नागालैण्ड	1556	2605	5502
21.	त्रिपुरा	5398	7341	9017
22.	उड़ीसा	32505	67178	68175
23.	पंजाब	133295	157489	186214
24.	चंडीगढ़ (संघ राज्य क्षेत्र)	20265	8480	7255
25.	राजस्थान	113518	147632	171445

1	2	3	4	5
26.	तमिलनाडु (चेन्नई सहित)	283502	358201	471591
27.	पांडिचेरी (संघ राज्य क्षेत्र)	6580	6345	8647
28.	उत्तर प्रदेश	216912	313918	341602
29.	पश्चिम बंगाल (कलकत्ता सहित)	142469	235262	276521
30.	सिक्किम	1400	2878	5224
31.	अंडमान और निकोबार	1183	2012	7501
32.	दिल्ली	203160	180941	90392
	कुल	2564256	3259045	3791990

[हिन्दी]

आई.एस.आई./आतंकवादी गतिविधियां

***6. श्री रामदास आठवले:**
श्री शीशराम सिंह रवि:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में कौन-कौन से आतंकवादी संगठन सक्रिय हैं और उनमें से कितने संगठनों को विदेशों से सहायता मिल रही है;

(ख) गत पांच वर्षों के दौरान आज तक वर्ष-वार और क्षेत्र-वार कितने आई.एस.आई. एजेंट/आतंकवादी गिरफ्तार किए गए/मारे गए;

(ग) उक्त अवधि के दौरान वर्ष-वार और क्षेत्र-वार उनके द्वारा कितने व्यक्ति मारे गए/घायल किए गए;

(घ) क्या पीड़ित व्यक्तियों के परिवारों को मुआवजा दिया गया था;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) गत तीन वर्षों के दौरान आज तक वर्ष-वार कुल कितनी मात्रा में आर.डी.एक्स. जब्त किया गया और इस संबंध में कितने व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया/दंडित किया गया;

(छ) गत तीन वर्षों के दौरान आज तक कितने आई.एस.आई. एजेंटों/आतंकवादियों को दंडित किया गया और उनके विरुद्ध किस तरह की कार्यवाही की गई; और

(ज) देश में आई.एस.आई. और आतंकवादी गतिविधियों को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी): (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार, देश में सक्रिय प्रमुख आतंकवादी संगठन

निम्नलिखित हैं तथा इनमें से कुछ को विदेशों से समर्थन मिल रहा है:

1. हिज्ब-उल-मुजाहिद्दीन
2. हरकत-उल-मुजाहिद्दीन
3. लश्कर-ए-तोएबा
4. अल-बर्क
5. जम्मू-व-कश्मीर लिबरेशन फ्रंट
6. अल-जेहाद
7. जमायत-उल-मुजाहिद्दीन
8. तहरीक-उल-मुजाहिद्दीन
9. तहरीक-ए-जेहाद
10. अल-बदर
11. हरकत-उल-जेहाद-ए-इसलामी
12. अल-उमर
13. बब्बर-खालसा-इण्टरनेशनल
14. दल-खालसा-इण्टरनेशनल
15. इण्टरनेशनल सिख यूथ-फैडरेशन (रोढ़े)
16. इण्टरनेशनल सिख यूथ-फैडरेशन (चहेरू)
17. खालिस्तान कमाण्डो फोर्स (पंजवार)
18. खालिस्तान जिन्दाबाद फोर्स
19. खालिस्तान लिबरेशन फोर्स
20. खालिस्तान नेशनल आर्मी
21. कामा गाता मारू दल
22. यूनाईटिड लिबरेशन फ्रंट आफ असम
23. नेशनल डैमोक्रेटिक फ्रंट आफ बोडोलैण्ड
24. बोडो लिबरेशन टाईगर
25. नेशनल लिबरेशन फ्रंट आफ त्रिपुरा
26. आल त्रिपुरा ट्राईबल फोर्स
27. नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल आफ नागालैण्ड (आई./एम. एण्ड के.)
28. नागा नेशनल काउंसिल
29. मणिपुर पीपुल्स लिबरेशन फ्रंट
30. यूनाईटिड नेशनल लिबरेशन फ्रंट
31. पीपुल्स लिबरेशन आर्मी
32. अल-उम्माह
33. लिबरेशन टाईगर्स आफ तमिल ईलम।

(ख) से (छ) इस संबंध में केन्द्र सरकार सूचना नहीं रखती है।

(ज) आई.एस.आई. की गतिविधियों के बारे में सरकार, सभी राज्य सरकारों और संबंधित एजेन्सियों को नियमित रूप से सुग्राही बनाती आ रही है। आसूचना का आबंटन सतत् आधार पर किया जाता है तथा राज्य पुलिस के आधुनिकीकरण के लिए वित्तीय सहायता तथा केन्द्रीय अर्ध-सैनिक बल उपलब्ध करवा कर मदद की जाती है। घुसपैठ की रोकथाम करने के लिए, भारत-पाक और भारत-बंगलादेश सीमाओं पर, गश्त के अलावा, कंटीली बाड़ तथा फ्लड-लाईट लगाने का कार्य शुरू किया गया। समन्वित कार्रवाई के द्वारा, पूरे देश में आई.एस.आई. के अनेक अभियानों को निष्क्रिय किया गया है। सीमा पार के आतंकवाद को नियंत्रित करने के लिए संबंधित देशों के साथ राजनयिक पहलें भी शुरू की गई हैं।

[अनुवाद]

विकास परियोजनाओं को स्वीकृति

***7. श्री नरेश पुगलिया:**
श्री टी. गोविन्दन:

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बड़ी संख्या में विकास परियोजनाएं केन्द्र सरकार के पास पिछले तीन वर्षों से वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अंतर्गत स्वीकृति हेतु लंबित हैं;

(ख) यदि हां, तो राज्यवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान स्वीकृत, अस्वीकृत और किसी न किसी कारण से राज्य सरकारों को लौटा दी गई ऐसी परियोजनाओं की संख्या कितनी है;

(घ) इन विकास परियोजनाओं को कब तक स्वीकृत किये जाने की संभावना है;

(ङ) क्या सरकार का विचार परियोजनाओं को स्वीकृति देने संबंधी कुछ अधिकार राज्य सरकारों को देने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) से (घ) विभिन्न राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों से पिछले तीन वर्षों (1996, 1997 तथा 1998) के दौरान प्राप्त कुल 2416 विकास प्रस्तावों में से अब तक 1646 प्रस्ताव मंजूर किये गये हैं, 170 प्रस्ताव गुण दोष के आधार पर नामंजूर किए गए हैं तथा 40 प्रस्ताव अधूरे होने के कारण या तो उन्हें लौटा दिया गया था अथवा उन्हें राज्य सरकारों/केन्द्र शासित प्रदेशों द्वारा वापस ले लिया गया था। इसके अलावा, 162 प्रस्तावों को नामंजूर कर दिया गया था क्योंकि राज्य सरकारों से अपेक्षित सूचना वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अंतर्गत तैयार दिशा-निर्देशों में निर्धारित लगाई गई 90 दिन की निर्धारित समय अवधि के अन्दर नहीं भेजी गई थी। इन प्रस्तावों पर पुन: विचार किया जा सकता है बशर्ते कि राज्य सरकार सूचना को प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब के लिए संतोषप्रद कारणों सहित पूरी सूचना भेजे। मंत्रालय द्वारा मांगे गए अनिवार्य ब्यौरे/अतिरिक्त सूचना भेजे जाने हेतु विभिन्न राज्य सरकारों के पास 259 प्रस्ताव लंबित पड़े हैं। राज्य सरकार द्वारा पूरी सूचना भेजे जाने पर इन प्रस्तावों पर वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के उपबंधों, उसके नियमों एवं दिशानिर्देशों के अनुसार शीघ्र कार्रवाई की जायेगी। इनके अलावा, मंत्रालय में 139 प्रस्ताव ऐसे हैं जो कार्रवाई की विभिन्न अवस्थाओं में हैं।

वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अंतर्गत पिछले तीन वर्षों के दौरान प्राप्त प्रस्तावों की राज्यवार स्थिति दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ङ) और (च) विशिष्ट सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए अपेक्षित 5 हेक्टेयर तक वन भूमि उपयोग में लाने हेतु सरकारिया आयोग की सिफारिश के आधार पर राज्य सरकारों को शक्तियां प्रत्यायोजित करने का प्रस्ताव है।

विवरण

पिछले तीन वर्षों के दौरान प्राप्त प्रस्तावों की संख्या तथा उनकी स्थिति दर्शाने वाला विवरण

क्रम सं.	राज्य	प्राप्त प्रस्तावों की संख्या	मंजूर	गुण-दोष के आधार पर नामंजूर	सूचना के अभाव में नामंजूर	वापस लिए गए/राज्य सरकार द्वारा वापस लिए गये	मंत्रालय के विचाराधीन	अपेक्षित सूचना के लिए राज्यों के पास लम्बित
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	असम	138	101	14	0	12	8	3
2.	अरुणाचल प्रदेश	22	14	1	0	0	3	4
3.	आंध्र प्रदेश	82	47	22	8	2	1	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.	अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह	5	5	0	0	0	0	0
5.	बिहार	72	43	2	4	2	1	20
6.	दादरा नगर हवेली	56	51	0	5	0	0	0
7.	गुजरात	215	188	3	9	3	1	11
8.	हरियाणा	109	84	2	0	1	0	22
9.	हिमाचल प्रदेश	158	78	8	0	3	0	69
10.	मणिपुर	5	5	0	0	0	0	0
11.	मेघालय	12	12	0	0	0	0	0
12.	मिजोरम	7	7	0	0	0	0	0
13.	चंडीगढ़	5	2	0	0	0	0	3
14.	दिल्ली	2	0	0	0	0	0	2
15.	गोवा	12	7	1	2	0	1	1
16.	पंजाब	154	104	4	0	1	0	45
17.	उड़ीसा	110	87	10	4	1	3	5
18.	मध्य प्रदेश	158	114	12	16	1	9	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9
19.	महाराष्ट्र	250	174	16	36	1	5	18
20.	राजस्थान	309	148	36	15	5	88	17
21.	कर्नाटक	102	47	17	26	0	6	6
22.	केरल	28	15	2	7	0	1	3
23.	तमिलनाडु	31	20	2	0	0	0	9
24.	त्रिपुरा	43	37	0	0	1	4	1
25.	सिक्किम	20	18	0	0	1	0	1
26.	पश्चिम बंगाल	14	12	1	1	0	0	0
27.	उत्तर प्रदेश	297	226	17	29	6	8	11
	कुल	2416	1646	170	162	40	139	259

वन अधिकारियों को अधिकार

*8. **श्री चन्द्रनाथ सिंह:** क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वन अधिकारी अवैध शिकारियों अथवा टिम्बर माफिया के विरुद्ध हथियारों का उपयोग करने के लिए भारतीय शस्त्र अधिनियम के अंतर्गत अधिकार देने की मांग करते रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा उनकी मांग स्वीकार न किये जाने के क्या कारण हैं;

(ग) अवैध शिकार एवं टिम्बर माफिया से संबंधित उन मामलों का राज्यवार ब्यौरा क्या है जो गत तीन वर्ष के दौरान सरकार की जानकारी में आए हैं; और

(घ) उन मामलों में क्या कार्यवाही की गई?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) और (ख) वन अधिकारियों ने अनुरोध किया है कि उन्हें अवैध शिकार करने वालों और इमारती लकड़ी के माफियाओं के विरुद्ध बल प्रयोग करने पर किसी तरह का अभियोजन लगाए जाने से उसी तरह संरक्षण मुहैया कराया जाए जिस प्रकार अर्ध-सैनिक बलों को संरक्षण मुहैया कराया जाता है।

राज्य सरकारें, आपराधिक दण्ड प्रक्रिया संहिता में इस आशय का संशोधन करने के लिए सक्षम हैं कि किसी वन अधिकारी द्वारा राज्य सरकार की पिछली मंजूरी को छोड़कर, अपनी सरकारी ड्यूटी का निर्वहन करते समय किए गए कथित अपराध का संज्ञान नहीं लिया जाएगा।

(ग) और (घ) इमारती लकड़ी के माफियाओं से निपटने का मूल दायित्व राज्य सरकार का है। केन्द्र सरकार ने पूर्वोत्तर राज्यों में बड़े पैमाने पर वृक्षों की कटाई के मामले में हस्तक्षेप किया है। इन राज्यों में अवैध रूप से कटी हुई पाई गई इमारती लकड़ी का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है। बाद में, केन्द्र सरकार द्वारा असम में तथाकथित अवैध रूप से काटी गई इमारती लकड़ी के साथ वैध रूप से काटी गई इमारती लकड़ी वाले 50 वैगन जब्त किए गए। पता लगाए गए अवैध शिकार के मामलों और इन मामलों में की गई कार्रवाई का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

विवरण I

पूर्वोत्तर राज्यों में सूचीबद्ध अवैध इमारती लकड़ी से संबंधित स्थिति

	राज्य	घन मीटर में मात्रा
1.	मिजोरम	368.000
2.	त्रिपुरा	2881.107
3.	मणिपुर	18579.000
4.	असम	47452.000
5.	मेघालय	3715.239
6.	अरुणाचल प्रदेश	81615.000
	कुल जोड़	154610.346

विवरण II

इस मंत्रालय के ध्यान में आए अवैध शिकार के मामलों और की-गई-कार्रवाई का ब्यौरा

राज्य का नाम	वर्ष	पता लगाए गए मामले	न्यायालय में दर्ज किए गए मामले	जिन मामलों पर छानबीन की जा रही है	जिन मामलों पर समझौता हुआ है	ऐसे मामले जिनके बारे में अंतिम निर्णय लिया गया है/उन्हें बन्द कर दिया है
1	2	3	4	5	6	7
आंध्र प्रदेश	1997-98	6	5	1		
	1998-99	10	6	3		1
बिहार	1996-97	4				4
	1997-98	7				7
	1998-99	1				1

1	2	3	4	5	6	7
दिल्ली	1996-97	35	20	3	4	8
	1997-98	26	10	10	2	4
	1998-99	31	13	12	–	6
गोवा	1996-97	8	–	4	–	4
	1997-98	14		5		9
गुजरात	1996-97	38	14	3	21	
	1997-98	36	6	3	27	
	1998-99	43	14	6	23	
हरियाणा	1996-97	307	72	81	154	–
	1997-98	350	112	117	121	
कर्नाटक	1996-97	58		58		
	1997-98	81		81		
	1998-99	22		22		
मध्य प्रदेश	1996-97	312	234	–	–	78
	1997-98	190	130	–	–	60
	1998-99	135	83	–	–	52

1	2	3	4	5	6	7
महाराष्ट्र	1996-97	7430	1347	5950	120	13
	1997-98	8578	1648	6815	101	14
	1998-99	3978	745	3168	54	11
मेघालय	1996-97	6	5			1
	1997-98	10	10			
	1998-99	6	4			2
मिजोरम	1996-97	8			4	4
	1997-98	4		2		2
	1998-99	8		3	5	
उड़ीसा	1996-97	53	22			31
	1997-98	35	12			23
	1998-99	83	35			48
पंजाब	1996-97	215	174	28	13	–
	1997-98	235	199	31	5	–
	1998-99	214	194	20	–	–
उत्तर प्रदेश	1996-97	407	31	231		145
	1997-98	861	50	259		212
	1998-99	709	61	457		191

1	2	3	4	5	6	7
सिक्किम	1996-97	3			1	2
	1997-98	3			2	1
	1998-99	4		1	1	2
तमिलनाडु	1996-97	86	17	9		60
	1997-98	51	17	5		29
	1998-99	38	12	1		25

चुनावों में मतदान को अनिवार्य करना

*9. **डा. अशोक पटेल :**
श्री रामपाल सिंह :

क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार चुनावों में मतदान को अनिवार्य करने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में कब तक अंतिम निर्णय ले लिए जाने की संभावना है?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री (श्री राम जेठमलानी): (क) से (ग) इस प्रस्ताव पर समग्र चुनाव सुधारों के अंग के रूप में विचार किया जा रहा है। तथापि, इस मामले में अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है। अत: उस समय-सीमा के बारे में बताना संभव नहीं है कि इस संबंध में कब तक अंतिम निर्णय लिया जाएगा।

[अनुवाद]

चकमा शरणार्थी

*10. **श्री अनंत गंगाराम गीते:**
श्री किरीट सोमैया:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) अगस्त, 1999 की स्थिति के अनुसार असम, त्रिपुरा, मेघालय, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश में कुल कितने चकमा शरणार्थी रह रहे हैं;

(ख) क्या उन शरणार्थियों को स्वदेश वापस भेजने के लिए बंगलादेश सरकार के साथ कोई बातचीत की गई है; और

(ग) यदि हां, तो उन शरणार्थियों को उनके देश में कब तक वापस भेजे जाने की संभावना है?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी): (क) अरुणाचल प्रदेश सरकार द्वारा अप्रैल, 1998 के दौरान किये गये सर्वेक्षण के अनुसार, अरुणाचल प्रदेश में 37,959 चकमा शरणार्थी थे। पूर्वोत्तर के अन्य राज्यों में किसी चकमा शरणार्थी के होने की रिपोर्ट नहीं है।

(ख) जी नहीं, श्रीमान्।

(ग) प्रश्न नहीं उठता है।

जम्मू तथा कश्मीर में घुसपैठ

*11. डा. एस. वेणुगोपाल:
श्री राम नायडु दग्गुबाटि:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जम्मू तथा कश्मीर में नियंत्रण रेखा पार से होने वाली सशस्त्र आतंकवादियों की घुसपैठ में वृद्धि हो रही है और परिणामस्वरूप आतंकवादियों द्वारा लोगों पर बड़े पैमाने पर हमलों में भी वृद्धि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या अब इन आतंकवादियों ने अब लगभग समूचे राज्य में सेना के शिविरों, सीमा सुरक्षा बल और पुलिस के शिविरों पर भी हमला करना शुरू कर दिया है;

(घ) यदि हां, तो इन हमलों में मारे गए सेना तथा अन्य सुरक्षा बलों के अधिकारियों का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या इस संबंध में कोई जांच समिति गठित की गई है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) आतंकवादियों द्वारा उत्पन्न चुनौती से निपटने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने का विचार है?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी): (क) से (घ) आतंकवादी गतिविधियां चलाने के उद्देश्य से पाकिस्तानी आई.एस.आई. और पाक समर्थित विद्रोही गुट जम्मू और कश्मीर में सीमा के पार से अधिक से अधिक भाड़े के सैनिक भेजने का प्रयास करते रहे हैं। घुसपैठियों की सही-सही संख्या का पता लगाना कठिन है।

विगत कैलेण्डर वर्ष के दौरान मारे गए 867 सिविलियनों और 999 उग्रवादियों की तुलना में चालू वर्ष के दौरान 15.11.99 तक आतंकवादी घटनाओं में 748 सिविलियन और 945 उग्रवादी मारे गए थे।

चालू वर्ष के दौरान सुरक्षा बल कार्मिकों के शिविरों पर हमलों की कुछ-कुछ घटनाएं सूचित की गई हैं। चालू वर्ष के दौरान (15.11.99 तक) उग्रवादी कार्रवाईयों में कुल 295 सुरक्षा बल कार्मिक मारे गए हैं।

(ङ) और (च) 12/13 जुलाई, 1999 के बीच की रात को बारामूला जिले में बांदीपोरा में सीमा सुरक्षा बल के शिविरों पर हमले की घटना की कोर्ट ऑफ इन्क्वारी कराने के आदेश दिये गये हैं।

सेना ने दो घटनाओं, (क) 3 नवम्बर, 1999 को बदामीबाग छावनी के जनसम्पर्क अधिकारी कार्यालय पर हमला, और (ख) 6 अगस्त, 1999 को कुपवाडा जिले में सेना चौकियों में से एक पर असफल हमले की कोर्ट आफ इन्क्वारी कराने के आदेश दिये गये हैं।

(छ) जम्मू और कश्मीर में आतंकवाद की समस्याओं से निपटने के उद्देश्य से सरकार ने बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाया है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ सीमा प्रबंधन मजबूत करना, भीतरी प्रदेश में उनके विरुद्ध प्रतिकारी कार्रवाई करके विद्रोहियों की योजनाओं को विफल करना, आसूचना तंत्र को सक्रिय बनाना, सभी स्तरों पर यू.एच.क्यू. के आप्रेशन ग्रुपों और आसूचना ग्रुपों के संगठनात्मक ढांचे के माध्यम से व्यापक कार्यात्मक एकीकरण, सुरक्षा बलों के लिए उन्नत प्रौद्योगिकी, हथियार और उपकरण शामिल हैं।

उग्रवादियों को खदेड़ने और उग्रवादी गतिविधियों को रोकने के लिए नये सिरे से उठाए गए कदमों में सीमा पर कड़ी निगरानी, दोनों ओर से घुसपैठ रोकने के लिए भीतरी क्षेत्रों में अधिक नाका दलों की स्थापना, चौकियां बढ़ाना और गहन गश्त, घेराबंदी और तलाशी अभियान शामिल हैं।

पुनः प्रयोज्य प्लास्टिक का आयात

*12. श्री चाडा सुरेश रेड्डी: क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्लास्टिक की थैलियों के प्रयोग पर प्रतिबंध के बावजूद भारत हर महीने यूरोप से पुनः प्रयोज्य प्लास्टिक का आयात कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) प्लास्टिक की थैलियों के विकल्प के रूप में जैविक दृष्टि से ह्रास होने वाले पदार्थ की खोज के संबंध में क्या प्रगति हुई है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) से (ग) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने पुन: प्रयोज्य प्लास्टिक विनिर्माण एवं उपयोग नियम, 1999 जारी किये हैं। इन नियमों में खाद्य पदार्थों के भंडारण, लाने ले जाने, वितरण अथवा पैकेजिंग के लिए पुन: प्रयोज्य प्लास्टिक से बनी थैलियों एवं कंटेनरों के उपयोग पर प्रतिबंध है और देश में प्लास्टिक की थैलियों के विनिर्माण एवं उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध नहीं है।

प्लास्टिक अपशिष्ट और रद्दी का आयात, वाणिज्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी दिनांक 1 जनवरी, 1997 के सार्वजनिक नोटिस के अनुसार विनियमित किया जा रहा है जिसमें विस्तृत सुरक्षा उपाय निर्धारित किए गए हैं और यह सुनिश्चित किया गया है कि किसी विषाक्त/परिसंकटमय सामग्री का आयात न किया जाए।

जैव अवक्रमणीय जैसी पर्यावरण अनुकूल सामग्रियों पर देश में विभिन्न अवस्थाओं में अनुसंधान एवं विकास किया जा रहा है। जैव अवक्रमणीय प्लास्टिक के विनिर्माण के लिए देश में प्रौद्यगिकी को अभी पूरी तरह वाणिज्यिकीकृत नहीं किया गया है।

न्यायिक प्रणाली में परिवर्तन

*13. **श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी:**
श्री उत्तमराव ढिकले:

क्या **विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार देश की वर्तमान न्यायिक प्रणाली में कतिपय आमूलचूल परिवर्तन करने पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके कारण क्या हैं?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री (श्री राम जेठमलानी): (क) और (ख) न्यायिक प्रणाली में परिवर्तन/सुधार एक अनवरत प्रक्रिया है। सिविल और दांडिक मामलों के निपटारे में विलंब को कम करने के लिए मामलों के शीघ्र निपटारे की दृष्टि से, सिविल प्रक्रिया संहिता और दंड प्रक्रिया संहिता का व्यापक रूप से संशोधन करने के लिए विधेयक पहले ही संसद में पुर:स्थापित किये जा चुके हैं।

विवाद समाधान की वैकल्पिक पद्धतियों को प्रोत्साहित करने के लिए विशेष अधिकरण और लोक अदालतें स्थापित की गई हैं। लोक अदालतों में सिविल न्यायालय की शक्तियां निहित की गई हैं।

इसके अतिरिक्त, सरकार द्वारा अनेक उपाय किये गये हैं जिसके अंतर्गत छोटे-मोटे दांडिक मामलों के लिए अनेक विशेष मजिस्ट्रेटों तथा विशेष मैट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेटों की नियुक्ति भी है। भारत के मुख्य न्यायमूर्ति ने, वर्ष 1999 को एक "अभिकार्य वर्ष" घोषित करते हुए, सभी उच्च न्यायालयों से जिला न्यायालयों में न्यायाधीशों के सभी रिक्त पदों को भरने के लिए आवश्यक कदम उठाने का अनुरोध किया है।

उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों के पदों में भी वृद्धि की गई है। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय ने भी, मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए अनेक उपाय किये हैं, जैसे विधि के समान प्रश्न वाले मामलों का समूहन और वर्गीकरण, विशेषित न्यायपीठों की स्थापना, मामलों के सूचीकरण का कम्प्यूटरीकरण, आदि।

चक्रवात के कारण पारिस्थितिकीय असंतुलन

*14. **श्री माधवराव सिंधिया:** क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उड़ीसा के तटवर्ती क्षेत्रों में हाल में आये चक्रवात के कारण पर्यावरण और वन संपदा तथा पारिस्थितिकीय को कितनी क्षति पहुंची है; और

(ख) सरकार द्वारा इस क्षति को पूरा करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) उड़ीसा के पूर्वी तटीय क्षेत्र में 29 और 30 अक्तूबर, 1999 को एक विनाशकारी चक्रवात आया था। इस चक्रवात से जान और माल पर गंभीर प्रभाव पड़ा है।

चक्रवात से प्रभावित क्षेत्रों में पर्यावरण एवं वन सम्पदा को भारी नुकसान पहुँचा है। राज्य सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार बालासोर से गंजाम जिले तक के तटीय जिलों में समूची वनस्पति नष्ट हो गयी है। अधिकांश तटीय भागों से तटीय पट्टी

में लगे बागान (43,000 हेक्टेयर) नष्ट हो गए हैं। प्राप्त सूचना से पता चलता है कि 93558 हेक्टेयर क्षेत्र में लगे प्राकृतिक वनों और बागानों को बुरी तरह नुकसान पहुँचा है। बड़ी संख्या में वृक्ष/बांस के क्लम्प जिनसे तटीय जिलों के लोगों को आजीविका मिलती थी, या तो उखड़ गए हैं या उन्हें नुकसान पहुंचा है। भुवनेश्वर, कटक तथा बरहामपुर जैसे शहरों तथा राजमार्गों, जिला मार्गों/पंचायत मार्गों आदि में रास्तों के किनारे-किनारे किया हुआ पौधरोपण भी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुआ है या उनका पूरी तरह विनाश हो गया है।

(ख) क्षति को कम करने के लिए अपेक्षित उपाय निम्नलिखित हैं:

- 43,000 से अधिक हेक्टेयर क्षेत्र में पौधरोपण (तटीय शेल्टर पट्टी तथा कच्छ वनस्पति)
- 15 करोड़ पौध वितरण
- 1500 कि.मी. से अधिक क्षेत्र में किनारों पर पौधरोपण करना
- 10 लाख पौधरोपण द्वारा शहर में पौधरोपण करना
- 25,000 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में वन खंडों की पुन: स्टाकिंग
- वन्यजीव वास स्थलों की बहाली।

बचत प्रमाणपत्रों को धोखाधड़ी करके भुनाना

***15. श्री प्रभुनाथ सिंह:**
श्री सुरेश रामाराव जाधव:

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान 30 अक्तूबर, 1999 के "द हिन्दुस्तान टाइम्स" में "पोस्टल ऑडिट रिवील्स रूपीज 152 करोड़ फ्राड" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो उसमें प्रकाशित मामले के तथ्य क्या हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस मामले में तथा डाक विभाग के कामकाज को सुचारू बनाने के लिए भी क्या कार्यवाही किये जाने का विचार है?

संचार मंत्री (श्री रामविलास पासवान): (क) से (ग) डाक विभाग अपने एक एजेंसी कार्य के रूप में वित्त मंत्रालय की ओर से बचतपत्र प्राप्त करता है और उन्हें बेचता है। बचतपत्र वित्त मंत्रालय के नियंत्रण में भारत प्रतिभूति मुद्रणालय (आईएसपी), नासिक में छपते हैं तथा रेलवे के जरिए देश भर में विभिन्न सर्किल स्टैम्प डिपुओं (सीएसडी) में भेजे जाते हैं। आईएसपी, नासिक बचतपत्रों को लकड़ी के बक्सों और कार्टन्स में भली-भांति सील और पैक करके प्रेषित सामान (कनसाइनमेंट) के रूप में वित्तीय नियमपुस्तक खंड-2 में निर्धारित पद्धति के अनुसार रेलवे के पास "फ्री आन रेलवेज" (एफओआर) आधार पर बुक करता है। बुक किए गए कनसाइनमेंट में नोशनल वैल्यू वाले खाली बचतपत्रों के बंडल होते हैं। बुक किए गए इस सामान को रेलवे द्वारा साधारण मालगाड़ी से तब तक एक लोकोशैड से दूसरे लोकोशैड तक ले जाया जाता है जब तक कि वह अपने गंतव्य जंक्शन तक नहीं पहुंचता। डुलाई के इस तरीके से बुक किया गया सामान विलंब से पहुंचता है। कभी-कभी तो अपने गंतव्य जंक्शन तक पहुंचने में उसे महीनों लग जाते हैं।

वर्ष 1994-97 के दौरान डाक विभाग को सौंपने से पहले ही रेलवे की अभिरक्षा से बचतपत्र मार्ग में उस समय खो गए थे जब उन्हें नासिक से देश के सर्किल सैटम्प डिपुओं में ले जाया जा रहा था। डाक विभाग द्वारा दिसम्बर, 1996 तथा मई, जून, 1997 में खो गए ऐसे बचत पत्रों की धोखाधड़ी से भुगतान के कुछ मामलों का पता लगाया गया तथा इन मामलों की सूचना राज्य पुलिस को देने के अलावा इनकी आवश्यक जांच-पड़ताल की गई। तत्पश्चात्, केन्द्रीय लेखा-परीक्षा ने इन्हें अपनी रिपोर्ट में इंगित किया, जो जुलाई, 1997 में प्राप्त हुई।

हिन्दुस्तान टाइम्स की दिनांक 30 अक्तूबर, 1999 की रिपोर्ट में उल्लेख है कि दिल्ली, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश के तीन डाक सर्किलों में रेलवे की अभिरक्षा से 152 करोड़ रुपये की राशि के बचतपत्र मार्ग में गुम हो गए। इस रिपोर्ट में यह भी उल्लेख है कि इन गुम हुए बचतपत्रों को 1997-99 की अवधि के दौरान धोखाधड़ी से भुनाया गया है। दिल्ली सर्किल में 30.87 लाख रुपये के और उत्तर प्रदेश सर्किल में 92.47 लाख रुपये के ऐसे बचतपत्र भुनाए गए।

आज की तारीख तक इस मामले में सम्पूर्ण देश की वास्तविक स्थिति यह है कि सभी 19 सर्किलों में 1994-98 के दौरान रेलवे की अभिरक्षा से मार्ग में गुम हुए इन्दिरा विकास पत्रों,

किसान विकास पत्रों और राष्ट्रीय बचतपत्रों सहित बचतपत्रों का कुल अंकित मूल्य 487 करोड़ रुपये है जिसका ब्यौरा निम्नानुसार है:

सर्किल	राशि रुपये (करोड़ में)
1	2
आंध्र प्रदेश	शून्य
असम	173.1500
बिहार	39.7000
दिल्ली	0.0810
गुजरात	0.0001
हरियाणा	13.0200
हिमाचल प्रदेश	0.0006
जम्मू व कश्मीर	0.0421
कर्नाटक	शून्य
केरल	शून्य
मध्य प्रदेश	0.0023
महाराष्ट्र	शून्य
उत्तर-पूर्व	शून्य
उड़ीसा	0.0212
पंजाब	0.2000
राजस्थान	शून्य
तमिलनाडु	0.0045
उत्तर प्रदेश	108.3100
पश्चिम बंगाल	151.7900
कुल योग	487.0800

सभी 19 सर्किलों में 487 करोड़ रु. की अंकित राशि के गुम हुए बचतपत्रों में से आज तक देश में धोखे से भुनाए गए बचतपत्रों की कुल वास्तविक राशि 1994-98 की अवधि के दौरान 4.709 करोड़ रु. है जिसका सर्किलवार ब्यौरा इस प्रकार है:

सर्किल	राशि रुपये (करोड़ में)
दिल्ली	3.54
उत्तर प्रदेश	0.9947
हरियाणा	0.1750
कुल योग	4.7097

विभाग ने मार्ग में बचतपत्रों के गुम होने तथा उन्हें धोखाधड़ी से भुनाने को रोकने के लिए निम्नलिखित सुधारात्मक उपाय किए हैं:-

(1) डाक विभाग ने देश के सभी डाकघरों में आज तक रेलवे की अभिरक्षा से मार्ग में गुम हुए बचतपत्रों की संख्यायें और सिरीज परिचालित कर दी हैं ताकि किसी भी डाकघर में उन्हें धोखाधड़ी से भुनाने को रोका जा सके।

(2) विभाग ने गुम हुए बचतपत्रों के सम्पूर्ण ब्यौरे से भारतीय रिजर्व बैंक को भी अवगत करा दिया है ताकि इन बचतपत्रों को ऋण लेने के लिए धोखाधड़ी से गिरवी रखने को रोकने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक विभिन्न राष्ट्रीयकृत, कोऑपरेटिव और प्राइवेट बैंकों को इनकी सिरीज संख्या जारी कर सकें।

(3) केन्द्रीय जांच ब्यूरो को भी इस मामले की सूचना दे दी गई है जो इस मामले की सक्रियता से जांच कर रहा है। सी.बी.आई. ने बताया है कि उन्होंने दिल्ली क्षेत्र में एक ऐसे गिरोह का भंडाफोड़ किया है जो दिल्ली में मंगोलपुरी (अशोक विहार प्रधान डाकघर) डाकघर से बचतपत्रों को धोखाधड़ी से भुनाने में लगा था। विभाग से बाहर के चार बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है जो इस समय जेल में हैं तथा दो फरार हैं। सात विभागीय कर्मचारियों को गिरफ्तार किया गया है और एक फरार है। इस मामले में शामिल दो बैंक कर्मचारियों को भी गिरफ्तार किया गया है। सैंतीस विभागीय कर्मचारियों के खिलाफ आचरण नियमों के अधीन भारी दंड देने के लिए कार्रवाई की गई है। इस मामले पर सी.बी.आई. के साथ तेजी से कार्रवाई की जा रही है ताकि सभी अपराधियों को पकड़ा जा सके।

(4) भविष्य में धोखाधड़ी से ऐसे किसी भी भुगतान को रोकने के लिए विभाग ने सभी सर्किलों और डाकघरों को समय-समय पर हिदायतें भी जारी की हैं। कर्मचारियों को यह निदेश दिए गए हैं कि बचतपत्रों की धनराशि देते हुए वे निर्धारित पद्धति एवं नियमों का सख्ती से पालन करें।

(5) बचतपत्रों की आई.एस.पी., नासिक से विभिन्न सर्किल स्टैम्प डिपुओं तक ढुलाई करने के तरीके में परिवर्तन करने का भी विभाग का प्रस्ताव है। वित्त विभाग, वित्त मंत्रालय ने एक्सप्रेस पार्सल डाक का प्रयोग करके बचतपत्रों की ढुलाई का प्रस्ताव मान लिया है।

(6) इस समय, आई.एस.पी., नासिक से देश के विभिन्न सर्किल स्टेम्प डिपुओं को कनसाइनमेंट सड़क मार्ग द्वारा भेजी जा रही हैं जिनके साथ संबंधित सर्किलों के अनुरक्षक होते है तथा 1998 से आई.एस.पी. नासिक से भेजी गई कनसाइनमेंट को मार्ग में कोई नुकसान नहीं हुआ है।

(7) किसी एकल पार्टी को 20,000 रु. से अधिक के बचतपत्रों को भुनाने पर डाकघर से भुगतान नकद की बजाय चेक से करने के आदेश दिए गए हैं।

पेट्रोल/डीजल/रसोई गैस की उपलब्धता/मांग

*16. **डा. वी. सरोजा** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में पेट्रोल/डीजल/रसोई गैस की उपलब्धता और मांग की स्थिति क्या है;

(ख) पेट्रोल/डीजल/रसोई गैस की मांग को पूरा करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं; और

(ग) तेल क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री राम नाईक): (क) और (ख) 1999-2000 के दौरान देश में पेट्रोल/डीजल/तरल पेट्रोलियम गैस की अनुमानित उपलब्धता व मांग नीचे दी गई है:

(आंकड़े एम.एम.टी. में)

	उत्पाद	उपलब्धता		मांग
		आयात	घरेलू	(इन्वेन्ट्री सहित)
1.	पेट्रोल	शून्य	7.343	5.873
2.	डीजल	3.956	36.948	40.904
3.	एल.पी.जी.	1.263	4.644	5.907

मांग तथा घरेलू उपलब्धता के बीच अन्तराल को पूरा करने के लिए उत्पाद आयात के माध्यम से प्राप्त किए जाते हैं।

(ग) उन्नत प्रौद्योगिकियों के प्रयोग, रिजर्वायर प्रकृति के बेहतर समझ, नए कूपों के विकास, वर्तमान क्षेत्रों के अतिरिक्त विकास तथा अपस्ट्रीम क्षेत्र में विदेशी और निजी पूंजी आमंत्रित करके देश में कच्चे तेल के उत्पादन में वृद्धि करने के प्रयास किए जा रहे हैं। सार्वजनिक क्षेत्र में वर्तमान रिफाइनरियों के विस्तार तथा

संयुक्त क्षेत्र व निजी क्षेत्र में रिफाइनरियों की स्थापना करके देश में शोधन क्षमता भी बढ़ाई जा रही है।

विदेशों से धन प्राप्त करना

*17. **श्री एस.डी.एन.आर. वाडियार :**
श्री सी. श्रीनिवासन :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में कितने गैर-सरकारी संगठन विदेशों से धन प्राप्त कर रहे हैं;

(ख) क्या देश के इन सभी संगठनों द्वारा विदेशी धन की प्राप्ति पर बिगरानी रखने के लिए सरकार के पास कोई त्रुटिरहित व्यवस्था है;

(ग) यदि हां, तो इन संगठनों द्वारा प्राप्त धनराशि का राज्यवार और संगठनवार ब्यौरा क्या है; और

(घ) इन निधियों के वांछित प्रयोजन हेतु उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी): (क) और (ग) स्वयंसेवी एसोसिएशनों द्वारा विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 1996 के प्रावधानों के अन्तर्गत प्राप्त विदेशी अभिदाय के ब्यौरे गृह मंत्रालय (विदेशी प्रभाग) द्वारा निकाली गई वार्षिक रिपोर्टों में प्रकाशित किए गए हैं। वार्षिक रिपोर्टों (1997-98 तक) की प्रतियां संसद भवन के पुस्तकालय में रखी गई हैं। वर्ष 1998-99 की वार्षिक रिपोर्ट संकलित की जा रही है।

(ख) विदेशी अभिदाय (विनियमन) नियम, 1996 के नियम 4 (1)(क) के अन्तर्गत, जो एसोसिएशनें इस अधिनियम के अधीन आती हैं, उन्हें उनके द्वारा प्राप्त विदेशी अभिदाय की प्राप्ति और उसके उपयोग के बारे में चार्टर्ड एकाउन्टेंट द्वारा विधिवत रूप से प्रमाणित सूचना वार्षिक आधार पर गृह मंत्रालय को भेजनी होती है। विदेशी अभिदाय का प्रबोधन ऐसी एसोसिएशनों द्वारा प्रस्तुत की गई विवरणियों की संवीक्षा प्रक्रिया के माध्यम से किया जाता है।

(घ) यदि इस बात का संदेह हो कि इस अधिनियम के किसी प्रावधान का उल्लंघन किया गया है अथवा किया जा रहा है तो भारत सरकार को धारा 14 के अधीन ऐसी एसोसिएशनों के लेखों अथवा अभिलेखों का निरीक्षण करने अथवा धारा 15-क के अधीन लेखा खातों की लेखा परीक्षा करने का अधिकार प्राप्त है।

नये पत्तनों का निर्माण

*18. **श्री के. येरननायडू :** क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान निर्यात को बढ़ावा देने के लिए नये पत्तनों का निर्माण करने का सरकार का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त अवधि के दौरान नये पत्तनों का निर्माण के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री राजनाथ सिंह): (क) से (ग) चेन्नै के उत्तर में 25 कि.मी. दूर इन्नौर में एशियाई विकास बैंक की सहायता से 927.10 करोड़ रु. की अनुमानित संशोधित लागत से एक नए पत्तन का निर्माण किया जा रहा है। इसकी क्षमता 16 मिलियन टन कोयला हैंडल करने की होगी। इस पत्तन के जुलाई, 2000 तक चालू हो जाने की संभावना है।

व्यापार की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए विभिन्न योजनागत स्कीमों के अंतर्गत विद्यमान महापत्तनों में अतिरिक्त क्षमता के सृजन के लिए भी प्रयास किए गए हैं।

लंबित मामले और न्यायाधीशों की संख्या

*19. **श्री पवन कुमार बंसल :**
श्री दानवे राव साहेब पाटील :

क्या **विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उच्चतम न्यायालय तथा देश के विभिन्न उच्च न्यायालयों में न्यायालय-वार पिछले तीन वर्षों के दौरान और आज तक कुल कितने मामले लंबित हैं;

(ख) इसके क्या कारण हैं;

(ग) सरकार ने न्यायालयों में लंबित मामलों की संख्या कम करने और मुकदमों का शीघ्र निपटान सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए हैं;

(घ) उच्चतम न्यायालय और देश के विभिन्न उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों के स्वीकृत पदों की संख्या इस समय कितनी है;

(ङ) क्या सरकार का विचार लंबित मामलों को शीघ्र निपटाने के लिए उच्चतम न्यायालय और विभिन्न उच्च न्यायालयों, विशेषत: मुम्बई उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री (श्री राम जेठमलानी): (क) उपलब्ध जानकारी संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) मामले अनेक जटिल बातों के कारण लंबित हैं जिसके अंतर्गत न्यायाधीशों की अपर्याप्त संख्या, मामलों के संस्थित किए जाने में वृद्धि, जनसंख्या में वृद्धि, मुकदमेबाजी के पैटर्न में आमूल परिवर्तन, नागरिकों की अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता, आदि भी हैं।

(ग) सरकार द्वारा अनेक उपाय किए गए हैं जिसके अंतर्गत सिविल प्रक्रिया संहिता और दंड प्रक्रिया संहिता का संशोधन, न्यायाधीशों/न्यायिक अधिकारियों की पद संख्या में वृद्धि, विशेष न्यायिक मेट्रोपालिटन मेजिस्ट्रेटों की नियुक्ति और विवाद समाधान की अन्य वैकल्पिक पद्धतियों को अपनाना भी है। इसके अतिरिक्त, उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों ने, मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए अनेक उपाय किए हैं, जैसे विधि के समान प्रश्न वाले मामलों का समूहन और वर्गीकरण, विशेषित न्यायपीठों की स्थापना, मामलों की सूचीकरण का कम्प्यूटरीकरण, आदि हैं।

(घ) उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की, भारत के मुख्य न्यायमूर्ति सहित, वर्तमान स्वीकृत पद संख्या 26 है। उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की स्वीकृत पद संख्या, 590 स्थायी/अतिरिक्त न्यायाधीश हैं।

(ङ) से (छ) उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की स्वीकृत पद संख्या के बारे में, जब कभी भारत के मुख्य न्यायमूर्ति से कोई प्रस्ताव प्राप्त होता है, भारत सरकार द्वारा विचार किया जाता है। ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। उच्च न्यायालयों की बाबत स्थायी/अतिरिक्त न्यायाधीशों के 28 नए पदों का, उन तारीखों से, जिनको ये पद वस्तुत: भरे जाएं, सृजन करने का विनिश्चय किया गया है। मुम्बई उच्च न्यायालय को भारत के मुख्य न्यायमूर्ति की सिफारिशानुसार, इस प्रयोजन के लिए अंतिम रूप से तैयार किए गए मार्गदर्शक सिद्धांतों/मानदंडों के आधार पर, न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि के लिए उपयुक्त नहीं पाया गया है।

विवरण

गत तीन वर्षों के दौरान और इस समय उच्चतम न्यायालय तथा विभिन्न उच्च न्यायालयों में लंबित मामले

	1996	1997	1998	1999
उच्चतम न्यायालय	23,246	19,032	19,806 (10/98)	20,306 (2/99)

क्रम सं.	उच्च न्यायालय का नाम	निम्नलिखित वर्षों के दौरान 31 दिसंबर को लंबित मामलों की संख्या		
		1996	1997	1998
1	2	3	4	5
1.	इलाहाबाद	865455	758,968	796129
2.	आंध्र प्रदेश	135621	133,211	145851

1	2	3	4	5
3.	बम्बई	234058	237,618	252526
4.	कलकत्ता	264312	282,209	295158
5.	दिल्ली	153537	163,430	173020
8.	गौहाटी	33018	34,165	35667 (9/98)
7.	गुजरात	123108	122,966	121532
8.	हिमाचल प्रदेश	17166	13,352	11391
9.	जम्मू कश्मीर	96414	98,645	93256
10.	कर्नाटक	150965	135,389	90072
11.	केरल	217823	250,261	284231
12.	मध्य प्रदेश	82294	83,131	93551
13.	मद्रास	310640	326,619	341369
14.	उड़ीसा	66820	84,897	102402
15.	पटना	93310	84,666	82818
16.	पंजाब और हरियाणा	161562	170,671	171837
17.	राजस्थान	97768	98,416	107265
18.	सिक्किम	88	95	472

ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन संबंधी योजना

*20. **श्री दिनेश पटेल :**
प्रो. रासा सिंह रावत :

क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में ग्रामीण टेलीफोन प्रणाली सफल नहीं रही है तथा सरकार ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन संबंधी योजना की प्रगति से संतुष्ट नहीं है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस आशय से की कई घोषणाओं के बावजूद शहरी क्षेत्रों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में टेलीफोन सेवाओं में गुणात्मक तथा संख्या की दृष्टि से सुधार नहीं होने के क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा देश के ग्रामीण क्षेत्रों में दूरसंचार सेवाओं में सुधार लाने हेतु क्या उपचारात्मक उपाय किए जाने का विचार है?

संचार मंत्री (श्री रामविलास पासवान): (क) से (ग) ग्रामीण टेलीफोन प्रणाली में टेलीफोन एक्सचेंज, टेलीफोन कनेक्शन और ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन शामिल हैं। 19584 ग्रामीण एक्सचेंज हैं, जिनकी सज्जित क्षमता 51,68,633 है और 38,80,707 टेलीफोन कनेक्शन हैं। दिनांक 1.11.97 की स्थिति के अनुसार 344,508 ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन भी हैं। सभी ग्रामीण टेलीफोन एक्सेंज इलेक्ट्रॉनिक हैं। सभी एम.ए.आर.आर. प्रणालियां भी इलेक्ट्रॉनिक हैं। एम.ए.आर.आर. पर ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोनों के संबंध में प्रचालनात्मक समस्याएं सामने आई हैं। सरकार को इस समस्या की जानकारी है और अनेक उपचारी उपाय शुरू किए गए हैं जो निम्नानुसार हैं:-

(1) विकासात्मक प्रयासों में सहयोग करने के लिए एम.ए.आर.आर. उपस्कर के अनुरक्षण हेतु वार्षिक अनुरक्षण ठेका।

(2) दोषयुक्त बैटरियां और मिसिंग सोलर पैनलों को बदलना।

(3) एम.ए.आर.आर. उपस्कर के अनुरक्षण के लिए तकनीकी स्टाफ का प्रशिक्षण।

(4) भावी ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन कार्यक्रम के लिए वायरलैस लोकल लूप, सी-डॉट/पी.एम.पी. तथा उपग्रह प्रणालियों जैसी नई प्रौद्योगिकियां शुरू की जा रही हैं।

(5) सभी सर्किलों को उत्तरोत्तर रूप से विश्वसनीय पारेषण माध्यम उपलब्ध कराया जा रहा है।

ग्रामीण दूरसंचार सेवा, विशेष ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोनों का प्रचालनात्मक निष्पादन अधिकांश राज्यों में ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी आधारभूत सुविधाओं विशेषकर व्यावसायिक विद्युत और अच्छी सड़कों की कमी के कारण प्रतिकूल रूप से प्रभावित होती है। इन्हीं कारणों से विकास कार्यक्रमों की गति में भी कमी आई है। इसके अतिरिक्त, ग्रामीण नेटवर्क के अत्यधिक रूप से दूर-दूर तक फैला होने के कारण, सेवाएं बनाए रखने के लिए अधिक प्रयास करने की आवश्यकता है।

[अनुवाद]

महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच सीमा का विवाद

1. **श्री विलास मुत्तेमवार :** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच सीमा के विवाद का अभी तक समाधान नहीं निकला है;

(ख) यदि हां, तो विवाद की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) क्या महाराष्ट्र की राज्य सरकार भारत सरकार से मामले में हस्तक्षेप करने और विवाद को सुलझाने का अनुरोध कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार ने दोनों राज्यों के बीच स्थिति को तनावमुक्त करने के लिए क्या ठोस कदम उठाये हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी): (क) और (ख) महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच सीमा विवाद 1956 में राज्यों के पुर्नगठन के समय से लम्बित पड़ा है। दोनों राज्यों के बीच मतभेद अभी कायम हैं।

(ग) जी हां, श्रीमान्।

(घ) भारत सरकार का यह मत है कि इस विवाद का समाधान मुख्यत: संबंधित राज्य सरकार द्वारा बातचीत और आपसी समझदारी से निकाला जाना चाहिए।

राज्यों पर नेशनल थर्मल पावर कार्पोरेशन की बकाया धनराशि

2. **श्री वाई.एस. विवेकानन्द रेड्डी** : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछ राज्य सरकारों पर नेशनल थर्मल पावर कार्पोरेशन की धनराशि बकाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा अपनी बकाया धनराशि वसूल करने के लिए क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है; और

(घ) इससे राज्य-वार क्या परिणाम प्राप्त हुए हैं?

विद्युत मंत्री (श्री पी.आर. कुमारमंगलम): (क) जी, हां।

(ख) राज्य बिजली बोर्डों द्वारा नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन (एन.टी.पी.सी.) को देय कुल बकाया राशि 31 अक्टूबर 1999 की स्थिति के अनुसार 11717.02 करोड़ रुपए है जिसमें 4142.53 करोड़ रुपए का अधिभार शामिल है। बकाया राशियों का राज्य बिजली बोर्ड-वार विवरण संलग्न है।

(ग) और (घ) एन.टी.पी.सी. और सरकार एन.टी.पी.सी. की बकाया राशियों की वसूली के संबंध में विभिन्न कदम उठा रही है जिसे नीचे दर्शाया गया है:-

1. एन.टी.पी.सी. प्रबंधन संबंधित रा.वि.बो./राज्य सरकार के साथ बकाया राशियों की वसूली पर कार्रवाई कर रहा है।

2. सितम्बर, 1994 से एन.टी.पी.सी. द्वारा विशेष प्रोत्साहन स्कीम आरंभ की गई है ताकि उन राज्यों को प्रोत्साहन दिया जा सके जो वर्तमान मासिक बिलों की पूरी राशि को शामिल करने के लिए साख-पत्र खोलते हैं।

3. एन.टी.पी.सी. समय-समय पर चूक करने वाले राज्यों को विद्युत का विनियमन करने का रास्ता भी अपनाता है। हाल ही में, पूर्वी क्षेत्र में पश्चिम बंगाल राज्य बिजली बोर्ड, बिहार राज्य बिजली बोर्ड और ग्रिडको को इस तरह से विद्युत आपूर्ति का विनियमन करने के नोटिस जारी किए गए जो 11.11.99 से प्रभावी है। साथ ही उत्तरी क्षेत्र में उ.प्र.रा.वि.बो., एच.वी.पी.एन. और जम्मू एवं कश्मीर को नोटिस जारी किए गए जो उ.प्र.रा.वि.बो. के लिए 1.12.99 से तथा एच.वी.पी.एन. और जम्मू एवं कश्मीर के लिए 12.12.99 से प्रभावी होंगे। इन मामलों में अनुकूल प्रतिक्रियाएं प्राप्त हुई हैं।

4. नई परियोजनाओं के मामले में एन.टी.पी.सी. अपनी नई परियोजनाओं के लिए हस्ताक्षरित विद्युत क्रय करारों में भुगतान संबंधी सुरक्षा उपायों हेतु प्रयास कर रहा है। इनमें साख-पत्र के लिए राज्य सरकार की गारंटी का होना शामिल है।

5. विद्युत मंत्रालय द्वारा स्थिति की आवधिक रूप से समीक्षा भी की जानी है तथा मामले को मुख्य सचिव/मुख्य मंत्री के स्तर पर उठाया जाता है।

6. ऐसा भी एक प्रबन्ध है जिसके अन्तर्गत 31.12.96 तक की बकाया राशियों को सीधे ही वित्त मंत्रालय द्वारा केन्द्रीय विनियोजन के द्वारा वसूल किया जा रहा है और उसका सीधा भुगतान एन.टी.पी.सी. को किया जा रहा है।

7. केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र विद्युत यूटिलिटियों को देय बकाया राशियों के कुछ हिस्से के परिसमापन हेतु प्रतिभूतिकरण का एक प्रस्ताव भी विचाराधीन है।

कुछ चूककर्त्ता राज्य/रा.वि.बो. ने उपर्युक्त उपायों पर सकारात्मक प्रतिक्रिया व्यक्त की है। ग्रिडको ने अपने साख पत्र बढ़ाकर 42 करोड़ रुपए कर दिए हैं। बी.एस.ई.बी. ने 100 करोड़ रुपए दे दिए हैं और साख पत्र को 40 करोड़ तक बढ़ाए जाने पर सहमत हो गया है। पश्चिम बंगाल राज्य बिजली बोर्ड ने साख-पत्रों को 25 करोड़ रुपये तक बढ़ा दिया है। और साथ ही 20 करोड़ रुपए भी दिए हैं।

विवरण

31.10.1999 की स्थितिनुसार एन.टी.पी.सी. की बकाया देय राशियां

एस.टी.पी.एस./एस.ई.बी.	बकाया देय राशि	अधिभार बिल	कुल बकाया राशि
1	2	3	4
उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड	166784	61672	228456
दिल्ली विद्युत बोर्ड	130212	95492	225704
बिहार राज्य विद्युत बोर्ड	148186	66401	214587
पश्चिम बंगाल राज्य विद्युत बोर्ड	85968	26561	112529
उड़ीसा का ग्रिड कारपोरेशन	50495	10105	60600
मध्य प्रदेश विद्युत बोर्ड	25376	24918	50294
जम्मू एवं कश्मीर	12772	31999	44771
दामोदर घाटी निगम	24976	18644	43620
महाराष्ट्र राज्य विद्युत बोर्ड	27440	12996	40436
गुजरात विद्युत बोर्ड	26020	13675	39667
एच.वी.पी.एन.	12463	23504	35967
तमिलनाडु विद्युत बोर्ड	12524	6246	18770
राजस्थान राज्य विद्युत बोर्ड	11439	5074	16513
केरल विद्युत बोर्ड	8038	4802	12840

1	2	3	4
कर्नाटक राज्य विद्युत बोर्ड	4816	3052	7868
अपट्रान्सको	2254	5210	7464
असम राज्य विद्युत बोर्ड	3499	716	4215
सिक्किम	1620	535	2155
पांडिचेरी	1541	163	1704
पंजाब राज्य विद्युत बोर्ड	32	1082	1114
हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड	38	925	963
दमन एवं दीव	515	127	642
गोवा (पश्चिम क्षेत्र)	188	254	442
गोवा (दक्षिण क्षेत्र)	277	100	377
दादर एवं नगर हवेली	0	0	0
चंडीगढ़ केन्द्र शासित प्रदेश	-24	0	-24
कुल	757449	414253	1171702

संकेताक्षर:
एस.ई.बी. - राज्य विद्युत बोर्ड
एच.पी.वी.एन. - हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम
ए.पी. ट्रांसको - आंध्र प्रदेश ट्रांसमिशन कम्पनी।

टेलीफोन कार्यालयों का स्थानांतरण

3. **श्री रामशेठ ठाकुर** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महाराष्ट्र के रायगंज जिले से संबंधित सभी टेलीफोन मामलों का निपटान रायगंज के स्थान पर मुम्बई-सांताक्रुज टेलीफोन सर्किल से किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार रायगंज के ग्राहकों को बेहतर टेलीफोन सुविधाएं प्रदान करने के लिए संबंधित कार्यालय सांताक्रुज से रायगंज जिले में स्थानांतरित करने का है; और

(घ) यदि हां, तो उक्त कार्यालय को कब तक स्थानांतरित कर दिया जाएगा और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) से (घ) रायगढ़ जिले के विभिन्न ताल्लुकों में संबंधित अधिकारियों द्वारा नये टेलीफोन कनेक्शनों का पंजीकरण उनके रिलीज, शिफ्टिंग, असैसरीज की व्यवस्था, बिल पूछताछ, डुप्लीकेट बिलों को जारी करना इत्यादि काम किये जाते हैं।

असम समझौता

4. **श्री जी.एम. बनातवाला** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या असम समझौते में असम के लोगों की सांस्कृतिक, सामाजिक एवं भाषाई पहचान और विरासत की रक्षा का प्रावधान है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार के विचाराधीन इसे लागू करने संबंधी कोई प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या इन प्रस्तावों के संबंध में कोई आपत्ति की गई है; और

(ङ) यदि हां, तो इन आपत्तियों का ब्यौरा क्या है एवं सरकार की इन पर क्या प्रतिक्रिया है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी): (क) असम समझौते के खंड 6 में यह व्यवस्था है कि असमी लोगों की सांस्कृतिक, सामाजिक, भाषाई पहचान और प्राचीन विरासत को बचाने, सुरक्षित रखने और विकसित करने के लिए सांविधिक, विधायी और प्रशासकीय रक्षोपाय, जो भी उचित हो, किए जाने चाहिएं।

(ख) से (ङ) असम सरकार से प्राप्त प्रस्ताव के आधार पर, सरकार ने श्रीमन्ता शंकरदेव कलाक्षेत्र परिसर और ज्योति चित्रबन फिल्म स्टूडियो की स्थापना के लिए 18.85 करोड़ और 8.79 करोड़ रु. पहले ही स्वीकृत और रिलीज कर दिए हैं। बाद में असम राज्य सरकार और अखिल असम छात्र संघ ने कुछ प्रस्ताव प्रस्तुत किए हैं। प्रस्तुत प्रस्तावों में अन्य बातों के साथ-साथ, संविधान के अनुच्छेद 3, 11, 16(3), 30, 35, 170(3), 249, 258 और 347 में संशोधन, नागरिकता रजिस्टर, जल संसाधनों का उपयुक्त प्रयोग, तेल और प्राकृतिक गैस का अधिकतम उपयोग, राज्य विधान सभा में द्वितीय चैम्बर का सृजन, नागरिकता अधिनियम 1985 में संशोधन, संसद, राज्य विधान सभा इत्यादि में सीटों के आरक्षण इत्यादि से संबंधित है। सरकार को संबंधित प्रस्तावों पर कोई आपत्ति नहीं है यदि वे कानूनी रूप से मान्य और प्रशासनिक रूप से व्यवहारिक हैं।

पी.एल.एफ. में सुधार

5. **श्री मोहन रावले:** क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पिछले कुछ वर्षों के दौरान प्लांट लोड फैक्टर में काफी सुधार हुआ है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान राज्य-वार प्लांट लोड फैक्टर का ब्यौरा क्या है;

(ग) प्लांट लोड फैक्टर में अग्रेतर सुधार के लिए क्या कार्य योजना बनाई गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्री (श्री पी.आर. कुमारमंगलम): (क) वर्ष 1996-97, 1997-98 और 1998-99 के दौरान ताप विद्युत स्टेशनों का अखिल भारतीय प्लांट लोड फैक्टर नीचे दिया गया है:

वर्ष	पीएलएफ(%)
1996-97	64.4
1997-98	64.7
1998-99	64.6

(ख) वर्ष 1996-97 से 1998-99 तक ताप विद्युत स्टेशन का राज्य-वार/प्रणाली-वार प्लांट लोड फैक्टर (पीएलएफ) संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) और (घ) पीएलएफ में और सुधार लाने के लिए किये जा रहे उपायों में ये शामिल हैं: अधिष्ठापित क्षमता का अधिक समुपयोजन करना, आनुषांगिक विद्युत खपत में कमी लाना नवीकरण एवं आधुनिकीकरण तथा कार्यशील जीवन विस्तार के माध्यम से विद्यमान विद्युत स्टेशन से अतिरिक्त विद्युत उत्पादन प्राप्त करना, छूटे हुए पारेषण लिंकों का निर्माण करना तथा प्रणालीगत सुधार करना आदि।

विवरण

ताप विद्युत का अखिल भारत/वर्ष-वार/क्षेत्र-वार पीएलएफ(%)

केन्द्र	प्लांट लोड फैक्टर (%)			
	1996-97	1997-98	1998-99	1999-2000 अप्रैल 99-अक्तू. 99
1	2	3	4	5
अखिल भारत	64.4	64.7	64.6	65.2
केन्द्रीय क्षेत्र	71.1	70.4	71.1	70.7
निजी क्षेत्र	71.2	71.2	68.3	70.8
राज्य क्षेत्र	60.3	60.9	60.7	61.7
दिल्ली विद्युत बोर्ड	41.8	47.0	38.2	48.8
हरियाणा विद्युत उत्पादन निगम	47.7	49.5	48.8	53.0
राजस्थान राज्य विद्युत बोर्ड	75.7	82.1	78.1	74.2
पंजाब राज्य विद्युत बोर्ड	65.6	69.0	69.4	77.5
उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड	49.2	48.7	48.9	48.5
गुजरात विद्युत बोर्ड	64.9	65.6	63.6	64.8
महाराष्ट्र राज्य विद्युत बोर्ड	68.9	68.3	68.4	67.9
मध्य प्रदेश विद्युत बोर्ड	62.3	66.1	67.2	65.0
आंध्र प्रदेश जेनरेशन कार्पोरेशन	78.3	81.9	76.8	80.5

1	2	3	4	5
तमिलनाडु विद्युत बोर्ड	72.4	68.0	65.9	70.1
कर्नाटक विद्युत कार्पोरेशन लि.	70.2	75.2	81.6	80.3
बिहार राज्य विद्युत बोर्ड	15.3	16.0	22.5	18.7
उड़ीसा विद्युत उत्पादन निगम	69.3	66.2	76.2	84.7
पश्चिम बंगाल राज्य विद्युत बोर्ड	39.1	39.9	36.8	38.5
पश्चिम बंगाल विद्युत विकास निगम	56.3	52.7	60.7	54.0
दुर्गापुर परियोजना लि. (पश्चिम बंगाल)	29.5	25.2	17.6	23.5
असम राज्य विद्युत बोर्ड	27.1	21.3	18.7	17.8

गुप्त रूप से/गैर-कानूनी ढंग से की गई हत्याएं

6. **डा. जयन्त रंगपी:** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल में असम में लोगों द्वारा कानून लागू करने वाली एजेन्सियों पर लोगों की रहस्यपूर्ण हत्याएं करने और गैर-कानूनी ढंग से प्राण दंड देने के लिए कड़ा विरोध दर्ज किया गया था;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों में इस प्रकार की मौतों की संख्या क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी): (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

विशेष भर्ती अभियान

7. **श्री सुरेश चन्देल:** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने आदिवासी क्षेत्रों में रिक्त पदों को भरने के लिए "विशेष भर्ती अभियान" चलाने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या हिमाचल प्रदेश के आदिवासी क्षेत्रों में डाक विभाग ने भर्तियां की हैं, जबकि दूरसंचार विभाग अभी तक ऐसा नहीं कर पाया है;

(ग) यदि हां, तो दूरसंचार विभाग द्वारा विशेष अभियान शुरू नहीं किये जाने के क्या कारण हैं; और

(घ) राज्य में दूरसंचार विभाग द्वारा विशेष अभियान के माध्यम से रिक्त पदों को कब तक भर लिए जाने की संभावना है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) जी, नहीं।

(ख) उपर्युक्त को देखते हुए लागू नहीं होता।

(ग) -वही-

(घ) -वही-

[अनुवाद]

कन्नूर में उच्च न्यायालय खंडपीठ

8. श्री टी. गोविन्दन: क्या विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केरल सरकार ने मालाबार के लोगों की सुविधा के लिए कन्नूर में उच्च न्यायालय खंडपीठ की स्थापना का कोई प्रस्ताव प्रस्तुत किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री (श्री राम जेठमलानी): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

रापती नदी पर पुल की खस्ता हालत

9. श्री राजनारायण पासी: क्या जल भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उत्तर प्रदेश में बांसगांव-गोरखपुर के बीच रापती नदी पर निर्मित पुल की हालत खस्ता है, जिसके कारण अभी भी जानलेवा दुर्घटना हो सकती है;

(ख) क्या पिछले पांच वर्षों के दौरान आज तक, सरकार को वहां पर एक नए पुल के निर्माण हेतु जन प्रतिनिधियों या नागरिकों से अनुरोध प्राप्त हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है तथा इस संबंध में अब तक क्या प्रगति हुई है?

जल भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देवेन्द्र प्रधान): (क) संभवत: माननीय सदस्य का आशय रा.रा.-28 पर गोरखपुर में रापती पर विद्यमान पुल से है। यह पुल जीर्ण-शीर्ण अवस्था में नहीं है और सभी किस्म के यातायात के लिए खुला है।

(ख) और (ग) जी हां। अतिरिक्त दो लेन के पुल का निर्माण कार्य मंत्रालय की वार्षिक योजना 1999-2000 में शामिल किया गया है।

[हिन्दी]

राजस्थान उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों के रिक्त पद

10. श्री जसवंत सिंह बिश्नोई: क्या विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राजस्थान उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों के कितने पद आज तक रिक्त हैं;

(ख) क्या सरकार का इन पदों को भरने का विचार है;

(ग) यदि हां, तो इन्हें कब तक भरे जाने की संभावना है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री (श्री राम जेठमलानी): (क) से (घ) राजस्थान उच्च न्यायालय में 24.11.1999 को स्थायी/अतिरिक्त न्यायाधीशों के स्वीकृत 32 पदों में से 20 पर स्थायी न्यायाधीश पदासीन थे और स्थायी/अतिरिक्त न्यायाधीशों की 12 रिक्तियां भरी जानी थी।

राजस्थान उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की विद्यमान रिक्तियों को भरने के लिए संबद्ध सांविधानिक प्राधिकारियों के मध्य विचार विमर्श की प्रक्रिया चल रही है। किंतु यह बताना संभव नहीं है कि ये रिक्तियां कब तक भरी जा सकेंगी।

[अनुवाद]

मोबाइल सेल्यूलर टेलीफोन लिंक सुविधा

11. श्री प्रियरंजन दासमुंशी: क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्ष 1999-2000 के दौरान पश्चिम बंगाल के मालदा, रायगंज और इस्लामपुर क्षेत्रों में मोबाइल सेल्यूलर टेलीफोन लिंक सुविधा प्रदान करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार इस प्रयोजन के लिए कोई उपयुक्त टावर लगाने का है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाने का विचार है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) से (घ) वर्ष 1999-2000 के दौरान पश्चिम बंगाल के मालदा, रायगंज तथा इस्लामपुर क्षेत्र में मोबाइल सेल्युलर टेलीफोन संपर्क सुविधाएं प्रदान करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, मैसर्स रिलायंस टेलीकाम लिमिटेड को पश्चिम बंगाल दूरसंचार सर्किल में सेल्यूलर मोबाइल टेलीफोन सेवा के प्रचालन के लिए लाइसेंस दिया गया है। निजी प्रचालकों द्वारा, लाइसेंस के निबंधन तथा शर्तों के अनुसार तथा उनकी अपनी व्यापार योजनाओं के अनुसार सेल्यूलर सेवा प्रदान की जा रही है। अब तक मालदा, रायगंज तथा इस्लामपुर में रिलायंस टेलीकॉम लिमिटेड द्वारा सेल्यूलर सेवा प्रदान नहीं की गई है।

तमिलनाडु में एस.टी.डी./आई.एस.डी./पी.सी.ओ. बूथ

12. श्री सी. कुप्पुसामी: क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान तमिलनाडु में जिलेवार कितने पी.सी.ओ./एस.टी.डी./आई.एस.डी. बूथ स्थापित किए गए;

(ख) राज्य में इस प्रकार के बूथों की मंजूरी प्राप्त करने हेतु कितने आवेदन लंबित हैं; और

(ग) इन आवेदनों को कब तक स्वीकृति प्रदान कर दी जाएगी?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) तमिलनाडु में 50,186 आवेदन-पत्र, एसटीडी/आईएसडी-पीसीओ के आबंटन हेतु लंबित पड़े हैं।

(ग) एसटीडी/आईएसडी-पीसीओ का आवंटन एक सतत प्रक्रिया है, जो पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर चल रही है। एक्सचेंज में अतिरिक्त क्षमता जब भी उपलब्ध हो जाएगी, लंबित आवेदन-पत्र क्रमशः निपटा दिये जायेंगे।

विवरण

गत तीन वर्षों के दौरान, तमिलनाडु में संस्थापित एसएसए-वार (दूरसंचार जिला) एसटीडी/आईएसडी-पीसीओ की संख्या

क्र.सं.	एसएसए का नाम	1996-97	1997-98	1998-99
1	2	3	4	5
1.	कोयम्बटूर	344	78	12
2.	मदुरै	42	3	19
3.	तिरुचिरापल्ली	43	3	4
4.	सलेम	19	351	5

1	2	3	4	5
5.	थानजावूर	12	4	–
6.	वेल्लोर	124	102	–
7.	कुड्डालोर	50	109	5
8.	तिरुनेलवेली	101	146	64
9.	धरमपुरी	42	132	11
10.	नागरकोयली	107	31	202
11.	टुटीकोरीन	80	129	–
12.	कराईकुडी	48	74	–
13.	चेंनगलपट्टू	100	40	160
14.	कुम्बाकोनम	19	–	–
15.	कुनूर	1	–	68
16.	चेन्नई	2546	925	953
17.	इरोडु	122	222	188
18.	विरुद्धनगर	6	100	107

[हिन्दी]

नक्सलवाद

13. श्री ब्रजमोहन राम: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कौन-कौन से राज्य नक्सलवादी गतिविधियों से प्रभावित हैं;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष राज्यवार नक्सलवादी हिंसा की कितनी घटनाएं हुई और उनमें जान और माल की कितनी हानि हुई;

(ग) गत पांच वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष नक्सलवाद से प्रभावित बिहार और अन्य राज्यों को प्रदान की गई आर्थिक सहायता का ब्यौरा क्या है; और

(घ) नक्सलवादी हिंसा से उत्पन्न स्थिति से निपटने हेतु क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) आंध्र प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उड़ीसा नक्सलवादी गतिविधियों से प्रभावित है।

(ख) उपलब्ध रिपोर्टों के अनुसार सूचना निम्न प्रकार से है:

वामपंथी उग्रवादी हिंसा

(घटनाएं/मृत्यु)

	1996	1997	1998
आंध्र प्रदेश	933 (186)	863 (234)	736 (205)
बिहार	564 (320)	470 (325)	373 (206)
मध्य प्रदेश	113 (23)	102 (14)	179 (59)
महाराष्ट्र	39 (11)	35 (9)	43 (13)
उड़ीसा	23 (-)	24 (-)	11 (5)

कोष्ठकों में दी गयी संख्याएं मृत्यु को दर्शाती हैं।

(ग) वर्ष 1994-95 से वर्ष 1998-99 तक के दौरान राज्य पुलिस बलों के आधुनिकीकरण की योजना के तहत प्रभावित राज्यों को जारी की गयी राशि संलग्न विवरण में दिखायी गयी है।

(घ) गृह मंत्रालय ने केन्द्रीय गृह सचिव की अध्यक्षता में एक समन्वय केन्द्र स्थापित किया है और वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित राज्यों के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक इसके सदस्य हैं। लिए गए महत्वपूर्ण निर्णयों में यह है कि राज्यों को एक कार्य योजना तैयार करनी चाहिए जिसमें प्रभावित क्षेत्रों के संबंध में सुरक्षा और विकास पहलुओं पर ध्यान केन्द्रित किया गया हो। अभी तक केवल आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और उड़ीसा से कार्य योजनाएं प्राप्त हुई हैं और उन्हें तदनुसार, योजना आयोग को भेज दिया गया है। वामपंथी उग्रवाद की समस्या से निपटने में राज्यों द्वारा किये गये सुरक्षा संबंधी व्यय की 50% प्रतिपूर्ति के लिए सरकार ने एक स्कीम बनायी है, जिसमें 1.4.96 से 31.3.2001

तक की अवधि कवर है। इस योजना के तहत, अभी तक आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और महाराष्ट्र की राज्य सरकारों को क्रमशः लगभग 10 करोड़ रु., 3.58 करोड़ रु. और 1.96 करोड़ रु. की राशि जारी कर दी गयी है।

विवरण

राज्य पुलिस बलों के आधुनिकीकरण के लिए योजना 1994-95 से 1998-99 तक की अवधि के दौरान विभिन्न राज्य सरकारों को जारी की गयी राशि

(रु. लाखों में)

राज्य का नाम	के दौरान जारी की गई निधियां				
	1994-95	1995-96	1996-97	1997-98	1998-99
आंध्र प्रदेश	104.780	309.560	709.560	1209.560	709.560
बिहार	116.560	308.120	333.120	783.120	633.120
मध्य प्रदेश	287.180	237.820	478.820	387.820	437.820
महाराष्ट्र	125.640	251.290	251.290	शून्य	324.915
उड़ीसा	144.610	104.610	200.00	164.610	104.610

[अनुवाद]

नकद जमा के भुगतान न किये जाने के संबंध में कंपनी लॉ बोर्ड का निर्णय

14. श्री राजैया मल्यालाः क्या **विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री** 6 जुलाई, 1998 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2817 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मैसर्स हेलीयस निगम लिमिटेड के उन अधिकारियों के नाम क्या हैं जो कंपनी के सावधि जमा के रूप में ली गई मूल राशि और ब्याज की राशि का भुगतान न किए जाने के संबंध में कंपनी लॉ बोर्ड (सी.एल.बी.) पूर्वी क्षेत्र कलकत्ता के समक्ष कंपनी की ओर से उपस्थित हुए थे और अब तक दायर किये गये और लंबित मामलों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) वर्ष 1998 और 1999 के दौरान कंपनी लॉ बोर्ड, कलकत्ता द्वारा पारित आदेशों सहित अगली निर्धारित तिथि का ब्यौरा क्या है?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री (श्री राम जेठमलानी): (क) और (ख) कम्पनी विधि बोर्ड की पूर्वी क्षेत्र पीठ के समक्ष मैसर्स हेलीयस निगम लिमिटेड, पटना का कोइ भी निदेशक/अधिकारी उपस्थित नहीं हुआ। सावधि जमा राशि के न लौटाए जाने की शिकायतों की सुनवाई के संबंध में कम्पनी विधि बोर्ड के समक्ष कम्पनी की ओर से एक अधिवक्ता उपस्थित हुए थे।

भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45 क्यू ए के अंतर्गत मैसर्स हेलीयस निगम लिमिटेड के विरुद्ध दायर सभी 160 शिकायतों के बारे में कम्पनी विधि बोर्ड द्वारा दिनांक 7.10.99 को अंतिम रूप से निर्णय किया गया। अब और कोई शिकायत लम्बित नहीं है।

दिनांक 7.10.99 को एक आदेश के द्वारा कम्पनी विधि बोर्ड ने ऊपरनामित कम्पनी को संविदा की गई दर पर अद्यतन ब्याज सहित जमाराशि को निम्न प्रकार से लौटाए जाने तथा शुल्क भरे जाने के निर्देश दिए:

(1) 5,000 रुपये तक के निक्षेप एक किस्त में 31.12.99 तक

(2) 5,000 रुपये से अधिक और 25,000 रुपये तक के निक्षेप दो किस्तों में क्रमश: 31.1.2000 तथा 30.4.2000 तक।

(3) 25,000 रुपये से अधिक के निक्षेप तीन किस्तों में क्रमश: 29.2.2000, 31.5.2000 तथा 31.8.2000 तक।

नए टेलीफोन एक्सचेंजों का खोला जाना

15. श्री हन्नान मोल्लाह: क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को पश्चिम बंगाल के हावड़ा जिले के उलूबेरिया क्षेत्र में नए टेलीफोन एक्सचेंजों के खोले जाने के संबंध में कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं और इस कार्य के कब तक पूरा हो जाने की संभावना है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) और (ख) पश्चिम बंगाल के हावड़ा जिले के उलूबेरिया क्षेत्र में 13 नए एक्सचेंज यथा (गारडियारा, कुलगचिया, भाटोरा, जोयपुर, झांकिरा मोनातोला खालीसानी, बानीवन, बनहरीशपुर, गर-चुमुक, हर्तरिया अथवा उदंग, जयनगर व सिंगती) खोलने संबंधी प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं।

(ग) खालीसानी में पहले से ही टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित किया जा चुका है। जोधपुर उदंग तथा झीकिरा में 31.3.2000 तक नए एक्सचेंज स्थापित करने की सम्भावना है।

ऊपर वर्णित अन्य स्थानों में, यदि इन स्थानों पर टेलीफोनों की पर्याप्त मात्रा में मांग हुई तो आगामी वित्तीय वर्ष में एक्सचेंज खोलने पर विचार किया जाएगा।

इस क्षेत्र में, तीन और एक्सचेंज अर्थात् दसपुर, बंदेरगच्चा तथा नन्तीमुग-कल्याण में चालू वित्त वर्ष में एक्सचेंज खोलने की योजना बनाई गई है।

केरल में एम.सी. मार्ग

16. श्री रमेश चेन्नितला: क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केरल में एम.सी. मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग में बदलने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

जल भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देबेन्द्र प्रधान): (क) जी नहीं।

(ख) इस प्रस्ताव पर निधियों की कमी और इस तथ्य के कारण विचार नहीं किया जा सकता कि एक समानान्तर राष्ट्रीय राजमार्ग मौजूद है।

कोचीन तेल शोधक कारखाना

17. श्री एन.एन. कृष्णदास: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कोचीन तेलशोधक कारखाने द्वारा कोचीन में एक विद्युत परियोजना स्थापित किये जाने संबंधी प्रस्ताव किया गया था;

(ख) यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गई;

(ग) क्या संबंधित मंत्रालयों ने अपनी मंजूरी दे दी है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. पोन्नुस्वामी): (क) जी, हां।

(ख) से (घ) फरवरी, 1997 में सरकार ने परियोजना के विषय में विस्तृत व्यवहार्यता रिपोर्ट (डी एफ आर) तैयार करने हेतु 2.5 करोड़ रुपए व्यय करने के लिए कोचीन रिफाइनरीज लि. (सी आर एल) को प्रथम चरण की स्वीकृति दी थी। कोचीन रिफाइनरीज लि. ने विस्तृत व्यवहार्यता रिपोर्ट सरकार को दिसम्बर, 1997 में प्रस्तुत की। चूंकि परियोजना स्थापित करने के लिए केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सी ई ए) से स्वीकृति अपेक्षित है, इसलिए ऐसी स्वीकृति प्राप्त करने के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डी पी आर) तैयार करने हेतु 10 करोड़ रुपये से कम व्यय करने के लिए सरकार के अनुमोदन की सूचना कोचीन रिफाइनरीज लि. को अप्रैल, 1999 में दी गई थी।

इसके अलावा, इस परियोजना के क्रियान्वयन के लिए कोचीन रिफाइनरीज लि. द्वारा संयुक्त उद्यम भागीदार के रूप में कोचीन अंबलमुगल एनर्जी कंपनी, लार्सन एण्ड टुब्रो तथा केरल राज्य विद्युत परिषद के परिसंघ के चयन के लिए सरकार के अनुमोदन की सूचना कोचीन रिफाइनरीज लि. को नवम्बर, 1998 में दी गई है।

आगे, अक्तूबर, 1999 में, इस शर्त पर कि परियोजनागत निवेश सार्वजनिक निवेश बोर्ड/सरकार द्वारा अनुमोदित हो तथा यह कि संयुक्त उद्यम कंपनी के परिसमापन इत्यादि के कारण प्रत्याशित हानि केवल 10,000 रुपये तक सीमित हो और जिसके लिए अन्य संयुक्त उद्यम भागीदारों द्वारा सहमति हो, कथित परियोजना के क्रियान्वयन के लिए संयुक्त उद्यम कंपनी को तैयार करने हेतु 10 करोड़ रुपये की अनुमोदित विस्तृत परियोजना रिपोर्ट लागत के अंतर्गत परियोजना पूर्व क्रियाकलाप के भाग स्वरूप कोचीन रिफाइनरीज लि. द्वारा 10,000 रुपये के निवेश के लिए सरकार के अनुमोदन की भी सूचना दी गई है।

परियोजना के विषय में कोचीन रिफाइनरीज लि. द्वारा निम्नांकित स्वीकृतियां भी प्राप्त की गई हैं:

(1) दिसम्बर, 1995 में केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण से ''सिद्धान्तत:'' स्वीकृति।

(2) मई, 1999 में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से परियोजना के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति।

सुपर हाइवे का निर्माण

18. श्री मोइनुल हसन: क्या जल भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यक्रम के अंतर्गत उत्तर-दक्षिण और पूर्व-पश्चिम के बीच सुपर हाइवे के निर्माण के मामले में कितनी प्रगति हुई है;

(ख) क्या उक्त राजमार्ग विकास कार्यक्रम में भारतीय निर्माण कम्पनियां भी हिस्सा ले रही हैं;

(ग) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग विकास प्राधिकरण को इस कार्य हेतु कितनी धनराशि उपलब्ध कराई गई है और इस धनराशि का स्रोत क्या है; और

(घ) अभी तक पेट्रोल और डीजल पर लेवी लगाकर उपकर के रूप में कितनी धनराशि एकत्रित कर भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को उपलब्ध कराई गई है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देवेन्द्र प्रधान): (क) राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के अधीन उत्तर-दक्षिण और पूर्व-पश्चिम राजमार्गों से संबंधित कार्य शुरू किया जा चुका है। 670 करोड़ रु. की लागत से 220 कि.मी. लम्बाई के प्रोन्नयन का ठेका पहले ही दे दिया गया है।

(ख) जी हां।

(ग) कार्यान्वित किये जा रहे कार्यक्रमों के लिए भा.रा.रा.प्रा. के पास पर्याप्त निधियां उपलब्ध हैं। निधियां भारत सरकार द्वारा निवेश के जरिए भा.रा.रा.प्रा. को बजटीय अनुदानों से प्रदान की जाती हैं।

(घ) भा.रा.रा.प्रा. को आबंटन समर्पित कोष के सृजन के पश्चात् किया जा सकता है।

जहाजरानी उद्योग का पुनरुद्धार

19. श्री चन्द्रकांत खैरे: क्या जल भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इस समय जहाजरानी उद्योग की स्थिति अच्छी नहीं है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) जहाजरानी उद्योग के पुनरुद्धार के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

जल भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देवेन्द्र प्रधान): (क) से (ग) जी नहीं। तथापि, पोत परिवहन एक आवर्ती उद्योग होने के कारण समस्त विश्व में व्यापार और वाणिज्य के मौजूदा रुख से प्रभावित होता है। इस समय यह मंदी के दौर से गुजर रहा है और इसका भाड़ा बाजार में मंदा है।

पोत परिवहन उद्योग की वृद्धि और विकास पर निरंतर बल देने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों में जहाज अधिग्रहण के लिए स्वत: अनुमोदन शुरू करना, बड़े जलयानों के आयात को ओ जी एल में रखना, पुराने जलयानों के अधिग्रहण के लिए आयु मानदंडों में छूट देना और अंतर्राष्ट्रीय परस्पर व्यापार में तैनाती के लिए भारतीय जहाजों को विदेशी कम्पनियों को टाइम चार्टर आउट करने की स्वतंत्रता देना शामिल है। सरकार ने राष्ट्रीत पोत परिवहन नीति तैयार करके एक दीर्घकालिक संदर्श योजना तैयार करने के लिए भी शुरू कर दी है।

[हिन्दी]

कुल्लू में राष्ट्रीय हिमालयन पार्क

20. **श्री महेश्वर सिंह:** क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में रोला स्थान पर ग्रेट नेशनल हिमालयन पार्क स्थापित करने में कितनी प्रगति हुई है;

(ख) क्या गांवों के विस्थापित लोगों को पुनर्स्थापित करने का कार्य पूरा हो चुका है;

(ग) यदि हां, तो उक्त कार्य किस तारीख को पूरा हो गया था;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और इसके कब तक पूरा हो जाने की संभावना है; और

(ङ) उक्त पार्क को स्थापित करने में कितनी धनराशि दी गयी?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी): (क) ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय पार्क, कुल्लू की अंतिम अधिसूचना, हिमाचल प्रदेश सरकार की दिनांक 28 मई, 1999 की अधिसूचना सं. एफ एफ ई-बी-एफ (3)-2/99 के तहत जारी कर दी गई है।

(ख) कलैक्टर के अधिनिर्णय में केवल मुआवजा अदायगी की बात कही गई है और उसमें किसी प्रकार का विस्थापन शामिल नहीं है।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठते।

(ङ) अधिनिर्णय में क्षतिपूर्ति की निर्धारित की गई राशि 1,55,18,023 रुपए है।

[अनुवाद]

प्राइवेट कम्पनियों के लिए छोटी सड़क परियोजनाएं

21. **श्री रामचन्द्र वीरप्पा:** क्या **जल भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान कर्नाटक में बाईपास और सड़क उपरिपुल जैसी कितनी छोटी परियोजनाएं निजी कम्पनियों को सौंपी गई हैं;

(ख) इन परियोजनाओं में कुल कितनी धनराशि अंतर्ग्रस्त है और इस समय कितने प्रस्ताव लम्बित हैं; और

(ग) इन परियोजनाओं को निजी कम्पनियों को सौंपने के लिए क्या मानदंड अपनाये गये हैं?

जल भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देवेन्द्र प्रधान): (क) एक परियोजना अर्थात् हुबली-धारवाड़ बाइपास का निर्माण।

(ख) इस परियोजना की अनुमानित लागत लगभग 68 करोड़ रु. है।

(ग) परियोजनाएं प्रतियोगी निविदाओं के आधार पर सौंपी जाती हैं और बोलीदाता का चयन प्रयोक्ता के लिए न्यूनतम लागत के सिद्धांत पर किया जाता है।

मुकदमों का निपटान

22. **श्री त्रिलोचन कानूनगो:** क्या **विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) प्रत्येक उच्च न्यायालय में प्रति न्यायाधीश प्रतिदिन औसतन कितने मुकदमों का निपटान किया जाता है;

(ख) क्या उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा मुकदमों का निपटान हेतु कोई निर्धारित मानदंड हैं; और

(ग) यदि हां, तो वर्ष 1998-99 में कितने न्यायाधीश इन मानदंडों का पालन करने में विफल रहे?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री (श्री राम जेठमलानी): (क) और (ग) सरकारी द्वारा ऐसी कोई जानकारी नहीं रखी जाती है।

(ख) उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों द्वारा मामलों के निपटान के लिए कोई नियत सन्नियम नहीं हैं। तथापि, उपलब्ध जानकारी के अनुसार, 1977 के दौरान, प्रति न्यायाधीश मामलों के पिनटान की औसत दर 1697 मुख्य मामले थी।

इलैक्ट्रॉनिक टेलीफोन एक्सचेंज

23. श्री माणिकराव होडल्या गावीत: क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में इस समय राज्यवार कितने इलैक्ट्रानिक और गैर-इलैक्ट्रानिक टेलीफोन एक्सचेंज कार्य कर रहे हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार इन सभी गैर-इलैक्ट्रानिक टेलीफोन एक्सचेंजों को इलैक्ट्रानिक एक्सचेंजों में बदलने का है;

(ग) यदि हां, तो राज्यवार और संघ राज्य क्षेत्रवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इन पर कितनी धनराशि के व्यय हो जाने की संभावना है और उक्त कार्य तब तक पूरा कर लिया जाएगा?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) इस समय देश में 24604 इलैक्ट्रानिक तथा 15 गैर-इलैक्ट्रॉनिक एक्सचेंज काम कर रहे हैं। राज्य-वार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) और (ग) जी हां।

संघ-राज्य क्षेत्रों में कार्यरत एक्सचेंज इलैक्ट्रानिक हैं। उन स्थानों की राज्यवार सूची संलग्न विवरण में दी गई है, जहां गैर-इलैक्ट्रानिक एक्सचेंज काम कर रहे हैं।

(घ) उन पर 74.0 करोड़ रु. की धनराशि व्यय करने की संभावना है तथा कार्य के 31.3.2000 तक पूरे हो जाने की संभावना है।

विवरण

क्रम सं.	राज्य का नाम	इलैक्ट्रानिक टेलीफोन एक्सचेंजों की संख्या	गैर-इलैक्ट्रानिक एक्सचेंजों की संख्या	वे स्थान जहाँ गैर-इलैक्ट्रानिक एक्सचेंज काम कर रहे हैं	संभावित व्यय की धनराशि करोड़ रु. में
1	2	3	4	5	6
1.	* आंध्र प्रदेश	2237	1	हैदराबाद	7.0
2.	अरुणाचल प्रदेश	81	–	–	–
3.	असम	378	–	–	–
4.	बिहार	901	–	–	–

1	2	3	4	5	6
5.	दिल्ली	172	–	–	–
6.	गोवा	75	–	–	–
7	गुजरात	1782	5	अहमदाबाद (2 एक्सचेंज) राजकोट, बड़ोदा, सूरत	22.76
8.	हरियाणा	849	–	–	–
9.	हिमाचल प्रदेश	651	–	–	–
10.	जम्मू और कश्मीर	265	–	–	–
11.	कर्नाटक	2261	1	बेंगलूर	9.25
12.	केरल (लक्षद्वीप सहित)	857	1	त्रिवेंद्रम	7.34
13.	मध्य प्रदेश	2791	1	जबलपुर	7.0
14.	महाराष्ट्र	2243	4	अमरावती, सतारा, धुलिया, मालेगांव	15.63
15.	मणिपुर	33	–	–	–
16.	मेघालय	54	–	–	–
17.	मिजोरम	46	–	–	–

1	2	3	4	5	6
18.	नागालैंड	37	–	–	–
19.	उड़ीसा	802	–	–	–
20.	पंजाब	1121	1	मंडी-गोबिंदगढ़	2.31
21.	राजस्थान	1809	1	जयपुर (शहरी)	3.61
22.	सिक्किम	36	–	–	–
23.	तमिलनाडु (पांडिचेरी सहित)	1641	–	–	–
24.	त्रिपुरा	55	–	–	–
25.	उत्तर प्रदेश	2402	–	–	–
26.	पश्चिम बंगाल (अंडमान और निकोबार सहित)	1025	–	–	–
	जोड़	24604	15		74.9 करोड़

नक्सलियों द्वारा दूरसंचार भवनों को क्षति

24. श्री अमर रायप्रधान: क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नक्सलियों ने कुछ राज्यों में दूरसंचार भवनों को बम से उड़ा दिया;

(ख) यदि हां, तो राज्यवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों के दौरान सरकार को तत्परिणामस्वरूप कुल कितनी क्षति हुई; और

(ग) सरकार ने इन एक्सचेंजों की सुरक्षा के लिए क्या कदम उठाए हैं?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) आंध्र प्रदेश राज्य के दूरसंचार भवन नक्सलियों द्वारा ध्वस्त कर दिया गया है।

(ख) जानकारी संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) आंध्र प्रदेश राज्य में इन एक्सचेंजों की सुरक्षा करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:

1. ऐसे क्षेत्रों में एक्सचेंज की सुरक्षा राज्य की पुलिस द्वारा की जाती है।

2. पुलिस स्टेशनों के पास स्थित भवनों में क्षतिग्रस्त टेलीफोन एक्सचेंजों को फिर से लगाया जा रहा है।

विवरण

आंध्र प्रदेश दूरसंचार

पिछले तीन वर्षों के दौरान नक्सलाइटों द्वारा क्षति पहुँचाए गए एक्सचेंजों की सूची

क्र.सं.	एसएसए/एक्सचेंज का नाम	एक्सचेंज की किस्म	क्षमता	क्षतिग्रस्त होने की तारीख	क्षति की लागत
1	2	3	4	5	6
1.	येल्लारेड्डी	पीएएम	200	04/11/96	100000
2.	सेतीपल्ली	64 पीएमआईएलटी	56	04/13/96	407050
3.	गोवाराम	256 पी सी-डाट	184	04/15/96	1665000
4.	गुट्टापल्ली	मैक्स	25	05/04/96	43100
5.	भूपालपल्ली	256 पी सी-डाट	184	05/13/96	10000
6.	वेन्नामपल्ली	64पी एमआईएल टी	56	06/09/96	337000
7.	सी सी काम्पलैक्स	2 × 256पी सी-डाट	336	07/21/96	1000000
8.	इंगूरथी	64 पी एमआईएल टी	56	07/30/96	313000
9.	चेलपुर	मैक्स	25	08/07/96	183000
10.	निजामबाड़ा	मैक्स	25	09/07/96	198000

1	2	3	4	5	6
11.	नेरेल्ला	64पी एमआईएलटी	56	09/22/96	161000
12.	गणेपल्ली	64पी-एमआईएलटी	56	06/01/97	382000
13.	कोयलागुड़म	256पी सी-डॉट	184	01/14/97	947000
14.	वीपनागंडला	64पी एमआईएलटी	56	02/24/97	450700
15.	टुनीका कालसा	64पी एमआईएलटी	56	03/18/97	265000
16.	भामिनी	64पी एमआईएलटी	56	03/30/97	339100
17.	वारनी	256पी सी-डॉट	184	04/24/97	1157000
18.	नरासंघी	256पी सी-डाट	184	04/29/97	586500
19.	राजमपेट	256पी सी-डाट	184	05/09/97	700000
20.	बचन्नापेट	256पी सी-डाट	184	05/12/97	1232899
21.	दौलताबाद-II	64पी एमआईएलटी	56	06/02/097	663000
22.	गांधारी	128पी सी-डाट	88	06/02/97	800000
23.	सीतामपेट	64पी एमआईएलटी	56	06/02/97	630000
24.	पेनगोंडा	64पी एमआईएलटी	56	06/02/97	225000
25.	एमपीआर डाम	64पी एमआईएलटी	56	06/10/97	800000

1	2	3	4	5	6
26.	कनागई	128पी सी-डाट	88	06/21/97	780000
27.	मसाईपेट	256पी सी-डॉट	184	06/28/97	160000
28.	कोलानूर	64पी एमआईएलटी	56	12/29/97	500000
29.	कोदीमयाल	256पी सी-डॉट	184	01/16/98	1562000
30.	आत्माकुर	64पी एमआईएलटी	56	02/14/98	350000
31.	हुडडेडा	128पी सी-डाट	88	04/21/98	746100
32.	रामाईपल्ली	64पी एमआईएलटी	56	04/29/98	350000
33.	गोविन्दरावपेट	128पी सी-डॉट	88	05/04/98	1161000
34.	कोथापल्ली	64पी एमआईएलटी	56	05/09/98	450000
35.	हिरामंडलम	2×256 पी सी-डाट	280	05/12/98	7162500
36.	कदथल	256पी सी-डाट	184	08/06/98	3000000
37.	कोसीमपल्ली	128पी सी-डॉट	88	08/25/98	375000
38.	मामीडाला	256पी सी-डाट	184	08/28/98	35000

1	2	3	4	5	6
39.	आर वी नागरपल्ली	64पी एमआईएलटी	56	08/29/98	410000
40.	मुलकानूर	2×256पी सी-डॉट	336	09/06/98	500000
41.	देवापुर (टी)	64पी एमआईएलटी	56	10/27/98	530000
42.	इन्दरथी	64पी एमआईएलटी	56	11/12/98	500000
43.	गुंडरामपल्ली	256पी सी-डॉट	184	12/11/98	1200000
44.	पेरूर	64पी एमआईएलटी	56	03/13/99	580000
	कुल		4995		33946940

आंध्र प्रदेश में गैस भण्डार

25. श्री ए. ब्रह्मनैया: क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) तेल और प्राकृतिक गैस निगम ने आंध्र प्रदेश में कुल कितने गैस भण्डार का अनुमान लगाया है;

(ख) क्या तेल और प्राकृतिक गैस निगम आंध्र प्रदेश में गैस की खोज समयबद्ध रूप से नहीं कर रहा है; और

(ग) यदि हां, तो राज्य में तेल और प्राकृतिक गैस निगम की गतिविधियों की निगरानी की क्या व्यवस्था है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. पोन्नुस्वामी): (क) आयल एण्ड नेचुरल गैस कारपोरेशन लिमिटेड (ओ एन जी सी) द्वारा अनुमान लगाया गया है कि आंध्र प्रदेश में गैस के शेष निकासी योग्य भण्डार 1 अप्रैल, 1999 को 37.35 बिलियन घन मीटर (बी सी एम) है।

(ख) और (ग) आयल एण्ड नेचुरल गैस कारपोरेशन आंध्र प्रदेश के कृष्णा-गोदावरी बेसिन में तेल एवं गैस के अन्वेषण के लिए समयबद्ध कार्यक्रम का अनुसरण करता है। आयल एण्ड नेचुरल गैस कारपोरेशन द्वारा इस अन्वेषण कार्यक्रम की परियोजना क्षेत्र तथा मुख्यालय स्तर पर आवधिक पुनरीक्षाओं के जरिए तथा अन्वेषण बोर्ड बैठकों के जरिए अनवरत रूप से निगरानी की जाती है।

डीजल की कीमतों में वृद्धि

26. श्री ए.सी. जोस: क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने अभी हाल ही में डीजल और एल पी जी की कीमतों में वृद्धि की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या तेल की अन्तरराष्ट्रीय कीमतों में और वृद्धि को ध्यान में रखते हुए केन्द्र सरकार ने इस माह के अन्त तक डीजल की कीमतों पर पुनर्विचार करने का निर्णय लिया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. पोन्नुस्वामी): (क) और (ख) 6 अक्तूबर, 1999 से डीजल का भण्डारण स्थल तक प्रति किलोलीटर मूल्य 6882.15 रुपए से बढ़ाकर 9634.60 रुपए प्रति किलोलीटर कर दिया गया है। खुदरा बिक्री मूल्य में वृद्धि भाड़े, स्थानीय करों तथा अन्य उद्ग्रहणों के आधार पर हर राज्य के लिए अलग अलग होती है।

(ग) और (घ) सरकार की वर्तमान अनुमोदित नीति के अनुसार एच एस डी का भण्डारण स्थल तक का मूल्य पिछले मूल्य संशोधन से 30-60 दिनों की अवधि के भीतर सामान्यतया आयात समता पर नियत किया जाना है।

[हिन्दी]

जाम नगर में टेलीफोन कनेक्शन

27. श्री चन्द्रेश पटेल: क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गुजरात के जाम नगर जिले में अक्तूबर 99 के अनुसार कितने एस.टी.डी./आई.एस.डी./पी.सी.ओ. बूथ चल रहे हैं;

(ख) वर्ष 1999-2000 के दौरान उक्त जिले में स्थानवार कितने दूरभाष केन्द्रों के लगाये जाने की संभावना है;

(ग) जिले में वर्तमान में कितने लोग टेलीफोन कनेक्शन के लिए प्रतीक्षा सूची में हैं;

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान जिले में कितने टेलीफोन कनेक्शन आवंटित किये गये; और

(ङ) वर्ष 1999-2000 और 2000-2001 के दौरान कितने टेलीफोन कनेक्शन दिये जाने की संभावना है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) जाम नगर में अक्तूबर 1999 की स्थिति के अनुसार कुल 1139 एसटीडी/आईएसडी/पीसीओ बूथ कार्य कर रहे हैं। इनका एक्सचेंज वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) इस समय, संलग्न विवरण में किए गए उल्लेख के अनुसार 1999-2000 के दौरान अतिरिक्त एसटीडी/आईएसडी/पीसीओ संस्थापित करने का प्रस्ताव है।

(ग) जामनगर जिले में टेलीफोन कनेक्शन के लिए 5148 व्यक्ति प्रतीक्षा सूची में ।

(घ)	वर्ष	प्रदान किये गये कनेक्शन
	1996-97	4507
	1997-98	3664
	1998-99	9807

(ङ)	वर्ष	लक्ष्य
	1999-2000	10,000
	2000-2001	9,000

विवरण

एक्सचेंज/केन्द्र का नाम	कार्यरत एसटीडी पीसीओ की संख्या	1999-2000 के लिए एसटीडी पीसीओ का वर्तमान प्रस्ताव
1	2	3
बालाचाडी	02	–
बलम्भा	01	01
धोल	22	02
जोडिया	11	–
झालावाड	16	22
अलियावाडा	02	–
लालपुर	09	11

1	2	3
मोती भानुगर	02	–
मोती खावड़ी	16	01
नघेड़ी	02	–
सिक्का	50	05
भातिया	09	06
कल्याणपुर	01	05
जाम खम्भलिया	58	14
जाम रावल	06	02
सलाया	08	03
वादिनार	10	04
भानवाड	21	17
जाम जोधपुर	25	09
वेराड	01	–
द्वारका	45	11
मीठापुर	32	23
ओखा	36	04
जामनगर	754	100
कुल	1139	240

[अनुवाद]

आंध्र प्रदेश में सी.एन.जी. सुविधाएं

28. प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु: क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय गैस प्राधिकरण लिमिटेड को आंध्र प्रदेश में और सी.एन.जी. सुविधा केन्द्र स्थापित करने के बारे में अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारतीय गैस प्राधिकरण लिमिटेड ने अपने स्वयं के सी.एन.जी. प्रभाग को समुचित रूप से व्यवस्थित नहीं किया है; और

(घ) यदि हां, तो राज्य में सी.एन.जी. प्रचालन को सुचारू रूप से चलाने के लिए क्या कदम उठाए जाने का विचार है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. पोन्नुस्वामी): (क) और (ख) जी हां। पश्चिम गोदावरी जिले के 8 म्युनिसिपल कस्बों में और पूर्व गोदावरी जिले में 2 म्यूनिसिपल कस्बों और आसपास के क्षेत्रों में गोदावरी बेसिन में उपलब्ध प्राकृतिक गैस का उपयोग करने के लिए सी एन जी के खुदरा बिक्री केन्द्र खोलने हेतु गैस अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड को सदस्य, राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा परिषद, आंध्र प्रदेश से एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है।

(ग) से (घ) संपीड़ित प्राकृतिक गैस (सी एन जी) सुविधाओं के सृजन के लिए ऐसे क्षेत्र में गैस वितरण नेटवर्क की आवश्यकता है जहां ऐसी परियोजनाएं खोली जानी हैं। फिलहाल के जी बेसिन क्षेत्र में गैस अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड की कोई नगर गैस वितरण परियोजना नहीं है।

[हिन्दी]

एल.पी.जी. डीलरों द्वारा अभियमितताएं

29. श्री हरिभाई चौधरी: क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान अनियमितताएं बरतने के आरोपी कितने एलपीजी वितरकों के विरुद्ध सरकार ने कोई कार्यवाही नहीं की है;

(ख) इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या वितरकों के विरुद्ध कार्यवाही करने के बावजूद अनियमितताएं निरन्तर बढ़ रही हैं और यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. पोन्नुस्वामी): (क) से (ग) एल पी जी वितरकों का नियमित निरीक्षण विभिन्न स्तरों पर तेल कम्पनियों के अधिकारियों द्वारा किये जाते हैं। यदि कोई वितरक कदाचार/अनियमितताओं में लिप्त पाया जाता है तो सिद्ध कदाचार/अनियमितता के लिए प्रचलित विपणन अनुशासन दिशानिर्देशों/डिस्ट्रीब्यूटरशिप करार के अनुसार ऐसे वितरक के विरुद्ध कार्रवाई आरम्भ की जाती है। पिछले तीन वर्षों के दौरान एल पी जी वितरण केन्द्रों पर किए गए निरीक्षणों का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

वर्ष	आयोजित निरीक्षण	पाई गई अनियमितताएं/निरीक्षण	की गई कार्रवाई	लगाए गए जुर्माने (रुपए)
1996-97	24471	922	898	1064600
1997-98	25373	844	828	1827091
1998-99	19326	613	512	1632000

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि एल पी जी डिस्ट्रीब्यूटरों की अनियमितताओं/कदाचारों की घटनाओं में पिछले तीन वर्षों में कमी आई है।

[अनुवाद]

उत्तरांचल में पारिस्थितिकीय तथा पर्यावरणीय संरक्षण

30. श्री नारायण दत्त तिवारी: क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को उत्तर प्रदेश में उत्तरांचल के झील क्षेत्र की पारिस्थितिकीय तथा पर्यावरणीय संरक्षण हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को इस संबंध में संयुक्त राष्ट्र अथवा अमरीका अथवा किसी अन्य देश की पर्यावरण संबंधी एजेंसी अथवा एजेंसियों से कोई अनुदान अथवा सहायता प्राप्त हुए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी): (क) और (ख) जी, हां। राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश सरकार से 46.35 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से राष्ट्रीय झील संरक्षण संबंधी एक पूर्व संभाव्यता रिपोर्ट प्राप्त हुई है। तथापि, राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना अभी तक मंजूर नहीं की गई है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

राजस्थान में दूरसंचार सुविधा

31. कर्नल (सेवानिवृत्त) सोना राम चौधरी: क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राजस्थान में विशेषकर जैसलमेर, बनीयाना, फालेसुंद, फतेहगढ़ जिलों में उपलब्ध कराई गई दूरसंचार सेवाएं अविश्वसनीय और खराब हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) सरकार द्वारा उक्त जिलों में एस.टी.डी. सुविधा उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं;

(घ) क्या सरकार का राजस्थान में रामगढ़, मोहनगढ़, चांदन, रामदेवरा, फोलसुंद नचना जिलों में विद्यमान ओपन वायर सिस्टम के स्थान पर उपग्रह प्रणाली के जरिए एस.टी.डी. सुविधा और इसके लिए आवश्यक सामग्री और मशीन उपलब्ध कराने का कोई प्रस्ताव है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) उक्त कार्य कब तक पूरा हो जाने की संभावना है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) जी, नहीं।

(ख) उपर्युक्त (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जैसलमेर जिले में 20 में से 7 केन्द्र एसटीडी सुविधायुक्त हैं। विश्वसनीय माध्यम उपलब्ध हो जाने के बाद शेष 13 स्टेशनों पर एसटीडी सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। फालेसुंद में एमसीपीसी (मल्टी चैनल पर कैरियर) संस्थापित किया गया है तथा इसके मार्च 2000 तक चालू होने की संभावना है। फतेहगढ़ औरबनीयाना में मार्च, 2000 तक ऑप्टिकल फाइबर केबल प्रणाली चालू किये जाने की संभावना है। इन स्टेशनों को यथा-उपर्युक्त, विश्वसनीय माध्यम उपलब्ध होने पर एसटीडी सुविधा मुहैया करा दी जाएगी।

(घ) से (च) जी, हां। फालेसुंद, रामगढ़, मोहनगढ़ तथा नचना में एससीपीसी (मल्टी चैनल पर कैरियर) संस्थापित किया गया है तथा इनके मार्च, 2000 तक चालू होने की संभावना है। रामदेवरा और चांदन में 2000-2001 में आप्टिकल फाइबर केबल की योजना है और इसके मार्च, 2001 तक पूर्ण होने की सम्भावना है।

मदुरै में चेन्नई उच्च न्यायालय की खंडपीठ

32. श्री टी.टी.वी. दिनाकरन: क्या विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मदुरै के समीप उलगनेरी स्थित मद्रास उच्च न्यायालय की खंडपीठ के भवन-निर्माण का कार्य शुरू हो चुका है;

(ख) क्या इस उद्देश्य के लिए राज्य सरकार द्वारा धनराशि आबंटित नहीं की गयी है; और

(ग) यदि हां, तो इस खंडपीठ को यथाशीघ्र स्थापित करने के लिए केन्द्र द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री (श्री राम जेठमलानी): (क) से (ग) मद्रास उच्च न्यायालय ने, 31 अगस्त, 1995 की अपनी पूर्ण न्यायालय बैठक में, अवसंरचना, आदि से संबंधित कतिपय शर्तों को पूरा करने पर मदुरै में उच्च न्यायालय की सर्किट न्यायपीठ स्थापित किये जाने के लिए सिद्धांत रूप से प्रस्ताव पारित किया था। तमिलनाडु सरकार ने अगस्त, 1998 में यह सूचित किया था कि मदुरै में उच्च न्यायालय की न्यायपीठ स्थापित करने के लिए 75 एकड़ भूमि के अर्जन की कार्यवाहियां लगभग पूरी हो चुकी हैं और इस प्रयोजन के लिए 2.5 करोड़ रुपये की राशि मंजूर की गई है। इस प्रकार मदुरै में, उच्च न्यायालय की न्यायपीठ शीघ्र स्थापित करने का कार्य तमिलनाडु सरकार और मद्रास उच्च न्यायालय का है।

[हिन्दी]

एफ.आई.आर. का पंजीकरण

33. श्री अशोक प्रधान:
श्री राजनारायण पासी:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली में विशेषरूप से पूर्वोत्तर पुलिस जिले में पुलिस द्वारा कई मामलों में एफ.आई.आर. दर्ज नहीं की जाती है;

(ख) यदि हां, तो दिल्ली पुलिस आयुक्त और दिल्ली में विभिन्न जिलों के पुलिस उपायुक्त और स्टेशन हाऊस अधिकारियों द्वारा पुलिस स्टेशनों में एफ.आई.आर. को दर्ज करने के बारे में 1.1.99 से 10.11.99 तक माननीय संसद सदस्यों/नागरिकों से कुल कितने अनुरोध प्राप्त हुए;

(ग) कितने अनुरोधों को रद्द किया गया और उनके क्या कारण हैं;

(घ) दिल्ली में एफ.आई.आर. को दर्ज करने के लिए पुलिस द्वारा क्या मानदण्ड अपनाए जा रहे हैं; और

(ङ) क्या केन्द्र सरकार का विचार इन मानदण्डों का कड़ाई से अनुपालन करवाने के लिए दिल्ली पुलिस को दिशा-निर्देश जारी करने का है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) और (ख) जी नहीं, श्रीमान्। वास्तव में, वर्ष 1999 के दौरान (30.10.99 तक) दिल्ली पुलिस ने 58,998 प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की, जिसमें से 4163 प्र.सू.रि. पूर्वोत्तर जिला पुलिस द्वारा दर्ज की गई। तथापि, दिल्ली पुलिस को 1.1.99 से 10.11.1999 तक की अवधि के दौरान माननीय संसद सदस्यों/नागरिकों से उनकी शिकायतों को प्रथम सूचना रिपोर्ट के रूप में दर्ज करने के 1914 अनुरोध प्राप्त हुए।

(ग) जिला-वार प्राप्त हुए ऐसे अनुरोधों की संख्या तथा अस्वीकृत किये गये अनुरोधों की संख्या, संलग्न विवरण में दी गई है।

जब यह पाया जाता है कि शिकायतें सिविल स्वरूप की हैं तथा इससे कोई संज्ञेय अपराध नहीं बन सकता अथवा मामला शांति भंग करने की आशंका से संबंधित है जिसके लिए आवश्यक निवारात्मक कार्रवाई कर ली गई है अथवा शिकायतों में कोई वास्तविकता नहीं पाई जाती, तो अनुरोधों को रद्द कर दिया जाता है।

(घ) से (ङ) प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने के लिए मानदण्ड, दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 154 में पहले ही निर्धारित हैं, जिसमें यह व्यवस्था है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट, किसी संज्ञेय अपराध के किए जाने की सूचना प्राप्त होने पर ही दर्ज की जाएगी।

विवरण

	माननीय संसद सदस्यों/ नागरिकों से प्राप्त हुए अनुरोधों की संख्या	अस्वीकृत/फाईल किए गए अनुरोधों की संख्या	जांच के बाद दर्ज की गई प्र.सू.रि. की संख्या	पूछताछ हेतु लम्बित शिकायतों की संख्या
	1	2	3	4
नई दिल्ली	27	20	7	शून्य
उत्तर-पूर्व	406	391	15	शून्य
पूर्वी	281	234	12	35
उत्तरी	14	9	5	शून्य
उत्तर-पश्चिम	89	54	35	शून्य

	1	2	3	4
केन्द्रीय	22	14	4	4
दक्षिणी	887	726	161	शून्य
दक्षिण-पश्चिम	26	12	13	1
पश्चिम	86	21	63	2
इं.गा. हवाई अड्डा	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
अपराध और रेलवे	63	शून्य	शून्य	63
सतर्कता	13	4	3	6
जोड़	1914	1485	318	111

चूककर्ता कम्पनियों के विरुद्ध कार्रवाई

34. **श्री अब्दुल रशीद शाहीन:**
डा. मदन प्रसाद जायसवाल:

क्या **विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या शेयर धारकों के हितों की रक्षा के संबंध में कम्पनियों के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों की जांच करने के बाद पिछले तीन वर्षों के दौरान इस संबंध में कोई कार्रवाई की गई है;

(ख) यदि हां, तो वे कम्पनियां कौन सी हैं जिनके विरुद्ध कार्रवाई की गई है और उक्त अवधि के दौरान तथा उक्त तिथि को की गई कार्रवाई की प्रकृति क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री (श्री राम जेठमलानी): (क) से (ग) कम्पनी कार्य विभाग में एक निवेशक संरक्षण सेल है जो आवेदन राशि की गैर-वापसी, आबंटन/अन्तरण के बाद शेयरों की गैर-प्राप्ति तथा लाभांश वारंटों आदि की गैर-प्राप्ति से संबंधित शिकायतों पर कार्रवाई करता है। इस प्रकार की सभी शिकायतों की पावती भेजी जाती है और पूर्णत: कम्प्यूटरीकृत प्रणाली द्वारा शीघ्र निपटान हेतु संबंधित कम्पनियों के साथ कार्रवाई की जाती है।

विभाग ने पिछले तीन वर्षों के दौरान कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 73 (शेयरों तथा डिबेंचरों का आबंटन), धारा 113 (सर्टीफिकेट जारी करने की समय सीमा) तथा धारा 205/207 (लाभांश का गैर-भुगतान) के अंतर्गत 325 चूककर्ता कम्पनियों के विरुद्ध शास्तिक कार्रवाई शुरू करने के लिए कम्पनी रजिस्ट्रारों को निर्देश दे दिए हैं। इन कम्पनियों के नाम संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

इसके अतिरिक्त, कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 209क के अंतर्गत 1996-97 के दौरान 135 मामलों में, 1997-98 के दौरान 187 मामलों में तथा 1998-99 के दौरान 127 मामलों में शिकायत के आधार पर या स्वप्रेरणा से कम्पनियों का निरीक्षण करने का आदेश दिया गया था। निरीक्षण के दौरान नोट किए गए उल्लंघनों के लिए आवश्यक कानूनी कार्रवाई भी शुरू की गई।

विवरण

उन कम्पनियों के नाम जिनके विरुद्ध पिछले तीन वर्षों के दौरान कम्पनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत शास्तिक कार्रवाई के आदेश दिये गये हैं

1996-97

1. मै. डायनामैटिक फॉरजिंग इंडिया लि.
2. मै. रेवती फिस्कल सर्विसेज लि.
3. मै. हनिल ऐरा टेक्सटाइल्स लि.
4. मै. बम्बई सिल्क मिल्स लि.
5. मै. बोनन्जा ड्रग एंड केमि. लि.
6. मै. सीटीकोर्प सिक्यूरिटी एंड इन्वे. लि.
7. मै. कन्सटाफी इन्डस्ट्रीज लि.
8. मै. एन्सा स्टील्स एंड डवलपर्स लि.
9. मै. ग्लेक्टेलेजर (इंडिया) लि.
10. मै. लिब्रा फिलामेन्ट्स लि.
11. मै. लीला पैकेजिंग्स लि.
12. मै. वत्स इंडस्ट्रीज लि.
13. मै. विडियोकोन इन्टरनेशनल लि.
14. मै. नाथ पल्प एंड पेपर मिल्स लि.
15. मै. ओरके इन्डस्ट्रीज लि.
16. मै. इस्टरलाइट इंडस्ट्रीज (इंडिया) लि.
17. मै. रेमन्ड लि.
18. मै. सरलक्स मेडिक्यूप लि.
19. मै. जी टेलीफिल्म्स लि.
20. मै. सीपिंग ग्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कोआपरेटिव (आई) लि.
21. मै. सिमको इन्डस्ट्रीज लि.
22. मै. सुकरा डायमन्ड एक्सपर्टस लि.
23. मै. विक्रान्त प्रोजैक्ट्स लि.
24. मै. पर्ल ओर्गेनिक्स लि.
25. मै. टीम लेबोरेट्रीज लि.
26. मै. एस एल एम मणिकलाल इन्डस्ट्रीज लि.
27. मै. इन्डो अमेरिकन आपटिक्स लि.
28. मै. गुजरात डिहेड फुड्स लि.
29. मै. गुजरात सस्पेन्सन लि.
30. मै. कैनल आयल एंड एक्सपर्ट्स इन्डस्ट्रीज लि.
31. मै. डायनाकैम्प फार्मेस्यूटिकल्स एक्सपर्ट्स लि.

32. मै. सोनल कास्मेटिक्स एक्सपर्ट्स लि.

33. मै. देवरिया इन्टरमीडिएट्स लि.

34. मै. गुजरात बोक्ससाइट लि.

35. मै. गुजरात इन्डोल्यूब लि.

36. मै. गुजरात टेलीफोन केबल्स लि.

37. मै. गुजरात कानकास्ट लि.

38. मै. बेन्जो पेट्रो इन्टरनेशनल लि.

39. मै. अरविन्द लीक्यूड गैसेस लि.

40. मै. रिलाइन्स पेट्रोलियम लि.

41. मै. जिलौन फारमा कैम लि.

42. मै. यूनिटी स्टील्स लि.

43. मै. राजश्री पालिफिल लि.

44. मै. सोनल इनटरनेशनल लि.

45. मै. टोरेन्ट गुजरात बायोटेक लि.

46. मै. मधुर फूड प्रोडक्ट्स लि.

47. मै. पंकज एग्रो प्रोटीनेक्स लि.

48. मै. सबेरो आर्गेनिक्स गुजरात लि.

49. मै. न्यू लाइन ग्लासवेयर्स (इंडिया) लि.

50. मै. संदीप स्टील्स लि.

51. मै. रेनको गीयर्स लि.

52. मै. रिद्धी-सिद्धी स्टार्च एंड केमिकल्स लि.

53. मै. पंजवानी पैकेजिंग लि.

54. मै. टोटल एक्सपोर्ट्स लि.

55. मै. जयन्त विटामिन्स लि.

56. मै. ईस्टर्न सरुइट्स लि.

57. मै. बाटा नेपथोल लि.

58. मै. यूनाइटेड डायमन्ड्स लि.

59. मै. प्रस्टिज फूड्स लि.

60. मै. प्रिमियर इन्डस्ट्रीज (इंडिया) लि.

61. मै. निप्पन डेनरो इस्पात लि.

62. मै. वेसुवियस इंडिया लि.

63. मै. हिमाद्री केमिकल्स एंड इन्डस्ट्रीज लि.

64. मै. विजीनेस फार्म्स लि.

65. मै. बिरला सेन्चुरी फिनान्स लि.

66. मै. क्वालिटी फार्मास्यूटिकल्स लि.

67. मै. इस्पात प्रोफाइल्स इंडिया लि.

68. मै. टाटा नगर प्रिक्स लि.

69. मै. रामकिशन टायर्स लि.

70. मै. ओमिनीटेल इन्डस्ट्रीज लि.

71. मै. लान ऐसडा इन्डस्ट्रीज लि.

72. मै. श्रीनिधि इन्जीनियरिंग लि.

73. मै. फिसिंग फालकोन्स लि.

74. मै. रितेस एक्सपोर्ट्स लि.

75. मै. कोरोमंडल एक्वाकल्चर लि.

76. मै. रिचि मैन सिल्क लि.

77. मै. एच बी पोर्टफलियो लीजिंग लि.

78. मै. न्यू बीम फेरो एलायस लि.

79. मै. कोनटीनैन्टल कन्सट्रक्शन लि.

80. मै. एम एस शूज ईस्ट लि.

81. मै. ग्वालियर ट्रांसमिशन सिस्टम लि.

82. मै. सकुरा सेमित्सु इंडिया लि.

83. मै. एंजल्स इन्टरप्राइजेज लि.

84. मै. विलार्ड इंडिया लि.

85. मै. जॉस पोलिमर्स लि.

86. मै. फीडर्स लायड कारपोरेशन लि.

87. मै. रितेश इंडस्ट्रीज लि.

88. मै. अपोलो ट्यूब्स लि.

89. मै. जिंदल फोटो फिल्म्स लि.

90. मै. मोदी लुफ्त लि.

91. मै. त्रिना क्यूबिक गियर्स लि.

92. मै. राठी इस्पात लि.

93. मै. मरलुक चन्द एगरोआयल्स लि.

94. मै. रेडी फूड्स लि.

95. मै. जिंदल विजयनगर स्टील्स लि.

96. मै. अंकित ग्रेनाइट्स लि.

97. मै. एशियन ट्रैक्टर लि.

98. मै. प्रीमियर प्लांटेशन लि.

99. मै. एन ई पी सी मिकान लि.

100. मै. प्रोफेशनल सरकिल बोर्ड लि.

101. मै. मद्रास मोटर्स फाइनेंस एंड गारंटीन कं. लि.

102. मै. बेस्ट एंड क्राम्पटन इन्डुआस्टिक लि.

103. मै. डायनाविजन लि.

104. मै. एन ई पी सी टी गार्डन लि.

105. मै. कुकुरसन्स (इन्डोफ्रैन्च) एक्सपर्ट्स लि.

106. मै. पूजा ग्रेनाइट्स एंड मारबल्स लि.

107. मै. माडर्न सिन्टैक्स (इंडिया) लि.

108. मै. निहो निर्मान लि.

109. मै. थापर मिल्स प्रोडक्ट्स लि.

110. मै. मुनक केमिकल्स लि.

111. मै. रोडमास्टर फूड्स लि.

112. मै. कम्पेक्ट डिस्ट इंडिया लि.

113. मै. थापर फूड्स लि.

114. मै. माजदा इन्डस्ट्रीज एंड लीजिंग लि.

1997-98

1. मै. आंध्रा सीमेन्ट लि.

2. मै. एपीएल इन्डस्ट्रीज लि.

3. मै. एशियन कानसोलिडेटेड इन्डस्ट्रीज लि.

4. मै. एबीएन ग्रेनाइट्स लि.

5. मै. आकार लेमिनेटर्स लि.

6. मै. बिनाका सिन्थेटिक रेजिंग लि.

7. मै. भारत पाइप्स एंड फीटिंग लि.

8. मै. बफना स्पिनिंग मिल्स एण्ड एक्सपोर्ट्स लि.

9. केमोक्स केमिकल्स इन्डस्ट्रीज लि.

10. धरेन्धरा ओवरसीज लि.

11. ईस्ट वेस्ट ट्रैवल एंड ट्रेड लिंक्स लि.

12. एसक्वायर टी प्लांटेशन्स एंड इन्डस्ट्रीज लि.

13. गोल्डन कलर केम (इंडिया) लि.

14. गुजरात बोवन्जा आटो एंड स्टील रोलिंग लि.

15. गेम्स आइडोरनस लि.

16. गुजरात बोनान्जा आटो एंड स्टील्स रोलिंग लि.

17. जी.आर. मैगनेट्स लि.

18. एच लोन होजरी लि.

19. इंडियन मैगनेटिक्स लि.

20. जिलिकेम लेबोरेट्रीज (आई) लि.

21. जयंत विजनेस मशीन्स लि.

22. जे.एफ. लेबोरेट्रीज मशीन्स लि.

23. केसोराम इन्डस्ट्रीज लि.

24. कर्नाटक सिमेन्ट लि.

25. लेशा स्टील्स, लि.

26. मै. ल्यूनर डायमण्ड्स लि.

27. मै. माडर्न टेरी टावल्स लि.

28. मै. महादेव कारपोरेशन (इंडिया) लि.

29. मोटोरोल इंडिया लि.

30. मै. नोवा उद्योग लि.

31. मै. ओवरसिज केबल्स लि.

32. मै. ओएमसी कम्प्यूटर लि.

33. मै. प्रीमियर इन्डस्ट्रीज लि.

34. मै. परसराम्पुरिया सिन्थेटिक्स लि.

35. मै. प्रेस्टिज फूड लि.

36. फूड्स, ग्रेनाइट्स एंड मार्बल लि.

37 रेमन्ड सिन्थेटिक्स लि.

38. राणे कम्प्यूटर्स कन्सलटेन्ट लि.

39. रिषभ इन्डस्ट्रीज लि.

40. रिलायन्स कैपिटल लि.

41. सोलिड कार्बाइड लि.

42. स्टालिन शाक्स लि.

43. सागर रियल एस्टेट डवलपर्स लि.

44. स्काईलाइन्स नेस्क लि.

45. सैंड प्लास्ट (इंडिया) लि.

46. श्रीश्मा फाइन केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लि.

47. श्रीराज ट्रेवल्स एंड टूर्स लि.

48. सोलीएयर इंडिया लि.

49. संदीप इन्डस्ट्रीज लि.

50. तमिलनाडु पेट्रो प्रोडक्ट्स लि.

51. टाटा केमिकल्स लि.

52. थापर एग्रो मिल्स लि.

53. त्रि स्टार सोया प्रोडक्ट्स लि.

54. यू.पी. माइनर प्रोडक्ट्स लि.

55. यूनिलिव फुड्स लि.

56. यूनाइटेड डायमन्ड लि.

57. विडियोकोन लीजिंग इन्डस्ट्रीयल फाइनेन्स लि.

58. विद्यानी एग्रोटेक इन्डस्ट्रीज लि.

59. वेल्डफ्लक्स इंडिया लि.

60. वेस्टर्न पैक्यू (इंडिया) लि.

61. वेस्टर्न इंडिया शुगर एंड कैमिकल्स लि.

62. वेस्टर्न इंडिया शिपयार्ड लि.

63. एक्स ई.डी.डी. टेलीकाम लि.

64. योगी फार्मेसी लि.

1998-99

1. मै. इंडो अमेरिकन सीमेन्ट कार्पोरेशन लि.

2. मै. आताश इन्डस्ट्रीज इंडिया लि.

3. मै. अमरूत इन्डस्ट्रीज लि.

4. मै. ईस्टर्न माइनिंग लि.

5. मै. डायनाकैम फार्मास्यूटिकल्स (एक्सपर्ट्स) लि.

6. मै. अपोलो ट्यूब्स लि.

7. मै. इंडियन डेरी स्पेशिलीटिज लि.

8. मै. के.एम. कैपिटल लि.

9. मै. आइडर कटेलीकाम लि.

10. मै. इंडो अमेरिकन आप्टिक्स लि.

11. मै. गुजरात सस्पेन्शन लि.

12. मै. गुडअर्थ आर्गेनिक्स लि.

13. मै. इन्डो अमेरिकन क्रेडिक कार्पो. लि.

14. मै. हिन्दुस्तान टूल्स एंड फोर्जिंग लि.

15. मै. ग्लोबल टेली-सिस्टम लि.

16. मै. वेस्ट एंड क्राम्पटन इंन्जीनियरिंग लि.

17. मै. क्रेस्टवर्ल्ड मैरिन लि.

18. मै. इन्कैब इन्डस्ट्रीज लि.

19. मै. अमेठी टेक्सटाइल्स लि.

20. मै. के.पी. ग्लेटाइन्स एंड केमिकल्स लि.

21. मै. इंडो मैक्स वेल लि.

22. मै. एशियन एलायज लि.

23. मै. गुजरात इन्वेस्टमेंट कास्टिंग लि.

24. मै. ब्राठत्क एंड लोम्ब इंडिया लि.

25. मै. कैनेल आयल एंड एक्सपर्ट्स इन्डस्ट्रीज लि.

26. मै. अम्बूजा एग्रो लिनस्ट्रीज लि.

27. मै. आईजीजीआई रिसोर्ट्स इन्टरनेशनल लि.

28. मै. डिफार्मा लि.

29. मै. गुजरात एनआरई कोक्स लि.

30. मै. क्योर लेजर लि.

31. मै. आटोपाल इन्डस्ट्रीज लि.

32. मैं गुजरात इन्जेक्ट (केरल) लि.

33. मै. कल्याण सेलवेन्ट एक्सट्रैक्शन लि.

34. मै. डेन्मर फैक्स रोल्ज लि.

35. मै. इंडियन रेलवे फाइनेन्स कार्पोरेशन लि.

36. मै. गणेश अनहायरेरइड लि.

37. मै. कैमोक्स लेबोरेट्रीज लि.

38. मै. ईस्ट इंडिया ग्रेनाइट्स लि.

39. मै. अमरूत क्रेडिट कार्पोरेशन लि.

40. मै. मेहर डेरी इन्डस्ट्रीज लि.

41. मै. वेस्टर्न इंडिया इन्डस्ट्रीज लि.

42. मै. नीक एग्रो फूड्स लि.

43. मै. जिलियन फार्मास्यूटिकल्स लि.

44. मै. माडर्न डेनिक लि. (पूर्व में साइर्न शूटिंग लि.)

45. मै. यूनीपल्स इंडिया लि.

46. मै. सिल्वरलाइन इन्डस्ट्रीज लि.

47. मै. विडियोकान लीजिंग इन्डस्ट्रीयल फाइनेन्स लि.

48. मै. मद्रास रिफाइनरीज लि.

49. मै. वेस्टर्न इंडिया सिक्योरिटीज लि.

50. मै. सोल फार्मास्यूटिकल्स लि.

51. मै. ओरके सिल्क मिल्स लि.

52. मै. यूनीकार्न फार्मास्यूटिकल्स लि.

53. मै. संदीप इन्डस्ट्रीज लि.

54. मै. टी.आर. 41 मूर्ति फर्टिलाइजर्स लि.

55. मै. महादेव एग्रो इन्डस्ट्रीज लि.

56. मै. माइक्रो एसेसरीज इंडिया लि.

57. मै. विकास डब्ल्यू एस.पी. लि.

58. मै. सरीगम स्टील्स लि.

59. मै. राजिन्दर पाइप्स लि.

60. मै. यूनिपोर्ट कम्प्यूटर्स लि.

61. मैं नाथ सीड लि. डीडी

62. मै. मोदी ब्रेड्स लि.

63. मैं. सपाइटेक सेरामिक्स (इंडिया) लि.

64. मै. आन्ध्रा सिमेन्ट लि.

65. मै. आशी इन्डस्ट्रीज लि.

66. मै. गुजरात देहाद फूड्स लि.

67. मै. वेस्टर्न पैक्यू (इंडिया) लि.

68. मै. अम्बिका प्रोटिन्स लि.

69. मै. स्काइलाइन एन.ई.पी.सी. लि. (फारमर्ली दमानिया एयरवेज लि.)

70. मै. सेलेस्ट इन्टरनेशनल लि.

71. मै. महादेव कार्पोरेशन लि.

72. मै. एच लोन होजरी लि.

73. मै. जिलीकैम लैबोरेट्रीज (इंडिया) लि.

74. मै. कैमोक्स केमिकल्स इंडस्ट्रीज लि.

75. मै. वेस्टर्न इंडिया शुगर एंड केमिकल्स इन्डस्ट्रीज लि.

76. मै. लून डायमण्ड्स इंडिया लि.

77. मै. नोवा उद्योग लि.

78. मै. डायनेमैटिक फोरजिंग्स इंडिया लि.

79. मै. केसोराम इन्डस्ट्रीज लि.

80. मै. धरेन्द्र ओवरसीज लि.

81. मै. भारत पाइप्स एंड फिटिंग लि.

82. मै. जयंती विजनेस मशीन्ज लि.

83. मै. बाफना स्पिनिंग मिल्स एंड एक्सपोर्ट लि.

84. मै. इन्डाना स्पाइसिज एंड फूड्स इंडिया लि.

85. मै. गुजरात रोडरेल इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स लि.

86. मै. यूनाइटेड डायमण्ड लि.

87. मै. थापर एग्री मिल्स लि.

88. मै. कर्नाटिका सिमेन्ट लि.

89. मै. एक्स इ.डी.ओ. टेलीकाम लि.

90. मै. रिलायन्स कैपिटल लि. (पहले का रिलायन्स कैपिटल एवं फाइनेन्स)

91. मै. ओवरसीज केबल्स लि.

92. मै. माडर्न टेरी टावल्स लि. (माडर्न वूलन्स लि.)

93. मै. इंडियन मैग्नेटिक्स लि.

94. मै. प्रेस्टिज फूड्स लि.

95. मै. लेक्ष स्टील्स लि.

96. मै. विनटेक आर.एफ. प्रोडक्ट्स लि.

97. मै. कैन बैंक म्युचूअल फंड लि.

98. मै. अकार लैमिनेटर्स लि.

99. मै. इंडियन डेरी स्पेसिलिटीज लि.

100. मै. वेस्टर्न इंडिया शिपयार्ड लि.

101. मै. बिनाका सिन्थेटिक्स रेसिन्स लि.

102. मै. बिदानी एग्रोटेक इन्डस्ट्रीज लि.

103. मै. ईस्ट वेस्ट ट्रैवल एंड ट्रेड लिन्क्स लि.

104. मै. रेन कम्प्यूटर्स कन्सलटेन्सी लि.

105. मै. टाटा केमिकल्स लि.

106. मै. गुजरात बोनन्जा आटो एंड स्टील रोलिंग लि.

107. मै. वेल्डफ्लक्स इंडिया लि.

108. मै. ऋसभ इन्डस्ट्रीज लि.

109. मै. त्रि स्टार सोया प्रोडक्ट्स लि.

110. मै. गोल्डेन कलर-चेम इंडिया लि.

111. मै. श्रीश्यामफाइन केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स (कर्नाटक) लि.

112. मै. ईश्वर मेडिकल सर्विसेज लि.

113. मै. ए.बी.एन. ग्रेनाइट्स लि.

114. मै. यूनीलिव फूड्स लि.

115. मै. डू-मैक्स स्टील लि.

116. मै. बेम्स आइडोर्न्स लि.

117. मै. तमिलनाडु पेट्रो प्रोडक्ट्स लि.

118. मै. प्रीमियर इन्डस्ट्रीज लि.

119. मै. स्टालियन साक्स लि.

120. मै. सागर रियल इस्टाटर डवलपर्स लि. (मर्ज्ड विद स्लम्मानेक)

121. मै. बायक्स लि.

122. मै. वी.पी. प्लायकोन लि.

123. मै. रायमन्ड सिन्थेटिक्स लि.

124. मै. हैदराबाद लैम्प्स लि.

125. मै. दीप स्पेशियल स्टील्स लि.

126. मै. सोलिड कार्बाइड टूल्स लि.

127. मै. ओ.एम.सी.. कम्प्यूटर लि.

128. मै. चेमाक्स केमिकल इन्डस्ट्रीज लि.

129. मै. वेस्ट कोस्ट ब्रेवरीज एंड डिस्टीलरीज लि.

130. मै. एन.इ.पी.सी.—मिकोन लि.

131. मै. माडर्न सेनटेक्स इंडिया लि.

132. मै. रिलाइन्स पेट्रोलियम लि.

133. मै. हनिल एरा टेक्सटाइल्स लि.

134. मै. अरिहन्त कोटसन लि.

135. मै. पदमिनी पोलीमर्स लि.

136. मै. ए.पी.एल. इन्डस्ट्रीज लि.

137. मै. आरका इन्डस्ट्रीज लि.

138. मै. योगी फार्मेसी लि.

139. मै. जे.एफ. लैबोरेट्रीज लि.

140. मै. वीडियोकोन इन्टरनेशनल लि.

141. मै. कावेरी साफ्टवेयर इन्जी. सिस्ट्म्स लि.

142. मै. डी.एस.जे. फाइनेन्स कार्पोरेशन लि.

143. मै. ए.टी.वी. प्रोजैक्ट्स इंडिया लि.

144. मै. स्टेयरलाइट इन्डस्ट्रीज इंडिया लि.

145. मै. इन्डस्ट्रीयल डवलपमेंट बैंक आफ इंडिया लि.

146. मै. सोनल कास्मेटिक्स इक्सपोर्ट्स लि.

147. मै. डी.सी.एम. देवू मोटर्स लि.

यमुना में प्रदूषण

35. डा. विजय कुमार मल्होत्रा : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यमुना नदी में प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस नदी में प्रदूषण पर रोक लगाने के लिए क्या योजना बनाई है और इस पर कितना खर्च आएगा: और

(ग) यह योजना किस तारीख को तैयार की गई थी और इसके कब तक पूरा हो जाने की संभावना है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी): (क) से (ग) जी हां, यमुना नदी काफी हद तक प्रदूषित हो गई है। दिल्ली से लगा नदी का क्षेत्र प्रदूषण की दृष्टि से अत्यधिक चिन्ताजनक है। नदी के प्रदूषण को कम करने और इसके जल की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए सरकार ने अप्रैल, 1993 में यमुना कार्य योजना शुरू की है, जिसकी इस समय अनुमानित लागत 496.45 करोड़ रुपये है। योजना में दिल्ली के अलावा हरियाणा के 12 नगर तथा उ.प्र. के 8 नगरों में प्रदूषण उपशमन कार्य करना शामिल है। अब तक इस योजना पर 377.56 करोड़ रुपये का व्यय वहन किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने अपनी स्वयं की योजनागत निधियों में से दिल्ली के म्युनिसिपल मलजल के उपचार के लिए 15 मलजल उपचार संयंत्र बनाने का कार्य भी शुरू किया है। इस योजना पर अब तक 448.65 करोड़ रुपये का व्यय वहन किया जा चुका है। औद्योगिक बहि:स्रावों से प्रदूषण को कम करने के लिए दिल्ली के विभिन्न क्षेत्रों में 16 सांझा बहि:स्राव उपचार संयंत्र स्थापित किए जाने हैं। यमुना कार्य योजना के 30.6.2000 तक पूरा हो जाने का लक्ष्य रखा गया है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के मलजल उपचार संयंत्र दिसम्बर, 2000 तक पूरे हो जाएंगे। दिल्ली में सांझा बहि:स्राव उपचार संयंत्रों के निर्माण का कार्य धीमा चल रहा है।

[अनुवाद]

बिहार में एल.पी.जी. एजेन्सी

36. श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विभिन्न राज्यों में एल.पी.जी. एजेन्सियों का आबंटन उनकी जनसंख्या के अनुपात में किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या बिहार में आबंटित एल.पी.जी. एजेन्सियों की संख्या उसकी जनसंख्या के अनुपात में पर्याप्त है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. पोन्नुस्वामी): (क) और (ख) विद्यमान नीति के अनुसार देश के विभिन्न भागों में आर्थिक रूप से व्यवहार्य एल.पी.जी. डिस्ट्रीब्यूटरशिपें स्थापित करने के लिए निम्नांकित मानदंड अपनाये जाते हैं:

(1) 15 किलोमीटर के अर्द्धव्यास के अंतर्गत आ रहे समीपवर्ती गांवों की संभाव्यता को शामिल करते हुए 10,000 और उससे अधिक आबादी वाले सभी शहरी स्थान।

(2) 15 किलोमीटर के अर्द्धव्यास के अंतर्गत आ रहे समीपवर्ती गांवों की संभाव्यता को ध्यान में रखते हुए 5000 और उससे अधिक आबादी वाले शहरी स्थान।

(3) ऐसे मुख्य गांवों, जिनकी आबादी 10,000 और इससे अधिक है, के 15 किलोमीटर अर्द्धव्यास के अंतर्गत आने वाले गांवों का समूह।

(4) ऐसे नगरों जिनकी आबादी 1 लाख और इससे अधिक है, के चारों ओर 15 किलोमीटर अर्द्धव्यास के अंतर्गत अवस्थित गांव।

(ग) और (घ) 1 अप्रैल, 1999 को बिहार में 214 एल.पी.जी. डिस्ट्रीब्यूटरशिपें थीं। पूर्ववर्ती विपणन योजनाओं से लम्बित स्थानों के अतिरिक्त बढ़ी हुई एल.पी.जी. मांग को पूरा करने हेतु बिहार के लिए 105 एल.पी.जी. डिस्ट्रीब्यूटरशिपें वर्तमान एल.पी.जी. विपणन योजना में शामिल की गई हैं।

दिल्ली में कानून व्यवस्था

37. **श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक:**
श्री रामसागर रावत :
डा. बलिराम :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली में कानून व्यवस्था लगातार बिगड़ती जा रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान अब तक वर्ष-वार हत्या, अपहरण, चोरी, दहेज संबंधी मौत, बम विस्फोट और आतंकवाद की कितनी घटनाएं हुई;

(घ) गिरफ्तार/दंडित किए गए व्यक्तियों की संख्या क्या है;

(ङ) कितने मामलों में कोई सुराग नहीं मिला है; और

(च) दिल्ली में कानून व्यवस्था की स्थिति में सुधार लाने हेतु कौन-कौन से कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) और (ख) जी नहीं, श्रीमान्। वास्तव में, पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में, दोनों जघन्य वर्गों में चालू वर्ष (31 अक्तूबर, 1999 तक) के दौरान राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में सूचित हुए भारतीय दंड संहिता के अपराधों में कुछ कमी आई है।

(ग) से (ङ) अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(च) राष्ट्रीय राजधानी में अपराधों में कमी लाने हेतु दिल्ली पुलिस द्वारा उठाए गए विभिन्न कदमों में, अन्य बातों के साथ-साथ शामिल हैं, बीट गश्त तेज करना; सामरिक महत्व के स्थानों पर सशस्त्र टुकड़ियों की तैनाती; आसूचना जालतंत्र को सुदृढ़ करना; अपराधियों और आतंकवादियों के छुपने के संदिग्ध स्थानों पर निरंतर छापे मारना और नजर रखना; घरेलू नौकरों के पूर्ववृत्त का सत्यापन करना; आपराधिक पृष्ठभूम वालों पर निगरानी बढ़ाना; पड़ोसी राज्यों के पुलिस अधिकारियों के साथ समन्वय बैठकें करना; आवासी कल्याण संघों के सदस्यों के साथ बैठकें करना; हर एक पुलिस जिले में आतंकवादी-निरोधक प्रकोष्ठ बनाना; और चलती बसों, बाजार, व्यवसायिक स्थानों और अन्य अपराध बहुल क्षेत्रों में सादे कपड़ों में पुलिस कार्मिकों की तैनाती करना।

विवरण

वर्ष	सूचित हुए मामलों की संख्या	रद्द किए गए मामलों की संख्या	चालान किए गए मामलों की संख्या	उन भेजे गए मामलों की संख्या जिनका पता नहीं लग सका	जांच-पड़ताल हेतु लंबित मामलों की संख्या	गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की संख्या	दोषसिद्ध हो चुके व्यक्तियों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8
हत्या							
1996	523	20	395	83	25	932	15
1997	583	5	420	95	63	1010	16
1998	652	4	371	32	245	944	शून्य

1	2	3	4	5	6	7	8
अपहरण							
1996	326	156	80	85	5	204	1
1997	296	113	65	69	48	174	2
1998	367	138	27	49	153	153	शून्य
चोरी							
1996	20547	267	4323	15840	117	9020	785
1997	22593	290	4162	17801	340	9331	631
1998	26910	314	3015	19937	3644	7898	338
दहेज के कारण हुई मृत्यु							
1996	138	3	134	शून्य	1	417	शून्य
1997	148	3	135	1	9	429	5
1998	128	शून्य	98	2	28	360	5

1	2	3	4	5	6	7	8
बम विस्फोट							
1996	3	शून्य	3	शून्य	शून्य	15	शून्य
1997	21	शून्य	20	1	शून्य	7	शून्य
1998	6	शून्य	शून्य	4	2	शून्य	शून्य
आतंकवादी गतिविधियां							
1996	48	शून्य	48	शून्य	शून्य	96	शून्य
1997	18	शून्य	18	शून्य	शून्य	30	शून्य
1998	16	शून्य	16	शून्य	शून्य	53	शून्य

कच्चे तेल पर रायल्टी

38. **श्री पी.एस. गढ़वी** : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गुजरात सरकार के कई अभ्यावेदनों के बावजूद केन्द्र सरकार द्वारा वर्ष 1993 से कच्चे तेल पर रायल्टी की नियमित दर तैयार नहीं की गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या इसकी नियमित दर निर्धारित किये जाने संबंधी प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. पोन्नुस्वामी): (क) से (घ) 1993-96 की अवधि के लिए रायल्टी दर 528 रुपये प्रति मीट्रिक टन, अर्थात् पहले की अनन्तिम दर, के स्थान पर संशोधित करके 539.80 रुपये प्रति मीट्रिक टन कर दी गई है। 1996-98 की अवधि के लिए रायल्टी का भुगतान 578 रुपये प्रति मीट्रिक टन की अनन्तिम दर से किया जा रहा है और इसे भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक से इस अवधि के लिए उत्पादन लागत से संबंधित लेखापरीक्षित आंकड़ों की प्राप्ति के बाद अंतिम रूप दिया जाएगा। जहां तक 1.4.1998 से कच्चे तेल के उत्पादन

पर रायल्टी का संबंध है, प्रशासित मूल्यनिर्धारण पद्धति के मद्देनजर रायल्टी की नई योजना के क्रियान्वयन के लम्बित रहते, भगुतान अनन्तिम रूप से किए जा रहे हैं।

पोप जान पॉल द्वितीय की यात्रा

39. **श्री पी.सी. थामस** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में कुछ संगठनों ने पोप जान पाल द्वितीय के भारत आगमन के सम्बन्ध में गोवा से दिल्ली तक की यात्रा आयोजित की थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या पोप जान पॉल द्वितीय के आगमन से पूर्व देश के अलग-अलग क्षेत्रों में उनके पुतले जलाये गये थे;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी): (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) उपलब्ध रिपोर्टों के अनुसार, संस्कृति रक्षा मंच (एस.आर.एम.) के तत्वाधान में विश्व हिन्दू परिषद ने, 19.10.99 को पणजी (गोवा) से शुरू हो कर नई दिल्ली में समाप्त होने वाली पोप जाल पाल-II की यात्रा से पूर्व, एक रथ यात्रा का आयोजन किया था।

(ग) से (च) उपलब्ध सूचना के अनुसार, देश के कुछ भागों में पोप जाल पाल-II के पुतले कथित रूप से जलाए गए थे। यद्यपि ये कृत्य, लोकतान्त्रिक समाज में प्रदर्शन करने के तरीके हैं, और कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए राज्य सरकार मुख्य रूप जिम्मेदार हैं, फिर भी हमने विभिन्न स्रोतों से मिली सभी महत्वपूर्ण सूचनाओं को राज्य सरकारों के साथ बांटा है तथा शान्ति और साम्प्रदायिक सद्भावना बनाए रखने के लिए उनसे उचित कार्रवाई करने का अनुरोध किया।

उत्तर प्रदेश में पेट्रो-रसायन यूनिट काम्प्लेक्स और भारतीय गैस प्राधिकरण लिमिटेड

40. **श्री समर चौधरी** : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उत्तर प्रदेश के औरैया जिले के राजस्व ग्राम पारा की कृषि योग्य और आवासीय भूमि भारतीय गैस प्राधिकरण लि. के एक टाउनशिप और पेट्रो-रसायन यूनिट के एक काम्प्लेक्स की स्थापना के लिए अधिगृहीत की गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या किसानों और जमीन मालिकों को पर्याप्त मुआवजे और पुनर्वास सहित प्रत्येक परिवार को नौकरी तथा क्लोनियों में उनके रहने आदि की सुविधाएं प्रदान करने का आश्वासन दिया गया था;

(ग) यदि हां, तो क्या उन आश्वासनों को जो पहले दिये गये हैं, लागू करने के लिए कोई कदम उठाया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. पोन्नुस्वामी): (क) जी, हां।

(ख) से (घ) भूमि तथा आवासीय भूमि के स्वामियों को सक्षम प्राधिकारियों द्वारा नियत मुआवजा दिया गया। छोटे गांवों के विस्थापित व्यक्तियों को पर्याप्त सुविधाओं के साथ दो पुनर्वास ग्रामों में बसाया गया। विस्थापित परिवार के प्रत्येक वयस्क व्यक्ति को पुनर्वास ग्रामों में भूमि का प्लाट (आकार-220 वर्ग फुट) आबंटित किया गया।

शाहनगर तथा बांका पुरवा व वैसुन्धरा के दो पुनर्वास ग्रामों में निम्न सुविधाएं पहले ही प्रदान कर दी गई हैं:

- आन्तरिक मार्ग
- पेयजल/कूप
- शाहनगरा/बांकापुरवा में मवेशियों के लिए पेयजल हेतु तालाब
- पंचायत भवन
- प्राथमिक विद्यालय भवन

– शाहनगरा/बांकापुरवा में विद्युत प्रेषण लाइन, खम्भे, ट्रांसफार्मर तथा पथ प्रकाश।

सिक्किम में टेलीफोन कनेक्शन हेतु प्रतीक्षा सूची

41. श्री भीम दाहाल : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सिक्किम में नवंबर, 1999 की स्थिति के अनुसार टेलीफोन कनेक्शन हेतु जिलेवार कितने व्यक्ति प्रतीक्षा सूची में हैं;

(ख) वर्ष 1998-99 के दौरान जिलेवार कितने व्यक्तियों को टेलीफोन कनेक्शन दिए गए हैं; और

(ग) सरकार द्वारा राज्य में टेलीफोन कनेक्शन की प्रतीक्षा सूची को समाप्त करने हेतु क्या कदम उठाए जाने का विचार है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) सिक्किम में 1.11.99 की स्थिति के अनुसार टेलीफोन कनेक्शनों के लिए प्रतीक्षा सूची में दर्ज व्यक्तियों की जिला-वार संख्या निम्नानुसार है:-

क्र.सं.	जिला	प्रतीक्षा सूची
1.	सिक्किम ईस्ट	1644
2.	सिक्किम पश्चिम	200
3.	सिक्किम नार्थ	67
4.	सिक्किम साउथ	563

(ख) वर्ष 1998-99 के दौरान आबंटित किये गये टेलीफोन कनेक्शनों की जिलावार संख्या निम्नानुसार है:-

क्र.सं.	जिला	प्रतीक्षा सूची
1.	सिक्किम ईस्ट	3603
2.	सिक्किम पश्चिम	544
3.	सिक्किम नार्थ	223
4.	सिक्किम साउथ	854

(ग) विभाग ने प्रतीक्षा सूची के निपटान के लिए वर्ष 1999-2000 के दौरान सिक्किम में 7 नये एक्सचेंज स्थापित करने तथा 7000 सीधी एक्सचेंज लाइनें प्रदान करने के लिए 8000 लाइनों तक मौजूदा एक्सचेंजों का विस्तार करने का प्रस्ताव किया है।

[हिन्दी]

बढ़ते अपराध

42. श्री ब्रह्मानन्द मंडल : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत पांच वर्षों के दौरान राज्यवार हत्या, डकैती, फिरौती, नरसंहार आदि जैसे अपराधों की कितनी घटनाएं हुई हैं; और

(ख) वर्षवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी): (क) और (ख) राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो के पास उपलब्ध सूचना संलग्न विवरणों I से IV में दी गई है।

विवरण I

1994-1998 के दौरान हत्या की घटनाएं (राज्य-वार और संघ शासित क्षेत्र-वार)

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	1994	1995	1996	1997	1998*
1	2	3	4	5	6	7
1.	आन्ध्र प्रदेश	2419	2472	2609	2872	2972
2.	अरूणाचल प्रदेश	64	72	76	69	62
3.	असम	1198	1273	1435	1452	1665
4.	बिहार	5098	5050	5264	5354	5311
5.	गोवा	38	36	30	43	44
6.	गुजरात	1340	1432	1338	1415	1407
7.	हरियाणा	677	716	606	609	826
8.	हिमाचल प्रदेश	104	127	123	117	137
9.	जम्मू और कश्मीर	758	796	1044	792	664
10.	कर्नाटक	1552	1747	1604	1669	1693
11.	केरल	509	490	417	446	443
12.	मध्य प्रदेश	3331	3416	3302	3463	3266

1	2	3	4	5	6	7
13.	महाराष्ट्र	2787	2900	2777	2826	3003
14.	मणिपुर	241	257	194	299	208
15.	मेघालय	119	128	139	155	139
16.	मिजोरम	35	37	43	30	41
17.	नागालैंड	137	155	203	192	84
18.	उड़ीसा	821	917	1008	1005	947
19.	पंजाब	662	679	706	755	756
20.	राजस्थान	1499	1386	1622	1558	1514
21.	सिक्किम	6	12	5	15	16
22.	तमिलनाडु	1742	1959	1883	1987	1974
23.	त्रिपुरा	284	251	228	233	265
24.	उत्तर प्रदेश	10776	8784	8500	7756	8303
25.	पश्चिम बंगाल	1817	1788	1927	1780	2122
	कुल (राज्य)	38014	36880	37083	36892	37862

1	2	3	4	5	6	7
27	अ. और नि. द्वीप समूह	14	14	11	15	20
28.	चंडीगढ़	22	14	20	17	16
29.	दादरा और नगर हवेली	7	10	8	8	16
29.	दमण और दीव	3	5	4	10	7
30.	दिल्ली संघ शासित क्षेत्र	492	520	518	575	649
31.	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0
32.	पांडिचेरी	25	21	27	26	25
	कुल (संघ शासित क्षेत्र:	563	584	588	651	733
	कुल (अखिल भारत)	38577	37464	37641	37543	38595

स्रोत :- भारत में आपराध आंकड़े
उड़ीसा राज्य के संबंध में 1998 के लिए मासिक अपराध आंकड़े।
*आंकड़े अनंतिम हैं।

विवरण II

1994-1998 के दौरान बलात्कार की घटनाएं (राज्य-वार और संघ शासित क्षेत्र-वार)

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	1994	1995	1996	1997	1998*
1	2	3	4	5	6	7
1.	आन्ध्र प्रदेश	873	856	812	947	869
2.	अरूणाचल प्रदेश	28	25	37	43	32

1	2	3	4	5	6	7
3.	असम	530	588	580	717	744
4.	बिहार	1130	1312	1453	1457	1421
5.	गोवा	8	19	10	15	16
6.	गुजरात	356	309	306	375	368
7.	हरियाणा	258	311	336	373	364
8.	हिमाचल प्रदेश	110	116	132	129	128
9.	जम्मू और कश्मीर	109	109	157	166	178
10.	कर्नाटक	281	263	222	244	233
11.	केरल	197	266	389	588	589
12.	मध्य प्रदेश	2929	3119	3265	3518	3354
13.	महाराष्ट्र	1304	1362	1444	1246	1154
14.	मणिपुर	5	12	14	9	13
15.	मेघालय	34	17	33	37	42
16.	मिजोरम	44	41	49	52	84

1	2	3	4	5	6	7
17.	नागालैंड	12	16	9	17	13
18.	उड़ीसा	436	553	617	679	733
19.	पंजाब	108	96	178	184	219
20.	राजस्थान	1002	1036	1162	1255	1266
21.	सिक्किम	9	3	9	7	7
22.	तमिलनाडु	237	268	327	324	362
23.	त्रिपुरा	61	75	90	98	73
24.	उत्तर प्रदेश	2078	1808	1854	1457	1605
25.	पश्चिम बंगाल	743	787	855	824	757
	कुल (राज्य)	12882	13367	14340	14761	14624
27	अ. और नि. द्वीप समूह	4	5	7	9	4
28.	चंडीगढ़	6	5	9	9	11
29.	दादरा और नगर हवेली	2	1	3	2	7
29.	दमण और दीव	1	2	1	1	0

1	2	3	4	5	6	7
30.	दिल्ली संघ शासित क्षेत्र	309	372	484	544	438
31.	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0
32.	पांडिचेरी	4	2	2	4	1
	कुल (संघ शासित क्षेत्र)	326	387	506	569	461
	कुल (अखिल भारत)	13208	13754	14846	15330	15085

स्रोत : भारत में अपराध।
उड़ीसा राज्य के संबंध में 1998 के लिए मासिक अपराध आंकड़े।
*आंकड़े अनंतिम हैं।

विवरण III

1994-1998 के दौरान अपहरण और व्यपहरण की घटनाएं (राज्य-वार और संघ शासित क्षेत्र-वार)

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	1994	1995	1996	1997	1998*
1	2	3	4	5	6	7
1.	आन्ध्र प्रदेश	993	1064	1028	1262	1175
2.	अरूणाचल प्रदेश	41	47	52	38	44
3.	असम	1140	1293	1190	1305	1471
4.	बिहार	2419	2070	2378	2425	2758

1	2	3	4	5	6	7
5.	गोवा	16	21	13	9	25
6.	गुजरात	1091	1120	1055	1209	1421
7	हरियाणा	347	433	452	428	506
8.	हिमाचल प्रदेश	208	162	157	142	153
9.	जम्मू और कश्मीर	339	354	523	18	51
10.	कर्नाटक	621	595	532	679	33
11.	केरल	180	159	230	230	197
12.	मध्य प्रदेश	1264	1142	1084	1128	1107
13.	महाराष्ट्र	1171	1163	1069	1185	1132
14.	मणिपुर	115	108	79	163	122
15.	मेघालय	26	22	24	21	26
16.	मिजोरम	7	9	7	10	10
17.	नागालैंड	40	35	49	47	41
18.	उड़ीसा	455	463	489	531	436

1	2	3	4	5	6	7
19.	पंजाब	220	233	274	284	354
20.	राजस्थान	2531	2822	2857	2920	3066
21.	सिक्किम	14	14	11	9	5
22.	तमिलनाडु	576	815	976	1116	1193
23.	त्रिपुरा	114	194	183	127	219
24.	उत्तर प्रदेश	4798	3842	3931	3714	4369
25.	पश्चिम बंगाल	1128	934	906	983	908
	कुल (राज्य)	19854	19114	19549	20583	22022
27	अ. और नि. द्वीप समूह	4	4	2	1	2
28.	चंडीगढ़	55	39	32	39	35
29.	दादरा और नगर हवेली	6	5	4	3	5
29.	दमण और दीव	1	3	4	2	2
30.	दिल्ली संघ शासित क्षेत्र	1055	1252	1250	1266	1333

1	2	3	4	5	6	7
31.	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0
32.	पांडिचेरी	8	9	7	4	10
	कुल (संघ शासित क्षेत्र)	1129	1312	1299	1315	1387
	कुल (अखिल भारत)	20983	20426	20848	21898	23409

स्रोत : भारत में अपराध।
उड़ीसा राज्य के संबंध में 1998 के लिए मासिक अपराध आंकड़े।
*आंकड़े अनंतिम हैं।

विवरण IV

1994-1998 के दौरान डकैती की घटनाएं (राज्यवार और संघ शासित क्षेत्रवार)

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	1994	1995	1996	1997	1998*
1	2	3	4	5	6	7
1.	आन्ध्र प्रदेश	529	555	448	511	491
2.	अरूणाचल प्रदेश	45	37	25	41	36
3.	असम	807	774	843	798	928
4.	बिहार	2677	2566	2450	2392	2349
5.	गोवा	5	4	4	7	11

1	2	3	4	5	6	7
6.	गुजरात	318	309	371	342	381
7.	हरियाणा	48	71	55	58	75
8.	हिमाचल प्रदेश	3	2	3	4	2
9.	जम्मू और कश्मीर	49	47	65	43	34
10.	कर्नाटक	377	304	250	288	264
11.	केरल	102	97	98	103	101
12.	मध्य प्रदेश	265	160	198	199	228
13.	महाराष्ट्र	693	698	668	716	596
14.	मणिपुर	26	26	18	14	20
15.	मेघालय	70	84	94	124	113
16.	मिजोरम	153	9	6	6	18
17.	नागालैंड	35	37	28	32	23
18.	उड़ीसा	373	284	305	263	299
19.	पंजाब	10	12	28	32	15
20.	राजस्थान	88	88	97	149	140

1	2	3	4	5	6	7
21.	सिक्किम	5	3	1	0	0
22.	तमिलनाडु	124	134	171	212	188
23.	त्रिपुरा	154	183	115	61	75
24.	उत्तर प्रदेश	1740	1327	1146	1010	1207
25.	पश्चिम बंगाल	553	481	510	409	426
	कुल (राज्य)	9249	8292	7997	7814	8020
26.	अ. और नि. द्वीप समूह	0	0	0	1	0
27.	चंडीगढ़	0	1	0	0	4
28.	दादरा और नगर हवेली	1	1	3	9	7
29.	दमण और दीव	2	4	1	6	2
30.	दिल्ली संघ शासित क्षेत्र	19	36	32	37	65
31.	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0
32.	पांडिचेरी	0	1	2	0	2
	कुल (संघ शासित क्षेत्र)	22	43	38	53	80
	कुल (अखिल भारत)	9271	8335	8035	7867	8100

स्रोत : भारत में अपराध।
उड़ीसा राज्य के संबंध में 1998 के लिए मासिक अपराध आंकड़े।
*आंकड़े अनंतिम हैं।

[अनुवाद]

मंदिर के लिए वन भूमि का आवंटन

43. **श्री वरकला राधाकृष्णन,**
श्री के. मुरलीधरन :

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने केरल में सबरीमाला मंदिर के उद्धार के लिए किसी वन भूमि का आवंटन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी): (क) जी, हां।

(ख) सबरीमाला मंदिर के निकट चेरियानावोट्टम में रेत एकत्र करने हेतु 0.403 हैक्टेयर वन भूमि का तथा मल जल शोधन संयंत्र का निर्माण करने के लिए 0.4225 हैक्टेयर वन भूमि का अपवर्तन करने से संबंधित दो प्रस्ताव इस मंत्रालय द्वारा क्रमश: 23.10.1997 और 26.11.1998 को अनुमोदित किए गए हैं।

(ग) केरल सरकार ने दिसम्बर, 1995 में 0.4225 हैक्टेयर वन भूमि, मल-जल शोधन संयंत्र का निर्माण करने तथा शेष सबरीमाला मंदिर के तीर्थ यात्रियों को सुविधाएं उपलब्ध कराने सहित 20 हैक्टेयर वन भूमि का एक प्रस्ताव भेजा था। प्रस्ताव की मंत्रालय द्वारा जांच की गई थी और इस संबंध में मई, 1996 में राज्य वन विभाग, केरल के नोडल अधिकारी के साथ विचार-विमर्श किया गया था। राज्य सरकार के विचारार्थ कुछ सुझाव दिए गए थे ताकि क्षेत्र में विकास संबंधी गतिविधियों के फलस्वरूप पड़ने वाले किसी भी प्रतिकूल पर्यावरणीय प्रभाव को न्यूनतम किया जा सके, क्योंकि अधिकांश वन क्षेत्र पेरियार बाघ आरक्षित क्षेत्र का हिस्सा है। राज्य सरकार से किसी तरह की सूचना प्राप्त न होने के बावजूद मंत्रालय ने चेरियानावोट्टम में मल-जल शोधन संयंत्र के निर्माण के लिए 0.4225 हैक्टेयर क्षेत्र के अपवर्तन को अनुमोदित कर दिया था क्योंकि यह स्थल विशिष्ट क्षेत्र था और उपयोग की दृष्टि से पारिस्थितिकी के अनुकूल था। उक्त क्षेत्र में आवश्यक सुविधाओं तथा इसमें वन्यजीवों और पारिस्थितिकीय प्रभावों के बारे में व्यापक अध्ययन, जिसके लिए राज्य सरकार से समय-समय पर अनुरोध किया जाता रहा है, न किए जाने के कारण शेष क्षेत्र से संबंधित प्रस्ताव पर निर्णय लेना संभव नहीं है।

बिहार में नवीनगर सुपर थर्मल पावर स्टेशन

44. श्रीमती श्यामा सिंह : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्ष 1989 के दौरान स्वर्गीय प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी द्वारा बिहार में औरंगाबाद नामक स्थल पर नवीनगर सुपर थर्मल पावर स्टेशन का निर्माण करने की घोषणा की गई थी;

(ख) यदि "हां", तो क्या उक्त थर्मल पावर स्टेशन का निर्माण करने संबंधी स्थल बाद में किसी दूसरे स्थल पर स्थानांतरित कर दिया गया था;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार उक्त थर्मल पावर स्टेशन के निर्माण के बारे में पुन: विचार करने का है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विद्युत मंत्री (श्री पी.आर. कुमारमंगलम): (क) इस संबंध में सरकार के पास कोई सूचना उपलब्ध नहीं है।

(ख) और (ग) उपरोक्त (क) को देखते हुए प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

(घ) और (ङ) बिहार में औरंगाबाद नामक स्थान में नवीनगर ताप विद्युत परियोजना (2×500 मे.वा.) का क्रियान्वयन प्रारम्भ में विश्व बैंक की सहायता से बिहार राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा कराये जाने की परिकल्पना की गई थी। तदनुसार तकनीकी आर्थिक स्वीकृति हेतु सितम्बर, 1988 में एक परियोजना रिपोर्ट केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण को प्रस्तुत की गई थी। तथापि राज्य सरकार के पास निधियों की कमी के कारण परियोजना का क्रियान्वयन आरम्भ नहीं किया जा सका।

भारत सरकार की "मेगा विद्युत परियोजना नीति" के अनुरूप बिहार में औरंगाबाद नामक स्थान में नवीनगर परियोजना को निजी क्षेत्र में क्रियान्वित करने के लिये एक मेगा विद्युत

परियोजना के रूप में फरवरी, 1996 में अभिज्ञात किया गया था। तथापि अर्हता हेतु अनुरोध के प्रति निजी क्षेत्र की प्रतिक्रिया उत्साहवर्द्धक नहीं थी। इसलिये परियोजना से उत्पादित की जाने वाली विद्युत की विपण्यता और विविध घटकों पर विचार करते हुये परियोजना के क्रियान्वयन की व्यवहार्यता का पता लगाने के बाद ही परियोजना को केन्द्रीय क्षेत्र में विकसित किये जाने के लिए प्रस्तावित किया गया है।

बेहतर टेलीफोन सेवाएं

45. श्री वी.एम. सुधीरन : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने टेलीफोन सेवाओं को बेहतर बनाने के साथ-साथ सामान्य दोषों को तुरंत ठीक करने के लिए कोई कदम उठाए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) जी हां।

(ख) टेलीफोनों के बेहतर रख-रखाव हेतु निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं।

1. बाह्य संयंत्र का उन्नयन तथा पुन:स्थापना।
2. फील्ड स्टाफ को पेजर्स दिया जाना।
3. दोष सुधार तथा उपभोक्ता सेवाओं का कम्प्यूटरीकरण।
4. 5 पेयर पी.आई.जे.एफ. केबल शुरू करना तथा उपभोक्ता परिसर तक केबल बिछाना।
5. इलैक्ट्रो-मकैनिकल एक्सचेंजों को इलैक्ट्रोनिक एक्सचेंजों द्वारा बदलना।
6. केबल की बचत करने के लिए अधिकाधिक आर.एस.यू. खोलना।
7. शिकायतें दर्ज करने के लिए आई.वी.आर.एस. प्रणाली शुरू करना।
8. आन्तरिक डी.पी. खोलना।
9. त्रुटि सुधार के लिए प्रभावी देखरेख।

नीतिन सेनगुप्त समिति की रिपोर्ट

46. श्री ए. वेंकटेश नायक : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नीतिन सेनगुप्त समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है;

(ख) यदि हां, तो इसकी प्रमुख सिफारिशें क्या हैं;

(ग) क्या "इंडियन आयल आफिसर्स एसोसिएशन" ने इसकी सिफारिशों का सख्त विरोध किया है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. पोन्नुस्वामी): (क) और (ख) जी हां। समिति की मुख्य सिफारिशें संलग्न विवरण में दी गई हैं।

(ग) और (घ) इंडियन आयल आफिसर्स एसोसिएशन ने समिति की कुछ सिफारिशों के प्रति अपना संकोच व्यक्त करते हुए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय को पत्र लिखा है। समिति की रिपोर्ट की जांच करते समय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम तेल कंपनियों द्वारा व्यक्त मत तथा ऐसे अभ्यावेदन ध्यान में रखे जाएंगे।

विवरण

डा. नीतिश सेन गुप्ता समिति की रिपोर्ट की सिफारिशें

विभिन्न प्रमुख सफलता घटकों के विस्तृत अध्ययन और मूल्यांकन के आधार पर समिति ने आई.बी.पी., सी.आर.एल., एम.आर.एल., बी.आर.पी.एल. और एन.आर.एल. की स्थिति का मूल्यांकन और आकलन किया है। इस समिति ने पूर्णत: नियंत्रणमुक्त परिदृश्य के संदर्भ में बी.पी.सी. के संभावित स्तर पर भी ध्यानपूर्वक किया है।

इस समिति द्वारा किए गए मूल्यांकन और आकलन को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित सिफारिशें की गई है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सभी अपनी तरह की अलग तेल

कम्पनियां नियंत्रणमुक्त बाजार में और अधिक मजबूत बनें तथा ग्राहक सेवाओं में सुधार के लिए उचित और प्रतिस्पर्द्धी बाजार भी बने:

(क) बी.पी.सी. को सी.आर.एल. में भारत सरकार की संपूर्ण शेयरधारिता खरीद लेनी चाहिए और सी.आर.एल. को अपनी सहायक कंपनी बना लेना चाहिए। आई.ओ.सी. के साथ विपणन व्यवस्था, यदि कोई हो, तदनुसार संशोधित की जानी चाहिए।

(ख) यद्यपि ए.आर.एल. के साथ विलय के लिए फिलहाल आई.ओ.सी. एक मजबूत उम्मीदवार है तो भी समिति सिफारिश करती है कि आई.ओ.सी. के साथ एम.आर.एल. की विपणन व्यवस्था फिलहाल जारी रहनी चाहिए। चूंकि आई.ओ.सी. पहले ही एक प्रबल अदाकार है और चूंकि निष्पक्ष स्पर्धा सुनिश्चित करना आवश्यक है अत: समिति सुझाव देती है कि "इन्टरमिडिएट" भविष्य में बी.पी.सी. को भी एम.आर.एल. को "पार्टनर" करने के लिए आई.ओ.सी. के साथ एक गंभीर उम्मीदवार माना जाए। तथापि, ऐसा सी.आर.एल. के अपने अधिग्रहण और आपूर्ति के प्रभावित हुए बिना ऐसा करने में अपनी समर्थता के प्रदर्शन और आई.बी.पी. में अपने अनुशंसित निवेश के बाद स्थिरता प्राप्त करने के लिए बी.पी.सी. को पर्याप्त समय देने हेतु लगभग 18-24 माह के बाद किया जाना चाहिए।

(ग) आई.ओ.सी. को बी.आर.पी.एल. में भारत सरकार की संपूर्ण शेयर धारिता खरीद लेनी चाहिए और इस कंपनी को अपनी सहायक कंपनी बना लेना चाहिए।

(घ) एन.आर.एल. का गठबंधन बी.पी.सी. और आई.बी.पी. जो कि असम सरकार के साथ अधिसंख्य शेयरधारक है, के साथ जारी रखा जाना चाहिए। तथापि, समिति सिफारिश करती है कि ओ.आई.एल. को 10 प्रतिशत शेयरों के शेयर धारक के रूप में शामिल किया जाना चाहिए। ये शेयर उनको सार्वजनिक निर्गम के लिए नियत शेयरों में से अधिमानपूर्ण आबंटन के आधार पर आबंटित किए जा सकते हैं जिससे उत्तर पूर्व में एक एकीकृत नेटवर्क का सृजन किया जाएगा। इस प्रक्रिया से कंपनी के आने वाले सार्वजनिक निर्गम के प्रयोजनों के लिए पूंजी बाजार में भावी निवेशकों के उत्साह में वृद्धि भी होगी।

(ङ) समिति सिफारिश करती है कि आई.बी.पी. को फिलहाल एक पृथक निगमित इकाई के रूप में कार्य करना जारी रखना चाहिए। तथापि, समिति का मानना है कि आई.बी.पी. को उत्पादों की सतत आपूर्ति और विपणन सहायता प्रदान करने के लिए और आवश्यक वित्तीय सहायता के लिए एक मजबूत कार्यनीतिक भागीदार की जरूरत है। तदनुसार यह विनिवेश आयोग के मतों का समर्थन करना है कि भारत सरकार को एक कार्यनीति भागीदार के पक्ष में 33.58 प्रतिशत विनिवेश करना चाहिए। विभिन्न सफल घटकों के आधार पर अनेक कार्यनीतिक गठबंधन विकल्पों पर सावधानीपूर्वक अध्ययन और विचार करने के बाद समिति यह अनुभव करती है कि अन्य तेल कंपनियों की तुलना में बी.पी.सी. एक शक्तिशाली उम्मीदवार है। इसलिए भारत सरकार को बी.पी.सी. के पक्ष में 26 प्रतिशत से अधिक की आई.बी.पी. की अपनी शेयरधारिता का विनिवेश करना चाहिए जैसा कि सेबी के टेक ओवर दिशानिर्देश के अंतर्गत अनुमेय है। यदि यह दिशानिर्देशों बी.पी.सी. द्वारा शेयरधारिता के इस ब्लाक के अर्जन के एक शाट के मार्ग में आड़े आते हैं, तो इसे चरणों में करना होगा अन्यथा वित्तीय संस्थानों द्वारा अब धारित शेयरधारिता का एक भाग बी.पी.सी. को अंतरित करना होगा।

(च) प्रशासित मूल्य निर्धारण व्यवस्था की समाप्ति के बाद कम से कम पांच वर्ष की अवधि के लिए उचित विपणन समझौतों के माध्यम से उत्तर में आई.बी.पी. को मथुरा और/अथवा पानीपत से और दक्षिण में एम.आर.एल. और सी.आर.एल. को आवश्यक उत्पादों से आश्वस्त किया जाना चाहिए ताकि इनकी आपूर्तियां बनाई रखी जा सके।

(छ) भारत सरकार को तेल समन्वय समिति के बदले एक पेट्रोलियम नियामक निकाय का गठन करना चाहिए जिसे नियंत्रणमुक्ति की संक्रमण अवधि के दौरान महत्वपूर्ण मुद्दों के कार्य के अलावा उत्पादों की आपूर्ति विनियमित करनी चाहिए।

(ज) आई.ओ.सी. के स्वामित्व वाली कार्यनीतिक पाइपलाइनों के अलावा सभी विद्यमान पाइपलाइनें पेट्रोनेट इंडिया लिमिटेड जैसी किसी स्वतंत्र कंपनी को अंतरित कर दी जानी चाहिए ताकि सभी निपणन कंपनियां उत्पादों के

परिवहन के लिए इन पाइपलाइनों के लिए उचित और समान अवसर प्राप्त कर सकें।

(झ) सिफारिश के कार्यान्वयन के बाद समिति ने यह निर्धारित किया है कि तीन विपणन कंपनियां होंगी अर्थात् आई.ओ.सी., एच.पी.सी. और बी.पी.सी. - आई.बी.पी.। यह अनुभव करती है कि किसी बाद वाली तारीख को एक नियंत्रण कंपनी के अम्ब्रेला के माध्यम से एच.पी.सी., बी.पी.सी. - आई.बी.पी., सी.आर.एल., एम.आर.एल. और एन.आर.एल. के सम्मिलन की सम्भावना का पता लगाया जाना चाहिए। यह नया अस्तित्व आई.ओ.सी. के आकार के समान होगा और न केवल अच्छी प्रतिस्पर्द्धा प्रदान करेगा बल्कि तेल क्षेत्र की अंतरराष्ट्रीय बड़ी कम्पनियों के साथ प्रतिस्पर्धा में एक विश्वव्यापी कंपनी के रूप में भी सामने आ सकता है।

राष्ट्रीय पहचान पत्र योजना

47. **श्री टी.एम. सेल्वागनपति** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय पहचान पत्र योजना का कोई संभाव्यता संबंधी अध्ययन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस योजना के संबंध में कोई परामर्शदात्री समिति गठित की है; और

(ग) यदि हां, तो कथित समिति के सदस्य कौन-कौन हैं और तत्संबंधी उद्देश्य क्या हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) मैसर्स टाटा कन्सलटेन्सी सर्विस को देश में बहु-उद्देशीय राष्ट्रीय पहचान पत्र योजना के बारे में व्यवहारिकता रिपोर्ट तैयार करने का कार्य सौंपा गया है।

(ख) और (ग) व्यवहारिकता रिपोर्ट तैयार करने के दौरान मैसर्स टाटा कन्सलटेन्सी सर्विस के साथ समय-समय पर विचार-विमर्श करने के लिए गृह मंत्रालय और अन्य संबंधित केन्द्रीय एजेन्सियों के वरिष्ठ अधिकारियों की एक परामर्शदात्री समिति गठित की गई है।

[हिन्दी]

चुनाव सुधार

48. **श्री रामशकल** : क्या **विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विधि आयोग से सरकार को चुनाव सुधारों संबंधी सिफारिशें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा चुनाव प्रक्रिया में सुधार के लिए क्या उपाय किए जाने का प्रस्ताव है;

(घ) क्या सरकार चुनाव सुधारों हेतु गठित गोस्वामी और गुप्त समिति की रिपोर्ट पर भी विचार करेगी;

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री (श्री राम जेठमलानी): (क) जी, हां।

(ख) विधि आयोग की एक सौ सत्तरवीं रिपोर्ट, जिसमें निर्वाचन विधि के सुधार से संबंधित सिफारिशों के ब्यौरे हैं, पहले ही, 27.10.1999 को लोक सभा के समक्ष रख दी गई हैं।

(ग) से (च) सरकार निर्वाचन विधियों में आवश्यक सुधार लाने के लिए प्रतिबद्ध है। इस संबंध में, गोस्वामी और गुप्त समितियों द्वारा की गई सिफारिशों और साथ ही अन्य स्रोतों से प्राप्त सिफारिशों पर विचार किया जाएगा। इस विषय पर सतर्क विचार-विमर्श की आवश्यकता है और इसीलिए, इस निमित्त कोई समय-सीमा संबंधी सुझाव देना संभव नहीं है।

[अनुवाद]

अवयस्क बालिकाओं का अपहरण

49. **श्री रामसागर रावत** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अक्तूबर 1999 में दिल्ली के दरियागंज क्षेत्र से 13 और 15 वर्ष की दो मुस्लिम बालिकाओं का अपहरण हुआ था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या दिल्ली पुलिस ने इस संबंध में कोई मामला दर्ज नहीं किया है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या उन बालिकाओं का पता लगाया गया है; और

(च) यदि नहीं, तो इस संबंध में दोषी पाए गए लोगों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है/किए जाने का प्रस्ताव है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) से (च) 12 अक्तूबर, 1999 को दरियागंज क्षेत्र से दो नाबालिग मुस्लिम लड़कियों का अपहरण किया गया था, लेकिन उनके अभिभावकों ने 13 अक्तूबर, 1999 को इस घटना की जानकारी पुलिस को दी जिसके आधार पर दरियागंज पुलिस स्टेशन में उसी दिन एक आपराधिक मामला दर्ज किया गया था। बाद में पुलिस ने दोनों लड़कियों को बरामद कर लिया था और उन्हें उनके अभिभावकों को सौंप दिया था। अभियुक्त व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया और न्यायिक हिरासत में रखा गया।

पथ कर का निर्धारण

50. डा. जसवंत सिंह यादव : क्या **जल भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राष्ट्रीय राजमार्गों और उन पर बने पुलों पर पथ कर लगाने के क्या मानदण्ड निर्धारित किए गए हैं;

(ख) क्या शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में यह पथकर समान है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

जल भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देवेन्द्र प्रधान): (क) राष्ट्रीय राजमार्ग के ऐसे पूरे खंड अथवा उसके भाग अथवा पुल अथवा दोनों के निर्माण रख-रखाव और प्रबंधन प्रचालन में हुए व्यय को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय राजमार्ग के किसी खंड पर बने पुलों अथवा पुल अथवा दोनों के प्रयोग के संबंध में प्रदान की गई सेवा के लिए शुल्क ही पथकर है। राष्ट्रीय राजमार्गों के 4 लेन वाले खंडों में यह शुल्क, वाहन प्रचालन लागत में बचत, इन क्षेत्रों में स्वीकार्यता, परियोजना लागत और मंत्रिमंडल द्वारा निर्धारित सीमा पर आधारित है।

(ख) जी हां।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

उपभोक्ताओं को विद्युत की आपूर्ति

51. श्री के. मुरलीधरन : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार वर्ष 2000 में देश में सभी उपभोक्ताओं को विद्युत उपलब्ध करा देगी; और

(ख) यदि हां, तो इस दिशा में उठाए गए/उठाए जाने वाले कदमों का ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्री (श्री पी.आर. कुमारमंगलम): (क) और (ख) वर्ष 2000 में देश में सभी उपभोक्ताओं को विद्युत उपलब्ध कराना सम्भव नहीं होगा।

प्रतिपूरक वानिकीकरण

52. श्री बसुदेव आचार्य : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने उन क्षेत्रों के लिए प्रतिपूरक वानिकीकरण संबंधी कोई नीति तैयार की है जहां विकास कार्य के कारण पेड़ों को काटा गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी): (क) जी, हां। विभिन्न विकास परियोजनाओं के लिए वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत परिवर्तित किए गए वन क्षेत्र के बदले में प्रतिपूरक वनीकरण के लिए मंत्रालय ने विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

(ख) वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के नियमों और दिशा-निर्देशों की 10 प्रतियां संसद के पुस्तकालय में उपलब्ध कराई गई हैं।

जम्मू और कश्मीर के लिये वित्तीय पैकेज

53. श्री अजय चक्रवर्ती : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जम्मू और कश्मीर के लिये एक नया वित्तीय पैकेज तैयार किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य विशेषतायें क्या हैं?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी): (क) जम्मू और कश्मीर राज्य के लिए आज तक, कोई नया वित्तीय पैकेज तैयार नहीं किया गया है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता है।

[हिन्दी]

बिहार में वनों के विकास के लिए योजना आबंटन

54. श्री राजो सिंह : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान बिहार में पर्यावरण और वनों के विकास के लिए आबंटित योजना का ब्यौरा क्या है; और

(ख) उक्त उद्देश्य हेतु वेतन और रख-रखाव के अलावा आबंटित योजना की कितनी धनराशि का उपयोग किया गया?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी): (क) और (ख) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने बिहार राज्य को पर्यावरण और वनों के विकास हेतु वर्ष 1996-97, 1997-98 तथा 1998-99 के दौरान क्रमश: 480.37 लाख रु. 188.60 लाख रु. तथा 242.04 लाख रु. की धनराशि जारी की है। यह सारी धनराशि विभिन्न स्कीमों के तहत की जाने वाली विकासात्मक गतिविधियों हेतु अनुमोदित घटकों पर खर्च की जानी है।

[अनुवाद]

पश्चिम बंगाल और बिहार में तारघर

55. श्री बीर सिंह महतो : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार पश्चिम बंगाल और बिहार में नए तार घर खोलने तथा विद्यमान तारघरों को आधुनिक बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं/ उठाए जाने का विचार है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) से (ग) टेलीफोन-नेटवर्क के विस्तार के साथ-साथ, "टेलीग्राफ ट्रैफिक" धीरे-धीरे घट रहा है। पश्चिम बंगाल व बिहार में नए तार-घर खोलने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

बिहार के 'चतरा कोडर्मा', पाकुर व शिवहर में "तार-प्रणाली" के उन्नयन (अपग्रेडेशन) हेतु जांच की जा रही है

"तार प्रणाली" का आधुनिकीकरण पहले ही किया जा चुका है। पश्चिम बंगाल व बिहार, दोनों में ही "डिजिटल इलैक्ट्रॉनिक एस.एफ.एम.एस./एस.एफ.टी. प्रणालियां मौजूद हैं।

नियंत्रण रेखा पर सीमा पार से होने वाली भारी गोलीबारी

56. श्री सुशील कुमार शिन्दे :
श्री रामचन्द्र बैंदा :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कारगिल-द्रास और अन्य निकटवर्ती पहाड़ी चोटियों को पाकिस्तानी घुसपैठियों और सशस्त्र बलों से खाली कराए जाने के बाद भी आम नागरिकों पर सीमा पार से जम्मू और कश्मीर की सीमा पर भारी गोलीबारी जारी है;

(ख) यदि हां, तो दोनों तरफ के हताहतों की संख्या को इंगित करते हुए ऐसी दुर्घटनाओं की संख्या और अन्य ब्यौरा क्या है;

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) इस चुनौती का सामना करने और इस प्रकार की गतिविधियों पर रोक लगाने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) और (ख) हालांकि, कारगिल, द्रास और इसके साथ लगे क्षेत्रों से घुसपैठियों का सफाया कर दिया गया है फिर भी पाकिस्तानी सैनिक अन्तर्राष्ट्रीय सीमा/नियंत्रण रेखा पर, करीब-करीब प्रतिदिन, रुक-रुक कर गोलाबारी करते रहते हैं जिसके परिणामस्वरूप सुरक्षा बलों के 17 कार्मिक तथा 11 सिविलियनों की जानें गई हैं।

(ग) और (घ) सरकार को पाकिस्तान की आई.एस.आई. आतंकवादियों की घुसपैठ करवा कर हिंसा करवाने के लिए गुमराह हुए युवकों को चुनकर उन्हें प्रशिक्षित करने सहित देश के विभिन्न भागों में आतंकवादी और विघटनकारी गतिविधियों को प्रयोजित करके भारत को अस्थिर करने के नापाक इरादों की जानकारी है। अत: स्थिति पर कड़ी और निकट से नजर रखी जा रही है तथा सीमा पर प्रबन्धन को बेहतर बनाने समेत आतंकवादियों और विघटनकारी तत्वों के खिलाफ सतत् अभियान चलाने जैसी सभी आवश्यक उपाय किए जा रहे हैं ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि वे अपने इरादों में सफल न हो सकें। सरकार ने अनेक कदम उठाए हैं जिनमें, अन्य बातों के साथ-साथ, आसूचना तंत्र को सुग्राही और सक्रिय बनाना, संबंधित केन्द्रीय और राज्य एजेन्सियों के बीच आसूचना का आदान-प्रदान करना तथा समन्वित कार्रवाई करना, सीमा पर बाड़ लगाना, सीमा पर गश्त तेज करना, सुरक्षा बलों के तकनीकी उपकरणों का उन्नयन करना तथा चैक पोस्टों की संख्या बढ़ाना शामिल है।

[हिन्दी]

गोवा में वनों का विकास

57. श्री श्रीपाद येसो नाईक : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गोवा सरकार ने राज्य में वनों के विकास हेतु केन्द्र सरकार को कोई योजना प्रस्तुत की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त परियोजना की मंजूरी हेतु सरकार द्वारा कौन-कौन से कदम उठाए गए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी): (क) से (ग) वनों के विकास के संबंध में गोआ राज्य सरकार से प्राप्त परियोजनाओं में से, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने निम्नलिखित केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों के तहत परियोजना प्रस्तावों को मंजूरी दी है:-

(1) *क्षेत्रोन्मुख ईंधन लकड़ी एवं चारा परियोजना स्कीम :* मंत्रालय ने 500 है. क्षेत्र को शामिल करते हुए 37.92 लाख रु. मंजूर किए हैं और इनमें से वर्ष 1997-98, 1998-99 और 1999-2000 में क्रमश: 8.0 लाख रु. 7.55 लाख रु. और 5.69 लाख रु. जारी किए हैं।

(2) *औषधीय वनस्पतियों सहित वनेतर इमारती लकड़ी उत्पाद संरक्षण एवं विकास स्कीम :* चालू पंचवर्षीय योजना के दौरान 720 हे. क्षेत्र को शामिल करके मंजूर किए गए 57.42 लाख रु. की तुलना में मंत्रालय ने वर्ष 1997-98, 1998-99 और 1999-2000 में क्रमश: 19.09 लाख रु., 18.93 लाख रु. और 8.70 लाख रु. जारी किए हैं।

(3) *वृक्ष और चारागाह बीज विकास स्कीम :* मंत्रालय ने नौवीं योजना के दौरान उपर्युक्त स्कीम के तहत 42.56 लाख रु. की कुल लागत वाली एक परियोजना को भी मंजूरी प्रदान की है।

[अनुवाद]

सामाजिक वानिकी परियोजनाएं

58. श्री अशोक कुमार सिंह चन्देल :
डा. रघुवंश प्रसाद सिंह :

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों में शुरू की गई सामाजिक वानिकी परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान राज्यवार और वर्षवार कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की गई है; और

(ग) अभी तक प्रत्येक राज्य में इन परियोजनाओं की क्या उपलब्धि रही है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी): (क) 20-सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत वनीकरण

और वृक्षारोपण गतिविधियों के लिए दो भागों में वार्षिक लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं: पहले भाग में निजी भूमियों पर वृक्षारोपण के लिए पौध वितरण करना तथा दूसरे भाग में वन भूमियों सहित सार्वजनिक भूमियों पर वनीकरण करना। सामाजिक वानिकी के भाग के रूप में चलाई गई वृक्षारोपण गतिविधियों को इसके अन्तर्गत शामिल किया जाता है।

(ख) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की वनीकरण योजनाओं के अन्तर्गत पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक राज्य को उपलब्ध कराई गई कुल वित्तीय सहायता का ब्यौरा विवरण-I में संलग्न है।

(ग) 20-सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्यवार लक्ष्यों और उपलब्धियों का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

विवरण I

1996-97 से 1998-99 के दौरान राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों को उपलब्ध कराई गई वित्तीय सहायता को दर्शाने वाला विवरण

(लाख रु. में)

क्र.सं.	राज्य	1996-97	1997-98	1998-99
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	403.26	191.27	276.71
2.	अरूणाचल प्रदेश	112.39	71.21	19.94
3.	असम	170.56	138.85	147.95
4.	बिहार	133.78	134.84	66.38
5.	गोवा	15.06	13.22	13.87
6.	गुजरात	241.67	230.39	242.8
7.	हरियाणा	445.08	292.68	409.18
8.	हिमाचल प्रदेश	313.5	170.71	114.48
9.	जम्मू कश्मीर	536.75	387.04	494.19

1	2	3	4	5
10.	कर्नाटक	496.78	387.73	184.46
11.	केरल	155.03	232.67	310.31
12.	मध्य प्रदेश	820.11	607.6	849.58
13.	महाराष्ट्र	150.61	184.97	165.85
14.	मणिपुर	479.68	216.3	469.07
15.	मेघालय	155.96	77.11	108.26
16.	मिजोरम	299.81	262.02	243.46
17.	नागालैंड	20	0	15.23
18.	उड़ीसा	223.2	139.14	348.69
19.	पंजाब	227.5	256.18	62.81
20.	राजस्थान	568.41	605.47	663.05
21.	सिक्किम	366.65	193.59	343.08
22.	तमिलनाडु	148.45	133.45	135.26
23.	त्रिपुरा	93.45	165.65	106.46
24.	उत्तर प्रदेश	1410.13	450.86	590.62
25.	पश्चिम बंगाल	331.49	171.79	354.29
	कुल	8319.31	5714.64	6735.98

विवरण-II

1996-97 से 1998-99 के दौरान 20-सूत्री कार्यक्रम के तहत वनीकरण गतिविधियों के लिए लक्ष्य/उपलब्धियां

(क्षेत्र हेक्टेयर में)
(पौधे लाखों में)

क्र. सं.	राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश का नाम	1996-97				1997-98				1998-99			
		लक्ष्य		उपलब्धियां		लक्ष्य		उपलब्धियां		लक्ष्य		उपलब्धियां	
		पौध वितरण (निजी भूमि पर वृक्षारोपण के लिए)	क्षेत्र (वन भूमि सहित सार्वजनिक भूमि)	पौध वितरण (निजी भूमि पर वृक्षारोपण के लिए)	क्षेत्र (वन भूमि सहित सार्वजनिक भूमि)	पौध वितरण (निजी भूमि पर वृक्षारोपण के लिए)	क्षेत्र (वन भूमि सहित सार्वजनिक भूमि)	पौध वितरण (निजी भूमि पर वृक्षारोपण के लिए)	क्षेत्र (वन भूमि सहित सार्वजनिक भूमि)	पौध वितरण (निजी भूमि पर वृक्षारोपण के लिए)	क्षेत्र (वन भूमि सहित सार्वजनिक भूमि)	पौध वितरण (निजी भूमि पर वृक्षारोपण के लिए)	क्षेत्र (वन भूमि सहित सार्वजनिक भूमि)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	आंध्र प्रदेश	110.00	50000	1425.30	114667.00	1100.00	50000	2027.30	135185.00	1100.00	55000	2040.64	160881.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	6.00	9500	6.00	6613.00	7.00	10000	16.00	6317.00	7.00	10000	3.85	729.00
3.	असम	25.00	27500	48.68	18517.70	25.00	27000	25.00	3642.00	25.00	27000	25.00	5963.00
4.	बिहार	500.00	40000	78.50	9296.00	500.00	4000	110.33	14222.00	500.00	40000	148.30	10177.00
5.	गोवा	30.00	1800	23.00	1351.00	30.00	1800	13.74	1123.30	30.00	1800	11.13	777.00
6.	गुजरात	1908.00	65597	2110.20	89393.00	1900.00	65000	1919.04	62866.00	1900.00	70000	1920.00	70414.00
7.	हरियाणा	200.00	32000	73.73	23235.00	200.00	32000	33.57	17931.00	200.00	32000	35.82	17905.00
8.	हिमाचल प्रदेश	20.00	28000	26.98	2750.3	20.00	30000	30.38	28000.00	20.00	30000	39.05	31300.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9.	जम्मू कश्मीर	60.00	24000	59.85	24927.00	60.00	24000	60.00	22125.00	60.00	24000	91.16	16323.00
10.	कर्नाटक	400.00	65000	235.75	60637.00	400.00	65000	256.35	52423.05	400.00	68000	613.93	93028.00
11.	केरल	180.00	19000	45.46	15168.00	180.00	19000	10.98	3350.00	180.00	19000	1.22	21187.00
12.	मध्य प्रदेश	450.00	150000	169.88	117623.00	450.00	150000	457.73	139211.00	450.00	150000	475.62	188216.00
13.	महाराष्ट्र	1150.00	126000	943.83	100327.91	1150.00	126000	938.02	91910.23	1150.00	126000	837.99	92288.46
14.	मणिपुर	25.00	12000	15.50	12230.00	25.00	12000	7.06	4403.00	25.00	12000	16.45	6197.000
15.	मेघालय	40.00	18000	47.80	1622.00	40.00	18000	71.33	3978.00	40.00	18000	39.00	2324.00
16.	मिजोरम	22.00	19800	67.59	9327.00	22.00	19800	10.97	8589.00	22.00	19800	7.41	6450.00
17.	नागालैण्ड*	60.00	8000	0.00	0.00	60.00	8000	0.00	0.00	60.00	8000	0.00	0.00
18.	उड़ीसा	300.00	79000	811.88	93371.00	300.00	79000	436.70	83825.00	300.00	87000	234.12	62243.00
19.	पंजाब	52.00	20000	88.56	8825.00	52.00	20000	65.86	5046.00	52.00	20000	49.92	10439.00
20.	राजस्थान	380.00	76550	399.41	83440.00	400.00	83000	370.64	58166.00	400.00	85000	385.17	65651.00
21.	सिक्किम	22.00	11000	22.00	9586.00	22.00	11000	22.58	9966.86	22.00	11000	15.20	6254.00
22.	तमिलनाडु	1100.00	85000	1104.64	73501.00	1100.00	85000	1146.10	94325.00	1100.00	90000	498.51	122650.00
23.	त्रिपुरा	23.00	10000	41.19	9034.00	40.00	10000	78.58	8650.00	40.00	10000	28.50	8903.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
24.	उत्तर प्रदेश	2200.00	110000	2121.34	92790.00	2200.00	110000	1977.70	88052.00	2200.00	110000	1620.73	93167.91
25.	पश्चिमी बंगाल	825.00	44000	556.00	21500.00	825.00	44000	228.00	18285.00	825.00	44000	203.00	7901.00
26.	अण्डमान निकोबार द्वीप	5.00	3300	5.05	4019.86	5.00	4500	1.38	3462.00	5.00	4500	1.70	3304.18
27.	चंडीगढ़	0.10	500	0.19	666.67	0.10	500	0.56	66.00	0.10	500	0.47	103.00
28.	दादर एवं नगर हवेली	16.00	1000	10.00	300.00	46.00	1000	7.00	300.00	16.00	1000	3.20	310.00
29.	दमन और दीव	2.00	100	3.18	3.00	2.00	50	0.40	138.00	2.00	50	0.03	4.00
30.	दिल्ली	25.00	1000	23.42	926.00	25.00	1000	3.64	0.00	25.00	1000	20.92	0.00
31.	लक्षद्वीप	5.00	72	4.22	62.00	5.00	75	1.97	22.00	5.00	75	5.00	90.00
32.	पांडिचेरी	5.00	78	5.15	78.33	5.00	75	6.73	58.71	5.00	75	4.82	96.12
	कुल	11136.10	1137797	10574.18	1030549.80	11166.10	1146800	10335.63	965638.15	11166.10	1175000	9377.86	1105275.67

*उपलब्धियों की सूचना नहीं है।

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-7 पर थोप्पुर और होसुर के बीच कार्य पूरा किया जाना

59. श्री पी.डी. एलामणीवन : क्या जल भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-7 पर थोप्पुर और होसुर के बीच के भाग को करीब 120 कि.मी. तक चार लेन वाले कार्य को पूरा किए जाने हेतु कोई कदम उठाया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसे कब तक पूरा कर लिए जाने की संभावना है;

(ग) क्या धरमपुरी, कृष्णागिरी और होसुर के शहरी सीमा क्षेत्र में सर्विस लेन बनाए जाने वाला है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देवेन्द्र प्रधान): (क) और (ख) रा.रा.-7 पर थोप्पुर और होसुर के बीच 75 कि.मी. की लम्बाई में 4 लेन बनाने का कार्य तीन खंडों में करने का प्रस्ताव है। 33 से 48.6 कि.मी. और 156 से 163.4 कि.मी. तक चार लेन बनाने के कार्य का ठेका अभी हाल में दिया गया है। 48.6 से 94.0 कि.मी. तक के खंड

के लिए परियोजना तैयार कर ली गई है और निर्माण पूर्व कार्य प्रगति पर है। अभी यह नहीं बताया जा सकता कि यह सम्पूर्ण कार्य कब तक पूरा कर लिया जाएगा।

(ग) और (घ) कृष्णागिरी और होसुर की शहरी सीमाओं में सर्विस लेन की व्यवस्था यातायात की आवश्यकताओं तथा राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे निर्मित क्षेत्र की सीमा के अनुसार की जानी है।

एम.ए.आर.आर. प्रणाली को वायरलैस प्रणाली में बदलना

60. श्री के.एस. सांगतम : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार सीमावर्ती क्षेत्रों विशेषरूप से नागालैंड और अन्य उत्तरी राज्यों में वर्तमान एम.ए.आर.आर. प्रणाली को वायरलैस प्रणाली में बदलने का है;

(ख) यदि हां, तो इस उद्देश्य के लिए किन-किन क्षेत्रों की पहचान की गई है; और

(ग) यह काम कब तक पूरे होने की संभावना है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) से (ग) वर्तमान एम.ए.आर.आर. सिस्टमों को वायरलैस सिस्टमों में बदलने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

[हिन्दी]

बिहार में टेलीफोन कनेक्शन

61. डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) बिहार में वर्तमान में विशेषकर मुजफ्फरपुर, वैशाली और सीतामढ़ी जिलों में जिलेवार टेलीफोन कनेक्शन के लिए कितने लोग और कब से प्रतीक्षा सूची में हैं;

(ख) बिहार में विशेषकर उक्त जिलों में प्रतीक्षा सूची के आवेदकों को कब तक टेलीफोन कनेक्शन दे दिये जाने की संभावना है;

(ग) राज्य के कितने गांवों में सार्वजनिक टेलीफोन सुविधा उपलब्ध करायी गयी है और कितने गांवों में अभी भी यह सुविधा नहीं है; और

(घ) राज्य के सभी गांवों को सार्वजनिक टेलीफोन सुविधा उपलब्ध कराने की योजना का ब्यौरा क्या है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) 31.10.99 की स्थिति के अनुसार बिहार में टेलीफोन कनेक्शनों के लिए प्रतीक्षा सूची में दर्ज व्यक्तियों की संख्या 95,100 है। मुजफ्फरपुर, वैशाली तथा सीतामढ़ी जिलों में सबसे पुरानी प्रतीक्षा सूची की तारीखें नीचे दी गयी हैं:-

जिले का नाम	सबसे पुरानी प्रतीक्षा सूची
मुजफ्फरपुर	31.3.95
वैशाली	15.3.93
सीतामढ़ी	12.12.94

(ख) बिहार के उपर्युक्त जिलों में टेलीफोन कनेक्शनों के लिए प्रतीक्षा सूची में दर्ज व्यक्तियों को 31.3.2001 तक टेलीफोन कनेक्शन प्रदान कर दिये जाने की संभावना है। बशर्ते कि तकनीकी व्यवहार्यता हो।

(ग) 1.11.99 की स्थिति के अनुसार राज्य में जिन गांवों को सार्वजनिक टेलीफोन प्रदान किये गये हैं, उनकी संख्या 20893 है और जो गांव टेलीफोन सुविधा से वंचित हैं, उनकी संख्या 58315 है।

(घ) शेष बच रहे 58315 गांवों के मार्च, 2002 तक क्रमिक रूप से टेलीफोन सुविधा प्रदान कर दिये जाने का प्रस्ताव है।

[अनुवाद]

कर्नाटक में रसोई गैस उपभोक्ता

62. श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कर्नाटक में विभिन्न तेल निगमों के घरेलू गैस उपभोक्ताओं की संख्या कितनी है;

(ख) क्या कर्नाटक के विभिन्न तेल निगमों विशेषकर इन्डेन के उपभोक्ताओं के सिलिंडर भरने में अत्यधिक देरी हुई है; और

(ग) यदि हां, तो राज्य में उपभोक्ताओं को घरेलू एल.पी.जी. सिलेंडरों की तुरन्त आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाये जाने का प्रस्ताव है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. पोन्नुस्वामी): (क) कर्नाटक राज्य में सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम की तेल कम्पनियों के घरेलू ग्राहकों की संख्या निम्नानुसार है:-

आई.ओ.सी.	7.99 लाख
बी.पी.सी.	4.87 लाख
एच.पी.सी.	9.09 लाख

(ख) और (ग) देश में सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम तेल कंपनियों के पंजीकृत एल.पी.जी. ग्राहकों की मांग कुल मिलाकर पूरी कर ली गई है। फिलहाल कर्नाटक राज्य में एल.पी.जी. रीफिलों की आपूर्ति में कोई कमी सूचित नहीं की गई है। तथापि, जब कंभी भी एल.पी.जी. का बैकलाग उत्पन्न होता है, तब तेल कम्पनियां प्रभावित बाजारों में मांग को पूरा करने के लिए आयात बढ़ाने आदि सहित विभिन्न उपाय करती हैं।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में रसोई गैस कनेक्शन की प्रतीक्षा सूची

63. डा. बलिराम : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 10 अक्तूबर, 1999 की स्थिति के अनुसार उत्तर प्रदेश के आजमगढ़, मऊ, देवरिया, गाजीपुर, जौनपुर, वाराणसी और इलाहाबाद जिलों में एल.पी.जी. कनेक्शन प्रतीक्षा सूची की स्थिति क्या है; और

(ख) प्रतीक्षा सूची को निपटाने तथा उक्त जिलों में एल.पी.जी. कनेक्शन मांग पर उपलब्ध कराने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. पोन्नुस्वामी): (क) उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में 1.10.1999 की स्थिति के अनुसार सार्वजनिक क्षेत्र तेल कंपनियों के पास दर्ज नए एल.पी.जी. कनेक्शनों की प्रतीक्षा सूची नीचे दी गई है:

जिला	लम्बित प्रतीक्षा सूची
आजमगढ़	15751
मऊ	03800
देवरिया	10992
गाजीपुर	04406
जौनपुर	12372
वाराणसी	65869
इलाहाबाद	90102

(ख) प्रतीक्षा सूची में से नए कनेक्शन जारी किया जाना उत्पाद उपलब्धता, मौजूदा वितरकों के पास उपलब्ध स्लैक, नए-नए चालू हुए वितरकों को न्यूनतम पोषणीय आबंटन आदि पर निर्भर करता है। आयातों और स्वदेशी उत्पादन के जरिए एल.पी.जी. की अधिकाधिक प्रत्याशित उपलब्धता से भविष्य में और कनेक्शन जारी किए जाने की योजना है तथा वर्ष 2001-2002 तक संपूर्ण प्रतीक्षा सूची निपटा लिए जाने की आशा है।

[अनुवाद]

कर्नाटक उच्च न्यायालय में खंडपीठ की स्थापना

64. श्री आर.एल. जालप्पा : क्या विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने धारवाड़ में कर्नाटक उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ की स्थापना का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो इस निर्णय के क्रियान्वित न होने के क्या कारण हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा न्यायमूर्ति जसवन्त सिंह आयोग की सिफारिशों के अनुसार धारवाड़ में कर्नाटक उच्च

न्यायालय की खंडपीठ स्थापित करने के लिए क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री (श्री राम जेठमलानी): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) कर्नाटक सरकार का यह विचार है कि कर्नाटक उच्च न्यायालय की एक स्थायी न्यायपीठ हुबली धारवाड़ में स्थापित की जानी चाहिए। फिर भी, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यामूर्ति ने, अभी तक, प्रस्ताव पृष्ठांकित नहीं किया है। भारत सरकार की यह नीति है कि राज्य सरकार और उच्च न्यायालय दोनों ही, इस मामले के सभी पहलुओं पर विचार करें और सर्वसम्मति पर पहुंचें। चूंकि, हुबली धारवाड़ में उच्च न्यायालय की न्यायपीठ की स्थापना के लिए, कर्नाटक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से, कर्नाटक सरकार से कोई पूर्ण प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है, अतः, केन्द्रीय सरकार के लिए इस मामले में कोई विनिश्चय करना संभव नहीं है।

राष्ट्रीय राजमार्गों पर दुर्घटनायें

65. श्री रामचन्द्र बैंदा : क्या जल भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों पर राज्यवार कितनी दुर्घटनायें हुईं;

(ख) उक्त अवधि के दौरान वर्ष-वार और राज्यवार इन दुर्घटनाओं में कितने लोग मारे गये; और

(ग) सड़क दुर्घटनाओं को कम करने और इन पर अंकुश लगाने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं?

जल भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देवेन्द्र प्रधान): (क) और (ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों पर हुई सड़क दुर्घटनाओं और उनमें मारे गए/घायल हुए व्यक्तियों की राज्यवार संख्या दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ग) निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:-

(1) दो-लेन खंडों को चार-लेन खंडों में चौड़ा करना।

(2) एक-लेन को दो-लेन में चौड़ा करना।

(3) रेज्ड शोल्डर्स उपलब्ध कराना।

(4) कमजोर पेवमेंट को सुदृढ़ करना।

(5) कमजोर और संकरे पुलों और पुलियों का पुनर्निर्माण।

(6) लेवल क्रासिंग को पुलोपरि सड़क द्वारा प्रतिस्थापित करना।

(7) रेट्रो-रिफ्लेक्टिव सड़क संकेतों का प्रावधान करना।

(8) थर्मोप्लास्टिक सड़क चिन्हन।

(9) लेबाई, और

(10) अधिक यातायात वाले कारिडोरों में मार्गस्थ सुविधाएं उपलब्ध कराना इत्यादि।

राष्ट्रीय राजमार्गों पर हुई सड़क दुर्घटनाओं और उनमें मारे गए तथा घायल हुए व्यक्तियों की संख्या दर्शाने वाला विवरण

दुर्घटनाओं की संख्या

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1996	1997	1998
1	2	3	4
आंध्र प्रदेश	7117	5679	8245
अरूणाचल प्रदेश	63	54	51

1	2	3	4
असम	1464	1584	1647
बिहार	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
गोवा	946	886	1000
गुजरात	4967	7071	7765
हरियाणा	2385	2316	अनुपलब्ध
हिमाचल प्रदेश	704	661	1033
जम्मू और कश्मीर	324	567	अनुपलब्ध
कर्नाटक	8040	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
केरल	7577	7508	7212
मध्य प्रदेश	6816	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
महाराष्ट्र	16513	16473	अनुपलब्ध
मणिपुर	163	161	192
मेघालय	175	203	250
मिजोरम	46	27	61
नागालैंड	73	22	43

1	2	3	4
उड़ीसा	2264	2107	अनुपलब्ध
पंजाब	876	1229	अनुपलब्ध
राजस्थान	6501	6924	7219
सिक्किम	66	48	32
तमिलनाडु	12300	13107	13731
त्रिपुरा	125	291	108
उत्तर प्रदेश	5622	5648	5741
पश्चिम बंगाल	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
अंडमान निकोबार	शून्य	शून्य	शून्य
चंडीगढ़	51	56	38
दादरा एवं नगर हवेली	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
दमन और दीव	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
दिल्ली	1057	1227	1155
लक्षद्वीप	शून्य	शून्य	शून्य
पांडिचेरी	209	233	215
जोड़	86444	74082	55738

मृत व्यक्तियों की संख्या

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1996	1997	1998
1	2	3	4
आंध्र प्रदेश	2580	2228	3102
अरूणाचल प्रदेश	13	13	28
असम	760	866	787
बिहार	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
गोवा	96	111	107
गुजरात	1121	1590	1380
हरियाणा	1211	1110	अनुपलब्ध
हिमाचल प्रदेश	216	181	292
जम्मू और कश्मीर	173	131	अनुपलब्ध
कर्नाटक	1974	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
केरल	859	851	826
मध्य प्रदेश	1355	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
महाराष्ट्र	3043	3197	अनुपलब्ध
मणिपुर	32	43	40
मेघालय	58	100	87
मिजोरम	31	12	39

1	2	3	4
नागालैंड	50	15	10
उड़ीसा	763	673	अनुपलब्ध
पंजाब	561	938	अनुपलब्ध
राजस्थान	2058	2078	2118
सिक्किम	11	10	10
तमिलनाडु	2787	2775	3106
त्रिपुरा	45	59	46
उत्तर प्रदेश	3098	3165	3318
पश्चिम बंगाल	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	शून्य	शून्य	शून्य
चंडीगढ़	26	25	14
दादरा एवं नगर हवेली	शून्य	शून्य	शून्य
दमन और दीव	शून्य	शून्य	शून्य
दिल्ली	280	415	305
लक्षद्वीप	शून्य	शून्य	शून्य
पांडिचेरी	27	32	34
जोड़	23228	20618	15649

घायल हुए व्यक्तियों की संख्या

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1996	1997	1998
1	2	3	4
आंध्र प्रदेश	7982	7052	9286
अरूणाचल प्रदेश	94	134	62
असम	2288	2623	2364
बिहार	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
गोवा	782	605	695
गुजरात	4937	7069	7735
हरियाणा	3089	2554	अनुपलब्ध
हिमाचल प्रदेश	996	1006	1488
जम्मू और कश्मीर	395	526	अनुपलब्ध
कर्नाटक	11824	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
केरल	11673	10748	10805
मध्य प्रदेश	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
महाराष्ट्र	13289	13388	अनुपलब्ध
मणिपुर	295	294	472
मेघालय	184	329	165

1	2	3	4
मिजोरम	117	57	147
नागालैंड	76	63	30
उड़ीसा	2727	2669	अनुपलब्ध
पंजाब	813	1077	अनुपलब्ध
राजस्थान	7961	7664	9122
सिक्किम	115	69	40
तमिलनाडु	11159	9074	9822
त्रिपुरा	174	504	209
उत्तर प्रदेश	4136	4084	4437
पश्चिम बंगाल	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	शून्य	शून्य	शून्य
चंडीगढ़	39	44	34
दादरा एवं नगर हवेली	शून्य	शून्य	शून्य
दमन और दीव	शून्य	शून्य	शून्य
दिल्ली	1029	1011	1012
लक्षद्वीप	शून्य	शून्य	शून्य
पांडिचेरी	188	265	204
जोड़	86362	72909	58129

डाकखानों के परिसरों में निजी दुकानों का आबंटन

66. श्री सुल्तान सल्लाउद्दीन ओवेसी : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) डाकखानों में निजी दुकानें आबंटित करने के लिए मौजूदा मानदंड क्या हैं;

(ख) क्या इन मानदंडों का उल्लंघन कर आंध्र प्रदेश में बड़ी संख्या में दुकानें आबंटित की गई हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) हैदराबाद के डाकखानों में कितनी दुकानें आबंटित की गई हैं;

(ङ) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई जांच कराई है;

(च) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले; और

(छ) दोषी अधिकारियों के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) डाक विभाग की पोस्ट शॉप नामक एक स्कीम है जिसमें डाकघर के व्यवसाय से जुड़ी वस्तुओं के विक्रय के लिए डाकघर में एक स्थान उपलब्ध कराया जाता है। इस स्कीम का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) जी नहीं।

(ग) भाग (ख) में दिए गए उत्तर को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(घ) हैदराबाद में किसी भी डाकघर में ऐसी पोस्ट शॉप आबंटित नहीं की गई है।

(ङ) से (छ) भाग (क) से (घ) में दिए गए उत्तर को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

पोस्ट शॉप स्कीम का विवरण

1. पोस्ट शॉप विभागीय भवनों में कार्य कर ऐसे डाकघरों में खोली जा सकती है जहां पर्याप्त स्थान उपलब्ध हो।

2. ऐसी पोस्ट शॉप खोलने के लिए जन-साधारण से प्रस्ताव/निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं। इनकी जांच एक समिति द्वारा की जाती है जिसमें मुख्य पोस्टमास्टर जनरल, सर्किल के आंतरिक वित्त सलाहकार तथा अधीक्षक इंजीनियर (सिविल) शामिल होते हैं।

3. सभी बातें समान रहने पर ऐसी उच्चतम बोली को स्वीकार किया जाता है, जिसमें पोस्ट शॉप खोलने के लिए अधिकतम धनराशि देने का प्रस्ताव होता है।

4. पोस्ट शॉप चलाने के लिए काउंटर आदि बनाने पर होने वाला खर्च चयनित आवेदक द्वारा स्वयं वहन किया जाता है।

5. पोस्ट शॉप डाकघर के कार्य घण्टों के दौरान कार्य करती है।

विद्युत उत्पादन

67. श्री अधीर चौधरी : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आज की तिथि तक देश में कुल विद्युत उत्पादन क्षमता का ब्यौरा क्या है; और

(ख) आज की तिथि तक प्रति व्यक्ति वार्षिक विद्युत खपत कितनी है?

विद्युत मंत्री (श्री पी.आर. कुमारमंगलम): (क) 31.10.99 की स्थितिनुसार देश में अधिष्ठापित अखिल भारतीय विद्युत उत्पादन क्षमता निम्नवत है:-

जल विद्युत	23024.78 मे.वा.
ताप विद्युत	68985.76 मे.वा.
न्यूक्लीय	2240.00 मे.वा.
पवन	1024.00 मे.वा.
कुल	95274.54 मे.वा.

(ख) वर्ष 1997-98 में केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा एकत्रित की गई सूचनाओं के अनुसार देश में अनंतिम वार्षिक प्रति व्यक्ति विद्युत खपत 349.05 कि.वा.घ. थी।

चंडीगढ़ में गैस आधारित बिजली पावर स्टेशन

68. श्री पवन कुमार बंसल : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या चण्डीगढ़ प्रशासन ने संघ राज्य क्षेत्र में गैस आधारित ताप विद्युत उत्पादन संयंत्र की स्थापना के लिए सरकार से अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और इस संबंध में क्या प्रगति हुई है?

विद्युत मंत्री (श्री पी.आर. कुमारमंगलम): (क) और (ख) चंडीगढ़ प्रशासन ने चंडीगढ़ में 120 मे.वा. क्षमता का तरल ईंधन आधारित विद्युत स्टेशन की अधिष्ठापना करने का निर्णय लिया था और आवश्यक परामर्श प्रदान करने के लिए एन.टी.पी.सी. से अनुरोध किया था। उनके अनुरोध पर नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन (एन.टी.पी.सी.) ने विद्युत परियोजना की स्थापना के लिए आवश्यक परामर्श प्रदान किये हैं तथा चंडीगढ़ प्रशासन को व्यवहार्यता रिपोर्ट का प्रारूप प्रस्तुत किया है।

[हिन्दी]

महाराष्ट्र में राष्ट्रीय राजमार्गों की जीर्ण-शीर्ण स्थिति

69. श्री रामशेठ ठाकुर : क्या जल भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को महाराष्ट्र के विशेषकर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 4 और 17 की जीर्ण-शीर्ण स्थिति की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इन राजमार्गों को गाड़ी चलने योग्य बनाने के लिए क्या कदम उठाए हैं और इस उद्देश्य के लिए कितनी धनराशि आबंटित की गयी है; और

(ग) इन राष्ट्रीय राजमार्गों की स्थिति कब तक ठीक होने की संभावना है?

जल भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देवेन्द्र प्रधान): (क) महाराष्ट्र में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 4 और 17 को उपलब्ध निधियों के भीतर यातायात-योग्य स्थिति में रखा जाता है।

(ख) इन राजमार्गों का राष्ट्रीय राजमार्ग मानकों के अनुरूप विकास करने के लिए इस समय रा.रा.-4 पर 14.38 करोड़ रु. की कुल संस्वीकृत लागत के 26 कार्य और रा.रा.-17 पर 25.69 करोड़ रु. की कुल संस्वीकृत राशि के 28 कार्य प्रगति पर हैं। 1999-2000 के दौरान महाराष्ट्र के लिए सभी राष्ट्रीय राजमार्गों पर मूल कार्यों के लिए 49.00 करोड़ रु. की राशि आबंटित की गई है। इसमें से रा.रा.-4 के लिए 9.18 करोड़ रु. और रा.रा.-17 के लिए 12.98 करोड़ रु. की राशि आबंटित की गई है। इसके अतिरिक्त, 1999-2000 के दौरान महाराष्ट्र में सभी राष्ट्रीय राजमार्गों के अनुरक्षण के लिए 36.05 करोड़ रु. की राशि आबंटित की गई है। रा.रा.-17 के विशेष मरम्मत कार्यों के लिए 10.52 करोड़ रु. की राशि अतिरिक्त रूप से स्वीकृत की गई है और इस कार्य को मार्च, 2000 तक पूरा करने का लक्ष्य है।

(ग) रा.रा. 4 और 17 पर चल रहे अधिकतर कार्यों को जून 2000 तक पूरा करने का लक्ष्य है। राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास और अनुरक्षण एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है और यातायात की गहनता तथा निधियों की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए अतिरिक्त कार्य शुरू करने के प्रयास किए जाते हैं।

[अनुवाद]

पारेषण और वितरण घाटा

70. श्री मोहन रावले : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पारेषण और वितरण घाटा वांछित स्तर से अधिक है;

(ख) यदि हां, तो पारेषण और वितरण घाटे तथा वांछित स्तर से उनकी भिन्नता का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) विद्युत क्षेत्र में किए कुल निवेश में से पारेषण और वितरण नेटवर्क में किए निवेश की भागीदारी कितनी है; और

(घ) पारेषण और वितरण घाटे को कम करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

विद्युत मंत्री (श्री पी.आर. कुमारमंगलम): (क) समग्र देश के लिए पारेषण तथा वितरण हानियां वर्ष 1996-97 में 24.53% थी जो कि वांछित स्तर से काफी अधिक थी। इस विषय पर केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के दिशानिर्देशों के अनुसार भार घनत्व, लाइनों की लम्बाई, प्रणाली की आकृति तथा भार की प्रकृति एवं उसके स्थानिक वितरण आदि पर निर्भर करते हुए हानियों का युक्तिसंगत स्तर 10 से 15% तक हो सकता है।

(ख) पारेषण तथा वितरण हानियों के राज्य-वार ब्यौरे विवरण-I में दिए गए हैं।

(ग) विद्युत क्षेत्र में कुल निवेश के पारेषण तथा वितरण नेटवर्क में निवेश संबंधी हिस्सा योजना-वार विवरण-II में दिया गया है।

(घ) विद्युत वितरण का दायित्व राज्य सरकार/विद्युत बोर्डों पर है। पारेषण तथा वितरण हानियों को कम करने के लिए केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ने दिशानिर्देश जारी किए हैं, जिसमें अन्य बातों के साथ निम्नांकित व्यवस्थाएं हैं:-

- प्रचालन वोल्टेज का उन्नयन
- भार केन्द्रों के पास ट्रांसफॉर्मरों की स्थिति
- उपभोक्ता परिसरों के पास कम क्षमता के ट्रांसफार्मरों का अपनाना
- शन्ट कैपैसिटर्स की स्थापना
- निर्माण तथा प्रचालन तकनीकों में सुधार और दीर्घावधि आधार पर वितरण प्रणाली की डिजाइन तथा आयोजना के लिए क्रमिक तथा कार्यविधिक दृष्टिकोण।

के.वि.प्रा. ने ऊर्जा लेखापरीक्षा करने के लिए दिशानिर्देश भी जारी किए हैं। ये दिशानिर्देश ऊर्जा लेखा परीक्षा अभ्ययन और तकनीकी तथा वाणिज्यिक हानियों को अलग करने की प्रक्रिया का निर्धारण करते हैं।

विद्युत की चोरी को संज्ञेय अपराध घोषित करने के लिए भारतीय बिजली अधिनियम 1910 में आवश्यक संशोधन किए गए हैं।

राज्य सरकारों से विचार-विमर्श के पश्चात् दिसम्बर, 1996 में घोषित विद्युत के लिए समान न्यूनतम राष्ट्रीय कार्य योजना में पारेषण तथा वितरण हानियों में कटौती के निम्नांकित उपाय सुझाए गए हैं:-

1. सभी प्रमुख फीडरों संबंधी उप-केन्द्रों पर अनिवार्य मीटरिंग।
2. सभी नए विद्युत कनेक्शनों को अनिवार्य मीटरिंग कृषि क्षेत्र के 10 हार्सपावर से अधिक सभी कनेक्शनों की मीटरिंग अनिवार्यत: 2 वर्ष की अवधि के भीतर हो जानी चाहिए।
3. सन् 2002 तक सभी विद्युत आपूर्तियों के लिए मीटर लगाना।
4. 100 के.वी.ए. भार से अधिक के उपभोक्ताओं के बारे में अनिवार्य रूप से वार्षिक ऊर्जा लेखा परीक्षा सुनिश्चित किया जाना।
5. बेहतर भार प्रबन्धन के लिए बड़े विद्युत उपभोक्ताओं के लिए दिन में मीटर प्रक्रिया आरंभ की जाएगी।

विवरण-I

राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों में रूपांतरण, पारेषण एवं वितरण संबंधी हानियों की प्रतिशतता (लेखों रहित ऊर्जा समेत)

क्षेत्र	राज्य/केन्द्र शासित क्षेत्र	1992-93	1993-94	1994-95	1995-96	1996-97
1	2	3	4	5	6	7
उत्तरी क्षेत्र	1. हरियाणा	26.78	25.00	30.80	32.39	32.77
	2. हिमाचल प्रदेश	19.98	18.80	19.17	16.41	18.42

1	2	3	4	5	6	7
	3. जम्मू एवं कश्मीर	48.13	46.37	50.07	49.03	49.97
	4. पंजाब	19.61	19.70	17.19	18.32	18.95
	5. राजस्थान	22.71	24.85	24.65	29.29	25.88
	6. उत्तर प्रदेश	24.68	24.37	21.87	22.75	25.06
	7. चंडीगढ़	26.21	27.27	28.44	33.72	21.88
	8. दिल्ली	24.02	32.54	35.08	49.57	49.64
	9. बी.बी.एम.बी.	3.52	3.64	4.05	3.85	3.12
पश्चिम क्षेत्र	1. गुजरात	22.20	20.81	20.87	21.03	21.42
	2. मध्य प्रदेश	22.52	21.78	20.75	19.27	20.59
	3. महाराष्ट्र	18.51	17.83	17.47	18.21	17.72
	4. दमन एवं नगर हवेली	17.98	12.64	11.35	9.31	8.80
	5. गोवा	21.85	24.50	20.87	26.06	23.50
	6. दमन एवं दीव	15.67	22.34	16.30	12.80	8.15
दक्षिण क्षेत्र	1. आन्ध्र प्रदेश	20.65	20.21	18.05	19.58	33.09
	2. कर्नाटक	19.62	19.49	19.35	19.15	18.86
	3. केरल	22.77	20.52	20.81	21.48	21.37
	4. तमिलनाडु	17.30	16.99	17.12	16.13	17.22

1	2	3	4	5	6	7
	5. लक्षद्वीप	18.72	16.99	17.84	17.23	15.11
	6. पांडिचेरी	15.31	15.80	15.00	16.54	17.38
पूर्वी क्षेत्र	1. बिहार	17.15	15.12	15.28	12.62	18.16
	2. उड़ीसा	25.87	23.07	23.66	25.63	50.38
	3. सिक्किम	22.55	22.60	21.22	16.47	29.24
	4. पश्चिम बंगाल	17.53	15.96	19.45	19.98	20.62
	5. अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	23.62	23.71	22.38	19.25	19.15
	6. डी.वी.सी.	1.99	1.33	0.64	2.15	1.98
उत्तर-पूर्वी क्षेत्र	1. असम	21.41	22.44	24.18	27.60	25.97
	2. मणिपुर	22.35	23.92	25.30	24.85	22.95
	3. मेघालय	11.62	17.89	19.03	12.66	19.48
	4. नागालैंड	27.26	33.45	36.12	35.17	26.81
	5. त्रिपुरा	30.64	30.53	31.96	30.86	30.11
	6. अरूणाचल प्रदेश	32.32	42.04	45.30	37.12	32.62
	7. मिजोरम	29.04	31.89	29.76	25.18	34.35
अखिल भारत यूटिलिटियां		21.80	21.41	21.13	22.27	24.53

विवरण-II

विद्युत क्षेत्र में योजना-वार निवेश का ब्यौरा

(करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	योजना अवधि	विद्युत उत्पादन पर किया गया खर्च टी. एंड डी. एंड आर.ई.	उत्पादन एवं टी एंड डी + आर.ई. के मध्य का अनुपात
1.	प्रथम योजना (1951-56)	105	140	1: 1.33
2.	द्वितीय योजना (1956-61)	250	190	1 : 0.76
3.	तृतीय योजना (1961-66)	777	454	1 : 0.58
4.	त्रैवार्षिकी (1966-69)	676	528	1 : 0.78
5.	चौथी योजना (1969-74)	1505	1386	1 : 0.92
6.	पांचवीं योजना (1974-79)	4467	2963	1 : 0.66
7.	वार्षिक योजना (1979-80)	1429	1098	1 : 0.77
8.	छठी योजना (1980-85)	12116	6320	1 : 0.52
9.	सातवीं योजना (1985-90)	24528	12392	1 : 0.51
10.	वार्षिक योजना (1990-91)	7003	2930	1 : 0.42
11.	वार्षिक योजना (1991-92)	10373	3250	1 : 0.31
12.	आठवीं योजना (1992-97)*	49424	26281	1 : 0.53
13.	नौवीं योजना (1997-2002)**	194000	134400	1 : 0.69

*इन अवधियों से संबंधित आंकड़े परिव्यय हैं।

**नौवीं योजना विद्युत विकास से संबंधित कार्यकारी समूह रिपोर्ट के अनुसार।

राष्ट्रीय राजमार्ग-36 के दबोका और दीमापुर के बीच अधूरा निर्माण कार्य

71. **डा. जयंत रंगपी:** क्या जल भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 36 के दबोका और दीमापुर के बीच के मार्ग के अधूरे निर्माण कार्यों का ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त कार्य कब तक पूरा कर लिये जाने की संभावना है;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 36 के उक्त मार्ग पर कितनी धनराशि खर्च की गई है; और

(घ) चालू वर्ष के लिए निर्माण कार्य को पूरा करने के लिए कितनी धनराशि निर्धारित की गई है?

जल भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देवेन्द्र प्रधान): (क) राष्ट्रीय राजमार्ग-36 के दबोका और दीमापुर के बीच की दूरी में निम्नलिखित पांच कार्य प्रगति पर हैं:

(1) पुल सं. 48/2 का निर्माण जिसमें लंगत नदी के लिए एप्रोच मार्गों का निर्माण भी शामिल है।

(2) हरीना नदी पर पुल सं. 112/5 के लिए सुरक्षा कार्य।

(3) 118-125 कि.मी. के लिए भूमि अधिग्रहण।

(4) 18 कि.मी. में स्लैब पुलिया का निर्माण।

(5) चै. 761.80 से चै. 763.50 तक 77 कि.मी. में सड़क किनारे ढकी हुई नाली का निर्माण।

(ख) इन कार्यों को मार्च, 2000 से मार्च, 2001 के बीच पूरा करने का लक्ष्य है।

(ग) राज्य लो.नि.वि. ने इन कार्यों पर मार्च, 1999 तक 85 लाख रु. के कुल व्यय की सूचना दी है।

(घ) चालू वर्ष के दौरान इन कार्यों के लिए 42 लाख रु. की राशि नियत की गई है।

[हिन्दी]

हिमाचल प्रदेश में एस.टी.डी./आई.एस.डी./पी.सी.ओ. बूथ

72. **श्री सुरेश चंदेल:** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान हिमाचल प्रदेश में कुल कितने एस.टी.डी./आई.एस.डी./पी.सी.ओ. बूथ लगाए गए;

(ख) इन एस.टी.डी./आई.एस.डी./पी.सी.ओ. बूथों को आवंटित करने के लिए क्या मानदण्ड अपनाए गए; और

(ग) नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इन बूथों को लगाने के लिए निर्धारित लक्ष्यों का जिलावार ब्यौरा क्या है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान हिमाचल प्रदेश में स्थापित किये गये एस.टी.डी./आई.एस.डी.-पी.सी.ओ. बूथों की संख्या निम्नानुसार दी गयी है:

वर्ष	संस्थापित एस.टी.डी./आई.एस.डी. पी.सी.ओज की संख्या
1996-97	279
1997-98	358
1998-99	309

(ख) विभाग की मौजूदा नीति के अनुसार एसटीडी/आईएसडी पीसीओ बूथों का आवंटन पंजीकरण के अनुसार पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर शिक्षित बेरोजगार व्यक्तियों को किया जाता है।

(ग) विभाग द्वारा प्रतिवर्ष आधार पर प्रत्येक दूरसंचार सर्किलों के संबंध में एसटीडी/आईएसडी पीसीओ बूथों की संस्थापना का लक्ष्य निर्धारित किया जाता है। हिमाचल प्रदेश सर्किल के संबंध में वर्ष 1999-2000 के लिए गौण

स्विचन क्षेत्रवार (दूरसंचार जिला) लक्ष्य का ब्यौरा निम्नानुसार है:

गौण स्विचन क्षेत्र का नाम	लक्ष्य (1999-2000)
शिमला	60
सोलन	60
हमीरपुर	50
धर्मशाला	50
मण्डी	50
कुल्लू	30

[अनुवाद]

वी.एस.एन.एल. द्वारा धन का दुरुपयोग

73. **श्री चन्द्रनाथ सिंह:** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विदेश संचार निगम लिमिटेड के खिलाफ यह आरोप लगाया गया है कि वह अव्यवहारिक वित्तीय परियोजनाओं में विधिवत रूप से बड़ी मात्रा में धन लगाकर पैसे का दुरुपयोग कर रहा है, और इसका कोई लाभ नहीं है यह अंतर्राष्ट्रीय कालों पर उपभोक्ताओं से अधिक पैसे लेकर उन पर बोझ डाल रहा है;

(ख) क्या पूर्वी उत्तर प्रदेश के उपभोक्ताओं ने इस संबंध में बम्बई उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) जी नहीं।

(ख) ऐसी किसी याचिका का कोई नोटिस वी.एस.एन.एल. को नहीं दिया गया।

(ग) और (घ) उपरोक्त (क) और (ख) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठते।

पेट्रोलियम/गैस भण्डार

74. **श्री टी. गोविन्दन:** क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इस समय देश में पेट्रोलियम और गैस के कुल भंडारों का राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ख) दक्षिणी राज्यों में जिन-जिन स्थानों पर पेट्रोलियम या गैस निकाली जा रही है उनका ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. पोन्नुस्वामी): (क) आवश्यक सूचना एकत्र की जा रही है तथा सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

(ख) 1.4.99 की स्थिति के अनुसार ओ एन जी सी के उत्पादनरत स्थानों/क्षेत्रों का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

आंध्र प्रदेश: आदिविपलेम, इलामनचिली, एन्डामुरु, कैकलूर, केसनापल्ली-प., केसवदासपलेम, लंकापलेम, लिंगला, मांडापेटा, मोड़ी, परसरलपुडी, पोन्नामन्डा, राजोल तथा तातीपाका।

तमिलनाडु: आदियक्कामंगलम, कमलापुरम, कोविलकलप्पल, नन्नीलम, नारीमनम, पल्लीवरमंगलम, पुन्डी, तिरुवरूर व तुलसापत्तानम।

वनरोपण कार्यक्रम के तहत वृक्षों का रख-रखाव

75. क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को विभिन्न वनरोपण कार्यक्रम के तहत लगाए गए वृक्षों के दोषपूर्ण या बिल्कुल नहीं हो रहे रख-रखाव की जानकारी है;

(ख) यदि नहीं, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) पौधों की उचित और कुशल देखभाल के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी): (क) से (ग) नौवीं योजना के तहत इस समय चलाई जा रही वनीकरण स्कीमों के संबंध में इस प्रकार की कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। पौधों की उचित देखभाल में सुधार लाने की दृष्टि से, राज्य सरकारों तथा संघशासित क्षेत्र के प्रशासन को मानीटरिंग तथा मूल्यांकन प्रणाली को सुदृढ़ बनाने की सलाह दी गई है। केन्द्रीय रूप से प्रायोजित वनीकरण स्कीमों अर्थात् एकीकृत वनीकरण एवं पारि-विकास परियोजना स्कीम, क्षेत्रोन्मुखी ईंधन लकड़ी और चारा परियोजना स्कीम तथा औषधीय पौधों सहित गैर-इमारती लकड़ी वन उत्पाद का संरक्षण तथा विकास स्कीम के तहत नौवीं योजना के दौरान राज्य सरकारों हेतु स्वीकृत परियोजनाओं के लिए पौधों के 5 वर्ष तक रख-रखाव के लिए धनराशि प्रदान की जा रही है।

[हिन्दी]

ब्वायलर निर्माता इकाई

76. श्री प्रियरंजन दासमुंशी: क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ए.बी.एल. (दुर्गापुर प. बंगाल) विशेष रूप से तलचेर इकाई मंत्रालय से पर्याप्त समर्थन न मिलने के कारण ब्वायलरों के क्रयादेश प्राप्त करने में संकट का सामना कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो इस स्थिति से बचने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाने का प्रस्ताव है?

विद्युत मंत्री (श्री पी.आर. कुमारमंगलम): (क) और (ख) तालचेर परियोजना के लिए भाप जेनरेटर (बायलर) पैकेज की बोली प्रक्रिया में एबीएल से कोई बोली प्राप्त नहीं हुई थी। तथापि, एक बोलीकर्त्ता अर्थात् मैसर्स कमबस्टन इंजीनियरिंग इनकार्पोरेटेड यूएसए (सीई) द्वारा बोली में अपने प्रतिनिधि के रूप में एबीबी-एबीएल का नाम प्रस्तावित किया गया। बोलियों के मूल्यांकन के दौरान एनटीपीसी द्वारा सीई की बोली को अनुकूल नहीं पाया गया और इसलिए कार्य प्रदान करने के लिए सीई पर विचार नहीं किया गया और यह कार्य मैसर्स भेल, जो सबसे कम बोली बोलने वाला अनुकूल बोलीकर्त्ता था, को प्रदान कर दिया था। इंजीनियर्स यूनियन और अन्य द्वारा कलकत्ता के उच्च न्यायालय में एनटीपीसी के भेल को अवार्ड प्रदान करने के निर्णय को चुनौती देते हुए एक लिखित याचिका दायर की गई थी जिसे न्यायालय द्वारा क्षेत्राधिकार के आधार पर खारिज कर दिया गया। एबीबी-एबीएल द्वारा इलाहाबाद उच्च न्यायालय में दायर एक और लिखित याचिका को भी न्यायालय द्वारा 3.11.99 को खारिज कर दिया गया क्योंकि न्यायालय को एनटीपीसी द्वारा मैसर्स भेल के पक्ष में संविदा प्रदान करने से संबंधित निर्णय लेने की पद्धति में कहीं कोई त्रुटि प्रतीत नहीं हुई।

[हिन्दी]

वन सम्पदा

77. प्रो. रासा सिंह रावत: क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में इस समय वन सम्पदा की क्या स्थिति है;

(ख) वनों की कटाई को रोकने और वन क्षेत्र को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा तैयार की गई कार्य-योजना का ब्यौरा क्या है;

(ग) चालू पंचवर्षीय योजना के दौरान इस प्रयोजन के लिए कितना प्रावधान किया गया है;

(घ) सामाजिक वानिकी योजना के अंतर्गत वांछित परिणामों को प्राप्त न करने के क्या कारण हैं; और

(ङ) वन क्षेत्रों में रहने वाले आदिवासियों द्वारा वनों का उपयोग करने के लिए सरकार द्वारा तैयार की गई नीति का ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी): (क) स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, 1997 के अनुसार देश का वन आवरण भौगोलिक क्षेत्र का 19.27% है जिसमें से घने तथा खुले वन क्रमश: 11.17% तथा 7.95% है।

(ख) वन आवरण को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए मुख्य कदम निम्नलिखित हैं:

(1) राज्य/संघ शासित सरकारों द्वारा उनके अपने संसाधनों तथा भारत सरकार से वित्तीय सहायता लेकर वनीकरण कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं।

(2) वनों के विकास तथा संरक्षण के लिए विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं।

(3) सभी राज्य सरकारों/संघ शासित सरकारों को अवक्रमित वनों की सुरक्षा तथा पुनरुद्धार में ग्रामीण समुदायों को सम्मिलित करने संबंधी दिशानिर्देश।

(4) वन भूमियों के विचलन के नियमन हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 बनाया गया है।

(5) सुरक्षित क्षेत्रों का एक नटेवर्क स्थापित किया गया है।

(6) हाल ही में मंत्रालय ने, पारिस्थितिकीय स्थायित्व हेतु वानिकी तथा वृक्ष संसाधनों का योगदान बढ़ाने के लिए तथा वन संसाधनों के संरक्षण तथा विकास के लिए निवेश में सुधार के माध्यम से जन केन्द्रित विकास के लिए एक राष्ट्रीय वानिकी कार्य योजना तैयार की है। मंत्रालय ने योजना आयोग तथा सभी राज्य/संघ शासित सरकारों से वानिकी क्षेत्र हेतु आवंटन बढ़ाने का अनुरोध किया है।

(ग) देश में वनों के संरक्षण तथा विकास हेतु नौवीं पंचवर्षीय योजना में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के लिए 1454 करोड़ रु. का परिव्यय निर्धारित किया गया है।

(घ) सामाजिक वानिकी स्कीमें, उपलब्ध बायोमास में बढ़ोत्तरी द्वारा वनों पर दबाव कम करने में काफी हद तक सफल रही हैं।

(ङ) राष्ट्रीय वन नीति, 1988 के पैरा 4.3.4.3 तथा 4.6 जो वन क्षेत्रों में रह रहे आदिवासियों द्वारा वनों के प्रयोग से संबंधित हैं, विवरण के रूप में संलग्न हैं।

विवरण

राष्ट्रीय वन नीति, 1988 का पैरा 4.3.4.3.

वनों में तथा वनों के पास रहने वाले आदिवासी और अन्य गरीब वनों पर निर्भर हैं। जिन अधिकारों और रियायतों का वे भोग कर रहे हैं, उनकी पूर्ण सुरक्षा की जानी चाहिए। उनकी ईंधन की लकड़ी, चारा, लघु वन उपज और इमारती लकड़ी की घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति प्राथमिकतापूर्वक की जानी चाहिए। उनकी ये आवश्यकताएं और वैकल्पिक सामग्री उन डिपुओं से उचित कीमत पर उपलब्ध की जानी चाहिए जहां वे आसानी से जा सकें।

राष्ट्रीय वन नीति, 1988 का पैरा 4.6

आदिवासियों एवं वनों के बीच सहजीवी संबंध का ध्यान रखते हुए, वन विकास निगमों सहित वन प्रबंध के लिए उत्तरदायी सभी अभिकरणों का प्रधान कार्य वनों में तथा उसके चारों ओर रहने वाले लोगों को लाभदायक रोजगार उपलब्ध कराने के अतिरिक्त वनों की सुरक्षा, पुनरुद्धार एवं विकास के लिए आदिवासियों को सहायता देना होना चाहए। ऐसे लोगों में प्रथागत अधिकारों एवं हितों की रक्षा करते समय वानिकी कार्यक्रमों को निम्नलिखित बातों पर ध्यान देना चाहिए:

- वन के अवक्रमण के मुख्य कारणों में से एक कारण वनों के ठेकेदारों तथा उनके मजदूरों द्वारा गैर-कानूनी कटाई और लकड़ियों को हटाना है। इस प्रथा को समाप्त करने के लिए ठेकेदारों के स्थान पर आदिवासी सहकारी समितियां, श्रमिक सहकारी-समितियां, सरकारी निगम आदि जैसे संस्थान होने चाहिएं;

- ऐसे उत्पाद के विपणन के लिए संस्थागत प्रबंधों सहित लघु वन उत्पाद की सुरक्षा, पुनरुत्पादन एवं इष्टतम संग्रह;

- राजस्व गांवों के समान वन गांवों का विकास;

- विद्यमान वन क्षेत्रों पर दबाव कम करने के लिए एक आर्थिक सहायता के आधार पर घरेलू ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों के प्रावधान सहित वन क्षेत्रों में तथा उसके आस-पास रहने वाले आदिवासियों की आर्थिक आवश्यकता को पूरा करने के लिए समन्वित क्षेत्र विकास कार्यक्रम शुरू करना।

[अनुवाद]

आतंकवाद विरोधी अभियानों संबंधी खर्च

78. **श्री सुरेश रामराव जाधव:** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हिमाचल प्रदेश में सभी आतंकवाद विरोधी अभियानों पर हुए खर्च को स्वयं वहन करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस प्रकार का खर्च अन्य राज्यों जैसे पंजाब, जम्मू और कश्मीर तथा अन्य पूर्वोत्तर राज्यों के संबंध में भी सरकार द्वारा वहन किया जा रहा है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) भारत सरकार द्वारा, उग्रवादी गतिविधियों के जम्मू और कश्मीर से हिमाचल प्रदेश में फैलने से रोकने/नियंत्रित करने के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य द्वारा किए गए सुरक्षा संबंधी व्यय की प्रतिपूर्ति अनुमोदित दिशा-निर्देशों के आधार पर 1.11.1998 से की जा रही है।

(ख) जी हां, श्रीमान्। केन्द्र सरकार, कुछेक अनुमोदित मानदण्डों के अनुसार, जम्मू और कश्मीर, असम, मणिपुर, नागालैंड और त्रिपुरा राज्यों द्वारा किए गए व्यय की प्रतिपूर्ति कर रही हैं।

(ग) और (घ) भरात सरकार ने, राज्य में तैनात सेना/ केन्द्रीय अर्ध सैनिक बलों पर हुए व्यय के अलावा निम्नलिखित ब्यौरे के अनुसार प्रतिपूर्ति की है:

राज्य	अवधि	राशि करोड़ों में
हिमाचल प्रदेश	1998-99	00.37
जम्मू और कश्मीर	1990-99	1334.78*
असम	1990-99	250.77
मणिपुर	1995-99	23.17
नागालैंड	1995-99	43.40
त्रिपुरा	1995-99	46.08

*चुनाव के संबंध में सुरक्षा संबंधी व्यय के लिए 152.16 करोड़ रु. सहित।

यातायात नियमों का कार्यान्वयन

79. **श्री प्रभुनाथ सिंह:** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सर्वोच्च न्यायालय ने कुछ दिन पूर्व यह निर्णय दिया है कि बसें और चौपहिया वाहन सड़क के बाईं तरफ चलेंगे और इस उद्देश्य हेतु एक पीली रेखा खींची जाएगी;

(ख) यदि हां, तो क्या सर्वोच्च न्यायालय के विनिर्णय का निजी बसों एवं चौपहिया वाहनों द्वारा पालन नहीं किया जा रहा है और ओवरटेकिंग के कारण दुर्घटनाएं निरन्तर हो रही हैं; और

(ग) यदि हां, तो दिल्ली पुलिस द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के विनिर्णय का पालन न किए जाने के क्या कारण हैं और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) भारतीय उच्चतम न्यायालय ने 1985 की रिट याचिका (सी.) स. 13029 पर दिनांक 20 नवम्बर, 1997 के अपने आदेश में, अन्य बातों के साथ-साथ, संबंधित प्राधिकारियों को यह सूचित करने का निदेश दिया था कि जहां कहीं बस लेन हैं, बसें केवल उसी लेन में चलें जो लेन उनके लिए निर्धारित की गई है और अन्य मोटर वाहनों को बस लेन में चलने से रोका जाये। उच्चतम न्यायालय ने आगे संबंधित एजेंन्सियों को उचित कदम उठाये जाने का निदेश दिया था कि बस लेनों को अलग किया जाये और ऐसी सभी सड़कों पर पुलिस और परिवहन अधिकारियों द्वारा दिये गये निदेशानुसार रोड मार्किंग का प्रावधान किया जाये।

(ख) और (ग) जी नहीं श्रीमान्। भारतीय उच्चतम न्यायालय के निदेशों को मौजूदा दबावों के भीतर उन सभी सड़कों पर जहां भी बस लेन की व्यवस्था है, नियमित रूप से लागू किया जा रहा है तथापि कुछ सड़कों पर कम चौड़ाई के कारण बस लेन का प्रावधान नहीं किया जा सकता है और कुछ अन्य क्षेत्रों में जहां भारी साईकिल ट्रैफिक होने के कारण बस मार्ग अवरुद्ध हो जाता है, उन्हें कई दफा बस लेन के बाहर आने की अनुमति दी जाती है।

[हिन्दी]

वन्य जीवों का संरक्षण

80. **श्री बृजमोहन राम:** क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान देश के विभिन्न राज्यों में पारिस्थितिकी संबंधी स्थितियों का पता लगाने के लिए भारतीय जीवविज्ञान सर्वेक्षण ने राज्य-वार कितने सर्वेक्षण किए हैं;

(ख) इन सर्वेक्षणों के दौरान राज्य-वार कितनी प्रजातियों की पहचान की गई; और

(ग) चालू वर्ष और नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान सरकार ने वन्य जीवों के संरक्षण के लिए क्या कदम उठाए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी): (क) और (ख) देश में पिछले तीन वर्षों के दौरान विभिन्न राज्यों में पारिस्थितिकी पारिस्थितियों के संबंध में भारतीय प्राणि सर्वेक्षण द्वारा किये गये सर्वेक्षणों की राज्यवार संख्या का ब्यौरा और इन सर्वेक्षणों के दौरान पहचानी गई विभिन्न प्रजातियों की संख्या विवरण I और II में दी गई है।

(ग) वन्य जीव के संरक्षण में सरकार द्वारा उठाए गए कदमों में स्थल और बाह्य स्थल संरक्षण, वन्यजीव और इनके वासस्थल का संरक्षण एवं विकास, वन्य जीव अनुसंधान, प्रशिक्षण को बढ़ावा देना तथा वन्य जीव कानूनों को लागू करना एवं सर्वेक्षण और सूची बनाना शामिल है। इनके ब्यौरे विवरण-III में दिए गए हैं।

विवरण I

1997-98 से नवम्बर, 1999 के दौरान किये गये सर्वेक्षणों की सूची

क्र.सं.	राज्य/पारि-प्रणाली	कुल सर्वेक्षणों की संख्या
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश (नदीमुख एवं समुद्रतटीय जोन सर्वेक्षण)	36
2.	अरुणाचल प्रदेश (हिमालयी पारि-प्रणाली)	15
3.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह (द्वीप समूह पारि-प्रणाली)	06
4.	बिहार (गंगा का मैदानी भाग)	07
5.	दिल्ली (राज्य सर्वेक्षण)	02
6.	गुजरात (संरक्षण क्षेत्र)	02
7.	हिमाचल प्रदेश (राज्य सर्वेक्षण)	02
8.	जम्मू और कश्मीर (हिमालयी पारि-प्रणाली)	03
9.	कर्नाटक (राज्य सर्वेक्षण)	04
10.	केरल (उष्ण कटिबंधी वर्षा वन पारि-प्रणाली)	06
11.	महाराष्ट्र (नम भूमि और बाघ रिजर्व)	16
12.	मध्य प्रदेश (राज्य सर्वेक्षण)	09
13.	मेघालय (राज्य एवं ताजा जल पारि-प्रणाली)	09
14.	मणिपुर (उष्ण कटिबंधी वर्षा वन पारि-प्रणाली)	01
15.	मिजोरम (उष्ण कटिबंधी वर्षा वन पारि-प्रणाली)	03
16.	नागालैंड (उष्ण कटिबंधी वर्षा वन पारि-प्रणाली)	04
17.	पंजाब (नमभूमि)	05
18.	राजस्थान (राज्य, नमभूमि एवं संरक्षण क्षेत्र)	08
19.	सिक्किम (राज्य सर्वेक्षण)	04
20.	तमिलनाडु (राज्य सर्वेक्षण एवं संरक्षण क्षेत्र)	04
21.	उत्तर प्रदेश (राज्य सर्वेक्षण एवं नम भूमियां)	13
22.	पश्चिम बंगाल (राज्य सर्वेक्षण एवं समुद्र तटीय क्षेत्र)	25
	कुल योग	184

विवरण II

1997-98 से नवम्बर, 1999 तक पहचानी गई प्रजातियों की संख्या

क्र.सं.	राज्य	प्रजातियों की संख्या
1	2	3
1.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह (द्वीप समूह पारि-प्रणाली)	317
2.	आंध्र प्रदेश (राज्य सर्वेक्षण एवं नदी मुख पारि-प्रणाली)	216
3.	अरुणाचल प्रदेश (हिमालयी पारि-प्रणाली)	25
4.	असम (हिमालयी पारि-प्रणाली)	19
5.	बिहार (बाल्मीकि बाघ रिजर्व)	06
6.	दिल्ली (संरक्षण क्षेत्र)	22
7.	हिमाचल प्रदेश (हिमालयी पारि-प्रणाली)	94
8.	जम्मू और कश्मीर (हिमालयी पारि-प्रणाली)	22
9.	केरल (उष्ण कटिबंधी वर्षा वन पारि-प्रणाली)	264
10.	मध्य प्रदेश (राज्य सर्वेक्षण)	123
11.	मणिपुर (उष्ण कटिबंधी वर्षा वन पारि-प्रणाली)	32
12.	महाराष्ट्र (राज्य सर्वेक्षण एवं संरक्षित क्षेत्र)	99
13.	मेघालय (नम भूमियां)	09
14.	मिजोरम (उष्ण कटिबंधी वर्षा वन पारि-प्रणाली)	116
15.	नागालैंड (उष्ण कटिबंधी वर्षा वन पारि-प्रणाली)	42
16.	उड़ीसा (राज्य सर्वेक्षण)	35
17.	पांडिचेरी (राज्य सर्वेक्षण)	26
18.	पंजाब (नम भूमियां)	79
19.	राजस्थान (संरक्षण क्षेत्र)	07
20.	सिक्किम (राज्य सर्वेक्षण)	136
21.	तमिलनाडु (राज्य सर्वेक्षण एवं संरक्षित क्षेत्र)	274
22.	उत्तर प्रदेश (संरक्षण क्षेत्र)	213
23.	पश्चिम बंगाल (राज्य सर्वेक्षण एवं तटीय क्षेत्र)	103
	कुल योग	2,379

विवरण III

चालू वर्ष तथा सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान वन्यजीव के संरक्षण के लिए सरकार द्वारा उठाये गये कदम

राष्ट्रीय पार्कों एवं अभ्यारण्यों का विकास: संरक्षित क्षेत्रों के बेहतर प्रबंधन के लिए राज्य सरकारों को सहायता दी जाती है। 9वीं योजना के लिए 85 करोड़ रुपये के परिव्यय का अनुमोदन किया गया है। उपर्युक्त स्कीम के अंतर्गत 1999-2000 के दौरान 12.00 करोड़ रुपये की धनराशि निर्धारित की गई है।

संरक्षित क्षेत्रों के चारों ओर पारिविकास: इस स्कीम के अंतर्गत संरक्षित क्षेत्रों पर पड़ने वाले दबाव को कम करने की व्यवस्था है तथा इसमें संरक्षित क्षेत्रों के किनारे रहने वाले जन समुदायों के आहार के लिए वैकल्पिक साधनों की व्यवस्था करना शामिल है। नवीं योजना के कुल परिव्यय में 40 करोड़ रुपये स्कीम के लिए प्रदान किये गये हैं तथा चालू वर्ष की योजना का परिव्यय 9.00 करोड़ रुपये है।

भारत पारिविकास कार्यक्रम: भारत पारिविकास कार्यक्रम जो कि वर्तमान समय में जी.ई.एफ. विश्व बैंक द्वारा निधि पोषित है, छः संरक्षित क्षेत्रों में कार्यान्वित किया जा रहा है और पांच वर्षों की अवधि में 296 करोड़ के परिव्यय से कार्यान्वित किया जा रहा है।

बाघ परियोजना: बाघ परियोजना का लक्ष्य बाघों और इनके वासस्थलों का संरक्षण करना है। नौवीं योजना का परिव्यय 75 करोड़ रु. है और वर्ष 1999-2000 के लिए 17 करोड़ रु. का लक्ष्य नियत किया गया है।

हाथी परियोजना: हाथी परियोजना 1991 में इस अनूठी प्रजाति के जीन पूल के परिरक्षण एवं इसके प्राकृतिक वासस्थलों के संरक्षण के लिए आरंभ की गई थी। हाथी परियोजना के लिए नवीं योजना अवधि में परिव्यय 40 करोड़ रु. है और वर्तमान वर्ष का परिव्यय 5.20 करोड़ रु. है।

लाभोन्मुख जनजातीय विकास स्कीम: केन्द्र सरकार ने लाभोन्मुखी जनजातीय कल्याण स्कीम के अंतर्गत संरक्षित क्षेत्रों से बाहर के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को फिर से बसाने का काम हाथ में लिया है।

वन्य जीव प्रभाग का सुदृढ़ीकरण और विशेष कार्यबल के लिए परामर्शी सेवाएं: इस स्कीम का उद्देश्य वन्यजीव परिरक्षण के वर्तमान क्षेत्रीय कार्यालयों को सुदृढ़ करना एवं वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 एवं साइट्स को बेहतर ढंग से लागू करना है। नवीं योजना का प्रावधान 6.00 करोड़ रु. है और वर्तमान वर्ष के लिए परिव्यय 2.00 करोड़ रु. है।

भारतीय वन्यजीव संरक्षण के लिए सहायता अनुदान: यह संस्थान वन्यजीवों के प्रशिक्षण, शिक्षा, विस्तार एवं अनुसंधान के कार्य में लगा हुआ है। नौवीं योजना के दौरान केन्द्रीय क्षेत्र स्कीम का परिव्यय 25 करोड़ रु. है। वर्ष 1999-2000 के लिए परिव्यय 4.00 करोड़ रु. है।

केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण: इसके अंतर्गत चिड़ियाघरों की निगरानी एवं प्रबंधन का कार्य, उनके वर्तमान स्तर का मूल्यांकन तथा चिड़ियाघरों के सुधार के लिए योजनाओं में सहायता देना है। नौवीं योजना के लिए अनुमोदित परिव्यय 40 करोड़ रु. और 1999-2000 के लिए 12 करोड़ रु. है।

[अनुवाद]

पश्चिम बंगाल में उलुबेरिया में रसोई गैस एजेंसियां

81. श्री हन्नान मोल्लाह: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को पश्चिम बंगाल के उलुबेरिया में रसोई गैस की नई एजेंसियों की स्थापना करने के प्रस्ताव मिले हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) रसोई गैस की नई एजेंसियों की स्थापना कब तक किए जाने की संभावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. पोन्नुस्वामी): (क) से (ग) पश्चिम बंगाल में उलुबेरिया स्थान एल पी जी विपणन योजना में शामिल कर लिया गया है और भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन द्वारा इसे रक्षा श्रेणी के अंतर्गत विज्ञापित कर दिया गया है। प्रत्युत्तर में प्राप्त आवेदन निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार चयन के लिए संबधित डीलर चयन बोर्ड को भेज दिये गए हैं। विज्ञापन जारी होने से डिस्ट्रीब्यूटरशिप के चालू होने में सामान्यत: लगभग 1-2 वर्ष लग जाते हैं।

केरल में डाकघर भवनों का निर्माण

82. श्री रमेश चेन्नितला: क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्तमान में केरल में जिला-वार कितने डाकघर किराए के भवनों में कार्य कर रहे हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार वर्ष 1999-2000 के दौरान राज्य में डाकघरों विशेष रूप से कयामकुलम में प्रधान डाकघर के लिए भवनों का निर्माण करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी स्थान-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस कार्य को कब तक पूरा कर लिये जाने की संभावना है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ख) जी नहीं। सीमित धनराशि के कारण वर्ष 1999-2000 के दौरान केरल में किसी भी नई परियोजना का निर्माण-कार्य शुरू करने का प्रस्ताव नहीं है।

(ग) उपर्युक्त (ख) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(घ) उपर्युक्त (ग) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

केरल राज्य में इस समय किराये के भवनों में कार्य कर रहे डाकघरों की राज्य-वार संख्या

जिले का नाम	किराए के भवनों में कार्य कर रहे डाकघरों की संख्या
1	2
1. तिरुवनन्तपुरम्	122
2. पथनमथिट्टा	97
3. कोल्लम	91
4. अलप्पुझा	101
5. कोट्टयम	111
6. इडुक्की	40
7. एर्णाकुलम	120
8. त्रिचूर	151
9. पालाक्कड	128
10. मेलापुरम्	93
11. कालीकट	82
12. वायनाड	14
13. कन्नोर	89
14. करारगोड	27
कुल	1266

अवैध रूप से शराब परोसा जाना

83. श्री शीशराम सिंह रवि: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली में बेंक्वेट हालों और फार्म हाउसों में अवैध रूप से शराब परोसने के मामले प्रकाश में आये हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) संबंधित लोगों/अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है और इस प्रथा को रोकने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) और (ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान और 24 नवम्बर, 1999 तक सूचित हुए ऐसे मामलों की संख्या तथा दिल्ली पुलिस द्वारा सूचित की गई उनकी वर्तमान स्थिति संलग्न

विवरण में दी गई है। इस प्रथा को रोकने के लिए किये गए उपायों में विवाह के मौसम के दौरान, बैंक्वेट हालों और फार्म-हाउसों की बार-बार चैकिंग करना तथा परामर्शी और एहतियाती नोटिस, इत्यादि जारी करके जागरूकता पैदा करना, शामिल है।

विवरण

वर्ष	सूचित हुए	हल हुए	चालान किए गए	विचारण हेतु लंबित	जांच पड़ताल हेतु लंबित	गिरफ्तार किए गए व्यक्ति	चालान किए गए	विचारण हेतु लम्बित	जांच पड़ताल हेतु लम्बित
1996	7	1	1	1	–	2	2	2	–
1997	10	4	4	4	–	6	6	6	–
1998	17	11	11	11	–	24	24	24	–
1999 (24.11.99 तक)	5	5	2	2	3	13	2	4	9
जोड़	39	21	18	18	3	45	34	36	9

टेलीलिंक सुविधा

84. **श्री मोइनुल हसन:** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राज्य-वार उन गांवों की संख्या कितनी है जहां टेलीलिंक सुविधा उपलब्ध है; और

(ख) देश में विशेषकर पश्चिम बंगाल में ऐसे गांवों की संख्या कितनी है; जिन्हें चालू वित्तीय वर्ष के अंत तक इस सुविधा से जोड़े जाने का प्रस्ताव है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) और (ख) अब तक (31.10.1999 तक) 3,44,508 राजस्व गांवों को दूरसंचार सुविधा प्रदान की गई है। चालू वित्त वर्ष के लिए 45,136 गांव निर्धारित किए गए हैं। पश्चिम बंगाल दूरसंचार सर्किल के लिए 5000 ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोनों का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। राज्य-वार सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

31.10.1999 की स्थिति के अनुसार वीपीटी की राज्य-वार स्थिति

सर्किल	गांवों की कुल संख्या	1.11.99 की स्थिति के अनुसार वी पी टी युक्त गांव
1	2	3
अंडमान निकोबार	282	244
आंध्र प्रदेश	29460	23364
असम	22224	13496
बिहार	79208	20893

1	2	3
गुजरात	18125	13923
हरियाणा	6850	6807
हिमाचल प्रदेश	16997	8070
जम्मू और कश्मीर	6764	3451
कर्नाटक	27066	23690
केरल	1530	1530
मध्य प्रदेश	71526	42998
महाराष्ट्र	42060	31005
गोवा	407	371
महाराष्ट्र	42467	31376
अरूणाचल प्रदेश	3599	578
मणिपुर	2394	649
मेघालय	5629	1100
मिजोरम	770	605
नागालैंड	1192	537
त्रिपुरा	862	598
उत्तर पूर्व	14446	4067
उड़ीसा	46989	20872
पंजाब	12687	12084
राजस्थान	38634	23295
तमिलनाडु	17991	17839
उत्तर प्रदेश (पूर्व)	75698	39398
उत्तर प्रदेश (पश्चिम)	39551	19947
पश्चिम बंगाल	37910	16294
सिक्किम	427	258
पश्चिम बंगाल	38337	16552
कलकत्ता टेलीफोन्स	468	421
दिल्ली	191	191
कुल	607491	344508

टेलीफोन-एक्सचेंज के लिए भवन

85. श्री कोडीकुनील सुरेश: क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में कई टेलीफोन-एक्सचेंजों के अपने भवन नहीं हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान देश में बनाए गए भवनों की राज्य-वार संख्या कितनी है;

(घ) क्या सरकार का विचार देश में वर्ष 1999-2000 के दौरान टेलीफोन-एक्सचेंजों के लिए भवन-निर्माण का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(च) इस उद्देश्य हेतु कितनी धनराशि आबंटित की गई;

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ज) क्या केरल में टेलीफोन-एक्सचेंजों के भवनों का निर्माण अभी भी जारी है;

(झ) यदि हां, तो तत्संबंधी स्थान-वार ब्यौरा क्या है;

(ञ) इस पर कितनी राशि व्यय की जा रही है; और

(ट) निर्माण कार्य कब तक पूरा कर लिए जाने की संभावना है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) जी हां।

(ख) जिनके पास अपने स्वयं के भवन नहीं हैं उन एक्सचेंजों की संख्या-संबंधी राज्यवार ब्यौरे विवरण-I में हैं।

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान पूरे हो चुके एक्सचेंज-भवनों की संख्या-संबंधी राज्यवार ब्यौरे विवरण-II में हैं।

(घ) जी, हां।

(ङ) वर्ष 1999-2000 के दौरान प्रत्येक राज्य में निर्माणार्थ प्रस्तावित भवनों की संख्या दर्शाने वाला विवरण संलग्न-III है।

(च) वर्ष 1999-2000 के दौरान 442 करोड़ रुपये आबंटित किये गये हैं।

(छ) लागू नहीं होता।

(ज) जी, हां।

(झ) केरल में निर्माणाधीन टेलीफोन एक्सचेंज-भवनों के ब्यौरे विवरण IV में हैं।

(ञ) वर्ष 1999-2000 के दौरान 22 करोड़ रुपये।

(ट) निर्माण कार्य पूरा होने की संभावित तारीखें विवरण V में हैं।

विवरण I

उन टेलीफोन-एक्सचेंजों की संख्या, जिनके पास अपने स्वयं के भवन नहीं हैं

क्र.सं.	राज्य	एक्सचेंजों की संख्या
1	2	3
1.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	15
2.	आंध्र प्रदेश	1708
3.	अरूणाचल प्रदेश	7
4.	असम	230
5.	बिहार	752
6.	गुजरात	1259
7.	हरियाणा	668
8.	हिमाचल प्रदेश	598
9.	जम्मू व कश्मीर	215
10.	कर्नाटक	1824
11.	केरल	
12.	मध्य प्रदेश	
13.	महाराष्ट्र	2673
14.	मणिपुर	18

1	2	3
15.	मेघालय	21
16.	मिजोरम	22
17.	नागालैंड	3
18.	उड़ीसा	609
19.	पंजाब	817
20.	राजस्थान	1652
21.	तमिलनाडु	1188
22.	त्रिपुरा	27
23.	उत्तर प्रदेश	1660
24.	पश्चिम बंगाल	813
	जोड़	20058

विवरण II

गत तीन वर्षों के दौरान निर्मित भवनों की संख्या

क्र.सं.	राज्य	भवनों की संख्या
1	2	3
1.	अंडमान एंड निकोबार द्वीपसमूह	2
2.	आंध्र प्रदेश	112
3.	अरूणाचल प्रदेश	16
4.	असम	26
5.	बिहार	45
6.	गुजरात	60
7.	हरियाणा	19
8.	हिमाचल प्रदेश	11
9.	जम्मू व कश्मीर	15
10.	कर्नाटक	153
11.	केरल	201
12.	मध्य प्रदेश	141
13.	महाराष्ट्र	246
14.	मणिपुर	4
15.	मेघालय	9
16.	मिजोरम	18
17.	नागालैंड	8
18.	उड़ीसा	25
19.	पंजाब	49

1	2	3
20.	राजस्थान	88
21.	तमिलनाडु	145
22.	त्रिपुरा	23
23.	उत्तर प्रदेश	199
24.	पश्चिम बंगाल	60
	जोड़	1679

विवरण III

वर्ष 1999-2000 में निर्माण हेतु प्रस्तावित भवनों की संख्या

क्र.सं.	राज्य	भवनों की संख्या
1	2	3
1.	अंडमान निकोबार द्वीप समूह	3
2.	आंध्र प्रदेश	67
3.	अरूणाचल प्रदेश	35
4.	असम	30
5.	बिहार	33
6.	गुजरात	40
7.	हरियाणा	14
8.	हिमाचल प्रदेश	23
9.	जम्मू व कश्मीर	6
10.	कर्नाटक	52
11.	केरल	92
12.	मध्य प्रदेश	56
13.	महाराष्ट्र	126
14.	मणिपुर	9
15.	मेघालय	17
16.	मिजोरम	23
17.	नागालैंड	9
18.	उड़ीसा	38
19.	पंजाब	48
20.	राजस्थान	34
21.	तमिलनाडु	65
22.	त्रिपुरा	13
23.	उत्तर प्रदेश	107
24.	पश्चिम बंगाल	13
	जोड़	953

विवरण IV

केरल प्रदेश में निर्माणाधीन टेलीफोन-एक्सचेंज भवनों के ब्यौरे

क्र.सं.	केन्द्र (स्टेशन)	पूरा होने की संभावित तारीख
1	2	3
	अलेपी गौण स्विचन केन्द्र	
1.	अरूड़	31.1.2000
2.	हरीपद	31.12.1999
3.	कुरूवात्ला	31.3.2000
4.	कयमकुलम	29.2.2000
5.	नुरवोद	31.12.1999
6.	पल्लानकुड	31.5.2000
7.	त्रिकुनापुज्हा	31.1.2000
	कालीकट गौण स्विचन केन्द्र	
1.	अथाल्य	31.12.1999
2.	चकिट्टापाड़ा	31.3.2000
3.	चवायुवर	31.12.1999
4.	कस्पकनचेरी	30.9.2000
5.	कंडौली	31.8.2000
6.	कुरूचण्डू	31.12.1999
7.	माथाथारंभा	31.12.1999
8.	मचूर	30.4.2000
9.	पुडुपौढ़ी	31.12.1999
10.	आरईसी-छतमंगलम्	30.9.2000
11.	सुल्तान बैटरी	31.7.2000
12.	थामारस्सी	30.9.2000
13.	सिसर	30.11.1999
14.	वल्लुवंवरम्	31.12.1999
15.	वन्दूर	31.12.1999
	अरुआंकुलम गौण स्विचन केन्द्र	
1.	करीमचूर	30.4.2000
2.	कोठालुकुलम्	31.12.1999
3.	मुल्लानथुरूथी	30.11.1999
4.	मुट्टोम	31.12.1999
5.	नेदुम कंडाम	31.1.2000
6.	प्रकाश	30.6.2000
7.	उदम्पान्नूर	31.10.1999

1	2	3
लक्षद्वीप गौण स्विचन क्षेत्र		
1.	अगाथी	30.9.2000
2.	अमिनी	30.9.2000
3.	कुदमन्ठ	30.9.2000
4.	काल्पेनी	30.9.2000
5.	कवारथी	30.9.2000
6.	मिनीकोय	30.9.2000
कोट्टायम गौण स्विचन क्षेत्र		
1.	इराट्टूपेटा	31.1.2000
2.	कुटीकल	31.1.2000
3.	कोट्टायम	30.9.2000
4.	कुडुवेचूर	31.8.2000
5.	कुरीवालनगाड	31.1.2000
6.	राबापुरम्	31.1.2000
7.	थालयालापरम्बा	30.4.2000
पालघाट गौण स्विचन क्षेत्र		
1.	अलाथूर	29.2.2000
2.	कोडूवायूर	30.9.2000

1	2	3
पथनामथिट्टा गौण स्विचन क्षेत्र		
1.	इलनथूर	31.1.2000
2.	मलयालापुजहा	31.12.1999
3.	कोडुमोनि	31.1.2000
क्वीलोन गौण स्विचन क्षेत्र		
1.	चन्नोपेट	31.12.1999
2.	छपरा	31.1.2000
3.	इस्मपानगढ़	31.12.1999
4.	कोक्कोड	31.1.2000
5.	कन्नूथूर	31.12.1999
6.	मुर्रा आइलैंड	30.4.2000
7.	नेडुमपना	31.12.1999
8.	पुट्टापी	31.1.2000
9.	वेलिनतूर	31.12.1999
त्रिचुर गौण स्विचन क्षेत्र		
1.	कांडकाश	31.3.2000
2.	कोराटली	30.4.2000

1	2	3
3.	भुंडूर कोचीन	30.4.2000
4.	ओलर	30.4.2000
5.	पेरोंगनोम्	30.4.2000
6.	पुन्नायूरकलम	31.7.2000
7.	त्रिचूर	30.6.2000
8.	वारनथारापिल्ली	29.2.2000
9.	टेलीकुलंनगारा	31.12.1999

त्रिवेन्द्रम गौण स्विचन क्षेत्र

1	2	3
1.	आर्यनाड	31.3.2000
2.	कंजोरामकुलम्	30.4.2000
3.	करमावतलाम	31.8.2000
4.	मालयिनकिल	30.5.2000
5.	मानकौड	31.8.2000
6.	मंगटीपरम्बा	30.9.2000
7.	मेड़ीकल कालेज-त्रिवेन्द्रम	31.1.2000
8.	नेडुमगह	31.12.1999
9.	नेतटिनकारा	29.2.2000
10.	पेरिगमला	31.1.2000
11.	ठट्टीवूरकाबू	31.8.2000
12.	विथुरू	31.1.2000

[हिन्दी]

महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड द्वारा मोबाइल सेलुलर टेलीफोन सेवा

86. श्री माणिकराव होडल्या गावीत: क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड को मोबाइल सेलुलर टेलीफोनों के लिए कितने आवेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) क्या महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड इन सभी आवेदनकर्ताओं को टेलीफोन सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए असफल रहा; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इन सभी आवेदनकर्ताओं को कब तक टेलीफोन उपलब्ध करा दिये जायेंगे?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) मोबाइल फोनों के वास्ते एमटीएनएल, दिल्ली को कुल 6372 आवेदन मिले।

(ख) अंशत: स्वीकार्य, 6372 पंजीकृत आवेदकों में से 5000 आवेदकों को कनेक्शन देने की प्रक्रिया चालू है। अलबत्ता, 1372 पंजीकृत आवेदकों को प्रतीक्षा-सूची में रखना होगा।

(ग) क्षमता नियंत्रणों के कारण, 1372 आवेदकों को उक्त कनैक्शन नहीं दिए जा सकेंगे। चालू वित्त वर्ष के अंत तक, 500 आवेदकों को कनैक्शन देने हेतु, अतिरिक्त उपकरण खरीदे जा रहे हैं। शेष आवेदकों को संभवत: 2000-2001 के दौरान कनैक्शन दे दिए जाएंगे।

[अनुवाद]

उड़ीसा में डाक एवं दूरसंचार संपत्ति को हुई क्षति और नुकसान

87. **श्री त्रिलोचन कानूनगो** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उड़ीसा में हाल ही में आए दो तेज चक्रवातों से डाक एवं दूरसंचार संपत्ति को पहुंची वित्तीय क्षति और नुकसान का ब्यौरा क्या है;

(ख) सरकार ने राज्य में डाक एवं तार सुविधा की बहाली के लिए क्या कदम उठाये हैं;

(ग) इस उद्देश्य के लिए कितनी धनराशि नियत की गई है; और

(घ) इस कार्य को कब तक पूरा कर दिये जाने की संभावना है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर):

(क) डाक विभाग

वित्तीय हानि के किसी भी मामले की आज तक सूचना नहीं मिली है। हाल में आए दो भयंकर चक्रवातों से डाक भवनों को अब तक हुआ नुकसान 1.65 करोड़ रु. आंका गया है। नुकसान का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

दूरसंचार विभाग

हाल में आए दो भयंकर और जबर्दस्त चक्रवातों के कारण उड़ीसा में 410 टेलीफोन एक्सचेंजों को क्षति पहुंची। लगभग 112 करोड़ रु. की वित्तीय हानि होने का अनुमान है। इसका ब्यौरा विवरण-II में दिया गया है।

(ख) डाक विभाग

सभी डाकघरों में (जिनमें अतिरिक्त विभागीय डाकघर भी शामिल हैं) कार्य प्रारंभ करवा कर डाक सेवाओं को बहाल करने के लिए तत्काल कदम उठाए गए हैं। वितरण और डाक मार्गों को चालू करवा दिया गया है तथा स्थिति को सामान्य बनाया गया है।

दूरसंचार विभाग

जहां कहीं भी संभव था, सर्किटों की पुनर्इंजीनियरी तथा पुन: रूटिंग करवा कर लंबी दूरी के ट्रंक मार्गों को चालू कराने के लिए तत्काल कदम उठाए गए। अन्य दुर्गम जिला मुख्यालयों में, उपग्रह टेलीफोन लगवाकर दूरसंचार सुविधाएं मुहैया कराई गई। इसके पश्चात्, दूरसंचार सुविधाएं पुन: शुरू कराने के लिए युद्धस्तर पर कार्य प्रारंभ किया गया है जिसमें जिला मुख्यालयों/उप जिला मुख्यालयों तथा अन्य महत्वपूर्ण दूरसंचार सुविधाओं को प्राथमिकता दी गई है। अब तक, 319 दूरभाष केन्द्र पुन: चालू करवा दिए गए हैं। सभी प्रस्तावित जिला मुख्यालयों तथा तहसील मुख्यालयों में एसटीडी भी पुन: मुहैया करवा दी गई है। गांवों के अंदरूनी भागों में स्थित केवल 91 दूरभाष केन्द्रों को पुन: चालू कराना शेष है। इन दूरभाष केन्द्रों के आगामी माह तक पुन: चालू हो जाने की आशा है।

(ग) डाक विभाग

क्षतिग्रस्त भवनों की मरम्मत तथा रख-रखाव के लिए धनराशि शीघ्र ही आवंटित की जाएगी।

दूरसंचार विभाग

चक्रवात के लिए कोई विशेष धनराशि आवंटित नहीं की गई है। तथापि, धनराशि की ऐसी कोई अड़चन नहीं है जिसे वार्षिक बजट आवंटन से पूरा किया जा रहा है।

(घ) डाक विभाग

यह कार्य 31 मार्च, 2000 तक पूरा हो जाने की आशा है।

दूरसंचार विभाग

यह कार्य दिसम्बर, 2000 तक पूरा हो जाने की आशा है।

विवरण-I

विभागीय भवनों को हुए नुकसान का ब्यौरा

(डाकघर/आरएमएस कार्यालय/प्रशासनिक कार्यालय/स्टाफ क्वार्टर)

क्र.सं.	डाकघर/आरएमएस कार्यालय/प्रशासनिक कार्यालय/स्टाफ क्वार्टर का नाम	क्षति का ब्यौरा
1	2	3
1.	जनला उप डाकघर	कंपाउंड की दीवार क्षतिग्रस्त हुई।

1	2	3
2.	जतनी उप डाकघर	छत आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुई। खिड़की के शीशे टूट गए।
3.	खुर्द प्रधान डाकघर	छत बुरी तरह से चू रही है। खिड़की के शीशे टूट गए।
4.	साखीगोपाल उप डाकघर	छत बुरी तरह से चू रही है।
5.	बोलागढ़ उप डाकघर	छत बुरी तरह से चू रही है। खिड़की के शीशे टूट गए।
6.	बेगुनिया उप डाकघर	छत बुरी तरह से चू रही है। खिड़की के शीशे टूट गए।
7.	गोपालपुर उप डाकघर	कंपाउंड की दीवार क्षतिग्रस्त हुई। खिड़की के शीशे टूट गए। दरवाजे व खिड़कियां क्षतिग्रस्त हुई।
8.	जांकिया उप डाकघर	एसबेस्टो छत तथा साथ वाली सड़क क्षतिग्रस्त। एसपीएम के क्वार्टर की छत चू रही है।
9.	खांडपारागढ़ उप डाकघर	छत बुरी तरह से चू रही है। खिड़की के शीशे टूट गए हैं।
10.	कनास उप डाकघर	कंपाउंड की दीवार क्षतिग्रस्त हुई। छत बुरी तरह से चू रही है। खिड़की के शीशे टूट गए।
11.	राज सुनाखाला उपडाकघर	कंपाउंड की दीवार क्षतिग्रस्त हुई। छत बुरी तरह से चू रही है। खिड़की के शीशे टूट गए।
12.	नियाली उप डाकघर	सिंटेक्स वाटर टैंक हवा में उड़ गया। कम्पाउंड की दीवार टूट गई।
13.	चांदनी चौक प्रधान डाकघर	खिड़की के शीशे टूट गए।
14.	वरिष्ठ अधीक्षक डाकघर का कार्यालय कटक	खिड़की के शीशे टूट गए।
15.	स्टाफ क्वार्टर, कन्टोन्मेंट रोड, कटक	कम्पाउंड की दीवार टूट गई।
16.	कटक जीपीओ	खिड़की के शीशे टूट गए। छत बुरी तरह से चू रही है। कम्पाउंड की दीवार क्षतिग्रस्त हुई।
17.	अनाखिया उप डाकघर	कम्पाउंड की दीवार क्षतिग्रस्त हुई। खिड़की के शीशे टूट गए।
18.	पारादीप उप डाकघर	कम्पाउंड की दीवार 50 फुट टूट गई। सीढ़ियों की छत क्षतिग्रस्त हुई। खिड़की के शीशे, दरवाजे व खिड़कियां टूट गई।
19.	जगतसिंह पुर प्रधान डाकघर	कम्पाउंड की दीवार टूट गई। दरवाजे व खिड़की के शीशे टूट गए
20.	कुजंग उप डाकघर	छत चू रही है

1	2	3
21.	रघुनाथपुर उप डाकघर	साइकिल स्टैंड की एसी शीट छत टूट गई। कम्पाउंड की दीवार 30 फुट टूट गई
22.	एरसामा उप डाकघर	कम्पाउंड की दीवार पूरी तरह टूट गई। लकड़ी का काउंटर पूरी तरह क्षतिग्रस्त हुआ खिड़की के शीशे टूट गए।
23.	टाइंडाकुरा उप डाकघर	कम्पाउंड की दीवार टूट गई
24.	वालीकुडा उप डाकघर	खिड़की के शीशे, दरवाजे व खिड़कियां टूट गई।
25.	भुवनेश्वर जीपीओ	खिड़की के शीशे टूट गए। सॉफ्ट के पास की दीवारें बुरी तरह चू रही हैं।
26.	पिपिली उप डाकघर	छत बुरी तरह चू रही है। खिड़की के शीशे टूट गए।
27.	भुवनेश्वर-2 उप डाकघर	छत बुरी तरह चू रही है। खिड़की के शीशे टूट गए।
28.	सर्किल कार्यालय	खिड़की के शीशे टूट गए। दरवाजे व खिड़कियां क्षतिग्रस्त हुईं। सीढ़ियों की छत क्षतिग्रस्त हुई। कम्पाउंड की दीवार 20 मीटर टूट गई। गैराज की एसी शीट छत टूट गई।
29.	पोस्टल स्टोर डिपो भुवनेश्वर	कम्पाउंड की दीवार 10 मीटर क्षतिग्रस्त हुई। एसी शीट छत क्षतिग्रस्त हुई। खिड़की के शीशे टूट गए।
30.	पोस्टल प्रिंटिंग प्रेस, भुवनेश्वर	पांच रोलिंग शटर क्षतिग्रस्त हुए। खिड़की के शीशे टूट गए।
31.	बैग वाशिंग प्लांट, भुवनेश्वर	सिंटैक्स टैंक क्षतिग्रस्त हुआ। एसी शीट छत तथा खिड़की के शीशे टूट गए।
32.	डाक-तार औषधालय भुवनेश्वर	पिछले बरामदे की एसी शीट छत तथा शौचालय ब्लाक क्षतिग्रस्त हुआ। खिड़की के शीशे टूट गए।
33.	सीपीएमजी निवास, उड़ीसा	पिछली दीवार ढह गई स्नानागार की मुंडेर की दोवार क्षतिग्रस्त हुई चौकीदार के शैड की एसी शीट छत टूट गई। बरामदे का फाइबर कवर ढह गया। छत बुरी तरह से चू रही है।
34.	आफिसर्स क्वार्टर, डाक-तार कालोनी, यूनिट-IV भुवनेश्वर	छत बुरी तरह से चू रही है। खिड़की के शीशे टूट गए। जल आपूर्ति की लाइन क्षतिग्रस्त हुई।
35.	स्टाफ क्वार्टर्स, डाक-तार कालोनी, यूनिट-IV भुवनेश्वर	छत बुरी तरह से चू रही है। खिड़की के शीशे टूट गए। जल आपूर्ति की लाइन क्षतिग्रस्त हुई।
36.	स्टाफ क्वार्टर्स, बेनी बिहार, डाक-तार कालोनी, भुवनेश्वर	छत चू रही है। खिड़की के शीशे टूट गए।
37.	जीजीपी कालोनी, भुवनेश्वर	कम्पाउंड की दीवार क्षतिग्रस्त हुई। खिड़की के शीशे टूट गए।
38.	पोस्टल स्टाफ क्वार्टर्स, भद्रक (ओल्ड)	खिड़की के शीशे टूट गए। दरवाजे व खिड़कियां क्षति-ग्रस्त हुई।

1	2	3
39.	केन्द्रपाडा, प्रधान डाकघर	कम्पाउंड की दीवार लगभग 35 फुट टूट गई। खिड़की के शीशे टूट गए। दरवाजे और खिड़कियां क्षतिग्रस्त हुई।
40.	मरशाघई उप डाकघर	शीशे टूट गए। छत बुरी तरह से चू रही है।
41.	डिवीजनल कार्यालय और एचआरओ "एन" डिवीजन, कटक	कम्पाउंड की मुख्य सड़क के सामने वाली दीवार क्षतिग्रस्त हुई।
42.	भद्रक, प्रधान डाकघर	खिड़की के शीशे टूट गए। ड्रेनेज प्रणाली बुरी तरह क्षति-ग्रस्त हुई।
43.	डिवीजनल कार्यालय, भवन भद्रक	छत बुरी तरह चू रही है। गैरेज का ग्रिल गेट क्षतिग्रस्त हुआ।
44.	बंत उप डाकघर	खिड़की के शीशे टूट गए। छत बुरी तरह चू रही है।
45.	चांदबाली उप डाकघर	कम्पाउंड की दीवार ढह गई।
46.	एसएसआरएम कार्यालय, कटक	कम्पाउंड की दीवार टूट गई। छत क्षतिग्रस्त हुई। खिड़की के शीशे टूट गए। लकड़ी के दरवाजे क्षतिग्रस्त हुए। एसबेस्टो वाली छत क्षतिग्रस्त हुई।

अन्य भवनों के बारे में रिपोर्ट अभी प्राप्त होनी शेष है तथापि, भवनों को आंशिक रूप से क्षति होने की संभावना है।

विवरण-II

(1) गंजम जिले में 17.10.99 को दूरसंचार संपत्ति को हुई वित्तीय हानि का विवरण नीचे दिये गया है

1.	ड्राप वायर 100 कि.मी. 1400/- रु. प्रति किमी की दर से	14,00,000/-
2.	1911 टेलीफोन उपकरण 314/- रु. प्रति सेट की दर से	6,00,000/-
3.	ट्रंक लाइन की क्षति 150 कि.मी. 1,00,000 प्रति कि.मी. की दर से	1,50,00,000/-
4.	केवल 10 केसीएम	10,00,000/-
5.	यूएचएफ/एम/डब्ल्यू टावर मैटीरियल सहित + वेव गाइड + एन्टीना पीस	1,00,00,000/-
6.	क्षतिग्रस्त एमएआरपीटी की सं. 100 1 लाख की दर से	1,00,00,000/-
7.	क्षतिग्रस्त ओ/डब्ल्यूपीटी की सं. 133 75,000/- रु. प्रति पीटी की दर से	1,00,00,000/-
8.	पैकेज एसी विंडो एसी तथा आरईए जैसी विद्युत मदें	10,00,000/-
9.	सिविल कार्य एवं इसकी क्षति की मरम्मत की लागत	20,00,000/-
10.	टेलीफोन राजस्व	1,50,00,000/-
	कुल	5,70,00,000/-

1	2	3
	(2) भयंकर चक्रवात के कारण 28.10.99/29.10.99 की हुई संपत्ति की हानि व क्षति	
1.	क्षतिग्रस्त एमएआरआर पीटी की संख्या : 4000 1 लाख प्रति पीटी की दर से	40,00,00,000/-
2.	क्षतिग्रस्त ओ/डब्ल्यूपीटी की संख्या 3800-75000/- रु. प्रति पीटी की दर से	28,50,00,000/-
3.	क्षतिग्रस्त ट्रंक लाइन-1000 कि.मी. 1 लाख प्रति किमी की दर से	10,00,00,000/-
4.	बैटरी 200 एएच-60 सेट्स 50,000/-रु. प्रति सेट की दर से	30,00,00,000/-
5.	4 पावर प्लांट 100ए 4 मोड्यूल्स	16,00,00,000/-
6.	पावर प्लांट 25 ए 50 सेट 1 लाख प्रति पीपी की दर से	50,00,000/-
7.	ड्राप वायर 12,000 कि.मी. 1400 रु. प्रति किमी की दर से	1,68,00,000/-
8.	ईपीबीटी 3000 314/- प्रति सेट की दर से	94,20,000/-
9.	एलजेयू 3000	3,00,000/-
10.	यूएचएफ एंटीना/वेव गाइड	15,00,000/-
11.	256 पीसी-डॉट एक्सचेंज-50	1,50,00,000/-
12.	ओएफसी 12 एफ 50 किमी 40,000/- की दर से	20,00,000/-
13.	केबल-1 1 केसीएम	1,00,00,000/-
14.	10 टावर	2,00,00,000/-
15.	सी-डॉट/इकिपीसीबी 10 बी/एन्ईसी/ओसीबी	7,00,00,000/-
16.	राजस्व	12,50,00,000/-
	कुल	106,46,00,000/-

डाक टिकटें जारी करना

88. श्री अमर राय प्रधान : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान सरकार को विभिन्न राज्यों और संसद सदस्यों से डाक-टिकटें जारी करने के संबंध में अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान संसद सदस्यों से प्राप्त कितने प्रस्ताव स्वीकृत हुए और कितने लंबित पड़े हैं; और

(घ) सरकार ने उक्त मांग को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाये हैं?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) जी हां।

(ख) ब्यौरा विवरण में दिया गया है।

(ग) और (घ) प्राप्त हुए कुल 176 प्रस्तावों में से 92 प्रस्ताव स्वीकार किए गए। स्मारक डाक टिकट जारी करने के प्रस्तावों की जांच विनिर्दिष्ट मार्गदर्शी-सिद्धांतों के आधार पर विभाग द्वारा गठित फिलैटलिक सलाहकार समिति द्वारा की जाती है। इन मार्गदर्शी सिद्धांतों में यह निर्धारित किया गया है कि लब्ध प्रतिष्ठित व्यक्तियों पर जारी किए जाने वाले स्मारक डाक-टिकटों की संख्या वर्ष भर में जारी किए जाने वाले कुल डाक-टिकटों की कुल संख्या के 25 प्रतिशत तक सीमित होनी चाहिए। मार्गदर्शी सिद्धांतों में

विनिर्धारित शर्तों तथा अन्य संबद्ध तथ्यों जैसे सरकारी मुद्रणालयों की डाक-टिकट मुद्रण क्षमता, प्रस्तावों की फिलैटलिक प्रासंगिकता आदि को ध्यान में रखते हुए ऐसे डाक टिकटों की कुल संख्या प्रतिवर्ष 40/50 तक सीमित है। तथापि, फिलैटलिक सलाहकार समिति विशेष स्मारक डाक-टिकटों के ऐसे विशिष्ट प्रस्तावों की भी जांच तथा अनुमोदन करती है, जिन पर विशेष रूप से ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है।

विवरण

वर्ष 1997

राज्य	संसद सदस्य का नाम	विषय
1	2	3
अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	श्री आई.पी. गुप्ता, उप-राज्यपाल	सेल्यूलर जेल पर डाक-टिकट
असम	श्री पी.क. महंत, मुख्य मंत्री	असम में समाचार-पत्र के 150 वर्ष पर डाक-टिकट
असम	श्री प्रबन सिंह घटोवार, सांसद (लोक सभा)	लोक नायक ओमेओ कुमार दास पर डाक-टिकट
बिहार	श्री जनार्दन यादव, सांसद (राज्य सभा)	आचार्य शिवपूजन सहाय पर डाक-टिकट
बिहार	श्री नीतीश कुमार, सांसद (लोक सभा)	आचार्य शिवपूजन सहाय पर डाक-टिकट
बिहार	श्री देशदत्त यादव, सांसद (राज्य सभा)	लक्ष्मी नारायण मिश्र पर डाक-टिकट
गुजरात	श्री सत्यजीत सिंह डी. गायकवाड, संसद सदस्य	एएसएम सहकारी बैंक लि. पर डाक-टिकट
गुजरात	श्री आर.के. वर्मा, सांसद (लोक सभा)	श्री स्वामी नारायण मंदिर पर डाक-टिकट
गुजरात	डा. उर्मिला सी. पटेल, सांसद (राज्य सभा)	हरि ओम मोता पर डाक-टिकट
गुजरात	गुजरात सरकार	गुजरात रंगभूमि पर डाक-टिकट
गुजरात	श्री एस.एस. वाघेला, मुख्य मंत्री	झवेरचन्द मेघाणी पर डाक-टिकट

1	2	3
गुजरात	गुजरात सरकार	छहनबाधी पर डाक-टिकट
गुजरात	श्री विजय पटेल, सांसद (लोक सभा)	पूज्य श्री मोता पर डाक-टिकट
गुजरात	श्री हरिन पाठक, सांसद (लोक सभा)	पूज्य श्री मोता पर डाक-टिकट
गुजरात	श्री ब्रह्म कुमार भट्ट, सांसद (राज्य सभा)	पूज्य श्री मोता पर डाक-टिकट
गुजरात	श्री पी.एस. गधावी, सांसद (लोक सभा)	पूज्य श्री मोता पर डाक-टिकट
गुजरात	श्रीमती आनन्दी बेन पटेल, सांसद (राज्य सभा)	पूज्य श्री मोता पर डाक-टिकट
गुजरात	श्री सनत मेहता, सांसद (लोक सभा)	छगनबापा पर डाक-टिकट
हरियाणा	श्री संजीव कोठारी, सचिव, हरियाणा सरकार	कार्तिक महोत्सव पर डाक-टिकट
जम्मू-कश्मीर	प्रो. चमन लाल गुप्ता, संसद सदस्य	भगवान गोपीनाथजी पर डाक-टिकट
जम्मू-कश्मीर	मुख्य मंत्री, जम्मू-कश्मीर के अपर सचिव	भगवान गोपीनाथजी पर डाक-टिकट
कर्नाटक	श्री एस. बंगारप्पा, सांसद (लोक सभा)	डा. टि. एम.ए.पै पर डाक-टिकट
केरल	श्री ई.के. नयनार, मुख्य मंत्री	श्री ए. थंगल कुंजु मुसालैर पर डाक-टिकट
केरल	श्री एम. रामचन्द्रन, सांसद (लोक सभा)	मो. अब्दुर्रहमान साहिब पर डाक-टिकट
केरल	प्रो. पी.जे. कुरियन, सांसद (लोक सभा)	सेंट बेर्चमन्स कालेज, चेंगानसरी पर डाक-टिकट
केरल	श्री पी.सी. चाको, सांसद (लोक सभा)	श्री के. विजय वर्मा पर डाक-टिकट

1	2	3
केरल	श्री पी.सी. चाको, सांसद (लोक सभा)	श्री ए. थंगल कुंजु मुसालैर पर डाक-टिकट
केरल	श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन, सांसद (लोक सभा)	श्री ए. थंगल कुंजु मुसालैर पर डाक-टिकट
केरल	श्री कोडिकुन्नील सुरेश, सांसद (लोक सभा)	थंगल कुंजु मुसालैर पर डाक-टिकट
केरल	श्री जी.एम. बनातवाला, सांसद (लोक सभा)	थंगल कुंजु मुसालैर पर डाक-टिकट
मध्य प्रदेश	श्री माधवराव सिंधिया, सांसद (लोक सभा)	सिंधिया स्कूल, ग्वालियर पर डाक-टिकट
मध्य प्रदेश	श्री दिग्विजय सिंह, मुख्य मंत्री	सेठ गोविन्द दास जी पर डाक-टिकट
महाराष्ट्र	श्री अन्ना जोशी, सांसद (लोक सभा)	संत दयानेश्वर महाराज पर डाक-टिकट
महाराष्ट्र	श्री मनोहर जोशी, मुख्य मंत्री	सावित्री भाई फूले पर डाक-टिकट
महाराष्ट्र	श्री वी.एन. गाडगिल, सांसद (लोक सभा)	राम गणेश गडकरी पर डाक-टिकट
महाराष्ट्र	श्री प्रमोद महाजन, सांसद (लोक सभा)	संत गडकेबाबा पर डाक-टिकट
महाराष्ट्र	श्री आर.जी. कापसे, सांसद (राज्य सभा)	वी.एस. खाण्डेकर एवं जिजाबाई पर डाक-टिकट
महाराष्ट्र	मुख्य मंत्री कार्यालय	अहिल्याबाई होल्कर पर डाक-टिकट
महाराष्ट्र	श्रीमती जयवंती मेहता, सांसद (लोक सभा)	डेविड ससून पुस्तकालय पर डाक-टिकट
महाराष्ट्र	श्रीमती जयवंती मेहता, सांसद (लोक सभा)	संत गडगे बाबा पर डाक-टिकट
महाराष्ट्र	श्रीमती जयवंती मेहता, सांसद (लोक सभा)	मुंबई समाचार पर डाक-टिकट
महाराष्ट्र	श्री दत्ता मेघे, सांसद (लोक सभा)	संत गडगे बाबा पर डाक-टिकट
महाराष्ट्र	एस.बी. चव्हाण, सांसद (राज्य सभा)	संत गडगे बाबा पर डाक-टिकट

1	2	3
महाराष्ट्र	श्री गोविन्द राव अदोक, सांसद (राज्य सभा)	संत गडगे बाबा पर डाक-टिकट
महाराष्ट्र	श्री बनवारी लाल पुरोहित, सांसद	संत गडगे बाबा पर डाक-टिकट
महाराष्ट्र	श्री मुकेश आर. पटेल, सांसद (राज्य सभा)	संत गडगे बाबा पर डाक-टिकट
महाराष्ट्र	श्री सतीश प्रधान, सांसद (राज्य सभा)	संत गडगे बाबा पर डाक-टिकट
महाराष्ट्र	श्री पी.के. अग्रवाल, सांसद (राज्य सभा)	श्री छगनबापा पर डाक-टिकट
महाराष्ट्र	श्री पृथ्वीराज डी. चव्हाण, सांसद	गडगे बाबा पर डाक-टिकट
महाराष्ट्र	श्री गोरधनभाई जे. जविया, सांसद	गडगे बाबा पर डाक-टिकट
महाराष्ट्र	श्री दत्ता मेघे, सांसद	काका साहिब चोलकर पर डाक-टिकट
महाराष्ट्र	श्री सतीश प्रधान, सांसद (राज्य सभा)	राम गणेश गडकरी पर डाक-टिकट
महाराष्ट्र	श्री प्रमोद महाजन, सांसद (लोक सभा)	पी.के. अतरे पर डाक-टिकट
महाराष्ट्र	श्री शरद पवार, सांसद (लोक सभा)	पी.के. अतरे पर डाक-टिकट
महाराष्ट्र	श्री राम नाइक, सांसद (लोक सभा)	वी.एस. खाण्डेकर पर डाक-टिकट
मेघालय	श्री एस.सी. मरक, मुख्य मंत्री	मेघालय की रजत जयंती पर डाक-टिकट
नई दिल्ली	श्री सच्चिदानंद, सांसद (राज्य सभा)	ए.सी. भक्तिवेदांतस्वामी पर डाक-टिकट
नई दिल्ली	श्रीमती सुषमा स्वराज, सांसद (राज्य सभा)	आचार्य शिवपूजन सहाय पर डाक-टिकट

1	2	3
नई दिल्ली	श्री ए.बी. वाजपेई, विपक्ष के नेता	आचार्य शिवपूजन सहाय पर डाक-टिकट
उड़ीसा	श्री बी.बी.एस. गंधारी, संसद सदस्य	सामंत चन्द्रशेखर पर डाक-टिकट
उड़ीसा	श्री अनादि साहू, सांसद (लोक सभा)	कर्मवीर गौरी शंकर रे पर डाक-टिकट
राजस्थान	श्री जी.सी. राजपूत, सांसद (लोक सभा)	स्वामी ब्रह्मानन्द पर डाक-टिकट
राजस्थान	सचिव (कला एवं संस्कृति), राजस्थान सरकार	महासभाप्रताप पर डाक-टिकट
तमिलनाडु	श्री ए. राजा, सांसद (लोक सभा)	जोसफ कालेज, त्रिची पर डाक-टिकट
तमिलनाडु	श्री एम. करूणानिधि, मुख्य मंत्री	सरदार ए. वेदाराथिनम् पर डाक-टिकट
तमिलनाडु	श्री पी.वी. राजेन्द्रन, सांसद (लोक सभा)	सरदार वेदराथिनम् पर डाक-टिकट
तमिलनाडु	सरोज खापर्डे, सांसद (राज्य सभा)	पट्टाभि सीतारमैया पर डाक-टिकट
तमिलनाडु	श्री एन.एस.वी. चित्तन, सांसद	डा. (श्रीमती) टी.एस. सुन्दरम पर डाक-टिकट
तमिलनाडु	सामान्य प्रशासन विभाग, तमिलनाडु सरकार	डा. आर.एम. अलगप्पा चेत्तियार पर डाक-टिकट
त्रिपुरा	श्री अनिल सरकार, त्रिपुरा सरकार	त्रिपुरा पर डाक-टिकट
उत्तर प्रदेश	डॉ. रत्नाकर पाण्डेय, सांसद (लोक सभा)	सियाराम शरण गुप्त पर डाक-टिकट
उत्तर प्रदेश	श्री कल्पनाथ राय, सांसद (लोक सभा)	चित्तू पाण्डेय पर डाक-टिकट
पश्चिम बंगाल	श्री अनिल बसु, सांसद (लोक सभा)	राजाराम मोहन राय पर डाक-टिकट
पश्चिम बंगाल	श्री प्रणत मुखोपाध्याय, सांसद (राज्य सभा)	ताराशंकर बंधोपाध्याय पर डाक-टिकट

1	2	3
पश्चिम बंगाल	श्री सोमनाथ चटर्जी, सांसद (लोक सभा)	ताराशंकर बंधोपाध्याय पर डाक-टिकट
पश्चिम बंगाल	श्रीमती कमला सिन्हा, सांसद (राज्य सभा)	शिवनाथ बनर्जी पर डाक-टिकट
पश्चिम बंगाल	श्री हरधन राय, सांसद (लोक सभा)	काजी नजरूल इस्लाम पर डाक-टिकट
पश्चिम बंगाल	श्री सोमनाथ चटर्जी, सांसद (लोक सभा)	काजी नजरूल इस्लाम पर डाक-टिकट
पश्चिम बंगाल	श्री रामचन्द्र डोम, सांसद (लोक सभा)	ताराशंकर बंधोपाध्याय पर डाक-टिकट
पश्चिम बंगाल	श्री अशोक मित्र, सांसद	काजी नजरूल इस्लाम पर डाक-टिकट
पश्चिम बंगाल	श्री महबूब जहेदी, सांसद (लोक सभा)	काजी नजरूल इस्लाम पर डाक-टिकट
पश्चिम बंगाल	श्री सुनिल खान, सांसद (लोक सभा)	काजी नजरूल इस्लाम पर डाक-टिकट
पश्चिम बंगाल	श्री हन्नन मोल्ला, सांसद (लोक सभा)	काजी नजरूल इस्लाम पर डाक-टिकट
पश्चिम बंगाल	अजय मुखोपाध्याय, सासंद (लोक सभा)	काजी नजरूल इस्लाम पर डाक-टिकट
पश्चिम बंगाल	श्री हन्नन मोल्ला, सांसद (लोक सभा)	कमा. वंकिम मुखर्जी पर डाक-टिकट
पश्चिम बंगाल	श्री अमर राय प्रधान, सांसद (लोक सभा)	काजी नजरूल इस्लाम पर डाक-टिकट
पश्चिम बंगाल	श्री देवव्रत विश्वास, सांसद (राज्य सभा)	चित्त बसु पर डाक-टिकट
पश्चिम बंगाल	श्री अजीत पांजा, सांसद (लोक सभा)	गोष्ठ पाल पर डाक-टिकट
वर्ष 1998		
आंध्र प्रदेश	श्री जी.एम.सी. बालयोगी, अध्यक्ष (लोक सभा)	पोट्टि श्रीरामुलु पर डाक-टिकट

1	2	3
असम	श्री पी.एस. घटोवार, सांसद (लोक सभा)	पद्मश्री सी. सैकियानी पर डाक-टिकट
बिहार	डॉ. सी. पी. ठाकुर, सांसद (लोक सभा)	रामवृक्ष बेनीपुरी पर डाक-टिकट
बिहार	डॉ. सी.पी. ठाकुर, सांसद (लोक सभा)	रामधारीसिंह दिनकर पर डाक-टिकट
बिहार	डा. सी.पी. ठाकुर, सांसद (लोक सभा)	शिवपूजन सहाय पर डाक-टिकट
बिहार	डॉ. सी.पी. ठाकुर, सांसद (लोक सभा)	सहजानन्द सरस्वती पर डाक-टिकट
बिहार	डॉ. सी.पी. ठाकुर, सांसद (लोक सभा)	फणेश्वरनाथ रेणु पर डाक-टिकट
बिहार	श्री प्रभाष च. तिवारी, सांसद (लोक सभा)	रामधारीसिंह दिनकर पर डाक-टिकट
गुजरात	श्री सनत मेहता, सांसद (लोक सभा)	छगनबापा पर डाक-टिकट
गुजरात	श्री शान्ति लाल पी. पटेल, सांसद (लोक सभा)	पूज्य श्री मोतापर डाक-टिकट
गुजरात	श्री हरीभाई पी. चौधरी, सांसद	पूज्य श्री मोता पर डाक-टिकट
गुजरात	श्री दिलीप भाई संघानी, सांसद (लोक सभा)	संत प्रमुख स्वामीजी पर डाक-टिकट
कर्नाटक	श्री ऑस्कर फर्नांडीज, सांसद (लोक सभा)	डा. टि.एम. ए.पै पर डाक-टिकट
कर्नाटक	श्री वी. धनन्जय कुमार, सांसद (लोक सभा)	डॉ. टि.एम.ए.पै. पर डाक-टिकट
कर्नाटक	राज्यपाल के सचिव	डॉ. जाकिर हुसैन पर डाक-टिकट
केरल	श्री ई.के. नयनार, मुख्य मंत्री	ई.एम.एस. नम्बूदरीपाद पर डाक-टिकट
केरल	श्री ए. विजय राघवन, सांसद (राज्य सभा)	पी.एस. वारियर पर डाक-टिकट

1	2	3
केरल	श्री एस. पीटर एल्फांसे, सांसद (राज्य सभा)	रेव. ब्ररो. के.वी. पीटर पर डाक-टिकट
केरल	श्री पी.सी. थॉमस, सांसद (लोक सभा)	एरुमली एंड सेक्यूलर एक्टिविटी पर डाक-टिकट
महाराष्ट्र	प्रो. राम कापसे, सांसद (राज्य सभा)	जिजावाई पर डाक-टिकट
महाराष्ट्र	श्री मनोहर जोशी, मुख्य मंत्री	डॉ. पंजाबराव देशमुख पर डाक-टिकट
महाराष्ट्र	श्री वी.एन. गाडगिल, सांसद (राज्य सभा)	राम गणेश गडकरी पर डाक-टिकट
महाराष्ट्र	श्री एस.वी. चव्हाण, सांसद (राज्य सभा)	गडगे बाबा पर डाक-टिकट
महाराष्ट्र	श्री वी.एन. गाडगिल, सांसद (राज्य सभा)	नारायण मेघाणी लोकहांडे पर डाक-टिकट
महाराष्ट्र	श्री नितिन गडकरी, लोक निर्माण विभाग, मंत्रालय	डॉ. पंजाबराव देशमुख पर डाक-टिकट
महाराष्ट्र	श्री अशोक गहलोत, सांसद (लोक सभा)	नारायण लोकहांडे पर डाक-टिकट
महाराष्ट्र	श्री वी.एन. गाडगिल, सांसद (राज्य सभा)	नारायण लोकहांडे पर डाक-टिकट
महाराष्ट्र	श्री दलीप संघानी, सांसद (लोक सभा)	पनदुरंग अथवाले पर डाक-टिकट
महाराष्ट्र	श्री वी.एन. गाडगिल, सांसद (राज्य सभा)	आनन्द ऋषिजी महाराज पर डाक-टिकट
मणिपुर	श्री एम. कुंजो सिंह, इंक/पीआर मंत्री	पांचवें राष्ट्रीय खेलों पर डाक-टिकट
मणिपुर	श्री डब्ल्यू. अंगाओ सिंह, सांसद (राज्य सभा)	राजश्री भाग्यचन्द्र पर डाक-टिकट
नई दिल्ली	श्री दिलीप संघानी, सांसद (लोक सभा)	वाईएचएआई पर डाक-टिकट
उड़ीसा	श्री भ्रतरिहरि महताब, सांसद (लोक सभा)	कर्मवीर गौरीशंकर राय पर डाक-टिकट

1	2	3
उड़ीसा	श्री प्रभात सामंतराय, सांसद (लोक सभा)	बीजू पटनायक पर डाक-टिकट
उड़ीसा	मुख्य सचिव, उड़ीसा सरकार	उत्कल गौरव मधुसूदन दास पर डाक-टिकट
पांडिचेरी	डॉ. रजनी राय, उप राज्यपाल	श्री अरविंदो के 125 वर्ष पर डाक-टिकट
पंजाब	श्री गुरचरण सिंह तोहड़ा, सांसद (राज्य सभा)	खालसा में 300 वर्ष पर डाक-टिकट
पंजाब	श्री भुपिन्द्र सिंह हूडा, सांसद (लोक सभा)	शील भद्र यजी पर डाक-टिकट
पंजाब	श्री प्रकाश सिंह बादल, मुख्य मंत्री	महान शहीद उधम सिंह पर डाक-टिकट
पंजाब	पंजाब के राज्यपाल	चण्डीगढ़ पर डाक़-टिकट
राजस्थान	श्री ओमकार सिंह लखावत, सांसद (राज्य सभा)	पृथ्वीराज चौहान पर डाक-टिकट
राजस्थान	श्री मुरली एस. देओरा, सांसद (लोक सभा)	हजरत ख्वाजा गरीब नवाज पर डाक-टिकट
राजस्थान	डॉ.. एल.एम. सिंघवी, सांसद (राज्य सभा)	राजा भामाशाह पर डाक-टिकट
राजस्थान	श्री एम. करुणानिधि, मुख्य मंत्री	कन्निमारा पुस्तकालय पर डाक-टिकट
तमिलनाडु	श्रीमती निर्मला देशपांडे, सांसद (राज्य सभा)	ए. वैद्यनाथ अय्यर पर डाक-टिकट
तमिलनाडु	श्री एम. करुणानिधि, मुख्य मंत्री	पी.एस. कुमारस्वामी राजा पर डाक-टिकट
तमिलनाडु	श्री गणेश मूर्ति, सांसद (लोक सभा)	तिरपुर कुमारन पर डाक-टिकट
तमिलनाडु	पब्लिक (जन.1) विभाग, तमिलनाडु सरकार	थिल्लैथाडी वल्लियामे पर डाक-टिकट
उत्तर प्रदेश	श्री भूपिन्द्र सिंह हूडा, सांसद (लोक सभा)	पं. राजकुमार शुक्ला पर डाक-टिकट

1	2	3
उत्तर प्रदेश	श्रीमती निर्मला देशपांडे, सांसद (राज्य सभा)	पं. राजकुमार शुक्ला पर डाक-टिकट
उत्तर प्रदेश	श्री कल्पनाथ राय, सांसद (लोक सभा)	चित्तु पाण्डेय पर डाक-टिकट
उत्तर प्रदेश	स्वामी चिन्मयानन्द, सांसद	डा. किशोरीदास वाजपेई पर डाक-टिकट
पं. बंगाल	श्री पॉल मंतोश, सांसद (लोक सभा)	फ्रैंक एंथनी पर डाक-टिकट
पं. बंगाल	श्री सोमनाथ चटर्जी, सांसद (लोक सभा)	श्रीबनफूल पर डाक-टिकट
वर्ष 1999		
आंध्र प्रदेश	श्री पी. उपेन्द्र, सांसद (लोक सभा)	संत नगरी दास पर डाक-टिकट
आंध्र प्रदेश	श्री टी. सीताराम, आई एंड पी आर मंत्री	मद्दरी अन्नपूर्णया पर डाक-टिकट
गुजरात	श्री दिलीप संघानी, सांसद (लोक सभा)	प्रमुख स्वामी पर डाक-टिकट
गुजरात	श्री सतपाल जैन, सांसद (लोक सभा)	छगन बापा पर डाक-टिकट
केरल	श्री वी.एम. सुधीरन, सांसद (लोक सभा)	विशप अलापट्ट पर डाक-टिकट
केरल	श्री वी.एम. सुधीरन, सांसद (लोक सभा)	इट्टि अछूतन पर डाक-टिकट
केरल	प्रो. पी.जे. कुरियन, सांसद (लोक सभा)	सेंट थॉमस क्रास पर डाक-टिकट
मध्य प्रदेश	श्री बालकवि बैरागी, सांसद (राज्य सभा)	स्वामी रामानन्द जी पर डाक-टिकट
महाराष्ट्र	श्री नितिन गडकरी, पीडब्ल्यूडी, मंत्री	दादासाहिब कन्नमवार पर डाक-टिकट
महाराष्ट्र	श्री नारायण राणे, मुख्य मंत्री	प्रवोधांकर ठाकरे पर डाक-टिकट
मिजोरम	श्री जोरामथांगा, मुख्य मंत्री	मिजोरम समझौता दिवस पर डाक-टिकट
नई दिल्ली	डॉ. करण सिंह, सांसद (राज्य सभा)	अंतरधार्मिक संबंधों पर डाक-टिकट

1	2	3
नई दिल्ली	डा. एल.एम. सिंघवी, सांसद	महात्मा कबीर पर डाक-टिकट
उड़ीसा	श्री सामंत रे, सांसद (लोक सभा)	बीजूपटनायक पर डाक-टिकट
उड़ीसा	श्री भ्रतरिहरि मेहताव, सांसद (लोक सभा)	डा. हरेकृष्ण मेहताब पर डाक-टिकट
उड़ीसा	श्री भ्रतरिहरि मेहताव, सांसद (लोक सभा)	मधुसूदनदास पर डाक-टिकट
पांडिचेरी	श्री आर. विश्वनाथन, कृषि मंत्री	कृषि विज्ञान केन्द्र पर डाक-टिकट
पांडिचेरी	श्रीमती (डॉ.) रजनी राय, गवर्नर, पांडिचेरी	कृषि विज्ञान केन्द्र पर डाक-टिकट
राजस्थान	सतपाल जैन, सांसद (लोक सभा)	महावीर जयंती पर डाक-टिकट
राजस्थान	श्री ओमकार सिंह लखावत, सांसद (राज्य सभा)	पृथ्वीराज चौहान पर डाक-टिकट
तमिलनाडु	श्री के. रहमान खान, सांसद (राज्य सभा)	टीपू सुल्तान पर डाक-टिकट
तमिलनाडु	श्री वैको, सांसद (लोक सभा)	रेत्तामलई श्रीनिवासन पर डाक-टिकट
तमिलनाडु	श्री वैको, सांसद (लोक सभा)	मरुधु पांडियार बन्धुओं पर डाक-टिकट
तमिलनाडु	श्री वैको, सांसद (लोक सभा)	पूलिथेवर पर डाक-टिकट
तमिलनाडु	श्री वैको, सांसद (लोक सभा)	न्यायपतिसुब्बाराव पन्तुलु पर डाक-टिकट
उत्तर प्रदेश	मेजर जनरल भुवन चन्द्र खण्डूरी, सांसद	केदारनाथ व बद्रीनाथ मंदिरों पर डाक-टिकट
उत्तर प्रदेश	श्री कल्पनाथ राय, सांसद (लोक सभा)	चित्तु पाण्डेय पर डाक-टिकट
उत्तर प्रदेश	श्री कल्याण सिंह, मुख्य मंत्री	परिवार कल्याण पर डाक-टिकट
उत्तर प्रदेश	मेजर जनरल भुवन चन्द्र खण्डूरी, सांसद	दून घाटी में रेलवे पर डाक-टिकट

1	2	3
पं. बंगाल	श्री सोमनाथ चटर्जी, सांसद (लोक सभा)	वेथुने कालिजिएट स्कूल पर डाक-टिकट
पं. बंगाल	श्री सोमनाथ चटर्जी, सांसद (लोक सभा)	काजी नजरूल इस्लाम पर डाक-टिकट
पं. बंगाल	श्री कारनेन्दु भट्टाचार्यजी, सांसद (राज्य सभा)	काजी नजरूल इस्लाम पर डाक-टिकट
पं. बंगाल	श्री कान्ति विश्वास, शिक्षा मत्री (पं. बंगाल)	वेथुन कालिजिएट स्कूल पर डाक-टिकट
पं. बंगाल	श्रीमती गीता मुखर्जी, सांसद (लोक सभा)	वनफूल पर डाक-टिकट

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा अस्पताल-गाड़ी का रख-रखाव

89. श्री ए. कृष्णैया: क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण आंध्र प्रदेश में दुर्घटनाग्रस्त व्यक्तियों के लिए किसी अस्पताल-गाड़ी का रख-रखाव करता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा इस संबंध में उपलब्ध कराई गई अन्य सुविधाओं का ब्यौरा क्या है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देवेन्द्र प्रधान): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) सड़क के निर्माण और अनुरक्षण के अलावा भा.रा.रा.प्रा. द्वारा अन्य कोई सुविधा उपलब्ध नहीं कराई जाती है।

सती प्रथा का पुनः उद्भव

90. श्री ए.सी. जोस: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने हाल ही में उत्तर प्रदेश सतपुड़ा (महोबा) में हुई सती घटना के बारे में जांच पड़ताल की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी): (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) राज्य सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार गांव सतपुरवा, जिला महोबा, उत्तर प्रदेश के एक श्री मानशाह सुपुत्र श्री हरजू, का देहान्त 11.11.99 को हो गया था। प्राप्त जानकारी के अनुसार इसकी विधवा श्रीमती चरणशाह उसे बेहद चाहती थी। उसके पति के दाह संस्कार के समय चिंता जलाने के बाद, शव यात्रा के साथ आए ग्रामीण जब नहाने गए हुए थे, उसी समय वह दाह संस्कार स्थान की ओर दौड़ती हुई आई और जलती हुई चिंता में कूद पड़ी। जिला मजिस्ट्रेट और पुलिस अधीक्षक द्वारा की गई जांच से यह पाया गया कि श्रीमती चरणशाह को आत्माहुति के लिए किसी के भी द्वारा प्रेरित अथवा बाध्य नहीं किया गया था। यह आत्महत्या का मामला बताया जाता है न कि सती होने की घटना, चूंकि घटना से पूर्व न तो श्रीमती चरणशाह अथवा न ही गांव के लोगों द्वारा किसी प्रकार का पूजा-पाठ किया गया था।

[हिन्दी]

जामनगर में टेलीफोन सेवा

91. श्री जगदीश पटेल: क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गुजरात में जामनगर जिले में जनवरी, 1997 से अब तक उपभोक्ताओं, संस्थानों, वाणिज्य और उद्योग चैम्बरों और जन प्रतिनिधियों से भी कई शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो उन शिकायतों का ब्यौरा और स्वरूप क्या है;

(ग) इस संबंध में कितने कर्मचारियों और अधिकारियों को दोषी पाया गया है और उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गई है/करने का विचार है; और

(घ) टेलीफोन प्रणाली में सुधार लाने और शिकायतों का शीघ्रता से निपटान करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) जी, हां।

(ख) प्राप्त शिकायतों की वर्ष-वार संख्या नीचे दी गई है।

वर्ष	प्राप्त शिकायतों की संख्या
1997	192
1998	180
1999	279 (अक्तूबर 99 तक)

मुख्य रूप से ये शिकायतें कई एक्सचेंजों में एसटीडी उपलब्ध नहीं होने, खराब टेलीफोनों को ठीक करने में देरी, नए टेलीफोन कनेक्शन देने, नए टेलीफोन एक्सचेंजों को नहीं खोलने तथा डायरेक्टरियों को न छापने से संबंधित हैं।

(ग) ये समस्याएं, जनता के साथ किए गए बर्ताव एवं उनकी शिकायतों के प्रति की गई प्रतिक्रिया से संबंधित हैं। लाइन स्टाफ तथा प्रचालन स्टाफ के बर्ताव से संबंधित प्रशिक्षण का आयोजन किया गया है।

(घ) 74 स्टेशनों में से इस समय 24 स्टेशनों में विश्वसनीय मीडिया उपलब्ध है तथा चालू वित्त वर्ष में 22 स्टेशनों में इसे प्रदान किये जाने की योजना है। शेष स्टेशनों में अगले वित्तीय वर्ष के दौरान यह सुविधा दिए जाने का प्रस्ताव है। मंडल अभियंता के पर्यवेक्षण में, शिकायतों के शीघ्र निपटान के लिए एक उपमंडल अभियंता को इसका प्रभारी बनाया गया है। जामनगर के महाप्रबंधक भी इन शिकायतों की साप्ताहिक समीक्षा करते हैं।

[अनुवाद]

एन.एच.ए.आई. द्वारा "रेस्ट एरियाज" के लिए धनराशि

92. प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेश्वरलु: क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) नेशनल हाइवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा आंध्र प्रदेश में वर्ष 1998-99 और चालू वर्ष में "रेस्ट एरियाज" पर कितनी धनराशि व्यय की गई;

(ख) चालू वर्ष के दौरान इसके लिए कितना बजट निर्धारित किया गया है;

(ग) क्या सड़क सुरक्षा के संबंध में कोई डिजाइन बनाया गया है; और

(घ) यदि हां, तो देश में सभी राष्ट्रीय राजमार्गों पर ऐसे डिजाइन के उपयोग के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

जल भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देवेन्द्र प्रधान): भा.रा.रा.प्रा. ने 1998-99 में और चालू वर्ष के दौरान आंध्र प्रदेश में विश्राम क्षेत्रों पर अब तक कोई राशि व्यय नहीं की है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) आजकल भा.रा.रा.प्रा. ने मौजूदा दो-लेन सड़क को चार-लेन का बनाने के लिए परियोजना तैयार करने के कार्य में अंतर्राष्ट्रीय परामर्शदाता को लगाया है। सड़क की डिजाइन में सुरक्षा पहलुओं को शामिल किया गया है और सड़क सुरक्षा की जांच की जाएगी। स्वर्णिम चतुर्भुज को चार-लेन का बनाने के लिए ऐसी डिजाइन का प्रयोग किया जा रहा है।

रसोई गैस की खपत और उत्पादन

93. श्री अशोक ना. मोहोल:
श्री ए. वेंकटेश नायक:

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में रसोई गैस की खपत और उत्पादन में अंतर है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा और कारण क्या हैं;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान रसोई गैस के उत्पादन और खपत के वर्ष-वार और राज्य-वार तुलनात्मक आंकड़े क्या हैं; और

(घ) देश में राज्य-वार कार्यरत रसोई गैस एजेंसियों की संख्या कितनी है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. पोन्नुस्वामी): (क) और (ख) वर्ष 1996-97 से 1998-99 तक की अवधि के दौरान देश में सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम तेल कम्पनियों के द्वारा किये गये एल पी जी उत्पादन तथा की गई एल पी जी की बिक्रियों का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

(आंकड़े हजार मीट्रिक टन में)

वर्ष	एल पी जी उत्पादन	एल पी जी बिक्रियां
1996-97	3356	4183
1997-98	3444	4581
1998-99	3599	5041

रिफाइनरियों/प्रभाजकों से सीमित एल पी जी उपलब्धता के कारण एल पी जी उत्पादन, एल पी जी की मांग के अनुरूप नहीं रहा है।

(ग) विगत तीन वर्षों के लिए एल पी जी के उत्पादन एवं खपत के वर्ष-वार एवं राज्य-वार तुलनात्मक आंकड़े विवरण-I के रूप में दिए गए हैं।

(घ) 1 अक्तूबर, 1999 को देश में कार्यरत सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम एल पी जी डिस्ट्रीब्यूटरशिपों की संख्या 5838 थी। 1 अक्तूबर, 1999 को देश में एल पी जी डिस्ट्रीब्यूटरशिपों की संख्या का राज्यवार ब्यौरा विवरण II के रूप में दिया गया है।

विवरण I

एल पी जी का राज्य-वार/वर्ष-वार उत्पादन एवं खपत

(हजार मीट्रिक टन में)

राज्य	1996-97		1997-98		1998-99	
	उत्पादन	खपत	उत्पादन	खपत	उत्पादन	खपत
1	2	3	4	5	6	7
आंध्र प्रदेश	129	308	63	332	95	362
अरूणाचल प्रदेश	0	4	0	5	0	5
असम	82	65	88	70	96	75
बिहार	40	125	44	136	39	148

1	2	3	4	5	6	7
दिल्ली	0	332	0	365	0	391
गोवा	0	21	0	22	0	23
गुजरात	879	313	949	335	1015	363
हरियाणा	0	133	0	150	11	172
हिमाचल प्रदेश	0	36	0	44	0	49
जम्मू और कश्मीर	0	41	0	45	0	47
कर्नाटक	51	209	87	223	99	248
केरल	261	142	280	174	279	189
मध्य प्रदेश	523	199	522	210	530	229
महाराष्ट्र	968	733	951	759	1010	820
मणिपुर	0	8	0	9	0	9
मेघालय	0	6	0	6	0	7
मिजोरम	0	6	0	8	0	8
नागालैंड	0	5	0	6	0	6
उड़ीसा	0	44	0	50	0	53

1	2	3	4	5	6	7
पंजाब	0	182	0	206	0	225
राजस्थान	0	159	0	185	0	205
सिक्किम	0	2	0	3	0	3
तमिलनाडु	147	345	157	376	127	429
त्रिपुरा	0	5	0	7	0	7
उत्तर प्रदेश	235	506	246	576	235	649
पश्चिम बंगाल	41	216	57	242	63	273
उप योग	3356	4146	3444	4543	3599	4997
संघ राज्य क्षेत्र						
अंडमान और निकोबार	0	1	0	1	0	2
चंडीगढ़	0	22	0	22	0	25
दादर और नागर हवेली	0	2	0	2	0	2
दमन और दीयू	0	1	0	1	0	2
लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7
पांडिचेरी	0	9	0	11	0	11
उप योग	0	35	0	37	0	41
योग	3356	4182	3444	4579	3599	5038
भूटान	0	2	0	2	0	3
कुल योग	3356	4183	3444	4581	3599	5041

विवरण-II

1 अक्तूबर, 1999 को राज्यवार एल.पी.जी. डिस्ट्रीब्यूटरशिपें

	आई.ओ. सी. (एमडी)	ओ.आई. सी. (एओडी)	आई.ओ. सी. योग	आई.ओ. सी.	आई.ओ. सी.	आई.ओ. सी.	आई.ओ. सी.
1	2	3	4	5	6	7	8
राज्य							
आन्ध्र प्रदेश	199	0	199	95	213	0	507
अरूणाचल प्रदेश	3	15	18	0	0	0	18
असम	60	87	147	1	0	0	148
बिहार	150	0	150	35	32	0	217
दिल्ली	188	0	188	70	46	0	304

1	2	3	4	5	6	7	8
गोवा	1	0	1	11	23	0	35
गुजरात	245	0	245	77	99	1	422
हरियाणा	96	0	96	51	31	0	178
हिमाचल प्रदेश	58	0	58	5	11	0	74
जम्मू और कश्मीर	46	0	46	10	47	0	103
कर्नाटक	140	0	140	59	122	0	321
केरल	128	0	128	51	34	0	213
मध्य प्रदेश	179	0	179	66	103	0	348
महाराष्ट्र	98	0	98	302	331	0	731
मणिपुर	3	15	18	0	0	0	18
मेघालय	8	11	19	0	0	0	19
मिजोरम	2	12	14	0	0	0	14
नागालैंड	6	13	19	0	0	0	19
उड़ीसा	43	0	43	12	53	0	108
पंजाब	166	0	166	65	43	2	278

1	2	3	4	5	6	7	8
राजस्थान	116	0	116	61	68	0	245
सिक्किम	3	0	3	0	0	0	3
तमिलनाडु	260	0	260	88	68	1	417
त्रिपुरा	6	11	17	0	0	0	17
उत्तर प्रदेश	482	0	482	156	77	1	716
पश्चिम बंगाल	209	0	209	36	75	1	321
उप-योग	2895	164	3059	1251	1476	6	5792
संघ राज्य क्षेत्र							
अंडमान और निकोबार	1	0	1	0	0	0	1
चंडीगढ़	20	0	20	3	6	0	29
दादर और नागर हवेली	0	0	0	0	1	0	1
दमन और दीयू	0	0	0	0	2	0	2
लक्षद्वीप	1	0	1	0	0	0	1
पांडिचेरी	6	0	6	2	4	0	12
उप-योग	28	0	28	5	13	0	46
समस्त भारत	2923	164	3087	1256	1489	6	5838

माफिया द्वारा जमीन का अवैध कब्जा

94. **श्रीमती गीता मुखर्जी** : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के विभिन्न भागों में भू-माफियाओं द्वारा हरित भूमि पर अवैध कब्जा करके इसकी बिक्री की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान ऐसे कितने मामलों का पता चला है;

(ग) कितने मामलों में कार्यवाही की गई है तथा जमीन को खाली कराया गया है; और

(घ) ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी): (क) से (घ) भारतीय वन अधिनियम, 1927 के उपबंधों के अनुसार वन भूमि पर अवैध कब्जे रोकने और उसे बेदखल कराने की शक्ति राज्य सरकारों के पास है। देश के विभिन्न भागों में भू-माफियाओं द्वारा अवैध रूप से कब्जा की जा रही हरित भूमि और उसे बेचे जाने के मामलों में ब्यौरों का संकलन एवं मिलान भारत सरकार द्वारा नहीं किया जा रहा है। इस बारे में भारत सरकार को कोई विशेष रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

[हिन्दी]

दूरसंचार संबंधी ग्रुप की रिपोर्ट

95. **श्रीमती शीला गौतम** :
श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय :
श्री सी. कुप्पुसामी :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को लाइसेंस फीस के पुनर्निर्धारण और नई दूरसंचार नीति के प्रारूप के बारे में दूरसंचार संबंधी ग्रुप की कोई रिपोर्ट प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) दूरसंचार संबंधी ग्रुप (जी.ओ.टी.) की रिपोर्ट कब तक क्रियान्वित कर दी जायेगी?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) से (ग) जी, हां। दूरसंचार संबंधी ग्रुप के विचारार्थ विषय नामत: नई दूरसंचार नीति का मसौदा, मौजूदा बुनियादी तथा सेल्यूलर सेवाओं के मौजूदा लाइसेंसों से संबंधित मुद्दों के संबंध में उपाय सुझाना तथा भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण से संबंधित पहलुओं के बारे में उसकी रिपोर्ट सरकार को प्राप्त हो गयी है। दूरसंचार संबंधी ग्रुप की सिफारिशें सरकार ने स्वीकार कर ली हैं। और मार्च, 1999 में घोषित "नई दूरसंचार नीति 1999" 1 अप्रैल, 1999 से लागू हो गयी है। नई दूरसंचार नीति 99 की प्रमुख विशेषताओं में खर्च वहन कर सकने योग्य तथा प्रभावी संचारण की उपलब्धता, मांग पर टेलीफोन प्रदान करना, विश्वसनीय माध्यमों के जरिए देश में सभी गांवों में दूरसंचार सुविधा पहुंचाना, सभी जिला मुख्यालयों में इन्टरनेट अभिगम्यता, दूरसंचार क्षेत्र का क्रमिक उदारीकरण और बुनियादी, सेल्यूलर, डोमेस्टिक, लांग डिस्टैंस तथा अन्य सेवाएं इत्यादि में प्रतिस्पर्द्धा को प्रोत्साहन देना ताकि दूरसंचार संबंधी अवस्थापना को विश्व स्तर के मानकों के अनुरूप त्वरित गति से लाया जा सके और उसे आधुनिक बनाया जा सके, शामिल हैं। नई दूरसंचार नीति 99 में पुनर्संरचित लाइसेंस शुल्क की व्यवस्था की गयी है जिसमें एक बार प्रवेश शुल्क तथा राजस्व शेयर पर आधारित लाइसेंस शुल्क शामिल हैं।

तेल और डीजल की चोरी

96. **श्री रामदास आठवले** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत दो वर्षों के दौरान देश में तेल और डीजल चोरी के वर्ष-वार कितने मामले दर्ज हुए हैं; और

(ख) भविष्य में चोरी के ऐसे मामलों को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं/उठाये जाने का प्रस्ताव है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. पोन्नुस्वामी): (क)

वर्ष	मामलों की संख्या
1997-98	85
1998-99	54

(ख) इस प्रकार की चोरियों को रोकने के लिए तेल कम्पनियों द्वारा निम्न उपाय किए जाते हैं:

(1) उन्नत प्रकार की सीलों की शुरूआत तथा नौवहन स्थानों पर सीलबन्द करने की प्रक्रिया को कड़ा करना।

(2) प्रापण स्थानों पर घनत्व आदि जैसे गुणवत्ता नियंत्रण पहलू की कड़ी जांच।

(3) खुदरा बिक्री केन्द्रों पर उत्पादों के घनत्व व तापमान की कड़ी जांच।

(4) नए स्थानों पर, रेलवे साइडिंग पर चोरी रोकने के लिए कम्पनी के परिसर पर कोटे के भीतर रेलवे साइडिंग बनाए जाते हैं।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय राजमार्ग-16 को मंजूरी

97. **श्री नरेश पुगलिया** : क्या **जल भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश को जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-16 को मंजूरी दे दी है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्तावित राजमार्ग की कुल लम्बाई कितनी है;

(ग) इसकी अनुमानित लागत कितनी है;

(घ) क्या इस राजमार्ग के निर्माण के लिए इस बीच निविदायें आमंत्रित की गई हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) निर्माण कार्य के कब तक आरंभ होने और समाप्त होने की संभावना है;

(छ) इस राष्ट्रीय राजमार्ग पर कितने बड़े और छोटे पुलों का निर्माण किया जाना है;

(ज) इन पुलों की कुल अनुमानित लागत कितनी है;

(झ) क्या सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग के साथ-साथ इन पुलों को भी मंजूरी दे दी है; और

(ञ) यदि नहीं, तो इसका क्या कारण है?

जल भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देवेन्द्र प्रधान): (क) जी हां।

(ख) 504 कि.मी.।

(ग) से (ञ) राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। पुलों के निर्माण सहित राष्ट्रीय राजमार्गों से संबंधित कार्य निधियों की उपलब्धता और कार्यों की पारस्परिक प्राथमिकता के ध्यान में रखते हुए खंडों में स्वीकृत किए जाते हैं। रा.रा.-16 पर 121 पुल हैं। इस समय 1630.24 लाख रु. राशि के दस कार्य प्रगति पर हैं जिसमें पांच पुलों का पुनर्निर्माण भी शामिल है। इन कार्यों को पूरा करने का नियत समय दिसम्बर, 2001 है।

[हिन्दी]

छोटे कस्बों और गांवों में रसोई गैस की उपलब्धता

98. **डा. अशोक पटेल** :
श्री हरि भाई चौधरी :
श्री राम पाल सिंह :
श्री अब्दुल रशीद शाहीन :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के छोटे कस्बों और गांवों में रसोई गैस उपलब्ध कराने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो इस योजना की मुख्य बातें क्या हैं;

(ग) उक्त योजना के कब तक क्रियान्वित होने की संभावना है; और

(घ) अब तक कितने गांवों में रसोई गैस पहुंचाई जा चुकी है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. पोन्नुस्वामी): (क) से (घ) ग्रामीण क्षेत्रों में एल.पी.जी.

के प्रवेश को बढ़ाने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम तेल कम्पनियों को निम्नांकित को पूरा करने हेतु नई एल.पी.जी. विपणन योजना तैयार करने की सलाह दी गई है:

(1) 15 किलो मीटर के अर्द्धव्यास के अंतर्गत अवस्थित समीपवर्ती गांवों की संभाव्यता को सम्मिलित करते हुए 10,000 और उससे अधिक आबादी वाले सभी शहरी स्थान।

(2) किसी डिस्ट्रीब्यूटरशिप को स्थापित करने हेतु सर्वेक्षण किए गए ऐसे स्थान जिनकी आबादी 5000 और उससे अधिक है तथा इनकी व्यवहार्यता 15 किलो मीटर के अर्द्धव्यास के अंतर्गत उपस्थित समीपवर्ती गांवों की संभाव्यता को ध्यान में रखते हुए ज्ञात की जानी है।

(3) ऐसे मुख्य गांवों जिनकी आबादी 10,000 और इससे अधिक है, के 15 किलो मीटर अर्द्धव्यास के अंतर्गत गांवों का समूह जिनका ग्रामीण डिस्ट्रीब्यूटरशिप स्थापित करने के लिए सर्वेक्षण किया गया है तथा जिन्हें उनकी व्यवहार्यता पर निर्भर करते हुए विपणन योजना में सम्मिलित किया गया है।

(4) ऐसे नगरों, जिनकी आबादी 1 लाख और इससे अधिक है, के चारों ओर 15 किलो मीटर अर्द्धव्यास के अंतर्गत अवस्थित गांवों का ग्रामीण डिस्ट्रीब्यूटरशिप खोलने के लिए सर्वेक्षण किया जाना है।

भविष्य में और अधिक एल.पी.जी. कनेक्शन जारी किए जाने की योजना है तथा वर्ष 2001-2002 तक पूरे देश की समस्त प्रतीक्षा सूची को निपटा लिए जाने की आशा है।

[अनुवाद]

केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में फेर-बदल

99. **श्री अनंत गंगाराम गीते :**
श्री किरीट सोमैया :
श्री अशोक कुमार सिंह चन्देल :
डा. रघुवंश प्रसाद सिंह :

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार पर्यावरण सुरक्षा योजना को अधिक प्रभावी बनाने के लिए केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में ढांचागत परिवर्तन लाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या बोर्ड के और क्षेत्रीय कार्यालय खोलने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

पत्तनों पर आपाती संचार प्रणाली

100. **श्री दिलीप कुमार मनसुखलाल गांधी :**
श्री उत्तमराव ढिकले :

क्या **जल भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने आपदाओं के दौरान पत्तनों पर आपाती संचार प्रणाली शुरू करने के लिए योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उन पत्तनों की संख्या कितनी है जहां आपाती संचार सुविधाएं नहीं हैं; और

(घ) इसके क्या कारण हैं?

जल भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देवेन्द्र प्रधान): (क) और (ख) जी हां। पत्तनों ने चक्रवात, तूफानों जैसी प्राकृतिक आपदाओं की आकस्मिकताओं और अन्य आपात स्थितियों जैसे खतरनाक कार्गो को हैंडल करना, हड़ताल, सिविल व्यवधान आदि से निपटने के लिए आकस्मिकता योजना और विपत्ति प्रबंध योजना तैयार की हैं। इन योजनाओं में आपातकालीन संचार प्रणालियां शामिल हैं। सभी पत्तनों में वी.एच.एफ. ट्रांस

रिसीवर हैं जिनसे हार्बर और खुले समुद्र में क्राफ्टों/जलयानों और जिला प्राधिकारियों और नौसेना आदि के साथ संपर्क करने में सहायता होती है। सभी महापत्तन को आई.एन.एम.ए. आर.एस.ए.टी. प्रणाली और मोबाइल सैटेलाइट फोन लगाने के लिए अनुदेश जारी कर दिए गए हैं। पत्तन ई.मेल., फैक्स, टेलेक्स और सेल्यूलर फोनों का भी अपने संचार के लिए प्रयोग करते हैं।

(ग) कोई नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

बिहार में वनों की अवैध कटाई

101. श्री राम टहल चौधरी :
डा. मदन प्रसाद जायसवाल :

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दक्षिण बिहार के आदिवासी क्षेत्रों में वनों की अवैध कटाई से पर्यावरण पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा वनों की अवैध कटाई को रोकने के लिए किए गए प्रयासों और इस संबंध में बिहार सरकार से की गई चर्चा का ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी): (क) दक्षिण बिहार के आदिवासी (जनजातीय) क्षेत्रों में वनों की अवैध कटाई के बारे में भारत सरकार के पास कोई सूचना उपलब्ध नहीं है फिर भी भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा प्रकाशित वन स्थिति रिपोर्ट 1997 के अनुसार 1995 के मूल्यांकन की तुलना मे पालामऊ, रांची तथा सिंहभूम के जनजातीय जिलों में 58 वर्ग किलोमीटर वन आवरण की कमी देखी गई है।

(ख) राज्य में संरक्षण तंत्र को सशक्त बनाने और अवक्रमित वनों में संरक्षण एवं पुनरूत्पादन में स्थानीय लोगों की भागीदारी को बढ़ाने के लिए राज्य सरकार ने दिशानिर्देश जारी किए हैं। समय-समय पर राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ वनों की अवैध कटाई को रोकने के लिए सुरक्षा प्रयासों को कारगर बनाने के लिए विचार-विमर्श किए जाते हैं। भारत सरकार ने वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 बनाया है जिससे गैर-वानिकी कार्य के लिए वन भूमियों के दिशा परिवर्तन को नियंत्रित किया जा सके।

हिमाचल प्रदेश में टेलीफोन एक्सचेंज

102. श्री महेश्वर सिंह : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) चालू वित्त वर्ष के दौरान हिमाचल प्रदेश में जिले-वार विशेषकर लाहौल-स्पीति, मंडी, किन्नौर, शिमला और चम्बा जिलों में कितने टेलीफोन एक्सचेंजों की स्थापना का लक्ष्य रखा गया है;

(ख) अभी तक, जिले-वार कितने टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित किये गये हैं;

(ग) क्या हिमाचल प्रदेश के आदिवासी क्षेत्रों में एमसीपीसी उपलब्ध न होने के कारण निर्धारित लक्ष्य प्राप्त करना असंभव है; और

(घ) यदि हां, तो लक्ष्य प्राप्ति हेतु सरकार ने क्या कदम उठाये हैं?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) चालू वित्तीय वर्ष 1999-2000 के दौरान हिमाचल प्रदेश में 47 नए टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित करने की योजना है। जिले-वार ब्यौरे संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं।

(ख) चालू वित्त वर्ष 1999-2000 के दौरान 10 नए टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित किए गए हैं। जिलेवार ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:-

क्र.सं.	जिला	एक्सचेंजों की संख्या
1.	किन्नौर	03
2.	कुल्लू	01
3.	लाहौल-स्पीति	05
4.	मंडी	01
		10

(ग) और (घ) 1999-2000 के दौरान हिमाचल प्रदेश में स्थापित किए जाने वाले 47 नए टेलीफोन एक्सचेंजों में 8 एक्सचेंज जनजातीय क्षेत्रों में आ रहे हैं तथा इन्हें एम.सी.पी.सी. (मल्टी चैनल पर कैरियर) के माध्यम से चालू करने की योजना बनाई गई है। 6 एम.सी.पी.सी. संस्थापित कर दिए गए हैं और चालू हो गए हैं तथा 2 एम.सी.पी.सी. की संस्थापना की जा रही है।

विवरण-I

क्र.सं.	जिला	वर्ष 1999-2000 के लिए योजना बनाए गए एक्सचेंजों की संख्या
1.	बिलासपुर	06
2.	चम्बा	-
3.	हमीरपुर	01
4.	कांगड़ा	07
5.	किन्नौर	04
6.	कुल्लू	03
7.	लाहौल-स्पीति	05
8.	मंडी	07
9.	शिमला	04
10.	सिरमौर	03
11.	सोलन	05
12.	ऊना	02
	जोड़	47

[अनुवाद]

राजस्थान में कच्चे तेल का भण्डार

103. कर्नल (सेवानिवृत्त) सोना राम चौधरी : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सैल इंडिया को सर्वेक्षण के दौरान बाड़मेर (राजस्थान) जिले के गुडा एक और दो में कच्चे तेल का बड़ी मात्रा में भंडार होने का पता चला है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सैल इंडिया के साथ किए गए करार की निबन्धन व शर्तें क्या हैं;

(ग) क्या विमानन उद्योग में उपयोग में लाए जाने वाले उच्च गुणवत्ता वाले कच्चे तेल का उक्त जिले में पता चला है लेकिन भारी रिगों और आधुनिक मशीनों के अभाव में अन्वेषण कार्य को आगे के लिए रोक दिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस समस्या का समाधान करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं और इस समस्या का समाधान कब तक ढूंढ़ लिया जाएगा?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. पोन्नुस्वामी): (क) और (ख) शेल इंडिया प्रोडक्शन डेवलपमेंट बी.बी. ने राजस्थान के बाड़मेर जिले में अन्वेषण ब्लाक आर.जे.ओ.एन.-90/1 में गुडा कूप 2 में तेल की खोज की है। आरम्भिक परीक्षण के दौरान कूप से लगभग 2000 बैरल प्रति दिन की दर से तेल का उत्पादन हुआ। गुडा कूप 1 शुष्क सिद्ध हुआ था। हाइड्रोकार्बन भण्डारों की मात्रा का आगे अन्वेषण के बाद ही पता चल सकेगा। भारत सरकार द्वारा शेल इंडिया लिमिटेड के साथ हस्ताक्षरित उत्पादन हिस्सेदारी संविदा के मुख्य निबन्धन व शर्तें यह हैं: संविदा 25 वर्ष की आरम्भिक अवधि के लिए है जिसे 5 वर्ष प्रत्येक की 2 अवधियों द्वारा बढ़ाया जा सकता है। अन्वेषण अवधि 7 वर्ष के लिए है जिसमें प्रत्येक चरण के लिए वचनबद्धित कार्य संबंधी कार्यक्रम के साथ 3 चरण शामिल हैं। संविदाकार को अन्वेषण चरणों के बाद क्षेत्र के विकास के लिए केवल खोज क्षेत्र पास रखने की अनुमति होगी। भारत सरकार के पास इन संविदाओं के अंतर्गत उत्पादित तेल के बारे में मना करने का प्रथम अधिकार होगा तथा कम्पनियों को तेल के उनके हिस्से के लिए अंतरराष्ट्रीय

मूल्यों पर भुगतान किया जाएगा। संविदा में अन्वेषण व/या विकास चरण पर उद्यम में ओ.एन.जी.सी. द्वारा प्रतिभागिता का प्रावधान है।

(ग) और (घ) कच्चे तेल का विमानन उद्योग में बिना शोधन के इसी प्रकार उपयोग नहीं किया जा सकता। तथापि, गुडा कूप-2 में खोज उच्च गुणवत्ता की है। भारी रिगों तथा आधुनिक उपस्कर की उपलब्धता के संबंध में कोई कमी नहीं है और संविदाकार ने अन्वेषण चरण 1 व 2 के दौरान वचनबद्धित कार्य संबंधी कार्यक्रम से अधिक कार्य पहले ही पूरा कर लिया है। फिलहाल चरण-2 जून, 2000 तक प्रगति में है।

नए और मध्यम श्रेणी के छोटे पत्तनों का विकास

104. श्री राम नायडू दग्गुबाटि : क्या जल भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कामर्स एंड इंडस्ट्री ने माल उतारने व चढ़ाने की क्षमता में वृद्धि के लिए नए और मध्यम श्रेणी के छोटे पत्तनों के विकास की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया हैं?

जल भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देवेन्द्र प्रधान): (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

तमिलनाडु में टेलीफोन कनेक्शन

105. डा. वी. सरोजा : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्तमान में तमिलनाडु में जिलावार विशेषरूप से नामक्कल जिले में टेलीफोन कनेक्शन के लिए कितने व्यक्ति प्रतीक्षा सूची में थे;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान उक्त राज्य में जिलावार कितने टेलीफोन कनेक्शन आवंटित किए गए;

(ग) चालू वित्त वर्ष के दौरान कितने टेलीफोन कनेक्शन दिए जाने का प्रस्ताव है; और

(घ) सरकार द्वारा राज्य में प्रतीक्षा सूची का निपटान करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) तमिलनाडु में 31.10.99 की स्थिति के अनुसार प्रतीक्षा सूची में दर्ज व्यक्तियों की संख्या 2,35,195 हैं इसमें नमक्कल जिले के 6462 हैं। जिला-वार ब्यौरा विवरण-I के अनुसार है।

(ख) ब्यौरा विवरण-II के अनुसार है।

(ग) चालू वित्त वर्ष (1999-2000) के दौरान 4.9 लाख टेलीफोन कनेक्शन प्रदान किए जाने का प्रस्ताव है।

(घ) वर्ष 2000-2001 के दौरान 6.25 लाख टेलीफोन कनेक्शन दिए जाने का प्रस्ताव है। आशा है कि 31.3.2002 तक मांग पर टेलीफोन कनेक्शन उपलब्ध हो जाएंगे।

विवरण-I

अक्टूबर, 1999 की स्थिति के अनुसार तमिलनाडु में टेलीफोन कनेक्शनों के लिए प्रतीक्षा सूची में दर्ज आवेदकों की जिला-वार संख्या

क्र.सं.	जिले का नाम	31.10.99 की स्थिति के अनुसार प्रतीक्षा सूची
1	2	3
1.	कोयम्बटूर	22326
2.	कुड्डालूर	4528
3.	धर्मापुरी	7515
4.	डिंडीगुल	7039
5.	इरोड	8648
6.	कांचीपुरम	5536
7.	कन्याकुमारी	5874
8.	करूर	7517
9.	मदुरई	9690
10.	नागापट्टीनम	6281

1	2	3
11.	नमक्कल	6462
12.	पूरामालूर	4350
13.	पुडुकुट्टई	5601
14.	रामानाथपुरम	5066
15.	सालेम	8161
16.	सिवागंगा	5384
17.	थंजावूर	9177
18.	नीलगिरी	5494
19.	थेनी	2420
20.	थिरूवरूर	5566
21.	तिरूनेलवेली	3779
22.	तिरूवल्लामलय	6127
23.	तिरूवल्लूर	4628
24.	तिरचिरापल्ली	8275
25.	टूटीकोरिन	6689
26.	वेल्लोर	14113
27.	विल्लूपुरम्	3707
28.	विरूधुनगर	7108
29.	पांडिचेरी (संघ शासित क्षेत्र)	8436
	तमिलनाडु सर्किल का जोड़	205497
30.	चेन्नई	29698
	तमिलनाडु राज्य का जोड़	235195

विवरण II

पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रदान किए गए एन.जी.टी. टेलीफोन कनेक्शनों की एस.एस.ए.-वार संख्या

संख्या	एस.एस.ए. का नाम	निम्नलिखित के दौरान प्रदान किए गए कनेक्शनों की संख्या		
		1996-97	1997-98	1998-99
1	2	3	4	5
1.	कोयम्बटूर	37,220	39,101	34,034
2.	चेंगलपेट्टू	10,306	14,014	13,003
3.	कुड्डालूर	10,120	17,708	20,121
4.	धर्मापुरी	6,061	10,548	15,021

1	2	3	4	5
5.	इरोड	19,815	16,740	25,139
6.	करालकुडी	9,207	9,335	12,501
7.	कुम्बाकोनम	5,304	7,943	16,957
8.	मदुरई	21,800	31,234	36,497
9.	नीलगिरी	4,115	4,047	4,292
10.	नगरकोल	6,008	12,010	13,013
11.	पांडिचेरी	6,580	6,345	8,647
12.	सालेम (नमक्कल जिले सहित)	17,017	31,234	40,005
13.	थंजावूर	6.738	10,005	21,996
14.	तिरुनेलवेली	11,031	11,045	15,200
15.	टूटीकोरिन	5,916	8,875	11,008
16.	तिरूचिरापल्ली	15,559	32,786	37,666
17.	वेल्लोर	10,940	15,853	23,105
18.	विरूधनगर	6,729	5,555	10,002
	कुल	2,10,016	2,84,378	3,57,007
	चेन्नई	80,006	80,168	1,22,629
	कुल जोड़	2,90,082	3,64,546	4,80,236

कर्नाटक में लंबित जल विद्युत परियोजनाएं

106. **श्री एस.डी.एन.आर. वाडियार** : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कर्नाटक राज्य में क्रियान्वित की जाने वाली जल विद्युत की कतिपय परियोजनाएं सरकार की मंजूरी हेतु लंबित हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और इसके क्या कारण हैं;

(ग) इन परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(घ) इन परियोजनाओं को शीघ्र मंजूर किए जाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का विचार है?

विद्युत मंत्री (श्री पी.आर. कुमारमंगलम): (क) और (ख) कर्नाटक में उन जल विद्युत परियोजनाओं का ब्यौरा जिन्हें सरकार ने अंतर्राज्यीय विवाद के कारण स्वीकृत नहीं किया है, संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) और (घ) के.आर.एस. बांध और मेत्तूर बांध के मध्य कावेरी बेसिन में जल विद्युत परियोजनाओं से संबंधित समस्या का समाधान करने के उद्देश्य से कर्नाटक सरकार और तमिलनाडु सरकार के विचार मांगे गए हैं ताकि राष्ट्रीय जल विद्युत निगम इन परियोजनाओं का निर्माण, स्वामित्व और प्रचालन समेकित रूप में कर सके।

विवरण

कर्नाटक की बहुउद्देशीय जल विद्युत स्कीमें जिन्हें पुन: प्रस्तुत करने हेतु लौटाया गया है

क्र.सं.	स्कीम का नाम	अधिष्ठापित क्षमता (मे.वा.)	वापसी की तारीख	टिप्पणियां
1	2	3	4	5
1.	महादायी	2×10+2×12.5 +2×150 =345	3/92	गोवा के साथ अंतर्राज्यीय घटक शामिल हैं।
2.	कबीनी बांध	1×20 =20	5/90	कावेरी बेसिन में स्थित अंतर्राज्यीय घटक शामिल हैं।
3.	कटला एवं पलना	कालीनदी बेसिन में विद्युत का वृद्धि	10/87	गोवा के साथ अंतर्राज्यीय घटक शामिल हैं।
4.	शिवसमुद्रम	2×135 =270	10/88	कावेरी बेसिन में स्थित। अंतर्राज्यीय घटक शामिल है।

1	2	3	4	5
5.	मेंकादातू-1 व 2	चरण-1=180 चरण-2 180 = 360	10/96	कावेरी बेसिन में स्थित। तमिलनाडु के साथ अंतर्राज्यीय घटक शामिल है।
6.	ऊपरी कृष्णा-1 (अलमट्टी)	4×70+1×17 =297	11/96	आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र के साथ अंतर्राज्यीय घटक शामिल हैं।
7.	तट्टीहल्ला अभिवृद्धि स्कीम	अभिवृद्धि स्कीम	9/99	के.वि.प्रा. की संस्तुति आवश्यक नहीं है क्योंकि परियोजना भी 250 करोड़ रुपये से कम की है।

डीजल का घरेलू उत्पादन

107. **श्री के. येरननायडु:**
डा. मन्दा जगन्नाथ:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या डीजल का घरेलू उत्पादन देश में इसकी मांग को पूरा करने के लिए काफी नहीं है;

(ख) यदि हां, तो वर्तमान वित्त वर्ष के दौरान कितनी मात्रा में डीजल आयात किये जाने की संभावना है; और

(ग) डीजल की कमी को पूरा करने हेतु इसके घरेलू उत्पादन को बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. पोन्नुस्वामी): (क) और (ख) डीजल के उत्पादन से घरेलू मांग पूरा होने का अनुमान है। नवम्बर, 1999 तक की अवधि के लिए डीजल के आयात के लिए पहले ही प्रतिबद्धता की हुई है। यदि वर्ष की शेष अवधि के लिए अनुमानित डीजल उत्पादन वास्तव में कर लिया जाता है तो और आयातों को कोई जरूरत नहीं रहेगी।

(ग) पेट्रोलियम उत्पादों जिनमें अन्य के साथ साथ डीजल शामिल है, की घरेलू उपलब्धता में वृद्धि करने के लिए सरकार ने मौजूदा परिशोधन क्षमता का विस्तार करने के लिए कदम उठाए हैं तथा सार्वजनिक, निजी और संयुक्त क्षेत्र की रिफाइनरियों की स्थापना का अनुमोदन भी किया है।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में दूरसंचार नेटवर्क का विकास

108. **श्री अशोक प्रधान:** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश में दूरसंचार नेटवर्क के विकास के लिए कितनी धनराशि नियत की गई है;

(ख) राज्य में इस प्रयोजनार्थ चालू वर्ष के लिए कितनी धनराशि निर्धारित की गई है;

(ग) क्या उत्तर प्रदेश दूरसंचार सर्किल ने लक्ष्य के अनुसार विकास कार्य पूरा कर लिया है;

(घ) यदि हां, तो राज्य में विकास कार्य के लिए गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान और आज तक अलग-अलग खर्च की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) गत तीन वर्षों के दौरान आज तक उत्तर प्रदेश विशेष रूप से गाजियाबाद और बुलन्दशहर जिलों में वर्षवार कितने नये टेलीफोन कनेक्शन जारी किये गये हैं?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) उत्तर प्रदेश के अंतर्गत दो दूरसंचार सर्किल हैं:-उत्तर प्रदेश (पूर्व) और उत्तर प्रदेश (पश्चिम)। दूरसंचार नेटवर्क के विकास के लिए आबंटित राशि नीचे दी गई है:

सर्किल	1996-97	1997-98	1998-99
उत्तर प्रदेश (पूर्व)	445.31	577.46	617.55
उत्तर प्रदेश (पश्चिम)	335.85	399.59	437.89

(ख) उत्तर प्रदेश (पूर्व) 616.89 करोड़ रुपये।

उत्तर प्रदेश (पश्चिम 461.54 करोड़ रुपये।

(ग) जी हां।

(घ)

सर्किल	1996-97	1997-98	1998-99	1999-2000 (अक्तूबर 99 तक)
उत्तर प्रदेश (पूर्व)	359.29	594.03	679.70	199.77
उत्तर प्रदेश (पश्चिम)	314.35	422.74	334.50	110.34

प्रदान की गई सीधी एक्सचेंज लाइनें

सर्किल	1996-97	1997-98	1998-99	1999-2000 (अक्तूबर 99 तक)
उत्तर प्रदेश (पूर्व)	111885	181043	186685	62131
उत्तर प्रदेश (पश्चिम)	105027	132875	154917	52066
गाजियाबाद और बुलंदशहर (गाजियाबाद गाँण स्विसन क्षेत्र)	18296	26021	28573	11938

[अनुवाद]

तापी क्षेत्र में गैस की अनुमानित मात्रा

109. **श्री दिनशा पटेल:**
श्री पी.एस. गढ़वी:

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) तापी क्षेत्र में गैस की अनुमानित मात्रा क्या है;

(ख) क्या तापि क्षेत्र से गैस की सारी मात्रा एच.बी.जे. पाइपलाइन को स्थानान्तरित करने का प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा तापी क्षेत्र की गैस को पिपावाव गैस आधारित विद्युत परियोजना को आबंटन सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. पोन्नुस्वामी): (क) से (ग) तापी क्षेत्रों से गैस के वर्तमान अनुमान 2002 तक लगभग 5.5 मिलियन मानक घन मीटर प्रतिदिन हैं तथा यह एच.बी.जे. पाइपलाइन के माध्यम से ले जाई जा रही है। 1989 में अभी विकसित किये जाने वाले मध्य तथा दक्षिण तापी क्षेत्रों से पीपावाव में स्थापित किए जाने वाले विद्युत संयंत्र को गैस का आबंटन करने तथा गांधार क्षेत्रों से एच बी जे पाइपलाइन प्रणाली तक गैस ले जाने का निर्णय लिया गया। तथापि, बाद में इस बात को ध्यान में रखते हुए कि मध्य तथा दक्षिण तापी क्षेत्रों का विकास करने के निवेश निर्णय अभी लिए जाने थे, गांधार क्षेत्र में 600 मेगावाट प्रत्येक की दो गैस आधारित विद्युत परियोजनाओं के लिए गांधार गैस का आबंटन करने और एच.बी.जे. पाइपलाइन प्रणाली के आसपास वर्तमान वचनबद्धताओं को पूरा करने के लिए मध्य तथा दक्षिण तापी क्षेत्रों से गैस ले जाने पर सहमति दी गई।

पेट्रोलियम संरक्षण के तरीके

110. **श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक:**
श्री पी.सी. थामस:

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार पेट्रोलियम उत्पादों विशेष रूप से डीजल संरक्षण के बारे में गंभीरता से विचार कर रही है;

(ख) क्या पी सी आर ए (पेट्रोलियम कंजरवेशन रिसर्च एसोसिएशन) आटोमोबाइल उद्योग में संरक्षण लक्ष्यों को हासिल करने में सफल रही हैं;

(ग) यदि हां, तो पी सी आर ए की वास्तविक लक्ष्य प्राप्ति की प्रतिशतता क्या है;

(घ) क्या सरकार इस प्रयोजनार्थ स्वदेश में विकसित किसी प्रौद्योगिकी का गंभीरतापूर्वक अध्ययन कर रही है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. पोन्नुस्वामी): (क) से (ग) पेट्रोलियम उत्पादों के घरेलू उत्पादन और खपत के बीच के अंतर को न्यूनतम करने के लिए पेट्रोलियम उत्पादों के संरक्षण को सरकार उच्च प्राथमिकता देती है। परिवहन क्षेत्र में संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए पी सी आर ए द्वारा चलाए गए क्षेत्र कार्यकलापों में चालक प्रशिक्षण कार्यक्रम, आदर्श डीपू परियोजनाएं, आदर्श गैराज, उत्सर्जन निरीक्षण कार्यक्रम इत्यादि शामिल हैं।

पिछले तीन वर्षों के दौरान योजना लक्ष्यों की तुलना में इन क्षेत्र क्रियाकलापों की उपलब्धि संलग्न विवरण में दी गई है।

(घ) और (ङ) जैसा कि अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय द्वारा सूचित किया गया है, दिल्ली, गोवा, केरल और तमिलनाडु के राज्य सड़क परिवहन निगमों की डीजल बसों के प्रचालन के लिए "डीजनोल" सहित "दुहरी ईंधन पद्धति" आधार पर एक प्रदर्शन परियोजना 1996 में उनके द्वारा स्वीकृत की गई थी। इस परियोजना में कन्वर्शन किटों और आई आई पी प्रौद्योगिकी के अनुसार सम्मिश्रित "डीजनोल" का उपयोग शामिल है। अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के अनुसार प्रायोगिक अध्ययनों से प्राप्त परिणाम उत्साहवर्धक नहीं पाए गए और चार राज्य सड़क परिवहन निगमों ने भी प्रदर्शन चरण के पूरा होने के बाद उक्त परियोजना को जारी रखने के बारे में आपत्तियां उठाई हैं। अतः उस मंत्रालय ने उसका समर्थन/संस्तुति नहीं की।

विवरण

क्र.सं.	क्रियाकलाप	1996-97			1997-98			1998-99		
		लक्ष्य	उपलब्धि	उपलब्धि प्रतिशत	लक्ष्य	उपलब्धि	उपलब्धि प्रतिशत	लक्ष्य	उपलब्धि	उपलब्धि प्रतिशत
1.	आदर्श डीपू परियोजना	110	109	99	110	155	141	110	184	167
2.	चालक प्रशिक्षण कार्यक्रम	200	215	108	200	266	133	200	326	163
3.	आदर्श गैराजों का उन्नयन	5	–	0	4	3	75	4	21	525

अंतर्राष्ट्रीय एफ.ओ.बी. मूल्य को कच्चे तेल के मूल्य से जोड़ना

111. श्री पी.एस. गढ़वी: क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने मार्च, 1998 की अवधि के पश्चात अंतर्राष्ट्रीय एफ.ओ.बी. मूल्य को कच्चे तेल के मूल्य से जोड़ने का निर्णय कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो गुजरात सरकार को रायल्टी दर से वंचित करने के क्या कारण हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. पोन्नुस्वामी): (क) आयल एण्ड नेचुरल गैस कार्पोरेशन/आयल इंडिया लिमिटेड को देय कच्चे तेल के मूल्य को 1 अप्रैल, 1998 से आयातित कच्चे तेल के पोतपर्यन्त निशुल्क

मूल्य से संबद्ध कर दिया गया है। आयल एण्ड नेचुरल गैस कार्पोरेशन/आयल इंडिया लिमिटेड को 1991 रुपए प्रति मीट्रिक टन के फ्लोर बेंचमार्क मूलभूत मूल्य, जोकि 01 अप्रैल, 1996 से 31 मार्च, 1998 तक की अवधि के लिए अनंतिम मूलभूत मूल्य था, के अध्यधीन कच्चे तेल के वास्तविक आयातों के पोतपर्यन्त निशुल्क मूल्य के भारित औसत का पूर्व-घोषित प्रतिशत भुगतान किया जा रहा है। यह पूर्व-घोषित प्रतिशत निम्नवत है:

वर्ष	प्रतिशत
1998-99	75
1999-2000	77.5
2000-2001	80
2001-2002	82.5

कच्चे तेल का मूल्य मासिक आधार पर नियत किया जाता है।

(ख) 01 अप्रैल, 1998 से रायल्टी की एक नई योजना प्रतिपादित की गई है और यह जल्दी ही लागू कर दी जाएगी। इसी समय केन्द्र तथा राज्य सरकारों को, जिनमें गुजरात राज्य सम्मिलित है, कच्चे तेल पर रायल्टी का अनंतिम रूप से भुगतान किया जा रहा है।

सड़कों के लिए रबरीकृत बिटुमन प्रौद्योगिकी

112. **श्री पी.सी. थामस:** क्या जल भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रबर वाले बिटुमन का प्रयोग करने पर इसे प्रभावी पाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या रबर वाले बिटुमन के वाणिज्यिक उत्पादक की योजना बनाई गई है और इस बिटुमन का उत्पादन कोचीन रिफाइनरीज लिमिटेड, अम्बलमुगल द्वारा किया जा रहा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या "इंडिया रोड कांग्रेस" ने भारतीय सड़कों पर तारकोल बिछाने के लिए इस प्रौद्योगिकी की जानकारी प्राप्त की है;

(च) यदि हां, तो क्या इस प्रौद्योगिकी को अन्य देशों में भी अपनाया गया है; और

(छ) यदि हां, तो देश में इस प्रौद्योगिकी के संवर्द्धन हेतु क्या कार्रवाई की जा रही है?

जल भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देवेन्द्र प्रधान): (क) जी हां।

(ख) इसका प्रायोगिक आधार पर उत्तर प्रदेश में रा.रा.-2 के कुछ खंडों पर, तमिलनाडु में रा.रा.-45 पर और गुजरात तथा तमिलनाडु में कतिपय राज्य सड़कों पर प्रयोग किया गया है और इसे प्रभावी पाया गया है।

(ग) और (घ) जी हां। परीक्षण के तौर पर रबड़युक्त बिटुमन का वाणिज्यिक उत्पादन कोचीन रिफाइनरीज लि. में इन हाउस आर एंड डी प्रौद्योगिकी के आधार पर सितम्बर, 1999 में शुरू किया गया था। वाणिज्यिक संयंत्र की क्षमता 15000 टन प्रति वर्ष है और 80 टन का प्रथम बैच विपणन के लिए तैयार है।

(ङ) जी हां।

(च) जी हां।

(छ) राष्ट्रीय राजमार्गों के अत्यधिक यातायात वाले खंडों पर (शुरुआत में प्रत्येक राज्य में कम-से-कम 10% लम्बाई में) आवधिक नवीकरण कार्य में तथा चुनिंदा तौर पर परियोजना कार्यों में रबड़ और पोलीमर मोडीफाइड बिटुमन का प्रयोग करने के लिए सभी राज्य लोक निर्माण विभागों को आवश्यक निदेश जारी कर दिए गए हैं।

[हिन्दी]

पूर्वी और दक्षिणी क्षेत्र के बीच हाई वोल्टेज डायरेक्ट करेंट इन्टरकनैक्शन

113. **श्री वाई.एस. विवेकानन्द रेड्डी:** क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आंध्र प्रदेश के पूर्वी और दक्षिणी क्षेत्र के बीच पहली बार हाई वोल्टेज डाइरेक्ट करेंट बैक-टू-बैक इंटर कनैक्शन शीघ्र ही शुरू होने जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या पावर सरप्लस शुरू होने के बाद उत्तरी क्षेत्र, दक्षिणी क्षेत्र को विद्युत आपूर्ति कर सकेगा और इस इंटरकनेक्शन से दोनों क्षेत्रों सहित राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सहयोग प्राप्त होगा;

(ग) यदि हां, तो इस परियोजना के कब तक पूर्णत: चालू होने की संभावना है; और

(घ) इस परियोजना से दक्षिणी राज्यों को कितनी मात्रा में विद्युत आपूर्ति हो सकेगी?

विद्युत मंत्री (श्री पी.आर. कुमारमंगलम): (क) से (घ) पूर्वी और दक्षिणी क्षेत्र के मध्य एचवीडीसी बैक-टू-बैक अंत: संयोजक नामश: जैपोर-गजुवाका एचवीडीसी बैक-टू-बैक परियोजना जुलाई, 1999 से पूरी तरह से चालू है। इस परियोजना के चालू होने से 500 मे.वा. तक की अधिशेष विद्युत का अंतरण पूर्वी क्षेत्र से दक्षिणी क्षेत्र में किया जा सकता है। इस अत: संयोजन से दोनों ही क्षेत्रों में मांग-आपूर्ति के मध्य के अंतर को कम करने में सहायता मिलेगी तथा उत्पादन क्षमता का इष्टतम समुपयोजन होने के साथ-साथ एक नेशनल पावर ग्रिड के विकास में भी योगदान मिलेगा।

[अनुवाद]

सिक्किम में तस्करी की गतिविधियां

114. श्री भीम दाहाल: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में सिक्किम सहित पूर्वोत्तर राज्यों में तस्करी की गतिविधियों में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन गतिविधियों को रोकने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी): (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

कायमकुलम परियोजना का विस्तार

115. श्री चरकला राधाकृष्णन: क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केरल सरकार ने केन्द्र सरकार से कायमकुलम विद्युत परियोजना के विस्तार का अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिये जाने की संभावना है?

विद्युत मंत्री (श्री पी.आर. कुमारमंगलम): (क) जी, हां।

(ख) नेशनल थर्मल पावर कार्पोरेशन (एनटीपीसी) कायमकुलम संयुक्त साईकिल विद्युत परियोजना का एक क्षेत्रीय परियोजना के रूप में विस्तार करने के लिए पूर्व-व्यवहार्यता अध्ययन करवा रहा है ताकि लगभग 1950 मे.वा. क्षमता की अभिवृद्धि करके दक्षिणी क्षेत्र को लाभ पहुंचाया जा सके। प्रमुख निवेशों जैसे तरल प्राकृतिक गैस की उपलब्धता के पश्चात् इस प्रस्ताव को उपयुक्त समय-सीमा पर सुनिश्चित किया जाएगा तथा साथ ही मूल्य/शर्तों की पुष्टि की जाएगी और वित्तीय सुनिश्चितताओं को निर्धारित किया जाएगा।

नक्सलवाद का मुकाबला करने के लिए धनराशि

116. श्रीमती श्यामा सिंह: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार विशेष रूप से औरंगाबाद और जहानाबाद में नक्सलवादी क्षेत्रों के लिए बिहार को धन मुहैया करा रही है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान वर्षवार कुल कितनी राशि आवंटित की गई है;

(ग) क्या राज्य सरकार ने इस धन का सम्यक रूप से सदुपयोग नहीं किया है और किन्हीं अन्य प्रयोजनों के लिए इसका उपयोग किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) बिहार के औरंगाबाद और जहानाबाद क्षेत्रों में नक्सलवाद का मुकाबला करने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जाने का प्रस्ताव है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) से (घ) 1996-97, 1997-98 और 1998-99 के दौरान बिहार सरकार को राज्य पुलिस बलों के आधुनिकीकरण के लिए आबंटित धनराशि और राज्य सरकार द्वारा खर्च की गयी राशि निम्न प्रकार से हैं:

(रु. लाखों में)

वर्ष	दी गयी राशि	खर्च की गई राशि
1996-97	333.12	333.12
1997-98	783.120	783.120
1998-99	633.120	533.120

(ङ) गृह मंत्रालय ने केन्द्रीय गृह सचिव की अध्यक्षता में एक समन्वय केन्द्र स्थापित किया है और वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित राज्यों के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक इसके सदस्य हैं। लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय ये हैं कि राज्यों को कार्य योजनाएं तैयार करनी चाहिए जिसमें प्रभावित क्षेत्रों के संबंध में सुरक्षा और विकास पहलू शामिल हों। ये कार्य योजनाएं केवल आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और उड़ीसा राज्यों से प्राप्त हुई हैं और तद्नुसार योजना आयोग को अग्रेषित कर दी गई हैं। वामपंथी उग्रवाद की समस्या से निपटने के लिए राज्यों द्वारा किए गए सुरक्षा संबंधी व्यय की 50 प्रतिशत तक की प्रतिपूर्ति करने के लिए सरकार ने एक स्कीम भी बनायी है, जिसमें 1.4.1996 से 31.3.2001 तक की अवधि को कवर किया गया है। इस योजना के तहत औरंगाबाद और जहानाबाद को भी प्रभावित जिलों के रूप में शिनाख्त की गयी है।

एमटीएनएल की सेल्यूलर टेलीफोन सेवाएं

117. **श्री जी.एम. बनातवाला:** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने एमटीएनएल को मुम्बई और दिल्ली में किसी डिजिटल प्रौद्योगिकी पर आधारित सैल्यूलर सेवाएं प्रदान करने के लिए संशोधित लाइसेंस प्रदान किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या एमटीएनएल ने निजी सैल्यूलर आपरेटरों की तुलना में कम दरों पर सेल्यूलर टेलीफोन उपलब्ध कराए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और इसके कारण क्या हैं;

(ङ) क्या भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ने एमटीएनएल के टैरिफ ढांचे पर कोई आपत्ति की है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(छ) क्या एमटीएनएल ने सैल्यूलर कार्यक्रम सफलतापूर्वक लागू कर दिया है; और

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) और (ख) जी, हां। मै. महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (एमटीएनएल) को सेल्यूलर मोबाइल टेलीफोन सेवा (सीएमटीएस) के प्रचालन हेतु दिनांक 10.10.97 को अनुमति/लाइसेंस प्रदान किया गया था। इस लाइसेंस को बाद में दिनांक 15.9.1999 को संशोधित किया गया था जिसमें सेल्यूलर मोबाइल टेलीफोन सेवाओं की स्थापना, अनुरक्षण तथा प्रचालन के लिए किसी भी प्रौद्योगिकी का प्रयोग करने की छूट है। तथापि, यह प्रौद्योगिकी डिटिल जरूरी होनी चाहिए।

(ग) जी, हां।

(घ) दरों के बारे में ब्यौरा संलग्न विवरण I में दिया गया है। उपभोक्ताओं को निम्न कारणों की वजह से इन दरों की पेशकश की गई है:

1. एमटीएनएल की वर्तमान व्यावसायिक योजना के मुताबिक, मौजूदा दरों में किसी प्रकार की वृद्धि की आवश्यकता नहीं है।

2. इस प्रकार की दरों की पेशकश करके एमटीएनएल एक खास किस्म के उपभोक्ताओं को काफी बड़ी संख्या में अपने उपभोक्ता-आधार में शामिल करना चाहता है क्योंकि निजी सेल्यूलर प्रचालकों द्वारा लाए गए तमाम अदालती विवादों के कारण सेल्यूलर मोबाइल टेलीफोन सेवा के क्षेत्र में प्रवेश करने में इसे पहले ही देर हो चुकी है।

3. सेल्यूलर मोबाइल टेलीफोन सेवा एक ऐसी सेवा होनी चाहिए जो अधिकांश लोगों की पहुंच में हो तथा इस सेवा का जितना ही बड़ा उपभोक्ता आधार होगा उतनी ही इसकी दरें कम होगी। फिर भी बुनियादी टेलीफोन सेवाओं की दरों से इसकी दरें कुछ ज्यादा रखी गई है।

(ङ) और (च) जी, हां। सेल्यूलर-मोबाइल टेलीफोन सेवाओं के लिए भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण द्वारा निर्धारित मानक दरें जी एस एम (ग्लोबल सिस्टम फार मोबाइल कम्यूनिकेशन) प्रौद्योगिकी पर आधारित है तथापि, एमटीएनएल द्वारा प्रयोग की जा रही सीडीएमए (कोड डिवीजन मल्टिपल एक्सेस) प्रौद्योगिकी द्वारा सेल्यूलर मोबाइल टेलीफोन सेवा प्रदान करने में आई लागत के बारे में टी आर ए आई को अभी जांच करनी है।

(छ) जी, हां। दिल्ली में यह सफलतापूर्वक चालू की जा चुकी है।

(ज) एमटीएनएल-2 अक्तूबर, 1999 से अनंतिम दरों पर सेल्यूलर मोबाइल टेलीफोन सेवा दिल्ली में चालू कर दी है बशर्ते कि टीआरएआई/न्यायालय द्वारा सीडीएमए प्रौद्योगिकी के प्रयोग के लिए इसे अनुमोदन प्राप्त हो जाए। इस सेवा का लाभ उठाने के लिए बढ़-चढ़कर जनता आगे आई है तथा इसमें उपभोक्ताओं की संख्या अनुमान से ज्यादा पहुंच गई है।

विवरण I

सेवा:	सीडीएमए प्रौद्योगिकी का प्रयोग करके सैल्यूलर मोबाइल टेलीकाम सेवा (सीएमटीएस)	पैकेज
1	2	3
(क)	पंजीकरण प्रभार	शून्य
(ख)	प्रतिभूति जमा	10,000 रुपए
(ग)	अन्य जमा	शून्य
(घ)	अग्रिम भुगतान	शून्य
(ङ)	संस्थापना प्रभार	शून्य
(च)	अन्य कोई ऐसा प्रभार जो एक बार जमा किए जाने हो	शून्य
(छ)	बिलिंग अवधि/चक्र	मासिक
(ज)	किराया	600 रुपए प्रतिमाह
(झ)	निःशुल्क कॉल	शून्य

1	2	3
(ञ)	लोकल काल के लिए पल्स दर (एयर टाइम प्रभार)	180 सैकिंड
(ट)	प्रतिकाल प्रभार (एयर टाइम प्रभार)	3 मिनट के लिए 1.40 रुपए
(ठ)	व्यस्ततम/कम व्यस्त घंटों के दौरान प्रभार	0.24 घंटे एक ही प्रभार लिए जाएंगे। एयर टाइम प्रभारों के लिए सभी घंटे रियायती घंटे हैं।
(ड)	व्यस्ततम/कम व्यस्त घंटों के दौरान एक मिनट के एसटीडी काल के लिए प्रति मिनट औसत प्रभार	टैरिफ में निम्नलिखित शामिल हैं: (1) एयर टाइम; और (2) समय-समय पर फिक्स्ड नेटवर्क के लिए निर्धारित लोकल या लंबी दूरी पीएसटीएन प्रभार।
(ढ)	व्यस्ततम/कम व्यस्त घंटों के दौरान एक मिनट के आईएसडी काल के लिए प्रति मिनट औसत प्रभार	टैरिफ में निम्नलिखित शामिल हैं: (1) एयर टाइम और (2) समय-समय पर फिक्स्ड नेटवर्क के लिए निर्धारित लोकल या लंबी दूरी पीएसटीएन प्रभार।
(ण)	जमा राशियां सहित वापसी की राशि	सरेंडर करते समय वापसी की अनुमति होगी
(त)	कोई अन्य प्रभार	शून्य

अल्लेपी बाई-पास के चरण-2 का निर्माण

118. श्री वी.एम. सुधीरन: क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को अल्लेपी बाईपास चरण-2 के निर्माण कार्य में विलम्ब के कारण लोगों को हो रही कठिनाइयों की जानकारी है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

जल भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देवेन्द्र प्रधान): (क) और (ख) अल्लेप्पी बाइपास चरण-2 के लिए भूमि का अधिग्रहण कर लिया गया है। बजट की कमी के कारण चरण-2 के निर्माण पर 9वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान विचार नहीं किया जा सका। राज्य सरकार अब इस कार्य को बी.ओ.टी. परियोजना के रूप में करने का प्रस्ताव कर रही है। उन्होंने साध्यता अध्ययन/विस्तृत इंजीनियरी के लिए परामर्शदाताओं से हाल में बोलियां आमंत्रित की हैं।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में अपराध की स्थिति

119. श्री उत्तम राव ढिकले: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में और उसके आसपास अपराध दर में भारी बढ़ोत्तरी हुई है; और

(ख) यदि हां, तो इस क्षेत्र में अपराध दर में कमी लाने के लिए क्या उपाय किये गए/किये जाएंगे?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) जी नहीं श्रीमान्। वास्तव में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में, जघन्य और गैर-जघन्य श्रेणी के भा.द.सं. अपराधों में चालू वर्ष के दौरान (31 अक्तूबर 1999 तक), पिछले वर्ष की समकालीन अवधि की तुलना में कुछ कमी आयी है।

(ख) राष्ट्रीय राजधानी में अपराधों को कम करने के लिए दिल्ली पुलिस द्वारा उठाए गए विभिन्न कदमों में, अन्य बातों के साथ साथ बीट ग्रस्त को बढ़ाना, सामरिक महत्व के स्थानों पर सशस्त्र टुकड़ियों की तैनाती, आसूचना तंत्र को सुदृढ़ बनाना, अपराधियों और आतंकवादियों के छिपने के सम्भावित स्थानों पर कड़ी निगरानी रखना और छापे मारना, घरेलू नौकरों का पूर्ववत्तों का सत्यापन्न आपराधिक पृष्ठभूमि वालों पर निगरानी बढ़ाना, पड़ोसी राज्यों के अधिकारियों के साथ समन्वय बैठकें, आवासीय कल्याण समितियों के सदस्यों के साथ बैठकें, प्रत्येक पुलिस जिले में आतंकवादी विरोधी प्रकोष्ठ की स्थापना, और चलती बसों में मार्किट स्थलों, व्यवसायिक स्थानों तथा अन्य अपराध प्रोन्नत स्थानों पर सादे वस्त्रों में पुलिस कार्मिकों की तैनाती शामिल है।

जम्मू कश्मीर में आल पार्टी "हुर्रियत कांफ्रेंस" से वार्ता

120. **श्री विलास मुत्तेमवार:** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार कश्मीर पर वार्ता शुरू करने हेतु एक संभावित प्रारूप पर चर्चा के लिए आल पार्टी हुर्रियत कांफ्रेंस से सम्पर्क स्थापित करने के प्रयास कर रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या ये वार्ता मुख्यत: जम्मू और कश्मीर पर आये गतिरोध को तोड़ने के लिए की जा रही है;

(ग) यदि हां, तो वार्ता के संबंध में आल पार्टी हुर्रियत कांफ्रेंस और भारत सरकार के बीच अब तक कितनी प्रगति हुई है;

(घ) क्या इन कदमों से कश्मीर मामले पर भारत की स्थिति मजबूत हुई है और जम्मू और कश्मीर में रह रहे लोगों द्वारा इनकी सराहना की गई है; और

(ङ) यदि हां, तो ये वार्ता कहां तक सफल रही हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) जी नहीं, श्रीमान्।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठते हैं।

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा प्राप्त शिकायतें

121. **श्री टी.एम. सेल्वागनपति:** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को आज की तिथि तक कितनी शिकायतें प्राप्त हो चुकी हैं;

(ख) क्या राज्य सरकारें राष्ट्रीय मानवधिकार आयोग के आदेशों को सिफारिश मात्र मानती हैं और क्या राज्य-सरकारें राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के आदेशों पर कोई अनुवर्ती कार्यवाही नहीं कर रही है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को गत तीन वर्षों के दौरान तमिलनाडु में हिरासत में हुई मौतों की कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को 31.10.99 तक कुल 142696 शिकायतें प्राप्त हुई थी।

(ख) और (ग) अधिकांश मामलों में, सामान्यत: राज्य सरकारों द्वारा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की सिफारिशों को मान लिया जाता है। तथापि, कुछ मामलों में, राज्य सरकारों ने या तो आयोग की सिफारिशों को आंशिक रूप से स्वीकार कर लिया है अथवा सिफारिशों को मानने में असमर्थता व्यक्त की है।

(घ) राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा पिछले तीन वर्षों (1996-97 से 1998-99) के दौरान, तमिलनाडु से हिरासत में हुई मौतों की संख्या के संबंध में मिली शिकायतों की संख्या 142 है।

[हिन्दी]

निर्मल सिंह पैनल की सिफारिशें

122. श्री राम शकल: क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने पेट्रोलियम उत्पादों की सरकारी मूल्य प्रणाली को चरणबद्ध ढंग से समाप्त करने के लिए निर्मल सिंह पैनल की सिफारिशों पर विचार किया है;

(ख) यदि हां, तो पैनल द्वारा की गई प्रमुख सिफारशें क्या हैं; और

(ग) इन पर क्या कार्यवाही की गई है अथवा किये जाने का विचार है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. पोन्नुस्वामी): (क) जी हां।

(ख) ग्रुप की मुख्य सिफारिशों में अन्य बातों के साथ-साथ प्रशासित मूल्य व्यवस्था (ए पी एम) से बाजार निर्धारित मूल्य व्यवस्था (एम डी पी एम) की तरफ क्रमिक रूप से जाना, क्रूड तथा पेट्रोलियम उत्पादों की शुल्क संरचना का युक्तीकरण, चरणों में राजसहायता हटाना, क्रूड के स्रोतीकरण/आयात तथा पेट्रोलियम उत्पादों के आयात/निर्यात के लिए उपर्युक्त परिवर्तन आदि शामिल है।

(ग) नवम्बर, 1997 में लिए गए सरकारी निर्णय के अनुसरण में प्रशासित मूल्यनिर्धारण व्यवस्था की समाप्ति का चरणबद्ध कार्यक्रम 1.4.1998 से आरंभ हो चुका है। इस बारे में किए गए मुख्य कार्यों में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं;

(1) सभी रिफाइनरियों के लिए प्रतिधारण मूल्यनिर्धारण की प्रणाली समाप्त कर दी गई है। नियंत्रित उत्पादों के रिफाइनरी द्वार मूल्य आयात समता के सिद्धांतों पर नियत किये जा रहे हैं।

(2) केवल एम एस, एच एस डी, एस के ओ (सार्वजनिक वितरण प्रणाली), ए टी एफ तथा एल पी जी (घरेलू) के उपभोक्ता मूल्य सरकार द्वारा प्रशासित किए जा रहे हैं। अन्य उत्पादों के मूल्य नियंत्रण-मुक्त कर दिए गए हैं।

(3) निजी तथा संयुक्त क्षेत्र रिफाइनरियों को बिना आयात लाइसेंस के अपनी रिफाइनरियों में वास्तविक उपयोग के लिए मुक्त रूप से कच्चे तेल का आयात करने की अनुमति दे दी गई है।

(4) कच्चे तेल पर सीमा शुल्क 1998-99 में कम करके 22 प्रतिशत कर दिया गया तथा केन्द्रीय बजट 1999-2000 में क्रूड/उत्पाद शुल्क 2 प्रतिशत कम कर दिए गए।

(5) एल पी जी (घरेलू) पर 33 प्रतिशत राजसहायता 1.2.1999 से वापस ले ली गई है।

(6) एच एस डी पर भाड़े की 20 प्रतिशत तक कम वसूली 9 जनवरी, 1999 से बिक्री मूल्य में अंतरित कर दी गई है।

(7) कच्चे तेल के नौवहन के लिए लागत जमा सूत्र वापस ले लिया गया है।

(8) कच्चे तेल के उत्पादकों को भुगतान अब 1991 रुपए प्रति मीट्रिक टन के न्यूनतम फ्लोर मूल्य सहित वास्तविक आयात के भारित औसत पोतपर्यन्त निशुल्क मूल्य के पूर्व निर्धारित प्रतिशत पर किया जा रहा है।

प्रशासित मूल्यनिर्धारण व्यवस्था की समाप्ति के चरणबद्ध कार्यक्रम का ब्यौरा दिनांक 24 नवम्बर, 1997 से सरकारी संकल्प संख्या 224 में उल्लिखित है।

[अनुवाद]

देश में कानून और व्यवस्था की स्थिति

123. श्री रामसागर रावत: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछ राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में कानून और व्यवस्था की स्थिति खराब है;

(ख) यदि हां, तो देश में कानून और व्यवस्था में सुधार करने के लिए उपाय सुझाने हेतु इस संबंध में पहले कितने आयोग नियुक्त किए गए;

(ग) उन आयोगों ने क्या सिफारिशें कीं; और

(घ) इन सुझावों पर क्या कार्रवाई की गई है/किए जाने का विचार है?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी): (क) चिन्ता के कुछ मामलों के बावजूद देश में कानून और व्यवस्था की स्थिति नियंत्रण में है। जम्मू और कश्मीर में पाक द्वारा प्रायोजित आतंकवाद, पूर्वोत्तर में एक दूसरे से जुड़ी और बाहर से समर्थित उग्रवादी ग्रुपों की विघटनकारी गतिविधियां और वामपंथी उग्रवादी ग्रुपों द्वारा की जा रही हिंसा, चिन्ता के मुख्य कारण हैं।

(ख) से (घ) केन्द्र सरकार ने इस बारे में कोई आयोग नियुक्त नहीं किया है। ''लोक व्यवस्था'' और ''पुलिस'' राज्य का विषय होने के कारण राज्यों में कानून और व्यवस्था की स्थिति में सुधार लाने के लिए विभिन्न तरीके खोजना और ठोस कदम उठाने का कार्य संबंधित राज्य सरकारों का है। केन्द्रीय स्तर पर विभिन्न राज्यों के आतंकवादी विरोधी अभियानों के समन्वय को सुकर बनाने के लिए और उनकी गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए राज्यों के बीच लाभप्रद सूचना के प्रवाह में सुधार लाने के लिए कार्रवाई की जाती है। इसके अलावा, राज्य सरकारों को उनकी पुलिस के आधुनिकीकरण, विकसित हथियार की आपूर्ति, अर्ध-सैनिक बलों की तैनाती के रूप में सहायता दी जा रही है। कुछेक विशेष परिस्थितियों में, कुछ प्रभावित राज्यों को, पुलिस के आधुनिकीकरण और हथियारों की आपूर्ति के लिए किए गए आवंटन के अलावा वित्तीय सहायता दी गई है।

[हिन्दी]

राजस्थान में टेलीफोन कनेक्शन

124. डा. जसवंत सिंह यादव: क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राजस्थान में जिलेवार, विशेषकर अलवर जिले में कितने लोग टेलीफोन कनेक्शन के लिए प्रतीक्षा सूची में हैं;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान जिलेवार कितने टेलीफोन कनेक्शन आबंटित किये गये हैं;

(ग) टेलीफोन कनेक्शन कब तक उपलब्ध करा दिये जायेंगे;

(घ) अभी तक टेलीफोन कनेक्शन जारी न किये जाने के क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा राज्य में विशेषकर उक्त जिले में प्रतीक्षा सूची निपटाने हेतु क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) राजस्थान में और विशेषकर अलवर जिले में टेलीफोन कनेक्शनों के लिए प्रतीक्षा सूची में दर्ज व्यक्तियों की संख्या 31.10.99 की स्थिति के अनुसार इस प्रकार है:

(1) राजस्थान	130564
(2) अलवर	6567

राजस्थान में टेलीफोन कनेक्शन की प्रतीक्षा सूची का राज्यवार ब्यौरा विवरण I में दिया गया है।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान आबंटित टेलीफोन कनैक्शनों की संख्या इस प्रकार है:

1996-97	113518 लाइनें
1997-98	147632 लाइनें
1998-99	171445 लाइनें

उक्त अवधि के दौरान उपलब्ध कराए गए टेलोफोन कनैक्शनों की जिलावार संख्या विवरण II में दी गई है।

(ग) नौवीं पंचवर्षीय योजना (1997-2002) के अंत तक उत्तरोत्तर रूप में मांग पर टेलीफोन कनैक्शन उपलब्ध कराने की योजना है। राजस्थान में 31.3.99 की स्थिति के अनुसार प्रतीक्षा सूची में दर्ज लोगों की मार्च, 2000 तक और शेष को अगले वित्त वर्ष के दौरान टेलीफोन कनैक्शन देने की संभावना है।

(घ) टेलीफोन कनैक्शन लगातार रिलीज किए जा रहे हैं। चालू वित्त वर्ष के दौरान 31.10.99 तक राजस्थान में 51019 नए टेलीफोन कनैक्शन और अलवर में 2404 नए टेलीफोन कनैक्शन दिए गए।

(ङ) मौजूदा प्रतीक्षा सूची को क्लीयर करने के लिए वर्ष 1999-2000 तक 1,80,000 टेलीफोन कनैक्शन और अगले वित्त वर्ष 2000-01 के दौरान, 2,50,000 टेलीफोन कनैक्शन उपलब्ध कराने की योजना है। चालू वित्त वर्ष के लिए अलवर जिले में 10,000 लाइनें देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

विवरण I

31.10.99 की स्थिति के अनुसार प्रतीक्षा सूची

क्र.सं.	जिला	31.10.99 की स्थिति के अनुसार प्रतीक्षासूची
1	2	3
1.	अजमेर	8018
2.	अलवर	6567
3.	बांसवाड़ा	574
4.	बरन	956
5.	बाड़मेर	3157
6.	भरतपुर	4730
7.	भीलवाड़ा	1859
8.	बीकानेर	3665
9.	बूंदी	1715
10.	चित्तौड़गढ़	1544
11.	चुरू	3739
12.	दौसा	2410
13.	धौलपुर	1305
14.	डुंगरपुर	1514
15.	हनुमानगढ़	5535
16.	जयपुर	13470
17.	जैसलमेर	1034
18.	जैलोर	3823
19.	झालावार	349
20.	झुनझुनू	7249
21.	जोधपुर	7826
22.	करौली	1248
23.	कोटा	2860
24.	नागौर	8341
25.	पाली	6212
26.	राजसमंद	2590
27.	सवाई माधोपुर	1345
28.	सीकर	9267
29.	सिरोही	1664
30.	श्री गंगानगर	7399
31.	टोंक	1833
32.	उदयपुर	6766
	राजस्थान सर्किल जोड़	130564

विवरण-II

पिछले तीन वर्षों के दौरान कार्यरत कनेक्शन की उपलब्धि

क्र.सं.	जिला	डी.ई.एल. अनन्तिम 1996-97	डी.ई.एल. अनन्तिम 1997-98	डी.ई.एल. अनन्तिम 1998-99
1	2	3	4	5
1.	अजमेर	5321	5707	14206
2.	अलवर	5810	6889	8666
3.	बांसवाड़ा	1295	2516	1844
4.	बरन	454	1179	1658
5.	बाड़मेर	1623	2513	2179
6.	भरतपुर	2651	2303	3719
7.	भीलवाड़ा	3002	4201	8750
8.	बीकानेर	3456	6215	6483
9.	बूंदी	858	939	1505
10.	चित्तौड़गढ़	2377	2306	3525
11.	चुरू	3200	2629	4637
12.	दौसा	1160	1015	1876
13.	धौलपुर	257	935	800

1	2	3	4	5
14.	डुंगरपुर	565	1500	1293
15.	हनुमानगढ़	1916	2925	3297
16.	जयपुर	37958	38145	28354
17.	जैसलमेर	142	1114	830
18.	जैलोर	470	1539	3078
19.	झालावार	1123	687	1739
20.	झुनझुनू	5354	5774	5202
21.	जोधपुर	6332	8046	12036
22.	करौली	सवाई माधोपुर जिले में शामिल है।		2114
23.	कोटा	4668	10955	9896
24.	नागौर	2504	3259	3690
25.	पाली	3480	5327	9367
26.	राजसमंद	2507	1705	4018
27.	सवाई माधोपुर	1453	2555	2128
28.	सीकर	2658	5454	4926

1	2	3	4	5
29.	सिरोही	578	1820	3995
30.	श्री गंगानगर	3741	9456	8603
31.	टोंक	1090	1901	1931
32.	उदयपुर	5515	6123	4503
	राजस्थान सर्किल जोड़	113518	147632	171445

[अनुवाद]

केरल के लिए एक्सप्रेस राजमार्ग

125. श्री के. मुरलीधरन : क्या जल भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने केरल के लिए किसी एक्सप्रेस राजमार्ग की स्वीकृति दी है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) दक्षिण भारत के लिए पहले ही स्वीकृत किए गए एक्सप्रेस राजमार्गों का ब्यौरा क्या है?

जल भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देबेन्द्र प्रधान): (क) जी नहीं।

(ख) एक्सप्रैस राजमार्ग अत्यधिक पूंजी प्रधान परियोजनाएं हैं। इसके अतिरिक्त इनके लिए अत्यधिक भूमि की आवश्यकता होती है जिसका अधिग्रहण केरल में काफी खर्चीला एवं जटिल है और इसमें काफी समय लग जाता है। इसके अलावा, एक्सप्रैस मार्ग के निर्माण पर भारी निवेश होता है और समग्र बजटगत नियंत्रण के कारण इस पर विचार नहीं किया जा सका।

(ग) दक्षिण भारत के लिए कोई एक्सप्रेस राजमार्ग परियोजना स्वीकृत नहीं की गई है।

एल.पी.जी. कनेक्शन के लिए प्रतीक्षा सूची

126. श्री बसुदेव आचार्य : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में एल.पी.जी. कनेक्शन के लिए एक लंबी प्रतीक्षा सूची है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) वैसे कौन-कौन से राज्य हैं जहां लंबी प्रतीक्षा सूची है;

(घ) अक्तूबर, 1999 तक एल.पी.जी. कनेक्शन के लिए प्रतीक्षा सूची में शामिल लोगों को पश्चिम बंगाल में जिलेवार संख्या कितनी है; और

(ङ) इस राज्य में प्रतीक्षा सूची को निपटाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गए हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. पोन्नुस्वामी): (क) से (ग) देश में सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम तेल कंपनियों के एल.पी.जी. वितरकों के पास 1.10.99 की दर्ज प्रतीक्षा सूची में व्यक्तियों की संख्या लगभग 108.39 लाख थी। प्रतीक्षा सूची का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) और (ङ) 1.10.99 को पश्चिम बंगाल में एल.पी.जी. कनेक्शनों की प्रतीक्षा सूची में व्यक्तियों की संख्या लगभग 9.76 लाख थी। सरकार ने तेल कंपनियों को चेन्नई, मुम्बई और कलकत्ता के महानगरों में प्रतीक्षा सूची को निपटाने के निर्देश दिए है। निकट भविष्य में और एल.पी.जी. कनेक्शन जारी किए जाने की योजना है तथा 2001-2002 तक. पूरे देश में संपूर्ण प्रतीक्षा सूची निपटा लिए जाने की आशा है।

विवरण

1.10.99 की स्थिति के अनुसार राज्यवार प्रतीक्षा सूची

(आंकड़े लाखों में)

राज्य	
आंध्र प्रदेश	10.18
अरूणाचल प्रदेश	0.06
असम	0.37
बिहार	4.81
दिल्ली	0.00
गोवा	0.44
गुजरात	5.04
हरियाणा	4.99
हिमाचल प्रदेश	0.00
जम्मू और कश्मीर	0.00
कर्नाटक	5.16
केरल	8.30
मध्य प्रदेश	5.22
महाराष्ट्र	10.36
मणिपुर	0.03
मेघालय	0.01
मिजोरम	0.04
नागालैंड	0.02
उड़ीसा	1.77
पंजाब	7.79
राजस्थान	6.14
सिक्किम	0.00
तमिलनाडु	13.67
त्रिपुरा	0.01
उत्तर प्रदेश	14.13
पश्चिम बंगाल	9.76
योग	108.31
संघ राज्य क्षेत्र	
अंडमान और निकोबार	0.07
चंडीगढ़	0.00
दादरा और नगर हवेली	0.00
दमन और दीव	0.00
लक्षद्वीप	0.00
पांडिचेरी	0.00
योग	0.08
अखिल भारत	108.39

ताड़ी आन्दोलनकर्ता मानसिक अस्पताल में

127. **श्री अजय चक्रवर्ती** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान 9 नवम्बर, 1999 के "द स्टेट्समैन" के दिल्ली संस्करण में "अरक क्रूसेडर कॉप लॉक्ड इन मेन्टल हास्पिटल" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने पूरे मामले की जांच केन्द्रीय जांच ब्यूरो से कराने के आदेश दिए है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी): (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) और (ग) तमिलनाडु राज्य सरकार से तथ्यों का पता लगाया जा रहा है।

[हिन्दी]

बिहार में संचार कार्यक्रम

128. **श्री राजो सिंह** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान बिहार के लिए बनाये गये संचार कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है तथा इसके अंतर्गत क्या उपलब्धियां हासिल की गई है;

(ख) नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान बिहार के लिए अंतिम रूप से प्रस्तावित संचार कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या बिहार के कुछेक क्षेत्रों में दूरभाष प्रणाली ने काम करना बंद कर दिया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान बिहार के लिए बनाए गए संचार कार्यक्रम तथा हासिल की गई उपलब्धियां संलग्न विवरण में दी गई हैं।

(ख) नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान बिहार के लिए प्रस्तावित संचार कार्यक्रम नीचे दिए गए है:

1. मांग पर टेलीफोन प्रदान करना।
2. सभी गांवों में टेलीफोन सुविधा प्रदान करना।
3. सभी एक्सचेंजों को एस.टी.डी. सुविधा प्रदान करना।
4. सभी एक्सचेंजों को विश्वसनीय माध्यम प्रदान करना।
5. सभी डिवीजनों में कम्प्यूटरीकृत बिल बनाने तथा लेखा रखने की सुविधा प्रदान करना।
6. दूरसंचार नेटवर्क में नई सेवाओं की शुरूआत करना।
   (1) मांग के उपलब्ध होने की शर्त पर जिला मुख्यालय स्तर तक एकीकृत सेवा डिजिटल नेटवर्क (आई.एस.डी.एन.) प्रदान करना।
   (2) प्रथम चरण में 9 बड़े शहरों में तथा द्वितीय चरण में पूरे देश में इंटेलीजेंट नेटवर्क (आई.एन.) सेवाएं प्रदान करना।
   (3) इंटरनेट सेवाएं प्रदान करना।
   (4) मोबाइल सेवाएं प्रदान करना।
   (5) मल्टी मीडिया सेवा प्रदान करना।

(ग) जी नहीं।

(घ) उपर्युक्त (ग) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान बिहार के लिए बनाए गए संचार कार्यक्रम तथा हासिल की गई उपलब्धियां नीचे दी गई है

वर्ष	नए एक्सचेंजों की संख्या		क्षमता		सीधी एक्सचेंज लाइन		ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन		विस्वसनीय माध्यम	
	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि
1992-93	121	121	19787	53056	28000	34389	2000	1265	25	34
1993-94	107	107	47732	44541	27000	37189	3020	926	25	30
1994-95	33	33	50246	66012	35000	44068	3164	2595	25	36
1995-96	14	14	28464	39095	69300	33115	11800	1246	25	25
1996-97	34	34	61800	63200	47000	52368	6000	3526	30	43

[अनुवाद]

एच.पी.सी.एल. और बी.पी.सी.एल. के बीच समझौता

129. श्री सी. कुप्पुसामी : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या तेलशोधक कारखानों या पाइपलाइन क्षेत्रों में संयुक्त रूप से हरित परियोजनाएं चलाने हेतु भारत पेट्रोलियम कैमिकल्स लिमिटेड (बी.पी.सी.एल.) और हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड (एच.पी.सी.एल.) के बीच एक रणनीतिक समझौता हुआ है;

(ख) यदि हां, तो क्या दोनों के बीच इक्विटी के आदान-प्रदान या पारस्परिक तौर पर सहमत हुई शर्तों पर एक दूसरे की इक्विटी को खरीदने हेतु कोई व्यवस्था हुई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या मुम्बई सहित प्रमुख संस्थापनों के लिए बुनियादी क्षेत्रों के हितों के संबंध में कोई आम सहमति हुई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. पोन्नुस्वामी): (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

(घ) और (ङ) सरकार ने इंडियन आयल कार्पोरेशन लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड, हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड, आई.बी.पी. कंपनी लिमिटेड आदि की ओर से इक्विटी भागीदारी सहित एक संयुक्त उद्यम पाइपलाइन होल्डिंग कंपनी, मैसर्स पेट्रोनेट इंडिया लिमिटेड, का गठन संयुक्त उद्यम पाइपलाइन सहायक कंपनियों के माध्यम से ग्रासरूट पाइपलाइन परियोजनाएं लागू करने के लिए किया है।

लिंग भेद

130. **श्री सुशील कुमार शिंदे :**
श्री माधवराव सिंधिया :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में आदिवासियों में बालिकाओं की हत्या अथवा बिक्री की काई प्रथा है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस का संज्ञान लिया है;

(ग) यदि हां, तो इसमें लिप्त कबीलों सहित वास्तविक स्थिति क्या है;

(घ) वे कौन-कौन से क्षेत्र है जहां बालिकाओं की हत्या अथवा उन्हें बेचने की प्रथा है; और

(ङ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी): (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

कारगिल में घुसपैठ

131. **श्री माधवराव सिंधिया :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान 1 सितम्बर, 1999 के नेशनल हैराल्ड में "एनअदर करगिल इन दि ऑकिंग" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या आत्मघाती मानव बमों के माध्यम से सेना मुख्यालयों और शिविरों पर उग्रवादियों के हमलों में भारतीय सैनिक बड़ी संख्या में मारे गए हैं;

(ग) यदि हां, तो घुसपैठियों का पता लगाने और खदेड़ने के बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) जम्मू और कश्मीर में ऐसी घुसपैठ को रोकने तथा नियंत्रण रेखा की पवित्रता को बनाए रखने के लिए सीमाओं की अपेक्षित सुरक्षा के लिए अन्य कौन से कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) से (घ) जम्मू और कश्मीर में सेना के शिविरों/चौकियों पर आतंकवादियों द्वारा हमले की केवल 2 घटनाएं हुई है। एक घटना में आतंकवादियों ने 6 अगस्त, 1999 को कुपवाड़ा जिले में सेना की चौकी पर हमले की एक असफल कोशिश की और आतंकवादी 6 शवों को छोड़कर भाग गए। मारे गए उग्रवादियों से 4 ए.के. राईफलें, एक पिस्तौल, 2 आर.पी.जी. राकेट और 26 हथगोले बरामद किए गए। पांच सैनिकों की जाने भी गई।

एक दूसरी घटना में, 3 नवम्बर, 1999 को लगभग 18.00 बजे एसाल्ट राईफलों से लैस तीन उग्रवादी जन सम्पर्क कार्यालय के बगल में खुले स्थान में चुपके-चुपके घुस गए। उन्होंने कन्टोनमेन्ट बोर्ड क्षेत्र को जाने वाली सड़क के प्रवेश द्वार पर सन्तरियों पर गोलियां चलायी और उसके बाद, जनसम्पर्क अधिकारी के कार्यालय में घुस कर कार्यालय के अन्दर व्यक्तियों पर अंधाधुंध गोलियां चलायी। सेना की त्वरित जवाबी कार्रवाई टीमें तुरन्त घटना स्थल पर पहुंची और क्षेत्र को घेर लिया। इस अभियान में दो उग्रवादी मारे गए और 2 ए.के. 47 राईफलें बरामद की गई। सेना के निम्नलिखित कार्मिक हताहत हुए:

(क) मारे गए एक अधिकारी, दो जी.सी.ओ., और 6 अन्य रैंक।

(ख) जख्मी हुए छः अन्य रैंक।

(ग) सीमा सुरक्षा बल का एक जवान भी मारा गया और रक्षा सेवा कोर का एक जवान जख्मी हुआ।

घटना के बाद कन्टोनमेन्ट क्षेत्र में सुरक्षा प्रबन्धों का पुनरीक्षण किया गया और इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाए गए हैं।

नियंत्रण रेखा के पार से घुसपैठ को रोकने के लिए आवश्यक उपाय किए जा रहे हैं। किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए पर्याप्त बल रखे जा रहे हैं। तथापि, क्षेत्र की विशालता और अत्यधिक कठिन भू-क्षेत्र के कारण नियंत्रण रेखा को पूर्णतः सील करना व्यवहारिक नहीं है। अतः छोटे ग्रुपों द्वारा कुछ घुसपैठ किए जाने से बचा नहीं जा सकता है। तथापि सभी प्रकार की घुसपैठों से कारगरता से निपटा जा रहा है।

न्यायाधीशों के लिए आचार संहिता

132. श्री दानवे रावसाहेब पाटील : क्या विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने न्यायाधीशों के लिए आचार संहिता तय की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यह कब तक लागू हो जाएगी?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री (श्री राम जेठमलानी): (क) और (ख) राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की राष्ट्रीय शासन कार्यसूची की मदों में से एक मद राष्ट्रीय न्यायिक आयोग की स्थापना करना है जो अन्य बातों के साथ-साथ न्यायपालिका के लिए आचार संहिता तैयार करेगा। इस प्रस्ताव के लिए संसदीय विधान अपेक्षित होगा। अतः यह बताना संभव नहीं है कि इस संबंध में, कोई विनिश्चय कब तक किया जाएगा।

बढ़ती हुई वेश्यावृत्ति

133. श्री अशोक कुमार सिंह चन्देल :
डा. रघुवंश प्रसाद सिंह :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में वेश्यावृत्ति की प्रवृत्ति बढ़ी है;

(ख) यदि हां, तो क्या पड़ोसी देशों से बड़ी संख्या में लड़कियां इस व्यवसाय में आ रही हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या इस संबंध में कोई अध्ययन कराया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) तेजी से बढ़ रहे इस व्यापार को रोकने के लिए सरकार क्या उपाय कर रही है/क्या उपाय किए जाने का प्रस्ताव है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी): (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

राष्ट्रीय राजमार्गों और राज्य राजमार्गों पर पेट्रोल पंपों की स्थापना

134. श्री पी.डी. एलानगोवन : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार राष्ट्रीय राजमार्गों और महत्वपूर्ण राज्य राजमार्गों पर नए पेट्रोल पंपों को स्थापित करने का है; और

(ख) यदि हां, तो चालू वर्ष के दौरान बंगलौर और सेलम के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग 7 पर स्थापित किए जाने वाले पेट्रोल पंपों की संख्या कितनी है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. पोन्नुस्वामी): (क) जी हां।

(ख) बंगलौर तथा सेलम के बीच के स्थान पर राष्ट्रीय राजमार्ग-7 पर खुदरा बिक्री केन्द्र डीलरशिप की स्थापना के लिए किसी भी अनुमोदित विपणन योजना में कोई प्रस्ताव लंबित नहीं है। तथापि इंडियन आयल कार्पोरेशन द्वारा समाप्त डीलरशिप के प्रति "कंपनी का स्वामित्व कंपनी द्वारा प्रचालित" के रूप में राष्ट्रीय राजमार्ग-7 पर होसुर में एक खुदरा बिक्री केन्द्र की स्थापना करने का प्रस्ताव है।

उपर्युक्त के अलावा, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 पर 2 जुबली खुदरा बिक्री केन्द्रों की स्थापना करने का प्रस्ताव है जिनमें से एक कृष्णागिरी के पास कावेरीपतनम और दूसरा सेलम से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर धर्मपुरी जिले में थोप्पुर में होगा।

"एन.एस.सी.एन." के साथ वार्ता

135. श्री के.ए. सांगतम : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने "एन.एस.सी.एन. (आई.एम.)" के साथ शांति वार्ता फिर से शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो इसकी वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) इस पर नागालैंड में अन्य उग्रवादी संगठनों की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) नागालैण्ड में शांति बहाल करने हेतु और क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी): (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) एन.एस.सी.एन. (आई.एम.) के साथ संधि को 31 जुलाई, 2000 तक बढ़ा दिया गया है। श्री के. पद्मनाभैया, पूर्व केन्द्रीय गृह सचिव को शांति वार्ता करने के लिए भारत सरकार के प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया है। बातचीत के कई दौर पहले हो चुके हैं।

(ग) नागालैंड में अन्य किसी विद्रोही गुट ने बताए गए पैरामीटर के भीतर बातचीत करने के लिए अभी तक जवाब नहीं दिया है।

(घ) नागालैंड राज्य में शांति का माहौल लाने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपायों में, अन्य बातों के साथ-साथ, केन्द्रीय अर्ध-सैनिक बलों और सेना की अतिरिक्त यूनिटें तैयार करना, बेहतर समन्वय और आसूचना का आदान-प्रदान करना, राज्य पुलिस बलों का आधुनिकीकरण/उन्नयन करना, सुरक्षा से संबंधित खर्चों की प्रतिपूर्ति करना, इण्डिया रिजर्व बटालियनें बनाना, विशेष केन्द्रीय सहायता मंजूर करना, अत्यधिक गंभीर रूप से प्रभावित क्षेत्रों को "विक्षुब्ध क्षेत्र" घोषित करना तथा मुख्य विद्रोही गुटों को "विधि-विरूद्ध संगठन" अधिसूचित करना शामिल है।

[अनुवाद]

मुजफ्फरपुर में टेलीफोन कनेक्शन

136. डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में विशेष कर पारू, वखरा, माधवन कर्जा और फुकवारिया में, ऐसे गांवों की संख्या कितनी है जिनमें अपेक्षित धनराशि जमा कराने और 10 से अधिक आवेदन की शर्त पूरा करने के बावजूद टेलीफोन कनेक्शन नहीं दिये गये हैं;

(ख) काफी समय से लंबित पड़े आवेदन पत्रों पर टेलीफोन कनेक्शन न देने के क्या कारण हैं; और

(ग) उक्त कनेक्शन कब तक दे दिये जाने की संभावना है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) बिहार के मुज्जफ्फपुर जिले में पारू, बाखड़ा, माधवन (मोरबन), कारज तथा फूलवारिया सहित 11 गांव हैं जहां 10 अथवा उससे अधिक लोगों ने अपेक्षित राशि जमा करवा दी है और टेलीफोन कनेक्शन हेतु, प्रतीक्षारत है।

(ख) और (ग) पारू में नए वित्त वर्ष के दौरान केबल का कार्य पूरा होने पर चालू एक्सचेंज से टेलीफोन प्रदान किए जाएंगे। अन्य स्थानों को चालू एक्सचेंजों से कनेक्शन दे पाना संभव नहीं है। नए एक्सचेंज खोलने की योजना बनाई गई है और विद्युत आपूर्ति उपस्कर इत्यादि की उपलब्धता पर निर्भर करते हुए आगामी वित्त वर्ष के दौरान इन स्थानों पर टेलीफोन कनेक्शन प्रदान करने की सम्भावना है।

[अनुवाद]

दूरभाष केंद्रों का विस्तार

137. श्री राजैया मल्याला : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इस समय हैदराबाद टेलीफोन सर्किल में कितने दूरभाष केन्द्र कार्यरत है और उनकी क्षमता क्या है;

(ख) क्या सरकार का विचार 1999-2000 के दौरान उक्त सर्किल में वर्तमान दूरभाष केंद्रों की क्षमता बढ़ाने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) उक्त अवधि के लिए दूरभाष केंद्रों के लिए कितनी धनराशि नियत की गई है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) सूचना इस प्रकार है:-

	एक्सचेंज की सं.	सज्जित क्षमता
(1) हैदराबाद दूरसंचार जिला	124	619916
(2) आंध्र प्रदेश दूरसंचार सर्किल (हैदराबाद दूरसंचार जिला सहित)	2215	19,60,559

(ख) और (ग) जी, हां। सूचना इस प्रकार है:-

क्षमता में विस्तार हेतु

(1) हैदराबाद दूरसंचार जिला	163000 लाइनें
(2) आंध्र प्रदेश दूरसंचार सर्किल (हैदराबाद दूरसंचार जिला सहित)	4690001 लाइनें

(घ) इस प्रयोजनार्थ आवंटित निधि इस प्रकार है:-

	नकद (हजारों में)	स्टोर्स (सामग्री) (हजारों में)
(1) हैदराबाद दूरसंचार जिला	1179504	8742
(2) आंध्र प्रदेश दूर-संचार सर्किल (हैदराबाद दूर-संचार जिला सहित)	6419152	214776

[हिन्दी]

दिल्ली में भूमि का अतिक्रमण

138. डा. बलिराम : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दिल्ली में मंत्रालय के अधीन भूमि और लोगों द्वारा अतिक्रमित भूमि का मंडलवार ब्यौरा क्या है;

(ख) विभाग द्वारा लोगों को वहां से हटाने के लिए क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) क्या सरकार ने उस भूमि पर जो खाली पड़ी है और जिस पर अतिक्रमण की संभावना है, चार दिवारी बनाई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा इस भूमि को बचाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) दिल्ली में डी.टी.ओ. मुखर्जी नगर के लिए भूखण्ड का अतिक्रमण कर लिया गया है।

(ख) दिल्ली नगर निगम से, अतिक्रमण करने वाली झुग्गी निवासियों की फिर से कहीं बसाने का अनुरोध किया गया है।

(ग) जी, हां।

(घ) निम्नलिखित भूखण्डों को छोड़कर सभी रिक्त भूखण्डों पर चारदीवारी का निर्माण पहले ही कर लिया गया है:-

(क) डीटीओ यमुना बिहार : चारदीवारी के निर्माण के लिए आदेश जारी कर दिए गए है।

(ख) डीटीओ मुखर्जी नगर : निर्माण नहीं हो सका, क्योंकि भूखण्ड का अतिक्रमण कर लिया गया है।

(ङ) उपर्युक्त (घ) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

स्थायी लोक अदालतें

139. श्री रामचन्द्र बैंदा : क्या विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा देश के सभी जनपदों में स्थायी लोक अदालतों की स्थापना का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो कब तक इनकी स्थापना हो जाने की संभावना है; और

(ग) सरकार ने इस दिशा में क्या प्रयास किए हैं?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री (श्री राम जेठमलानी): (क) से (ग) राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण ने देश के सभी जिलों में स्थायी और अनवरत लोक अदालतों की स्थापना की बाबत हुई प्रगति का 9 अक्तूबर, 1999 को हैदराबाद में हुए

राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों के दूसरे वार्षिक सम्मेलन में पुनर्विलोकन किया था। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण को राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों से जो प्रास्थिति रिपोर्ट प्राप्त हुई थी उसमें इस बात का उल्लेख था कि सभी जिलों में स्थायी और अनवरत लोक अदालतें स्थापित करने संबंधी स्कीम 10 राज्यों और 1 संघ राज्य क्षेत्र, अर्थात् गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, केरल, मणिपुर, पंजाब, सिक्किम, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र में पूरी तरह कार्यान्वित कर दी गई है। सभी जिलों में स्थायी और अनवरत लोक अदालतों को स्थापित करने संबंधी स्कीम 6 राज्यों, अर्थात् आंध्र प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और मिजोरम में भागत: कार्यान्वित कर दी गई है तथा शेष 15 राज्यों और 11 संघ राज्य क्षेत्रों में कार्यान्वित की जा रही है।

कोई समय-सीमा नियत नहीं की गई है कि किन्तु सभी राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों से जोर देकर यह बात कही गई है कि वे लोक अदालतें स्थापित करें और कार्यपालक अध्यक्ष, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण ऐसी लोक अदालतों की स्थापना संबंधी कार्य को गंभीरतापूर्वक मानीटर कर रहे हैं।

ग्रामीण विद्युतीकरण

140. श्री टी. गोविन्दन : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केरल, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा में विद्युतीकरण की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) क्या इन राज्यों के गांवों के विद्युतीकरण का काम धीमी गति से हो रहा है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई/किए जाने का प्रस्ताव है?

विद्युत मंत्री (श्री पी.आर. कुमारमंगलम): (क) केरल, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा में ग्रामीण विद्युतीकरण की स्थिति निम्नवत है:-

राज्य	आवासीय गांवों की कुल संख्या (1991 की जनगणना)	30.9.99 की स्थिति के अनुसार विद्युतीकृत गांव (के.वि.प्रा.)	विद्युतीकृत गांवों का प्रतिशत
केरल	1384	1384	100
पश्चिम बंगाल	37910	29531	78
त्रिपुरा	855	808	95

(ख) और (ग) केरल और त्रिपुरा में गांवों के विद्युतीकरण की प्रगति क्रमश: शत-प्रतिशत और 95% है जो 86% के अखिल भारतीय औसत से अधिक है। तथापि पश्चिम बंगाल में ग्रामीण विद्युतीकरण 78% है और अखिल भारत औसत से कम है। पश्चिम बंगाल में ग्रामीण विद्युतीकरण की धीमी प्रगति पश्चिम बंगाल राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रमों के लिए ग्रामीण विद्युतीकरण निगम से ऋण सहायता को प्राप्त नहीं कर सकना है जिसकी वजह अन्य बातों के साथ-साथ बकाया राशियों का भुगतान न किए जाने तथा अपर्याप्त पारेषण एवं वितरण प्रणाली है।

सेन्टर्स ऑफ एक्सीलेंस

141. **श्री बाजू बन रियान** : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने पर्यावरण संबंधी जागरूकता के लिए ''सेन्टर्स ऑफ एक्सीलेंस'' स्थापित किए हैं;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1997-98 तथा 1998-99, के दौरान इन केन्द्रों को वर्ष-वार तथा केन्द्र-वार कितनी वित्तीय सहायता जारी की गई है;

(ग) क्या व्यय, परिणाम के अनुरूप हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी): (क) जी हां, पर्यावरण जागरूकता के सृजन के लिए निम्नलिखित दो उत्कृष्टता केन्द्र स्थापित किए गए है:

* पर्यावरण शिक्षा केन्द्र, अहमदाबाद

* सी.पी.आर. पर्यावरण शिक्षा केन्द्र, चेन्नई

(ख) 1997-98 और 1998-99 के दौरान इन केन्द्रों को रिलीज की गई वित्तीय सहायता की धनराशि निम्नवत है:

केन्द्र का नाम	1997-98 (रु. लाख में)	1998-99 (रु. लाख में)
पर्यावरण शिक्षा केन्द्र, अहमदाबाद	231.13	268.00
सी.पी.आर. पर्यावरण शिक्षा केन्द्र, चेन्नई	85.00	105.00

(ग) जी हां।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

उड़ीसा में पारिस्थितिकीय असंतुलन

142. **श्री प्रियरंजन दासमुंशी** : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने पर्यावरण और वन विनाश को देखते हुए उड़ीसा में हो रही पारिस्थितिकीय असंतुलन की तबाही के बारे में कोई अध्ययन किया है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार का विचार राज्य में वनरोपण के लिए क्या कदम उठाने का है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी): (क) उड़ीसा में हाल में आए विनाशकारी तूफान की सूचना मिलने पर पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने प्रस्तावित क्षेत्रों का दौरा किया और राज्य सरकार के अधिकारियों की सहायता से पर्यावरण एवं वन सम्पत्ति के नुकसान का जायजा लिया है। प्राप्त सूचना के अनुसार बंगलौर के गंजाम तक के समुद्रतटीय जिलों की वनस्पति बुरी तरह उजड़ गई है और लगभग 93558 हेक्टेयर तक का वनरोपण क्षेत्र नष्ट हो गया है।

(ख) राज्य सरकार से एक कार्य योजना प्राप्त की गई है जिसमें 3000 हेक्टेयर समुद्र तटीय पट्टी पर पौधरोपण, 15 करोड़ पौधों का वितरण, सड़क के 1500 किलोमीटर क्षेत्र के रास्तों पर पौधरोपण, 10 लाख पौधों सहित नगरीय पौधरोपण तथा लगभग 25000 हेक्टेयर क्षेत्र से अधिक तूफान प्रभावित वन ब्लाकों को फिर से सज्जित करना।

डाक वितरण में विलम्ब

143. **श्री सुरेश रामराव जाधव** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या चेन्नई, कलकत्ता और महाराष्ट्र क्षेत्र में डाक वितरण में विलंब की घटना सरकार के ध्यान में आई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस स्थिति में सुधार के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई/करने का विचार है; और

(ग) चेन्नई और मुंबई में स्वत: डाक प्रोसेसिंग केन्द्रों (आटोमेटिक प्रोसेसिंग सेन्टर) के बहुत कम उपयोग होने के क्या कारण हैं?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) चेन्नई, कलकत्ता तथा मराठवाड़ा में डाक का वितरण सामान्यतया

संतोषजनक है। तथापि, विभाग के नियंत्रण से बाहर विभिन्न कारणों जैसे डाक ले जाने वाले विमानों की उड़ानों, ट्रेनों तथा बसों के रद्द हो जाने/विलंब से चलने, डाक की मात्रा में अप्रत्याशित वृद्धि, प्राकृतिक आपदाओं आदि की वजह से डाक में यदा-कदा विलंब हो जाता है।

(ख) मराठवाड़ा परिक्षेत्र में, राज्य सड़क परिवहन की बसों के अनियमित रूप से चलने के कारण नांदेड़ से धरमाबाद को जाने वाली डाक में 4.9.99 से 6.9.99 तक तथा नांदेड़ से मुडखेड़ जाने वाली डाक में 22.6.99 से 25.6.99 तक विलंब हुआ। डाक ले जाने वाली बसों के न चलने के कारण 9.9.99 से 15.9.99 तक नांदेड़ से महोर डाक नहीं भेजी जा सकी। दिनांक 4.11.99 से 8.11.99 तक भी नांदेड़ तथा देगलूर के बीच राज्य परिवहन की बसें नहीं चलीं जिसके परिणामस्वरूप डाक रूकी रही। इस संबंध में तत्काल कार्रवाई की गई और राज्य परिवहन प्राधिकारियों से संपर्क किया गया तथा डाक के प्रेषण के लिए वैकल्पिक व्यवस्था कर दी गई। कलकत्ता में, डाक में यदा-कदा विलंब होने की घटनाएं हुई हैं। तथापि, हाल में किया गया सर्वेक्षण यह दर्शाता है कि विलंब के ऐसे मामलों में कमी हो रही है। चेन्नई में भी डाक के वितरण में विलंब होने के कुछ मामले ध्यान में आए हैं। विलंब के कारणों का पता लगाने तथा जहां आवश्यक था, वहां सुधारात्मक कार्रवाई करने के लिए आवश्यक कदम उठाए गए हैं।

(ग) मुंबई तथा कलकत्ता के ऑटोमेटिक मेल प्रोसिंग सेंटरों में दो-दो लैटर सार्टिंग मशीनें हैं। इन दो मशीनों में से एक को सुरक्षित रखा जाता है ताकि पहली मशीन खराब होने पर समूची डाक में विलंब न हो। आवश्यक साफ-सफाई और रख-रखाव तथा प्रोग्राम बदलने के पश्चात् ऑटोमैटिक लैटर सार्टिंग मशीन पत्रों की छंटाई के लिए उपलब्ध प्रभावी समय 16 घण्टे प्रतिदिन है। आदर्श स्थिति में तथा उच्च गुणवत्ता वाली डाक होने पर यह मशीन 4,80,000 पत्र प्रतिदिन छांट सकती है। इसकी तुलना में, इस समय चेन्नई में ऑटोमैटिक मेल प्रोसेसिंग सेंटर द्वारा प्रतिदिन 4.25 लाख पत्रों की छंटाई की जाती है जबकि मुंबई के ऑटोमैटिक मेल प्रोसेसिंग सेंटर द्वारा प्रतिदिन 4.50 लाख पत्रों की छंटाई की जाती है।

ऑटोमैटिक मेल प्रोसेसिंग सेंटरों की क्षमता का अधिकतम उपयोग मशीन से छंटाई हो सकने योग्य ऐसी डाक प्राप्त होने पर निर्भर करता है जो आकार, लंबाई, चौड़ाई, मोटाई, स्टेपलर पिनों का प्रयोग न होने आदि मानकों को पूरा करती है। इस प्रकार, मशीन द्वारा छंटाई योग्य डाक की उपलब्धता मुख्य रूप से जनता के सहयोग पर निर्भर करती है तथा मशीन द्वारा छंटाई योग्य डाक पर्याप्त मात्रा में प्राप्त न होना ऑटोमैटिक मेल प्रोसेसिंग सेंटरों की क्षमता के कम प्रयोग का प्रमुख कारण है। विभाग मशीन द्वारा छंटाई योग्य डाक की अवधारणा को लोकप्रिय बनाने तथा जनता को अपनी डाक उसी के अनुसार तैयार करने के लिए शिक्षित करने के लिए सभी संभव उपाय कर रहा है। इसके परिणाम स्वरूप, पिछले वर्षों में लैटर सार्टिंग मशीनों की क्षमता के उपयोग में धीरे-धीरे निरंतर वृद्धि हुई है।

[हिन्दी]

रसोई गैस के लिए दीर्घकालीन नीति

144. श्री सुरेश चन्देल : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने रसोई गैस के संबंध में कोई दीर्घकालीन नीति तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस क्षेत्र में प्रवेश की इच्छुक निजी क्षेत्र की कंपनियों के लिए नीति में क्या भूमिका अधिकल्पित की गई है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. पोन्नुस्वामी): (क) से (घ) जी हां। एल.पी.जी. डिस्ट्रीब्यूटरशिपें खोलने के लिए नई विपणन योजनाएं निम्न को ध्यान में रखकर बनाई जाती हैं:

(1) 15 किलोमीटर के दायरे में आने वाली समीपवर्ती गांवों की संभाव्यता को शामिल करके 10,000 तथा इससे अधिक की जनसंख्या वाले सभी शहरी स्थानों को शामिल करना।

(2) डिस्ट्रीब्यूटरशिप की स्थापना के लिए 5,000 तथा इससे अधिक की जनसंख्या वाले सभी शहरी स्थान और व्यवहार्यता 15 किलोमीटर के दायरे में पड़ने वाले समीपवर्ती गांवों की संभाव्यता ध्यान में रखकर सुनिश्चित की जाएगी।

(3) 10,000 तथा इससे अधिक की जनसंख्या वाले केन्द्रीय गांवों के 15 किलोमीटर के दायरे के भीतर के गांवों

के समूह का ग्रामीण डिस्ट्रीब्यूटरशिपों की स्थापना के लिए सर्वेक्षण किया जाएगा तथा व्यवहार्यता के आधार पर योजना में शामिल किया जाएगा।

(घ) 10 लाख या इससे अधिक की जनसंख्या वाले कस्बों के आसपास 15 किलोमीटर के दायरे के भीतर पड़ने वाले गांवों का ग्रामीण डिस्ट्रीब्यूटरशिपें खोलने के लिए सर्वेक्षण किया जाएगा। इन कस्बों से जुड़े ग्रामीण स्थानों की पहचान करते समय यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इन कस्बों में एल.पी.जी. डिस्ट्रीब्यूटरशिपों की पर्याप्त संख्या हो ताकि शहरी क्षेत्रों में ग्रामीण डिस्ट्रीब्यूटरशिपों द्वारा एल.पी.जी. का विपणन रोका जा सके।

सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम तेल कंपनियों द्वारा विपणन की जा रही एल.पी.जी. की उपलब्धता अनुपूरित करने के लिए भारत सरकार ने उदारीकरण नीति के भाग के रूप में अप्रैल, 1993 में एल.पी.जी. का आयात नियंत्रणमुक्त कर दिया था और एल.पी.जी. नियंत्रण आदेश संशोधित कर दिया, इस प्रकार निजी विपणनकर्ताओं ने समानान्तर विपणन योजना के अंतर्गत अपने स्वयं के वितरण नेटवर्क के माध्यम से बाजार निर्धारित मूल्यों पर एल.पी.जी. का आयात व विपणन करना आरंभ कर दिया।

महाराष्ट्र के नन्दूरबार जिले में रसोई गैस की एजेंसियां

145. श्री माणिकराव होडल्या गावित : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार अगली बाजार योजना में महाराष्ट्र में नन्दूरबार जिले में कुछ नये पेट्रोल पंप और रसोई गैस की एजेंसियों खोलने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. पोन्नुस्वामी): (क) से (ग) महाराष्ट्र में नन्दूरबार जिले में अनुसूचित जनजाति (म) श्रेणी के अंतर्गत डडगांव और नवापुर में एक-एक खुदरा बिक्री केन्द्र और डडगांव में "अनुसूचित जनजाति" श्रेणी के अंतर्गत एक एल.पी.जी. डिस्ट्रीब्यूटरशिप 1996-98 की विपणन योजना में शामिल कर ली गई है।

[अनुवाद]

एस.टी.डी./आई.एस.डी. सुविधा

146. श्री अमर राय प्रधान : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) अक्तूबर, 1999 की स्थिति के अनुसार पश्चिम बंगाल में एस.टी.डी./आई.एस.डी. सुविधा से जोड़े गए ब्लॉक मुख्यालयों के नाम क्या हैं; और

(ख) शेष ब्लॉक मुख्यालयों को ये सुविधाएं कब तक उपलब्ध किए जाने की संभावना है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) पश्चिम बंगाल के ऐसे 288 ब्लॉक मुख्यालयों के नाम जहां अक्टूबर, 1999 तक एसटीडी तथा आईएसडी सुविधा उपलब्ध हैं उनके नाम संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) शेष 43 ब्लॉक मुख्यालयों में से 8 ब्लॉक मुख्यालयों में मार्च 2000 तक एसटीडी/आईएसडी सुविधा प्रदान किए जाने की संभावना है बशर्ते कि सामग्री संसाधन उपलब्ध हों। शेष 35 ब्लॉक मुख्यालयों में जहां फिलहाल कोई मांग प्रक्षेपित नहीं की गई है वहां मार्च 2002 तक उत्तरोत्तर रूप से एसटीडी सुविधा प्रदान की जाएगी।

विवरण

अक्टूबर, 1999 को पश्चिम बंगाल में एस.टी.डी. तथा आई.एस.डी. सुविधायुक्त ब्लॉक मुख्यालयों के नाम

1. सेरामपुर
2. बरूणपारा
3. सिंजुट
4. उलुबेरिया
5. जदुबेरिया
6. डुमजुर
7. घोषपारा

8. अंदूल
9. छोटो जुगुलिया
10. बागबंद-सैवारिया
11. देउलपारा
12. नटगट सोदेपुर
13. पियाली टाउन
14. अमताला-1
15. अमताला-2
16. बोसेपुकुर
17. बज-बज
18. रऐडाखाली
19. बेहाला चौरास्ता
20. सोनामुखी
21. पतराशयेर
22. कऐतुलारु
23. इंडस
24. ज्वायपुर
25. विष्णुपुर
26. तालडनगारा
27. सिमलीपाल
28. रायपुर
29. सारेगा
30. रानीबुंदी
31. खतरा
32. हिराबंदी
33. इंदुपुर
34. वांकुड़ा
35. छतना
36. सालतोरा
37. मेजिया
38. बरजोरा
39. अमरकानून
40. ओडा
41. नालहाटी
42. लोहापुर
43. मुरारी
44. मोल्लारपुर
45. पैकेट
46. मोल्लारपुर
47. रामपुरहाट
48. अहमदपुर
49. दुबराजपुर
50. राजनगर
51. सुरी

52. पुरंदरपुर
53. श्री निकेतन
54. लाबपुर
55. नानूर
56. इल्लामबाजार
57. बारसूल
58. भाटर
59. गुसकारा
60. गलसी
61. मेमारी
62. जमालपुर
63. श्यामसुन्दर
64. पारूली
65. कलना
66. मौनटेसवर
67. नतूनहाट
68. केदरा
69. कटवा
70. टैनहाट
71. बुदबुद
72. सागरअंगा
73. रूपनारायणपुर
74. दोमोहनी
75. रानीगंज
76. कुल्टी
77. आसनसोल
78. जमुरिया
79. आरामबाग
80. खानाकुल (1)
81. खानाकुल (2)
82. करमपुकुर
83. मसात
84. चांदीताला
85. जंगीपारा
86. चंदा
87. धानियाखाली
88. जिरात
89. पंडुवा
90. मोगरा
91. सिंगुर
92. हरिपाल

93. तारकेश्वर
94. झारग्राम
95. लालगढ़
96. गिरनी
97. भूपति नगर
98. रामनगर
99. एगरा
100. कोंटाई
101. मेचेदा
102. पंसकुरा
103. कोलाघाट
104. मोएना
105. नन्दकुमार
106. महिसादल
107. नन्दीग्राम
108. रियापारा
109. चांदीपुर
110. सुताहाटा
111. बालीचक
112. केशियारी
113. डंटोन
114. बेल्दा
115. सलबोनी
116. केशपुर
117. गोवलटोरे
118. सत्थेनकुरा
119. मेदनापुर
120. साबोंगा
121. खड़गपुर
122. खिरपाई
123. चंद्रकोना
124. धाताल
125. खाकुरदाह
126. मुराराई
127. पुंचा
128. रघुनाथपुर
129. चेल्यामा
130. बागमुडी
131. बंडोन
132. काशीपुर

133. जयपुर

134. श्याम

135. बागनम

136. उलूबेरिया

137. उदयनारायणपुर

138. अमता

139. डोमजूर

140. घोषपारा

141. अंडुल

142. कंडी

143. भरतपुर

144. सालर

145. नागर

146. सक्तिपुर

147. अमताला

148. मुर्शीदाबाद

149. नबाग्राम

150. लालगोला

151. इस्लामपुर

152. भागाबंगोला

153. सागरडिगी

154. फारक्का

155. अहीरन

156. औरंगाबाद

157. रघुनाथगंज

158. जंगीपुर

159. पुर्लिया

160. हंसखली

161. डाबाग्राम

162. बेथुआदाहरी

163. नबाद्वीप

164. छपरा

165. तेहट्टा

166. पलासीपारा

167. कृषनगर

168. धुबुलिया

169. हबरा

170. गुमा

171. बेराचंपा

172. रजारहट

173. बागदा
174. चांदपारा
175. बदुरिया
176. हरवा
177. हंसनाबाद
178. नजत
179. बसीरहट
180. खोलापोटा
181. नाटागर-सोदपुर
182. भंगर
183. अमलताला-1
184. अमलताला-2
185. बजबज
186. जॉयनगर
187. बेहाला चौरास्ता
188. गोसाबा
189. रूद्रनगर
190. उस्थी
191. काकद्वीप
192. कुलपी
193. दिनहाता
194. साहेबगंज
195. सितरई
196. तुफानगंजा
197. बक्सीरहट
198. चंगराबंधा
199. हल्दीवाणी
200. सीतलकुची
201. मधाशंगा
202. बिजनबारी
203. सुखियापोखरी
204. कालीमपोंग
205. अलगाराह
206. फांसीदेवा
207. कुरसेवंग
208. जलपाईगुड़ी
209. मोएनागुरी
210. धुपगुरी
211. राजगंज
212. चालसा

213. नगराकाटा

214. पालाकाटा

215. मदारीहट

216. अलीपुरद्वार

217. रतुआ

218. हरिश्चन्द्रपुर

219. चंचोली

220. मानिकचक

221. गजोले

222. पकुआहट

223. मंगलबारी

224. मलदा दाऊन

225. कालियाचक

226. मुथाबारी

227. रायगंज

228. कालियागंज

229. हेमताबाद

230. इताहर

231. हरीरामपुर

232. कुसमंडी

233. करनडिगही

234. चोपरा

235. गंगारामपुर

236. तपन

237. सलूरघाट

238. हिली

239. कोटासूर

240. किशीचिंदापुर

241. नकराकोंडा

242. पटेलनगर

243. अमरारगढ़

244. पहाड़हटी

245. श्रीरामपुर

246. शिंगरकुंड

247. इजातगंज

248. हीरापुर

249. विजयनगर

250. पुरसुरा

251. मागरा

252. बेलपाकरी

253. कलंलागढ़
254. बालीचई
255. धनेश्वरपुर
256. गरबेटा
257. रविन्द्रानगर
258. नीमताला
259. पाथरमशारा
260. भाटबंध
261. बौरगाबड़ी
262. खलोर
263. जादूबेंरिया
264. बेतई
265. बरगाछिया
266. सतीतारा
267. सरूलिया
268. जायरामपुर
269. चौनपुर
270. शादीखान
271. खोरीबोना
272. रतनपुर
273. हबीबपुर
274. नौकारी
275. सुएरेनापुर
276. कृष्णगंज
277. महेशवाथन
278. छोटोजागुलिया
279. रफीपुर
280. पाइकपारा
281. मंगलपारा
282. देऊलपारा
283. पियालीटाऊन
284. पानापुकुर
285. बोसेपुकुर
286. नीमपीठ
287. उट्टावाजीपुर
288. धलुआबारी

289. अथरारवई

290. कृषनगर

291. हलिमटोन

292. पखुरिया

293. मलातीपुर

294. पंडीवारी

295. इस्लामपुर

296. भुला

297. नाएकुरी

298. कमलपुर

ग्रामीण क्षेत्रों में एस.टी.डी. शुल्क

147. **प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्तमान में शहरी क्षेत्रों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों का एस.टी.डी. शुल्क कितना अधिक है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या देश में ग्रामीण पंचायतों से की जाने वाली सभी एस.टी.डी. कालों के शुल्क घटाने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक ले लिए जाने की संभावना है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) और (ख) जी, नहीं। एस.टी.डी. कॉलों के लिए वर्तमान पल्स दर ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिए एक समान है।

(ग) से (ङ) जी, नहीं।

महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड द्वारा खराब टेलीफोन यंत्रों की आपूर्ति

148. **श्री प्रभुनाथ सिंह** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड द्वारा अपने ग्राहकों को दिए जा रहे टेलीफोन यंत्र अधिक समय तक काम नहीं करते हैं और बी.पी.एल. माडल 5400 जैसे कुछ यंत्र कुछ माह में ही खराब हो जाते हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने स्थिति का कोई मूल्यांकन किया है और टेलीफोन यंत्रों पर किए जाने वाले अपव्यय को रोकने के लिए कोई कार्रवाई की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) पिछले तीन वर्षों के दौरान इस संबंध में कितनी शिकायतें प्राप्त हुईं और उन पर क्या कार्रवाई की गई;

(च) क्या इन टेलीफोनों के स्थान पर पहले से इस्तेमाल किए जा रहे टेलीफोन यंत्र लगा दिए जाते हैं, जो अधिक देर तक काम नहीं करते हैं; और

(छ) सरकार द्वारा नए यंत्रों के स्थान पर पहले से इस्तेमाल किए जा रहे टेलीफोन यंत्र प्रदान करने और इसके परिणामस्वरूप उपभोक्ताओं को होने वाली असुविधा को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) जी, नहीं। सामान्यतया महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड द्वारा अपने उपभोक्ताओं को प्रदान किए गए दूरभाष उपकरण कुछ महीनों में ही खराब नहीं होते हैं।

(ख) से (घ) उपर्युक्त (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) उक्त दूरभाषों के संबंध में, उनकी सप्लाई/वारंटी अवधि के कुछ माह के भीतर कोई शिकायतें प्राप्त नहीं हुई हैं।

(च) और (छ) उपर्युक्त (ग) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठते।

तलचेर संयंत्र के लिए भाप के जेनरेटरों की खरीद में हेराफेरी

149. श्री अधीर चौधरी : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को एन.टी.पी.सी. के तलचर संयंत्र हेतु भाप के जेनरेटरों की खरीद के लिए निविदा प्रक्रिया में हेराफेरी के बारे में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सबसे कम बोलीदाता होने के बावजूद बी.एच.ई.एल. को ठेका नहीं दिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो इस मामले में तथ्य और इसके क्या कारण हैं?

विद्युत मंत्री (श्री पी.आर. कुमारमंगलम): (क) से (घ) सरकार को अगस्त, 1999 में अध्यक्ष कम्बस्टन इंजीनियरिंग, यू.एस.ए.(सी.ई.) से एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ था। अभ्यावेदन में मै. भारत हेवी इलैक्ट्रीकल्स लिमिटेड (भेल) के साथ भाप जेनरेटर ठेके पर बातचीत करने संबंधी एन.टी.पी.सी. के निर्णय तथा सी.ई. की बोली की मध्यस्था संबंधी अपात्रता का आरोप लगाया गया है। तदुपरान्त 31.8.99 को उच्च न्यायालय कलकत्ता में ऐसीसी विकर्स बेबकॉक इंजीनियर्स यूनियन और अन्य द्वारा एक रिट याचिका दर्ज की गई थी जिसमें मै. भेल को ठेका प्रदान करने संबंधी एन.टी.पी.सी. के निर्णय को चुनौती दी गई है और न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश दिया गया है क्षेत्राधिकार के आधार पर कलकत्ता न्यायालय द्वारा दिनांक 11.10.99 को रिट याचिका खारिज कर दी गई है। बाद में ऐ.बी.बी. ए.बी.एल. जो कि सी.ई. की बोली में प्रस्तावित प्रतिनिधि है। ने दिनांक 26.10.1999 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दर्ज की थी। इस रिट याचिका को भी इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 3.11.99 को खारिज कर दी है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह कहा गया है कि न्यायालय यह नहीं समझता है कि एन.टी.पी. द्वारा मै. भेल को ठेका देने से संबंधित निर्णय प्रक्रिया में कोई त्रुटि की गई है।

बाद में एन.टी.पी.सी. द्वारा मै. भेल को ठेका प्रदान करने की अधिसूचना 4.11.99 को जारी कर दी गई थी जिसे कि उन्होंने स्वीकार कर लिया है।

राष्ट्रीय राजमार्ग

150. श्री अशोक ना. मोहोल :
श्री रामशेठ ठाकुर :
प्रो. रासा सिंह रावत :

क्या **जल भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में रेगिस्तानी, पहाड़ी और पिछड़े क्षेत्रों में परिवहन प्रणाली में सुधार लाने के लिए नए राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण करने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा बनाई गई योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या केन्द्र सरकार को नौवीं पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान राज्य मार्गों को राष्ट्रीय राजमार्गों के रूप में घोषित करने के बारे में विभिन्न राज्य सरकारों से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त अवधि के दौरान इस प्रयोजनार्थ आवंटित की गई धनराशि का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) केन्द्र सरकार की इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया है?

जल भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देवेन्द्र प्रधान): (क) से (घ) केन्द्र सरकार ने सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों से नए राष्ट्रीय राजमार्गों की घोषणा करने के लिए प्रस्ताव मांगे थे। केन्द्र सरकार ने देश की परिवहन आवश्यकताओं के आधार पर 9वीं योजना के दौरान 17,712 कि.मी. सड़कों को नए राष्ट्रीय राजमार्गों के रूप में घोषित किया है। राष्ट्रीय राजमार्गों (मूल) के लिए किए गए आबंटन के ब्यौरों का विवरण संलग्न है।

विवरण

9वीं योजना' अवधि के दौरान विभिन्न राज्यों में राष्ट्रीय राजमार्गों (मूल) के लिए आबंटित निधियों (लाख रु.) का विवरण

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	1997-98	1998-99	1999-2000
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	2949.83	4500.00	5000.00
2.	असम	1821.00	2600.00	3100.00
3.	बिहार	1900.00	3405.31	3400.00
4.	चंडीगढ़	30.00	82.00	100.00
5.	दिल्ली	800.00	1400.00	1200.00
6.	गोवा	900.00	1100.00	1400.00
7.	गुजरात	3675.00	5346.96	5000.00
8.	हरियाणा	1100.00	2613.50	4000.00
9.	हिमाचल प्रदेश	1700.00	2500.00	3000.00
10.	जम्मू तथा कश्मीर	150.00	100.00	135.00
11.	कर्नाटक	2900.00	3500.00	4500.00
12.	केरल	3600.00	6744.46	6500.00
13.	मध्य प्रदेश	1700.00	2200.00	3000.00

1	2	3	4	5
14.	महाराष्ट्र	2900.00	4811.63	4900.00
15.	मणिपुर	700.00	700.00	1000.00
16.	मेघालय	920.00	1000.00	1500.00
17.	मिजोरम	0.00	0.00	300.00
18.	नागालैंड	100.00	200.00	450.00
19.	उड़ीसा	2600.00	4000.00	4350.00
20.	पांडिचेरी	70.00	100.81	150.00
21.	पंजाब	1300.00	2500.65	2500.00
22.	राजस्थान	2550.00	3450.00	3800.00
23.	तमिलनाडु	2500.00	3624.75	5000.00
24.	त्रिपुरा	0.00	0.00	50.00
25.	उत्तर प्रदेश	4608.00	7078.14	6300.00
26.	पश्चिम बंगाल	5375.00	7150.94	6600.00
27.	जोगीगोपा पुल	1244.00	0.00	0.00
28.	मंत्रालय	0.17	3.86	506.00
29.	सी.सं.वि. बोर्ड	7031.00	8500.00	10300.00
	जोड़	55124.00	79213.01	88041.00

मुफ्त इंटरनेट सेवा

151. श्री मोइनुल हसन : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कलटीजरकॉम कलकत्ता के निवासियों को मुफ्त इंटरनेट सेवा उपलब्ध कराएंगी;

(ख) यदि हां, तो क्या शुरू में केवल 500 ग्राहकों को यह सेवा उपलब्ध करायी जाएगी;

(ग) इन ग्राहकों का चुनाव किस आधार पर किया जाएगा;

(घ) क्या इन्हीं शर्तों के आधार पर अन्य राज्यों में भी इस प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) मैसर्स पैट्रिऑट ऑटोमेशन प्रोजेक्ट्स प्रा. लि. को कलकत्ता जैसे सेवा क्षेत्र में इंटरनेट सेवाएं प्रदान करने का लाइसेंस जारी किया गया है। इंटरनेट सेवा प्रदाता (आई.एस.पी.) नीति के अनुसार, इंटरनेट सेवा प्रदाता अपने टैरिफ को निर्धारित करने के लिए स्वतंत्र हैं। तथापि, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण किसी भी समय समीक्षा कर सकता है तथा टेरिफ निर्धारित कर सकता है। यह कंपनी ब्रांड नाम कलटीजरकॉक के अंतर्गत कलकत्ता के निवासियों को मुफ्त इंटरनेट सेवा प्रदान कर रही है। इंटरनेट तक पहुंचने के लिए दूरसंचार विभाग के कॉल प्रभाग का भुगतान उपभोक्ता द्वारा दूरसंचार विभाग के नियमित टैरिफ के अनुसार किया जाता है।

(ख) कंपनी के अनुसार, ऐसी पेशकश तक उपभोक्ताओं की पहुंच को प्रारंभिक रूप से 500 तक सीमित कर दिया गया है।

(ग) कंपनी के अनुसार, उपभोक्ताओं को पहले आओ-पहले पाओ के आधार पर चुना जाता है।

(घ) और (ङ) कंपनी की सेवा क्षेत्र कलकत्ता में इंटरनेट सेवाएं प्रदान करने के लिए लाइसेंस दिया गया है।

[हिन्दी]

अनुसूचित जाति/जनजाति को रसोई गैस एजेंसियों का आबंटन

152. श्री रामदास आठवले : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान वर्ष-वार और राज्य-वार आवंटित रसोई गैस की नई एजेंसियों की संख्या कितनी है;

(ख) उनमें से कितनी रसोई गैस एजेंसियां अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों से संबंधित लोगों को राज्य-वार आबंटित की गई है;

(ग) इन एजेंसियों के आबंटन हेतु राज्य-वार कितने आवेदन पत्र लंबित हैं;

(घ) इन लंबित आवेदनों को स्वीकृत करने के लिए क्या उपाय किए जाने का प्रस्ताव है; और

(ङ) वर्ष 1999-2000 के दौरान महाराष्ट्र में स्थान-वार कितनी एजेंसियां आवंटित किए जाने का प्रस्ताव है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. पोन्नुस्वामी): (क) और (ख) विगत तीन वर्षों अर्थात् 1996-97, 1997-98 तथा 1998-99 के दौरान देश भर में 231 नई एल.पी.जी. डिस्ट्रीब्यूटरशिपें आवंटित की गई थी। उपरोक्त में से 67 एल.पी.जी. डिस्ट्रीब्यूटरशिपें अ.जा./अ.ज.जा. को आवंटित की गई है।

(ग) और (ङ) देश भर में 2585 एल.पी.जी. डिस्ट्रीब्यूटरशिपें आवंटन के लिए लंबित थीं, जिनमें से 277 महाराष्ट्र में हैं।

(घ) पेट्रोलियम उत्पादों के डीलरों/वितरकों का चयन करने के लिए देश भर में डीलर चयन बोर्ड गठित किए गए थे।

[अनुवाद]

डीजल और पेट्रोल क्षेत्रों में निजी भागीदारी

153. श्री नरेश पुगलिया : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने रसोई गैस क्षेत्र में निजी क्षेत्र को भागीदारी की अनुमति दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार डीजल और पेट्रोल क्षेत्र को भी निजी भागीदारी के लिए खोलने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(च) क्या किसी भारतीय या विदेशी कंपनी ने डीजल और पेट्रोल क्षेत्रों में उनकी भागीदारी के लिए कोई प्रस्ताव प्रस्तुत किया है;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ज) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. घोन्नुस्वामी): (क) और (ख) सरकार ने अप्रैल, 1993 से एल.पी.जी. क्षेत्र के अंतर्गत निजी क्षेत्र प्रतिभागिता को अनुमति दी थी और अब निजी पक्षकार अपनी निजी व्यवस्थाएं करके देश में एल.पी.जी. का आयात एवं वितरण करने के लिए स्वतंत्र है। इस संबंध में मंशा रखने वाले पक्षकारों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे अनुमोदित रेटिंग एजेंसियों से रेटिंग प्रमाण पत्र प्राप्त करें।

(ग) से (ज) कुछ बहुराष्ट्रीय तथा भारतीय कंपनियों ने देश में डीजल तथा पेट्रोल की बिक्री के अंतर्गत प्रतिभागिता करने की अपनी इच्छा व्यक्त की है। तथापि, सरकार के वर्तमान निर्णय के अनुसार, डीजल एवं पेट्रोल का विपणन मार्च, 2002 तक इंडियन आयल कार्पोरेशन, हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन, भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन तथा आई.बी.पी. के पास ही रहेगा।

[हिन्दी]

वरिष्ठ नागरिकों को प्राथमिकता के आधार पर टेलीफोन कनेक्शन

154. **डा. अशोक पटेल :**
श्री रामपाल सिंह :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों को प्राथमिकता के आधार पर टेलीफोन कनेक्शन प्रदान करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उस अंतिम निर्णय को कब तक क्रियान्वित किए जाने की संभावना है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) जी हां।

(ख) और (ग) 5 अक्तूबर 1999 को पहले ही अनुदेश जारी किए जा चुके हैं कि 65 वर्ष तथा उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिक, गैर-ओ.वाई.टी.-विशेष श्रेणी के अंतर्गत टेलीफोन कनेक्शन रजिस्टर करवा सकते हैं (प्रति विवरण के रूप में संलग्न है)

विवरण

विषय : वरिष्ठ नागरिकों को प्राथमिकता आधार पर टेलीफोन कनैक्शन उपलब्ध कराना।

कल्याण की भावना के प्रदर्शन के रूप में यह निर्णय लिया गया है कि 65 वर्ष तथा अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को अपने नाम से ''नॉन-ओ.वाई.टी. स्पेशल'' श्रेणी के अंतर्गत एक टेलीफोन कनेक्शन के लिए अपनी मांग दर्ज कराने का हक होगा। इस प्रकार उपलब्ध कराए गए टेलीफोन, सामान्य श्रेणी टेलीफोन के रूप में ग्राहक की मृत्यु के बाद केवल उसकी पत्नी/पति के नाम में अंतरित होंगे तथा इसके बाद होने वाले अंतरण, टेलीफोन अंतरण के मौजूदा नियमों से शासित होंगे।

कृपया उपर्युक्त स्कीम का व्यापक प्रचार किया जाए।

ह०/-
(एस.के. भारद्वाज)
सहायक महानिदेशक (पी.एच.ए.)

सभी महाप्रबंधक
दूरसंचार सर्किल/टेलीफोन जिला
अध्यक्ष तथा प्रबंध निदेशक, एमटीएनएल, नई दिल्ली
मुख्य महाप्रबंधक, एमटीएनएल, मुम्बई/नई दिल्ली

[अनुवाद]

वन्य भूमि पर अनधिकृत कब्जों को नियमित करना

155. **श्री अनंत गंगाराम गीते :**
श्री किरीट सोमैया :

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को विभिन्न संगठनों की ओर से वन्य भूमि पर आदिवासियों के अनधिकृत कब्जों को नियमित करने की मांग प्राप्त हुई है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी): (क) और (ख) वन भूमि के अतिक्रमण को नियमित करने के लिए अब तक आठ विभिन्न राज्य सरकारों से 15 प्रस्ताव प्राप्त हो चुके हैं जो कि वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अंतर्गत 25.10.1980 के पहले ही प्राप्त हो चुके हैं। इनमें से पांच प्रस्तावों का अनुमोदन किया जा चुका है, दो को सिद्धांत रूप में अनुमोदित किया गया है और एक प्रस्ताव को गुण-दोष के आधार पर रद्द कर दिया गया है। शेष सात प्रस्तावों पर कोई निर्णय नहीं लिया जा सका क्योंकि वे अधूरे थे और सम्बन्धित राज्य सरकारों ने वांछित सूचना अभी भेजना है।

[हिन्दी]

पुलों और राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण

156. **श्री राजो सिंह** : क्या **जल भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान विभिन्न राज्यों, विशेषत: बिहार में निर्मित पुलों और राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या कितनी है और नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान निर्मित किए जाने वाले पुलों और राष्ट्रीय राजमार्गों की राज्य-वार संख्या क्या है;

(ख) क्या अधिकांश पुलों और राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण कार्य निर्धारित समय से पीछे चल रहा है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस संबंध में क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं?

जल भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देवेन्द्र प्रधान): (क) 1992-97 (आठवीं पंचवर्षीय योजना) के दौरान किए गए पुल निर्माण कार्यों और राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण कार्यों की संख्या के राज्यवार ब्यौरे संलग्न हैं।

नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान किए जाने वाले पुल निर्माण कार्यों और राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण कार्यों की संख्या नीचे दी गई है:-

(1)	दो-लेन में चोड़ा करना	1194 कि.मी.
(2)	चार-लेन में चौड़ा करना	202 कि.मी.
(3)	कमजोर दो-लेन की सुदृढ़ करना	2908 कि.मी.
(4)	बाइपासों का निर्माण	20
(5)	बड़े पुलों का निर्माण	49 और
(6)	छोटे पुलों/पुलोपरि सड़क का निर्माण	226

(ख) और (ग) कुछ पुल निर्माण कार्य ठेके और कार्य स्थल संबंधी समस्याओं के कारण नियत समय से पीछे चल रहे हैं।

(घ) मंत्रालय में राष्ट्रीय राजमार्ग कार्यों की प्रगति की वर्षभर में तीन बार समीक्षा की जाती है और यदि कोई निवारक उपाय करने की आवश्यकता होती है तो उनके बारे में समीक्षा बैठकों में निर्णय लिया जाता है।

विवरण

क्र.सं.	राज्य का नाम	दो लेन में चौड़ा करना	सुदृढ़ीकरण (कि.मी.)	चार लेन में चौड़ा करना	बाइपास	बड़े पुल	छोटे पुल
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	80.30	230.12	17.76	–	1	15
2.	अरूणाचल प्रदेश	8.25	4.00	–	–	–	–
3.	असम	41.59	148.98	–	–	–	17
4.	बिहार	12.00	181.39	–	–	–	11
5.	चंडीगढ़	–	33.00	–	–	–	–
6.	दिल्ली	–	5.40	7.00	–	1	–
7.	गोवा	7.25	15.95	–	1	1	2
8.	गुजरात	36.20	221.30	100.65	2	5	9
9.	हरियाणा	–	200.65	0.50	3	2	–
10.	हिमाचल प्रदेश	109.65	46.81	–	–	1	11
11.	जम्मू तथा कश्मीर	–	–	–	–	–	–
12.	कर्नाटक	83.20	168.70	–	–	2	

1	2	3	4	5	6	7	8
13.	केरल	7.95	79.90	–	1	1	5
14.	मध्य प्रदेश	142.69	169.72	–	–	2	34
15.	महाराष्ट्र	13.00	264.96	6.54	–	6	43
16.	मणिपुर	34.10	33.42	–	–	–	–
17.	मेघालय	21.94	34.00	–	–	–	5
18.	नागालैंड	–	–	–	–	–	–
19.	उड़ीसा	164.00	171.00	–	1	–	23
20.	पांडिचेरी	–	9.00	–	–	–	2
21.	पंजाब	6.40	307.23	52.61	–	4	4
22.	राजस्थान	131.00	279.50	69.00	–	3	14
23.	तमिलनाडु	2.10	534.65	2.20	1	11	15
24.	उत्तर प्रदेश	16.08	593.68	21.00	–	3	11
25.	पश्चिम बंगाल	–	128.70	–	–	2	18
	जोड़	917.70	3862.06	277.26	9	45	249

[अनुवाद]

राजस्थान में डाक सुविधाएं

157. **कर्नल (सेवानिवृत्त) सोना राम चौधरी : क्या संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) ग्रामीण, शहरी, आदिवासी, रेगिस्तान और पिछड़े क्षेत्रों में डाकघर खोलने के मौजूदा मानदंड क्या हैं;

(ख) पश्चिम राजस्थान के रेगिस्तानी क्षेत्र के कुछ गांवों में निर्धारित मानदंडों को पूरा करने के बावजूद यह सुविधा उपलब्ध न होने के क्या कारण हैं;

(ग) उक्त क्षेत्रों में उन गांवों की जिला-वार संख्या कितनी है जहां मानदंड पूरे करने के बावजूद उक्त सुविधाएं प्रदान नहीं की गई हैं; और

(घ) चालू वित्त वर्ष के दौरान पश्चिमी राजस्थान में सरकार द्वारा डाक सुविधा उपलब्ध कराने के लिए क्या स्थान-वार कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) ग्रामीण, शहरी, जनजातीय, रेगिस्तानी तथा पिछड़े इलाकों में डाकघर खोलने के मौजूदा मानदंडों की प्रति संलग्न विवरण I में दी गई है।

(ख) डाकघर खोलना विभाग का एक योजना कार्यकलाप है। प्रत्येक वर्ष जनजातीय तथा अन्य इलाकों में डाकघर खोलने के लिए लक्ष्य आवंटित किए जाते हैं। इसमें रेगिस्तानी क्षेत्र भी शामिल हैं।

(ग) जिन गांवों में ये सुविधाएं अभी तक प्रदान नहीं की गई हैं, उनकी जिलावार संख्या विवरण II में दी गई हैं। ये केवल दूरी तथा जनसंख्या के 2 मानदंड ही पूरे करते हैं। आवंटित लक्ष्यों के आधार पर प्रत्येक वार्षिक योजना में निर्धारित लक्ष्यों के अनुसार लागत एवं आय की जांच की जाती है तथा मानदंडों के अनुसार औचित्य पाए जाने पर शाखा डाकघर खोले जाते हैं।

(घ) वार्षिक योजना 1999-2000 में पश्चिमी राजस्थान के लिए 11 अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर खोलने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। जिन स्थानों की पहचान की गई है, उनका ब्यौरा विवरण-II में दिया गया है। इन्हें औचित्यसम्मत होने पर खोला जाएगा।

विवरण-I

डाकघर खोलने के लिए मानदंड

1. नए शाखा डाकघर खोलने के लिए मानदंड

1.1 जनसंख्या

(क) सामान्य क्षेत्रों में:

गांवों के एक समूह की जनसंख्या 3000 (जिनमें वे गांव भी शामिल हैं, जहां डाकघर खोलने का प्रस्ताव है:

(ख) पहाड़ी, जनजातीय, रेगिस्तानी तथा दुर्गम क्षेत्रों में

एक अकेले गांव की जनसंख्या 500 या गांवों के एक समूह की जनसंख्या 1000

1.2 दूरी

(क) सामान्य क्षेत्रों में :

मौजूदा नजदीकी डाकघर से दूरी कम से कम 3 किलोमीटर होगी।

(ख) पहाड़ी, जनजातीय रेगिस्तानी तथा दुर्गम क्षेत्रों में:

दूरी की सीमा, पहाड़ी क्षेत्र को छोड़कर, वहीं होगी जिसका ऊपर उल्लेख किया गया है। निदेशालय द्वारा उन मामलों में दूरी की सीमा में छूट दी जा सकती है जहां विशेष परिस्थितियों के कारण ऐसी छूट अपेक्षित है। इन परिस्थितियों का प्रस्ताव भेजते समय स्पष्ट उल्लेख किया जाना चाहिए।

1.3 प्रत्याशित आय

(क) सामान्य क्षेत्रों में :

प्रत्याशित आय लागत का कम से कम 33-1/3 प्रतिशत होगी।

(ख) पहाड़ी, जनजातीय, रेगिस्तानी तथा दुर्गम क्षेत्रों में :

प्रत्याशित आय लागत का कम से कम 15 प्रतिशत होगी।

2. नए विभागीय उप डाकघर खोलने के लिए मानदंड

2.1 ग्रामीण क्षेत्रों में :

अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर का न्यूनतम कार्यभार पांच घंटे प्रतिदिन होना चाहिए। सामान्य ग्रामीण क्षेत्रों में अनुमेय वार्षिक घाटा 2400/- रु. से अधिक तथा जनजातीय और पहाड़ी क्षेत्र में 4800/- रु. से अधिक नहीं होना चाहिए।

2.2 शहरी क्षेत्रों में :

2.2.1. शहरी क्षेत्रों में आरम्भ में डाकघर आत्मनिर्भर होना चाहिए तथा आगे चालू रहने की पात्रता के लिए इसे प्रथम वार्षिक पुनरीक्षा के समय 5 प्रतिशत लाभ दर्शाना चाहिए।

2.2.2 20 लाख या इससे अधिक की जनसंख्या वाले नगरों में दो डाकघरों के बीच कम से कम 1.5 किलोमीटर की दूरी तथा अन्य शहरी क्षेत्रों में 2 किलोमीटर की दूरी होनी चाहिए। यदि वह वितरण डाकघर है, तो नजदीकी वितरण डाकघर से उनकी दूरी 5 कि.मी. से कम नहीं होनी चाहिए।

सर्किल अध्यक्षों को 10 प्रतिशत मामलों में दूरी की शर्त में छूट देने का अधिकार हैं।

2.2.3 शहरी क्षेत्रों के वितरण डाकघर में कम से कम 7 पोस्टमैन बीट्स होनी चाहिएं।

अतिरिक्त प्रधान डाकघर खोलने के मानदंड

(क) प्रत्येक जिले में एक प्रधान डाकघर होना चाहिए बशर्ते कि उससे कम से कम 20 उप डाकघर सम्बद्ध किए जा सकें। पिछड़े क्षेत्रों अथवा ऐसे स्थानों के मामले में जहां उप डाकघरों/शाखा डाकघरों की वित्तीय व्यवस्था में निश्चित सुधार हो, निदेशालय का अनुमोदन मिलने पर, जैसा इस समय है, एक न्यून स्तर अपनाया जा सकता है।

(ख) किसी मौजूदा प्रधान डाकघर से सम्बद्ध उप डाकघरों की संख्या 60 से अधिक होने पर उसका द्विभाजन किया जाता है। तथापि, यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इस परिवर्तन के परिणामस्वरूप, न तो नए और न ही पुराने प्रधान डाकघर से सम्बद्ध उप डाकघरों की संख्या 20 से कम न होने पाए।

विवरण-II

पश्चिमी राजस्थान में ऐसे गांवों की जिला-वार संख्या जहां मानदंड पूरे होने के बावजूद डाक सुविधा अभी तक प्रदान नहीं की गई है

योजना आयोग द्वारा जारी सातवीं पंचवर्षीय योजना दस्तावेज (1985-90-खंड-II) में रेगिस्तान विकास कार्यक्रम के अधीन शामिल जिलों की सूची इस प्रकार है:-

जैसलमेर	जोधपुर	नागौर
पाली	बाड़मेर	जालोर
बीकानेर	चुरू	झुंझुनू
सीकर	श्रीगंगानगर	

जिले का नाम	ऐसे गांवों की संख्या जो दूरी तथा जनसंख्या संबंधी मानदंड पूरे करते हैं किन्तु वहां डाकघर नहीं खोले गए हैं
जैसलमेर	26
जोधपुर	109
नागौर	143
पाली	शून्य
बाड़मेर	20
जालोर	49
बीकानेर	34
चुरू	49
झुंझुनू	18
सीकर	33
श्रीगंगानगर	79

राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का बी.ओ.टी. कार्यक्रम

158. श्री एस.डी.एन.आर. वाडियार : क्या **जल भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने बिल्ड, आपरेट और ट्रांसफर (बी.ओ.टी.) कार्यक्रम शुरू किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या प्रतिक्रियायें मिली हैं; और

(ग) इस दिशा में कितनी प्रगति हुई है?

जल भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देवेन्द्र प्रधान): (क) जी हां।

(ख) और (ग) चार परियोजनाओं अर्थात् दुर्ग बाइपास, नेल्लोर बाइपास, किशनगढ़ में सड़कोपरि पुल (आर.ओ.बी.) और मुरादाबाद बाइपास के लिए रियायत करारों पर हस्ताक्षर किए जा चुके हैं। इन परियोजनाओं की अनुमानित लागत 258 करोड़ रु. है।

ट्राई की शुल्क दर संबंधी सिफारिशें

159. श्री पवन कुमार बंसल : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ने हाल ही में दूरसंचार सेवा की शुल्क दर के संबंध में कुछ सिफारिशें की हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) हाल ही में, 17 सितम्बर 1999 को भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ने कॉलिंग पार्टी पेज (सी.पी.पी.) के संकल्प द्वारा सेलूलर सेवाओं के संबंध में टैरिफ अधिसूचित किया है जो 1 नवम्बर, 1999 से क्रियान्वित किया जाना था।

(ख) और (ग) उक्त प्रस्तावित टैरिफ जिसमें साधारण टेलीफोन से कॉल करने वाले को, सेल्यूलर उपभोक्ता को की गई कालों के संबंध में अतिरिक्त प्रभार देना अपेक्षित था, क्रियान्वित (लागू) नहीं किया जा सका, चूंकि मामला सार्वजनिक हित में मुकदमा दायर किया गया है तथा एक भौतिक सेवा प्रदाता द्वारा भी कानूनी मुद्दे उठाए गए हैं और मामला न्याय निर्णयाधीन है। मामला माननीय दिल्ली हाई कोर्ट के सम्मुख लम्बित है।

चुनाव आयोग का विस्तार

160. श्री दिनेश पटेल : क्या **विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या चुनाव आयोग के विस्तार का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो इसके मुख्य उद्देश्य क्या हैं;

(ग) क्या सरकार द्वारा इस संबंध में कोई भी निर्णय लेने से पूर्व सर्वदलीय बैठक आयोजित किये जाने का प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री (श्री राम जेठमलानी): (क) जी, नहीं।

(ख) से (ङ) प्रश्न ही नहीं उठते।

नए राष्ट्रीय राजमार्गों की घोषणा

161. श्री कोडीकुनील सुरेश : क्या **जल भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में वर्ष 1999-2000 के दौरान नए राष्ट्रीय राजमार्गों की घोषणा की है;

(ख) यदि हां, तो उक्त अवधि के दौरान राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किए गए उन मार्गों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार ने पिछले दो वर्षों की तुलना में राष्ट्रीय राजमार्गों के रख-रखाव और निर्माण हेतु अधिक धनराशि आबंटित की है?

जल भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देवेन्द्र प्रधान): (क) जी हां।

(ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) जी हां। राष्ट्रीय राजमार्गों के अनुरक्षण के लिए आबंटन पिछले वर्ष के मुकाबले में बढ़ा दिया गया है। इसके ब्यौरे इस प्रकार हैं:-

(करोड़ रु.)

वर्ष	रा.रा.(ओ.) के लिए आबंटन	अनुरक्षण एवं मरम्मत के लिए आबंटन
1998-99	792.13	549.80
1999-2000 (नवम्बर, 99 तक)	772.41	703.00

विवरण

क्र सं.	रा.रा. संख्या	मार्ग	राज्य	कुल लम्बाई
1	2	3	4	5
1.	152	पताचीकुटी-भूटान सीमा	असम-40 कि.मी.	40 कि.मी.
2.	214	कट्टीपुडी-काकीनाडा-पमारू	आंध्र प्रदेश-270 कि.मी.	270 कि.मी.
3.	83	पटना-पुनपुन-गया-दोभी	बिहार-130 कि.मी.	130 कि.मी.
4.	85	छपरा-सीवान-गोपालगंज	बिहार-95 कि.मी.	95 कि.मी.
5.	82	गया-राजगीर-बिहार शरीफ-मोकामा	बिहार-130 कि.मी.	130 कि.मी.
6.	84	आरा-बक्सर	बिहार-60 कि.मी.	60 कि.मी.
7.	81	कोरा-कटिहार-माल्दा सड़क	बिहार-45 कि.मी. पश्चिम बंगाल-55 कि.मी.	100 कि.मी.
8.	88	शिमला-बिलासपुर-हमीरपुर-नदौन-रानीताल-कांगड़ा-भवन (रा.रा. सं. 20 पर)	हिमाचल प्रदेश-115 कि.मी.	115 कि.मी.
9.	212	कोझीकोड-मैसूर-कोलागल	कर्नाटक-160 कि.मी. केरल-90 कि.मी.	250 कि.मी.

1	2	3	4	5
10.	213	पालघाट-कालीकट	केरल	130 कि.मी.
11.	86	कानपुर-सागर	मध्य प्रदेश-180 कि.मी. उत्तर प्रदेश-180 कि.मी.	360 कि.मी.
12.	215	पानीकोली-राजमुंडा	उड़ीसा-348 कि.मी.	348 कि.मी.
13.	89	अजमेर-बीकानेर	राजस्थान-300 कि.मी.	300 कि.मी.
14.	87	रामपुर-बिलासपुर-पटनागढ़-हल्द्वानी-नैनीताल	उत्तर प्रदेश-83 कि.मी.	83 कि.मी.
15.	151	करीमगंज-सूत्रकांडी	असम-14 कि.मी.	14 कि.मी.
		जोड़		2425 कि.मी.

[हिन्दी]

डाक कर्मचारियों की कमी और तलवार समिति की सिफारिशें

162. **प्रो. रासा सिंह रावत :**
श्री वी.एम. सुधीरन :

क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) तलवार समिति की सिफारिशों का ब्यौरा क्या है;

(ख) इसे कब तक लागू किए जाने की संभावना है;

(ग) क्या सरकार ने पूरे देश में विभिन्न श्रेणियों के डाक कर्मचारियों की कमी के संबंध में कोई सर्वेक्षण कराया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) देश के डाक विभाग में अधिकारी संवर्ग के पदों में वृद्धि के अनुपात में निम्न श्रेणी के पदों में कम वृद्धि के क्या कारण हैं; और

(च) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) और (ख) न्यायमूर्ति तलवार समिति की सिफारिशों के कार्यान्वयन से संबंधित सभी लंबित मांगों के पूर्णत: और अंतिम रूप से निपटान के तौर पर सरकार ने अपने दिनांक 17.12.98 के आदेश द्वारा अतिरिक्त विभागीय एजेंटों को एक लाभ पैकेज दिया है। समिति की सिफारिशों का सार संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) से (च) विभाग द्वारा कर्मचारियों की आवश्यकता के आकलन के लिए यूनिट-वार स्थापना पुनरीक्षा की एक प्रणाली अपनाई जाती है, जो एक अनवरत प्रक्रिया है। निर्धारित मानदंडों और मानकों के आधार पर औचित्यपूर्ण पाए जाने वाले पद वित्त मंत्रालय के अनुमोदन से तथा उनके द्वारा समय-समय पर जारी अनुदेशों के परिप्रेक्ष्य में सृजित किए जाते हैं। कर्मचारियों की स्वीकृत संख्या 1.4.99 की स्थिति के अनुसार, निम्नानुसार है:

समूह क	समूह ख	समूह ग	समूह घ	अतिरिक्त विभागीय कर्मचारी
785	1884	234119	56284	309915

विवरण

अतिरिक्त विभागीय डाक प्रणाली के बारे में न्यायमूर्ति तलवार समिति की सिफारिशों का सार

वेतनमान

अतिरिक्त विभागीय शाखा पोस्टमास्टरों/अतिरिक्त विभागीय उप-पोस्टमास्टरों के अलावा अतिरिक्त विभागीय एजेंटों की सभी श्रेणियों के लिए न्यूनतम 3 घंटे 45 मिनट से लेकर 7.5 घंटे तक के लिए वेतनमानों की सिफारिश की गई है। अतिरिक्त विभागीय शाखा पोस्टमास्टरों और अतिरिक्त विभागीय उप-पोस्टमास्टरों के मामले में निर्धारित किया गया न्यूनतम वेतनमान क्रमश: 3 और 5 घंटे के लिए है। आधे घंटे या अधिक के कार्यभार के लिए एकमुश्त वेतन तय किया गया है। एकमुश्त वेतन को सभी प्रयोजनों के लिए "वेतन" माना जाएगा। जिन वेतनमानों की सिपारिश की गई है वे अनुबंध-1 में दिए गए हैं। संयुक्त ड्यूटी वेतनमान की डाक का वितरण तथा ढुलाई कार्य कर रहे शाखा पोस्टमास्टरों/अतिरिक्त विभागीय उप-पोस्टमास्टरों और डाक की ढुलाई करने वाले अतिरिक्त विभागीय वितरण एजेंटों के लिए भी सिफारिश की गई है।

निश्चित कैरियर प्रगति

चूंकि समिति ने यह सिफारिश की है कि अतिरिक्त विभागीय एजेंटों को अतिरिक्त विभागीय प्रणाली के भीतर ही कैरियर को आगे बढ़ाने की संभावनायें तलाशनी चाहिएं, अत: समिति ने अतिरिक्त विभागीय एजेंटों की सभी श्रेणियों के लिए फाइनेन्सियल अपग्रेडेशन की भी सिफारिश की है।

सेवा काल को महत्व

समिति ने यह सिफारिश की है कि अतिरिक्त विभागीय एजेंटों की विभिन्न सेवा अवधियों के लिए प्रस्तावित वेतनमानों में निम्नलिखित वेतनवृद्धियां दी जानी चाहिएं:

1 से 5 वर्ष	–	शून्य
6 से 10 वर्ष	–	1 वेतनवृद्धि
11 से 15 वर्ष	–	2 वेतनवृद्धियां
16 से 20 वर्ष	–	3 वेतनवृद्धियां
21 से 25 वर्ष	–	4 वेतनवृद्धियां

विखंडित ड्यूटी

समिति ने सिफारिश की है कि अतिरिक्त विभागीय कर्मचारियों की एक ड्यूटी से दूसरी ड्यूटी के बीच का अंतर एक घंटे से अधिक होने की स्थिति में उन्हें 100 रुपए विखंडित ड्यूटी भत्ता दिया जाए।

अतिरिक्त विभागीय एजेंटों की ड्यूटी समय के बाद अथवा 5 घंटे से अधिक रोकने की स्थिति में प्रतिपूर्ति:

(1) अतिरिक्त विभागीय एजेंटों को 5 घंटे से अधिक समय तक रोकने के लिए प्रतिपूर्ति।

समिति ने सिफारिश की है कि यदि अतिरिक्त विभागीय एजेंटों को 5 घंटे से अधिक अवधि तक ड्यूटी पर लगाया जाता है, तो उसकी उन्हें विधिवत रूप से प्रतिपूर्ति की जानी चाहिए और उसका भुगतान किया जाना चाहिए बशर्ते यह 7.5 घंटे से अधिक न हो।

(2) बाहरी एजेंसियों से डाक के विनिमय हेतु अतिरिक्त विभागीय एजेंटों को ड्यूटी के समय के बाद रोकने के लिए प्रतिपूर्ति।

समिति ने सिफारिश की है कि ड्यूटी समय के बाद उन्हें रोकने पर मिलने वाली प्रतिपूर्ति राशि में वृद्धि की जानी चाहिए।

समिति ने यह भी सिफारिश की है कि पूर्णकालिक कर्मचारियों की भांति अतिरिक्त विभागीय एजेंटों को जब कभी उनके कार्य के समय के बाद ड्यूटी पर लगाया जाए और अवकाश/साप्ताहिक अवकाश वाले दिनों में ड्यूटी पर बुलाया जाए तो इसके लिए इन्हें उपयुक्त प्रतिपूर्ति की जानी चाहिए।

अन्य भत्ते

समिति ने सिफारिश की है कि ए, बी-1, बी-2, सी श्रेणी के शहरों में और अवर्गीकृत स्थानों पर कार्यरत अतिरिक्त विभागीय कर्मचारियों को उन्हीं शर्तों पर और उसी भांति मकान किराए भत्ते और नगर प्रतिपूर्ति भत्ते प्रदान किए जाने चाहिएं, जो पूर्णकालिक कर्मचारियों पर लागू होती हैं।

प्रतिपूर्ति भत्ते

समिति ने सिफारिश की है कि अतिरिक्त विभागीय एजेंटों को उन्हीं शर्तों पर विभिन्न प्रकार के प्रतिपूर्ति भत्ते प्रदान किए जाने चाहिएं जो पूर्णकालिक कर्मचारियों पर लागू होती हैं।

यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता

समिति ने सिफारिश की है कि अतिरिक्त विभागीय एजेंटों को यात्रा भत्ते और दैनिक भत्ते का भुगतान इन्हीं सिद्धांतों के आधार पर किया जाना चाहिए जो पूर्णकालिक सरकारी कर्मचारियों पर लागू होते हैं बशर्ते कि यह समूह "घ" कर्मचारी के लिए न्यूनतम स्वीकार्य यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते जितना हो। समिति ने आगे सिफारिश की है कि स्थानांतरण होने पर अतिरिक्त विभागीय एजेंटों को वे सभी स्थानांतरण लाभ प्रदान किए जाने चाहिएं जो नियमित विभागीय कर्मचारियों के लिए निर्धारित किए गए हों।

चिकित्सा सुविधाएं

इन्फ्रास्ट्रक्चर की सीमाबद्धताओं को मद्देनजर रखते हुए समिति ने सिफारिश की है कि ग्रामीण क्षेत्रों में अतिरिक्त विभागीय एजेंटों को चिकित्सा भत्ते के बतौर उचित रूप से निर्धारित एकमुश्त रकम प्रतिमाह प्रदान की जानी चाहिए। तथापि, अंतरंग चिकित्सा अर्थात् अस्पताल में भर्ती होकर इलाज करवाने के मामले में अतिरिक्त विभागीय एजेंटों और उनके परिवार के सदस्यों को पूर्ण लाभ प्रदान किए जाएं। शहरी और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में कार्यरत अतिरिक्त विभागीय एजेंटों को वही चिकित्सा सुविधाएं प्रदान की जाएं, जो पूर्णकालिक विभागीय कर्मचारियों को प्रदान की जाती हैं।

बोनस

समिति ने सिफारिश की है कि अतिरिक्त विभागीय कर्मचारियों को पूर्णकालिक विभागीय कर्मचारियों के समान समझा जाना चाहिए और तदनुसार उन्हें बोनस का भुगतान किया जाना चाहिए।

मृतक अतिरिक्त विभागीय एजेंटों के आश्रितों को वित्तीय सहायता

समिति ने सिफारिश की है कि अतिरिक्त विभागीय एजेंटों के आश्रितों को वही वित्तीय राहत और सहायता की राशि प्रदान की जानी चाहिए जो पूर्णकालिक विभागीय कर्मचारियों के मामले में स्वीकार्य होती है।

सामाजिक सुरक्षा

समिति ने सिफारिश की है कि अतिरिक्त विभागीय एजेंटों को पेंशन, उपदान तथा सामान्य भविष्य निधि प्रदान की जानी चाहिए। न्यूनतम पेंशन 620/- रु. प्रतिमाह निर्धारित की गई है।

पेंशन संबंधी अन्य मामले

समिति ने पेंशन संबंधी अन्य सभी मामलों में सिफारिशें की हैं।

स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति

(1) पांचवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर समिति ने अतिरिक्त विभागीय एजेंटों के लिए उसी तरह "गोल्डन हैंडशेक स्कीम" की सिफारिश की है जो कि पूर्णकालिक कर्मचारियों के लिए लागू है।

(2) समिति ने यह भी सिफारिश की है कि ऐसे अतिरिक्त विभागीय एजेंटों, जिन्होंने 3 वर्ष से कम सेवा की है, की सेवाओं को एक निश्चित एकमुश्त रकम, जो सेवा के प्रति वर्ष के लिए संस्तुत ग्रेडों में 6 माह के वून और भत्तों से कम नहीं होनी चाहिए, देकर समाप्त किया जा सकता है।

(3) यह भी सिफारिश की गई है कि उन सभी अतिरिक्त विभागीय एजेंटों को, जिनकी आयु 60 वर्ष से अधिक है, इस शर्त के अधीन सेवानिवृत्त कर दिया जाए कि उन्हें इस समिति द्वारा यथासंस्तुत सभी पेंशन लाभों का भुगतान किया जाएगा।

भर्ती की पद्धति और आचरण नियमावली

शैक्षिक योग्यताएं

यह सिफारिश की गई है कि अतिरिक्त विभागीय सब पोस्टमास्टर और अतिरिक्त विभागीय शाखा पोस्टमास्टर की न्यूनतम शैक्षिक योग्यताएं 10+2 के स्तर तक बढ़ा दी जानी चाहिएं। अतिरिक्त विभागीय वितरण एजेंट और ई.डी.एस.वी. की शैक्षिक योग्यताएं मैट्रिक तक बढ़ा दी जाएं। उच्च शैक्षिक योग्यताओं के लिए कोई वरीयता नहीं दी जानी चाहिए।

भर्ती की पद्धति

यह सिफारिश की गई है कि एक अतिरिक्त विभागीय एजेंट के बतौर भर्ती के मामले में केवल उन्हीं उम्मीदवारों को अवसर नहीं दिया जाना चाहिए जिनके नाम रोजगार कार्यालय द्वारा भेजे जाते हैं बल्कि अन्य माध्यमों से भी यह अवसर उपलब्ध कराया जाना चाहिए।

सेवा निवृत्ति की आयु

यह सिफारिश की गई है कि सेवानिवृत्ति की अधिकतम आयु 65 वर्ष से घटाकर 60 वर्ष कर दी जाए।

नियुक्ति के समय आयु

यह सिफारिश की गई है कि अतिरिक्त विभागीय प्रणाली में भर्ती की अधिकतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों के उम्मीदवारों तथा भूतपूर्व सैनिकों को 5 वर्ष तक की प्रचालित सामान्य छूट दी जाए।

सम्पत्ति के स्वामित्व की शर्त

यह सिफारिश की गई है कि अचल सम्पत्ति के स्वामित्व की शर्त को हटा देना चाहिए तथा इसके बजाए शाखा पोस्टमास्टर के लिए निष्ठाबांड की राशि बढ़ाकर 10,000/- रु. तथा अतिरिक्त विभागीय एजेंटों की अन्य श्रेणियों के लिए 5,000/- रु. कर दी जाए।

डाकघर किराया भत्ता

समिति ने सिफारिश की है कि अतिरिक्त विभागीय शाखा पोस्टमास्टर/अतिरिक्त विभागीय सब पोस्टमास्टर के लिए डाकघर हेतु स्थान उपलब्ध कराने की जो अनिवार्यता है, बेहतर होगा कि वह स्थान व्यावसायिक क्षेत्र में हो, वह जारी रहनी चाहिए। यदि उक्त परिसर व्यावसायिक क्षेत्र में न हो, तो यह सुनिश्चित करना चाहिए कि यह स्थल पूर्णतया डाकघर के प्रयोजन के लिए ही नियत हो और वहां जाने के लिए अलग रास्ता हो ताकि लोगों को आवासीय क्वार्टर से होकर न गुजरना पड़े। समिति ने 25/- रु. के रख-रखाव भत्ते की बजाए ग्रामीण क्षेत्रों में 100/- रु. प्रतिमाह डाकघर किराए भत्ते की सिफारिश की है। तथापि, शहरी क्षेत्रों में यह भत्ता 200/- रु. होना चाहिए।

योग्यता के आधार पर चयन

समिति ने यह सिफारिश की है कि कुछ श्रेणियों के लिए सरकार द्वारा समय-समय पर यथा निर्धारित आरक्षण कोटा के अध्यधीन, अतिरिक्त विभागीय एजेंटों का चयन पूर्णत: योग्यता के आधार पर होना चाहिए।

भर्ती प्राधिकारी

समिति ने यह सिफारिश की है कि सभी श्रेणियों के अतिरिक्त विभागीय एजेंटों के भर्ती प्राधिकारी डिवीजनल अधीक्षक होने चाहिएं।

छुट्टी

समिति ने अतिरिक्त विभागीय एजेंटों के लिए निम्नलिखित किस्म की छुट्टियों की सिफारिश की है:

(1) अर्जित छुट्टी : सेवा के प्रत्येक पूर्ण कैलेण्डर मास के लिए 1 दिन की अर्जित छुट्टी।

(2) अर्द्ध-वेतन अवकाश : एक वर्ष में 8 दिन का अर्द्ध-वेतन अवकाश।

(3) परिवर्तित अवकाश : चिकित्सा प्रमाण-पत्र के साथ अर्द्ध-वेतन अवकाश की आधी राशि देय होगी।

(4) बिना वेतन छुट्टी : एक बार में 180 दिन की छुट्टी को कम करके एक वर्ष में 60 दिन कर दिया गया है।

(5) आकस्मिक अवकाश : वर्ष में 5 दिन का आकस्मिक अवकाश।

(6) प्रसूति अवकाश : यह सिफारिश की गई है कि महिला अतिरिक्त विभागीय एजेंटों को उतना ही प्रसूति अवकाश स्वीकृत किया जाए जितना कि केन्द्रीय सिविल सेवा (छुट्टी) नियम, 1972 के अनुसार भारत सरकार की पूर्णकालिक महिला कर्मचारियों को दिया जाता है।

छुट्टी के बदले नकद भुगतान

समिति ने यह सिफारिश की है कि अतिरिक्त विभागीय एजेंटों पर भी वही सिद्धांत लागू किए जाएं जो पूर्णकालिक विभागीय कर्मचारियों पर लागू होते हैं।

पुट-ऑफ ड्यूटी

समिति ने सिफारिश की है कि पुट-ऑफ ड्यूटी भत्ते को 25 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत कर दिया जाए।

समिति ने सिफारिश की है कि अतिरिक्त विभागीय नियमावली 1964 को सांविधिक बनाना चाहिए।

जनता को प्रदान की जाने वाली सुविधाएं

समिति ने यह सिफारिश की है कि शाखा पोस्टमास्टर की बचत बैंक में से 500/- रु. निकालने की सीमा बढ़ाकर

1000/- रु. कर दिया जाए। 1000/- रु. की इस सीमा को क्षेत्रीय पोस्टमास्टर जनरल/मुख्य पोस्टमास्टर जनरल द्वारा पुनः बढ़ाकर 2000/- रु. किया जा सकता है।

पुनर्गठन

समिति ने यह सिफारिश की है कि अतिरिक्त विभागीय एजेंटों के और पद सृजित नहीं किए जाने चाहिएं तथा कम से कम आगामी 10 वर्षों के लिए अतिरिक्त विभागीय श्रेणी के अंतर्गत कोई डाकघर नहीं खोलना चाहिए।

यह सिफारिश की गई कि पदों को भरने का कार्य पूर्णतया बन्द कर देना चाहिए। सभी रिक्त पदों को समाप्त कर देना चाहिए तथा ड्यूटी को संयोजित करके कार्य को निपटाया जाना चाहिए। प्रचालनात्मक अपेक्षाओं तथा सेवा की आवश्यकता की स्थिति में पद को पुनः तैनाती द्वारा भरा जा सकता है।

यह संभव है कि अतिरिक्त विभागीय प्रणाली का पुनर्गठन करने में अतिरिक्त विभागीय एजेंटों का स्थानांतरण करना पड़े। समिति ने यह सिफारिश की है कि अतिरिक्त विभागीय एजेंटों को लेखा कार्यालय के अधिकार क्षेत्र में अथवा ज्यादा से ज्यादा उप डिवीजन के भीतर स्थानांतरित किया जा सकता है।

निष्कर्षात्मक टिप्पणियां

1.1.1996 की स्थिति के अनुसार वित्तीय विवक्षाएं

निश्चित भत्ते की वर्तमान प्रणाली में अतिरिक्त विभागीय एजेंटों को दिए जा रहे भत्तों का निवल वार्षिक व्यय 394.58 करोड़ रु. है। पांचवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर निश्चित भत्तों की राशि बढ़कर 475.63/- करोड़ रु. हो जाएगी। पांचवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर वेतनमान देने पर वार्षिक व्यय 578.54/- करोड़ रु. होगा। अतः वेतन और भत्ते की वजह से वार्षिक व्यय में 183.96 करोड़ रुपए की वृद्धि होगी। पेंशन संबंधी लाभ, छुट्टी व्यय, वर्दी, विखंडित ड्यूटी भत्ता, मकान किराया भत्ता, नगर प्रतिपूर्ति भत्ते तथा कार्यालय किराया भत्ते के कारण प्रतिवर्ष 72.33 करोड़ की अतिरिक्त देयता होगी। वेतन तथा अन्य प्रकार के लाभों की वजह से व्यय में 256.29 करोड़ रुपए की निवल बढ़ोत्तरी होगी। तथापि, चिकित्सा सुविधाओं, एल.टी.सी., बोनस, स्थानांतरण तथा अन्य प्रतिपूर्ति भत्तों के कारण व्यय में हुई बढ़ोत्तरी को हिसाब में नहीं लिया गया है।

अनुबंध-I

वेतनमान

1. अतिरिक्त विभागीय मेल वाहक/अतिरिक्त विभागीय पैकर/अतिरिक्त विभागीय रनर, अतिरिक्त विभागीय संदेशवाहक तथा समूह "ग" के समान काम करने वाले अतिरिक्त विभागीय एजेंटों की अन्य सभी श्रेणियों का वेतनमान।

(1) 1220-20-1600 रु.	3 घंटा 45 मिनट	19 वर्ष
(2) 1545-25-2020 रु.	4 घंटा 45 मिनट	
(3) 1870-30-2440 रु.	5 घंटा 45 मिनट	
(4) 2195-35-2860 रु.	6 घंटा 45 मिनट	
(5) 2440-40-3200 रु.	7.5 घंटा	

आधे घंटे या उससे अधिक के अतिरिक्त कार्यभार के लिए 162/- रुपयों का एकमुश्त वेतन दिया जाए।

2. ई.डी.डी.ए./ई.डी.एस.पी. का वेतनमान

(1) 1375-25-2125 रु.	3 घंटा 45 मिनट	30 वर्ष
(2) 1740-30-2640 रु.	4 घंटा 45 मिनट	
(3) 2105-35-3155 रु.	5 घंटा 45 मिनट	
(4) 2470-40-3670 रु.	6 घंटा 45 मिनट	
(5) 2750-50-4250 रु.	7.5 घंटा	

आधे घंटे या उससे अधिक के अतिरिक्त कार्यभार के लिए 183/- रुपयों का एकमुश्त वेतन दिया जाए।

2. ई.डी.बी.पी.एम. का वेतनमान

(1) 1280-35-1980 रु.	3 घंटा	20 वर्ष
(2) 1600-40-2400 रु.	3 घंटा 45 मिनट	
(3) 2025-50-3025 रु.	4 घंटा 45 मिनट	
(4) 2450-60-3650 रु.	5 घंटा 45 मिनट	
(5) 2875-70-4275 रु.	6 घंटा 45 मिनट	
(6) 3200-80-4800 रु.	7.5 घंटा	

सभी शाखा पोस्टमास्टरों के लिए तीन घंटों की उपस्थिति के लिए न्यूनतम वेतनमान है। लेकिन, जिन शाखा पोस्टमास्टरों का कार्यभार 3 घंटों के अतिरिक्त है, वे लोग 3 घंटे 45 मिनटों के उच्चतर वेतनमान को प्राप्त करने के पात्र होंगे। आधे घंटे या उससे अधिक के अतिरिक्त कार्यभार के लिए 212/- रुपये का एकमुश्त वेतन दिया जाए। इस एकमुश्त वेतन को तब भी दिया जाए जब कि कार्यभार 3 घंटों से 3.5 घंटों तक बढ़ जाए।

4. अतिरिक्त विभागीय उप-पोस्टमास्टर का वेतनमान

(1)	2125-50-3125 रु.	5 घंटा 20 वर्ष
(2)	2550-60-3750 रु.	6 घंटा
(3)	2975-75-4475 रु.	7 घंटा
(4)	3200-85-4900 रु.	7.5 घंटा

आधे घंटे या उससे अधिक के अतिरिक्त कार्यभार के लिए 212/- रुपयों का एकमुश्त वेतन दिया जाये।

संयुक्त ड्यूटियां

5. ई.डी.बी.पी.एम.-सह-ई.डी.डी.ए.-सह-ई.डी.एम.सी.

वितरण कार्य या डाक की ढुलाई का कार्य करने वाले शाखा पोस्टमास्टरों को वितरण भत्ता देने के बजाय, अलग वेतनमान देना आवश्यक है। प्रस्तावित वेतनमान हैं:-

		प्रति आधे घंटे पर एकमुश्त वेतन
(1)	1550-35-2145 रु.	3 घंटा 45 मिनट (17 वर्ष) 206/- रु.
(2)	1920-45-2685 रु.	4 घंटा 45 मिनट 202/- रु.
(3)	2285-55-3220 रु.	5 घंटा 45 मिनट 198/- रु.
(4)	2650-65-3755 रु.	6 घंटा 45 मिनट 196/- रु.
(5)	2925-75-4200 रु.	7.5 घंटे 195/- रु.

6. ई.डी.डी.ए.-सह-ई.डी.एम.सी.

(1)	1300-20-1860 रु.	3 घंटा 45 मिनट 28 वर्ष
(2)	1645-25-2345 रु.	4 घंटा 45 मिनट
(3)	1990-30-2830 रु.	5 घंटा 45 मिनट
(4)	2335-35-3315 रु.	6 घंटा 45 मिनट
(5)	2600-40-3720 रु.	7.5 घंटा

आधे घंटे या उससे अधिक के कार्यभार के लिए, 173/- रुपयों का एकमुश्त वेतन दिया जाए।

[अनुवाद]

डीजल की कीमतों में वृद्धि

163. श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक:
श्री सुशील कुमार शिंदे :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में डीजल की कीमतों में वृद्धि की गई है;

(ख) यदि हां, तो कितनी और विभिन्न राज्यों में प्रभावी वृद्धि कितनी हुई है;

(ग) इससे यात्रियों और माल यातायात की लागत में कितनी वृद्धि हुई;

(घ) उपभोक्ताओं, विशेषकर किसानों और अन्य कमजोर वर्गों तथा दैनिक यात्रियों की परेशानियों को कम करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये हैं; और

(ङ) इस कीमत वृद्धि से देश की अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. पोन्नुस्वामी): (क) और (ख) 6 अक्तूबर, 1999 से डीजल का भंडारण स्थल पर मूल्य 6882.15 रुपये प्रति किलो लीटर से बढ़ाकर 9634.60 रुपये प्रति किलो लीटर कर दिया

गया है। खुदरा बिक्री मूल्यों में निवल वृद्धि भाड़ों, स्थानीय करों और अन्य उद्ग्रहणों के आधार पर राज्य दर राज्य भिन्न-भिन्न होती है। विभिन्न राज्यों में प्रभावी वृद्धि दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ग) से (ङ) मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के उपबंधों के अंतर्गत राज्य सरकारों को किराए-भाड़े निर्धारित करने के अधिकार सौंपे गए हैं। इसके अलावा सड़क द्वारा माल का परिवहन मुख्यतया निजी क्षेत्र में होता है जहां परिवहन की लागत बाजार निर्धारित करता है। डीजल का मूल्य आयात समता आधार पर निर्धारित किया जाता है। डीजल के अंतर्राष्ट्रीय मूल्य में उतार/चढ़ाव का प्रभाव तदनुसार उपभोक्ता पर ही पड़ता है। सितंबर, 1997 से डीजल के मूल्यों में दस बार संशोधन किया गया जिनमें छह बार मूल्य कम किए गए।

विवरण

विभिन्न राज्यों में एच.एस.डी. का खुदरा बिक्री मूल्य

		5.10.99 को (रुपये प्रतिलीटर)	6.10.99 को (रुपये प्रतिलीटर)	वृद्धि (रुपये प्रतिलीटर)
		1	2	3
आंध्र प्रदेश	सिकन्दराबाद	15.57	11.72	3.85
अरूणाचल प्रदेश	ईटानगर	12.45	9.25	3.20
असम	गुवाहाटी	14.59	10.81	3.78
बिहार	पटना	14.64	10.89	3.75
चंडीगढ़	चंडीगढ़	13.86	10.23	3.63
दिल्ली	दिल्ली	13.91	10.35	3.56
गोवा	पणजी	15.42	11.40	4.02
गुजरात	अहमदाबाद	15.50	11.48	4.02
हिमाचल प्रदेश	शिमला	13.73	10.18	3.55
जम्मू और कश्मीर	श्रीनगर	15.08	11.30	3.78

		1	2	3
कर्नाटक	बंगलौर	16.16	12.05	4.11
केरल	त्रिवेन्द्रम	16.09	11.94	4.15
मध्य प्रदेश	भोपाल	15.88	11.90	3.98
महाराष्ट्र	मुंबई	16.54	12.23	4.31
मेघालय	शिलांग	13.45	9.99	3.46
मणिपुर	इम्फाल	13.31	9.88	3.43
मिजोरम	एजवाल	13.06	9.70	3.36
नागालैंड	कोहिमा	14.41	10.70	3.71
उड़ीसा	भुवनेश्वर	15.41	11.53	3.88
पांडिचेरी	पांडिचेरी	14.59	10.69	3.90
राजस्थान	जयपुर	14.89	11.11	3.78
तमिलनाडु	मद्रास	15.24	11.27	3.97
त्रिपुरा	अगरतला	13.13	9.75	3.38
उत्तर प्रदेश	लखनऊ	15.18	11.33	3.85
पश्चिम बंगाल	कलकत्ता	14.20	10.52	3.68

मूल्य संशोधन में राज्य अधिभार दरों, एफ.डी.जेड. प्रभारों और एफ.डी.जेड. के ऊपर सुपुर्दगी प्रभारों में वृद्धि का प्रभाव भी शामिल है।

अतिरिक्त सड़क की घोषणा

164. श्री पी.एस. गढ़वी : क्या जल भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार गुजरात में पत्तनों की ओर जाने वाली कुछ अतिरिक्त सड़कों को राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में घोषित करने का है;

(ख) यदि नहीं, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

जल भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देवेन्द्र प्रधान): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) निधियों की कमी के कारण इस समय ऐसे किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जा रहा है।

दूरसंचार कंपनियों से बकाया धनराशि

165. श्री पी.सी. थामस : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या निजी और बहु-राष्ट्रीय कंपनियों और अन्य दूरसंचार क्षेत्रों पर बड़ी मात्रा में धनराशि बकाया थी जिन्हें मोबाइल टेलीफोन के लिए लाइसेंस दिए गए थे;

(ख) वे कंपनियां कौन-कौन सी हैं और इस वित्तीय वर्ष में उनमें से प्रत्येक पर अलग-अलग, कितनी धनराशि बकाया हैं;

(ग) क्या सरकार के किसी निर्णय द्वारा ऐसी धनराशि का भुगतान करने का उत्तरदायित्व छोड़ दिया गया है अथवा कम कर दिया गया है अथवा हल्का कर दिया अथवा स्थगित कर दिया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या वे लाइसेंसधारी पूरा लाइसेंस शुल्क देते थे और उनमें प्रत्येक के ऊपर कितना बकाया है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(छ) इन कंपनियों से बकाया धनराशि वसूल करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शरण सिकदर): (क) और (ख) बुनियादी और सेल्युलर कंपनियों से वर्ष 1999-2000 के लिए बकाया राशि का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) और (घ) सरकार द्वारा नई दूरसंचार नीति, 1999 (एन.टी.पी., 99) अपनाए जाने के कारण, लाइसेंसधारकों के बीच अन्य बातों के साथ-साथ, एकरूपता बनाए रखने के लिए सेल्युलर मोबाइल टेलीफोन सेवा और बुनियादी टेलीफोन सेवा के मौजूदा लाइसेंसधारकों से एन.टी.पी. 1999 में अंतरित होने की पेशकश की गई थी। इस पैकेज के अंतर्गत लाइसेंसधारकों को एन.टी.पी., 1999 में अंतरित होने की पेशकश की गई थी, बशर्ते कि वे अन्य बातों के साथ-साथ 31.07.99 को देय ब्याज सहित कम से कम 35% बकाया राशि का और 16.08.99 को अथवा उससे पहले परिनिर्धारित नुकसानी प्रभारों की पूर्ण राशि का भुगतान कर दें। शेष बकाया राशि का भुगतान, भुगतान की वास्तविक तारीख तक परिकलित ब्याज सहित 31.01.2000 तक अथवा उससे पहले करना होगा।

(ङ) और (च) जिन प्रचालकों ने बिना किसी शर्त अंतरण पैकेज स्वीकार किया था, उन्होंने बकाया लाइसेंस शुल्क की 35% राशि तक का भुगतान कर दिया है। शेष बकाया राशि का भुगतान अंतरण पैकेज के अनुसार 31.1.2000 तक करना है।

(छ) कंपनियां 31.07.99 को बकाया का 35% भुगतान कर चुकी हैं। अंतरण पैकेज के अनुसार इन्हें 30.11.99 तक और बैंक गारंटियां देनी होंगी। ताकि देय होने वाली अन्य राशियों सहित देय बकाया राशि को पूरा किया जा सके। 31.1.2000 तक सभी बकाया चुकाने की शर्त पर अंतरण किया गया है।

विवरण

अंतरण पैकेज के अनुसार देय लाइसेंस शुल्क की बकाया राशि की स्थिति

सेल्युलर मोबाइल सेवा (सर्किल)

क्र.सं.	प्रचालक का नाम	31.07.99 की स्थिति के अनुसार ब्याज सहित बकाया राशि (करोड़ रु. में)
1	2	3
1.	मै. भारती टेलीनेट लि.	0.00
2.	मै. बिड़ला कम्यूनिकेशन्स लि.	276.34

1	2	3
3.	मै. एस्कोटेल मोबाइल कोम. लि.	39.26
4.	मै. फास्सेल लि.	127.00
5.	मै. हैक्साकॉम इंडिया लि.	56.52
6.	मै. जे.टी. मोबाइल कॉम लि.	250.65
7.	मै. मोदीकॉम नेटवर्क लि.	265.41
8.	मै. श्रीनिवास सेलकॉम लि.	0.00
9.	मै. आर.पी.जी. सेलकॉम लि.	2.96
10.	मै. रिलायंस लि.	62.30
11.	मै. टाटा कम्यूनिकेशन्स लि.	77.52
12.	मै. बी.पी.एल. यू.एस. वेस्ट लि.	154.22
	जोड़	1312.18

सेल्यूलर मोबाइल सेवा (मेट्रो)

क्र.सं.	प्रचालक का नाम	31.07.99 की स्थिति के अनुसार ब्याज सहित बकाया राशि (करोड़ रु.)
1	2	3
1.	मै. भारती सैल्युलर लि.	40.36
2.	मै. स्टर्लिंग सेल्युलर लि.	32.52
3.	मै. हिचसन मैक्स टेलीकॉम लि.	23.58
4.	मै. बी.पी.एल. सिस्टम एंड प्रोजेक्ट्स लि.	45.67
5.	मै. स्काईसेल कॉम प्रा.लि.	6.43
6.	मै. आर.पी.जी. सेल्युलर सर्विस लि.	6.50
7.	मै. मोदी टेलस्ट्रा प्रा.लि.	10.50
8.	मै. उषा मार्टिन टेलीकॉम लि.	3.48
	जोड़	169.04

बुनियादी टेलीफोन सेवाएं

क्र.सं.	प्रचालक का नाम	31.07.99 की स्थिति के अनुसार ब्याज सहित बकाया राशि (करोड़ रु. में)
1	2	3
1.	मै. रिलायंस टेलीकॉम लि.	75.25
2.	मै. ह्यूग्स इस्पात लि.	164.41
3.	मै. टेलीलिंक	6.75
4.	मै. टाटा टेलीसर्विसेज लि.	32.48
5.	मै. भारती टेलीनेट लि.	9.00
6.	मै. एस्सार कॉम लि.	38.32
	जोड़	326.21

सेल्युलर मोबाइल सेवाएं (सर्किल) परिसमाप्त मामले/जो एन.टी.पी., 1999 में अंतरित नहीं हुए हैं, के लिए लाइसेंस शुल्क की बकाया राशि की स्थिति (परिसमापन की तारीख तक/आज की तारीख तक)

क्र.सं.	प्रचालक का नाम	ब्याज सहित बकाया राशि (करोड़ रु. में)
1.	मै. एयरसेल डिजिलिंक इंडिया लि.	264.66
2.	मै. जे.टी. मोबाइल कॉम लि.	293.60
3.	मै. कोशिका टेलीकॉम प्रा.लि.	295.96
	जोड़	854.22

ओ.एन.जी.सी. द्वारा गहरे पानी में तेल की खोज

166. श्री वाई.एस. विवेकानन्द रेड्डी : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कृष्णा-गोदावरी अपतटीय क्षेत्र के एक कुएं में तेल और प्राकृतिक गैस निगम द्वारा की गई विस्मयकारी तेल की खोज से देश में गहरे पानी में तेल की खोज के आसार और भी अच्छे हो गये है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह देश में पहली बार गहरे पानी में पाया गया तेल है;

(ग) यदि हां, तो क्या शुरूआती परिणाम बहुत सकारात्मक रहे हैं;

(घ) यदि हां, तो क्या ओ.एन.जी.सी. ने अभी तक भूगर्भीय आंकड़े जुटाने और गहरे पानी में खोज संबंधी अन्य गतिविधियों पर लगभग 100 करोड़ रुपये का निवेश किया है; और

(ङ) यदि हां, तो आंकड़े जुटाने पर मोटी राशि खर्च करने के बाद ओ.एन.जी.सी. को कहां तक परिणाम प्राप्त हुए हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. पोन्नुस्वामी): (क) जी हां।

(ख) से (ङ) जी नहीं, नवीनतम खोज 1980 के दशक में खोजी गई अन्यथा हाइड्रोकार्बनयुक्त संरचना में नया पूल है। हालांकि खोज महत्वपूर्ण है, फिर भी इसकी प्रकृति तकनीकी-आर्थिक रूप से सीमांत है तथा संरचना का विस्तृत मूल्यांकन जारी है। ओ.एन.जी.सी. ने गहरे जल क्षेत्रों में भूकंपीय आंकड़े एकत्र करने तथा कूपों के वेधन पर लगभग 250 करोड़ रुपए खर्च कर दिए हैं तथा देश के पूर्व व पश्चिम तट के परे 400 मीटर से 3000 मीटर की जल गहराई में अनेक वेधनयोग्य संरचनाओं की उपस्थिति का पता लगाया है।

पूर्वोत्तर राज्यों में टेलीफोन परामर्शदात्री समिति

167. श्री भीम दाहाल : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सिक्किम सहित पूर्वोत्तर राज्यों में टेलीफोन परामर्शदात्री समिति गठित कर दी गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इन्हें कब तक गठित कर दिए जाने की संभावना है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) और (ख) जी हां।

उत्तर-पूर्वी राज्यों तथा सिक्किम के सभी पात्र सैकेण्डरी स्विचन क्षेत्रों के लिए टेलीफोन सलाहकार समितियां गठित की गई हैं। ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठते।

विवरण

टेलीफोन सलाहकार समिति का नाम	मौजूदा सदस्यों की संख्या	निम्नलिखित तक टैलीफोन सलाहकार समिति की अवधि
1	2	3
1. (1) असम सर्किल	60	30.06.2000
(2) कोचर (सिल्चर)	63	30.06.2000
(3) कोकराझार (बोंगईगांव)	26	31.3.2001

1	2	3
(4) कामरूप (गुवाहाटी)	50	30.06.2000
(5) लखीमपुर	33	-वही-
(6) सिबसागर (जोरहट)	23	-वही-
(7) तेजपुर (सोनितपुर)	28	-वही-
(8) नोगांव	29	30.09.2000
2. (1) उत्तर-पूर्वी सर्किल	44	31.12.2000
(2) अगरतला (त्रिपुरा)	50	31.03.2001
(3) मिजोरम (एजवाल)	23	-वही-
(4) कोहिमा (नागालैंड)	43	-वही-
(5) इम्फाल (मणिपुर)	43	-वही-
(6) अरूणाचल प्रदेश (जीरो)	36	30.06.2001
(7) शिलांग (मेघालय)	43	31.03.2001
3. सिक्किम (गैंगटॉक)	11	-वही-

समझौता ज्ञापनों/समझौतों का कार्यान्वयन

168. डा. अर्थंती रंगपी : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राज्य सरकारों और विभिन्न समूहों/संगठनों के बीच ऐसे कितने समझौता ज्ञापनों/समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं जिनमें उपद्रव ग्रस्त क्षेत्रों में शांति बहाल करने के लिए केंद्र सरकार को भी एक पक्ष बनाया गया है;

(ख) ऐसे समझौता ज्ञापनों/समझौतों की मुख्य बातें क्या हैं;

(ग) क्या इन सभी समझौता ज्ञापनों/समझौतों को पूर्णत: कार्यान्वित किया गया है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इन समझौता ज्ञापनों/समझौतों के कब तक पूर्णत: लागू हो जाने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी): (क) सरकार ने विभिन्न दलों/संगठनों तथा राज्य सरकारों के साथ निम्नलिखित समझौता ज्ञापनों/समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं:-

(1) असम समझौता (समझौता ज्ञापन);

(2) बोडो समझौता (समझौता ज्ञापन);

(3) कार्बी आंगलांग और उत्तरी कछार पर्वतीय जिलों में प्रतिनिधि संगठनों के साथ समझौता ज्ञापन;

(4) मिजो नेशनल फ्रंट समझौता;

(5) त्रिपुरा नेशनल वालंटियर्स;

(6) राजीव-लोंगोवाल समझौता;

(7) गोरखा नेशनल लिबरेशन फ्रंट समझौता, इत्यादि।

(ख) समझौता ज्ञापन/समझौतों की मुख्य बातों में उस क्षेत्र के लोगों को सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक, जातीय और सांस्कृतिक विकास हेतु संविधान के दायरे के अन्दर ही अधिकतम स्वायत्तता प्रदान करना है।

(ग) से (ङ) राज्य सरकारों और संगठनों के साथ हस्ताक्षर किए गए विभिन्न समझौता ज्ञापनों/समझौतों के क्रियान्वयन हेतु सरकार प्रतिबद्ध है।

कुछ समझौता ज्ञापनों/समझौतों का क्रियान्वयन एक सतत् प्रक्रिया है और इनका गृह मंत्रालय में निरन्तर प्रबोधन किया जाता है।

[हिन्दी]

जामनगर में एल.पी.जी./पेट्रोल पंप डीलरों के विरुद्ध शिकायतें

169. श्री जगदीश पटेल: क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछ समय पहले गुजरात के जामनगर में पेट्रोल पंपों और एल पी जी एजेंसियों के विरुद्ध शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है और उस पर क्या कार्यवाही की गई;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान गुजरात के जामनगर और अन्य जिलों की कितनी एल पी जी एजेंसियां और पेट्रोल पंप इन शिकायतों के आधार पर रद्द किये गये; और

(घ) इसके क्या कारण हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. पोन्नुस्वामी): (क) और (ख) हाल में गुजरात में जामनगर में खुदरा बिक्री केन्द्र डीलरों के विरुद्ध कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। जहां तक एल पी जी डिस्ट्रीब्यूटरशिप का संबंध है, आपूर्ति में गड़बड़, अधिष्ठापन प्रभार वसूली इत्यादि के संबंध में कुछ शिकायतें प्राप्त हुई थीं। इन शिकायतों की ओर ध्यान दिया गया है।

(ग) और (घ) गुजरात के जामनगर और अन्य जिलों में रद्द किए गए पेट्रोल पंपों और एल पी जी एजेंसियों की संख्या:

वर्ष	एलपीजी एजेंसी	खुदरा बिक्री केन्द्र
1996-97	–	–
1997-98	1	1
1998-99	4	2

खुदरा बिक्री केन्द्रों को मिलावट के कारण समाप्त किया गया है। एल पी जी डिस्ट्रीब्यूटरशिप अनधिकृत कनेक्शन जारी करने, तेल कंपनियों के पैसे का भुगतान न करने, नकली उपकरणों को शामिल करने, कालाबाजारी आदि के कारण रद्द की गई हैं।

[अनुवाद]

त्रिवेन्द्रम में उच्च न्यायालय की पीठ

170. **श्री वरकला राधाकृष्णन:**
श्री कोडीकुनील सुरेश:
श्री रमेश चेन्नितला:
श्री जार्ज ईडन:

क्या **विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केरल राज्य सरकार ने त्रिवेन्द्रम में उच्च न्यायालय की पीठ स्थापित करने का प्रस्ताव भेजा है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की है?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री (श्री राम जेठमलानी): (क) और (ख) तिरुअनन्तपुरम में उच्च न्यायालय की न्यायपीठ स्थापित करने के लिए, केरल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से, केरल सरकार से कोई पूर्ण प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। इसलिए, इस मामले में, केन्द्रीय सरकार के लिए कोई कार्रवाई करना संभव नहीं है।

महिला आरक्षण विधेयक

171. **श्रीमती श्यामा सिंह:** क्या **विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार महिला आरक्षण विधेयक को जान-बूझकर संसद् के सभा पटल पर रखने में विलम्ब कर रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके कारण क्या हैं;

(ग) सरकार द्वारा महिला आरक्षण विधेयक संसद् में कब तक पेश किये जाने की संभावना है?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री (श्री राम जेठमलानी): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) सरकार, संसद् के चालू सत्र में महिला आरक्षण विधेयक पुर:स्थापित करना चाहती है।

होगेनक्कल जल विद्युत परियोजना

172. **श्री पी.डी. एलानगोवन:** क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) तमिलनाडु में होगेनक्कल जल विद्युत परियोजना की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ख) इसे कब तक पूरा किये जाने की संभावना है?

विद्युत मंत्री (श्री पी.आर. कुमारमंगलम): (क) और (ख) तमिलनाडु सरकार ने रसिमनाल (600 मे.वा.) और होगेनक्कल (250 मे.वा.) जल विद्युत परियोजनाओं के संबंध में के.वि.प्रा. की सहमति हेतु अनुरोध किया था। तथापि दो जल विद्युत परियोजनाओं नामश: मेकदानू (360 मे.वा.) और होगेनक्कल (200 मे.वा.) के संबंध में कर्नाटक सरकार से एक प्रथक प्रस्ताव प्राप्त हुआ था। दोनों राज्य सरकारों द्वारा प्रस्तुत परियोजना रिपोर्टें पारस्परिक रूप से संगत नहीं है। अन्तर्राज्यीय नदी जल विवाद के कारण भी के.वि.प्रा. ने परियोजना रिपोर्ट राज्य सरकारों को लौटा दी है।

होगेनक्कल जल विद्युत परियोजना समेत के आर एस बांध और मेत्तूर बांध के बीच कावेरी बेसिन में जल विद्युत परियोजनाओं के संबंध में समस्या का समाधान करने की दृष्टि से नेशनल हाइड्रोइलैक्ट्रिक पावर कारपोरेशन हेतु कर्नाटक और तमिलनाडु सरकार के विचार प्राप्त करने के लिए अनुरोध किया गया है ताकि समेकित तरीके से विद्युत परियोजनाओं का निर्माण, स्वामित्व ग्रहण तथा प्रचालन किया जा सके।

कारगिल क्षेत्र में उग्रवाद

173. श्री उत्तमराव ढिकले: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिनांक 29.10.1999 के "एशियन एज" में 'आई.एस.आई., पाक आर्मी फोर्मेंटिंग ट्रबल पोस्ट-कारगिल' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) से (ग) हिंसा फैलाने के लिए गुमराह युवकों को लक्ष्य बनाकर और प्रशिक्षित करने के प्रयासों सहित देश के विभिन्न भागों में आतंकवाद को प्रायोजित करके और विघटनकारी गतिविधियों के जरिए भारत को अस्थिर करने, के पाक आई.एस.आई. के नापाक इरादों की सरकार को जानकारी है। अत: स्थिति पर कड़ी और सतत निगरानी रखी जा रही है आप यह सुनिश्चित करने के लिए कि इस प्रकार के इरादे कामयाब न हो सके, आतंकवादियों और विघटनकारी तत्वों के खिलाफ निरन्तर अभियान चलाने सहित सभी आवश्यक प्रयास किये जा रहे हैं। सरकार ने समय समय पर अनेक कदम उठाए हैं, जिनमें सम्मिलित हैं:

आसूचना तंत्र को सुग्राही और सक्रिय बनाना, संबंधित केन्द्रीय और राज्य एजेंसियों द्वारा सूचना का आदान प्रदान करना और समन्वित कार्रवाई करना, सीमा पर बाड़ लगाना, सीमा पर गस्त गहन करना, सुरक्षा बलों के तकनीकी उपकरणों को उन्नत करना, निगरानी चौकियों की संख्या में बढ़ोत्तरी और साथ ही साथ पाक आई.एस.आई. एजेन्टों, राष्ट्र विरोधी तत्वों और विद्रोहियों की गतिविधियों के बारे में उन्हें सुग्राही बनाना और सावधान करना।

बिन लादेन द्वारा भारत के विरुद्ध युद्ध की घोषणा

174. श्री विलास मुत्तेमवार: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान 18 अप्रैल, 1999 को "द टाइम्स आफ इंडिया" में प्रकाशित शीर्षक "बिन लादेन डेक्लेयर्स जेहाद अगेन्स्ट इंडिया" के अंतर्गत छपे समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने उक्त प्रैस रिपोर्ट की जांच की है; और

(ग) यदि हां, तो इस धमकी से निपटने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जाने का विचार है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) से (ग) उक्त समाचार दिनांक 18 सितम्बर, 1999 के "टाइम्स आफ इंडिया" में प्रकाशित हुआ था।

बताया जाता है कि ओसमा बिन लादेन की तरफ से भारत के विरुद्ध जेहाद की घोषणा करने का उक्त वक्तव्य उस समय जारी किया गया था जब अन्तर्राष्ट्रीय आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए उपायों पर विचार-विमर्श करने हेतु संयक्त राष्ट्र का आतंकवाद विरोधी दल भारत (17 सितम्बर) आया हुआ था। तथापि, इस्लामाबाद से एक न्यूज नेटवर्क इन्टरनेशनल (एन.एन.आई.) की रिपोर्ट के अनुसार, पाकिस्तान में तालीबानी दूत मौलवी सैयद-उर-रेहमान हककानी द्वारा यह कहते हुए "जेहाद" का खण्डन जारी किया था कि नवम्बर 1998 से लेकर ओसमा ने न तो कोई वक्तव्य जारी किया है और न

ही किसी व्यक्ति से मुलाकात ही की है और उनकी तरफ से कश्मीर पर जारी किया गया वक्तव्य पूर्णरूप से आधारहीन है।

तथापि, सरकार सभी सम्भावित दिशाओं से राष्ट्रीय सुरक्षा के किसी भी खतरे के प्रति सतर्क है और सभी संबंधितों को इस बारे में सुग्राही बनाया गया है।

गैर-सरकारी संगठनों को कारण-बताओ नोटिस

175. **श्री टी.एम. सेल्वागनपति:** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हाल ही में विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 1976 के अंतर्गत कुछ गैर-सरकारी संगठनों को कारण बताओ नोटिस जारी किये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या कुछ गैर-सरकारी संगठनों ने उक्त नोटिसों को वापसी के लिये कोई अनुरोध किया है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी.एच. विद्यासागर राव): (क) और (ख) जी हां, श्रीमान्।

विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 1996 के प्रावधानों के अंतर्गत आने वाले 12 गैर-सरकारी संगठनों से, अन्य बातों के साथ-साथ पूछा गया था कि उन्हें क्यों न उपर्युक्त अधिनियम की धारा 5(1) के अधीन लाया जाय तथा उन्हें किसी भी विदेशी अभिदाय प्राप्त करने से पूर्व केन्द्र सरकार की पूर्व अनुमति लेनी चाहिए थी क्योंकि उनका संबंध कतिपय ऐसे विज्ञापनों और दस्तावेजों के जारी करने से है जिसकी विषय-वस्तु को राजनैतिक स्वरूप की टिप्पणी के रूप में समझा गया है।

(ग) जी हां, श्रीमान्।

(घ) मामला विचाराधीन है।

राज्य विद्युत बोर्डों को घाटा

176. **श्री रामसागर रावत:**
श्री जी.एम. बनातवाला:

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले प्रत्येक तीन वर्षों के दौरान राज्य विद्युत बोर्डों द्वारा वार्षिक लाभ/हानि का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या कुछ राज्यों ने अपने विद्युत बोर्डों के पुनर्गठन का कार्य किया है;

(ग) यदि हां, तो उनके क्या परिणाम निकले;

(घ) क्या राज्य विद्युत बोर्डों की क्षमता में सुधार के लिए कोई कदम उठाए गए हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) हाल ही में विद्युत क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए क्या उपाय किये गये?

विद्युत मंत्री (श्री पी.आर. कुमारमंगलम): (क) वर्ष 1995-96, 1996-97 तथा 1997-98 के दौरान राज्य विद्युत बोर्डों के अतिरिक्त कमी को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है। अधिकांश राज्य विद्युत बोर्डों से वर्ष 1998-99 के लेखे प्राप्त नहीं हुए हैं।

(ख) उड़ीसा हरियाणा तथा आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों ने अपने राज्य विद्युत बोर्डों का पुनर्गठन किया है। इन राज्यों में राज्य विद्युत बोर्डों का विकेन्द्रीकरण किया गया है और उन्हें निगमीकृत किया गया है उड़ीसा में ताप विद्युत उत्पादन और वितरण क्षेत्र का निजीकरण किया गया है। उत्तर प्रदेश, राजस्थान तथा कर्नाटक राज्यों ने अन्य बातों के साथ राज्य विद्युत बोर्डों का विकेन्द्रीकरण करने/निगमीकरण करने की दृष्टि से अपने यहां विद्युत सुधार विधेयक/अध्यादेश पारित किए हैं। अन्य राज्यों ने भी राज्य विद्युत बोर्डों में सुधार तथा उनके पुनर्गठन की दृष्टि से कई नीतिगत निर्णय लिए हैं।

(ग) राज्य विद्युत बोर्डों का सुधार और पुनर्गठन अभी हाल ही में आरंभ किये गये हैं। कार्य निष्पादन की समीक्षा में अभी समय लगेगा।

(घ) और (ङ) राज्य विद्युत बोर्डों का विकेन्द्रीयकरण तथा उनके निगमीकरण का उद्देश्य रा.वि. बोर्डों की क्षमता में सुधार करना है। राज्य सरकारों द्वारा राज्य विद्युत नियामक आयोगों की स्थापना के माध्यम से राज्य विद्युत बोर्डों की क्षमता सुधार को गति प्रदान करने की भी अपेक्षा की गई है।

(च) अभी हाल ही में निम्नलिखित उपाय किये गये हैं इससे विद्युत क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी को और अधिक प्रोत्साहन मिलेगा और बाद में इससे परियोजना विकास की प्रक्रिया भी सरल होगी:

(1) 1500 करोड़ रुपए तक की परियोजनाओं के उत्पादन वितरण तथा पारेषण को शामिल करने हेतु 100% तक की विदेशी इक्विटी के निमित्त विदेशी प्रत्यक्ष निवेश अनुमोदन के लिए स्वचालित अनुमोदन प्रक्रिया का विस्तार किया गया है।

(2) अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धात्मक बोली प्रक्रिया के माध्यम से निजी क्षेत्र की विद्युत परियोजनाएं आरंभ करने के लिए राज्यों को मार्गदर्शी सिद्धांत परिचालित किए गए हैं।

(3) संशोधित तरल ईंधन नीति की जुलाई, 1998 में घोषणा की गई थी।

(4) भारत सरकार की प्रति गारंटी प्रक्रिया को सरल बनाया गया है जिससे लंबित तीन परियोजनाओं को प्रति गारंटी दी जा सकी है।

(5) भारतीय वित्तीय संस्थानों द्वारा 40% ऋण वित्त व्यवस्था की सीमा को हटा दिया गया है।

(6) नवंबर, 1998 में एक संशोधित मेगा विद्युत परियोजना नीति घोषित की गई है जिसके अंतर्गत सार्वजनिक तथा निजी दोनों क्षेत्रों के द्वारा कतिपय बहुराज्यीय परियोजनाओं की विकास की दृष्टि से पहचान की गई है। एक पावर ट्रेडिंग कार्पोरेशन की स्थापना की गई है, जो निजी क्षेत्र की मेगा परियोजनाओं से विद्युत खरीदेगा और लाभभोगी राज्यों को बिक्री करेगा।

विवरण I

बिना आर्थिक सहायता के वर्ष 1995-96, 1996-97 और 1997-98 के दौरान रा.वि. बोर्डों का अधिशेष/कमी जैसा कि इन वर्षों के लेखों में अंकित है, दर्शाने वाला विवरण

(करोड़ रु. में)

क्र.सं.	राज्य विद्युत बोर्ड	बिना आर्थिक सहायता		
		1995-96	1996-97	1997-98
1	2	3	4	5
1.	एपीएसईबी	-1129	-721	-1134
2.	एएसईबी	-261	-411	-440
3.	बीएसईबी	-28	-819	-225*
4.	जीईबी	-1003	-1070	-1274*
5.	एचपीएसईबी	36	25	29
6.	एचएसईबी	-537	-594	-713

1	2	3	4	5
7.	केईबी	-499	-652	-322
8.	केएसईबी	-30	-254	-297
9.	एमएसईबी	-22	-42	-52
10.	एमपीईबी	-458	-470	-753
11.	एमएसईबी	-280	88	37
12.	ओएसईबी**	-231	-231	उपलब्ध नहीं
13.	पीएसईबी	-326	-296	-555
14.	आरएसईबी	-344	-500	-640
15.	टीएनईबी	-76	-257	-318
16.	यूपीएसईबी	-1495	-1386	-1548
17.	डब्ल्यू बी एसईबी	-64	-227	-164

विवरण II

बिना आर्थिक सहायता के वर्ष 1995-96, 1996-97, 1997-98 के दौरान रा.वि. बोर्डों का अधिशेष/कमी जैसा कि इन वर्षों के लेखों में अंकित है, दर्शाने वाला विवरण

(करोड़ रु. में)

क्र.सं.	राज्य विद्युत बोर्ड	बिना आर्थिक सहायता		
		1995-96	1996-97	1997-98
1	2	3	4	5
1.	एपीएसईबी	131	129	122
2.	एएसईबी	-116	-359	-387*

1	2	3	4	5
3.	बीएसईबी	-28	-327	-327*
4.	जीईबी	108	110	119*
5.	एचपीएसईबी	36	25	29
6.	एचएसईबी	78	48	20
7.	केईबी	51	54	58
8.	केएसईबी	23	24	25
9.	एमएसईबी	-13	-34	-43
10.	एमपीईबी	134	127	123
11.	एमएसईबी	350	347	342
12.	ओएसईबी	27	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
13.	पीएसईबी	143	108	49
14.	आरएसईबी	81	63	65
15.	टीएनईबी	339	330	-68
16.	यूपीएसईबी	22	171	292
17.	डब्ल्यूबीएसईबी	17	18	20

संविधान समीक्षा पैनल

177. **श्री मोहन रावले:** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार कोई संविधान समीक्षा पैनल स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो इसे कब तक स्थापित किये जाने की संभावना है; और

(ग) इसकी विशेषताएं क्या हैं?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी): (क) से (ग) सरकार ने, इस मामले में अभी तक कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया है।

आंध्र प्रदेश में रसोई गैस/मिट्टी के तेल/पेट्रोल पंप एजेंसियों/बिक्री केन्द्र का आबंटन

178. **श्री सुल्तान सलाहउद्दीन ओवेसी:** क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) रसोई गैस एजेंसी, मिट्टी के तेल के बिक्री केन्द्रों और पेट्रोल पंपों के आवंटन के लिए क्या प्रक्रिया अपनाई गई है;

(ख) क्या विभिन्न राज्यों में उनकी जनसंख्या के अनुसार एजेंसियों का आबंटन किया गया है;

(ग) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान आंध्र प्रदेश में आबंटित रसोई गैस एजेंसियों, मिट्टी के तेल के बिक्री केन्द्रों और पेट्रोल पंपों की संख्या कितनी है;

(घ) क्या राज्य के लोगों की मांग को पूरा करने हेतु ये एजेंसियां पर्याप्त हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. पोन्नुस्वामी): (क) और (ख) मौजूदा नीति के अनुसार देश के विभिन्न भागों में आर्थिक रूप से सक्षम एल पी जी डिस्ट्रीब्यूटरशिप खोलने के लिए निम्नलिखित मानदंड अपनाए जाते हैं:

(1) 15 कि.मी. के अर्धव्यास में आने वाले आसपास के गांवों की संभाव्यता को शामिल करके 10000 और अधिक की जनसंख्या वाले सभी शहरी स्थान।

(2) 15 कि.मी. के अर्धव्यास के भीतर आने वाले आसपास के गांवों की संभाव्यता को गणना में लेते हुए 5000 और अधिक की जनसंख्या वाले शहरी स्थान।

(3) न्यूक्लीसय गांवों के 15 कि.मी. के अर्धव्यास के भीतर के गांवों का समूह जिसकी जनसंख्या 10000 और अधिक हो।

(4) 1 लाख और अधिक की जनसंख्या वाले कस्बों के आसपास 15 कि.मी. अर्धव्यास के भीतर के गांव।

खुदरा बिक्री केन्द्र डीलरशिप और एस के ओ/एल डी ओ डीलरशिप खोलने के लिए मानदंड संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) पिछले तीन वर्षों अर्थात 1996-97, 1997-98 और 1998-99 के दौरान आंध्र प्रदेश में कुल 10 खुदरा बिक्री केन्द्र डीलरशिप और 37 एल पी जी डिस्ट्रीब्यूटरशिप आवंटित की गई हैं। तथापि, इस अवधि के दौरान राज्य में किसी एस के ओ/एल डी ओ डीलरशिप का आवंटन नहीं किया गया।

(घ) और (ङ) 1.4.1999 की स्थिति के अनुसार आंध्र प्रदेश में 1304 खुदरा बिक्री केन्द्र डीलरशिप और 482 एल पी जी डिस्ट्रीब्यूटरशिप और 606 एस के ओ/एल डी ओ डीलरशिप प्रचालनरत थी। उपर्युक्त के अतिरिक्त बढ़ी हुई मांग पूरी करने के लिए आंध्र प्रदेश के लिए विपणन योजना 1996-98 में 85 खुदरा बिक्री केन्द्र डीलरशिप, 124 एल पी जी डिस्ट्रीब्यूटरशिप और 4 एस के ओ/एल डी ओ डीलरशिप शामिल की गई हैं।

विवरण

नई डीलरशिपों/डिस्ट्रीब्यूटरशिपों के विकास के लिए स्थानों की पहचान तेल उद्योग द्वारा समय-समय पर आयोजित सर्वेक्षणों के आधार पर निम्नलिखित मानदंडों को ध्यान में रखते हुए की जाती है:

बाजार	दूरी मानदंड	मात्रा मानदंड
1	2	3
1. खुदरा बिक्री केन्द्र		
(क) केवल एच एस डी अथवा एम एच/एच एस डी		
"क" श्रेणी 1981 की जनसंख्या के अनुसार 10 लाख से अधिक की जनसंख्या वाले शहर	1. महानगरीय शहर और अन्य शहर (नगरपालिका सीमाओं से 15 कि.मी. की परिधि सहित)	1. केवल एचएसडी: प्रचालन के दूसरे वर्ष के दौरान न्यूनतम 50 कि.ली. प्रतिमाह निकासी होनी चाहिए।
	2. औसत संयुक्त एमएस/एचएसडी थ्रूपुट (3 कि.मी. के अर्धव्यास के भीतर) 80 कि.ली. प्रतिमास से कम नहीं होनी चाहिए	2. संयुक्त एमएस/एचएसडी: एचएसडी...25 कि.ली. प्रतिमाह, एम.एस...30 कि.ली. प्रतिमाह — प्रचालन के दूसरे वर्ष के दौरान
	3. टाऊन प्लानिंग प्राधिकारियों द्वारा नियत स्थानों पर कोई प्रतिबंध नहीं।	
"ख" श्रेणी-1981 की जनगणना-अनुसार 2 और 10 लाख के बीच की जनसंख्या वाले शहर	1. नगरपालिका सीमाओं के 5 कि.मी. के भीतर खुदरा बिक्री केन्द्रों की औसत संयुक्त एमएस/एचएसडी थ्रूपुट 80 कि.ली. प्रतिमाह से अधिक होनी चाहिए।	1. केवल एचएसडी: प्रचालन के दूसरे वर्ष के दौरान 50 कि.ली. प्रतिमाह होनी चाहिए।
	2. टाऊन प्लानिंग प्राधिकारियों द्वारा नियत स्थलों पर कोई प्रतिबंध नहीं।	2. संयुक्त एमएस/एचएसडी: एचएसडी...50 कि.ली. प्रतिमाह, एमएस...5 कि.ली. प्रतिमाह — प्रचालन के दूसरे वर्ष के दौरान
"ग" श्रेणी-अन्य कस्बे	मौजूदा बिक्री केन्द्र से 5 कि.मी. के अर्धव्यास के भीतर औसत संयुक्त थ्रूपुट 80 कि.ली. प्रतिमाह से अधिक होनी चाहिए	1. केवल एचएसडी: प्रचालन के दूसरे वर्ष के दौरान 50 कि.ली. प्रतिमाह होनी चाहिए।
		2. संयुक्त एमएस/एचएसडी: एचएसडी...50 कि.ली. प्रतिमाह, एमएस.5 कि.ली. प्रतिमाह — प्रचालन के दूसरे वर्ष के दौरान

1	2	3
"घ" श्रेणी-राष्ट्रीय/राज्य राजमार्ग	प्रस्तावित खुदरा बिक्री केन्द्र के 15 कि.मी. (दोनों ओर) के भीतर प्रति खुदरा बिक्री केन्द्र संयुक्त शुद्ध 80 कि.ली. प्रतिमाह से अधिक होनी चाहिए।	1. केवल एचएसडी: प्रचालन के दूसरे वर्ष के दौरान प्रतिमाह 50 कि.ली. होनी चाहिए। 2. संयुक्त एमएस/एचएसडी: एचएसडी...50 कि.ली. प्रतिमाह एमएस...5 कि.ली. प्रतिमाह प्रचालन के दूसरे वर्ष के दौरान
"ङ" श्रेणी (राष्ट्रीय राजमार्गों/ राज्य राजमार्गों में दूर के क्षेत्र और 10 कि.मी. अर्धव्यास के भीतर बिना किसी खुदरा बिक्री केन्द्र के कृषि प्रधान क्षेत्र)	इन बाजारों में केवल निम्न लागत के खुदरा बिक्री केन्द्र विकसित किये जाते हैं।	केवल एचएसडी: प्रचालन के दूसरे वर्ष के दौरान 25 कि.ली. प्रतिमास
(ख) केवल एम एस:		
"क" श्रेणी	कोई नहीं	प्रचालन के दूसरे वर्ष के दौरान बिक्रियां 30 कि.ली. प्रतिमाह होनी चाहिए।
"ख" श्रेणी	खुदरा बिक्री केन्द्रों का औसत व्यापार प्रस्तावित स्थान के 5 कि.मी. अर्धव्यास के भीतर 35 कि.ली. प्रतिमाह से कम नहीं होना चाहिए।	कोई नहीं।
"ग" श्रेणी	खुदरा बिक्री केन्द्रों का औसत व्यापार प्रस्तावित स्थान के 5 कि.मी. के भीतर 35 कि.ली. प्रतिमाह से अधिक नहीं होना चाहिए।	कोई नहीं।
"घ" श्रेणी	राजमार्ग के साथ-साथ दोनों ओर 15 15 कि.मी. के भीतर न्यूनतम मात्रा 35 कि.ली. प्रतिमाह होनी चाहिए।	कोई नहीं।

टिप्पणी: एम एस मौजूदा एच एस डी खुदरा बिक्री केन्द्र में जोड़ा जा सकता है बशर्ते न्यूनतम 5 कि.ली. की संभाव्यता उपलब्ध हो। तथापि एच एस डी को एम एस के मौजूदा खुदरा बिक्री केन्द्र के साथ नहीं जोड़ा जा सकता।

2. एस के ओ/एल डी ओ डीलरशिप

(क) नई एस के ओ/एल डी ओ डीलरशिपों के सृजनार्थ एस के ओ की न्यूनतम 75 कि.ली. प्रतिमाह की संभाव्यता।

(ख) नई डीलरशिप उन ब्लाक मुख्यालयों/तालुका मुख्यालयों में खोली जा सकती हैं जहां पहले से कोई भी डीलरशिप नहीं हो। जिला मुख्यालयों में खोली जाने वाली एस के ओ/एल डी ओ डीलरशिपों को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा स्वीकृत किया जाना आवश्यक है।

[हिन्दी]

बिहार में आप्टिकल फाइबर केबल का लगाया जाना

179. **श्री राजो सिंह:** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार वर्ष 1999-2000 के दौरान दूरभाष उद्योग का आधुनिकीकरण करने के लिए बिहार में वर्तमान केबल की जगह आप्टिकल फाइबर केबल लगाने का है;

(ख) यदि हां, तो बेगूसराय, लखीसराय-शेख पुरा और जमुई जिलों सहित स्थान-वार संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) चालू वित्त वर्ष के दौरान ऐसी केबल की खरीद पर कितनी लागत आएगी?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) ऑप्टिकल फाइबर केबल, टेलीफोन एक्सचेंजों को आपस में जोड़ने के लिए लगाए जा रहें हैं जिससे बिहार में, जंक्शन नेटवर्क के लिए तथा एसटीडी/आईएसडी सेवाओं के लिए विश्वसनीय मीडिया उपलब्ध कराए जा सकें।

(ख) बिहार में कुल 3500 कि.मी. ऑप्टिकल फाइबर केबल लगाने की योजना है। बेगूसराय, लखीसराय, शेखपुरा और जमुई जिलों के लिए योजना बनाए गए लिंकों के ब्यौरे निम्न प्रकार हैं:

(1) बरौनी-बचवारा

(2) बचवारा-रानी

(3) लखीसराय-रामगढ़-शेखपुरा

(4) शेखसराय-सिकन्दरा-जमुई

(5) जमुई-हवेलीखड़गपुर

उपर्युक्त कार्य मार्च, 2000 तक पूरा होने की संभावना है बशर्ते कि सामग्री समय पर उपलब्ध हो।

निम्नलिखित स्टेशनों को आप्टिकल फाइबर केबल से पहले ही जोड़ा गया है:

(1) बेगूसराय-पटना-पुरनिया

(2) शेखपुर-बिहारशरीफ

(3) लखीसराय-मुंगेर-भागलपुर

(4) लखीसराय-जमुई-देवघर-दुमका

(ग) वर्ष 1999-2000 के दौरान बिहार के लिए नियोजित 3500 कि.मी. आप्टिकल फाइबर केबल की लागत लगभग 15 करोड़ रु. होगी।

[अनुवाद]

महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड के अधिकार क्षेत्र का विस्तार

180. **श्री सी. कुप्पुसामी:**
डा. गीतिश सेनगुप्ता:

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या टेलीकॉम-सेवाओं के बेहतर और बढ़िया संचालन हेतु मद्रास और कलकत्ता टेलीकॉम को महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड के अधीन लाने अथवा कलकत्ता और मद्रास टेलीकॉम को उसके अधिकार क्षेत्र में लाने वाले किसी नये महानगर टेलीफोन निगम की स्थापना हेतु कोई अभ्यावेदन सरकार को प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में कब तक निर्णय लिये जाने की संभावना है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) से (ग) माननीय मुख्य मंत्री, तमिलनाडु से ग्रेटर चैन्नई को एमटीएनएल के प्रचालनात्मक अधिकार-क्षेत्र के अंतर्गत लाने का अनुरोध प्राप्त हुआ था।

इस अनुरोध पर राष्ट्रीय दूरसंचार नीति 1999 के संदर्भ में विस्तृत जांच की गई थी। जनवरी 2001 तक दूरसंचार विभाग को निगम बनाने के निर्णय को ध्यान में रखते हुए, विचारार्थ विषयों में निगमितीकृत दूरसंचार विभाग के ढांचे के भीतर ग्रेटर चेन्नई को विशेष दर्जा प्रदान करने तथा साथ ही चेन्नई और अन्य ऐसे मैट्रो शहरों के लिए उपयुक्त संगठनात्मक ढांचा तैयार करने का मुद्दा शामिल करने का निर्णय किया गया।

[हिन्दी]

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस की खपत और मांग

181. प्रो. रासा सिंह रावत : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस की बढ़ती हुई खपत और मांग का ब्यौरा क्या है और सरकार ने इस मांग को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए हैं;

(ख) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस में देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार द्वारा तैयार की गई योजना का ब्यौरा क्या है; और

(ग) देश के नए क्षेत्रों में हाल ही में विगत में विभिन्न राज्यों में सार्वजनिक क्षेत्र तथा निजी क्षेत्र में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस की खोज, दोहन और उपलब्धता के लिए लागू की जा रही योजनाओं का ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. पोन्नुस्वामी): (क) से (ख) विगत 3 वर्षों तथा वर्तमान वित्तीय वर्ष के सितंबर, 1999 तक के दौरान कच्चे तेल, पेट्रोलियम उत्पादों तथा प्राकृतिक गैस की खपत निम्नवत थी:-

	कच्चा तेल (टी.एम.टी.)	पेट्रोलियम उत्पाद (टी.एम.टी.)	प्राकृतिक गैस (एम.सी.एम.)
1996-97	62870	79168	21495
1997-98	65166	84290	24522
1998-99*	68538	89362	25716
1999-2000 (अप्रैल-सितंबर)	39090	44477**	13190

*अनंतिम

**निजी आयातों के माध्यम से हुई खपत इसमें शामिल नहीं है।

पेट्रोलियम क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए अनुप्रयोग एवं उन्नत प्रौद्योगिकी, रिजर्वायर दशा के विषय में अपेक्षाकृत अच्छी समझ, नए क्षेत्रों के विकास, विद्यमान क्षेत्रों के अतिरिक्त विकास तथा अपस्ट्रीम क्षेत्र के अंतर्गत विदेशी एवं निजी पूंजी आमंत्रित करने के माध्यम से देश में कच्चे तेल के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। सार्वजनिक क्षेत्र में विद्यमान रिफाइनरियों के विस्तार तथा संयुक्त क्षेत्र एवं निजी क्षेत्र में रिफाइनरियां स्थापित करने के द्वारा देश में शोधन क्षमता में भी वृद्धि की जा रही है।

(ग) देश में तेल एवं गैस के अन्वेषण को तेज करने तथा नए भंडारों का पता लगाने के लिए हाल ही में जनवरी, 1999 में सरकार ने गहन जल समेत तटवर्ती तथा अपतटीय दोनों में 48 ब्लाक प्रस्तावित किए थे।

[अनुवाद]

बिहार में एस.टी.डी./आई.एस.डी. सार्वजनिक टेलीफोन बूथ

182. श्री ब्रजमोहन राम : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्तमान में बिहार में कार्य कर रहे एस.टी.डी./आई.एस.डी. सार्वजनिक टेलीफोन बूथों की जिले-वार संख्या कितनी है;

(ख) वर्ष 1999-2000 के दौरान राज्य में उक्त बूथों की स्थापना हेतु लंबित आवेदनों की संख्या तथा निपटाए गए आवेदनों की जिले-वार संख्या कितनी है; और

(ग) लंबित आवेदनों का कब तक अनुमोदन कर मंजूर किए जाने की संभावना है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) और (ख) सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) उत्तरोत्तर रूप से जून 2000 तक।

विवरण

क्र.सं.	गौण स्विचन क्षेत्र का नाम	कार्य कर रहे एस.टी.डी./ आई.एस.डी./ पी.सी.ओ. बूथ	लम्बित आवेदन	1999-2000 के दौरान अक्तूबर 1999 तक निपटाए गए
1	2	3	4	5
1.	आरा	287	352	11
2.	भागलपुर	404	148	54
3.	छपरा	1354	713	75
4.	डालटन गंज	288	150	57
5.	दरभंगा	1072	405	शून्य
6.	धनबाद	1152	398	289
7.	दुमका	489	348	250
8.	गया	891	350	348
9.	हजारीबाग	447	1117	80
10.	जमशेदपुर	841	1260	181
11.	कटिहार	939	212	176
12.	मोतीहारी	416	410	383
13.	मुंगेर	185	310	71

1	2	3	4	5
14.	मुजफ्फरपुर	1797	350	71
15.	पटना	2427	4581	200
16.	रांची	1178	70	260
17.	सहरसा	197	15	23
18.	सासाराम	290	1080	45

[अनुवाद]

''टाडा'' कैदी

183. श्री सुशील कुमार शिंदे :
श्री माधवराव सिंधिया :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या टाडा के अन्तर्गत बड़ी संख्या में कैदी जिनमें जम्मू और कश्मीर के विद्रोही, उग्रवादी और भाड़े के सैनिक नजरबंद हैं जो अप्रैल 1999 तक जेलों में अपना कारावास पूरा करने के बावजूद अभी भी जेलों में हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उन पर तेजी से मुकदमा चलाना सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) से (ग) लम्बित टाडा मामलों के शीघ्र निपटान हेतु राज्य सरकार को अनुदेश जारी किए गए हैं। सर्वोच्च न्यायालय के निदेशानुसार, राज्य पुनरीक्षा समिति द्वारा राज्य स्तर पर इन मामलों की समय-समय पर पुनरीक्षा की जाती है। राज्य सरकार को भी सलाह दी गयी है कि जांच के लिए लम्बित पड़े मामलों को एक निश्चित समय सीमा के भीतर अंतिम रूप दिया जाय।

'पवित्र वाटिका' के लिए योजना

184. श्री पी.डी. एलानगोवन : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नीम, पुनगाई तथा औषधीय गुण वाले अन्य पेड़ों की 'पवित्र वाटिका' (सेकरेड ग्रोव) को प्रोत्साहन तथा प्रचार देने के लिए सरकार की कोई विशेष योजना है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

हैदराबाद में दूरभाष निर्देशिका

185. श्री राजैया मल्यला : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हैदराबाद में दूरभाष निर्देशिकाएं पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) ये निर्देशिकाएं पर्याप्त संख्या में उपलब्ध कराने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किये गये हैं?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) जी हां।

(ख) हैदराबाद टेलीफोन डायरेक्टरी वर्ष 1997 को प्रकाशित हुई थी। पूरक डायरेक्टरी वर्ष 1998 में प्रकाशित की गई। तत्पश्चात् ठेकेदार टेलीफोन डायरेक्टरी का अगला अंक प्रकाशित करने के लिए तैयार नहीं हुए तथा मामला विवाद में है।

(ग) उपभोक्ताओं को अद्यतन टेलीफोन डायरेक्टरी उपलब्ध कराने के उद्देश्य से हैदराबाद टेलीफोन डायरेक्टरी के प्रकाशन हेतु नई निविदाएं आमंत्रित करने संबंधी कार्रवाई प्रारंभ की गई है।

[हिन्दी]

खाली पदों को भरा जाना

186. डा. बलिराम : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 31 अक्तूबर, 1999 की स्थिति के अनुसार उनके मंत्रालय के अंतर्गत विभिन्न सुरक्षा बलों की विभिन्न श्रेणियों में कितने पद खाली पड़े हैं; और

(ख) सरकार द्वारा इन पदों को भरने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी.एच. विद्यासागर राव): (क) 31 अक्तूबर, 1999 की स्थिति के अनुसार गृह मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले सुरक्षा बलों के संबंध में, बल-वार विभिन्न श्रेणियों में रिक्त पदों की संख्या निम्न प्रकार से है:-

	ग्रुप "क"	ग्रुप "ख"	ग्रुप "ग"	ग्रुप "घ"	कुल
सीमा सुरक्षा बल	272	125	2187	45	2629
केन्द्रीय रिजर्व सुरक्षा बल	260	109	5442	22	5833
केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल	106	–	2370	–	2476
[illegible] सीमा पुलिस	64	37	734	–	835
राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड	164	60	592	–	816
[illegible] राइफल्स	1	7	582	45	635

(ख) इन पदों को नियमानुसार भरा जाता है जो कि एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है।

[अनुवाद]

जम्मू और कश्मीर के लिए उप-समिति

187. श्री ए.सी. जोस : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने जम्मू और कश्मीर की वित्तीय, विकासात्मक और सुरक्षा संबंधी आवश्यकताओं के सम्पूर्ण परिदृश्य का अध्ययन करने के लिये कोई उच्च शक्ति प्राप्त उप-समिति के गठन का निर्णय लिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उप-समिति के सदस्य कौन-कौन हैं तथा सरकार ने राज्य में आतंकवाद पर काबू पाने के लिए क्या उपाय किये हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी.एच. विद्यासागर राव): (क) जी नहीं, श्रीमान्।

तथापि, गृह मंत्री द्वारा 17.11.1999 को जम्मू और काश्मीर के मुख्य मंत्री, केन्द्रीय वित्त मंत्री और योजना आयोग के उपाध्यक्ष के साथ बुलाई गयी बैठक में अन्य बातों के साथ-साथ यह निर्णय लिया गया कि योजना आयोग, व्यय विभाग और गृह मंत्रालय के प्रतिनिधि राज्य सरकार के प्रतिनिधियों के साथ विचार-विमर्श करने के बाद राज्य की अल्पकालिक और दर्मियानी अवधि की वित्तीय आवश्यकताओं का आकलन करेंगे। इस संदर्भ में 22.11.1999 को एक बैठक की गई थी।

(ख) जम्मू और कश्मीर में आतंकवाद से निपटने के लिए सरकार ने बहु-आयामी दृष्टिकोण अपनाया है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ सम्मिलित है: सीमा प्रबन्धन को सुदृढ़ करना, आन्तरिक भागों में उग्रवादियों के खिलाफ प्रतिकारी कार्रवाई करके उनकी योजनाओं को निष्क्रिय करना, आसूचना तंत्र को सक्रिय करना, विकास कार्यक्रमों को गति देना और प्रजातांत्रिक प्रक्रिया को मजबूत करना इत्यादि।

केरल में सड़क दुर्घटनाएं

188. श्री टी. गोविन्दन : क्या जल भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केरल में राष्ट्रीय राजमार्गों का समुचित रख-रखाव न होने के कारण अन्य राज्यों की तुलना में इस राज्य में सड़क दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है?

जल भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देवेन्द्र प्रधान): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

ग्रामीण दूरभाष केन्द्र

189. श्री बाजूबन रियान : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में दूरसंचार सुविधाएं प्रदान करने के लिए ग्रामीण दूरभाष केन्द्र स्थापित करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान त्रिपुरा राज्य में स्थापित किए गए ऐसे केन्द्रों की संख्या कितनी है;

(ग) वर्ष 1999-2000 के दौरान राज्य में ऐसे और कितने केन्द्रों को स्थापित किए जाने का विचार है;

(घ) राज्य में ऐसे कार्यरत और बन्द पड़े केन्द्रों की संख्या केन्द्रवार कितनी है; और

(ङ) राज्य के ग्रामीण दूरभाष केन्द्रों में संतोषजनक टेलीफोन सुविधाएं प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) और (ख) जी, हां। यदि कहीं टेलीफोन के लिए पर्याप्त मांग हो तथा वह मौजूदा एक्सचेंज द्वारा पूरी नहीं होती तो वहां एक्सचेंज स्थापित करने की योजना बनती है।

त्रिपुरा में पिछले तीन वर्षों के दौरान 14 टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित किए गये थे। वर्षवार ब्यौरा निम्नानुसार है:-

1996-97	5
1997-98	4
1998-99	5

(ग) 1999-2000 के दौरान त्रिपुरा में ऐसे 11 एक्सचेंजों को संस्थापित करने का प्रस्ताव है।

(घ) ग्रामीण क्षेत्रों में सभी टेलीफोन एक्सचेंज कार्यरत हैं।

(ङ) टेलीफोन सेवा सामान्य तौर से संतोषजनक है। आगे उसमें सुधार के लिए सभी ग्रामीण एक्सचेंजों को विश्वसनीय पारेषण माध्यम प्रदान किया जा रहा है।

पश्चिम बंगाल में इलेक्ट्रॉनिक टेलीफोन एक्सचेंज

190. श्री अमर राय प्रधान : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार वर्ष 1999-2000 के दौरान पश्चिम बंगाल में पुराने टेलीफोन एक्सचेंज के स्थान पर इलैक्ट्रानिक टेलीफोन एक्सचेंज लगाने का है;

(ख) यदि हां, तो राज्यवार और स्थानवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त कार्य को कब तक पूरा कर लिए जाने की संभावना है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) पश्चिम बंगाल में कार्यरत सभी टेलीफोन एक्सचेंज इलैक्ट्रॉनिक हैं।

(ख) से (घ) उपर्युक्त को देखते हुए प्रश्न नहीं उठते।

आंध्र प्रदेश में पाइपलाइन के जरिए एल.पी.जी. की आपूर्ति

191. प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु: क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आंध्र प्रदेश में भारतीय गैस प्राधिकरण लिमिटेड के मौजूदा क्रियाकलाप क्या हैं;

(ख) क्या भारतीय गैस प्राधिकरण लिमिटेड द्वारा आंध्र प्रदेश में किसी जगह गैस को पाइपलाइन के जरिए भेजने के लिए कोई कदम उठाए गए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या भारतीय गैस प्राधिकरण लिमिटेड ने आंध्र प्रदेश में पाइप के जरिए भेजी जाने वाली एल.पी.जी. की क्षमता का अध्ययन नहीं किया है; और

(ङ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. बोन्नुस्वामी): (क) फिलहाल गैस अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड लगभग 330 किलोमीटर के अपने पाइपलाइन नेटवर्क के माध्यम से 12 उपभोक्ताओं को कृष्णा-गोदावरी बेसिन में लगभग 4.7 एम.एम.एस.सी.एम.डी. गैस की आपूर्ति कर रही है।

(ख) और (ग) वर्तमान तथा विद्युत परियोजनाओं सहित नए ग्रास रूट संयंत्रों को गैस के अतिरिक्त आबंटन को देखते हुए गैस अथारिटी आफ इंडिया के.जी. बेसिन क्षेत्र में अतिरिक्त पाइपलाइनें बिछा रही है। इससे के.जी. बेसिन में गैस की आपूर्ति 8 एम.एम.एस.सी.एम.डी. से अधिक हो जाएगी।

(घ) और (ङ) गैस अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड ने आंध्र प्रदेश में बिजाग से सिकन्दराबाद तक लगभग 600 किलोमीटर के पाइपलाइन नेटवर्क के माध्यम से एल.पी.जी. के प्रेषण के लिए अध्ययन आरंभ किया है।

आपराधिक न्याय प्रणाली में व्यापक परिवर्तन

192. श्री अधीर चौधरी : क्या विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार मुकदमें करने वालों में पुन: विश्वास बहाल करने हेतु आपराधिक न्याय प्रणाली में व्यापक परिवर्तन करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या आपराधिक मामलों में व्यापक वृद्धि हो रही है तथा आपराधिक मामलों की आरंभिक चरण में ही अदालतों में सुनवाई किए जाने हेतु इन्हें सुचारू बनाने की आवश्यकता है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा देश की विभिन्न अदालतों में लंबित आपराधिक मामलों के आरंभिक चरण में निपटान किए जाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री (श्री राम जेठमलानी): (क) से (घ) दांडिक न्याय प्रणाली के प्रशासन में परिवर्तन/सुधार एक अनवरत प्रक्रिया है। सरकार, विधि आयोग जैसे विशेषज्ञ निकायों, आदि की सलाह और सिफारिशों के आधार पर, प्रक्रियाओं को सरल बनाने और मामलों के निपटान में तेजी लाने के लिए अनेक कदम उठाती रही है। इस बात को ध्यान में रखते हुए, दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक, 1994 संसद् में पेश किया गया था। विधि आयोग ने, अपनी एक सौ चौवनवीं रिपोर्ट में भी, इस संबंध में अनेक सिफारिशें की हैं।

सरकार द्वारा विभिन्न उपाय किए गए हैं जिनके अंतर्गत विशेष न्यायिक/मेट्रोपालिटन मजिस्ट्रेटों की नियुक्ति और विवाद समाधान की अन्य वैकल्पिक पद्धतियों का अपनाया जाना भी है। इसके अतिरिक्त, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों ने, मामलों के शीघ्रतापूर्ण निपटान के लिए अनेक कदम उठाए हैं, जैसे ऐसे मामलों का समूहन और वर्गीकरण, जिनमें विधि का एक जैसा प्रश्न अंतर्ग्रस्त है, विशेषित न्यायपीठों की स्थापना, मामलों के सूचीकरण का कंप्यूटरीकरण, इत्यादि।

और, उच्चतम न्यायालय की रिट याचिका (सिविल), 1996 का 1128, कामन कॉज बनाम भारत संघ में तारीख 1-5-96 के निर्णय में दिए गए निदेशों के अनुसरण में, अधीनस्थ न्यायालयों को छोटे अपराधों से संबंधित ऐसे मामले, जो दो या अधिक वर्षों से लंबित हैं और जिनमें कार्यवाहियां आरंभ नहीं हुई हैं, बंद करने के निदेश दिए गए हैं।

न्यायालयों में लंबित मामलों के ब्यौरे संलग्न विवरण I और II में दिए गए हैं।

विवरण I

उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में लंबित दांडिक मामलों का विवरण

(निम्नलिखित वर्षों को)

क्रम सं.	उच्च न्यायालय का नाम	31/12/96	31/12/97	31/12/98
1	2	3	4	5
1.	इलाहाबाद	140925	116993	122952
2.	आंध्र प्रदेश	3430	5564	7580
3.	बंबई	16254	18514	21074
4.	कलकत्ता	22593	29181	34653
5.	दिल्ली	10281	12884	12222
6.	गोहाटी	4262	4459	4420

1	2	3	4	5
7.	गुजरात	16167	14965	16129
8.	हिमाचल प्रदेश	3005	2604	2369
9.	जम्मू-कश्मीर	4132	3572	3441
10.	कर्नाटक	6230	5270	4617
11.	केरल	7520	9204	11183
12.	मध्य प्रदेश	29642	32248	36049
13.	मद्रास	21167	22333	28717
14.	उड़ीसा	5650	6641	8342
15.	पटना	19871	11856	14872
16.	पंजाब और हरियाणा	29056	27963	24449
17.	राजस्थान	21685	19748	19710
18.	सिक्किम	4	10	32
		361874	334009	372811

भारत का उच्चतम न्यायालय:

निम्नलिखित वर्ष को	सं.
1.5.96	4586
1.5.97	3810
1.5.98	3394

विवरण II

जिला अधीनस्थ न्यायालयों में लंबित दांडिक मामलों का विवरण

(निम्नलिखित वर्षों को)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	31/12/1996	31/12/1997	31/12/1997
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	297149	357981	393985
2.	अरूणाचल प्रदेश	1781	1579	1550
3.	असम	132058	128237	131760
4.	बिहार	953098	963011	974539
5.	गोवा	15561	14718	13880
6.	गुजरात	2610531	2377411	2378975
7.	हरियाणा	205265	255951	255951*
8.	हिमाचल प्रदेश	55526	63901	67245
9.	जम्मू-कश्मीर	76110	73414	73414*
10.	कर्नाटक	547366	583718	592707
11.	केरल	258043	301625	354220
12.	मध्य प्रदेश	1052040	1053504	1061682

1	2	3	4	5
13.	महाराष्ट्र	2056938	2173162	2041894
14.	मणिपुर	3667	3598	3769(6/98)
15.	मेघालय	लागू नहीं होता	1968	1968*
16.	मिजोरम	679	686	1169
17.	नागालैंड		- उपलब्ध नहीं -	
18.	उड़ीसा	533070	495002	519828
19.	पंजाब	135232	149613	149613*
20.	राजस्थान	554742	577974	595049
21.	सिक्किम	1369	2231	1352
22.	तमिलनाडु	249586	288092	286233
23.	त्रिपुरा	15189	14400	14400*
24.	उत्तर प्रदेश	2057821	2180670	2251365
25.	पश्चिमी बंगाल	950789	910662	910662*
26.	अंदमान और निकोबार	53	65	59
27.	चंडीगढ़	33671	35891	35891*

1	2	3	4	5
28.	दादरा और नागर हवेली	440	490	652
29.	दमण और दीव	361	502	560
30.	दिल्ली	282871	275622	281868
31.	लक्षद्वीप	27	37	48
32.	पांडिचेरी	4693	4515	4709
	कुल योग	13085726	13290230	13400996

*31.12.1999 को आंकड़े।

केन्द्रीय विद्युत उपक्रमों द्वारा वार्षिक योजना निधियों का अनुपयोग

193. श्री अशोक ना मोहोल:
श्री रामशेठ ठाकुर:
श्री ए. वेंकटेश नायक:

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या केन्द्रीय विद्युत उपक्रम अपनी वार्षिक योजना निधियों का पूर्ण रूप से उपयोग नहीं कर रहे हैं जिसके परिणामस्वरूप विलम्ब हो रहा है और लागत अधिक आ रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस संबंध में क्या कार्रवाई की जा रही है;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान उनके द्वारा कितना धन निर्धारित किया गया है और कितने धन का उपयोग किया गया है; और

(घ) वर्ष 1997-98, 1998-99 के दौरान विद्युत उत्पादन में क्षमता वृद्धि हेतु क्या लक्ष्य निर्धारित किये गये और कितने लक्ष्य प्राप्त किए गए?

विद्युत मंत्री (श्री पी.आर. कुमारमंगलम): (क) और (ख) विद्युत मंत्रालय के नियंत्रणाधीन अधिकतर केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों ने वार्षिक योजना निधियों का पूर्णत: समुपयोजन कर लिया है। तथापि कुछेक केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम भूमि अधिग्रहण में विलम्ब, वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता में विलम्ब वित्तीय वचनबद्धताओं, जन आन्दोलन, प्राकृतिक आपदाओं, पुनर्वास एवं पुनर्स्थापना संबंधी मामलों, तथा कानून व्यवस्था की समस्या आदि के कारण वार्षिक योजना निधियों का पूर्ण समुपयोजन नहीं कर सके। सरकार उच्च स्तरीय समितियों एव कृतक बलों और आवधिक समीक्षाओं के माध्यम से इस प्रकार की परियोजनाओं की सघनतापूर्वक मॉनीटरिंग कर रही है।

(ग) गत तीन वर्षों नामश: 1996-97, 1997-98 और 1998-99 के दौरान केन्द्रीय योजना के अंतर्गत आवंटित एवं समुपयोजित की गई निधियां निम्नवत हैं।

	आवंटित की गई निधियां (करोड़ रुपये में)	समुपयोजित (करोड़ रुपये में)
1996-97	6359.00	5625.58
1997-98	7386.36	6707.72
1998-99	8066.52	7627.72

(घ) वर्ष 1997-98 और 1998-99 के दौरान विद्युत उत्पादन में क्षमता अभिवृद्धि के लिए निर्धारित लक्ष्य और उपलब्धियां निम्नवत हैं।

	लक्ष्य (मे.वा.)	उपलब्धियाँ (मे.वा.)
1997-98	3239.00	3226.50
1998-99	3299.30	4242.00

पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीय राजमार्गों हेतु अनुदान

194. श्रीमती गीता मुखर्जी: क्या **जल भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पश्चिम बंगाल सरकार को हाल की बाढ़ में क्षतिग्रस्त राष्ट्रीय राजमार्गों के पुनर्निर्माण के लिए सरकार द्वारा अनुदान देने का प्रस्ताव विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा सड़कों की सुरक्षा के लिए क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं?

जल भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देबेन्द्र प्रधान): (क) जी हां।

(ख) वर्ष 1999-2000 के दौरान 10.00 करोड़ रु. निर्धारित किए गए हैं।

(ग) राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास और अनुरक्षण के लिए केन्द्र सरकार जिम्मेदार है। सामान्यत: राष्ट्रीय राजमार्गों को उपलब्ध संसाधनों के अंतर्गत यातायात योग्य स्थिति में रखा जाता है।

पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीय राजमार्गों के सुधार के लिए चालू वार्षिक योजना में 1999-2000 में 66.00 करोड़ रु. आबंटित किये गये हैं। इसके अतिरिक्त, इस मंत्रालय ने विभिन्न रा.रा. की गुणता में सुधार के लिए 14.59 करोड़ रु. की अनुमानित लागत के एक विशेष मरम्मत प्राक्कलन को भी अनुमोदन प्रदान किया है।

[हिन्दी]

बलात्कार करने वाले व्यक्तियों को मृत्युदण्ड देने संबंधी विधेयक

195. श्री रामदास आठवले: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ब्रिटिश शासन के दौरान बनाया गया पुलिस अधिनियम, 1861 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 आज भी लागू है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार बलात्कार करने वाले व्यक्तियों को मृत्युदण्ड देने के लिए एक विधेयक लाने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) ऐसा विधेयक कब तक पुर:स्थापित किए जाने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी): (क) और (ख) भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के अनुसार "पुलिस" राज्य का विषय है। कुछ राज्यों ने पुलिस अधिनियम, 1861 के बदले में स्वयं अपने पुलिस अधिनियम बनाए है। संसद ने भी दिल्ली पुलिस अधिनियम, 1978 बनाया है जोकि सम्पूर्ण दिल्ली पर लागू होता है। पुलिस अधिनियम, 1861 दिल्ली में लागू नहीं रहा।

भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 अभी भी लागू है। तथापि, समाज की जरूरतों को पूरा करने के लिए, समय समय पर, इस अधिनियम में संशोधन किए गए हैं। इस अधिनियम में ऐसा अंतिम संशोधन 19.11.1986 से लागू किया गया था।

(ग) से (ङ) केन्द्र सरकार, बलात्कार के अपराध के लिए एक दण्ड के रूप में "मृत्युदण्ड" दिए जाने के लिए भारतीय दण्ड संहिता की धारा 376 में संशोधन करना चाहती है। इस मामले में महिला और बाल विकास विभाग के विचार मांगे गए हैं। उक्त विभाग से विचार प्राप्त होने पर आगामी कार्रवाई की जाएगी।

[अनुवाद]

हथियार और गोलाबारूद की जब्ती

196. श्री नरेश पुगलिया: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गंडरबाल, कश्मीर से दिल्ली के लिए फलों की पेटियां ला रहा ट्रक 30 सितम्बर, 1999 को श्रीनगर-जम्मू राजमार्ग पर पटनीटाप के निकट दुर्घटनाग्रस्त हो गया था और उस ट्रक में हथियार और गोलाबारूद लादे पाए गए थे;

(ख) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ट्रक में कुछ उग्रवादी भी यात्रा कर रहे थे;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) ट्रक से जब्त किये गये हथियार और गोलाबारूद का ब्यौरा क्या है और पकड़े गए ट्रक में कितने उग्रवादी यात्रा कर रहे थे; और

(च) ऐसी गतिविधियों को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) और (ख) जी हाँ, एक ट्रक जिसमें एक छिपे हुए स्थान पर शस्त्र और गोला बारूद रखा था और जो कुपवाड़ा की ओर से जम्मू की ओर आ रहा था दिनांक 30.9.99 को एक अन्य ट्रक के साथ पटनीटाप पर टकरा गया और उसमें कुछ शस्त्र और गोला-बारूद पाया गया।

(ग) और (घ) बताया गया है कि ट्रक में सवार उग्रवादी भाग गए।

(ङ) इस ट्रक से 30 आई.इ.डी., 4 एण्टी-पर्सोनल सुरंगें, 2 पिस्तौल, 4 हथगोले और ए.के.-47 के कुछ कारतूस बरामद किए गए। कोई उग्रवादी गिरफ्तार नहीं किया गया। तथापि, ट्रक के ड्राईवर और क्लीनर को पुलिस हिरासत में ले लिया गया है।

(च) जम्मू व कश्मीर में आतंकवाद की समस्या से निपटने के लिए सरकार ने बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाया है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ, सीमा प्रबंधन को मजबूत करना, भीतरी प्रदेश में उग्रवादियों के खिलाफ प्रतिकारी कार्रवाई करके उनकी योजनाओं को निष्क्रिय करना, आसूचना तन्त्र को सक्रिय बनाना, विकास कार्यक्रम को गति प्रदान करना तथा लोकतांत्रिक प्रक्रिया को और मजबूत करना, इत्यादि, शामिल है।

[हिन्दी]

गांवों में सार्वजनिक टेलीफोन सुविधाएं

197. डा. अशोक पटेल:
श्री रामपाल सिंह:
श्री एस.डी.एन.आर. वाडियार:
श्री दिनशा पटेल:
श्री के.ए. सांगतम:
श्री बसुदेव आचार्य:

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास देश के प्रत्येक गांव में टेलीफोन सुविधा उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है और पिछले तीन वर्षों के दौरान लगाए गए टेलीफोनों की राज्यवार संख्या क्या है;

(ग) चालू वित्त वर्ष के दौरान राज्यवार ऐसे कितने टेलीफोन लगाए जाने का प्रस्ताव है;

(घ) देश के शेष गांवों में विशेषकर कर्नाटक, पं. बंगाल और नागालैंड में उक्त सुविधाएं कब तक प्रदान कर दिए जाने की संभावना है;

(ङ) क्या देश के ग्रामीण क्षेत्रों में उक्त सुविधाएं प्रदान करने हेतु निजी कंपनियां पहल कर रही हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) देश के प्रत्येक गांव को दूरसंचार सुविधा से जोड़ने के संबंध में सरकार की नीति है।

(ख) और (ग) देश में 607491 गांव हैं। 31.10.1999 तक 344508 गांवों को ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन प्रदान कर दिए गए हैं। वर्ष 1999-2000 का लक्ष्य 45136 ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन प्रदान करने का है। पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रगति राज्यवार ब्यौरा तथा चालू वर्ष के लक्ष्य का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) देश के सभी शेष राजस्व गांवों, इनमें कर्नाटक, पश्चिम बंगाल तथा नागालैण्ड के शेष राजस्व गांव भी शामिल हैं, को मार्च, 2002 तक क्रमिक रूप से कवर किया जाना है।

(ङ) प्राइवेट कम्पनियों ने अभी तक ग्रामीण क्षेत्रों में दूरसंचार सुविधाएं प्रदान करने की दिशा में पहल नहीं की है।

(च) छः प्राइवेट कम्पनियों के साथ लाइसेंस करार किये गये हैं। उनमें से केवल तीन कम्पनियों नामतः आंध्र प्रदेश में टाटा टेली सर्विसेज, मध्य प्रदेश में भारती टेलीनेट, महाराष्ट्र में ह्यूज इस्पात लि. ने शहरी क्षेत्रों में सेवाएं प्रदान करनी शुरू कर दी हैं। मैसर्स रीलायंस टेलीकॉम (गुजरात), मैसर्स एस्सार कामविजन (पंजाब) और मैसर्स टेलीलिंक नेटवर्क इंडिया लि. (राजस्थान) द्वारा शहरी क्षेत्रों में अपनी सेवाएं अभी शुरू की जानी है। कम्पनी-वार स्थिति निम्नानुसार है:

प्राईवेट कम्पनी	प्रचालन का क्षेत्र	क्या सेवा शुरू कर दी गयी है	कवर किये जाने वाले गांवों की संख्या	अब तक कवर किये गये गांवों की संख्या
टाटा टेली सर्विसेस	आंध्र प्रदेश	हां	9,635	शून्य
भारती टेलीनेट	मध्य प्रदेश	हां	11,000	5
ह्यूज इस्पात लि.	महाराष्ट्र	हां	25,760	शून्य
रीलायंस टेलीकाम	गुजरात	नहीं	8,635	शून्य
एस्सार कामविजन	पंजाब	नहीं	5442	शून्य
टेलीलिंक नेटवर्क इंडिया लि.	राजस्थान	नहीं	12,754	शून्य

विवरण

क्रम सं.	दूरसंचार सर्किलें	निम्नलिखित वर्षों के दौरान प्रदान किए गए सार्वजनिक टेलीफोन			अनुमोदित लक्ष्य
		1996-97	1997-98	1998-99	1999-2000
1	2	3	4	5	6
1.	अंडमान एवं निकोबार	75	30	56	63
2	आंध्र प्रदेश	2619	1566	526	0

1	2	3	4	5	6
3.	असम	1665	2484	2907	3000
4.	बिहार	3526	2615	2137	8000
5.	गुजरात	1505	0	0	0
6.	हरियाणा	1204	195	0	26
7.	हिमाचल प्रदेश	1034	1504	1208	2500
8.	जम्मू एवं कश्मीर	730	437	763	1500
9.	कर्नाटक	4120	3389	2521	2000
10.	केरल	0	0	0	0
11.	मध्य प्रदेश	7355	3878	3707	5000
12.	महाराष्ट्र	4691	2725	2462	0
13.	गोवा	36	36	10	0
14.	अरूणाचल प्रदेश	104	50	21	750
15.	मणिपुर	81	115	48	300
16.	मेघालय	86	180	233	300
17.	मिजोरम	121	15	30	79
18.	नागालैंड	120	44	21	307

1	2	3	4	5	6
19.	त्रिपुरा	132	70	51	264
20.	उड़ीसा	3423	2402	2242	3000
21.	पंजाब	3506	1327	173	0
22.	राजस्थान	5051	3269	2585	0
23.	तमिलनाडु	2608	2534	196	0
24.	उ.प्र. (पूर्व)	5702	8618	8219	7000
25.	उ.प्र. (पश्चिम)	4000	2197	2937	6000
26.	पश्चिम बंगाल	2852	3153	3955	4945
27.	सिक्किम	8	4	50	55
28.	कलकत्ता टेलीफोन्स	365	22	0	47
	योग	56719	42855	37058	45136

[अनुवाद]

ओ.एन.जी.सी. का विपणन और उत्पादन आई.ओ.सी. को

198. **श्री दिलीप कुमार मनसुखलाल गांधी:**
श्री उत्तमराव ढिकले:
श्री ए.सी. जोस:

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या तेल और प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड अपना विपणन और समूचा उत्पादन कार्य भारतीय तेल निगम लिमिटेड को सौंपने पर विचार कर रहा है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उसके क्या कारण हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. पोन्नुस्वामी): (क) और (ख) आयल एण्ड नेचुरल गैस कार्पोरेशन लिमिटेड (ओ एन जी सी) वर्तमान में अपने उत्पादों का विपणन सरकारी नीति के अनुसार कर रही है। ए पी एस (प्रशासित मूल्य निर्धारण पद्धति) की समाप्ति, अर्थात

01 अप्रैल, 2002 के पश्चात, अपने उत्पादों के विपणन के लिए गेयल एण्ड नेचुरल गैस कार्पोरेशन द्वारा इंडियन आयल कार्पोरेशन लि. के साथ प्रारंभिक चर्चाएं की गई हैं।

बिहार में कानून व्यवस्था की स्थिति

199. **श्री प्रभुनाथ सिंह:** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बिहार में कानून और व्यवस्था की स्थिति में निरंतर गिरावट आ रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार ने बिहार की स्थिति के अध्ययन हेतु हाल में कोई दल भेजा है;

(ग) यदि हां, तो इसके परिणामों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस पर क्या कार्यवाही की गई/किए जाने का प्रस्ताव है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर चन्द्राल स्वामी): (क) से (घ) बिहार में कानून और व्यवस्था की स्थिति चिन्ता का विषय बनी हुई है। तथापि, फरवरी 1999 के बाद से इस संबंध में किसी भी केन्द्रीय दल ने बिहार का दौरा नहीं किया है।

राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम द्वारा अर्जित लाभ

200. **श्री एस.डी.एन.आर. वाडियार:** क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लाभ अर्जित कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो कब से और राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान कुल कितना लाभ अर्जित किया गया है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक ताप विद्युत संयंत्र का क्या निष्पादन रहा है; और

(घ) नौवीं योजना के दौरान विस्तार के लिए राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम द्वारा विचारार्थ रखी गई योजना का वर्षवार ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्री (श्री पी.आर. कुमारमंगलम): (क) और (ख) जी, हां। नेशनल थर्मल पावर कार्पोरेशन (एनटीपीसी) वर्ष 1993-94 से लाभांश की घोषणा करता रहा है। गत तीन वर्षों के लिए एनटीपीसी से संबंधित कर उपरांत लाभ तथा भुगतान किये गये लाभांश का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

वर्ष	लाभांश (रुपये/करोड़)	कर उपरांत लाभ (रुपये/करोड़)
1998-99	650	2285.73
1997-98	504	2153.50
1996-97	405	1679.43

(ग) एनटीपीसी के विद्युत संयंत्रों के संबंध में गत तीन वर्षों के लिए सकल उत्पादन (मि.यू.) दर्शाने वाला कार्य निष्पादन विवरण I में दिया गया है।

(घ) परियोजना-वार क्षमता अभिवृद्धि और वर्ष-वार योजना इंगित करने वाली एनटीपीसी की विस्तृत योजना विवरण II में दी गई है।

विवरण I

पिछले तीन वर्षों के दौरान एनटीपीसी केन्द्रों का कार्यनिष्पादन

केन्द्र	1998-99 सकल उत्पादन (मि.यू.)	1997-98 सकल उत्पादन (मि.यू.)	1996-97 सकल उत्पादन (मि.यू.)
1	2	3	4
सिंगरौली टीपीएस	16797.8	14870.8	15361.9
कोरबा एसटीपीएस	16046.6	15690.6	15895.4

1	2	3	4
रामागुण्डम एसटीपीएस	15859.2	16397.8	15673.8
फरक्का एसटीपीएस	5475.6	6038.4	6392.4
विन्ध्याचल एसटीपीएस	9934.2	8749.6	9273.1
रिहन्द एसटीपीएस	6817.7	7544.9	6685
ऊंचाहार टीपीएस	3023.1	2946.0	2950.3
नेशनल कैपिटल टीपीपी, दादरी	6727.5	6412.7	6072.8
कहलगांव एसटीपीएस	3988.7	3424.1	3318.4
तालचेर (कनिहा) एसटीपीएस	4592.5	4124.1	929.4
अन्ता जीपीपी	2931.1	2855.4	2657.3
औरैया जीपीपी	4146.2	3847.2	3836.5
दादरी जीपीपी	5099.2	4518.3	3974.9
कवास जीपीपी	4411.9	4131.3	1700.9
गांधार जीपीपी	2162.2	2641.9	2887
कायमकुलम जीपीपी	243.3	17994.1	15056.6
तालचेर टीपीएस	2248.5	2096.8	1548.7
बदरपुर टीपीएस	4862.8	4475.7	4084.8
बाल्को कैप्टिव पावर संयंत्र	2028.3	2112.8	2044.8

पाद टिप्पणी:

*एसटीपीएस - सुपर थर्मल पावर स्टेशन

**गैस पावर प्रोजेक्ट।

विवरण II

9वीं योजना हेतु एनटीपीसी का परियोजना-वार क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम

परियोजना	राज्य	क्षमता (मे.वा.)	अधिष्ठापित क्षमता (मे.वा.)
विन्ध्याचल II	मध्य प्रदेश	1000	500
ऊंचाहार II	उत्तर प्रदेश	420	420
कायमकुलम I	केरल	350	350
फरीदाबाद जीपीपी	हरियाणा	430	286
सिम्हाद्री टीपीपी	आंध्र प्रदेश	500	शून्य
कवास सीसीपीपी II	गुजरात	650	शून्य
गंधार सीसीपीपी II	गुजरात	650	शून्य
अन्ता सीसीपीपी II	राजस्थान	650	शून्य
औरय्या सीसीपीपी II	उत्तर प्रदेश	650	शून्य
	कुल	5300	1556

पाद टिप्पणी:

*जीपीपी-गैस पावर प्लांट

**सीसीपीपी-संयुक्त साइकिल विद्युत संयंत्र

नौवीं योजना के दौरान विस्तार संयंत्र हेतु नेशनल थर्मल पावर कार्पोरेशन द्वारा विचारार्थ रखी गई वर्ष-वार योजना

वर्ष	क्षमता अभिवृद्धि योजना (मे.वा.)	उपलब्धियां (मे.वा.)
1997-1998	शून्य	शून्य
1998-1999	115	940
1999-2000	1231	616
2000-2001	854	–
2001-2002	3100	–
कुल	5300	1556

'इंटेलीजेंट नेटवर्क' सेवा

201. श्री सदाशिव राव दादोबा मंडलिक: क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दूरसंचार विभाग देश में 'इंटेलीजेंट नेटवर्क' सेवा शुरू करने की योजना बना रहा है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) दूर-संचार सेवा विभाग ने इंटेलीजैंट नेटवर्क (आईएन)-सेवाएं पहले ही शुरु कर दी थीं, जो अब 29 नगरों में उपलब्ध है।

(ख) छह प्रकार की 'इंटैलीजैंट नैटवर्क' (आईएन)-सेवाएं, अर्थात् 'फ्रीफोन, प्रिमियम रेट, 'वर्चुअल कार्ड-कॉलिंग', 'टेलीवोटिंग', 'यूनिवर्सल एक्सेस नंबर' व 'वर्चुअल प्राइवेट नैटवर्क' प्रदान की जा सकती है।

अभी तक उपर्युक्त पहली तीन सेवाओं में से एक या अधिक सेवाएं संलग्न विवरण के अनुसार 29 नगरों में उपलब्ध कराई जा चुकी है।

विवरण

'आई एन'-सेवा-युक्त नगरों की सूची

क्र.सं.	दूर-संचार सर्किल	'आईएन'-सेवा-युक्त केन्द्र (स्टेशन)
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	हैदराबाद
2.	असम	गुवाहाटी
3.	बिहार	पटना
4.	गुजरात	अहमदाबाद
5.		गांधीनगर
6.	हरियाणा	अम्बाला
7.		गुड़गांव
8.	हिमाचल प्रदेश	शिमला
9.	जम्मू एवम् कश्मीर	जम्मू
10.	कर्नाटक	बेंगलोर
11.	महाराष्ट्र	पुणे
12.		नागपुर
13.		पणजिम
14.	मध्य प्रदेश	भोपाल
15.		ग्वालियर
16.		रायपुर
17.		इंदौर
18.	उत्तर-पूर्व	शिलांग
19.	उड़ीसा	भुवनेश्वर
20.		कटक
21.	पंजाब	चंडीगढ़
22.	राजस्थान	जयपुर
23.	तमिलनाडु	कोयंबटूर
24.	उत्तर प्रदेश (पूर्व)	लखनऊ
25.	उत्तर प्रदेश (पश्चिम)	आगरा
26.	कलकत्ता	कलकत्ता
27.	चेन्नई	चेन्नई
28.	दिल्ली	दिल्ली
29.	मुंबई	मुंबई

टेलकॉम पैकेज में निहित कठिनाइयां

202. **श्री वाई.एस. विवेकानन्द रेड्डी:** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दूरसंचार क्षेत्र की सहायता हेतु बनाई गई ''टेलकॉम पैकेज'' में दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा इसके क्रियान्वयन के लिए दी गई सशर्त अनुमति संबधी निर्णय दिए जाने के बाद अनेक कठिनाइयां व्याप्त है;

(ख) यदि हां, तो किसी कंपनी द्वारा नए फार्मूला को स्वीकार नहीं किया गया है क्योंकि इनके द्वारा सभी शर्तों को पूरा किया जाना है;

(ग) यदि हां, तो टेलकाम पैकेज में किस प्रकार की कठिनाइयां हैं तथा उच्च न्यायालय द्वारा लगाई गई शर्तों का ब्यौरा क्या है;

(घ) सरकार द्वारा इन कठिनाइयों को समाप्त करने हेतु क्या कदम उठाए जाने का विचार है; और

(ङ) इन कठिनाइयों से टेलकाम पैकेज किस हद तक प्रभावित हुआ है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) दिल्ली साइंस फॉरम ने माइग्रेशन नीति को चुनौती देते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय में एक सिविल रिट याचिका दायर की है और फिलहाल यह मामला न्यायाधीन है। माननीय न्यायालय ने 10.8.1999 के अन्तरिम आदेश के जरिए सरकार को माइग्रेशन पैकेज की शर्तों के अनुरूप माइग्रेशन (बुनियादी तथा सेल्यूलर सेवा के लाइसेंसधारियों को) की अनुमति प्रदान करने की छूट दी है बशर्ते कि मंत्रिपरिषद ने उक्त पैकेज का अनुमोदन किया हो लेकिन नई लोक सभा द्वारा इसे अस्वीकृत किया जा सकता है। इस मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय में अगली सुनवाई 6.12.1999 को होगी। बुनियादी तथा सेल्यूलर सेवाओं के मौजूदा लाइसेंसधरियों का नई दूरसंचार नीति 1999 की व्यवस्था में प्रवेश करना न्यायालय में चल रहे मुकदमे के निर्णय पर निर्भर करेगा।

उक्त मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय के उक्त अन्तरिम आदेश के सन्दर्भ में नए मंत्रिमंडल ने 21.10.1999 को उक्त मामले पर पुन: विचार किया और माइग्रेशन पैकेज के संबंध में पूर्व मंत्रिमंडल के निर्णय का अनुमोदन कर दिया।

(ख) नई दूरसंचार नीति-1999 की व्यवस्था में प्रवेश करना, न्यायालय के निर्णय तथा पैकेज की शर्तों की पूर्ति पर निर्भर करेगा।

(ग) से (ङ) माइग्रेशन पैकेज, उक्त मामले में न्यायालय के निर्णय के आधार पर क्रियान्वित किया जाएगा।

गैर-सरकारी परिषद सदस्यों को विशेषाधिकार

203. **श्री सुरेश रामराव जाधव:**
श्री चंद्रनाथ सिंह:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (एन.डी.एम.सी.) अधिनियम में परिषद के सदस्यों को विशेषाधिकार दिए जाने का कोई प्रावधान है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) परिषद के सदस्यों को उपलब्ध विशेषाधिकारों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (एन.डी.एम.सी.) के अध्यक्ष ने गैर-सरकारी सदस्यों को दी जा रही सुविधाओं पर आपत्ति की है जैसा कि ''द हिन्दुस्तान टाइम्स'' में 3 नवम्बर, 1999 को प्रकाशित हुआ था; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस पर क्या कार्रवाई की गई/प्रस्तावित है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) से (ग) नई दिल्ली नगरपालिका परिषद अधिनियम, 1994 की धारा 16(2) में प्रावधान है कि इस परिषद के सदस्य परिषद की और इसकी किसी भी समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए इसके लिए बनाए गए नियमों में निर्धारित की गई दरों पर भत्ते प्राप्ति के हकदार हैं। तथापि, नई दिल्ली नगर पालिका परिषद ने 5 नवम्बर 1996 के अपने संकल्प सं. 3 (12) के द्वारा निम्नलिखित सुविधायें देने का संकल्प किया:

(1) आवासीय टेलीफोन अथवा 650 काल तक के टेलिफोन प्रभारों की प्रतिपूर्ति,

(2) सभी गैर सरकारी सदस्यों के लिए सरकारी वाहन,

(3) 100 लीटर प्रति माह की दर से वाहनों के लिए पैट्रोल (बाद में मई 1997 में इसे संशोधित कर 200 लीटर प्रति माह कर दिया गया था)

(4) 200 रुपये प्रति दिन की दर से बैठक भत्ता,

(5) नई दिल्ली नगर पालिका के ग्रप-क के अधिकारियों के समान चिकित्सा सुविधाएं,

(6) गैर सरकारी सदस्यों को स्वतंत्र कमरे उपलब्ध कराने की व्यवहारिकता की जांच करना।

(घ) नई दिल्ली नगर पालिका ने इसका खण्डन किया है कि अध्यक्ष द्वारा कथित समाचार में उल्लेखानुसार ऐसा कोई वक्तव्य दिया गया है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता है।

पूर्वोत्तर राज्यों में केन्द्रीय एजेंसियां

204. श्री भीम दाहाल: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सिक्किम सहित प्रत्येक पूर्वोत्तर राज्य में कृषि, व्यापार तथा उद्योग के उन्नयन हेतु कार्यरत केन्द्रीय एजेंसियों की वर्तमान स्थिति क्या है:

(ख) वर्ष 1998-99 तथा 1999-2000 के दौरान प्रत्येक राज्य हेतु केन्द्रीय एजेंसियों द्वारा योजनावार कौन-कौन से वित्तीय कार्यक्रम तैयार किए गए हैं; और

(ग) इस संबंध में अब तक राज्यवार कितनी प्रगति की हुई है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी): (क) से (ग) वर्ष 1998-99 के लिए विभिन्न केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों से प्राप्त सूचना संलग्न विवरण में दी गयी है।

वर्ष 1999-2000 के लिए सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

विवरण

(क) (1) कृषि विभाग ने सूचित किया है कि राष्ट्रीय बीज निगम और स्टेट फार्म कोरपोरेशन आफ इंडिया, पूर्वोत्तर राज्यों में कृषि के विकास में सक्रिय रूप से कार्यरत है।

(2) वाणिज्य मंत्रालय ने सूचित किया है कि निर्यात को बढ़ाने के विचार से, 1995-96 में "क्रिटीकल इम्फरास्ट्रक्टचर बैलेंस" नामक योजना शुरू की गयी है। इस योजना के अंतर्गत पूर्वोत्तर क्षेत्र में वित्त पोषण के लिए पांच परियोजनाएं स्वीकृत की गई है। इन परियोजनाओं में से दो परियोजनाएं मेघालय राज्य में, दो त्रिपुरा में और एक मिजोरम में स्थित है।

(3) उद्योग मंत्रालय ने सूचित किया है कि पूर्वोत्तर क्षेत्र में सन्तुलित औद्योगिक विकास सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने विभिन्न प्रोत्साहन उपलब्ध कराए हैं, जैसे ग्रोथ सेंटर स्कीम, यातायात आर्थिक सहायता स्कीम और एकीकृत मूलभूत संरचना विकास स्कीम।

(4) औद्योगिक विकास विभाग ने सूचित किया है कि सिक्किम सहित पूर्वोत्तर राज्यों में, कृषि, व्यापार और वाणिज्य के विकास के लिए उनके क्षेत्राधिकार के अंतर्गत कोई एजेन्सी या स्कीम नहीं है।

(5) लघु उद्योग और कृषि और ग्रामीण उद्योग विभाग ने सूचित किया है कि राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड तथा लघु उद्योग विकास आयुक्त का कार्यालय, पूर्वोत्तर राज्यों में लघु उद्योगों के संवर्धन में लगे हैं।

(6) पूर्वोत्तर परिषद ने सूचित किया है कि पूर्वोत्तर राज्यों में कृषि और बागवानी क्षेत्र में और गहन खेती और वृक्षारोपण के विपणन समर्थन हेतु नौवीं पंचवर्षीय योजना के अधीन दो योजनाओं को मंजूरी दी गई है।

(ख) और (ग) उपलब्ध सूचना के अनुसार, योजना-वार वित्तीय कार्यक्रम तथा की गई प्रगति निम्न प्रकार है:

(1) कृषि विभाग

वर्ष 1998-99 के दौरान राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड द्वारा पूर्वोत्तर राज्यों को अनाज, दालों, तिलहनों, चारे इत्यादि के 12375 क्विन्टल बीज की आपूर्ति करने की योजना है। 1998-99 के दौरान सिक्किम राज्य को विभिन्न फसलों के 2000 क्विंटल बीजों की आपूर्ति करने की योजना है। इसमें हुई प्रगति निम्न प्रकार है:

पूर्वोत्तर राज्यों में किसानों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए गुवाहाटी में 33.77 लाख रुपये की लागत से एक

कार्यालय-कम-बीज गोदाम का निर्माण किया गया है। सिलीगुड़ी स्थित बीज निगम का कार्यालय सिक्किम में बीज की आवश्यकताओं को पूरा कर रहा है। इसके अलावा, राष्ट्रीय बीज निगम ने पूर्वोत्तर राज्यों के लिए 95 बीज डीलर तथा सिक्किम में 6 बीज डीलर नियुक्त किए हैं।

(2) वाणिज्य मंत्रालय

मेघालय: स्वीकृत दो परियोजनाएं, निम्न प्रकार हैं:

(क) एक्सपोर्ट प्रमोशन इण्डस्ट्रीयल पार्क, बिरनीहाट, मेघालय में 2.43 करोड़ रुपये की लागत से एक पावर-सब-स्टेशन का निर्माण करना।

(ख) बिरहनीहाट को मेन रोड से जोड़ने वाली सड़क को बेहतर बनाना, जिसके लिए 0.65 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए थे।

मिजोरम: जोरवाथार में एक संयुक्त भवन का निर्माण करने के संबंध में एक परियोजना स्वीकृत की गई है, जिसके लिए भारत सरकार का योगदान 2.00 करोड़ रुपये था।

त्रिपुरा: दो परियोजनाओं का अनुमोदन किया गया है, जो निम्न प्रकार हैं:

(क) फायर स्टेशन, चौमुहानी, अगरतला से अखूरा चैक पोस्ट तक की सड़क को बेहतर बनाना, जिसके लिए भारत सरकार का योगदान 0.41 करोड़ रुपये था।

(ख) 0.22 करोड़ रुपये की लागत से अखूरा और रघना लैण्ड कस्टम स्टेशनों पर "वेह ब्रिज" की व्यवस्था।

हुई प्रगति इस प्रकार है:

मेघालय के लिए वर्ष 1997-98 और 1998-99 में क्रमश: 1.25 करोड़ और 1.18 करोड़ रुपये जारी किये गये थे। मिजोरम के लिए 2.00 करोड़ रुपये जारी किए गए थे। त्रिपुरा के लिए, निधि जारी करने संबंधी दस्तावेज प्रौसेस किए गए।

(3) उद्योग मंत्रालय

पूर्वोत्तर क्षेत्र में ग्रोथ-सैन्टर के लिए 15.00 करोड़ रुपये की रकम केन्द्रीय सहायता से दी जाएगी। पूर्वोत्तर राज्यों के पर्वतीय, दूर-दराज के और अगम्य क्षेत्रों में औद्योगीकरण को बढ़ावा देने के लिए परिवहन सबसीडी दी जाएगी।

इसमें अब तक की गई प्रगति निम्न प्रकार है:

ग्रोथ सैन्टर स्कीम-1998 के तहत, अब तक असम राज्य के लिए तीन ग्रोथ सैन्टरों का आबंटन किया गया है तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र के अन्य प्रत्येक राज्य के लिए एक-एक ग्रोथ सैन्टर आबंटित किया गया है। सिक्किम राज्य के लिए भी एक ग्रोथ सैन्टर आबंटित किया गया है। असम और मणिपुर के लिए इन्फ्रास्ट्रक्चर डवलपमैंट सैन्टर भी स्वीकृत किए गए हैं।

(4) लघु उद्योग और कृषि और ग्रामीण उद्योग विभाग:

वर्ष 1998-99 के दौरान, पूर्वोत्तर क्षेत्र में लघु उद्योग यूनिटों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने का लक्ष्य इस प्रकार था:

(क) हायर परचेज/लीजिंग	200 लाख रुपये
(ख) कच्चा माल सहायता	200 लाख रुपये
(ग) आंतरिक विपणन सहायता कार्यक्रम	200 लाख रुपये
(घ) आन्तरिक विपणन	100 लाख रुपए

31.1.1999 तक की प्रगति इस प्रकार थी:

	हायर परचेज/लीजिंग (रुपए)	कच्चा माल सहायता/ आई.एम.एस.पी. (रुपए)
असम	66.56 लाख	249.10 लाख
मेघालय	5.98 लाख	-
मणिपुर	1.19 लाख	-

इसके अलावा, विकास आयुक्त लघु उद्योग का कार्यालय जोकि पूर्वोत्तर राज्यों और सिक्किम में प्रधान मंत्री की रोजगार योजना का क्रियान्वयन कर रहा है, कृषि और सहबद्ध गतिविधियों सहित, लेकिन सीधे कृषि अभियानों नामत: फसल को उगाने

और खाद की खरीद आदि को छोड़कर, सभी किपायती व्यवहार्य गतिविधियों के लिए इमदाद के रूप में वित्तीय सहायता उपलब्ध कराता है। वर्ष 1998-99 तक, इस योजना के अंतर्गत 1.00 लाख रुपए तक की लागत की परियोजना को समाविष्ट किया गया था। 1999-2000 से व्यवसाय सेकटर की 1.00 लाख रुपए तक की लागत की परियोजनाओं और उद्योग और सेवा सेक्टर की 2.00 लाख रुपए तक की परियोजनाओं को कवर किया गया है। पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए इमदाद, परियोजना की लागत का 15% जिसकी अधिकतम सीमा 15,000 रुपए होगी और सिक्किम के मामले में यह अधिकतम सीमा 7,500 रु. होगी।

इसके अतिरिक्त राज्य सरकारों को उद्योग सेक्टर के लिए, प्रशिक्षण के लिए 1,000 रुपए प्रति लाभार्थी और सेवा और व्यवसाय सैक्टर के लिए 500 रुपए प्रति लाभार्थी की दर से निधियां जारी की जाती है। 1998-99 (जनवरी, 1999 तक) के दौरान प्रत्येक पूर्वोत्तर राज्य और सिक्किम को जारी की गई निधियों के ब्यौरे निम्नानुसार हैं:

	राज्य	हजार रुपयों में
1.	असम	2718.20
2.	अरूणाचल प्रदेश	379.30
3.	मणिपुर	531.45
4.	मेघालय	320.50
5.	मिजोरम	101.25
6.	नागालैंड	82.25
7.	त्रिपुरा	210.75
8.	सिक्किम	25.00

(5) पूर्वोत्तर परिषद

9वीं पंचवर्षीय योजना में कृषि/बागवानी योजनाओं को विपणन सहायता के लिए कुल स्वीकृत परिव्यय 10.00 करोड़ रुपए है। 1998-99 के दौरान, 120.00 लाख रुपए के बजट प्रावधान में से 87.25 लाख रुपए जारी किए गए। चूंकि प्रत्येक राज्य को बराबर निधियां जारी करने का प्रश्न था, प्रत्येक राज्य के लिए 17.00 लाख रुपए (लगभग) की राशि रखी गई थी।

इसके अलावा, 9वीं पंचवर्षीय योजना में "गहन खेती/वृक्षारोपण" योजना के लिए कुल 700.00 लाख रुपए परिव्यय है। तथापि, अपरिहार्य कारणों से इस स्कीम को जुलाई, 1998 से निलम्बित कर दिया गया था।

[हिन्दी]

पेट्रोलियम उत्पादों में मिलावट

205. श्री सुरेश चन्देल:
श्री शीशराम सिंह रवि:

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महानगरों और अन्य शहरों में पेट्रोल में डीजल की मिलावट और कम नापने का कोई षडयंत्र चल रहा है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान सरकार को इस बारे में कितनी शिकायतें प्राप्त हुई और इस बारे में कितने लोगों के विरुद्ध कार्यवाही की गई है;

(ग) क्या सरकार ने पेट्रोल पंपों पर बिकने वाले डीजल और पेट्रोल की गुणवत्ता जांचने और ग्राहकों को पूरी मात्रा दी जा रही है या नहीं यह सुनिश्चित करने हेतु डीजल और पेट्रोल के नमूने लेने के लिए कोई निरीक्षण करवाया है;

(घ) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान ऐसे कितने निरीक्षण किए गए और इनमें कितने लोगों को दोषी पाया गया;

(ङ) क्या सरकार को निरीक्षकों और डीजल/पेट्रोल पंप मालिकों के बीच सांठगांठ के संबंध में कोई सूचना मिली है; और

(च) यदि हां, तो सरकार ने उन पर क्या कार्यवाही की है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. पोन्नुस्वामी): (क) और (ख) सरकार महानगरों तथा अन्य नगरों के अंतर्गत पेट्रोल में डीजल की मिलावट करने तथा कम मापने के विषय में चल रही किसी साजिश से अवगत नहीं है।

(ग) और (घ) जी, हां। विगत तीन वर्षों के दौरान की गई जांचों की संख्या निम्नवत है:

वर्ष	जांचों की संख्या	पता लगे मिलावट/कम सुपुर्दगी के मामले
1996-97	78029	325
1997-98	75461	400
1998-99	69806	504

(ङ) और (च) तेल कंपनियों में कोई निरीक्षक नहीं हैं।

[अनुवाद]

डाक-टिकट जारी करना

206. **श्री वरकला राधाकृष्णन:** क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को स्वर्गीय ई.एम.एस. नम्बूदरीपाद के नाम पर डाक-टिकट जारी करने के लिए कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने मांग पूरी करने के लिए क्या कार्रवाई की है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) और (ख) जी हां। श्री ई.के. नयनार, मुख्य मंत्री, केरल से एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ था।

(ग) स्मारक डाक-टिकट जारी करने के प्रस्तावों की विनिर्दिष्ट मार्गदर्शी सिद्धान्तों के आधार पर डाक विभाग में फिलैटलिक सलाहकार समिति द्वारा जांच की जाती है। इन मार्गदर्शी सिद्धांतों में अन्य बातों के अलावा यह भी सन्निहित है कि राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय ख्याति के व्यक्तियों पर डाक-टिकट या तो उनकी जन्म शताब्दी के अवसर पर अथवा उनकी 10वीं/25वीं/50वीं/100वीं पुण्य तिथि पर जारी किए जा सकते हैं। चूंकि श्री नम्बूदिरीपाद का जन्म 14 जून, 1909 को तथा मृत्यु 19 मार्च, 1998 को हुई थी, यह प्रस्ताव ऐसे डाक-टिकट जारी किये जाने संबंधी शर्तों को पूरा नहीं करता।

तदनुसार, यह सूचित किया गया कि इस प्रस्ताव पर श्री नम्बूदिरीपाद की जन्मशती के अवसर पर अथवा 10वीं पुण्य तिथि के अवसर पर बाद में विचार किया जा सकता है।

बाबरी मस्जिद तोड़ने का मामला

207. **श्री प्रियरंजन दासमुंशी:** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) बाबरी मस्जिद तोड़ने संबंधी मामले की जांच की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) दोषियों पर मुकदमा चलाने हेतु लखनऊ में स्थापित विशेष अदालतों की संख्या कितनी है;

(ग) गिरफ्तार किए गए एवं जमानत पर छोड़े गए व्यक्तियों की संख्या कितनी है; और

(घ) केन्द्रीय और राज्य सरकार दोनों किस तरह से इस मामले की निगरानी कर रहे हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी): (क) बाबरी मस्जिद गिराने के मामले में जांच पड़ताल, केन्द्रीय आसूचना ब्यूरो द्वारा 5.10.93 को पूरी कर ली गयी थी और 40 अभियुक्त व्यक्तियों के खिलाफ 5.10.93 को स्पेशल मजिस्ट्रेट (अयोध्या प्रकरण) लखनऊ के न्यायालय में आरोप पत्र दायर कर दिया गया था। आगे और जांच करने के बाद 9 अन्य अभियुक्त व्यक्तियों के खिलाफ 11.1.96 को उक्त न्यायालय में पूरक आरोप पत्र दायर किया गया था।

(ख) इन मामलों पर विचारण के लिए दो विशेष न्यायालय स्थापित किए गए थे अर्थात लखनऊ में एक न्यायालय स्पेशल मजिस्ट्रेट का और दूसरा विशेष न्यायाधीश (अयोध्या प्रकरण) का।

(ग) विवरण के रूप में सूची संलग्न है।

(घ) विशेष न्यायाधीश (अयोध्या प्रकरण) ने 9.9.97 को यह आदेश पारित किया कि सभी 49 अभियुक्त व्यक्तियों के खिलाफ आरोप निर्धारित करने के लिए प्रथम दृष्टया मामला बनता है। इसके खिलाफ 33 अभियुक्त व्यक्तियों ने अक्तूबर 1997 में माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद की लखनऊ पीठ में पुनरीक्षा याचिकाएं दायर की है, जिनकी नियमित रूप से सुनवाई की जा रही है। पुनरीक्षा याचिकाएं उच्च न्यायालय में

निपटान के लिए लम्बित पड़ी हैं। पुनरीक्षा याचिकाओं के निपटान तक, विचारण न्यायालय में सुनवाई स्थगित की जा रही है। इन मामलों में विचारण द्वारा नियुक्त विशेष सरकारी वकील नियमित रूप से विचारण न्यायालय और उच्च न्यायालय में उपस्थित हो रहे हैं।

विवरण

आर.सी.-8 (एस)/92/एस.आई.सी.-II/एस.आई.सी.IV/नई दिल्ली और आर.सी.-I (एस) से 48(एस)/93/एस.आइ.सी.-IV/नई दिल्ली (बाबरी मस्जिद गिराने का मामला) में गिरफ्तार किए और जमानत पर रिहा किए गए अभियुक्त व्यक्तियों की सूची

क्र.सं.	नाम (सर्व/श्री)
1	2
1.	सुरेश पांडे उर्फ सच्चिदानंद पांडे
2.	लोकेश चन्द्र सोनार
3.	जगदीश चन्द्रा
4.	विनीत कुमार द्विवेदी
5.	गिराजा शंकर
6.	अर्जुन प्रसाद ओझा
7.	राजन लाल
8.	रमेश चन्द्रा
9.	सुखदेव
10.	अचल सिंह
11.	हजारी लाल
12.	हेमराज
13.	दिगम्बर सिंह रावत
14.	शिवमंगल
15.	राम उमेश त्यागी कोशिक
16.	ओम प्रकाश पांडे
17.	लक्ष्मी नारायण दास
18.	विनय कुमार राय
19.	जानकी दास
20.	छेदी शाह
21.	सत्या प्रकाश
22.	राम लखा दास
23.	देवेन्द्रा कुमार
24.	महेन्द्रा कुमार
25.	किशन बिहारी
26.	एल.के. आडवाणी
27.	कल्याण सिंह
28.	अशोक सिंघल
29.	विनय कटियार

1	2
30.	मोरेश्वर शावे
31.	पवन कुमार पांडे
32.	बृज भूषण सरन सिंह
33.	लाल भगवान गोयल
34.	उमा भारती उर्फ गजरा सिंह
35.	साध्वी ऋतमभरा
36.	महाराज स्वामी साक्षी
37.	सतीश प्रधान
38.	मुरली मनोहर जोशी
39.	अचार्य गिरीराज किशोर
40.	विष्णु हरी डालमियां
41.	विनोद कुमार वत्स
42.	राम चन्द्रा खत्री
43.	सुधीर कक्कर
44.	अमरनाथ गोयल
45.	संतोष दुबे
46.	प्रकाश शर्मा
47.	जयभान सिंह पवया
48.	धमेन्दर सिंह गुजर
49.	राम नारायण दास
50.	रामजी गुप्ता
51.	लालू सिंह
52.	चम्मत राय बंसल
53.	नवीन भाई शुक्ला
54.	रमेश प्रताप सिंह
55.	धर्म दास
56.	बैकुन्ठ लाल शर्मा
57.	डा. सतीश कुमार नागर

नेताओं की हत्या करने के लिए आई.एस.आई. की साजिश

208. श्री विलास मुत्तेमवार : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हरियाणा पुलिस ने राजनैतिक नेताओं को समाप्त करने की आई.एस.आई. की साजिश का भंडाफोड़ किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस मामले में कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया है और उनके विरुद्ध क्या कार्रवाई की गयी है;

(घ) फरार लोगों को गिरफ्तार करने के लिए क्या कार्रवाई किए जाने का प्रस्ताव है;

(ङ) क्या उक्त साजिश के मद्देनजर ऐसे नेताओं की सुरक्षा बढ़ा दी गयी है; और

(च) यदि हां, तो किस सीमा तक?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी.एच. विद्यासागर राव): (क) से (च) सूचना एकत्र की जा रही है।

सीमा सुरक्षा बल और केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल की नई बटालियनें

209. **श्री टी.एम. सेल्वागनपति** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हमारे केन्द्रीय अर्ध सैनिक बलों के कार्मिकों की संख्या हमारी सुरक्षा आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु पर्याप्त नहीं है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार सीमा सुरक्षा बल और केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल की नई बटालियनें बनाने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी.एच. विद्यासागर राव): (क) वर्तमान आंतरिक सुरक्षा वातावरण के कारण सुरक्षा बलों की तैनाती की मांग बढ़ गई है। इन जरूरतों को पूरा करने के लिए केन्द्रीय अर्धसैनिक बलों पर अत्यधिक दबाव है। इन जरूरतों को पूरा करने के लिए केन्द्रीय अर्धसैनिक बलों की और बटालियनें खड़ी करने की आवश्यकता है।

(ख) और (ग) जी हां, श्रीमान। सूचना गुप्त होने के कारण सार्वजनिक नहीं की जा सकती।

मुम्बई हाई तेल क्षेत्र मे निवेश

210. **श्री मोहन रावले** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ओ.एन.जी.सी. का मुम्बई हाई तेल क्षेत्र में 1.5 मिलियन डालर का निवेश करने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो वहां अधिक तेल निकलने की आशा है तो निवेश की गई राशि की कितनी वसूली हो पाएगी?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. पोन्नुस्वामी): (क) और (ख) मुंबई हाई क्षेत्रों के अतिरिक्त विकास के विषय में मैसर्स गैफने क्लाइन एण्ड एसोसिएट्स के साथ परामर्श से किए जा रहे अध्ययन अब तक पूरे नहीं हुए हैं। अत: इसमें शामिल निवेश की राशि का प्रश्न नहीं उठता।

बिहार में विद्युत की कमी

211. **श्री राजो सिंह** : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बिहार में विद्युत की लगातार कमी चल रही है;

(ख) यदि हां, तो राज्य में वर्तमान में विद्युत की कुल मांग तथा आपूर्ति का ब्यौरा क्या है;

(ग) राज्य में विद्युत आपूर्ति के कौन-कौन से स्रोत हैं;

(घ) राज्य में विद्युत की कमी का वार्षिक औसत क्या है;

(ङ) राज्य में विद्युत उत्पादन में वृद्धि करने हेतु किए गए/ प्रस्तावित कदमों का ब्यौरा क्या है; और

(च) विद्युत के क्षेत्र में राज्य के कब तक आत्मनिर्भर होने की संभावना है?

विद्युत मंत्री (श्री पी.आर. कुमारमंगलम): (क) और (ख) बिहार में विद्युत की निरंतर कमी रही है जो कि मुख्यत: पूर्वी क्षेत्र में उपलब्ध केन्द्रीय क्षेत्र के अधिशेष विद्युत उत्पादन में से अतिरिक्त विद्युत की खरीद करने में राज्य सरकार की असमर्थता के अलावा राज्य में पारेषण एवं वितरण प्रणाली की अपर्याप्तता तथा अनेक विद्युतीकृत गांवों को अविद्युतीकृत कर

लेने के फलस्वरूप है। 1 अप्रैल-अक्तूबर, 1999 के दौरान बिहार में विद्युत आपूर्ति संबंधी स्थिति नीचे दी गई है:

	ऊर्जा (मि.यू. निवल)		व्यस्ततमकालीन (मि.यू.)
आवश्यकता	5063	व्यस्ततमकालीन मांग	1352
उपलब्धता	4680	व्यस्ततमकालीन आपूर्ति	1117
कमी	383	कमी	235
कमी प्रतिशत में	7.6%	कमी प्रतिशत में	17.4%

(ग) बिहार विद्युत संबंधी अपनी आवश्यकता की पूर्ति मुख्यत: (1) इसका अपना विद्युत उत्पादन (1988 मे.वा.) (2) पूर्वी क्षेत्र में केन्द्रीय क्षेत्र के स्टेशनों अपनी हिस्सेदारी (561.5 मे.वा.) (3) भूटान में चुखा-हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन (74 मे.वा.) से आयतित विद्युत में अपनी हिस्सेदारी आदि से कर रहा है।

(घ) राज्य में ऊर्जा की औसतन वार्षिक कमी वर्ष 1998-99 के दौरान 8.1% तथा वर्ष 1999-2000 (अक्तूबर, 1999 तक) के दौरान 7.6% थी।

(ङ) और (च) पूर्वी राज्य, जिसका बिहार एक घटक राज्य है, में पहले से ही विद्युत का अधिशेष है। बिहार में विद्युत की कमी की पूर्ति इसके अपने क्षेत्र में उपलब्ध अधिशेष विद्युत से की जा सकती है। तथापि, राज्य को अपनी वित्तीय स्थिति में सुधार लाने तथा ग्रिड से पर्याप्त विद्युत प्राप्त करने के लिए अपने पारेषण एवं वितरण प्रणाली को सशक्त बनाना होगा ताकि क्षेत्र में उपलब्ध अतिरिक्त विद्युत की खरीद की जा सके।

बिहार के पलामू और गढ़वा जिलों में एल पी जी कनेक्शन

212. **श्री ब्रजमोहन राम:** क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) बिहार के पलामू और गढवा जिलों में एल पी जी कनेक्शन की प्रतीक्षा सूची का निपटान किस तिथि तक हो चुका है, और

(ख) इन जिलों में कितनी एल पी जी एजेंसियां कार्यरत हैं और आज की तिथि तक इनमें से प्रत्येक एजेंसी को कितने-कितने एल पी जी कनेक्शन मंजूर किए गए हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. पोन्नुस्वामी): (क) इंडियन आयल कार्पोरेशन लिमिटेड (आई ओ सी एल) ने बिहार के पलामू और गढ़वा दोनों जिलों में 31.10.99 तक की प्रतीक्षा सूची निपटा दी है। फिलहाल हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि. बिहार के गढ़वा जिले में एल पी जी का विपणन नहीं कर रही है। हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि. (एच पी सी एल) द्वारा पलामू जिले में नए एल पी जी कनेक्शनों की 23.9.1992 तक की प्रतीक्षा सूची निपटा दी गई है। भारत पेट्रोलयम कार्पोरेशन लि. (बी पी सी एल) इन दो जिलों में एल पी जी का विपणन नहीं कर रही है।

(ख) बिहार के पलामू और गढ़वा जिलों में सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम तेल कंपनियों के 3 एल पी जी वितरक कार्यरत है। प्रत्येक एजेंसी को स्वीकृत एल पी जी कनेक्शनों का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

जिला	वितरक का नाम	ग्राहकों की संख्या
पलामू	आईओसी की गैस एजेंसी, डालटनगंज	2397
पलामू	एचपीसी की गैस एजेंसी	6157
गढ़वा	आईओसी की गैस एजेंसी	3511

यूनाइटेड जेहाद काउंसिल

213. **श्री सुशील कुमार शिंदे:**
श्री माधवराव सिंधिया:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या तथाकथित यूनाइटेड जेहाद काउन्सिल जो जम्मू और कश्मीर के चौदह आतंकवादी गुटों को संरक्षण प्रदान करने वाला है, ने पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के एक कार्यकर्ता को मार दिया तथा दूसरे को तब घायल कर दिया जब वे 29 अगस्त 1999 को दक्षिण कश्मीर में एक वाहन में बैठ कर जा रहे थे तो उस वाहन पर अज्ञात आतंकवादियों ने हमला कर दिया;

(ख) यदि हां, तो क्या यूनाइटेड जेहाद काउन्सिल ने जम्मू और कश्मीर के लोगों को हाल के लोकसभा चुनावों में भाग न लेने की चेतावनी दी थी; और

(ग) राज्य में चुनाव प्रचार के दौरान निर्दोष नागरिकों की हत्याओं और मृत्यु संबंधी कितनी वारदातें हुई हैं तथा इनका ब्यौरा क्या है और इन वारदातों की पुनरावृत्ति को रोकने हेतु क्या कदम उठाये गये हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार, अज्ञात उग्रवादियों ने 29 अगस्त, 1999 को पीपुल्स डैमोक्रेटिक पार्टी (पी.डी.पी.) के कार्यकर्ताओं को ले जा रहे एक वाहन पर हमला किया, जिसमें मुश्ताक अहमद वानी, पी.डी.पी. का एक कार्यकर्त्ता मारा गया तथा एक अन्य गु. मौहम्मद भट्ट गंभीर रूप से घायल हुआ था।

(ख) हिज्बुल मुजाहिद्दीन और हरकत-उल-मुजाहिद्दीन नामक उग्रवादी गुटों, जो कि यूनाईटिड जेहाद काउंसिल के घटक हैं, ने जनता को चुनावों में भाग लेने के खिलाफ चेतावनी दी थी।

(ग) जम्मू व कश्मीर में चुनावों के दौरान, चुनावों से संबंधित हुई कुल 62 हिंसक घटनाओं में 16 सिविलियन मारे गए तथा 49 व्यक्ति घायल हुए। अनंतनाग संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार भी चुनाव विरोधी उग्रवादी हिंसा में मारे गए व्यक्तियों में से था। चुनावों को सुचारू ढंग से चलाने और उम्मीदवारों की सुरक्षा इत्यादि के लिए, सभी संभव सुरक्षा प्रबंध किये गये थे।

वन क्षेत्र

214. **श्री पी.डी. एलामगोवन:** क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में वन क्षेत्र तेजी से लुप्त होते जा रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो वन क्षेत्र को बढ़ाने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी): (क) भारतीय वन सर्वेक्षण 1987 से हर दो वर्ष में एक बार देश के वन आवरण का मूल्यांकन कर रहा है। अब तक किए गए मूल्यांकनों के अनुसार देश में वन आवरण मामूली रूप से घटकर 19.5% से 19.27% हो गया है। तथापि, 1993 से 1995 की अवधि के दौरान देश में 5,482 वर्ग कि.मी. वनों की हानि हुई है।

(ख) मंत्रालय से सभी संबंधित राज्य सरकारों/संघ शासित सरकारों से वन आवरण में आ रही कमी को गंभीरता से लेने तथा वन आवरण में आ रही इस कमी की वजह संबंधी कारकों का गहन विश्लेषण करने का अनुरोध किया है ताकि आगामी वर्षों में देश में वन आवरण को बढ़ाने के लिए गिरावट की प्रवृत्ति को रोकने के लिए एक प्रभावी कार्यनीति तथा कार्यक्रम तैयार किया जा सके। वन आवरण को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए मुख्य कदम निम्नलिखित हैं:

(1) राज्य/संघ शासित सरकारों द्वारा उनके अपने संसाधनों तथा भारत सरकार से वित्तीय सहायता लेकर वनीकरण कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं।

(2) वनों के विकास तथा संरक्षण के लिए विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं।

(3) सभी राज्य सरकारों/संघ शासित सरकारों को, अवक्रमित वनों की सुरक्षा तथा पुनरुद्धार में ग्रामीण समुदायों को सम्मिलित करने संबंधी दिशानिर्देश।

(4) वन भूमियों के विचलन के नियमन हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 बनाया गया है।

(5) सुरक्षित क्षेत्रों का एक नेटवर्क स्थापित किया गया है।

(6) हाल ही में मंत्रालय ने, पारिस्थितिकीय स्थायित्व हेतु वानिकी तथा वृक्ष संसाधनों का योगदान बढ़ाने के लिए तथा वन संसाधनों के संरक्षण तथा विकास के लिए निवेश में सुधार के माध्यम से जन केन्द्रित विकास के लिए एक राष्ट्रीय वानिकी कार्य योजना तैयार की है। मंत्रालय ने योजना आयोग तथा सभी राज्य/संघ शासित सरकारों से वानिकी क्षेत्र हेतु आबंटन बढ़ाने का अनुरोध किया है।

निजी क्षेत्र की विद्युत परियोजनाएं

215. श्री राजैया मालयाला: क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आंध्र प्रदेश में फिलहाल निजी क्षेत्र की कितनी विद्युत परियोजनाएं काम कर रही हैं;

(ख) इनके नाम क्या हैं और ये कहां कहां कार्यरत हैं; और

(ग) इनकी विद्युत उत्पादन क्षमता की तुलना में प्रत्येक में वस्तुत: हुए विद्युत उत्पादन का ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्री (श्री पी.आर. कुमारमंगलम): (क) दो।

(ख) इन दोनों परियोजनाओं का नाम तथा स्थिति इस प्रकार है:

(1) पूर्वी गोदावरी जिले में जेगरुपाडु में मै. जीवीके इंडस्ट्रीज लिमिटेड (216 मे.वा.)

(2) पूर्वी गोदावरी जिले में काकीनाडा में मै. स्पैक्ट्रम पावर जेनरेशन लि. (208 मे.वा.)

(ग) विद्युत उत्पादन क्षमता इत्यादि की तुलना में प्रत्येक द्वारा उत्पादित वास्तविक विद्युत का ब्यौरा निम्नवत है:

अवधि	वास्तविक विद्युत उत्पादन (मि.यू.)	पीएलएफ (%) पर
मै. जीवीके इंडस्ट्रीज लि. (क्षमता 216 मे.वा.)		
6.8.96 से 19.6.97 तक की खुली चक्र अवधि के दौरान	543.778	72.505
20.6.97 से 19.6.98 तक की प्रथम वर्ष अवधि के दौरान	1450.154	76.349
20.6.98 से 19.6.99 तक की द्वितीय टैरिफ अवधि के दौरान	1557.620	82.006
20.6.99 से 9.11.99 तक उत्पादित यूनिट	617.934	82.32
मै. स्पैक्ट्रम पावर जेनरेशन लिमिटेड (क्षमता 208 मे.वा.)		
11.2.97 से 18.4.98 की खुली चक्र अवधि के दौरान	780.027	50.252
19.4.98 से 8.11.99 की द्वितीय चक्र अवधि के दौरान	1398.345	76.629
19.4.99 से 8.11.99 की द्वितीय चक्र अवधि के दौरान	842.871	82.766

राज्यों में विद्युत की कमी

216. **श्री कोडीकुनील सुरेश:** क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछ राज्यों को विद्युत की अत्यंत कमी का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राज्य सरकारों ने केन्द्र सरकार से केन्द्रीय पूल से अधिक विद्युत के आवंटन हेतु अनुरोध किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्री (श्री पी.आर. कुमारमंगलम): (क) और (ख) अप्रैल-अक्तूबर, 1999 के दौरान राज्यवार विद्युत आपूर्ति की स्थिति संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) और (घ) क्षेत्र में केन्द्र सरकार के 15% अनावंटित कोटे से विभिन्न राज्यों को विद्युत के आवंटन की समीक्षा समय समय पर क्षेत्र में राज्य की मांग एवं आपूर्ति में असन्तुलन आकस्मिक और ऋतु संबंधी आवश्यकता तथा विद्युत की तुलनात्मक कमियों पर विचार करने के पश्चात की जाती है यह एक सतत प्रक्रिया है। हाल ही में अनावंटित कोटे से अधिक आवंटन किये जाने का अनुरोध आंध्र प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा राज्यों से प्राप्त हुआ है।

विवरण

विद्युत आपूर्ति की स्थिति

(सभी आंकड़े मि.यू. में)

क्षेत्र/राज्य प्रणाली	अप्रैल, 1999-दिसम्बर, 1999			
	आवश्यकता	उपलब्धता	कमी	%
1	2	3	4	5
उत्तरी क्षेत्र				
चंडीगढ़	659	659	0	0.0
दिल्ली	10935	10668	267	2.4
हरियाणा	9590	9350	240	2.5
हिमाचल प्रदेश	1751	1745	6	0.3

1	2	3	4	5
राजस्थान	13820	13397	423	3.1
उत्तर प्रदेश	25720	22839	2881	11.2
उ.क्षे.	83165	78849	4316	5.2
पश्चिम क्षेत्र				
गुजरात	28664	26862	1802	6.3
मध्य प्रदेश	18676	17990	686	3.7
महाराष्ट्र	40587	38889	1698	4.2
गोवा	1026	793	233	22.7
प.क्षे.	88953	84534	4419	5.0
दक्षिण क्षेत्र				
आंध्र प्रदेश	25476	24125	1351	5.3
कर्नाटक	15083	13921	1162	7.7
केरल	7168	6655	513	7.2
तमिलनाडु	22314	20717	1597	7.2
द.क्षे.	70041	65418	4623	6.6

1	2	3	4	5
पूर्वी क्षेत्र				
बिहार	5063	4680	383	7.6
डी.वी.सी.	4840	4973	-133	-2.7
उड़ीसा	6271	6487	-216	-3.4
पश्चिम बंगाल	10706	10957	-251	-2.3
पू.क्षे.	26880	27097	-217	-0.8
उत्तरी पूर्वी क्षेत्र				
अरुणाचल प्रदेश	67.2	67.5	-0.3	-0.4
असम	1666.3	1706.0	-39.7	-2.4
मणिपुर	246.4	219.6	26.8	10.9
मेघालय	267.3	284.0	-16.7	-6.2
मिजोरम	117.6	118.1	-0.5	-0.4
नागालैंड	111.8	111.7	0.1	0.1
त्रिपुरा	335.4	338.1	-2.7	-0.8
उ.पू.क्षे.	2812.0	2845.0	-33.0	-1.2
अखिल भारतीय	271851	258743	13108	4.8

चक्रवात के कारण पारादीप पत्तन को हुई क्षति

217. **श्रीमती श्यामा सिंह:** क्या जल भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उड़ीसा में हाल में आए चक्रवात से पारादीप पत्तन में भारी क्षति हुई है;

(ख) यदि हां, तो इनके परिणामस्वरूप पारादीप पत्तन में अनुमानत: कितनी क्षति हुई है;

(ग) पारादीप पत्तन में चक्रवात के कारण क्षतिग्रस्त हुए उपकरणों/मशीनों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने निर्धारित अवधि में पत्तन में उपकरणों और मशीनों को ठीक करने के लिए कोई योजना तैयार की है; और

(ङ) यदि हां, तो पत्तन में कब तक नियमित रूप से काम शुरू हो जाएगा?

जल भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देबेन्द्र प्रधान): (क) और (ख) जी हां। पारादीप पत्तन में चक्रवात से क्षति हुए है। इस चक्रवात में 68.5 करोड़ रु. की क्षति होने का अनुमान लगाया गया है। जिसमें मत्स्य बंदरगाह को हुई 49.5 करोड़ रु. की क्षति शामिल नहीं है।

(ग) मुख्य उपस्कर क्षतिग्रस्त नहीं हुए हैं। तथापि, पानी में डूबे रहने के कारण मोटर और विद्युत संस्थापन क्षतिग्रस्त हुए हैं।

(घ) और (ङ) सरकार ने एक समयबद्ध पुनरुत्थान योजना बनाई है। पत्तन ने 5.11.99 से कार्य करना शुरू कर दिया है। विद्युत आपूर्ति पुन: आरंभ होने के बाद 19.11.99 से सभी मुख्य उपस्करों ने कार्य करना शुरू कर दिया है।

सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों द्वारा तेल की खोज

218. **श्री अनंत गंगाराम गीते:** क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र की तेल गवेषण कंपनियों ने बहुत से नये तेल कुओं की खोज की है;

(ख) यदि हां, तो किन-किन कंपनियों द्वारा किन-किन स्थानों पर कितने तेल से कुएं खोजे गए; और

(ग) आज की तारीख तक प्रत्येक में से कितना तेल निकाला गया है और प्रत्येक में कितना तेल शेष है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री. ई. पोन्नुस्वामी): (क) और (ख) जी हां। आयल एण्ड नेचुरल गैस कार्पोरेशन (ओ एन जी सी) ने असम, गुजरात, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश राज्यों तथा पश्चिमी अपतट में 1996-97 से 1998-99 के दौरान 13 नई तेल संरचनाओं की खोज की है। आयल इंडिया लिमिटेड (ओ आई एल) ने इसी अवधि के दौरान असम राज्य में 15 नई तेल संरचनाओं की खोज की है।

(ग) नई तेल खोजें रूपरेखा तथा मूल्यांकन के विभिन्न चरणों में हैं। तथापि, वर्तमान अनुमानों के अनुसार लगभग 6.27 मिलियन मीट्रिक टन (एम एम टी) भंडारों का पता लगा लिया गया है।

केरल में नए दूरभाष केन्द्र

219. **श्री ए.सी. जोस:**
श्री रमेश चेन्नितला:

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केरल में इस समय कार्य कर रहे दूरभाष केन्द्रों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या केरल में 1999-2000 वर्ष के दौरान नए दूरभाष केन्द्र का प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो जिलेवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) इस उद्देश्य के लिए उक्त अवधि के दौरान कितनी धनराशि आबंटित की गई?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) 31.10.99 की स्थिति के अनुसार केरल में. 858 टेलीफोन एक्सचेंज कार्यरत हैं।

(ख) जी, हां।

(ग) केरल में उपयुक्त स्थान, उपस्कर, केबल और विद्युत आपूर्ति मिलने पर वर्ष 1999-2000 के दौरान 36 केन्द्रों में नए टेलीफोन एक्सचेंज खोलने की योजना है। मामलकंदम, कदालिक्कुडु, चेंगारा और किजत्तूर में उपर्युक्त स्थान न मिल पाने के कारण कार्यक्रमबद्ध 36 नए टेलीफोन एक्सचेंजों में से 4 एक्सचेंज चालू नहीं किए जा सकेंगे। 32 एक्सचेंजों का जिलावार ब्यौरा इस प्रकार है:

अल्लेप्पन-1, कालोकट-3, मालापुरम-6, वायनाड-4, कन्नानोर-3, कासरगोड-2, एर्नाकुलम-1, इदुक्की-6, कोट्टायम-1, क्विलोन-4 तथा त्रिवेन्द्रम-1

(घ) इस प्रयोजन के लिए 46.65 करोड़ रुपए की राशि आबंटित की गई है।

अंतर्राष्ट्रीय कीमतों के मुकाबले एल.पी.जी. की उच्च कीमतें

220. **प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु:** क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अंतर्राष्ट्रीय कीमतों के मुकाबले भारत में एल पी जी की कीमतें बहुत अधिक है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकारी क्षेत्र की तेल कंपनियों में निर्धारित भारी लागतें ही देश में एल पी जी की उच्च कीमतों का मूल कारण है; और

(घ) यदि हां, तो देश में एल पी जी की उत्पादन लागत और परिवहन लागत को कम करने के लिए क्या कदम उठाए जाने का विचार है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. पोन्नुस्वामी): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) रिफाइनरी द्वार पर मूल्य 01 अप्रैल, 1998 से आयात समता आधार पर नियत किया जा रहा है। लागत न्यूनीकरण उपाय एक अनवरत प्रक्रिया है तथा देश में एल पी जी की उत्पादन एवं परिवहन लागत को कम करने के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं।

देश में लम्बित पड़ी विद्युत परियोजनाएं

221. **श्री अशोक भा. मोहोल:**
श्री रामशेठ ठाकुर:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अनेक विद्युत परियोजनाओं का भविष्य अंधकार में है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण है; और

(ग) इस दिशा में क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

विद्युत मंत्री (श्री पी.आर. कुमारमंगलम): (क) से (ग) उन विद्युत परियोजनाओं की स्थिति का विस्तृत ब्यौरा जहां तकनीकी-आर्थिक स्वीकृति उपलब्ध है और कार्य को अभी चालू किया जाना है, विवरण के रूप में संलग्न है।

विवरण

ताप विद्युत परियोजनाएं

क्र.सं.	परियोजना का नाम/ क्षमता और क्रियान्वयन एजेंसी	तकनीकी-आर्थिक स्वीकृति प्रदान करने की तिथि	स्थिति
1	2	3	4
उत्तरी क्षेत्र			
उत्तर प्रदेश			
निजी क्षेत्र			
1.	रोजा टीपीपी (2×283.5 मे.वा.) मै. इंडो-गल्फ फर्टीलाइजर एंड कैमिकल लि.।	19.9.97	वित्तीय समापन अभी किया जाना है।

1	2	3	4
	राजस्थान		
	निजी क्षेत्र		
1.	बरसिंगसर लिग्नाइट (2×250 मे.वा.) मै. हिन्दुस्तान विद्युत कार्पोरेशन लि.	20.4.98	वित्तीय समापन अभी किया जाना है।
2.	धौलपुर सीसीजीटी जीटी (2×231.75 मे.वा.)+ एसटी (239.20 मे.वा.) मै. आरपीजी धौलपुर पावर कम्पनी लि.।	12.3.98	वित्तीय समापन अभी किया जाना है।
	पश्चिमी क्षेत्र		
	गुजरात		
	केन्द्रीय क्षेत्र		
1.	कवास सीसीपीपी चरण-2 (650 मे.वा.) मै. एनटीपीसी	19.8.98	एनटीपीसी बोर्ड द्वारा निवेश संबंधी निर्णय अभी लिया जाना है।
2.	झनोर-गांधार सीसीपीपी चरण-1 (650 मे.वा.) मै. एनटीपीसी	12.11.98	एनटीपीसी बोर्ड द्वारा निवेश संबंधी निर्णय अभी लिया जाना है।
	निजी क्षेत्र		
1.	जामनगर पेट कोक आधारित टीपीपी (2×250 मे.वा.) मै. रिलायंस पावर लि.	24.5.99	वित्तीय समापन अभी किया जाना है।

1	2	3	4
	मध्य प्रदेश		
	निजी क्षेत्र		
1.	पेंच (जिला छिंदवाड़ा) (2×250 मे.वा.) मै. पेंच पावर लि.	19.9.97	वित्तीय समापन अभी किया जाना है। यह एमपीईबी द्वारा एस्क्रो खाता प्रदान किए जाने पर निर्भर करता है। मामला उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीन है।
2.	कोरबा पश्चिम विस्तार (जिला बिलासपुर) (2×210 मे.वा.) मै. इंडिया थर्मल पावर लि.	15.9.97	वित्तीय समापन अभी किया जाना है। यह एमपीईबी द्वारा एस्क्रो खाता प्रदान किए जाने पर निर्भर करता है। मामला उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीन है।
3.	कोरबा पूर्व टीपीपी (जिला बिलासपुर) (2×535 मे.वा.) मै. डेवू पावर (इंडिया) लि.	30.12.96	–वही–
4.	बीना टीपीपी (चरण-1) (जिला सागर) (2×289 मे.वा.) मै. बीना पावर सप्लाई कं. लि.	17.6.97	–वही–
5.	नरसिंहपुर सीसीजीटी (जिला नरसिंहपुर) जीटी) 110.47 मे.वा.)+ एसटी (56.08 मे.वा.) मै. जीबीएल पावर लि.	27.6.97	–वही–
6.	गुना सीसीपीपी (जिला गुना) जीटी (2×111.7 एम डब्ल्यू)+एस टी (106.6 एम डब्ल्यू) एम/एस एस टी आई पॉवर इंडिया लिमिटेड	19.9.97	–वही–

1	2.	3	4
7.	भिलाई टीपीपी (जिला-दुर्ग) (2×287 मे.वा.) मै. भिलाई पावर सप्लाई कं. लि.।	3.10.97	वित्तीय समापन अभी किया जाना है। यह एमपीईबी द्वारा एस्क्रो खाता प्रदान किए जाने पर निर्भर करता है। मामला उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीन है।
8.	रायगढ़ टीपीपी चरण-1 (जिला रायगढ़) (म.प्र.) (2×275 मे.वा.) मै.जिंदल पावर लि.	17.11.97	–वही–
9.	रतलाम डी.जी. पावर परियोजना (8×14.829 मे.वा.) मै. जीवीके पावर (रतलाम) लि.।	10.2.98	–वही–
10.	पीठमपुर खेड़ा डीजल (जिला धार) (8×14.96 मे.वा.) मै. शपूरजी पलोनजी पावर कं. लि.	10.2.98	–वही–
11.	भाण्डेर सीसीजीटी (जिला दतिया) जीटी (2×112 मे.वा.)+ एसटी (188 मे.वा.) मै. भाण्डेर पावर लि.	5.3.98	–वही–
12.	खण्डवा सीसीपीपी (जिला पूर्वी निमाड़) जीटी (112.27 मे.वा.)+ एसटी (58.8 मे.वा.) मै. मध्य भारत एनर्जी कार्पो. लि.	29.5.98	–वही–

1	2	3	4
	महाराष्ट्र		
	राज्य क्षेत्र		
1.	परली टीपीएस विस्तार (250 मे.वा.) एमएसईबी	9.7.99	(क) योजना आयोग की स्वीकृति (ख) ईंधन आपूर्ति करार (ग) फर्म वित्तीय पैकेज
	निजी क्षेत्र		
1.	पातालगंगा सीसीजीटी (447 मे.वा.) मै. रिलायंस पातालगंगा पावर लि.	22.1.98	वित्तीय समापन अभी किया जाना है।
2.	भद्रावती टीपीपी (2×541 मे.वा.) मै. सेंट्रल इंडिया पावर कं. लि.	29.12.94	वित्तीय समापन और ईंधन आपूर्ति करार अभी प्राप्त किया जाना है।
	दक्षिणी क्षेत्र		
	आंध्र प्रदेश		
	राज्य क्षेत्र		
1.	रायलसीमा चरण-2 टीपीपी (2×210 मे.वा.) एपीएसईबी	1/94	परियोजना वित्तीय सुनिश्चितता
	निजी क्षेत्र		
1.	विशाखापट्टनम टीपीपी (2×520 मे.वा.) मै. हिन्दुजा नेशनल पावर कार्पोरेशन लि.।	25.7.96	निम्न के कारण (1) विलम्ब हुआ:- -एस्क्रो करार पर हस्ताक्षर में -भूमि अधिग्रहण में विलंब (2) वित्तीय समापन को प्राप्त किया जाना।

1	2	3	4
2.	रामागुंडम टीपीपी (2×260 मे.वा.) मै. बीपीएल पावर प्रोजेक्ट	26.6.97	(1) एस्क्रो और रहन संबंधी करार। (2) वित्तीय समापन
3.	कृष्णापट्टनम "बी" टीपीपी (2×260 मे.वा.) मै. बीबीआई पावर कृष्णापट्टनम कंपनी।	16.6.98	(1) एस्क्रो करार (2) जीओएपी काउंटर गारंटी (3) वित्तीय समापन
	कर्नाटक		
	राज्य क्षेत्र		
1.	कोलार में डीजी सैट (12×6.48 मे.वा.)	2/87	निधियों की कमी के कारण स्कीम को छोड़ दिया गया। अब यह निजी क्षेत्र हेतु प्रस्तुत की जा रही है।
	के.ई.बी.		
	निजी क्षेत्र		
1.	मंगलौर टीपीएस (4×253.3 मे.वा.) मै. मंगलौर पावर कं.	10.7.98	भारत सरकार की काउंटर गारंटी जारी किया जाना।
	केरल		
	निजी क्षेत्र		
1.	विप्पीन सीसीजीटी जीटी (3×149.9 मे.वा.)+ एसटी (238.5 मे.वा.) मै. सियासिन एनर्जी लि.	25.9.98	पीपीए पर कोई निष्कर्ष नहीं निकला और इस मामले पर विचार-विमर्श की प्रगति धीमी है।
	तमिलनाडु		
	निजी क्षेत्र		
1.	तूतीकोरिन टीपीपी चरण-4 (525 मे.वा.) मै. स्पिक इलेक्ट्रिक पावर कार्पोरेशन लि.	31.7.97	वित्तीय समापन अभी किया जाना है।

1	2	3	4
2.	समयानल्लूर डीजीपीपी (106 मे.वा.) मै. बालाजी पावर कार्पो. प्रा.लि.	10.2.98	वित्तीय समापन अभी किया जाना है।
3.	नार्थ मद्रास टीपीपी चरण-2 (2×525 मे.वा.) मै. वीडियोकोन पावर लि.	3.4.96	वित्तीय समापन अभी किया जाना है।
4.	नार्थ मद्रास चरण-3 (525 मे.वा.) मै. त्रि-शक्ति एनर्जी प्रा.लि.	31.7.98	वित्तीय समापन अभी किया जाना है।
5.	कुड्डालोर टीपीएस (2×660 मे.वा.) कुड्डालोर पावर कं. लि.	13.8.99	वित्तीय समापन अभी दिया जाना है
6.	वेम्बर सीसीपीटी (1873 मे.वा.) मै. इंडियन पावर प्रोजेक्ट लि.।	24.09.99	वित्तीय समापन अभी किया जाना है।
7.	नैवेली जीरो टीपीएस (250 मे.वा.) मै. एसटी-सीएमएस इलेक्ट्रिक कम्पनी।	19.8.96	वित्तीय समापन अभी किया जाना है।
अंडमान एवं निकोबार प्रशासन			
1.	बम्बू फ्लैट, दक्षिण अंडमान में डीजी विद्युत केन्द्र (4×5 मे.वा.) मै. सूर्यचक्र पावर कार्पोरेशन लि.	20.11.97	वित्तीय समापन अभी किया जाना है।

1	2	3	4
	पूर्वी क्षेत्र		
	बिहार		
	राज्य क्षेत्र		
1.	तेनुघाट टीपीपी चरण-2 (3×210 मे.वा.) मै. टीवीएनएल	2/89	वित्तीय सुनिश्चितताएं अभी की जानी हैं।
2.	मुजफ्फरपुर टीपीपी विस्तार (2×250 मे.वा.) बीएसईबी	12/95	निधियों की कमी।
	उड़ीसा		
1.	इब वैली टीपीपी चरण-2 (2×250 मे.वा.) मै. एईएस इब वैली कार्पोरेशन	26.2.99	वित्तीय समापन अभी किया जाना है।
2.	धुबरी टीपीएस (2×250 मे.वा.) मै. कलिंग पावर कार्पोरेशन	29.4.99	वित्तीय समापन अभी किया जाना है।
	पश्चिम बंगाल		
	केन्द्रीय क्षेत्र		
1.	फरक्का एसटीपीएस चरण-3 (500 मे.वा.) मैं. एनटीपीसी	9/89	स्कीम को फिलहाल स्थगित कर दिया गया है।
	निजी क्षेत्र		
1.	बक्रेश्वर टीपीपी (2×210 मे.वा.) मै. बक्रेश्वर पावर जेनरेशन कं. लि.।	23.6.98	वित्तीय समापन अभी किया जाना है।

जल विद्युत परियोजनाएं

क्र.सं.	परियोजना का नाम	अधिष्ठापित क्षमता (मे.वा.)	कारण
1.	कोयलकारो (एनएचपीसी) बिहार	4×172.5 +1×20	(1) निधियों की कमी (2) भूमि अधिग्रहण और पुनर्वास में समस्याएं।
2.	लावर व्यासी (उ.प्र.)	3×100 +2×60	निधियों की कमी
3.	मनेरी भाली-2 (उ.प्र.)	4×76	निधियों में कमी।
4.	श्रीनगर (उ.प्र.)	5×66	(1) विश्व बैंक के रद्द होने के कारण निधियों की कमी। (2) क्रियान्वयन एजेंसी के बारे में अंतिम निर्णय लेना।
5.	धनश्री (असम)	5×3×1.33	(1) निधियों की कमी। (2) कानून और व्यवस्था की समस्या।

प्लास्टिक के थैलों पर प्रतिबंध

222. **श्रीमती गीता मुखर्जी:**
श्री बसुदेव आचार्य:

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्लास्टिक की थैलियों के ढेर से पर्यावरण पर हानिकारक प्रभाव पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संकट से निपटने के लिए विशेषरूप से महानगरों में, सरकार ने कोई मार्गनिर्देश जारी किए हैं, जैसेकि इन थैलों इत्यादि के प्रयोग पर प्रतिबन्ध;

(घ) क्या सरकार का विचार प्लास्टिक के स्थान पर पर्यावरणीय दृष्टि से उपयुक्त सामग्रियों के प्रयोग को बढ़ावा देने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी): (क) और (ख) प्लास्टिक अपशेष को कूड़े में डालना पर्यावरण के लिए हानिकारक है क्योंकि यह गैर जैव अवक्रमणीय स्वरूप का होता है, सीवर के अवरुद्ध होने की प्रकृति वाला और मृदा एवं भूजल को संदूषित करने वाला होता है।

(ग) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने पुनश्चक्रित प्लास्टिक उत्पादन एवं उपयोग नियमावली, 1999 प्रकाशित की है जिसमें भंडारण, वहन, खाद्य पदार्थों की तैयारी और उनकी पैकेजिंग के लिए पुनश्चक्रित प्लास्टिक के बने हुए कैरी बैग और कंटेनरों के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाया गया है। नियमों की अन्य प्रमुख बातें निम्नवत हैं:

1. पुन:चक्रित प्लास्टिक से बने कैरी बैग और खाद्य पदार्थों के भंडारण और पैक करने के अलावा अन्य प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त कैरी बैग को भारतीय मानक ब्यूरो के अनुसार रंगीन होना चाहिए। भारतीय मानक ब्यूरो के दिशा-निर्देशों के अनुसार प्लास्टिक का पुन:चक्रण भी किया जाएगा।

2. निर्माता प्रत्येक कैरी बैग और कंटेनर पर मुद्रित करेंगे कि यह पुन:चक्रित सामग्री या कच्ची सामग्री का बना हुआ है।

3. कच्चे प्लास्टिक या पुन:चक्रित प्लास्टिक से बने कैरी बैगों की न्यूनतम मोटाई 20 माइक्रोन्स रखी गई है।

(घ) और (ङ) जैव अवक्रमणीय प्लास्टिक जैसी पर्यावरण हितैषी सामग्री जिसे प्लास्टिक के स्थान पर प्रयोग किया जा सकता है, अनुसंधान और विकास के विभिन्न चरणों में है। इस तकनालाजी का देश में पूरी तरह से व्यापारीकरण नहीं हो सका है।

[हिन्दी]

महाराष्ट्र में तेल शोधक कारखाने

223. श्री रामदास आठवले: क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पंडारपुर, महाराष्ट्र में तेल शोधक कारखाने की स्थापना में अत्यधिक विलंब हुआ है;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त प्रस्ताव काफी समय से लंबित पड़ा है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण है;

(घ) ये प्रस्ताव किस चरण में लंबित पड़े हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा प्रस्तावों को मंजूरी देने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. पोन्नुस्वामी): (क) से (ङ) इस मंत्रालय में महाराष्ट्र के पंडारपुर में एक तेल रिफाइनरी की स्थापना के लिए कोई प्रस्ताव लंबित नहीं है।

[अनुवाद]

पेट्रोलियम उत्पादों में मिलावट

224. श्री नरेश पुगलिया:
श्री शीशराम सिंह रवि:

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पेट्रोलियम उत्पादों में बड़े पैमाने पर मिलावट की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार पेट्रोलियम उत्पादों में की जा रही मिलावट को खत्म करने के लिए विशेष अभियान चलाने और केन्द्रों पर बेचे जा रहे ईंधन की क्वालिटी तेलशोधक कारखानों से निकले ईंधन के समान सुनिश्चित करने के लिए एक विशेष अभियान चलाने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. पोन्नुस्वामी): (क) से (घ) जी, नहीं। तथापि, तेल विपणन कंपनियां अपमिश्रण सहित कदाचारों की रोकथाम करने के लिए खुदरा बिक्री केन्द्रों को नियमित निरीक्षण/औचक जांच करती है। इस संबंध में तेल कंपनियों द्वारा समय-समय पर विशेष अभियान भी चलाए जाते हैं। अपमिश्रण की रोकथाम करने के लिए तेल कंपनियों द्वारा मिट्टी तेल सार्वजनिक वितरण प्रणाली) में नीला रंग मिलाने, फरफरल डोपिंग करने, फिल्टर पेपर टेस्ट करने, भंडार मिलान, चल प्रयोगशालाओं द्वारा खुदरा बिक्री केन्द्रों के निरीक्षण जैसे विभिन्न उपाय किये जाते हैं।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना बेकार

225. डा. अशोक पटेल: क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान 2 नवम्बर, 1999 के "दैनिक जागरण" में "राष्ट्रीय राजमार्ग परियोज़ना बेकार, भारत को एक्सप्रैस मार्गों की जरूरत" शीर्ष के अंतर्गत प्रकाशित समचाार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) क्या सरकार का इस मामले पर पुन: विचार करने का कोई प्रस्ताव है?

जल भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देवेन्द्र प्रधान): (क) जी हां।

(ख) योजना आयोग के उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में अवसंरचना संबंधी कार्यदल ने देश में एक्सप्रैस मार्ग की आवश्यकता पर विचार किया था और यह सिफारिश की थी कि इस स्तर पर एक्सप्रैस मार्ग का कार्य शुरू न किया जाए।

(ग) जी नहीं।

[अनुवाद]

अवांछनीय गतिविधियों में विदेशी राष्ट्रों का शामिल होना

226. **श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक:** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में आज की तिथि तक राज्यवार और राष्ट्रीयतावार कितने विदेशी नागरिक रह रहे हैं;

(ख) उनमें से कितनों के पास मान्य वीजा है;

(ग) क्या उक्त विदेशी नागरिकों में से अधिकांश नागरिक असामाजिक गतिविधियों में लिप्त हैं; और

(घ) यदि हां तो इनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है/किये जाने का प्रस्ताव है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी.एच. विद्यासागर राव): (क) भारत में विदेशियों का प्रवेश, ठहरना, गतिविधियां और निकास को शासित करने वाली केन्द्रीय सरकार की शक्तियाँ राज्य सरकारों और केन्द्र शासित क्षेत्र प्रशासनों को प्रदत्त की गई है। उपलब्ध सूचनानुसार 31.12.1998 को, शरणार्थियों और पाक राष्ट्रिकों को छोड़कर 1,45,382 पंजीकृत विदेशी भारत में रहे थे। राष्ट्रिकतावार और राज्यवार ब्यौरे, क्रमश: विवरण I और II में दिए गए हैं।

(ख) इन सभी पंजीकृत विदेशियों के पास वैध वीसा थे।

(ग) और (घ) कुछ विदेशी राष्ट्रिकों, देश में ठहरने के दौरान अवैध या अवांछनीय गतिविधियों में संलिप्त पाए गए हैं। ऐसे विदेशियों के विरुद्ध उनकी अवैध/अवांछनीय गतिविधियों के लिए कानून के अनुसार कार्रवाई की जाती है, जो कि अपराध की प्रकृति पर निर्भर करती है, जिसमें उन्हें उनके मूल देश को वापिस भेजा जाना सम्मिलित है।

विवरण I

भारत में रह रहे पंजीकृत विदेशियों के राष्ट्रिकता-वार ब्यौरे

(31.12.98 की स्थिति के अनुसार)

अफगानिस्तान	9023
अफगानिस्तान राष्ट्रिकताहीन	4
अल्जीरिया	11
अंगोला	1
अर्जेंटीना	59
आर्मेनिया	3
आस्ट्रेलिया	2058
आस्ट्रिया	482
बहामास	1
बहरीन	219
बंग्लादेश	21466
बारबाडोस	11
बेलारूस	9
बेल्जियम	363
बेलिज	20
भूटान	11
बोलिविया	8
बोसिनया और इर्जेगोविना	6
बोत्सवाना	3
ब्राजील	251
ब्रिटिश ओवरसीज सिटी	6

ब्रिटिश उपमहाद्वीप और उपनिवेश	43
ब्रूनेई	1
बुल्गारिया	51
बेलारुसिया	6
कंबोडिया (कंपूचिया)	48
केमरून	2
कनाडा	7211
केमन आइलैंड	1
चाड	1
चिली	15
चीन	1862
चीन (ताइवान)	106
चीन राष्ट्रिकताहीन	111
कोलंबिया	53
कांगो	1
कोस्टारिका	11
क्रोशिया	40
क्यूबा	7
साइप्रस	3
चेक	199
चेक रिपब्लिक	120
डेनमार्क	439
डिजिबोटि	29

डोमिनिकन रिपब्लिक	3
इक्वेडोर	6
मिस्र	110
एल सैल्वाडोर	40
इरिट्रिआ	75
एस्टोनिया	1
इथियोपिया	1615
फिजी	232
फिनलैंड	221
फ्रांस	2694
गैमबिआ	25
जोर्जिआ	14
जर्मनी	2973
घाना	122
ग्रीस	66
ग्रेनाडा	1
गुइनया	3
गुइनया बिस्साऊ	1
गुआना	37
होंडुरस	2
हांगकांग	30
हंगरी	75
आइसलैंड	7

इंडोनेशिया	598	लिथुआनिया	1
ईरान	3846	लक्समबर्ग	4
ईराक	201	मालागासी (माडास्कर)	9
आयरलैंड	326	मालावी	22
इस्राइल	472	मलेशिया	7251
इटली	1075	मालदीव	600
आइवरी कोस्ट	4	माली	1
जमैका	4	माल्टा	16
जापान	3122	मोरीशस	1823
जोर्डन	1068	मैक्सिको	98
कजाखिस्तान	36	मोल्डोवा	1
केन्या	4209	मंगोलिया	43
कोरिया (नार्थ) डी.पी.आर.	42	मंगोलियन	113
दक्षिण कोरिया	2433	मोरोक्को	23
कुवैत	71	मोजंबिक	48
किर्गिस्तान	2	म्यांमार (बर्मा)	541
लाओस	6	नामीबिया	9
लातविआ	4	नीदरलैंडस	960
लेबनान	44	न्यूजीलैंड	406
लेसोथो	8	निकारागुआ	2
लिबेरिआ	6	नाइजीरिया	422
लिबिया	15	नार्वे	335
लिथोरिया	8	ओमान	429

अन्य	103
फिलस्तीन	234
पनामा	78
पपुआ-न्यू-गायना	2
पैरागुआ	1
पेरु	23
फिलिपीन्स	544
पोलेंड	170
पुर्तगाल	887
कतार	3
रोमानिया	41
रूस	1287
रवांडा	194
सामोआ (पश्चिम) टोगोलेस	6
सऊदी अरब	89
सेनेगल	24
सेचेल्स	135
सियेरा, लिओन	7
सिंगापुर	2867
स्लोवाक रिपब्लिक	27
स्लोविनिया	40
सोमालिया	541
दक्षिण अफ्रीका	617
स्पेन	457
श्रीलंका	4628
सेंट लूसिआ	3
राष्ट्रिकताहीन	743
राष्ट्रिकताहीन (तिब्बत)	478
सूडान	2134
सूरीनाम	9
स्वाजीलैंड	3
स्वीडन	773
स्विटजरलैंड	725
सीरिया	99
ताजीकिस्तान	15
तंजानिया	1152
थाइलैंड	1500
टोंगा (टोगो)	3
त्रिनिदाद और टाबेगो	93
तुर्की	71
तुर्कीमेनिस्तान	10
तुवालू	1
संयुक्त राज्य अमरीका	15913
युगांडा	736
युक्रेन	163
संयुक्त अरब अमीरात	106

यूनाइटेड किंगडम	22302
युरुग्वे	7
उज्बेकिस्तान	83
वेनेजुएला	58
वियतनाम	362
यमन	993
युगोस्लाविया	71
जैरे	26
जांबिया	197
जिम्बाब्वे (रोडेसिया)	83
कुल	145382

विवरण II

अंडमान और निकोबार	34
आंध्र प्रदेश	2985
असम	8839
बिहार	119
चंडीगढ़	1466
दादरा और नगर हवेली	3
दमण और दीव	204
दिल्ली	33370
गोवा	2045
गुजरात	9421
हरियाणा	2102
हिमाचल प्रदेश	660
जम्मू और कश्मीर	140
कर्नाटक	11978
केरल	3115
लंकादीव मिनिकाय और द्वीपसमूह	1
मध्य प्रदेश	1322
महाराष्ट्र	26588
मणिपुर	7
मेघालय	524
मिजोरम	137
नागालैंड	4
उड़ीसा	344
पांडिचेरी	426
पंजाब	6433
राजस्थान	991
सिक्किम	7
तमिलनाडु	14442
त्रिपुरा	18
उत्तर प्रदेश	3147
पश्चिम बंगाल	14510
कुल	145382

जांच पैनलों के प्रतिवेदन

227. श्री वाई.एस. विवेकानन्द रेड्डी: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 21 सितम्बर, 1999 के ''दि हिन्दू'' में ''एस.सी. फार स्वीफट एक्शन ऑन रिपोर्ट्स ऑफ परोब पैनल्स'' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो उसमें दिये गये तथ्यों का ब्यौरा क्या है;

(ग) सभी राज्य सरकारें सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश का पालन करें, इसे सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये हैं; और

(घ) आज की स्थिति के अनुसार जांच आयोग की कुल कितनी रिपोर्टें लंबित पड़ी है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी): (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) से (घ) जांच-आयोग अधिनियम, 1952 के उपबन्धों के अनुसार, जांच की समग्र प्रक्रिया पर, जांच आयोग का गठन करने वाली समुचित सरकार का संपूर्ण अधिकार होता है। इस तरह से, संघ सरकार उन जांच अथवा रिपोर्टों के क्रियान्वयन का प्रबोधन नहीं करती है जहां राज्य सरकारें, समुचित सरकारें होती हैं। समाचार में उल्लिखित उच्चतम न्यायालय के निदेश, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित किए गए जांच आयोग से संबंधित है, अत: वह ही सर्वोच्च न्यायालय के निदेशों के क्रियान्वयन हेतु समुचित सरकार है। केन्द्र सरकार के आदेश से साम्प्रदायिक गड़बड़ी पर गठित किए गए किसी जांच आयोग की कोई भी रिपोर्ट इस समय कार्रवाई हेतु हमारे पास लम्बित नहीं है।

भारतीय समुद्री अध्ययन संस्थान की स्थापना

228. श्री सुरेश रामराव जाधव: क्या जल भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार भारतीय समुद्री अध्ययन संस्थान स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यह कब तक कार्य करना प्रारंभ कर देगा; और

(घ) इसकी परिधि में कौन-कौन से प्रशिक्षण संस्थान आएंगे?

जल भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देवेन्द्र प्रधान): (क) जी हां।

(ख) देश में समुद्री प्रशिक्षण के उन्नयन को एक निश्चित दिशा प्रदान करने के लिए सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत सोसाइटी का गठन करके एक भारतीय समुद्री अध्ययन संस्थान की स्थापना तथा सरकार द्वारा संचालित समुद्री संस्थाओं को इस सोसाइटी की परिधि में लाने का प्रस्ताव है। यह नया संस्थान समुद्री क्षेत्र में इस प्रकार प्रशिक्षण प्रदान करेगा कि वाणिज्य नौसेना के लिए उच्च श्रेणी के प्रशिक्षित कार्मिक तैयार हों, अनुसंधान और प्रकाशन के माध्यम से अद्यतन सूचना के साथ यह भारतीय नौवहन उद्योग को सहायता प्रदान करेगा तथा अनेक संबद्ध क्षेत्रों में अनुसंधान करके देश में प्रशिक्षण संस्थाओं की सहायता करेगा।

(ग) चूंकि सोसाइटी का पंजीकरण कराने के लिए पूर्व अपेक्षित औपचारिकताएं पूरी करने के मामले में विभिन्न एजेंसियां शामिल हैं, यह बता पाना अभी संभव नहीं है कि यह सोसाइटी कब तक कार्य करना प्रारंभ कर देगी।

(घ) सरकार द्वारा संचालित चार समुद्री प्रशिक्षण संस्थानों, अर्थात् लाल बहादुर शास्त्री उन्नत समुद्री अध्ययन एवं अनुसंधान महाविद्यालय, मुंबई, समुद्री इंजीनियरिंग एवं अनुसंधान संस्थान, कलकत्ता, समुद्री इंजीनियरिंग एवं अनुसंधान संस्थान, मुंबई और प्रशिक्षण पोत चाणक्य, नवी मुंबई प्रस्तावित भारतीय समुद्री अध्ययन संस्थान के अधिकार क्षेत्र में जाएंगे।

सीमावर्ती क्षेत्रों में पशु चराने में कठिनाई

229. श्री प्रियरंजन दासमुंशी: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल में उत्तरी दिनाजपुर जिले में गोलपोखर चकुलिया और पंजीपारा पुलिस थानों के अंतर्गत भारत-बंग्लादेश सीमा पर सीमा सुरक्षा बल के अनेक शिविर है;

(ख) यदि हां, तो क्या सीमा सुरक्षा बल को गौलपोखर जिले के ग्रामीणों से इस आशय की शिकायतें मिली हैं कि उन्हें इस क्षेत्र में पशु चराने में कठिनाई हो रही है; और

(ग) इस समस्या के समाधान हेतु क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल खाणी): (क) जी हाँ, श्रीमान्।

(ख) और (ग) पशु चराने की समस्या संबंधी कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं। इन्हें जिला प्रशासन के साथ परामर्श करके हल कर लिया गया है।

चेन्नई और मुंबई बंदरगाहों को घाटा

230. श्री विलास मुत्तेमवार: क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या चेन्नई और मुंबई बंदरगाहों को वर्ष 2001-02 में भारी घाटा होने की आशंका है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या एशिया विकास बैंक द्वारा कराए गए और अमरीका के प्रबंध सलाहकार, कारनेल समूह द्वारा तैयार किये गये अध्ययन के अनुसार आस-पास के एन्नोर और जवाहरलाल नेहरू बंदरगाहों पर काम बढ़ने से इन दोनों बंदरगाहों पर टन क्षमता के उपयोग में कमी आने की आशंका है;

(घ) यदि हां, तो इन घाटा को रोकने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं;

(ङ) क्या कोई ठोस कार्यक्रम तैयार किया गया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देवेन्द्र प्रधान): (क) से (च) एशियाई विकास बैंक द्वारा नियोजित कारनेल ग्रुप इनका ने अपनी अंतिम रिपोर्ट के मसौदे में वर्ष 2002 के लिए प्रचालन अधिशेष में मुंबई पत्तन न्यास के लिए 1388 मिलियन रुपए और चेन्नै पत्तन न्यास के लिए 100 मिलियन रुपए की ऋणात्मक गिरावट दर्शायी है। इन पत्तनों के ढलभार पर इस प्रकार का ऋणात्मक प्रभाव क्रमश: जवाहर लाल नेहरू पत्तन न्यास और इन्नौर पत्तन कंपनी के कार्यकलापों के कारण दर्शायी गई है। तथापि, यह उल्लेख कारनेल ग्रुप द्वारा कई पूर्वानुमानों के आधार पर किए गए हैं जिनकी संपूर्ण जांच की जानी जरूरी है। सरकार को अभी अंतिम रिपोर्ट प्राप्त होनी है।

अपराह्न 12.01

सभा पटल पर रखे गए पत्र

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब हम सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्र लेंगे।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए।

[हिन्दी]

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) जांच आयोग अधिनियम, 1952 की धारा 3 की उपधारा (4) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) जनवरी, 1999 में उड़ीसा में आस्ट्रेलिया के नागरिक श्री ग्राहम स्टीवार्ट स्टेन्स तथा उनके दो पुत्रों को मारे जाने के संबंध में तथ्यों और परिस्थितियों की जांच करने के लिए गठित न्यायमूर्ति डी.पी. वधवा जांच आयोग का प्रतिवेदन।

(दो) उपरोक्त प्रतिवेदन पर की गई कार्यवाही संबंधी ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 152/99]

[अनुवाद]

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): महोदय, श्री पी.आर. कुमारमंगलम की ओर से मैं निम्नलिखित

पत्र सभा पटल पर रखती हूं:-

(1) राष्ट्रीय पनबिजली विद्युत निगम लिमिटेड और विद्युत मंत्रालय के बीच वर्ष 1999-2000 के लिए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी. 153/99]

(2) (एक) दामोदर घाटी निगम अधिनियम 1948 की धारा 45 की उपधारा (5) के अन्तर्गत दामोदर घाटी निगम, कलकत्ता के वर्ष 1997-98 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) दामोदर घाटी निगम, कलकत्ता के वर्ष 1997-98 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 154/99]

[हिन्दी]

संचार मंत्री (श्री राम विलास पासवान): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) (एक) सेन्टर फार डवलपमेंट आफ टेलीमेटिक्स, नई दिल्ली के वर्ष 1996-97 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेन्टर फार डवलपमेंट आफ टेलीमेटिक्स, नई दिल्ली के वर्ष 1996-97 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 155/99]

(3) (एक) सेन्टर फार डवलपमेंट आफ टेलीमेटिक्स, नई दिल्ली के वर्ष 1997-98 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेन्टर फार डवलपमेंट आफ टेलीमेटिक्स, नई दिल्ली के वर्ष 1997-98 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 156/99]

[अनुवाद]

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिलीप राय): महोदय, मैं भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड और इस्पात मंत्रालय के बीच वर्ष 1999-2000 के लिए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं:

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी. 157/99]

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी. धनंजय कुमार): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) सा.का.नि. 219(अ) जो दिनांक 22 मार्च, 1999 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा दिनांक 8 जनवरी, 1999 की अधिसूचना संख्या 4/99-सी.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा.का.नि. 329(अ) जो दिनांक 11 मई, 1999 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय उसमें उल्लिखित तीन अधिसूचनाओं को निरस्त करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा.का.नि. 330(अ) जो दिनांक 11 मई, 1999 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके आशय विशिष्ट सामानों पर लगे अधिभार से छूट देना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) सा.का.नि. 331(अ) जो दिनांक 11 मई, 1999 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय हाई स्पीड डीजल आयल को उद्ग्रहणीय अतिरिक्त सीमा-शुल्क से छूट देना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) सा.का.नि. 332(अ) जो दिनांक 11 मई, 1999 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय दिनांक 28 फरवरी, 1999 की अधिसूचना संख्या 20/99, 25/99-सी.शु. में तकनीकी संशोधन करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छः) सा.का.नि. 333(अ) जो दिनांक 11 मई, 1999 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय विद्यमान अधिकारियों के उल्लेखों के साथ प्रतिस्थापित प्राधिकारियों को प्रतिस्थापित करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सात) सा.का.नि. 334(अ) जो दिनांक 11 मई, 1999 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके आशय विद्यमान प्राधिकारियों के उल्लेखों के साथ प्रतिस्थापित प्राधिकारियों को प्रतिस्थापित करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(आठ) सा.का.नि. 557(अ) जो दिनांक 4 अगस्त, 1999 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय दिनांक 28 फरवरी, 1999 की अधिसूचना संख्या 20/99-सी.शु. में कतिपय संशोधन करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(नौ) सा.का.नि. 582(अ) जो दिनांक 10 अगस्त, 1999 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय सार्क देशों में से किसी भी देश से विशिष्ट सामान आयात के लिए बढ़ाई गई अधिमान्य टैरिफ सीमा को अधिसूचित करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दस) सा.का.नि. 583(अ) जो दिनांक 10 अगस्त, 1999 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय दिनांक 1 सितम्बर, 1999 की अधिसूचना संख्या 236/89-सी.शु. में कतिपय संशोधन करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(ग्यारह) सा.का.नि. 646(अ) जो दिनांक 21 सितम्बर, 1999 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय अधिसूचना संख्या 39/96-सी.शु. के क्रम संख्या 16 में उल्लिखित विशिष्ट सामानों की सूची में संशोधन करना है ताकि "हाई परफारमेंस पोलीएथीलीन प्लेट्स" को शामिल किया जा सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बारह) सा.का.नि. 544(अ) जो दिनांक 21 जुलाई, 1999 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय स्टेंडर्ड सोने की छड़ों को समस्त सीमा-शुल्क से छूट देना है जब इनका भारत से निर्यात किए जाने वाले स्क्रैप गोल्ड के बदले गोल्ड डिपोजिट स्कीम के अंतर्गत भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अधिकृत किसी बैंक द्वारा भारत में आयात किया जाता है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तेरह) सा.का.नि. 99(अ) जो दिनांक 11 फरवरी, 1999 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय पुराने कम्प्यूटर, कम्प्यूटर पैरीफिरल जिसमें प्रिंटर, प्लाटर्स, स्कैनर्स, मानीटर, की-बोर्ड और स्टोरेज यूनिट शामिल है, को उस पर उद्ग्रहणीय पूर्ण सीमा-शुल्क, विशेष अतिरिक्त शुल्क और विशेष सीमा-शुल्क से छूट प्रदान करना है जब ये केन्द्र सरकार, राज्य सरकार और संघ शासित सरकार अथवा स्थानीय निकाय द्वारा चलाए जा रहे स्कूल से दान के रूप में प्राप्त हुए हों तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चौदह) का आ स 126(अ) जो 23 फरवरी, 1999 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो आयात के मूल्यांकन के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में तथा भारतीय

मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में परिवर्तित करने के लिए संशोधित विनिमय दरों के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पंद्रह) का.आ.सं. 127(अ) जो 23 फरवरी, 1999 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो निर्यात के मूल्यांकन के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में तथा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में परिवर्तित करने के लिए संशोधित विनिमय दरों के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सोलह) का.आ. सं. 185 (अ) जो 24 मार्च, 1999 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो आयात के मूल्यांकन के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में तथा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में परिवर्तित करने के लिए संशोधित विनिमय दरों के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सत्रह) का.आ. सं. 186 (अ) जो 24 मार्च, 1999 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो निर्यात के मूल्यांकन के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में तथा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में परिवर्तित करने के लिए संशोधित विनिमय दरों के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(अठारह) का.आ. सं. 283 (अ) जो 23 अप्रैल, 1999 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो आयात के मूल्यांकन के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में तथा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में परिवर्तित करने के लिए संशोधित विनिमय दरों के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(उन्नीस) का.आ. सं. 284 (अ) जो 23 अप्रैल, 1999 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो निर्यात के मूल्यांकन के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में तथा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में परिवर्तित करने के लिए संशोधित विनिमय दरों के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बीस) का.आ. सं. 384 (अ) जो 26 मई, 1999 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो आयात के मूल्यांकन के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में तथा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में परिवर्तित करने के लिए संशोधित विनिमय दरों के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(इक्कीस) का.आ. सं. 385 (अ) जो 26 मई, 1999 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो निर्यात के मूल्यांकन के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में तथा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में परिवर्तित करने के लिए संशोधित विनिमय दरों के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बाईस) का.आ. सं. 495 (अ) जो 25 जून, 1999 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो आयात के मूल्यांकन के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में तथा भारतीय मुद्रा को बिदेशी मुद्राओं में परिवर्तित करने के लिए संशोधित विनिमय दरों के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तेईस) का.आ. सं. 496 (अ) जो 25 जून, 1999 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो निर्यात के मूल्यांकन के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में तथा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में परिवर्तित करने के लिए संशोधित विनिमय दरों के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चौबीस) का.आ. सं. 602 (अ) जो 27 जुलाई, 1999 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो आयात के मूल्यांकन के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में तथा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में परिवर्तित करने के लिए संशोधित विनिमय दरों के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पच्चीस) का.आ. सं. 603 (अ) जो 27 जुलाई, 1999 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो निर्यात के मूल्यांकन के प्रयोजनार्थ कतिपय

विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में तथा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में परिवर्तित करने के लिए संशोधित विनिमय दरों के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छब्बीस) का.आ. सं. 686 (अ) जो 26 अगस्त, 1999 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो आयात के मूल्यांकन के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में तथा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में परिवर्तित करने के लिए संशोधित विनिमय दरों के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सत्ताईस) का.आ. सं. 687 (अ) जो 26 अगस्त, 1999 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो निर्यात के मूल्यांकन के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में तथा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में परिवर्तित करने के लिए संशोधित विनिमय दरों के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(अट्ठाईस) सा.का.नि. 733 (अ) जो 29 अक्तूबर, 1999 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन जिसका आशय दिनांक 23 जुलाई, 1996 की अधिसूचना संख्या 39/96 सी.शु. की वैधता को बढ़ाना है।

(उन्तीस) सा.का.नि. 741 (अ) जो 2 नवम्बर, 1999 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए ते तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन जिसमें दिनांक 11 नवम्बर, 1997 की अधिसूचना संख्या 84/97 सी.शु. में कतिपय संशोधन किये गए।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 158/99]

(2) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 38 की उपधारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) सा.का.नि. 227(अ) जो 26 मार्च, 1999 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे जिनका आशय फैक्टरी परिसर से बाहर एचडीपीई थैलों अथवा लैमीनेटेड कागज के थैलों में पैक करने के लिए फैक्टरी से इकट्ठे समाशोधित सीमेन्ट पर 332 रुपये प्रति मैट्रिक टन की दर से रियायती उत्पाद शुल्क निर्धारित करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा.का.नि. 234(अ) जो 31 मार्च, 1999 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 28 फरवरी, 1999 की अधिसूचना संख्या 8/99 के.उ. में कतिपय संशोधन किये गये हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा.का.नि. 235(अ) जो 31 मार्च, 1999 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 28 फरवरी, 1999 की अधिसूचना संख्या 10/99 के.उ. में कतिपय संशोधन किये गये हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) सा.का.नि. 238(अ) जो 1 अप्रैल, 1999 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 11 अप्रैल, 1994 की अधिसूचना संख्या 83/94-के.उ., 84/94-के.उ. तथा 23 जुलाई, 1996 की अधिसूचना संख्या 9/96 के.उ. में एक तकनीकी संशोधन किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) सा.का.नि. 239(अ) जो 1 अप्रैल, 1999 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 28 फरवरी, 1999 की अधिसूचना संख्या 5/99 के.उ. में कतिपय संशोधन किये गये हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छह) सा.का.नि. 321(अ) जो 7 मई, 1999 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 28 फरवरी, 1999 की अधिसूचना संख्या 5/99 के.उ. में कतिपय संशोधन किये गये हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सात) सा.का.नि. 335(अ) जो 11 मई, 1999 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 28 फरवरी, 1999 की अधिसूचना संख्या 6/99 के.उ. को निरस्त करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(आठ) सा.का.नि. 336(अ) जो 11 मई, 1999 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय उनमें उल्लिखित कतिपय अधिसूचनाओं में संशोधन करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(नौ) सा.का.नि. 337(अ) जो 11 मई, 1999 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय विद्यमान पदाभिज्ञान के निर्देशों को प्रतिस्थापित पदाभिज्ञान से प्रतिस्थापित करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दस) सा.का.नि. 338(अ) जो 11 मई, 1999 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 28 फरवरी, 1999 की अधिसूचना संख्या 20/99 के.उ. (एनटी) में संशोधन करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(ग्यारह) सा.का.नि. 339(अ) जो 11 मई, 1999 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा उनमें उल्लिखित दो अधिसूचनाओं में कतिपय संशोधन किये गये हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बारह) सा.का.नि. 340(अ) और सा.का.नि. 341(अ) जो 11 मई, 1999 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय विद्यमान पदाभिज्ञान के निर्देशों को प्रतिस्थापित पदाभिज्ञान से प्रतिस्थापित करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तेरह) सा.का.नि. 343(अ) जो 12 मई, 1999 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा उनमें उल्लिखित दो अधिसूचनाओं में कतिपय संशोधन किये गये हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चौदह) सा.का.नि. 406(अ) जो 4 जून, 1999 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 28 फरवरी, 1999 की अधिसूचना संख्या 5/99 के.उ. में कतिपय संशोधन किये गये हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पंद्रह) सा.का.नि. 408(अ) जो 8 जून, 1999 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 28 फरवरी, 1999 की अधिसूचना संख्या 5/99 के.उ. में कतिपय संशोधन किये गये हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सोलह) सा.का.नि. 409(अ) जो 8 जून, 1999 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 7 मई, 1997 की अधिसूचना संख्या 27/97 के.उ. में कतिपय संशोधन किये गये हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सत्रह) सा.का.नि. 422(अ) जो 10 जून, 1999 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 26 मार्च, 1999 की अधिसूचना संख्या 15/99 के.उ. में कतिपय संशोधन किये गये हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(अठारह) सा.का.नि. 423(अ) सा.का.नि. 424(अ) जो 10 जून, 1999 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय हुक्का तम्बाकू और "गोडाकू" पर लगने वाले पूरे केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (बिक्रीकर के स्थान पर) से छूट देना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(उन्नीस) सा.का.नि. 508(अ) जो 8 जुलाई, 1999 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय असम और त्रिपुरा राज्यों में ग्रोथ सेन्टरों आईआईडीसी/औद्योगिक पार्कों आदि में स्थित कतिपय एककों में विनिर्मित उत्पाद शुल्क लगाये जाने योग्य सभी सामानों की छूट देना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बीस) सा.का.नि. 509(अ) जो 8 जुलाई, 1999 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय असम, त्रिपुरा, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैण्ड और अरूणाचल प्रदेश राज्यों में स्थित एककों द्वारा विनिर्मित होने की स्थिति में विनिर्दिष्ट उद्योगों के उत्पाद शुल्क लगने योग्य सामानों को छूट देना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(इक्कीस) सा.का.नि. 543(अ) जो 21 जुलाई, 1999 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय अशोक पेपर मिल्स, दरभंगा द्वारा विनिर्मित कागज और पेपर बोर्ड को भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा अनुमोदित पुनरुज्जीवन योजना के अनुसार उत्पादन शुरू होने की तारीख से दस वर्ष के लिए उस पर उद्ग्रहणीय केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के पचास प्रतिशत से छूट देना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बाईस) सा.का.नि. 610(अ) जो 26 अगस्त, 1999 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय उनमें उल्लिखित दो अधिसूचनाओं में संशोधन करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तेईस) सा.का.नि. 641(अ) जो 16 सितम्बर, 1999 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय उनमें उल्लिखित तीन अधिसूचनाओं में संशोधन करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चौबीस) सा.का.नि. 661(अ) जो 23 सितम्बर, 1999 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय ''संघ के सशस्त्र बल'' की परिभाषा में संशोधन करना है ताकि इसमें विशेष सीमान्त बल भी शामिल हो सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पच्चीस) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (चौदहवां संशोधन) नियम, 1999 जो 8 जुलाई, 1999 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 510(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छब्बीस) सा.का.नि. 603(अ) जो 25 अगस्त, 1999 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय हाथ से कता हुआ धागा बनाने के लिए आशयति कार्डेड वूल को 10 काउन्ट तक छूट देना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सत्ताईस) सा.का.नि. 742(अ) जो 2 नवम्बर, 1999 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन जिसमें 28 अगस्त, 1995 की अधिसूचना संख्या 108/95-के.उ.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 159/99]

(3) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 296 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) का.आ. 1729 जो 26 जून, 1999 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था जिसके द्वारा आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अन्तर्गत बेसिक केमिकल्स फार्मास्यूटिकल्स एण्ड कॉसमेटिक्स एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, मुम्बई को निर्धारण वर्ष 1993-94 से 1995-96 के लिए कतिपय शर्तों के अध्यधीन छूट दी गई है।

(दो) का.आ. 1730 जो 26 जून, 1999 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था जिसके द्वारा आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अन्तर्गत प्रयास जे.ए.सी. सोसाइटी, नई दिल्ली और इसकी सहायक संस्थाएं अर्थात् ''प्रयास जे.ए.सी. ट्रस्ट'' और ''न्याय प्रयास ट्रस्ट'' को निर्धारण वर्ष 1995-96 से 1997-98 के लिए कतिपय शर्तों के अध्यधीन छूट दी गई है।

(तीन) का.आ. 1731 जो 26 जून, 1999 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था जिसके द्वारा आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अन्तर्गत आर्य वैद्यशाला, कोट्टाकल, केरल को निर्धारण वर्ष 1998-99 से 2000-2001 के लिए कतिपय शर्तों के अध्यधीन छूट दी गई है।

(चार) का.आ. 1732 जो 26 जून, 1999 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था जिसके द्वारा आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अन्तर्गत जयप्रकाश इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल चेंज, कलकत्ता को निर्धारण वर्ष 1997-98 से 1999-2000 के लिए कतिपय शर्तों के अध्यधीन छूट दी गई है।

(पांच) का.आ. 1733 जो 26 जून, 1999 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था जिसके द्वारा आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अन्तर्गत हमदर्द दवाखाना (वक्फ), नई दिल्ली को निर्धारण वर्ष 1998-99 से 2000-2001 के लिए कतिपय शर्तों के अध्यधीन छूट दी गई है।

(छः) का.आ. 1734 जो 26 जून, 1999 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था जिसके द्वारा आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अन्तर्गत दि मैसूर रिसैटिलमेंट एण्ड डवलपमेंट एजेंसी (मायरादा), बंगलौर को निर्धारण वर्ष 1997-98 से 1999-2000 के लिए कतिपय शर्तों के अध्यधीन छूट दी गई है।

(सात) का.आ. 1735 जो 26 जून, 1999 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था जिसके द्वारा आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अन्तर्गत मध्य प्रदेश काउंसिल फॉर चाइल्ड वेलफेयर, भोपाल को निर्धारण वर्ष 1993-94 से 1995-1996 के लिए कतिपय शर्तों के अध्यधीन छूट दी गई है।

(आठ) का.आ. 1736 जो 26 जून, 1999 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था जिसके द्वारा आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अन्तर्गत संत निरंकारी मंडल, नई दिल्ली को निर्धारण वर्ष 1998-99 से 2000-2001 के लिए कतिपय शर्तों के अध्यधीन छूट दी गई है।

(नौ) का.आ. 1737 जो 26 जून, 1999 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था जिसके द्वारा आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अन्तर्गत साउथ सेंट्रल जोन कल्चरल सेंटर, नागपुर को निर्धारण वर्ष 1993-94 से 1995-96 के लिए कतिपय शर्तों के अध्यधीन छूट दी गई है।

(दस) का.आ. 1739 जो 26 जून, 1999 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था जिसके द्वारा आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अन्तर्गत इंडिया ट्रेड प्रमोशन आर्गेनाइजेशन, नई दिल्ली को निर्धारण वर्ष 1998-99 से 2000-2001 के लिए कतिपय शर्तों के अध्यधीन छूट दी गई है।

(ग्यारह) का.आ. 1740 जो 26 जून, 1999 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था जिसके द्वारा आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अन्तर्गत एक्सिजीवीशन सोसाइटी, हैदराबाद को निर्धारण वर्ष 1996-97 से 1998-99 के लिए कतिपय शर्तों के अध्यधीन छूट दी गई है।

(बारह) का.आ. 1741 जो 26 जून, 1999 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था जिसके द्वारा आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अन्तर्गत सैग मंदिर, उदयपुर, राजस्थान को निर्धारण वर्ष 1995-96 से 1997-98 के लिए कतिपय शर्तों के अध्यधीन छूट दी गई है।

(तेरह) का.आ. 1742 जो 26 जून, 1999 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था जिसके द्वारा आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अन्तर्गत चिल्ड्रन्स बुक ट्रस्ट, नई दिल्ली, को निर्धारण वर्ष 1992-93 से 1994-95 के लिए कतिपय शर्तों के अध्यधीन छूट दी गई है।

(चौदह) का.आ. 1743 जो 26 जून, 1999 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था जिसके द्वारा आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अन्तर्गत ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्डस, नई दिल्ली को निर्धारण वर्ष 1998-99 से 2000-2001 के लिए कतिपय शर्तों के अध्यधीन छूट दी गई है।

(पन्द्रह) का.आ. 1744 जो 26 जून, 1999 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था जिसके द्वारा आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अन्तर्गत इन्स्टीट्यूट आफ चार्टेड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, नई दिल्ली, को निर्धारण वर्ष 1996-97 के लिए कतिपय शर्तों के अध्यधीन छूट दी गई है।

(सोलह) का.आ. 1745 जो 26 जून, 1999 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था जिसके द्वारा आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अन्तर्गत सोसाइटी फॉर-सोसल फारेस्ट्री रिसर्च एण्ड डवलपमेंट,'मद्रास को निर्धारण वर्ष 1995-96 से 1997-98 के लिए कतिपय शर्तों के अध्यधीन छूट दी गई है।

(सत्रह) का.आ.1746 जो 26 जून, 1999 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था जिसके द्वारा आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अन्तर्गत नेशनल कल्चर फंड, नई दिल्ली को निर्धारण वर्ष 1996-97 से 1999-2000 के लिए कतिपय शर्तों के अध्यधीन छूट दी गई है।

(अठारह) का.आ. 1747 जो 26 जून, 1999 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था जिसके द्वारा आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अन्तर्गत चिल्ड्रन बुक ट्रस्ट, नई दिल्ली को निर्धारण वर्ष 1995-96 से 1997-98 के लिए कतिपय शर्तों के अध्यधीन छूट दी गई है।

(उन्नीस) का.आ. 1748 जो 26 जून, 1999 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था जिसके द्वारा आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अंतर्गत मिशनरीज ऑफ चैरिटी, कलकत्ता को निर्धारण वर्ष 1999-2000 से 2001-2002 के लिए कतिपय शर्तों के अध्यधीन छूट दी गई है।

(बीस) का.आ. 1749 जो 26 जून, 1999 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था जिसके द्वारा आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अंतर्गत काउंसिल फार एडवांसमेंट ऑफ पीपुल्स एक्शन एण्ड सरल टैक्नोलॉजी, नई दिल्ली को निर्धारण वर्ष 1993-94 से 1995-96 के लिए कतिपय शर्तों के अध्यधीन छूट दी गई है।

(इक्कीस) का.आ. 1750 जो 26 जून, 1999 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था जिसके द्वारा आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अंतर्गत श्री सत्य साईं सेंट्रल ट्रस्ट, बंगलौर को निर्धारण वर्ष 1999-2000 से 2001-2002 के लिए कतिपय शर्तों के अध्यधीन छूट दी गई है।

(बाईस) का.आ. 1751 जो 26 जून, 1999 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था जिसके द्वारा आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अंतर्गत मलंकारा ऑर्थोडोक्स सायरिअन चर्च, केरल को निर्धारण वर्ष 1996-97 से 1998-99 के लिए कतिपय शर्तों के अध्यधीन छूट दी गई है।

(तेईस) का.आ. 1752 जो 26 जून, 1999 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था जिसके द्वारा आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अंतर्गत रामकृष्ण शारदा मिशन, दक्षिनेश्वर, कलकत्ता को निर्धारण वर्ष 1999-2000 से 2001-2002 के लिए कतिपय शर्तों के अध्यधीन छूट दी गई है।

(चौबीस) का.आ. 1753 जो 26 जून, 1999 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था जिसके द्वारा आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अंतर्गत दि इंडियन सिल्क एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, मुम्बई को निर्धारण वर्ष 1996-97 से 1998-99 के लिए कतिपय शर्तों के अध्यधीन छूट दी गई है।

(पच्चीस) का.आ. 1754 जो 26 जून, 1999 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था जिसके द्वारा आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अंतर्गत गांधीग्राम ट्रस्ट, गांधीग्राम को निर्धारण वर्ष 1992-93 से 1994-95 के लिए कतिपय शर्तों के अध्यधीन छूट दी गई है।

(छब्बीस) का.आ. 1755 जो 26 जून, 1999 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था जिसके द्वारा आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अंतर्गत जहांगीर आर्ट गैलरी, मुम्बई को निर्धारण वर्ष 1999-2000 से 2001-2002 के लिए कतिपय शर्तों के अध्यधीन छूट दी गई है।

(सत्ताईस) का.आ. 1756 जो 26 जून, 1999 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था जिसके द्वारा आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अंतर्गत ओरोविला फाउंडेशन, ओरोविला, तमिलनाडु को निर्धारण वर्ष 1994-95 से 1996-97 के लिए कतिपय शर्तों के अध्यधीन छूट दी गई है।

(अठाईस) का.आ. 1757 जो 26 जून, 1999 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था जिसके द्वारा आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अंतर्गत जे.आर.डी. एंड थेलमा जे टाटा ट्रस्ट, मुम्बई को निर्धारण वर्ष 1998-99 से 2000-2001 के लिए कतिपय शर्तों के अध्यधीन छूट दी गई है।

(उनतीस) का.आ. 1759 जो 26 जून, 1999 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था जिसके द्वारा आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अंतर्गत पापुलेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया, नई दिल्ली को निर्धारण वर्ष 1999-2000 से 2001-2002 के लिए कतिपय शर्तों के अध्यधीन छूट दी गई है।

(तीस) का.आ. 1760 जो 26 जून, 1999 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था जिसके द्वारा आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अंतर्गत जमनालाल बजाज फाउंडेशन, नई दिल्ली को निर्धारण वर्ष 1999-2000 से 2001-2002 के लिए कतिपय शर्तों के अध्यधीन छूट दी गई है।

(इकतीस) का.आ. 1761 जो 26 जून, 1999 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था जिसके द्वारा आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अंतर्गत गुजरात पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, गांधीनगर को निर्धारण वर्ष 1992-93 से 1994-95 के लिए कतिपय शर्तों के अध्यधीन छूट दी गई है।

(बत्तीस) का.आ. 1763 जो 26 जून, 1999 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था जिसके द्वारा आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अंतर्गत प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, माउंट आबू राजस्थान को निर्धारण वर्ष 1988-89 से 1990-91 के लिए कतिपय शर्तों के अध्यधीन छूट दी गई है।

(तैंतीस) का.आ. 1764 जो 26 जून, 1999 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था जिसके द्वारा आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अंतर्गत प्रजापिता ब्रह्म कुमारीस ईश्वरीय विश्वविद्यालय, माउंट आबू राजस्थान को निर्धारण वर्ष 1991-92 से 1992-93 के लिए कतिपय शर्तों के अध्यधीन छूट दी गई है।

(चौंतीस) का.आ. 1765 जो 26 जून, 1999 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था जिसके द्वारा आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अंतर्गत प्रजापिता ब्रह्म कुमारीस ईश्वरीय विश्वविद्यालय, माउंट आबू राजस्थान को निर्धारण वर्ष 1994-95 से 1996-97 के लिए कतिपय शर्तों के अध्यधीन छूट दी गई है।

(पैंतीस) का.आ. 1766 जो 26 जून, 1999 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था जिसके द्वारा आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अंतर्गत नेशनल ह्यूमेन राइट्स कमीशन, नई दिल्ली को निर्धारण वर्ष 1997-98 से 1999-2000 के लिए कतिपय शर्तों के अध्यधीन छूट दी गई है।

(छत्तीस) का.आ. 1767 जो 26 जून, 1999 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था जिसके द्वारा आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अंतर्गत नेशनल काउंसिल ऑफ एप्लाईड इकनोमिक रिसर्च (एन सी ए ई आर) नई दिल्ली को निर्धारण वर्ष 1999-2000 से 2001-2002 के लिए कतिपय शर्तों के अध्यधीन छूट दी गई है।

(सैंतीस) का.आ. 1768 जो 26 जून, 1999 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था जिसके द्वारा आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अंतर्गत दी इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज आफ इंडिया, नई दिल्ली को निर्धारण वर्ष

1998-99 से 2000-2001 के लिए कतिपय शर्तों के अध्यधीन छूट दी गई है।

(अड़तीस) का.आ. 1767 जो 26 जून, 1999 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था जिसके द्वारा आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अंतर्गत कृष्ण चन्द्र मैमोरियल ट्रस्ट, उड़ीसा को निर्धारण वर्ष 1998-99 से 2000-2001 के लिए कतिपय शर्तों के अध्यधीन छूट दी गई है।

(उनतालीस) का.आ. 1770 जो 26 जून, 1999 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था जिसके द्वारा आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अंतर्गत नेशनल हाईवे अथारिटी आफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ सर्फेस ट्रांसपोर्ट, नई दिल्ली को निर्धारण वर्ष 1995-96 से 1998-99 के लिए कतिपय शर्तों के अध्यधीन छूट दी गई है।

(चालीस) का.आ. 1771 जो 26 जून, 1999 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था जिसके द्वारा आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अंतर्गत मैसर्स हार्ट केयर फाउंडेशन आफ इंडिया, नई दिल्ली को निर्धारण वर्ष 1995-96 से 1997-98 के लिए कतिपय शर्तों के अध्यधीन छूट दी गई है।

(इकतालीस) का.आ. 1772 जो 26 जून, 1999 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था जिसके द्वारा आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अंतर्गत रामकृष्ण मिशन, वेस्ट बंगाल को निर्धारण वर्ष 2000-2001 से 2002-2003 के लिए कतिपय शर्तों के अध्यधीन छूट दी गई है।

(बयालीस) का.आ. 1773 जो 26 जून, 1999 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था जिसके द्वारा आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अंतर्गत इंस्टीट्यूट आफ मार्किटिंग एंड मैनेजमेंट, नई दिल्ली को निर्धारण वर्ष 1999-2000 से 2001-2002 के लिए कतिपय शर्तों के अध्यधीन छूट दी गई है।

(तैंतालीस) का.आ. 1774 जो 26 जून, 1999 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था जिसके द्वारा आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अंतर्गत दी चार्टर्ड एकाउंटैंट्स आफ इंडिया, नई दिल्ली को निर्धारण वर्ष 1996-97 से 1998-99 के लिए कतिपय शर्तों के अध्यधीन छूट दी गई है।

(चवालीस) का.आ. 1775 जो 26 जून, 1999 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था जिसके द्वारा आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अंतर्गत नेशनल इंस्टीट्यूट आफ बैंक मैनेजमेंट, मुम्बई को निर्धारण वर्ष 1997-98, 1998-99 और 1999-2000 के लिए कतिपय शर्तों के अध्यधीन छूट दी गई है।

(पैंतालीस) का.आ. 1776 जो 26 जून, 1999 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था जिसके द्वारा आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अंतर्गत इंडिया इंटरनेशनल टेक्सटाईल मशीनरी एक्जीविशन सोसायटी, मुम्बई को निर्धारण वर्ष 1999-2000 से 2001-2002 के लिए कतिपय शर्तों के अध्यधीन छूट दी गई है।

(छियालीस) का.आ. 1779 जो 26 जून, 1999 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था जिसके द्वारा आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अंतर्गत कलकत्ता पिंजरापोले सोसायटी, कलकत्ता को निर्धारण वर्ष 1994-95, 1995-96 और 1996-97 के लिए कतिपय शर्तों के अध्यधीन छूट दी गई है।

(सैंतालीस) का.आ. 1780 जो 26 जून, 1999 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था जिसके द्वारा आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अंतर्गत प्रजापिता ब्रह्म कुमारीस ईश्वरीय विश्वविद्यालय, माउंट आबू, राजस्थान को निर्धारण वर्ष 1997-98, से 1999-2000 के लिए कतिपय शर्तों के अध्यधीन छूट दी गई है।

(अड़तालीस) का.आ. 1782 जो 26 जून, 1999 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था जिसके द्वारा आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग)

के अंतर्गत श्री शारदा मठ, दक्षिणेश्वर, कलकत्ता को निर्धारण वर्ष 1999-2000 से 2001-2002 के लिए कतिपय शर्तों के अध्यधीन छूट दी गई है।

(उनचास) का.आ. 1785 जो 26 जून, 1999 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था जिसके द्वारा आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अंतर्गत श्री परम हंस अद्वैतमठ पब्लिकेशन सोसायटी, नई दिल्ली को निर्धारण वर्ष 1998-99, 1999-2000 और 2000-2001 के लिए कतिपय शर्तों के अध्यधीन छूट दी गई है।

(पचास) का.आ. 1786 जो 26 जून, 1999 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था जिसके द्वारा आयकर आधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अंतर्गत नेशनल होर्टीकल्चर बोर्ड, गुड़गांवा (हरियाणा) को निर्धारण वर्ष 1987-88 से 1989-90 के लिए कतिपय शर्तों के अध्यधीन छूट दी गई है।

(इक्यावन) का.आ. 1787 जो 26 जून, 1999 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था जिसके द्वारा आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अंतर्गत नेशनल होर्टीकल्चर बोर्ड, गुड़गांवा (हरियाणा) को निर्धारण वर्ष 1990-91 से 1992-93 के लिए कतिपय शर्तों के अध्यधीन छूट दी गई है।

(बावन) का.आ. 1788 जो 26 जून, 1999 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था जिसके द्वारा आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अंतर्गत नेशनल होर्टीकल्चर बोर्ड, गुड़गांवा (हरियाणा) को निर्धारण वर्ष 1993-94 से 1995-96 के लिए कतिपय शर्तों के अध्यधीन छूट दी गई है।

(तिरपन) का.आ. 1789 जो 26 जून, 1999 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था जिसके द्वारा आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अंतर्गत नेशनल होर्टीकल्चर बोर्ड, गुड़गांवा (हरियाणा) को निर्धारण वर्ष 1996-97 से 1998-99 के लिए कतिपय शर्तों के अध्यधीन छूट दी गई है।

(चौवन) का.आ. 1791 जो 26 जून, 1999 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था जिसके द्वारा आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अंतर्गत लेडी टाटा ट्रस्ट को निर्धारण वर्ष 1999-2000, 2000-2001 और 2001-2002 के लिए कतिपय शर्तों के अध्यधीन छूट दी गई है।

(पचपन) का.आ. 1792 जो 26 जून, 1999 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था जिसके द्वारा आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अंतर्गत जे.आर.डी. टाटा ट्रस्ट को निर्धारण वर्ष 1998-99 से 2000-2001 के लिए कतिपय शर्तों के अध्यधीन छूट दी गई है।

(छप्पन) का.आ 1793 जो 26 जून, 1999 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था जिसके द्वारा आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अंतर्गत चिल्ड्रन बुक ट्रस्ट, नई दिल्ली को निर्धारण वर्ष 1998-99 से 1999-2000 और 2000-2001 के लिए कतिपय शर्तों के अध्यधीन छूट दी गई है।

(सतावन) का.आ. 1794 जो 26 जून, 1999 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था जिसके द्वारा आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अंतर्गत मध्य प्रदेश महिला कल्याण समिति, भोपाल को निर्धारण वर्ष 1999-2000 से 2001-2002 के लिए कतिपय शर्तों के अध्यधीन छूट दी गई है।

(अठावन) का.आ. 1795 जो 26 जून, 1999 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था जिसके द्वारा आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अंतर्गत भारतीय विद्या भवन, मुम्बई को निर्धारण वर्ष 1999-2000 से 2001-2002 के लिए कतिपय शर्तों के अध्यधीन छूट दी गई है।

(उनसठ) का.आ. 1799 जो 26 जून, 1999 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था जिसके द्वारा आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अंतर्गत दी थियोसोफिकल सोसायटी, चेन्नई को निर्धारण वर्ष 1999-2000 से 2001-2002 के लिए कतिपय शर्तों के अध्यधीन छूट दी गई है।

(साठ) का.आ. 1800 जो 26 जून, 1999 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था जिसके द्वारा आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अंतर्गत जगतगुरू श्री शंकराचार्य स्वामीगल श्रीमातम समस्थानम, तमिलनाडु को निर्धारण वर्ष 1999-2000 से 2001-2002 के लिए कतिपय शर्तों के अध्यधीन छूट दी गई है।

(इकसठ) का.आ. 1801 जो 26 जून, 1999 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था जिसके द्वारा आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अंतर्गत सिविल सर्विसिज आफिसर्स इंस्टीट्यूट, नई दिल्ली को निर्धारण वर्ष 1998-99 से 1999-2000 के लिए कतिपय शर्तों के अध्यधीन छूट दी गई है।

(बासठ) का.आ. 1802 जो 26 जून, 1999 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था जिसके द्वारा आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अंतर्गत खेलाघर, पालम एवेन्यू, कलकत्ता को निर्धारण वर्ष 1996-97 से 1998-99 के लिए कतिपय शर्तों के अध्यधीन छूट दी गई है।

(तिरसठ) का.आ. 1803 जो 26 जून, 1999 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था जिसके द्वारा आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अंतर्गत सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट, मुम्बई को निर्धारण वर्ष 1999-2000 से 2001-2002 के लिए कतिपय शर्तों के अध्यधीन छूट दी गई है।

(चौंसठ) का.आ. 1804 जो 26 जून, 1999 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था जिसके द्वारा आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अंतर्गत बोचासंवासी श्री अक्षर पुरुषोत्तम संस्था, अहमदाबाद को निर्धारण वर्ष 1999-2000 से 2001-2002 के लिए कतिपय शर्तों के अध्यधीन छूट दी गई है।

(पैंसठ) का.आ. 1805 जो 26 जून, 1999 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था जिसके द्वारा आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अंतर्गत दी एनी बेसेंट ट्रस्ट को निर्धारण वर्ष 1999-2000 से 2001-2002 के लिए कतिपय शर्तों के अध्यधीन छूट दी गई है।

(छियासठ) का.आ. 1806 जो 26 जून, 1999 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था जिसके द्वारा आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अंतर्गत भारत सेवाश्रम संघ, कलकत्ता को निर्धारण वर्ष 1999-2000 से 2001-2002 के लिए कतिपय शर्तों के अध्यधीन छूट दी गई है।

(सड़सठ) का.आ. 1807 जो 26 जून, 1999 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था जिसके द्वारा आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अंतर्गत रामकृष्ण मठ, बेलूर मठ, वेस्ट बंगाल को निर्धारण वर्ष 2000-2001 से 2002-2003 के लिए कतिपय शर्तों के अध्यधीन छूट दी गई है।

(अड़सठ) का.आ. 1808 जो 26 जून, 1999 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था जिसके द्वारा आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अंतर्गत श्री सदागंगा मठ, तुमकुर (कर्नाटक) को निर्धारण वर्ष 1996-97, 1997-98 और 1998-99 के लिए कतिपय शर्तों के अध्यधीन छूट दी गई है।

(उनहत्तर) का.आ. 1809 जो 26 जून, 1999 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था जिसके द्वारा आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अंतर्गत पीपल्स एक्शन फार डिवेलपमेंट, मुम्बई को निर्धारण वर्ष 1997-98, 1998-99 और 1999-2000 के लिए कतिपय शर्तों के अध्यधीन छूट दी गई है।

(सत्तर) का.आ. 1813 जो 26 जून, 1999 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था जिसके द्वारा आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अंतर्गत युग निर्माण ट्रस्ट, मथुरा को निर्धारण वर्ष 1999-2000 से 2001-2002 के लिए कतिपय शर्तों के अध्यधीन छूट दी गई है।

(इकहत्तर) का.आ. 1814 जो 26 जून, 1999 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था जिसके द्वारा आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अंतर्गत स्वामीनारायण अक्षरपीठ, अहमदाबाद को निर्धारण वर्ष 1999-2000 से 2001-2002 के लिए कतिपय शर्तों के अध्यधीन छूट दी गई है।

(बहत्तर) का.आ. 1815 जो 26 जून, 1999 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था जिसके द्वारा आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अंतर्गत तिब्बतन होम्स फाउंडेशन, ब्यूरो आफ हिज होलीनेस दी दलाई लामा, नई दिल्ली को निर्धारण वर्ष 1998-99 से 2000-2001 के लिए कतिपय शर्तों के अध्यधीन छूट दी गई है।

(तिहत्तर) का.आ. 1816 जो 26 जून, 1999 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था जिसके द्वारा आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अंतर्गत दहेज निवारण एवं समाज कल्याण परिषद, इटावा, यू.पी. को निर्धारण वर्ष 1998-99 से 2000-2001 के लिए कतिपय शर्तों के अध्यधीन छूट दी गई है।

(चौहत्तर) का.आ. 2114 जो 31 जुलाई, 1999 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था जिसके द्वारा आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अन्तर्गत ऑयल कोआर्डीनेशन कमेटी, नई दिल्ली को निर्धारण वर्ष 1998-99 से 2000-2001 के लिए कतिपय शर्तों के अध्यधीन छूट दी गई है।

(पचहत्तर) का.आ. 2116(अ) जो 31 जुलाई, 1999 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था जिसके द्वारा आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अन्तर्गत सोसायटी फार सर्विस टू वोलंट्री एजेंसिज, पूणे को निर्धारण वर्ष 1998-99 से 2000-2001 के लिए कतिपय शर्तों के अध्यधीन छूट दी गई है।

(छिहत्तर) का.आ. 2118 जो 31 जुलाई, 1999 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था जिसके द्वारा आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अन्तर्गत श्री आनंदपुर ट्रस्ट, नई दिल्ली को निर्धारण वर्ष 1999-2000 से 2001-2002 के लिए कतिपय शर्तों के अध्यधीन छूट दी गई है।

(सतहत्तर) का.आ. 2120 जो 17 जून, 1999 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था जिसके द्वारा आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अन्तर्गत फिरोजशाह गोदरेज फाउंडेशन, मुम्बई को निर्धारण वर्ष 1999-2000 से 2001-2002 के लिए कतिपय शर्तों के अध्यधीन छूट दी गई है।

(अठहत्तर) का.आ. 2121 जो 5 जुलाई, 1999 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था जिसके द्वारा आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अन्तर्गत चीफ मिनिस्टर्स रिलिफ फंड, महाराष्ट्र को निर्धारण वर्ष 1999-2000 से 2001-2002 के लिए कतिपय शर्तों के अध्यधीन छूट दी गई है।

(उनासी) का.आ. 2122 जो 31 जुलाई, 1999 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था जिसके द्वारा आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अन्तर्गत कृष्णामूर्ति फाउंडेशन इंडिया, चेन्नई को निर्धारण वर्ष 1999-2000 से 2001-2002 के लिए कतिपय शर्तों के अध्यधीन छूट दी गई है।

(अस्सी) का.आ. 2123 जो 7 जुलाई, 1999 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था जिसके द्वारा आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अन्तर्गत स्वदेशी जागरण फाउंडेशन, 60 नार्थ एवेन्यू, नई दिल्ली को निर्धारण वर्ष 1998-99

से 2000-2001 के लिए कतिपय शर्तों के अध्यधीन छूट दी गई है।

(इक्यासी) का.आ. 2126 जो 16 जुलाई, 1999 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था जिसके द्वारा आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अन्तर्गत राष्ट्रीय ग्रामीण विकास निधि, गुवाहाटी (असम) को निर्धारण वर्ष 1995-96 से 1996-97 के लिए कतिपय शर्तों के अध्यधीन छूट दी गई है।

(बयासी) का.आ. 2127 जो 16 जुलाई, 1999 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था जिसके द्वारा आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अन्तर्गत नेशनल एसोसिएशन फार दी ब्लाईड, मुम्बई को निर्धारण वर्ष 1999-2000 से 2001-2002 के लिए कतिपय शर्तों के अध्यधीन छूट दी गई है।

(तिरासी) का.आ. 2144 जो 23 जुलाई, 1999 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था जिसके द्वारा आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अन्तर्गत दी सोसायटी फार प्रमोशन आफ वेस्ट लैंड्स डिवेलपमैंट, नई दिल्ली को निर्धारण वर्ष 1999-2000 से 2001-2002 के लिए कतिपय शर्तों के अध्यधीन छूट दी गई है।

(चौरासी) का.आ. 2145 जो 23 जुलाई, 1999 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था जिसके द्वारा आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अन्तर्गत टैगोर सोसायटी फार रूरल डिवलपमैंट, कलकत्ता को निर्धारण वर्ष 1997-98 से 1999-2000 के लिए कतिपय शर्तों के अध्यधीन छूट दी गई है।

(पचासी) का.आ. 2146 जो 23 जुलाई, 1999 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था जिसके द्वारा आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अन्तर्गत एडल्ट रेनिंग सेंटर (ट्रस्ट) फार ब्लाईड, अहमदाबाद को निर्धारण वर्ष 1995-96 से 1997-98 के लिए कतिपय शर्तों के अध्यधीन छूट दी गई है।

(छियासी) का.आ. 2147 जो 31 जुलाई, 1999 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था जिसके द्वारा आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अन्तर्गत सेंटर फार एडवांस्ड स्ट्रटेजिक स्टडीज, पूणे को निर्धारण वर्ष 1998-99 से 2000-2001 के लिए कतिपय शर्तों के अध्यधीन छूट दी गई है।

(सतासी) आयकर (पांचवां संशोधन) नियम, 1999 जो 30 मार्च, 1999 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 94(अ) में प्रकाशित हुआ था।

(अठासी) आयकर (छठा संशोधन) नियम, 1999 जो 9 अप्रैल, 1999 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 241(अ) में प्रकाशित हुआ था।

(नवासी) आयकर (सातवां संशोधन) नियम, 1999 जो 14 मई, 1999 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 338(अ) में प्रकाशित हुआ था।

(नब्बे) आयकर (नौवां संशोधन) नियम, 1999 जो 25 मई, 1999 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 381(अ) में प्रकाशित हुआ था।

(इक्कानवे) आयकर (ग्यारहवां संशोधन) नियम, 1999 जो 31 मई, 1999 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 401(अ) में प्रकाशित हुआ था।

(बयानवे) आयकर (बारहवां संशोधन) नियम, 1999 जो 1 जून, 1999 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 404(अ) में प्रकाशित हुआ था।

(तिरानवे) आयकर (तेरहवां संशोधन) नियम, 1999 जो 2 जून, 1999 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 410(अ) में प्रकाशित हुआ था।

(चौरानवे) आयकर (चौदहवां संशोधन) नियम, 1999 जो 4 जून, 1999 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 420(अ) में प्रकाशित हुआ था।

(पिचानवे) आयकर (पंद्रहवां संशोधन) नियम, 1999 जो 14 जून, 1999 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 434(अ) में प्रकाशित हुआ था।

(छियानवे) आयकर (सोलहवां संशोधन) नियम, 1999 जो 14 जून, 1999 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 435(अ) में प्रकाशित हुआ था।

(सतानवे) आयकर (सत्रहवां संशोधन) नियम, 1999 जो 15 जून, 1999 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 439(अ) में प्रकाशित हुआ था।

(अठानवे) का.आ. 440(अ) जो 15 जून, 1999 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा उनमें उल्लिखित जिलों को श्रेणी ''क'' और श्रेणी ''ख'' के औद्योगिक रूप से पिछड़े जिलों के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है।

(निन्यानवे) आयकर (अठारहवां संशोधन) नियम, 1999 जो 16 जून, 1999 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 446(अ) में प्रकाशित हुआ था।

(सौ) आयकर (उन्नीसवां संशोधन) नियम, 1999 जो 16 जून, 1999 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 447(अ) में प्रकाशित हुआ था।

(एक सौ एक) आयकर (बीसवां संशोधन) नियम, 1999 जो 23 जून, 1999 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 479(अ) में प्रकाशित हुआ था।

(एक सौ दो) आयकर (बाईसवां संशोधन) नियम, 1999 जो 25 जून, 1999 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 500(अ) में प्रकाशित हुआ था।

(एक सौ तीन) आयकर (तेईसवां संशोधन) नियम, 1999 जो 30 जून, 1999 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 519(अ) में प्रकाशित हुआ था।

(एक सौ चार) आयकर (तेईसवां संशोधन) नियम, 1999 जो 29 जून, 1999 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 515(अ) में प्रकाशित हुआ था।

(एक सौ पांच) आयकर (पच्चीसवां संशोधन) नियम, 1999 जो 2 जुलाई, 1999 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 535(अ) में प्रकाशित हुआ था।

(एक सौ छः) आयकर (छब्बीसवां संशोधन) नियम, 1999 जो 5 जुलाई, 1999 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 540(अ) में प्रकाशित हुआ था।

(एक सौ सात) का.आ. 627(अ) जो 4 अगस्त, 1999 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिसके द्वारा पूर्वोत्तर क्षेत्र में उद्योगों की कुछ श्रेणियों को उद्योगों के रूप में अधिसूचित किया गया था।

(एक सौ आठ) आयकर (उनतीसवां संशोधन) नियम, 1999 जो 4 अक्तूबर, 1999 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 1009(अ) में प्रकाशित हुआ था।

(एक सौ नौ) आयकर (तीसवां संशोधन) नियम, 1999 जो 6 अक्तूबर, 1999 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 1012(अ) में प्रकाशित हुआ था।

(एक सौ दस) का.आ. 1013(अ) और का.आ. 1014(अ) जो 6 अक्तूबर, 1999 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे जिसके द्वारा नगरपालिका अथवा छावनी बोर्ड की स्थानीय सीमाओं के बाहर आने वाले क्षेत्रों को विनिर्दिष्ट किया गया था।

(एक सौ ग्यारह) का.आ. 1032(अ) जो 13 अक्तूबर, 1999 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था जिसके द्वारा केन्द्रों को समेकित संरचनागत विकास केन्द्र और औद्योगिक विकास केन्द्र के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया था।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 160/99]

(4) सीमा शुल्क टेरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 9क की उपधारा (7) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक). सा.का.नि. 201(अ) जो 11 मार्च, 1999 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 8 अक्तूबर, 1998 की अधिसूचना संख्या 71/98-सी.शु. को निरस्त करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सीमा शुल्क टेरिफ (पाटित वस्तुओं पर प्रतिपाटित शुल्क की पहचान, आंकलन और वसूली तथा हानि का निर्धारण) संशोधन नियम, 1999 जो 15 जुलाई, 1999 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 521(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा.का.नि. 347(अ) जो 13 मई, 1999 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 14 दिसम्बर, 1998 की अधिसूचना संख्या 103/98-सी.शु. में कतिपय संशोधन करना था तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) सा.का.नि. 373(अ) जो 20 मई, 1999 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय जापान, कोरिया आर.पी. और चीन गणराज्य में बनने वाली अथवा वहां से निर्यात होने वाली और भारत में आयात होने वाली औद्योगिक सिलाई मशीन सुईयों पर प्रतिपाटन शुल्क के प्रावधान को वापस लेना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) सा.का.नि. 690(अ) जो 11 अक्तूबर, 1999 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय जापान और जर्मनी में बनने वाले अथवा वहां से निर्यात होने वाले थर्मल सेन्सटिव पेपर पर छः महीने की अवधि के लिए अस्थायी प्रतिपाटित शुल्क लगाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छः) सा.का.नि. 701(अ) जो 14 अक्तूबर, 1999 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय हांगकांग, सिंगापुर, थाईलैंड में बनने वाले तथा वहां से निर्यात होने वाले सामान्य प्रयोजन पोलिस्टरिन और उच्च प्रभावकारी पोलिस्टरिन पर छः महीने की अवधि के लिए अस्थायी प्रतिपाटित शुल्क लगाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सात) सा.का.नि. 725(अ) जो 28 अक्तूबर, 1999 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन जिसका आशय चीन गणराज्य और मैसीडोनिया में उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित लो कार्बन फेरो क्रोम पर अंतिम रूप से प्रतिपाटन शुल्क लगाना है।

(आठ) सा.का.नि. 743(अ) जो 2 नवम्बर, 1999 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन जिसका आशय ताइवान में उद्भूत और वहां से निर्यातित एक एक्रीलोनीट्राइल ब्यूटाडीन रबर पर प्रतिपाटन शुल्क लगाना है।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 161/99]

(5) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 119 की उपधारा (2) के खंड (ग) के अंतर्गत जारी किए गए निम्नलिखित आदेशों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):

(एक) 22 जून, 1991 का आदेश जिसका आश्रय श्री एम.एम.एच. सादिक अली द्वारा फार्म संख्या 10 सी.सी.ए.सी. में लेखा प्रतिवेदन भरने तथा कर निर्धारण वर्ष 1991-92 की विवरणी भरने में विलंब को माफ करना है।

(दो) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80 एचएचसी (4) में निर्धारित शर्तों के मैसर्स उड़ीसा माइनिंग कारपोरेशन लिमिटेड, भुवनेश्वर का कर निर्धारण वर्ष 1992-93 के लिए रियायतों संबंधी 20 सितम्बर, 1999 का आदेश।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 162/99]

[हिन्दी]

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): महोदय, मैं संविधान के अनुच्छेद 123(2) के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा 18 नवम्बर 1999 को प्रख्यापित विशेष संरक्षा ग्रुप (संशोधन) अध्यादेश, 1999 (1999 का संख्यांक 10) की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूँ।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए संख्या एल.टी. 163/99**]

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:

(1) (एक) सेन्ट्रल जू अथारिटी, नई दिल्ली के वर्ष 1997-98 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेन्ट्रल जू अथारिटी, नई दिल्ली के वर्ष 1997-98 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए संख्या एल.टी. 164/99**]

अपराह्न 12.04 बजे

समिति के लिए निर्वाचन

राष्ट्रीय पोत परिवहन बोर्ड

[हिन्दी]

जल भूतल परिवहन मंत्री (श्री राजनाथ सिंह): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ: कि राष्ट्रीय पोत परिवहन बोर्ड नियम, 1960 के नियम 4(1) के साथ पठित वाणिज्य पोत अधिनियम, 1958 की धारा 4(2)(क) के अनुसरण में इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों के अंतर्गत राष्ट्रीय पोत परिवहन बोर्ड के सदस्य के रूप में 27.6.2001 तक कार्य करने के लिए अपने में से बार सदस्य निर्वाचित करें।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि राष्ट्रीय पोत परिवहन बोर्ड नियम, 1960 के नियम 4(1) के साथ पठित वाणिज्य पोत अधिनियम, 1958 की धारा 4(2)(क) के अनुसरण में इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों के अंतर्गत राष्ट्रीय पोत परिवहन बोर्ड के सदस्य के रूप में 27.6.2001 तक कार्य करने के लिए अपने में से बार सदस्य निर्वाचित करें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय: अब हम मद संख्या 12 पर विचार करते हैं।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा): इस पर शून्य काल के बाद भी विचार किया जा सकता है।

अध्यक्ष महोदय: अन्य मदें भी हैं।

श्री बसुदेव आचार्य: इसे शून्य काल के बाद लिया जा सकता है।

अध्यक्ष महोदय: हम शून्य काल भी लेंगे। अब हम मद संख्या 12 लेते हैं।

श्री यशवन्त सिन्हा।

श्री बसुदेव आचार्य: महोदय, हमने एक महत्वपूर्ण मामला उठाने के लिए सूचना दी है।

अध्यक्ष महोदय: मैं आपको बोलने की अनुमति दूंगा।

श्री बसुदेव आचार्य: आप इस समय शून्य काल की अनुमति क्यों नहीं दे रहे हैं।

अपराह्न 12.06 बजे

विदेशी मुद्रा प्रबंध विधेयक*

[अनुवाद]

वित्त मंत्री (श्री यशवंत सिन्हा): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि विदेशी व्यापार और भुगतानों को सुकर बनाने और भारत में विदेशी मुद्रा बाजार के क्रमिक विकास और अनुरक्षण को संप्रवर्तित करने के उद्देश्य हेतु विदेशी मुद्रा से संबंधित विधि में संशोधन और समेकन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अध्यक्ष महोदय: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ:

> "कि विदेशी व्यापार और भुगतानों को सुकर बनाने और भारत में विदेशी मुद्रा बाजार के क्रमिक विकास और अनुरक्षण को संप्रवर्तित करने के उद्देश्य हेतु विदेशी मुद्रा से संबंधित विधि में संशोधन और समेकन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

...(व्यवधान)

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज): महोदय, मैंने एक बहुत महत्वपूर्ण सूचना दी है।

अध्यक्ष महोदय: यह 'शून्य काल' नहीं है। मंत्री महोदय ने विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति मांगी है और मैंने श्री बसुदेव आचार्य का नाम पुकारा है, जिन्होंने विधेयक से संबंधित सूचना दी थी।

अध्यक्ष महोदय: जिन्होंने सूचना दी है, मैं उनके नाम पुकारूंगा।

श्री ए.सी. जोस (त्रिचूर): 'शून्य काल' का क्या हुआ?

अध्यक्ष महोदय: इसके बाद उस मद को लिया जाएगा। मंत्री महोदय ने केवल विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति माँगी है।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: आप पहले ही विधिक कार्य आरम्भ कर चुके हैं। 'शून्य काल' का क्या हुआ?

अध्यक्ष महोदय: मंत्री महोदय ने केवल विधेयक को पुर: स्थापित करने की अनुमति माँगी है।

श्री ए.सी. जोस: मेरा विनयपूर्वक निवेदन यह है कि इस मद को 'शून्य काल' के बाद लिया जाए।

अध्यक्ष महोदय: कृपया सभा के समय को व्यर्थ न करें। श्री बसुदेव आचार्य ने सूचना दी थी और इसीलिए मैंने उनका नाम पुकारा था।

श्री ए.सी. जोस: 'शून्य काल' के दौरान विधेयक को नहीं लाया जा सकता है। किसी भी विधेयक को 'शून्य काल' के बाद ही लाया जा सकता है।

अध्यक्ष महोदय: मंत्री महोदय ने केवल विधेयक को पुर: स्थापित करने की अनुमति माँगी है। उसके बाद 'शून्य काल' होगा।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: मेरी समझ में नहीं आ रहा कि 'शून्य काल' के दौरान विधि संबंधी मद को किस प्रकार लिया जा सकता है। यह एक विधि संबंधी मद है। एक बार जब वे पुर:स्थापन का विरोध करते हैं तो चर्चा आरम्भ हो जाती है। यह तो मूल रूप से विधि संबंधी कार्य का हिस्सा है।

अध्यक्ष महोदय: मंत्री महोदय ने विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति माँगी है। इसीलिए मैं माननीय सदस्य द्वारा उठायी जा रही आपत्ति को सुनना चाहता हूँ।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: ऐसी प्रक्रिया पहले कभी नहीं रही है।

श्री एन.एन. कृष्णदास (पालघाट): मेरी भी सूचना है।

श्री बसुदेव आचार्य: इसे 'शून्य काल' के बाद लिया जा सकता है।

अध्यक्ष महोदय: मंत्री महोदय ने पहले ही विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति माँगी है। आपकी क्या आपत्ति है?

श्री प्रियरंजन दास मुंशी: कृपया पहले 'शून्य काल' को निपटाइए।

अध्यक्ष महोदय: केवल एक विधेयक है।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: परन्तु जैसे ही वे पुर:स्थापन का विरोध करते हैं चर्चा विधि संबंधी कार्य का हिस्सा बन जाएगी।

---

*भारत के राजपत्र असाधारण, भाग-दो, खण्ड-2, दिनांक 29.11.99 में प्रकाशित।

अध्यक्ष महोदय: उन्होंने सूचना दी है और इसीलिए मैंने उन्हें आपत्ति रखने का अवसर दिया था।

श्री बसुदेव आचार्य: इसे 'शून्य काल' के बाद लिया जा सकता है। ऐसे दो विधेयक हैं जिन्हें पुर:स्थापित किया जाना है।

अध्यक्ष महोदय: मैंने श्री बसुदेव आचार्य को अनुमति दी है। श्री बसुदेव आचार्य के भाषण के अतिरिक्त और कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: उन्होंने सूचना दी है। इसीलिए मैंने उनका नाम पुकारा है। यह केवल विधेयक का पुर:स्थापन है।

श्री बसुदेव आचार्य: हमेशा 'शून्य काल' के बाद ही विधेयक को पुर:स्थापित किया जाता है।

श्री रूपचंद पाल (हुगली): मैंने भी सूचना दी है।

श्री बसुदेव आचार्य: इस विषय पर कई सदस्यों ने सूचनाएँ दी हैं। *...(व्यवधान)*

श्री ए.सी. जोस: प्रश्न काल के बाद ही हमेशा 'शून्य काल' होता है। मैं आपके निर्णय को अमान्य नहीं ठहरा रहा हूँ।

अध्यक्ष महोदय: कृपया अपने स्थान पर बैठ जाएं यही शिष्टाचार है। जब अध्यक्ष बोल रहे हैं तब आप भी बोल रहे हैं। मैं आपकी बात सुन रहा हूँ परन्तु आप अध्यक्षपीठ के निर्देशों को नहीं सुन रहे हैं। मंत्री महोदय ने पहले ही विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति माँगी है।

श्री बसुदेव आचार्य: उन्होंने विधेयक को पुर:स्थापित नहीं किया है।

अध्यक्ष महोदय: श्री बसुदेव आचार्य, यह सब क्या हो रहा है? यह अच्छा प्रैक्टिस है। आप पहले बैठ जाइये। एक अन्य विधेयक भी है और उसे 'शून्य काल' के बाद लिया जा सकता है। मंत्री महोदय पहले ही विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति माँग चुके हैं। क्योंकि श्री बसुदेव आचार्य ने सूचना दी है, इसीलिए मैं पुर:स्थापन के समय उनकी आपत्ति को सुन रहा हूँ। दूसरे विधेयक को 'शून्य काल' के बाद लिया जा सकता है।

...(व्यवधान)

श्री ए.सी. जोस: यह एक गलत पूर्वोदाहरण है। प्रश्न काल के तुरन्त बाद, सभा पटल पर पत्रों को रखे जाने के बाद 'शून्य काल' मद को लिया जा सकता है। अध्यक्षपीठ ने मंत्री महोदय को विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी है। मैं आपके निर्णय पर प्रश्न चिह्न नहीं लगा रहा हूँ परन्तु इससे एक गलत पूर्वोदाहरण निर्मित होता है।

अध्यक्ष महोदय: कृपया ध्यान रखिए कि पहले भी ऐसी प्रथा रही है। यह सब क्या हो रहा है, श्री जोस?

श्री बसुदेव आचार्य: महोदय, मैंने इस विदेशी मुद्रा प्रबंध विधेयक, 1999 का विरोध करने के लिए सूचना दी है।

इस विधेयक के प्रति मेरे विरोध का कारण यह है कि इस प्रकार के विधान को लाकर सरकार विद्यमान विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम को निरस्त करना चाहती है। यह प्रस्ताव काफी समय पहले 1993 में रखा गया था और इसका कारण 1991 में तत्कालीन सरकार द्वारा आरम्भ की गई उदारीकरण की नीति था। वर्तमान अधिनियम को निरस्त करने का मुख्य कारण हवाला आपरेटरों को काला धन—हजारों करोड़ों रुपये का कालाधान जोकि हमारे देश में स्थित है—के विनिमय को जारी रखने देना है। यदि इस सभा द्वारा इस विधेयक को अधिनियमित किया जाता है पारित किया जाता है तो इस काले धन के गबन की सम्भावना बनती है।

विद्यमान विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम में क्या कमियाँ हैं। अब विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम को दो भागों में बांटे जाने का प्रस्ताव है। संसद के पिछले सत्र में, एक विधेयक धन शोधन निवारण विधेयक को पुर:स्थापित किया जा चुका है और इस विधेयक को आज पुर:स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है।

महोदय, मुझे विद्यमान अधिनियम को निरस्त करने का कोई कारण और आधार समझ नहीं आता यदि इसी अधिनियम को समुचित ढंग से कार्यान्वित किया जाए तो काले धन के विनिमय करने वालों को नियंत्रित करने के लिए यही पर्याप्त होंगे। हमारे देश में ऐसे कई मामले हुए हैं जिसमें काले धन का कारोबार

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[श्री बसुदेव आचार्य]

करने वाले और 'फेरा' के उल्लंघनकर्त्ता बिना दण्ड पाये बच गए थे।

इस अधिनियम को निरस्त करने का क्या कारण है? सरकार विद्यमान अधिनियम को निरस्त और इसके स्थान पर नए विधेयक को क्यों लाना चाहती है? क्या यह प्रस्तावित नया विधेयक विदेशी मुद्रा के विनिमय या काला बाजार के धन के विनिमय को रोक पाएगा? यह विधेयक ऐसी बातों को रोक नहीं सकता है। बल्कि इससे हवाला आपरेटरों और काला बाजारियों को फायदा पहुँचेगा। इसी कारण मैं इस विधेयक का विरोध कर रहा हूँ। यह विधेयक राष्ट्र हित में नहीं है।

अध्यक्ष महोदय: अब, माननीय मंत्री महोदय।

श्री एन.एन. कृष्णदास: महोदय, मैंने एक सूचना दी है।

अध्यक्ष महोदय: मुझे केवल एक सूचना मिली है यह श्री बसुदेव आचार्य की है।

श्री रूपचन्द पाल: महोदय, मैंने सूचना दी हुई है *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: ठीक है, मैं श्री एन.एन. कृष्णदास को अनुमति दे रहा हूं।

श्री रूपचन्द पाल: महोदय, मैंने भी सूचना दी हुई है *...(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: महोदय, शून्य काल में कई सूचनाएं दी गई हैं। महोदय, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: अब मैंने श्री एन.एन. कृष्णदास को अनुमति दे दी है।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: शून्य काल के दौरान महत्वपूर्ण मामले उठाये जाने हैं *...(व्यवधान)* इस मामले को निपटा लेने के पश्चात् आप शून्य काल आरम्भ कर सकते हैं *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: इसके पश्चात् मैं शून्य काल आरम्भ करूंगा।

...(व्यवधान)

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: महोदय, श्री बसुदेव आचार्य के निवेदन के पश्चात् इसे लिया जाना था। वह अब हो चुका है *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: दो अन्य सदस्य भी हैं। उन्होंने भी सूचना दी हुई है।

...(व्यवधान)

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: महोदय, मुझे कहते हुए खेद होता है कि शून्यकाल का पूरा प्रयोजन ही समाप्त किया जा रहा है *...(व्यवधान)* यह सही नहीं है।

अध्यक्ष महोदय: अब श्री एन.एन. कृष्णदास बोलेंगे।

...(व्यवधान)

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: अध्यक्ष महोदय, शून्य काल में ऐसा नहीं किया जा सकता *...(व्यवधान)* इस सदन में मैंने कभी नहीं देखा कि 'शून्य काल' के महत्व को इस प्रकार से कम किया गया हो *...(व्यवधान)*

श्री वी.एम. सुधीरन (अलेप्पी): महोदय, आप पूर्णत: गलत हैं *...(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: महोदय, हम शून्यकाल चाहते हैं *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्री कृष्णदास।

श्री ए.सी. जोस: महोदय आप अत्यन्त खराब उदाहरण स्थापित कर रहे हैं *...(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: महोदय, जिन माननीय सदस्यों ने सूचनाएं दी हैं उन्हें अपने मुद्दे उठाने का पूरा हक है। शून्य काल की महत्ता को इस प्रकार से कम नहीं किया जा सकता *...(व्यवधान)*

श्री रूपचन्द पाल: महोदय, मैं उनके विचार से सहमत हूं।

अध्यक्ष महोदय: श्री दासमुंशी, कृपया अध्यक्षपीठ के साथ सहयोग कीजिए। आप इस मामले को पहले ही उठा चुके हैं। कृपया समझिए।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली): अध्यक्ष महोदय, क्वैश्चन ऑवर के बाद जीरो ऑवर लिया जाना चाहिए और इससे पहले कोई बिजनैस लिये जाने से जीरो ऑवर का महत्व खत्म हो जाता है। इसलिए इस परिपाटी का अनुपालन किया जाना चाहिए। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: बैठ जाइए। श्री कृष्णदास।

श्री एन.एन. कृष्णदास: महोदय, मैं विदेशी व्यापार और भुगतान को आसान बनाने और भारत में विदेशी मुद्रा विनियम बाजार के समुचित विकास और रख-रखाव को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य वाले विदेशी मुद्रा विनियम से संबंधित कानूनों को समेकित और संशोधित करने वाले इस विधेयक अर्थात् विदेशी मुद्रा विनियम प्रबंध विधेयक 1999 का विरोध करता हूँ।

महोदय, इस विधेयक को पुर:स्थापित करने के पीछे सरकार का इरादा हमारे देश के लोगों के हितों को सुनिश्चित करना नहीं है। यह केवल काला धन संचालकों और हवाला संचालकों के हित के लिए है। यह संशोधन विद्यमान 'फेरा' कानून को कमजोर बनायेगा। यह हमारे देश की अर्थव्यवस्था के सर्वोत्तम हित के बिल्कुल खिलाफ है।

महोदय, एक बार फिर मैं आरंभिक स्तर पर इस विधेयक को पुर:स्थापित किये जाने पर अपना विरोध दर्ज कराता हूँ।

श्री रूपचन्द पाल: महोदय, इस विधेयक, को पुर:स्थापित किये जाने के प्रक्रम पर ही मैं आपत्ति दर्ज करता हूँ। यह एक नयी लोक सभा है। जहाँ लगभग 259 नए चुने गए सदस्य हैं और विदेशी मुद्रा विनियम प्रबंध संशोधन के संबंध में स्थायी समिति ने 12वीं लोक सभा को अपनी रिपोर्ट दी थी *...(व्यवधान)* महोदय, यह अत्यन्त महत्वपूर्ण है। कृपया मेरी बात सुनिये।

अध्यक्ष महोदय: मैं हमेशा आपकी बात सुनता हूं लेकिन आप मेरी बात नहीं सुन रहे हैं।

श्री रूपचन्द पाल: महोदय, मैं हमेशा वही करता हूं अथवा वह करने का प्रयास करता हूं।

महोदय, यह एक नयी लोक सभा है और इसमें कम से कम 259 नए निर्वाचित सदस्य हैं और विदेशी मुद्रा विनियम प्रबंध संशोधन के संबंध में स्थायी समिति ने 12वीं लोक सभा में 23 अप्रैल, 1999 को 12वीं लोक सभा के विघटित होने से मात्र 3 दिन पहले ही अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था। लेकिन दुर्भाग्यवश स्थायी समिति का प्रतिवेदन, जैसाकि हमेशा किया जाता है, 12वीं लोक सभा के सदस्यों को परिचालित नहीं किया गया था। न ही यह नए सदस्यों को परिचालित किया गया था जिन्हें इस विधेयक के उद्देश्यों के बारे में कुछ भी पता नहीं है। यह मेरा पहला सवाल है।

दूसरा जब स्थायी समिति द्वारा इस विधेयक की जांच की गई थी तो कुछ विशेष बातें थी जिन पर सरकार को अपनी टिप्पणी देनी थी। 12वीं लोक सभा की पिछली सरकार और यह सरकार दो भिन्न सरकारें हैं। और यह नयी सरकार एक विधान, जिसका इस देश के लिए दूरगामी परिणाम होगा लेकर आई है। मैं इस समय इस सरकार की विधिसम्मत क्षमता के बारे में पूछ रहा हूं और मैं अपना तर्क केवल विधायी क्षमता तक ही सीमित रखूंगा। लेकिन इस सरकार का तर्क इस पर आधारित है कि सभी सिफारिशें पिछली सरकार द्वारा पिछली लोक सभा में की गई थीं और उन्हें कुछ सिफारिशों अथवा सिफारिशों के अंश की सिफारिश करनी चाहिए थी। अथवा उन पर कार्यवाही करनी चाहिए थी। हमें पिछली सरकार द्वारा स्वीकार किये गये प्रावधानों के बारे में पता नहीं है।

इसलिए, हम इस विधेयक के प्रयोजन, इस सरकार की क्षमता और इस विशेष विधेयक की विधायी क्षमता के बारे में भ्रम में हैं। अत: मैं मांग करता हूं कि इस विधेयक को पुर:स्थापित करने से पूर्व सदस्यों को स्थायी समिति के प्रतिवेदन की प्रतियां उपलब्ध कराएं और उस विशेष प्रतिवेदन पर पूर्ववर्ती सरकार की प्रतिक्रिया से अवगत कराएं।

श्री वरकला राधाकृष्णन (चिरायिंकिल): महोदय, मैंने भी सूचना दी है और मुझे भी बोलने की अनुमति दी जाए *...(व्यवधान)*

श्री मोइनुल हसन (मुर्शिदाबाद): अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित आधारों पर प्रस्तावित विदेशी मुद्रा प्रबंध विधेयक के पुर:स्थापन का विरोध करता हूँ। मैं अपनी दो-तीन बातें कहने के लिए केवल तीन-चार मिनट लूंगा।

पहली, फेरा के स्थान पर 'फेमा' लाकर सरकार देश में विदेशी मुद्रा के विनियमन के सभी इरादे त्यागना चाहती है। यह विदेशी निवेश पर भारतीय रिजर्व बैंक के नियंत्रण को भी कम करेगा।

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[श्री मोइनुल हसन]

दूसरी, उक्त विधेयक विदेशी निवेशकों को सुस्पष्ट आश्वासन है कि उनका निवेश सुरक्षित रहेगा। तीसरी, प्रस्तावित विधेयक विदेशी मुद्रा के अवैध व्यापारियों विशेष रूप से हवाला आपरेटरों के लिए एक वरदान होगा और फिर विभिन्न देशों के बीच हवाला भुगतान एक अपराध नहीं माना जाएगा।

अंतत:, वर्तमान में भारत के विदेशी मुद्रा भंडार की संतोषजनक स्थिति के बारे में सरकार का दावा मान्य नहीं है। वस्तुत: भारत का चालू खाता घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 3.5 प्रतिशत तक पहुंच गया है, इस घाटे की भरपाई विदेशी मुद्रा के निवल निजी अंतरण के माध्यम से की जाती है किंतु प्रस्तावित विधेयक निजी अन्तरण की प्रक्रिया को अस्थिर करेगा।

इन कारणों से मैं इस विधेयक के पुर:स्थापन का विरोध करता हूँ।

श्री यशवन्त सिन्हा: महोदय, आपके माध्यम से, मुझे इस विधेयक के पुर:स्थापन का विरोध करने वाली सदस्यों की सूचनाएं प्राप्त हुई थी। मैंने नियमों और कौल और शकधर की ''संसदीय प्रणाली तथा व्यवहार'' को पढ़ा है। मैंने पाया कि एकमात्र आधार जिसके कारण किसी विधेयक के पुर:स्थापन का विरोध किया जा सकता है वह इस सभा की विधायी क्षमता है।

माननीय सदस्यों ने यहां अनेक मुद्दे उठाए हैं। किंतु केवल एक सदस्य ने इस सभा की विधायी क्षमता पर उंगली उठाई है और वह भी इस आधार पर कि यह एक नई लोक सभा है तथा इसलिए जो कुछ भी बारहवीं लोक सभा में हुआ उसका कोई मायने नहीं है। मैं उस दृष्टिकोण से सहमत नहीं हूं। इस विधेयक को बारहवीं लोक सभा में पुर:स्थापित किया गया था और यदि यह इस सभा की विधायी क्षमता से बाहर होता तो इसे बारहवीं लोक सभा में पेश नहीं किया जा सकता था।

जहां तक स्थायी समिति की प्रक्रिया का संबंध है वह एक ऐसा मुद्दा है जिसके बारे में आप विधेयक को पुर:स्थापित किए जाने के बाद निर्णय करेंगे। अत: वह मुद्दा इस समय प्रासंगिक नहीं है।

इस विधेयक के गुणावगुणों से संबंधित है अन्य मुद्दे ऐसे मुद्दे हैं कि जब यह विधेयक विचार किये जाने तथा पारित होने के लिए इस सभा के समक्ष आएगा तो मुझे विश्वास है कि यह सभा उन पर चर्चा करेगी। किंतु मैं अभी बताना चाहता हूँ कि विदेशी मुद्रा भंडार के बारे में उठायी गई बात सही नहीं है। इतिहास में पहली बार आज देश का विदेशी मुद्रा भडार 34 बिलियन डालर से अधिक हुआ ...*(व्यवधान)* दूसरा जब माननीय सदस्य ने कहा है कि वर्ष 1998-99 का चालू खाता घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 3.5 प्रतिशत है तो उन्हें इस बारे में सही जानकारी नहीं थी। मैंने पहले भी यह इस सभा में कहा है और मैं फिर कहता हूँ कि यह सकल घरेलू उत्पाद का एक प्रतिशत कम है। इस वर्ष तेल के मूल्यों में असाधारण व अत्यधिक वृद्धि के बावजूद, जिसने हमारे विदेशी मुद्रा भंडार पर बोझ डाला है, मुझे आशा है कि चालू खाता घाटा सकल घरेलू उत्पाद का दो प्रतिशत से अधिक नहीं होगा। मुझे नहीं पता कि माननीय सदस्य को यह 3.5 प्रतिशत का आंकड़ा कहां से मिला है। विदेशी मुद्रा भंडार के संबंध में हमारी स्थिति अच्छी है और इस सभा को बताता हूँ कि हमारे यहां चालू खाते पर पूर्ण परिवर्तनीयता है। केवल पूंजी खाते के संबंध में अभी कुछ प्रतिबंध हैं।

इस विधेयक के माध्यम से हम विदेशी मुद्रा के संपूर्ण प्रबंधन को चालू खाते में उदारीकरण के परिणामस्वरूप हुए बदलावों के अनुरूप लाने का प्रयास कर रहे हैं। मैं इस बात का पूर्णत: खंडन करता हूं कि यह विधेयक कालाबाजारियों, काले धन के व्यापारियों और हवाला व्यापारियों की मदद करेगा, यह इस सभा के सदस्यों के एक वर्ग की कल्पना की उपज है और जैसा मैंने कहा है मैं इसका पूर्णत: खंडन करता हूँ। यह एक नई स्थिति का सामना करने का उपाय है जो विदेशी मुद्रा प्रबंधन के उदारीकरण के कारण पैदा हुई है और यह अधिनियम विदेशी मुद्रा प्रबंधन को सुगम बनाएगा। इसीलिए इस यह विधेयक पुर:स्थापित कर रहे हैं। हम धन शोधन निवारण विधेयक पहले ही पुर:स्थापित कर चुके हैं। मेरा सुझाव है कि इन दो विधेयकों पर एक साथ चर्चा की जानी चाहिए क्योंकि ये इन दोनों विधेयकों में शामिल सभी मुद्दों पर प्रकाश डालते हैं।

इसलिए मैं प्रस्ताव करता हूँ कि मुझे इस विधेयक को पुर: स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

श्री रूपचन्द पाल: महोदय, मैं चाहता हूं कि मेरे द्वारा उठाए गए मुद्दे पर आप अपना विनिर्णय दें। यह नई लोक सभा है और स्थायी समिति ने अपना प्रतिवेदन बारहवीं लोक सभा को सौंपा था। लगभग 259 सदस्यों को इस प्रतिवेदन के बारे में कोई जानकारी नहीं है ...*(व्यवधान)*। मैं आपका संरक्षण

चाहता हूँ। बारहवीं लोक सभा के सदस्यों को भी स्थायी समिति के प्रतिवेदन की प्रतियां उपलब्ध नहीं कराई गई थी ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्री रूपचन्द पाल, मंत्री जी ने स्थिति को पूरी तरह स्पष्ट कर दिया है।

श्री रूपचन्द पाल: महोदय, यह नई लोक सभा है इसलिए मैं चाहता हूँ कि इस संदर्भ में आप अपना विनिर्णय दें। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

> "कि विदेशी व्यापार और संदायों को सुकर बनाने और भारत में विदेशी मुद्रा बाजार के व्यवस्थित विकास और अनुरक्षण का संप्रवर्तन करने के उद्देश्य से विदेशी मुद्रा से संबंधित विधि को समेकित और संशोधित करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री यशवन्त सिन्हा: मैं विधेयक पुर:स्थापित* करता हूँ।

[अनुवाद]

श्रीमती गीता मुखर्जी (पंसकुरा): मैं आज यहां सूचना देने 8.30 बजे आई। उस समय सूचना कार्यालय भी बंद था इतनी जल्दी आने का कारण यह है कि यह विषय बहुत महत्वपूर्ण है।

जैसा आप जानते हैं आज साधारण बीमा निगम, भारतीय जीवन बीमा निगम और बैंक कर्मचारी सारे देश में और विशेषरूप से दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे हैं। इस विधेयक के विरोध में 1.5 करोड़ लोगों के हस्ताक्षरों वाली एक याचिका हम में से किसी सदस्य ने आपको दी है। उस समय भी श्री रूपचन्द पाल ने एक बात उठाई कि उन्होंने इस विषय को याचिका समिति के समक्ष उठाने के लिए सूचना दी थी। उन्होंने याचिका भी दी। आज तक याचिका समिति की बैठक नहीं हुई है क्योंकि अभी उसका सभापति निर्वाचित नहीं हुआ है। इसलिए इस याचिका समिति द्वारा इस विधेयक पर चर्चा करने से पूर्व इस विधेयक को कैसे पुर:स्थापित किया गया और इसे पारित करने के लिए कैसे लाया गया? इसलिए हम इस सारी कवायद का पुरजोर विरोध करते हैं। यह न केवल कर्मचारियों के हित के विरुद्ध है अपितु सारे देश के हितों के विरुद्ध है। यह विधेयक इस सत्र में पेश व पारित नहीं किया जाना चाहिए।

*राष्ट्रपति की सिफारिश से पुर:स्थापित।

श्री रूपचन्द पाल: मैंने दो सूचनाएं दी हैं ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्री अजय चक्रवर्ती और श्री बसुदेव आचार्य ने भी सूचनाएं दी हैं। वे उस बात का समर्थन कर सकते हैं जो श्रीमती गीता मुखर्जी ने कहा है।

...(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा): महोदय, मुझे कुछ बातें कहनी हैं। बीमा और बैंकिंग क्षेत्र के हजारों कर्मचारी सारे देश में प्रदर्शन व रैलियां कर रहे हैं ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्री बसुदेव आचार्य, कृपया मेरी बात सुनिए। मैंने श्री अजय चक्रवर्ती को बोलने के लिए कहा है।

...(व्यवधान)

श्री अजय चक्रवर्ती (बसीरहाट): महोदय, हमारे नेता ने शून्यकाल के लिए सूचना देने का कारण पहले ही बता दिया है। साधारण बीमा निगम, भारतीय जीवन बीमा निगम और बैंकों के लाखों कर्मचारी सारे देश में प्रदर्शन कर रहे हैं। साधारण बीमा निगम भारतीय जीवन बीमा निगम और बैंक कर्मचारी दिल्ली में एकत्रित हैं। वे संसद के बाहर बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण विधेयक के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं। इस विधेयक को पुर:स्थापित किये जाने के समय भी हमने इस विधेयक का विरोध किया था यह हमारे देश की आर्थिक संप्रभुता का अतिक्रमण ही है। यह राष्ट्रविरोधी विधेयक है। इस विधेयक को पारित करने के लिए एक करोड़ से अधिक लोगों का हस्ताक्षरयुक्त अभ्यावेदन इस सभा को प्रस्तुत किया गया है। आपके माध्यम से मेरा आग्रह है कि सरकार इस विधेयक को पारित करने के लिए न लाए। इसके बजाए इसे पुनर्विचार के लिए प्रवर समिति को सौंपा जाना चाहिए। मैं बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण विधेयक का पुरजोर विरोध करता हूँ। सारा देश इस विधेयक का विरोध कर रहा है। मेरा साग्रह अनुरोध है कि इस विधेयक पर पुनर्विचार और समुचित निर्णय के लिए इसे प्रवर समिति को सौंपा जाए।

[हिन्दी]

श्री बसुदेव आचार्य: आज हमारे देश के कोने-कोने से हजारों लाखों बीमा कर्मचारी और बैंक कर्मचारी इस पर अपना विरोध दिखा रहे हैं, रैली कर रहे हैं। सरकार ने बीमा क्षेत्र को ओपन करने के लिए जो कदम उठाया है और उस संबंध में लास्ट सैशन जो बिल पेश किया था, उसका हमने विरोध

[श्री बसुदेव आचार्य]

किया था। इस हाउस में ही नहीं बल्कि इस हाउस के बाहर भी इसका कड़ा विरोध हुआ। प्रधान मंत्री जी, इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि देश की 1 करोड़ 50 लाख की आबादी ने सरकार के इस कदम के खिलाफ एक पेटीशन साईन किया हो। उसमें खाली एक दल ने ही नहीं बल्कि तमाम दलों के लोगों ने साइन किये हैं। आपके दो मिनिस्टर्स ने भी साईन किये हैं। कांग्रेस ने भी साईन किये हैं। जो पेटीशन दाखिल किया है उसमें हर दल ने पार्टी-लाइन से उठकर विरोध किया है। इसके खिलाफ अपना पेटीशन दिया है। इस संबंध में हम आपसे पिछले सैशन में मिले थे। आपकी भी यही राय थी कि इसको पेटीशन कमेटी में भेजा जाये। जब वह कमेटी अपनी राय दे तब वित्त मंत्री जी इसको लेकर आयें। पहले स्टैंडिंग कमेटी ने उस पर जोर किया था प्रतिवेदन को सदस्यों में परिचालित नहीं किया गया था वही आर्गूमेंट श्री रूपचन्द पाल जी ने किया है कि ढाई सौ से ज्यादा सदस्य नये हैं इसलिए फिर से इसका सर्कुलेशन होना चाहिए। उसके बाद बिल आना चाहिए। जब संयुक्त मोर्चे की सरकार यह बिल लाई थी, उस समय हमने सरकार को समर्थन दिया था परन्तु उसके बावजूद भी हमने वहां बैठकर उसका विरोध किया था। प्रधान मंत्री जी ने भी यहां बैठकर उस बिल का विरोध किया था। उन्होंने उस समय इस संदर्भ में क्या कहा था, वह मैं पढ़कर सुनाना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय: श्री आचार्य, आज सुबह हुई कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में हमने 'शून्यकाल' के बारे में कुछ चर्चा की थी और इस संबंध में आपने भी कुछ सुझाव दिये थे।

[हिन्दी]

श्री बसुदेव आचार्य: प्रधान मंत्री जी ने कहा था कि हम और हमारे दल ने प्रारम्भ में मांग की थी कि हम इंश्योरेंस के क्षेत्र में विदेशी कम्पनियों के खिलाफ हैं। आज क्या हुआ? जब आप प्रतिपक्ष के नेता थे, उस समय आप विदेशी कम्पनियों के खिलाफ थे और आज प्रधान मंत्री बनने के बाद आपका रूप बदल गया। *...(व्यवधान)* आज आप विदेशी कम्पनियों के बहुत बड़े समर्थक बन गये हैं। इसके बारे में आप हमें बताइये कि यह परिवर्तन कब हुआ? कब आपने सोचना शुरू किया कि बीमा क्षेत्र में अगर विदेशी कम्पनियां आ जायें तो हमारे देश का भला होगा? क्यों आप बीमा क्षेत्र को विदेशी कम्पनियों के हाथ में देना चाहते हैं? क्या कारण है? हमारे देश में आकर वे क्या भला करेंगे?

[अनुवाद]

हमारी सरकारी क्षेत्र की कंपनियां अर्थात भारतीय जीवन बीमा निगम और साधारण बीमा निगम संयुक्त राज्य अमरीका की बहुराष्ट्रीय कंपनियों से अधिक सक्षम और कुशल हैं। इसलिए सरकार बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए बीमा क्षेत्र को खोलने की अनुमति क्यों दे रही है? किसके दबाव में सरकार यह कर रही है।

[हिन्दी]

किसके दबाव में आज आपने सिर झुका दिया है। हम कांग्रेस से भी अपील करेंगे कि वे फिर से सोचें। हमारे पास राजेश पायलट जी की स्पीच है। हम उनको भी पढ़कर सुना सकते हैं। उन्होंने सोशल सैक्टर का कनसर्न व्यक्त किया था। आज क्या वही सोच-विचार है? इसलिए हम कांग्रेस दल से भी अपील करेंगे कि जरा फिर से सोचें। यह कदम हमारे देश के हित में नहीं है, हमारे देश की आम जनता के हित में नहीं है। प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जब विरोधी दल में थे, उस समय उनकी अलग राय थी। आज सत्ता में आकर आपका परिवर्तन हो गया और दबाव में अपना सिर झुका रहे हैं। हम इसका विरोध कर रहे हैं। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री आचार्य, यह वाद-विवाद नहीं हो रहा है।

[हिन्दी]

श्री बसुदेव आचार्य: आपने बारहवीं लोक सभा में कहा था कि बिल को ज्वाइंट कमेटी में भेजा जाएगा लेकिन ज्वाइंट कमेटी में नहीं भेजा गया, स्टैंडिंग कमेटी में भेजा गया। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मेरे पास माननीय सदस्यों द्वारा दी गई 30 सूचनाएं हैं। मुझे 30 सदस्यों को समायोजित करना है।

[हिन्दी]

श्री बसुदेव आचार्य: आपने एक बार नहीं तीन बार कहा था कि यह बिल ज्वाइंट कमेटी में भेजा जाएगा। हमारी यही

मांग है, यह बिल इंट्रोड्यूस हो गया है, इसे पारित न करके ज्वाइंट कमेटी में भेजा जाए। ...*(व्यवधान)* हम विदेशी कम्पनियां नहीं चाहते। इंश्योरेंस रैगूलेटरी अथारिटी हो, हम इसके खिलाफ नहीं हैं। लेकिन हम इसे ओपन करने के खिलाफ हैं। ...*(व्यवधान)* आप विदेशी कम्पनियों को 26 फीसदी देना चाहते हैं, आज 26 फीसदी है, कल 50 फीसदी हो जाएगा। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: अब श्री रूपचन्द पाल बोलेंगे।

[हिन्दी]

श्री बसुदेव आचार्य: यह हमारे पूरे बीमा क्षेत्र को लॉस करेगा। हम यह नहीं चाहते। हम इसका विरोध कर रहे हैं। हमारी सरकार से मांग है कि इस विधेयक को अभी ज्वाइंट कमेटी में भेजा जाए और वहां इस पर विचार होकर फिर पारित हो। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री रूपचन्द पाल (हुगली): महोदय, मैंने आपको लिखा है ...*(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज): महोदय, आपको सूचनाओं का संज्ञान लेना होगा। मैंने आपको सूचना दी है। मैं बोलना चाहता हूँ। ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री विजय गोयल (चांदनी चौक): आप एक ही पार्टी के लोगों को बुला रहे हैं। एक ही दल से चौथा व्यक्ति बोल रहा है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री रूपचन्द पाल: महोदय, मैंने एक याचिका प्रस्तुत की है जो आपने सदस्यों में परिचालित की है। मैं कौल और शकधर की पुस्तक ''संसदीय प्रणाली तथा व्यवहार'' के पृष्ठ 955 से उद्धृत कर रहा हूँ। महोदय, कृपया पृष्ठ 955 में याचिका पेश होने के बाद याचिका समिति को सौंप दी जाती है, शीर्षक देखिए।

अध्यक्ष महोदय: आप एक वरिष्ठ सदस्य हैं। आप ऐसा कैसे बोल रहे हैं?

...(व्यवधान)

श्री रूपचन्द पाल: महोदय, आपने मेरा नाम पुकारा है। यह संसद और समिति प्रणाली के महत्व को कम करना है।

अध्यक्ष महोदय: चूँकि श्रीमती गीता मुखर्जी इस मुद्दे को पहले ही उठा चुकी हैं इसलिए आप भी उनके विचारों के साथ अपने विचार जोड़ सकते हैं।

...(व्यवधान)

श्री रूपचन्द पाल: हमारी याचिका संसद की शक्ति को कम करने के संबंध में है ...*(व्यवधान)* महोदय, मैंने याचिका प्रस्तुत की है।

अध्यक्ष महोदय: श्री रूपचन्द पाल आपको इस तथ्य की जानकारी होनी चाहिए कि नियमों के अनुसार याचिका के समिति के समक्ष लम्बित होने पर भी यह सभा को इस पर चर्चा करने से नहीं रोकता है। आप नियम 307 देख सकते हैं।

श्री रूपचन्द पाल: महोदय, कृपया मद संख्या 17 देखिए।

अध्यक्ष महोदय: यदि किसी विधेयक के विरुद्ध समिति के समक्ष ऐसी याचिका लंबित हो तो भी विधेयक पर चर्चा पर कोई रोक नहीं होती है।

श्री रूपचन्द पाल: महोदय, मैं संसदीय प्रणाली तथा व्यवहार' के पृष्ठ 955 से उद्धृत कर रहा हूँ।

अध्यक्ष महोदय: आप पहले नियम देखें।

श्री रूपचन्द पाल: मैं इसे उद्धृत करता हूँ:

''यदि कोई याचिका किसी विधेयक या किसी ऐसे विषय के संबंध में हो, जिस पर सभा में चर्चा हो रही हो या तत्काल चर्चा होनी हो, और समिति समय और गणपूर्ति के अभाव में बैठक न कर सके, तो याचिका अध्यक्ष के सामने रख दी जाती है और अध्यक्ष यह निदेश देता है कि इसे संपूर्ण रूप में या संक्षिप्त रूप में परिचालित कर दिया जाए।''

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: महोदय, भारी मन और दुख के साथ, मैं आज सभा में एक बात का उल्लेख करना चाहता हूँ ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: यह कुछ भी कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: आप बैठ जाइए, प्लीज।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मैंने आपको बोलने का अवसर दिया और आपने प्रत्येक बात स्पष्ट कर दी। कृपया यह समझने की कोशिश करें। अब आप बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

श्री तरित बरण तोपदार (बैरकपुर): इस समय प्रधानमंत्री जी को कुछ कहना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय: यह अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण है कि आप इरादतन सभा का समय नष्ट कर रहे हैं।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कृपया बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री तरित बरण तोपदार: महोदय, इससे देश का क्या भला होगा? विदेशियों के हाथों में देश के जाने से देश का क्या भला होगा—यह बताइए? ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मैं प्रधानमंत्री को बोलने के लिए निर्देश नहीं दे सकता हूँ। कृपया बैठ जाइए।

*कार्यवाही-वृतांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

श्री रामदास आठवले (पंढरपुर): महोदय, यह बिल खतरनाक है। यह बिल सरकार को वापस लेना चाहिए। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री अनिल बसु (आरामबाग): महोदय, जब इसी विषय पर समिति के समक्ष याचिका प्रस्तुत की गई है तो इस विधेयक को कैसे लिया जा सकता है ...*(व्यवधान)*

श्री रूपचन्द पाल: मैंने प्रासंगिक नियम का उल्लेख भी किया है ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मैं आप लोगों से पुन: अपील करता हूँ कि आप बैठ जाइए। यह अच्छी परम्परा नहीं है। कृपया यह समझें। यह क्या है?

...*(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य: महोदय, चूँकि माननीय प्रधानमंत्री ने इस पर प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की है और चूँकि सरकार हमारी इस साधारण सी मांग को स्वीकार नहीं कर रही है कि इस विधेयक को एक संयुक्त समिति को सौंपा जाए, जैसा कि पिछली लोक सभा ने भी सुझाव दिया था, हम विरोध स्वरूप बहिर्गमन कर रहे हैं।

अपराह्न 12.53 बजे

इस समय श्री बसुदेव आचार्य और कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा भवन से बाहर चले गए।

[हिन्दी]

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली): महोदय, बीमा बिल मजदूरों के हित में नहीं है। इसलिए हम भी सदन से बहिर्गमन करते हैं।

अपराह्न 12.54 बजे

इस समय श्री रघुवंश प्रसाद सिंह तथा कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा भवन से बाहर चले गए।

[अनुवाद]

श्री पी.एच. पांडियन (तिरुनेलवेली): महोदय, हम विधेयक का विरोध करते हैं। अन्नाद्रमुक की ओर से हम विरोधस्वरूप बहिर्गन कर रहे हैं।

अपराह्न 12.54½ बजे

इस समय श्री पी.एच. पांडियन तथा कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा भवन से बाहर चले गए।

अपराह्न 12.55 बजे

बोफोर्स मामले की जांच के बारे में

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज): अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से भारी मन और दुख के साथ मैं माननीय प्रधानमंत्री और माननीय गृह मंत्री की उपस्थिति में सारी सभा को बताना चाहता हूँ कि आज देश के विभिन्न भागों से लाखों लोग कांग्रेस के झंडे तले अपनी न्यायोचित शिकायतें दर्ज करने के लिए सुबह से फिरोजशाह कोटला मैदान में एकत्र हुए हैं ...*(व्यवधान)*

महोदय, 21 मई, 1991 को श्रीपेरुम्बदूर में एक दुखद घटना घटी। उस दिन भारत के हमारे महान सपूत हमारे दिवंगत नेता श्री राजीव गांधी शहीद हुए। उनकी मृत्यु के समय कोई संदेश नहीं था क्योंकि वे बोल नहीं सकते थे। यह मात्र एक धमाका था। शायद उन्होंने कुछ इस प्रकार कहा था: "मेरे टुकड़े-टुकड़े हो जाएं। मेरी मृत्यु के बाद मुझे कोई न पहचाने। किंतु देश एकजुट रहे। दुनिया भारत को एक माने।" और उस महान नेता, जो अफ्रीका कोष के स्थापक थे, जिस महान नेता ने कानून बनाकर पंचायती राज जैसी संस्थाओं का गठन किया, जो 21वीं सदी के दृष्टा थे, जिन्होंने अठारह वर्ष की आयु के युवाओं को मताधिकार दिया था जो कुछ दिनों बाद सारे भारत में अपने मताधिकार का प्रयोग करने वाले थे। उनके पास इतना दृढ़ साहस था कि उन्होंने 1991 में जब श्री वी.पी. सिंह प्रधान मंत्री थे इस सभा में आकर कहा था, "देश और सरकार तथा इस देश का कानून बोफोर्स मामले में जो चाहे जांच कर सकते हैं। और हमारी इच्छा सच जानने की है।" जब वे जीवित थे तब उनसे किसी ने पूछताछ नहीं की। बाद में जाँच पर जाँच होती गई। सी.बी.आई. के किसी अधिकारी या सरकार में इतना साहस या उनके पास इतनी जानकारी नहीं थी कि भारत के उस महान सपूत से सवाल किए जाएं। अंततः देश के लिए उनकी मृत्यु हो गई और शहीद हो गए।

महोदय, मैं माननीय प्रधान मंत्री, श्री अटल बिहारी वाजपेयी का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने उन्हें इस सभा में श्रद्धांजलि देते हुए बहुत ही अच्छे शब्द प्रयोग किये हैं। उन्होंने भी उन्हें भारत का एक महान सपूत माना है। वह महान सपूत आज हमारे बीच नहीं हैं। परन्तु आज, यह बहुत दुख की बात है कि इसके साथ सरकार द्वारा इस सभा में दिए गए तर्क के अनुसार राजीव गाँधी की हत्या तथा इंदिरा गांधी की हत्या को एक जैसा माना गया है। हम इस बारे में कुछ नहीं कहना चाहते। परंतु हम केवल इतना ही कहना चाहेंगे कि यह केवल हमारे प्रधानमंत्री, श्री अटल बिहारी वाजपेयी ही हैं जो संसदीय औचित्य, सदन की मर्यादा, सभी राजनैतिक संस्थाओं के प्रजातांत्रिक रूप और व्यक्तियों की मर्यादा का समर्थन करते रहे हैं। श्रीमती इंदिरा गांधी पर 1977 में जनता दल सरकार ने मुकदमा चलाया था और इस सदन के लिए चिकमगलूर से उनके चुनाव को रद्द कर दिया था परंतु लोगों ने इस पर प्रतिक्रिया व्यक्त की थी ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र सिंह यादव (एटा): अध्यक्ष महोदय, मेरा जनहित का अरजेंट मैटर है। ...*(व्यवधान)* माननीय केन्द्रीय राज्य मंत्री पर जानलेवा हमला हुआ है। हमने नोटिस भी दिया है। एक ही सब्जैक्ट पर बार-बार चर्चा हो रही है।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: महोदय, उन्होंने पूरे राष्ट्र को यह शिक्षा दी है कि मुकदमे चलाने से कभी लाभ नहीं होता; मुकदमे से केवल नफरत और बदले की भावना ही पैदा होती है।

महोदय, मैं कांग्रेस की तरफ से आज यह कहना चाहूंगा कि जिस आदमी से कभी पूछताछ नहीं की गई थी, जो व्यक्ति बिल्कुल निर्दोष था, जिस व्यक्ति का नाम जांच के दौरान कभी भी सी.बी.आई. के दस्तावेजों के पृष्ठों में नहीं आया था, जिस व्यक्ति का नाम कभी भी नहीं लिया गया था ऐसे व्यक्ति का नाम सोच-विचार के बाद आरोप-पत्र में शामिल किया गया है।

महोदय, हमारी नेता, श्रीमती सोनिया गांधी, जो इस समय यहां उपस्थित नहीं हैं, ने मानवीय आधार पर श्रीमती नलिनी पर दया करने के लिए भारत के राष्ट्रपति को लिखा था क्योंकि भारत में हमें मानवीय मूल्यों के लिए आगे आना चाहिए। मैं प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी से यह पूछना चाहूंगा कि क्या बोफोर्स आरोप-पत्र में श्री राजीव गांधी का नाम घसीटना जरूरी था। वे यह तर्क दे सकते हैं कि ऐसा सीबीआई कर रही है और वे इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकते। परंतु हम सभी जानते हैं कि उन बड़े-बड़े व्यक्तियों जो अभी भी उनके

[श्री प्रियरंजन दासमुंशी]

मंत्रिमंडल में सदस्य हैं के विरुद्ध लगाए गए मुकदमें किस तरह वापस ले लिए गए थे। इस देश में जनता दल की सरकार बनी थी। मैं इस मुद्दे पर बहस नहीं करना चाहता। परंतु मैं केवल इतना ही कह सकता हूं कि अगर सरकार ऐसे व्यक्ति की मर्यादा को बनाए रखने का संकल्प और इच्छा रखती है जो निर्दोष था और इस सभा का नेता था तो वह उसका नाम हटा सकती है और हमारी राजनैतिक प्रणाली में सामंजस्यपूर्ण कार्यप्रणाली का एक नया युग शुरू कर सकती है।

महोदय, मैं माननीय प्रधानमंत्री से यह अनुरोध करना चाहूंगा कि यह केवल कांग्रेस के लोगों का ही अनुरोध नहीं है बल्कि इस देश के सभी सजग लोगों का अनुरोध है। वास्तव में सरकार के घोषणापत्र में बोफोर्स मामले से संबंधित सच्चाई का पता लगाने की घोषणा की गई है। हम यह भी चाहते हैं कि दोषी व्यक्तियों का पता लगाया जाना चाहिए और उन्हें सजा दी जानी चाहिए। परंतु केवल जांच के नाम पर किसी ऐसे व्यक्ति का नाम न घसीटें जो केवल निर्दोष था बल्कि इक्कीसवीं सदी का दृष्टा भी था। वे इस सभा के नेता थे और भारत के राष्ट्रपति ने उन्हें 'भारत रत्न' से सम्मानित किया था। मैं एक बार फिर कहना चाहता हूं कि श्री राजीव गांधी का नाम आरोप-पत्र से हटाए जाने का अनुरोध न केवल कांग्रेस दल के लोगों ने किया है बल्कि सभी प्रबुद्ध वर्ग के लोगों ने किया है। सरकार को इस तर्क के आधार पर उनका नाम नहीं घसीटना चाहिए कि यह काम सीबीआई कर रही है क्योंकि ये वही प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने अगस्त में कहा था कि दस्तावेजों का दूसरा सेट मिलने के बाद सरकार आरोप-पत्र को प्रस्तुत कर देगी। परंतु सरकार ने दस्तावेजों के दूसरे सेटों के मिलने से पहले आरोप-पत्र दायर कर दिया था। इतनी जल्दी क्या थी? *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्री प्रियरंजन दासमुंशी, आपने अन्य विषय पर बोलने के लिए सूचना दी है। परंतु आप इस समय एक अलग विषय पर बोल रहे हैं।

श्री प्रियरंजन दास मुंशी: जी नहीं। मैंने आपको आज एक पत्र दिया है।

अध्यक्ष महोदय: सूची में आपका नाम अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण के विषय के सामने लिखा गया है।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: महोदय, मैं माननीय गृहमंत्री का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने पिछले सत्र में यह कहा था कि वे इस मामले की देखरेख कर रहे हैं। *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र सिंह यादव: अध्यक्ष महोदय, मेरा जनहित का अरजेंट मैटर है। *...(व्यवधान)* एक ही सब्जैक्ट पर बार-बार चर्चा हो रही है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव, कृपया बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

श्री पी.सी. थामस (मुवत्तुपुझा): अध्यक्ष महोदय, श्री प्रिय रंजन दासमुंशी ने जो कुछ कहा, मैं उसका समर्थन करना चाहूंगा। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: जी हां, आप भी श्री प्रियरंजन दासमुंशी का समर्थन कर सकते हैं। कृपया आप बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: मंत्री जी बोल रहे हैं। कृपया बैठ जाइए।

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र सिंह यादव: अध्यक्ष महोदय, मैं केवल दो मिनट का समय लूंगा, मेरा जनहित का अरजेंट मैटर है। *...(व्यवधान)* मैं दो मिनट में अपनी बात समाप्त कर देता हूं। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: अभी आप बैठ जाइए, आपको बाद में बुलाएंगे।

...(व्यवधान)

अपराह्न 1.00 बजे

[अनुवाद]

श्री ई. अहमद (मंजेरी): पूरा देश यही चाहता है।

अध्यक्ष महोदय: नहीं, श्री अहमद, कृपया बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

श्री ई. अहमद: कृपया इस पर विचार करें। *...(व्यवधान)*

श्री पी.सी. थामस: अध्यक्ष महोदय, पहले यह कहा गया था कि इस मामले पर विचार किया जाएगा।

अध्यक्ष महोदय: श्री थामस, कृपया बैठ जाइए।

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी): सभा को याद होगा कि पिछले सत्र के अंतिम दिन, यह विशेष मुद्दा, जिसे श्री दासमुंशी ने अभी उठाया है, विपक्ष के नेता तथा विपक्ष के कुछ अन्य महत्वपूर्ण सदस्यों द्वारा उठाया गया था। सरकार की ओर से इसका उत्तर देते हुए मैंने कहा था कि सरकार मुख्य विपक्ष की भावनाओं तथा उनके द्वारा दिए गए तर्कों पर भी विचार करेगी तथा समुचित कार्रवाई करेगी।

अब, आज यह मामला एक बार फिर उठाया गया है। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: नहीं, नहीं; कृपया बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

श्री लाल कृष्ण आडवाणी: मुझे अपनी बात पूरी करने दीजिए। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपको बोलने की अनुमति नहीं दी है। कृपया बैठ जाइए।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : सभा को यह आश्वासन देने के बाद, मैंने प्रधानमंत्री को वह सब बताया जिस पर इस सभा में चर्चा हुई थी। तद्नुसार, सरकार ने भारत के विद्वान महान्यायवादी से यह मांग करते हुए उनके विचार जानने चाहे थे कि क्या श्री राजीव गांधी का नाम सीबीआई द्वारा दायर किए गए आरोप पत्र के कालम दो से हटा लिया जाना चाहिए। यह भी उल्लेख किया गया था कि विगत में ऐसे मामलों से कुछ नामों को हटा लिया गया था।

जनता सरकार इत्यादि से संबंधित मामले का भी उल्लेख किया गया था।

विद्वान महान्यायवादी ने सरकार के सामने विस्तृत विचार रखे थे। उन्होंने कहा:

"मेरे विचार दो प्रश्नों पर जानने की मांग की गई है: पहला, क्या सी.बी.आई. द्वारा दायर आरोप-पत्र से श्री राजीव गांधी का नाम हटाए जाने के संबंध में उपर्युक्त मांग को मानना सरकार के लिए अनुज्ञेय है या नहीं; दूसरा, क्या सरकार को इस संबंध में अपराध प्रक्रिया संहिता की धारा 321 के अंतर्गत कोई कार्रवाई या प्रक्रिया शुरू करनी चाहिए या नहीं।"

यह वह धारा है जो सरकार को इस अभियोजन को वापस लेने का अधिकार देती है। डायनामाइट मामले का भी उल्लेख किया गया था।

"मेरे विचार से दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 321 केवल यह नहीं कहती कि श्री राजीव गांधी के विरुद्ध कोई भी आरोप नहीं लगाया गया है और न ही कोई अभियोग चलाया गया है।

फलस्वरूप यह मांग कि सरकार को लोक अभियोजक को सुझाव देना चाहिए कि वह अभियोजन से हट जाए अथवा कि दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 321 के अन्तर्गत स्वर्गीय श्री राजीव गांधी के अभियोग को वापस ले लिया जाना चाहिए पूर्णत: गलत है।"

वह आगे कहते हैं:

"अपराधों के मुकदमों में जांच के मामले में प्रवर्तन एजेंसियों को निदेश देने के बारे में कार्यकारी सरकार की क्षमता तथा अनुज्ञेयता का प्रश्न कई मामलों में उच्चतम न्यायालय के समक्ष आया है।"

महान्यायवादी आगे विचार व्यक्त करते हैं:

"मेरे विचार से सुनिर्धारित कानूनी व्यवस्था को देखते हुए जैसा कि उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित किया गया था सरकार कॉलम 2 में शामिल अभियुक्तों में से किसी एक का नाम हटाने के लिए जांच एजेन्सी को निर्देश देने या मांग करने के लिए स्वतंत्र नहीं है।"

श्री प्रवीण राष्ट्रपाल (पाटन): वह अभियुक्त नहीं हैं *...(व्यवधान)* वह अब जीवित भी नहीं हैं *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : यह कानूनी राय है।

...(व्यवधान)

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : उनका नाम एफआईआर में नहीं था *...(व्यवधान)*

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : मैं केवल महान्यायवादी की राय उद्धृत कर रहा हूं ...*(व्यवधान)* ये मेरे शब्द नहीं ...*(व्यवधान)* ये महान्यायवादी के शब्द हैं ...*(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : श्री आडवाणी, आप एक सक्षम गृहमंत्री हैं ...*(व्यवधान)* आप कैसे आरोप लगा सकते हैं? ...*(व्यवधान)*

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : वह कहते हैं:

> "सरकार द्वारा ऐसा निर्देश अथवा कार्यवाही एजेंसी नामत: सी बी आई द्वारा जांच और अभियोग की प्रक्रिया में हस्तक्षेप करना होगा और कानून में यह अनुज्ञेय होगा।"

आप प्रयोग किये गए शब्दों को देखिए ...*(व्यवधान)* महोदय, वह इससे असहमत हो सकते हैं लेकिन मैं तो केवल विद्वान महान्यायवादी की राय उद्धृत कर रहा हूं और महान्यायवादी की लिखित राय समग्रत: सभा पटल पर रखता हूं:

> "उस दिन की चर्चा के दौरान कुछ लोगों को बोफोर्स मामले में छोड़ा जा रहा है आरोप पूर्णत: निराधार हैं। जांच चल रही है और जैसे ही और जब भी एफ आई आर में दर्ज अन्य व्यक्तियों के खिलाफ दस्तावेजी प्रमाण मिल जाएं सी.बी.आई. अतिरिक्त चार्जशीट दर्ज करने के लिए स्वतंत्र है। किसी व्यक्ति को सरकार द्वारा छोड़े जाने का प्रश्न ही नहीं उठता है।"

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : महोदय, वे किस प्रकार कह सकते हैं कि वह अभियुक्त थे? ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर): अध्यक्ष महोदय, मैं लोक महत्व के अत्यन्त आवश्यक विषय की ओर आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री राजेश पायलट : महोदय, आप ऐसा किस प्रकार कह सकते हैं? यह ठीक नहीं है ...*(व्यवधान)* मुझे माननीय गृह मंत्री जी से एक प्रश्न पूछना है ...*(व्यवधान)* मुझे खेद है ऐसे नहीं किया जा सकता ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय, 1989 का चुनाव हुआ था। उस चुनाव में हर विपक्षी दल ने राजीव गांधी जी पर एक चार्ज लगाया था कि उन्होंने 84 करोड़ रुपए की रिश्वत ली। हम लोग भी वह चुनाव लड़ कर आए थे। पटना की रैली में आज भी नहीं भूला हूं। उस रैली में सभी लीडर्स ने खड़े होकर कहा था कि लोटस एकाउन्ट में वह पैसा चला गया। आज सरकार कह रही है कि उन पर कोई चार्ज नहीं है। आज सरकार देश से कहे कि राजीव गांधी जी ने कोई पैसा नहीं लिया। राजीव गांधी उसमें इनवाल्वड नहीं थे। हमें इस पर कोई ऑबजैक्शन नहीं है लेकिन सरकार यह बात भी नहीं कह रही है। वह अभी भी मामले को गोल-मोल कर रही है। सरकार सच्चाई बताए कि वह पैसा किस ने लिया है और कहां गया? वह इसकी खोज करे। हम इस मामले में उनके साथ हैं। सरकार एक तरफ कह रही है कि उन पर कोई चार्ज नहीं है और दूसरी तरफ कह रही है कि नाम नहीं हटाया जा सकता है और यह एक्यूज्ड हैं। ये दो राय कैसे चल सकती हैं? इन्हीं लीडर्स ने कहा था कि 84 करोड़ रुपए लोटस एकाउन्ट में गए। आप आज के पेपर्स उठा कर देख लीजिए। हम जब चुनाव लड़ रहे थे तो इस बात का जवाब देना भारी पड़ रहा था। आज भी सरकार सच्चाई सामने क्यों नहीं ला रही है? सरकार को इस बात की सफाई देनी पड़ेगी। देश के सामने सच्चाई लानी पड़ेगी। आप स्वर्गीय नेता को इस तरह बदनाम नहीं कर सकते हैं। यह सरकार को सोचना पड़ेगा। ...*(व्यवधान)*

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं एक महत्वपूर्ण विषय की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री डी.पी. यादव के भाषण के अतिरिक्त कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : अध्यक्ष महोदय, 16 नवम्बर 1999 को बिहार प्रदेश के अन्तर्गत अररिया जिला के जोकीहाट हाई स्कूल के मैदान में साढ़े चार बजे माननीय केन्द्रीय राज्य मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन पर लगभग 200 असामाजिक एवं

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

उपद्रवी तत्वों द्वारा जानलेवा हमला हुआ। इस जानलेवा हमले में माननीय मंत्री जी घायल हो गए। ...*(व्यवधान)* माननीय मंत्री जी के कार्यक्रम की पूर्व सूचना बिहार सरकार एवं स्थानीय प्रशासन को दी गई थी। घायल अवस्था में जब राज्य सरकार से विमान मांगा गया तो वह उपलब्ध नहीं कराया गया। विमान उपलब्ध न होने पर सेना के विमान की मदद से केन्द्र सरकार ने उन्हें राम मनोहर लोहिया अस्पताल में भर्ती कराया। उनकी स्थिति अत्यन्त गंभीर है। इसी तरह पलामू में 12 अल्पसंख्यकों की हत्या हुई। पलामू, चतरा, हजारीबाग में अल्पसंख्यकों और कमजोर लोगों की हत्या की गई। उन लोगों पर जानलेवा हमला हुआ। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यह राज्य का मामला है। आप इस सदन में ये सभी मामले किस प्रकार उठा सकते हैं?

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : माननीय गृह मंत्री जी यहां मौजूद हैं। सैयद शाहनवाज जी को सदन में बुलाया जाए। वह इस बारे में सदन में बयान दें। वहां के लोग असुरक्षित हैं। वहां के लोगों में भय व्याप्त है। पूरे बिहार में आतंक का माहौल है और कानून तथा व्यवस्था ठप्प है। कॉन्स्टीट्यूशनल ब्रेक डाउन हो गया है।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि विषय की गंभीरता को देखते हुये माननीय गृह मंत्री जी सदन में वक्तव्य देकर स्थिति को स्पष्ट करें नहीं तो वहां के अल्पसंख्यकों, कमजोर वर्ग के लोगों में भय और आतंक का माहौल बना रहेगा। लोग असुरक्षित हैं, इसलिये मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि सरकार इस विषय पर रैस्पोंड करे और सूचना ग्रहण करके इस सदन को अवगत करे।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : क्या कोई जवाब है?

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : अब यह सभा अपराह्न 2.10 बजे पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 1.08 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए अपराह्न 2.10 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 2.13 बजे

मध्याह्न भोजन के पश्चात् लोक सभा अपराह्न 2.13 बजे पुनः समवेत हुई।

[उपाध्यक्ष महोदय *पीठासीन हुए]*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम नियम 193 के अधीन चर्चा करेंगे।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज): उपाध्यक्ष महोदय, चक्रवात के मुद्दे को उठाने से पूर्व जैसाकि सहमति हुई थी आप उस मुद्दे को उठाएंगे जिसे श्री सांगतम जी उठाने जा रहे हैं? पूर्वोत्तर में संवेदनशील घटना घटित हुई है। मुख्यमंत्री पर आज सुबह हमला किया गया।

श्री के.ए. सांगतम (नागालैंड): महोदय, आज सुबह मुख्यमंत्री पर हमला किया गया।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : श्री आडवाणी जी भी यहां हैं। आप कृपया उनकी बात सुनिए क्योंकि इस मामले पर सभी पूर्वोत्तर राज्यों के संसद सदस्य अत्यन्त संवेदनशील हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं नहीं जानता किस नियम के अंतर्गत अब मुझे उन्हें अनुमति देनी पड़ेगी।

श्री राजेश पायलट (दौसा): शून्य काल आज अकस्मात् समाप्त हो गया है।

श्री के.ए. सांगतम : उपाध्यक्ष महोदय, आज सुबह नागालैंड के मुख्य मंत्री पर जानलेवा हमला किया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया आप कल इसे उठा सकते हैं।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : यह घटना सुबह 5.30 बजे घटित हुई और शून्य काल में इन्होंने इसे उठाने की सूचना दे दी थी। आप अन्दाजा लगा सकते हैं कि पूर्वोत्तर में इससे क्या संदेश जाएगा। उनके संसद सदस्य सभा में बैठे हैं। मुख्यमंत्री पर जानलेवा हमला किया गया था।

श्री के.ए. सांगतम : कृपया मुझे दो मिनट का समय दीजिए।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : महोदय, कृपया उन्हें दो मिनट के लिए अनुमति दे दीजिए। श्री आडवाणी इन सभी मामलों में अत्यन्त सहानुभूति रखते हैं। आप कृपया उन्हें दो मिनट बोलने के लिए अनुमति दे दीजिए ...*(व्यवधान)*

श्री के.ए. सांगतम : महोदय, मैं जानता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री और माननीय गृह मंत्री अत्यन्त सहानुभूति रखते हैं लेकिन मैं सभा को स्पष्ट करना चाहता हूं कि कुछ घटित हुआ है और जिसे ध्यान में रखा जाना चाहिए ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : श्री सांगतम इसका किसी प्रक्रिया के अन्तर्गत उल्लेख किया जाना चाहिए। अब आप निवेदन कर रहे हैं। इसका शून्य काल के अन्तर्गत उल्लेख किया जाना चाहिए था। अब शून्य काल नहीं है।

...*(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : महोदय, हमने माननीय अध्यक्ष महोदय से अनुरोध किया था। संभवत: सदस्य को सलाह दी गई थी कि अपराह्न 2.30 बजे वे इस मामले को उठा सकते हैं लेकिन मैं समझता हूं कि आप चर्चा आरम्भ करने से पूर्व इसे एक मिनट में निपटा सकते हैं। यह अत्यंत संवेदनशील मामला है ...*(व्यवधान)* यह सभा में किसी के हित को नुकसान नहीं पहुंचा रहा है ...*(व्यवधान)*

श्री के.ए. सांगतम : महोदय, यह देश के भले के लिए है। ...*(व्यवधान)*

श्री ई. अहमद (मंजेरी): महोदय, हम जानना चाहते हैं कि किन लोगों ने उन पर जानलेवा हमला किया है। यह इस देश के एक राज्य के मुख्यमंत्री के जीवन से सम्बन्धित है ...*(व्यवधान)*

श्री के.ए. सांगतम : महोदय, मैं माननीय गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि आज सुबह 5.50 बजे ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : विशेष अनुरोध के रूप में न कि शून्य काल के अन्तर्गत, मैं उन्हें अनुमति दे रहा हूं। कृपया दो मिनट में समाप्त कीजिएगा।

..*(व्यवधान)*

अपराह्न 2.13 बजे

नागालैंड के मुख्यमंत्री पर हुए जानलेवा हमले के बारे में

[अनुवाद]

श्री के.ए. सांगतम (नागालैंड): धन्यवाद, महोदय। मैं माननीय प्रधानमंत्री और माननीय गृहमंत्री का ध्यान एक अति महत्वपूर्ण मामले की ओर आकर्षित करना चाहता हूं।

आज सुबह लगभग 5.30 बजे किसी अनजान उपद्रवी गुट जिसकी पहचान नहीं की गई है, ने मुख्यमंत्री श्री एस.सी. जमीर पर जानलेवा हमला किया। जब उनकी कारों का काफिला दीमापुर और कोहिमा के बीच मुख्य राजमार्ग से गुजर रहा था तो एक के बाद एक बम विस्फोट हुए, लगभग 14 टाइम डिवासेज के विस्फोट हुए किंतु उनकी जान बच गई। किंतु बम विस्फोटों के तुरंत बाद कारों के काफिले पर मोर्टार्स से हमला हुआ और यह गोलीबारी आधे घंटे से अधिक चली। उस घटना में दो लोग मारे गए तीन कारों के परखच्चे उड़ गए। ऐसा लगता है कि स्थिति बहुत गंभीर है।

जैसा हम सभी जानते हैं कि नागालैंड में कुछ गुट बलात् धनापहरण और अपहरण में संलिप्त हैं, लगभग 400 लोगों की जानें जा चुकी हैं और यही नहीं युद्ध विराम के बाद सारी सिविलियन जनसंख्या खतरे में है। इसलिए मैं गृह मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि नागालैंड पर अधिक ध्यान दिया जाए और मुख्य मंत्री की सुरक्षा बढ़ा दी जाए। कुछ वर्ष पूर्व भी दिल्ली शहर में उन पर कई बार जानलेवा हमले किए गए। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अपना भाषण समाप्त कीजिए।

श्री के.ए. सांगतम : इसलिए मेरा मानना है कि यह गंभीर स्थिति है यह स्थिति पूर्वोत्तर क्षेत्र विशेष रूप से नागालैंड में

व्याप्त है। मैं न केवल उनके लिए सुरक्षा की मांग करता हूं अपितु अनेक नेताओं के लिए भी सुरक्षा की मांग करता हूं क्योंकि स्थिति बहुत गंभीर है। अत: मैं गृह मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि कारगिल युद्ध शुरू होने के तुरंत बाद सीमावर्ती क्षेत्रों के लोग राम भरोसे छोड़ दिए गए हैं। वहां पर सेना या सशस्त्र बलों का कोई जवान तैनात नहीं था और उनकी सुरक्षा ग्राम सुरक्षाकर्मियों द्वारा की जा रही थी जिनके पास बंदूकें थी जो पुरानी और बेकार है। उन्हें प्रतिमाह केवल 200 रुपये का भुगतान किया जाता है। अत: वहां ऐसी स्थिति व्याप्त है।

मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि इस संबंध में कुछ गंभीर उपाय किए जाने चाहिए। हम इस प्रकार के उपद्रवी गुटों के समक्ष अरक्षित हैं। हम पर कभी भी हमला किया जा सकता है और कभी भी हमारी जान लेने की कोशिश की जा सकती है। जिन लोगों ने गलती की है उन्हें दंडित किया जाना चाहिए।

महोदय, इन शब्दों के साथ मुझे यहां बोलने का अवसर देने के लिए मै आपको धन्यवाद देता हूं।

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी): महोदय, मंत्री जी यहां उपस्थित हैं। इस घटना पर माननीय सदस्य ने चिंता व्यक्त की है। यह एक बुरी घटना है। क्योंकि नागालैंड के मुख्यमंत्री चार-पांच वाहनों के काफिले में दीमापुर से कोहिमा जा रहे थे और कोहिमा से चालीस कि.मी. की दूरी पर उनके काफिले पर घात लगाकर हमला किया गया और वहां पर भारी गोलीबारी हुई जिसमें कोहिमा सशस्त्र पुलिस के दो जवान मारे गए क्योंकि मुख्यमंत्री उस काफिले में थे *...(व्यवधान)*

श्री के.ए. सांगतम : यह नागालैंड सशस्त्र पुलिस है न कि कोहिमा सशस्त्र पुलिस *...(व्यवधान)*

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : हां, यह नागालैंड सशस्त्र पुलिस है। मुख्यमंत्री को निकटवर्ती असम राइफल के शिविर में ले जाया गया। वे सुरक्षित हैं किंतु यह घटना निश्चित तौर पर चिन्ताजनक है और सरकार इस पर पूरा ध्यान देगी।

श्री राजेश पायलट (दौसा): श्री आडवाणी यह काफी नहीं है। मैं केवल एक मिनट लूंगा। पूर्वोत्तर क्षेत्र विशेष रूप से त्रिपुरा और नागालैंड में स्थिति बिगड़ती जा रही है। हमें यह स्वीकार करना होगा। उस क्षेत्र में आन्तरिक सुरक्षा की स्थिति कमजोर हो रही है। एन.एस.सी.एन. जैसे कुछ गुटों के साथ वार्ता चल रही है और राष्ट्र को उस वार्ता के बारे में जानने का हक है। विगत दो वर्षों से युद्ध-विराम घोषित है किंतु अप्रत्यक्ष रूप से ये गुट अपनी स्थिति सुदृढ़ कर रहे हैं। वे हथियार खरीद रहे हैं, उनके कार्यकर्ताओं की संख्या में वृद्धि हो रही है। हमें पूर्वोत्तर क्षेत्र में आन्तरिक सुरक्षा की स्थिति के बारे में सविस्तार चर्चा करनी चाहिए *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : श्री राजेश पायलट, मैंने उन्हें विशेष निवेदन के रूप में अवसर दिया है। सरकार ने पहले ही अपना उत्तर दे दिया है।

श्री राजेश पायलट : सरकार चर्चा के लिए सहमत हो सकती है।

उपाध्यक्ष महोदय : आप सूचना दीजिए।

श्री राजेश पायलट : महोदय, हमारा विचार इसे केवल सरकार के ध्यान में लाना नहीं है; हम इसका समाधान चाहते हैं। इसलिए जब भी सरकार सहमत हो हमें इस पर नियम 193 के अधान चर्चा करनी चाहिए क्योंकि मामला गंभीर है। *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : आप सूचना दीजिए और फिर कार्य मंत्रणा समिति इसके लिए समय निर्धारित करेगी। इस पर इस समय चर्चा नहीं होगी।

श्री राजेश पायलट : सरकार केवल यह कहती जाती है कि हम इस मामले की छानबीन करेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : सरकार ने वह पहले ही कह दिया है।

श्री राजेश पायलट : महोदय, पूर्वोत्तर क्षेत्र में बहुत खतरनाक स्थिति व्याप्त है। अत: सरकार को इस मामले पर चर्चा के लिए सहमत होना चाहिए। सरकार को चालू वार्ता या चर्चा के बारे में बताना चाहिए।

श्री के.ए. सांगतम : महोदय, हम इस राज्य के प्रतिनिधि हैं और हम नहीं जानते हैं कि क्या हो रहा है *...(व्यवधान)*

श्री राजेश पायलट : महोदय, सरकार को सभा को विश्वास में लेना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम और कार्य लेंगे। नियम 377 के अधीन मामलों को पढ़ा गया माना जाए और उन्हें सभा पटल पर रखा जाए।

अपराह्न 2.24 बजे

नियम 377 के अधीन मामले*

(एक) उड़ीसा में गोपालपुर पत्तन का अधिग्रहण करने तथा उसे सभी मौसमों के अनुकूल विकसित किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री अनादि साहू (बरहामपुर, उड़ीसा): महोदय, गोपालपुर पत्तन में अच्छे मौसम में कार्य किया जाता है। यह उड़ीसा के गंजम जिले में स्थित है। समुद्रतट से कुछ दूरी पर से ही समुद्र काफी गहरा है। 1942 तक इस पत्तन का उपयोग अंग्रेजी सरकार की युद्धकालीन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किया जाता था, वर्तमान में इस अच्छे मौसम के पत्तन का रख-रखाव उड़ीसा सरकार द्वारा किया जाता है। उड़ीसा सरकार के पास इस पत्तन को सभी मौसमों के अनुकूल विकसित करने के लिए धन नहीं है। उड़ीसा के समुद्रीतट पर हाल में आए विनाशकारी तूफान ने मत्स्य नौकाओं (ट्रावलर्स) और परम्परागत मत्स्य नौकाओं को खतरे को स्पष्ट कर दिया है। यदि गोपालपुर को मत्स्य पत्तन सहित सभी मौसमों के अनुकूल पत्तन के रूप में विकसित किया जाए तो यह पूर्वीतट विशेषरूप से उड़ीसा और आंध्र प्रदेश की सामुद्रिक व सामरिक आवश्यकताओं की पूर्ति करेगा। यह तूफान व चक्रवात के दौरान आश्रय के रूप में भी कार्य करेगा। मैं भारत सरकार से अनुरोध करता हूं कि गोपालपुर पत्तन का अधिग्रहण किया जाए और इसे सभी मौसमों के अनुकूल पत्तन के रूप में विकसित किया जाए।

(दो) हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे के नीचे शीघ्रातिशीघ्र सुरंग का निर्माण किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री महेश्वर सिंह (मंडी): महोदय, यह बात सर्वविदित है कि हिमाचल प्रदेश का जनजातीय क्षेत्र लाहौल-स्पीति अत्यधिक हिमपात के फलस्वरूप साल में लगभग नौ महीने के लिए रोहतांग दर्रे पर हिमपात के कारण देश के बाकी भागों से कट जाता है। इस सीमावर्ती क्षेत्र को देश के अन्य भागों से जोड़ने हेतु रोहतांग दर्रे के नीचे टनल बनाने का सर्वेक्षण वर्षों पहले हो चुका है। देश की रक्षा एवं सामरिक दृष्टि से इस टनल का बनना इसलिए नितान्त आवश्यक है क्योंकि कारगिल क्षेत्र के लिए सारी की सारी आर्मी सप्लाई वर्तमान में भी रोहतांग दर्रे से होकर जाती है। टनल बनने के उपरान्त एक तो रास्ता अधिक समय तक खुला रहेगा दूसरे रास्ते की दूरी भी लगभग 40 किलोमीटर कम हो जाएगी। दर्रे में हिमखंडों के टूटने से जो सड़क मंडी से लेकर खोकसर नामक स्थान तक हर वर्ष क्षतिग्रस्त होती है और लाखों रुपये इस सड़क की मरम्मत पर खर्च होते हैं, वे भी बच जाएंगे।

इस टनल के महत्व को देखते हुए प्रधानमंत्री ने हिमाचल में जनसभा को संबोधित करते हुए यह कहा था कि यह टनल आज तक बन जानी चाहिए थी और एक नागरिक के नाते वे इसकी आवश्यकता को समझते हैं। अत: मेरा प्रधानमंत्री महोदय से आग्रह है कि वे इस टनल के निर्माण हेतु राष्ट्र हित में अविलम्ब स्वीकृति प्रदान कर अनुगृहित करें।

(तीन) उत्तर प्रदेश में नरोरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र और एन.टी.पी.सी. संयंत्र के निर्माण के कारण विस्थापित लोगों को पुनर्वास हेतु एक योजना तैयार किए जाने की आवश्यकता

श्री अशोक प्रधान (खुर्जा): महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र खुर्जा के अन्तर्गत जनपद बुलन्दशहर में नरौरा परमाणु विद्युत संयंत्र (एन.ए.पी.पी.) और जनपद गाजियाबाद में दादरी विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन (एन.टी.पी.सी.) की स्थापना इस आश्वासन के साथ की गई थी कि इससे प्रभावित होने वाले लोगों के पुनर्वास की समुचित व्यवस्था की जाएगी और इस क्षेत्र का समुचित विकास किया जाएगा। किन्तु केन्द्र सरकार ने अब तक इन संयंत्रों से प्रभावित होने वाले विस्थापितों के कल्याण हेतु समुचित कदम नहीं उठाए हैं तथा विस्थापित लोगों को ऐसे स्थान पर बसाया गया है, जहां पर बरसात के दिनों में भारी मात्रा में पानी इकट्ठा हो जाता है तथा न ही इन संयंत्रों में क्षेत्र के लोगों को नौकरी के लिए पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया गया है और न ही किसानों को उनकी भूमि का पर्याप्त मुआवजा दिया गया है। नरौरा और दादरी क्षेत्र में इन संयंत्रों के अंतर्गत आने वाली सड़कें जीर्णशीर्ण स्थिति में हैं और वहां पर विस्थापितों के बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा की सुविधा भी उपलब्ध नहीं है और न ही चिकित्सालयों और शौचालयों की व्यवस्था है।

*सभा पटल पर रखे गए मान लिए गए।

मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि वह खुर्जा संसदीय क्षेत्र के अन्तर्गत पड़ने वाले नरौरा परमाणु विद्युत संयंत्र और नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन (दादरी क्षेत्र) से विस्थापित होने वाले लोगों के कल्याणार्थ कोई एक विशेष योजना बनाएं तथा इस क्षेत्र का समुचित विकास किया जाए और वहां पर विकास सम्बन्धी कार्य योजना को तुरन्त शुरू करवाया जाए।

(चार) हिमाचल प्रदेश में बिलासपुर में पर्यटन के विकास की संभावनाओं का पता लगाने के लिए एक केन्द्रीय दल भेजने की आवश्यकता

श्री सुरेश चन्देल (हमीरपुर, हि.प्र.): उपाध्यक्ष महोदय, पनविद्युत पैदा करने तथा देश में विद्युत की मांग की आपूर्ति हेतु भाखड़ा बांध का निर्माण आज से वर्षों पूर्व हुआ जिसमें मेरे गृह जिला बिलासपुर के अनेक गांव तथा बिलासपुर शहर उजड़ गया और उजड़े हुए लोगों को पुनर्वासित करने हेतु भारत सरकार ने जो वायदे किए वे आज तक पूरे नहीं हुए। बिलासपुर में गोविन्द सागर झील एक महत्वपूर्ण स्थल है, लेकिन उसका भी पर्यटन की दृष्टि से विकास नहीं किया गया। बिलासपुर शहर में एक भी सार्वजनिक पार्क न होने के कारण लोगों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। गोविन्द सागर झील के पर्यटन की दृष्टि से सौंदर्यीकरण हेतु जल पर आधारित अनेक प्रकार के खेल जैसे नौकायन, वाटर स्केटिंग आदि तथा झील के सौंदर्यीकरण की दृष्टि से विकास की अपार संभावनाएं हैं। वहां आर्टीफीशियल लेक का निर्माण किया जा सकता है। इससे जहां एक ओर स्थल का विकास एवं स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा, वहीं दूसरी ओर पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा तथा भारत सरकार को विदेशी मुद्रा भी मिलेगी। प्रदेश सरकार ने इस दृष्टि से मंत्रालय को विस्तृत एवं पूर्ण प्रस्ताव प्रेषित किया है, लेकिन सरकार ने उसे लो प्रायर्टी पर रखा है।

मेरा आग्रह है कि हिमाचल प्रदेश के जिला मुख्यालय बिलासपुर में पर्यटन को बढ़ावा देने एवं स्थानीय लोगों को एक सार्वजनिक पार्क की सुविधा प्रदान करने हेतु एक पार्क बनाया जाए एवं जल-क्रीड़ा को विकसित करने हेतु पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार की ओर से एक सर्वेक्षण टीम भेजी जाए जो गोबिन्द सागर झील में विभिन्न प्रकार की जल-क्रीड़ाओं के विकास एवं इसके सौंदर्यीकरण को बढ़ाने तथा कृत्रिम झील बनाने की संभावनाओं का पता लगाए तथा अध्ययन करे और इस बारे में एक विस्तृत रिपोर्ट मंत्रालय को दे।

(पांच) घातक जापानी एनसिफलाईटिस रोग को नियंत्रित करने के लिए आंध्र प्रदेश राज्य सरकार को सहायता प्रदान किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री बाई.एस. विवेकानन्द रेड्डी (कुडप्पा): महोदय, आंध्र प्रदेश राज्य सरकार घातक बीमारी जापानी एनसिफलाईटिस को नियंत्रित करने के लिए संघर्ष कर रही है जिससे पहले ही 100 जानें चली गई है जिनमें अधिकतर बच्चे हैं अब यह बीमारी तेलंगाना क्षेत्र और हैदराबाद शहर में फैल रही है। हैदराबाद में सरकारी अस्पतालों में इस बीमारी से पांच लोगों के मरने की खबर प्राप्त हुई है। पहले इस बुखार का प्रकोर महबूबनगर, वारंगल, मेडक और करीमनगर जिलों के कुछ हिस्सों तक सीमित था किंतु अब इसका प्रकोप तेलंगाना क्षेत्र के अधिकतर जिलों में फैल चुका है।

सरकारी आंकड़ों से स्पष्ट है कि 1997 में आंध्र प्रदेश में जापानी एनसिफलाईटिस के 984 मामले प्रकाश में आए जिनमें से 247 लोगों की मौत हुई और 1998 में 524 मामलों का पता चला जिसमें से 201 लोगों की मौत हुई। हालांकि इस वर्ष इस बीमारी से मरने वालों की संख्या कम है किंतु जापानी एनसिफलाईटिस राज्य के अन्य जिलों में तेजी से फैल रहा है जिससे राज्य प्रशासन चिंतित है। राज्य का चिकित्सा विभाग इस बीमारी से निपटने में सक्षम नहीं है। अतीत में आदिलाबाद और अन्य जिलों के सैकड़ों जनजातीय लोगों की एक "रहस्यमयी बुखार" के कारण मौत हुई जिसा प्रकोप इन जनजातीय क्षेत्रों में फैला था।

इसलिए मैं भारत सरकार से राज्य सरकार को सहायता देने और स्थिति का सामना करने के लिए सलाह देने हेतु राज्य में विशेषज्ञों का केन्द्रीय दल भेजने का अनुरोध करता हूं।

(छः) पश्चिम बंगाल के उत्तर दिनाजपुर जिले के रायगंज का सर्वांगीण विकास करने के लिए एक व्यापक मास्टर योजना बनाये जाने की आवश्यकता

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज): महोदय, उत्तर दीनाजपुर, पश्चिम बंगाल के नये जिला मुख्यालय रायगंज में नगर के साथ राष्ट्रीय राजमार्ग को जोड़ने वाले मुख्य बाई-पास जैसा अनेक आधारभूत सुविधाओं की कमी है। नागरिक सुविधाओं की ओर काफी ध्यान देने की आवश्यकता है। जन स्वास्थ्य इंजीनियरिंग प्रणाली द्वारा प्रत्येक घर में पीने के पानी की आपूर्ति के लिए

कनेक्शन तथा शेष बंगाल को जिले के साथ जोड़ने के लिए वर्तमान मीटर गेज लाइन के स्थान पर बिहार के बरसोई जंक्शन से उत्तर दिनाजपुर के राधिकापुर के बीच ब्राडगेज रेलवे नेटवर्क बिछाने की आवश्यकता है।

प्रत्येक मानसून के दौरान इस नगर को नागर और कुलिक नदियों द्वारा बाढ़ों का खतरा बना रहता है। नदी के किनारों पर बुरी तरह से गाद जमी हुई है और इसलिए नदी के किनारे पर जमी गाद निकालने अथवा खुदाई करवाने की आवश्यकता है। मानसून के दौरान बंगलादेश से हेमताबाद पी.एस. की बिश्नुपुर सीमा से पानी प्रवेश करता है और जिले के प्रशासनिक मुख्यालय कारनजोरा की ओर बहता है और फिर रायगंज के नगर-पालिका शहर को जलमग्न कर देता है, जिससे महीनों पानी जमा रहता है। रेलवे लाइन पर उपयुक्त रेल पुलिया और जलद्वार की कमी के कारण मिलानपल्ली और कंचनपल्ली जलमग्न हो जाते हैं और लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकल पाते हैं। रायगंज में कुलिक नदी पर एक अनुपम पक्षी विहार है जिसको अब प्रत्येक वर्ष बाढ़, भूमि-कटाव और सड़क यातायात से भयंकर धुएं का खतरा रहता है। इस शहर में एक स्पोर्ट्स स्टेडियम की आवश्यकता है। जब तक कि शहरी विकास मंत्रालय, रेल मंत्रालय, पर्यटन, खेल, पर्यावरण मंत्रालय तथा जल संसाधन मंत्रालय राज्य सरकार के विभागों सहित सामूहिक रूप से एक व्यापक मास्टर प्लॉन के संबंध में निर्णय नहीं लेते तब तक नई सहस्राब्दि के लिए इस नगर और जिला मुख्यालय को विकसित और व्यवस्थित करना कठिन होगा।

मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि वे पश्चिम बंगाल के उत्तर दिनाजपुर के रायगंज के समग्र विकास के लिए एक व्यापक योजना बनायें।

(सात) गुजरात की पेयजल की समस्या के समाधान हेतु नर्मदा परियोजना को शीघ्र पूरा किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री शंकर सिंह वाघेला (कपड़वंज): महोदय, आज सम्पूर्ण देश ही जल के संकट से घिर गया है, कहीं अधिक जल का संकट पैदा हो गया है तो दूसरी ओर जल के अभाव से जीना दूभर हो रहा है। गुजरात राज्य की जनता जल के अभाव के कारण दीन-हीन जीवन बिताने के लिए मजबूर हो चुकी है। बरसों पहले जल की समुचित व्यवस्था के लिए नर्मदा परियोजना तैयार की गई थी, जिस पर निर्माण का कार्य भी प्रारम्भ हुआ परन्तु परस्पर के विवादों और भ्रांतियों ने परियोजना के निर्माण का कार्य अधर में लटका दिया। परंतु संतोष की बात है कि यह मुद्दा सरकार के ध्यान में है।

मेरा सरकार से, विशेष रूप से प्रधानमंत्री जी से अनुरोध है कि नर्मदा परियोजना से संबंधित विवादों, भ्रांतियों व खनिजों को दूर करने के लिए पहल करे और गुजरात राज्य में जल के गहराते संकट से जनता को राहत पहुंचाए।

(आठ) पश्चिम बंगाल के सीमावर्ती क्षेत्रों में स्थानीय जनता तथा अर्ध-सैनिक बलों के बीच सौहार्दपूर्ण संबंध रखे जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री मोइनुल हसन (मुर्शिदाबाद): महोदय, पश्चिम बंगाल राज्य में मेरे निर्वाचन क्षेत्र मुर्शिदाबाद से बंगलादेश की 100 किलोमीटर लम्बी सीमा-रेखा मिलती है। जैसा कि यह स्वाभाविक है, सीमा सुरक्षा बल के जवान कुछ स्थानों पर इस लम्बी सीमा-रेखा की चौकसी करते हैं। लेकिन दुर्भाग्यवश यह आरोप लगाया जा रहा है कि सीमा सुरक्षा बल के जवान अनेक बार अपने कर्त्तव्यों के अधिकार सीमा को पार कर जाते हैं। स्थानीय व्यापारी भी यह आरोप लगा रहे हैं कि सीमा सुरक्षा बल के अधिकारी उनको जब्ती के सामान की सूची दिए बिना उनका बिक्री का माल जब्त कर रहे हैं। इस तरह के आचरण से व्यापारी और ग्रामवासी इतना डर गए हैं कि स्थानीय 'हाट' नियत समय पर लगाए जा पाते। यह पता चला है कि स्थानीय निवासियों के घरों की तलाशी ली जा रही है। ऐसी घटनाएं निर्वाचन क्षेत्र के भीतर जालेगी ब्लॉक के सागरपुर में, रानीनगर ब्लॉक के शेखपाड़ा में और लालगोला ब्लॉक के विभिन्न स्थानों पर हुई हैं। इससे कई बार स्थानीय लोगों और सीमा सुरक्षा बल के जवानों के बीच मुठभेड़ भी हुई है।

इससे पहले कि स्थिति और अधिक खराब हो, मेरा सरकार से अनुरोध है कि वे सम्बन्धित क्षेत्रों के स्थानीय पंचायत निकायों, प्रशासनिक अधिकारियों, विधान सभा के सदस्यों को विश्वास में ले और सीमा सुरक्षा बल के अधिकारियों को कहें कि वे उनके साथ मिलकर ऐसी अवांछित घटनाओं को समाप्त करने के लिए हल निकाले और स्थानीय लोगों के साथ सामान्य संबंधों को बहाल करें।

(नौ) आंध्र प्रदेश के पेद्दापल्ली संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र में उद्योगों के कारण हो रहे प्रदूषण की समस्या पर ध्यान दिए जाने की आवश्यकता

डा. (श्रीमती) सी. सुगुणा कुमारी (पेद्दापल्ली): मैं रामागुंडम, गोदावरी खानी, मंथानी चिन्नूर, मंचिरयाल और अन्य क्षेत्रों में पेद्दापल्ली निर्वाचन-क्षेत्र में प्रदूषण की बहुत गंभीर समस्या की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करता हूं जिससे गोदावरी नदी के किनारे बसी 50 लाख जनसंख्या को स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। विश्व प्रदूषण की समस्या को गंभीरता से ले रहा है।

वहां भद्राचलम पेपर बोर्ड लिमिटेड, भारत हैवी वॉटर प्लांट, सिंगरेनी कॉलिरीज़ कम्पनी लिमिटेड, कोठागुडम् थर्मल पॉवर स्टेशन, एन.टी.पी.सी. रामागुंडम सुपर थर्मल पॉवर स्टेशन, फर्टिलाइजर कार्पोरेशन ऑफ इन्डिया, केसोराम सीमेंट फैक्ट्री, सिरपुर कागज़ नगर पेपर मिल्स, अथरगांव स्पिनिंग मिल्स, कमालापुरम और राजामुंद्री में पेपर मिल्स, एन.पी. रेयान लिमिटेड बहुत से उद्योग हैं। इनमें से अधिकतर फैक्ट्रियां प्रत्यक्ष रूप से गोदावरी नदी और भूमिगत जल को बहुत अधिक प्रदूषित कर रही हैं और अप्रत्यक्ष रूप से इससे काफी पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न हो रहा है। इसके अतिरिक्त भारत सरकार और केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने बी.पी.एल. फैक्ट्री को स्वीकृति प्रदान कर दी है जिससे सभी क्षेत्रों में पहले से ही विद्यमान प्रदूषण का ऊंचा स्तर और बढ़ जाएगा। चूंकि बी.पी.एल. एक गैर-सरकारी कम्पनी है इसलिए उनके द्वारा विद्यमान कानूनों से बच निकलने, पूर्णत: पालन न करने और अपने लाभ के लिए प्रदूषण नियंत्रण संबंधी उच्च लागत के मानदंडों से बचने की अधिक सम्भावना है जिससे जनता के स्वास्थ्य और पर्यावरण पर बुरा प्रभाव पड़ेगा।

अत:, मैं पर्यावरण मंत्रालय और विद्युत मंत्रालय से अनुरोध करता हूं कि वे बी.पी.एल. को मंजूरी देने की पूर्व अनुमति पर पुनर्विचार करें।

(दस) उत्तर प्रदेश में फर्रूखाबाद और शिकोहाबाद के बीच रेल लाइन को मजबूत किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री चन्द्र भूषण सिंह (फर्रुखाबाद): महोदय, कानपुर से फर्रूखाबाद की मीटर लाइन बड़ी लाइन में परिवर्तित की जा रही है। फर्रूखाबाद से शिकोहाबाद के बीच बड़ी लाइन पहले से ही है, लेकिन इसकी रेल पटरी हल्की होने के कारण ट्रेन 35-40 कि.मी. की गति से ही चल पाती है।

अत: मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि उपरोक्त आमान के चौड़ीकरण के साथ-साथ फर्रूखाबाद से शिकोहाबाद के ट्रैक को भी सुदृढ़ीकृत कराने की व्यवस्था की जाए तभी कानपुर से दिल्ली वाया फर्रूखाबाद तेज गाड़ियों का आवागमन संभव होगा।

(ग्यारह) बिहार में मुजफ्फरपुर और सीतामढ़ी के बीच रेल लाइन बिछाये जाने की आवश्यकता

श्री नवल किशोर राय (सीतामढ़ी): महोदय, उत्तरी बिहार में भीषण बाढ़ एवं बरसात के कारण प्रतिवर्ष सभी प्रमुख सड़क, पुल एवं पुलिया क्षतिग्रस्त हो जाती हैं तथा जान-माल का भी भारी नुकसान होता है। मुजफ्फरपुर से सीतामढ़ी के बीच एक ही प्रमुख सड़क मार्ग है जिसकी स्थिति काफी दयनीय एवं जीर्ण-शीर्ण है। इस सड़क पर गाड़ियों का चलना तो दूर, अब आदमियों का चलना भी कठिन हो गया है। वर्ष 1996-97 के रेल बजट में मुजफ्फरपुर से सीतामढ़ी तक नई रेल लाइन के निर्माण कार्य को शामिल किया गया था, मगर आज तक इस कार्य का आरम्भ नहीं किया गया है। 28 अगस्त 1997 को सीतामढ़ी-सोनबरसा-भिट्ठा मोड़-मधवापुर एवं जयनगर तथा जनकपुर रोड मधुबनी से जयनगर तक नई रेल लाइन निर्माण कराने के लिए सर्वेक्षण करने का आदेश पूर्व रेल मंत्री महोदय ने दिया था, जिसका पत्रांक संख्या 971/डब्ल्यू-1/एन.ई./एल.सी.टी. 16 है, परन्तु इसका सर्वेक्षण कार्य अभी तक शुरू नहीं हुआ है।

आपसे आग्रह है कि क्षेत्र की जनता की समस्या एवं गांवों के विकास को ध्यान में रखते हुए उपर्युक्त रेल लाइन का निर्माण कार्यारम्भ एवं सर्वेक्षण कार्य प्राथमिकता के आधार पर वर्ष 2000-01 से पहले शुरू कराकर जन-आकांक्षाओं को पूरा करें।

(बारह) पेंगुइन बुक्स इंडिया द्वारा 1999 में प्रकाशित "दि कम्पनी ऑफ वीमेन" नामक पुस्तक को प्रतिबंधित किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री जी.एम. बनातवाला (पोन्नानी): महोदय, मैं सरकार का ध्यान पेंग्विन बुक्स इंडिया, 1999 द्वारा हाल ही में प्रकाशित

श्री खुशवन्त सिंह की पुस्तक "दि कम्पनी ऑफ वीमेन" की ओर आकर्षित करता हूं। यदि मैं थोड़े शब्दों में भी कहूं तो यह पुस्तक विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता का दुरूपयोग और अपमान है। यह व्यंग्यात्मक, गलत तरीके से धार्मिक सिद्धांतों को बहुत ही आक्रमणकारी तरीके से पेश करने के साथ-साथ बहुत अशोभनीय पुस्तक है (उदाहरण के लिए देखिए पृष्ठ 110-112)। मैं सरकार से अपील करता हूं कि पुस्तक पर प्रतिबंध लगा दिया जाए और उसकी प्रतियां जब्त कर ली जाएं।

अपराह्न 2.22 बजे

नियम 193 के अधीन चर्चा

उड़ीसा में आए भीषण तूफान से हुई जानमाल की हानि और इसे राष्ट्रीय आपदा घोषित किए जाने की आवश्यकता

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम नियम 193 के अधीन चर्चा करेंगे।

[हिन्दी]

श्री रवि प्रकाश वर्मा (खीरी): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जैसी कि आज सदन के प्रथम दिवस पर ही, हमारे सभी माननीय सदस्यों की भावना थी, उस विषय पर बोलने के लिए आपने मुझे सर्वप्रथम अवसर दिया है, इसके लिए धन्यवाद।

इस शताब्दी के अन्त में जिस महानतम चक्रवात, सबसे खतरनाक चक्रवात, ने हिन्दुस्तान के उड़ीसा प्रान्त को हिट किया उसमें हम सभी लोग जानते हैं और जैसा अखबारों में भी बताया जा रहा है लगभग एक करोड़ से अधिक जनसंख्या सीधे-सीधे प्रभावित हुई है और अन-ऑफीशियल सोर्सेस कह रहे हैं कि लाखों आदमियों का पता नहीं है। उसमें 10 हजार से अधिक मौत हुई हैं। जो जन-धन की हानि हुई है वह बहुत ही व्यापक है। इसके बारे में यहां बयान नहीं किया जा सकता। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो समुद्र के किनारे के आठ-नौ जिले हैं, भद्रक, जाजपुर, बालासोर, केन्द्रपाड़ा, कटक, खुद्दा, पारादीप, जगतसिंहपुर और पुरी जिले सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं और उनका पूर्णत: नाश हुआ है, बल्कि यह कहा जाए कि यहां सर्वनाश हुआ है, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी।

हम सब लोग उनके विनाश की लीला अखबारों में पढ़ते रहे हैं। हमारी सहानुभूति और संवेदनाएं उनके साथ हैं, लेकिन जो घटना घटी, तूफान आया, उसके बाद की स्थिति सबसे विचित्र है। हम लोगों ने देखा है कि हमारे हिन्दुस्तान में जो घटनाएं घटती हैं, चाहे भूकम्प की घटना हो, चाहे चक्रवात हो, उसके बाद की स्थिति बड़ी भयावह हो जाती है। अभी गुजरात में पिछले दिनों एक ऐसी घटना घटी और तूफान के कारण व्यापक जन-धन की हानि हुई। उसी प्रकार उड़ीसा में भी काफी व्यापक चक्रवात आया। सबसे गौर करने लायक बात यह है कि जैसे हमारे जॉर्ज फर्नान्डीज ने कुछ दिन पहले बयान दिया था जिसके अनुसार 400 गांव ऐसे हैं जहां तक सहायता ही नहीं पहुंची। सरकारी मशीनरी सहायता के लिए पहुंच ही नहीं सकी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आज हमारी जो प्रशासनिक व्यवस्था है, वह परीक्षा की कसौटी पर कसी जा रही है और उसके सामने यह सबसे बड़ी चुनौती आई है जिसे उसे पूरा करना है।

जैसा कि हम सभी अखबारों के माध्यम से जानते हैं और जो हमारे भाई उड़ीसा प्रान्त से आते हैं वे महसूस करते हैं कि इस प्रकार के जो चक्रवात हैं या जो घटनाक्रम घटता है, उसके बाद जिस प्रकार की सहानुभूति और संवेदना की आवश्यकता होती है, वह नहीं मिल पाती है।

मुझे लगता है कि हमारे पूरे देश ने उस इन्टैंसिटी में नहीं किया है जिसमें करना चाहिए था। हालांकि प्रशासनिक विफलता भी सामने है। यह अवगत कराया गया है कि वहां पर सामग्री भरी हुई है। विदेशों से भी सहायता आई है और हमारे हिन्दुस्तानी भाइयों ने भी सहायता भेजी है लेकिन जो प्रशासनिक मशीनरी है, वह आज की तारीख तक कुशल साबित नहीं हुई है। जो घटनाक्रम घटा है और उसके जो इम्पैक्ट समाज के ऊपर, जनता के ऊपर पड़े हैं, उनकी तकलीफ को दूर करने में सहायक सिद्ध नहीं हुए हैं। हालांकि प्रयास हुए हैं। हमने कई बार टी.वी. पर भी देखा और अखबारों में भी पढ़ा कि सरकार ने अपने स्तर से सहायता पहुंचाने का प्रयास किया है लेकिन दूसरी तरफ अखबारों में रोज निकल रहा है, "इंडिया टुडे" मैगजीन में निकल रहा है, दूसरे अखबारों में निकल रहा है कि वहां चक्रवात से प्रभावित लोगों की हालत बहुत खराब है। उनकी हालत लगातार हमारे सामने आ रही है। सबसे बुरी स्थिति यह है कि इस चक्रवात के बाद वहां जो अराजकता की स्थिति सामने आयी है, लूटपाट के किस्से सामने आये हैं, मनमानी के किस्से सामने आये है, उससे बार-बार यह महसूस होता रहा है कि हमारी जो सबसे रिलायबल प्रशासनिक प्रणाली

मानी जाती है, आज उसकी जो परफोर्मेंस हैं, योग्यता है, क्षमता है, उस पर हमें पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। ऐसी जितनी भी घटनायें होती हैं चाहे भूकम्प हो, चक्रवात हो या हिमपात हो, उन सबको रोकना हमारे वश में नहीं है। वहां जो बचे हुए लोग हैं, उनके प्रति हमारा और प्रशासन का जो नजरिया है, उससे बहुत कुछ साबित होता है। जैसा कि बार-बार कहा जा रहा है कि बहुत से ऐसे गांव हैं जो टोटली खत्म हो गये हैं और बहुत से ऐसे गांव हैं जहां पर प्रशासनिक मशीनरी पहुंच नहीं सकी है। ऐसी हालत में मैं माननीय प्रधान मंत्री तथा गृह मंत्री जी का ध्यान इस तरफ खींचना चाहता हूं कि उस राज्य के अंदर युद्ध स्तर पर विशेष प्रयास किये जाने की आवश्यकता है। हालांकि वहां सेनायें भेजी गई हैं तथा बहुत से प्रांतों से वालंटियर्स भी गये हैं लेकिन इतना समय बीत जाने के बाद भी आज जो स्थिति सामने आ रही है, जो तथ्य सामने आ रहे हैं, उससे यह पता चलता है कि वाकई ही आने वाला लम्बे समय तक हमें चक्रवात के दुष्परिणाम झेलने पड़ेंगे।

मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि अभी कुछ दिन पहले हमने चक्रवात देखा, लड़ाई देखी। उसके पहले गुजरात में चक्रवात का प्रकोप देखा, कई घटनायें देखी। उन पर जिस तरह हिन्दुस्तानी समाज और जनता की प्रतिक्रियायें मिलती रही हैं, उससे लगता है कि मीडिया समाज के अंदर वह संवेदनायें उभार नहीं सका है, वह भावनायें नहीं पैदा कर सका जिससे दूर-दराज के लोग इससे अछूते रहे। हालांकि मैंने महसूस किया कि जब हमारे यहां दीवाली मनाई जा रही थी तो हमारे कुछ साथी ऐसे भी थे, जो यह महसूस कर रहे थे कि हिन्दुस्तान ने बहुत बड़ा शोक झेला है इसलिए हमें सहानुभूति व्यक्त करनी चाहिए लेकिन उसके बावजूद हमने देखा कि चारों तरफ बहुत बड़ा उत्सव था। हालांकि भावनायें व्यक्तिगत होती हैं लेकिन हम एक राष्ट्र हैं और हमारी भावनायें सबकी साझी हैं। जहां पर हमारे लाखों भाई दुख और तकलीफ झेल रहे हैं वहां हम लोगों में गहरी सहानुभूति उभार पाने में नाकामयाब रहे हैं और उसका प्रतिफल यह है कि जो रिलीफ वर्क चल रहा है उसमें कुछ दिक्कतें आ रही हैं।

जैसा कि हम सभी जानते है कि 300-350 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वहां चक्रवात आया था जिसने सब कुछ नाश कर दिया। वहां एक भी मकान, पेड़, खम्भा तथा कोई सहारा तक नहीं बचा है। आज नवनिर्माण की जिम्मेदारी हमारी सरकार पर है। हमारी एक करोड़ की जनता जो सीधे-सीधे प्रभावित है, उसके प्रत्यक्ष पुनर्वास की जिम्मेदारी हमारी सरकार पर है। यह बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, बहुत बड़ी चुनौती है। हम सहस्राब्दि की बात कर रहे हैं और हमारी सरकार के सामने इतनी बड़ी चुनौती आ गई है जिसे हमें बहुत ही कम समय में और बहुत एफीशिऐंटली एचीव करना है।

मुझे आशा है कि हमारे सभी साथी, हिन्दुस्तान के सभी नागरिक भाई इस अवसर पर गंभीरता से पुनर्विचार करेंगे और एक ऐसे माहौल का निर्माण करेंगे जिसमें हम ऐसी व्यवस्था का निर्माण कर सकें ताकि आने वाले समय में जब भी कोई ऐसा घटनाक्रम घटे, चाहे प्राकृतिक दुर्घटना हो, चाहे बड़ी दुर्घटना हो, हम सब मिलकर अपने प्रभावित भाई-बहनों, मजबूर लोगों की मदद कर सकें। मेरा माननीय प्रधानमंत्री जी से भी अनुरोध है, उन्होंने इंडीकेशन दिया है और इसे राष्ट्रीय कैलेमिटी घोषित किया है, मेरी सरकार से अनुशंसा है कि एक नैशनल कैलेमिटी फंड की रचना करे जिससे बड़े व्यापक नुकसान के समय हमारी प्रान्तीय सरकारें कुछ ठोस कार्य कर सकें। उड़ीसा सरकार ने दस हजार करोड़ रुपये की रिक्वायरमेंट रखी है। हम जानते हैं कि यह बहुत बड़ा कार्य है, बहुत बड़ी चुनौती है। जब यह चीज सामने आ चुकी है कि हमें बार-बार प्राकृतिक दुर्घटनाओं का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे अवसरों पर हमें विशेष रूप से कैलेमिटी फंड की स्थापना करनी चाहिए जिससे वहां बड़ी तादाद में जो प्रभावित लोग हैं, हम जानते हैं कि उनको लम्बे समय तक इससे प्रभावित रहना है, उनके लिए हम विशेष व्यवस्थाएं कर सकें।

[अनुवाद]

श्री त्रिलोचन कानूनगो (जगतसिंहपुर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस शताब्दी की सबसे अधिक भयंकर तबाही के पांच सप्ताह बाद भी हमारे लोग ठिठुरती ठंड के मौसम में खुले आसमान में रह रहे हैं। इस समय जबकि मैं यहां बोल रहा हूं, हजारों लोग सर्दी और निमोनिया से मर रहे हैं और उनकी संख्या दुगुनी भी हो सकती है।

महोदय, इससे पहले कि मैं इस तबाही पर विस्तार से चर्चा करूं और इस तबाही से निपटने और स्थिति को बहाल करने तथा पुनर्निर्माण के संबंध में अपने सुझाव दूं, मैं उड़ीसा की प्रभावित जनता की ओर से श्री चन्द्रबाबू नायडु और उनके दल का आभार प्रकट करना चाहता हूं जो कि जीवनदाता के रूप में सामने आए। हम प्रधानमंत्री जी का भी आभार व्यक्त करते हैं जो कि हमारी सबसे बड़ी मुसीबत और तबाही के समय हमारे पास आए।

[श्री त्रिलोचन कानूनगो]

मैं आपको बताना चाहता हूं कि उड़ीसा के 30 जिलों में से 15 मिलियन लोगों के साथ 14 जिले पूर्णत: तबाह हो गए हैं। यही नहीं उड़ीसा के 20 लाख हेक्टेयर उपजाऊ क्षेत्र में तैयार फसलें इस सुपर चक्रवात, बाढ़ और समुद्री जल-प्लावन के कारण पूर्णत: नष्ट हो गई हैं। इस समय हमें जिस बात की चिन्ता है वह यह है कि हमें यह नहीं लगता कि राज्य स्तर पर सरकार लोगों की मदद करने के उद्देश्य से, सहृदय लोगों की सेवा करने और उनके दु:खों को कम करने के लिए कार्य कर रही है।

हमें उड़ीसा सरकार में किसी तरह के उत्साह तथा नेतृत्व की भावना दिखाई नहीं देती है। भुवनेश्वर में मंत्री अपने चैम्बरों अथवा अपने घरों से बाहर नहीं निकलते हैं जबकि श्री चन्द्रबाबू नायडू और उनका दल हमारी सहायता के लिए आन्ध्र प्रदेश से आया; निश्चय ही वहां सेना गई थी। ऐसी परिस्थितियों के अंतर्गत, मैं हैरान हूं और परेशान हूं कि किस तरह से यह पुनर्निर्माण की प्रक्रिया पूरी होगी अथवा किस तरह से स्थिति को पुन: बहाल किया जाएगा। यहां तक कि पांच सप्ताह अथवा एक माह बाद भी लोगों के सिर पर छत नहीं है। वह इस ठिठुरती ठंड में खुले आसमान के नीचे अपना समय व्यतीत कर रहे हैं। लाखों लोगों को पीने का पानी उपलब्ध नहीं है। पेचिस के हजारों मामले सामने आए हैं और सैकड़ों लोग मारे गए हैं; यदि यह कठिन स्थिति समाप्त नहीं हुई तो यह संख्या जल्दी ही दुगुनी हो जाएगी।

अगर राज्य सरकार कार्रवाई नहीं करती, अगर राज्य सरकार को इसी तरह अकुशलता से राहत कार्य करते रहने दिया जाता है तो हजारों लोग मर जाएंगे। उड़ीसा के लोगों को अक्षम और भ्रष्ट सरकार से बचाना पूरे देश की तथा विश्व के सबसे बड़े प्रजातंत्र के सम्माननीय सदन की जिम्मेदारी है।

श्री अनिल बसु (आरामबाग): अब आप इसे राजनीतिक रूप दे रहे हैं।

श्री त्रिलोचन कानूनगो : मैं इसे राजनीतिक रूप नहीं दे रहा हूं। मैं सच्चाई को इस सम्माननीय सदन के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं।

मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं। उड़ीसा में राहत संहिता है। इसके अनुसार प्रतिदिन राहत के रूप में वयस्क व्यक्ति को 500 ग्रा. चावल और बच्चे को 250 ग्रा. चावल दिया जाएगा। परन्तु मैं यह प्रमाणित कर सकता हूं कि उड़ीसा के प्रभावित क्षेत्रों में कहीं भी किसी भी व्यक्ति को पंद्रह दिनों तक भी राहत सामग्री अर्थात् वयस्क व्यक्ति को 500 ग्रा. चावल और बच्चे को 250 ग्रा. चावल नहीं दिए गए। उनके अनुसार, आपात राहत 15 दिनों के लिए दी गई है, वे कह रहे हैं कि रिकार्ड रखा गया है और आपको दे दिया जाएगा। मैं इसको राजनीतिक रूप नहीं दे रहा हूं परन्तु मैं इसे चुनौती दे रहा हूं। सदन में एक समिति बनाई जानी चाहिए तथा इस मामले की जांच की जानी चाहिए। अगर एक भी व्यक्ति को इतनी ही मात्रा में 15 दिनों तक सामग्री दी गई हो तो मैं आपके और इस सदन के सामने अपनी हार मान लूंगा तथा सदन से चला जाऊंगा; मैं सदन से अपनी सदस्यता से त्यागपत्र दे दूंगा। मैं उड़ीसा के सबसे अधिक प्रभावित जिले का प्रतिनिधित्व करता हूं और वहां की हालत ऐसी है।

महोदय, ऐसी परिस्थितियों में मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं। यह विनाशकारी तांडव कभी भी भुलाया नहीं जा सकेगा और यह इतिहास में इस सहस्राब्दी की सबसे बड़ी त्रासदी कहलाएगी। परन्तु यह एक नया और एक समृद्ध उड़ीसा का गठन करने के लिए एक चुनौती तथा अवसर है। अगर केन्द्र सरकार के साथ राज्य सरकार तथा विश्व संगठन मदद के लिए आगे बढ़ें तो एक नए तथा समृद्ध उड़ीसा के निर्माण का काम जल्दी शुरू हो सकता है।

अगली फसल होने तक लोगों को 4 रुपये प्रति किलो की दर से चावल देने के लिए प्रत्येक पंचायत में उचित दर चावल बिक्री केन्द्र स्थापित किए जाने चाहिए। वे अपना घर-बार खो चुके हैं। वे अपनी जान के अलावा सब कुछ खो चुके हैं। 30,000 से अधिक लोगों की जानें चली गई हैं और लाखों लोग जो बचे हुए हैं वे भी हर पल मर रहे हैं। क्या उन्हें बचाया नहीं जाना चाहिए? क्या उनकी मदद नहीं की जानी चाहिए? क्या हमें उनके प्रति सहानुभूति नहीं दिखानी चाहिए? क्या हमें राष्ट्र के इस क्षतिग्रस्त भाग का पुनर्गठन करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए? यह मेरा अनुरोध है।

महोदय, मेरा दूसरा सुझाव यह है कि जांच राहत कार्य तुरंत शुरू किया जाना चाहिए ताकि हरिजन, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोग तथा दिहाड़ी पर काम करने वाले अन्य लोग अपने लिए जीविकोपार्जन कर सकें।

श्री रूपचन्द पाल (हुगली): "काम के बदले अनाज" स्कीम शुरू की जानी चाहिए।

श्री त्रिलोचन कानूनगो : या तो "काम के बदले अनाज" स्कीम या जांच राहत कार्य को तुरंत आरम्भ किया जाना चाहिए।

महोदय, मैं तीसरा सुझाव यह देना चाहता हूं कि तीन वर्गों को घर निर्माण अनुदान देने के लिए उड़ीसा में एक राहत संहिता है। पहला, पूरी तरह बह गए घरों के लिए 3500 रुपए का भुगतान करने का प्रावधान है; दूसरा, पूरी तरह से टूटे हुए घरों के लिए 2000 रुपए का भुगतान करने का प्रावधान है; और तीसरा आंशिक रूप से टूटे हुए घरों के प्रति परिवार 1000 रुपए का भुगतान करने का प्रावधान है। मैं इस माननीय सदन के सामने यह अनुरोध करना चाहूंगा कि क्या 3500 रुपए या 2000 रुपए में छप्पर की छत या मिट्टी का घर बनाना संभव है? क्या इस राशि को बढ़ाने के लिए राहत संहिता के प्रावधान को तुरंत संशोधित नहीं किया जाना चाहिए? इसके लिए विधान सभा के अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है। मंत्रिमंडल यह काम कर सकता था परंतु इसने यह काम अभी तक नहीं किया है। मैं माननीय प्रधानमंत्री से अनुरोध करना चाहूंगा कि वे इस राशि को कम से कम 5000 रुपए तक बढ़ाने की कोशिश करें और इसे अनुदान राशि के रूप में उपलब्ध कराएं ताकि प्रभावित लोग कम से कम एक कमरा बना सकें। इसके बिना उनके लिए अपना सिर तक ढकना मुश्किल होगा।

श्री अनिल बसु (आरामबाग): अनुदान के रूप में 500 करोड़ रुपए दिए जाने चाहिए।

श्री त्रिलोचन काणूनगो : महोदय, मैंने प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया है। मैंने वहां ड्यूटी पर तैनात डाक्टरों से पूछा— सैंकड़ों लोग जुकाम और निमोनिया से पीड़ित थे – कि इसका इलाज क्या है तो उन्होंने तुरंत जवाब दिया कि उन लोगों को छत वाले घर की जरूरत है दवाइयों की नहीं। पांच सप्ताहों के बाद भी हम उन्हें छत नहीं प्रदान कर सके।

क्या यह हमारे लिए शर्म की बात नहीं है कि हम उन्हें पालिथीन का एक टुकड़ा तक नहीं दे सके? उड़ीसा की हालत ऐसी है। इसमें संदेह नहीं कि केन्द्र सरकार रुपया देगी। आपने पालिथीन की चादरों के घपले और बलि के बकरे के रूप में राज्य राहत आयुक्त के निलम्बन के बारे में समाचार-पत्रों में पढ़ा होगा। क्या हमारे लिए यह शर्म की बात नहीं है? क्या हमें ऐसी स्थितियों में कार्रवाई नहीं करनी चाहिए? दलगत राजनीति से उठकर मैं इस सम्माननीय सभा से यह अनुरोध करता हूं। क्या हमें इसके प्रति मूक दर्शक बने रहना चाहिए जबकि लाखों लोग दु:ख भोग रहे हैं और लोग कहते हैं कि इसे राजनीतिक रूप दिया जा रहा है? नहीं, महोदय, मेरे जीवन में यद्यपि मैं यहां एक नया सदस्य हूं परन्तु पचास वर्षों के मेरे सार्वजनिक जीवन में मैंने कभी राजनीतिक लाभ का सहारा नहीं लिया। मैंने हमेशा सही बात कही है और सच ही बोला है। महोदय, ऐसी सरकार को लाखों प्रभावित लोगों के हित में कभी भी सहन नहीं किया जा सकता। मेरा आपसे अनुरोध है कि भगवान के लिए तथा उन प्रभावित लोगों के वास्ते आप ऐसी सरकार को सहन न करें।

अभी तक दुबारा विद्युत व्यवस्था नहीं की गयी है। हमने श्री जार्ज फर्नान्डीज के साथ चर्चा की थी। इस महीने की 15 और 16 तारीख को उन्होंने मुझे कहा था कि 15 दिनों के अंदर दुबारा बिजली की व्यवस्था कर दी जाएगी। मैंने उन्हें स्पष्ट कहा था कि न तो यह कारगिल है और न ही रक्षा विभाग जिसके लिए काम तेजी से हो। मैंने कहा था, 'ऐसा उड़ीसा में नहीं हो सकता और ऐसा होने में कई महीने लग जाएंगे।' तथापि उन्होंने हमें इस संबंध में आश्वासन दिया था। दस दिनों के बाद भी एक भी गांव में बिजली का काम पूरा नहीं हुआ है। कुछ शहरों में बिजली की व्यवस्था ठीक कर दी गयी है परन्तु एक भी गांव में ऐसा नहीं किया गया है।

इस फसल के समय लोगों का सब कुछ चला गया। रबी की फसल के लिए किसानों को बीज, उर्वरक, वित्त इत्यादि देने के लिए तुरंत कार्यक्रम शुरू किए जाने चाहिए। जब मैं यह कह रहा हूं तो आप कृपया राजनीतिकरण की बात न करें। उड़ीसा में सिंचाई, कृषि और सहयोग इस देश के सबसे अधिक भ्रष्ट लोगों के हाथों में है। नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट से मेरी बात की पुष्टि होती है। हममें से अधिकांश लोग इसके बारे में जानते हैं। नहरों से सिंचाई और लिफ्ट सिंचाई की सुविधा प्रदान की जानी चाहिए। डीजल पम्प सेट भी लगाए जाने चाहिए ताकि रबी की फसल ठीक-ठाक हो सके।

जहां तक दीर्घकालिक उपायों का संबंध है, मैं विश्व बैंक सहित सभी आवासीय वित्त संस्थाओं से अनुरोध करता हूं कि प्रति परिवार के लिए 12 फुट लम्बाई तथा 10 फुट चौड़ाई वाले आर.सी.सी. युक्त कम से कम एक कमरे के निर्माण के लिए निजी क्षेत्र से वित्त की व्यवस्था करें ताकि चक्रवात और बाढ़ के समय वे लोग उन कमरों में शरण ले सकें। इसके लिए ऋण-मुक्त प्रमाण-पत्र की मांग नहीं की जानी चाहिए। अगर ऋण-मुक्त प्रमाण-पत्र की मांग करते हैं तो आप किसी को वित्त प्रदान नहीं कर सकते। पांच से छह प्रतिशत की आसान ब्याज दर पर ऋण दिया जा सकता है। मुझे बताया गया है कि हुडको ग्यारह प्रतिशत की दर से ऋण देने वाला है। मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि इस मामले पर चर्चा की जाए। मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि ब्याज की दर

[श्री त्रिलोचन कानूनगो]

को घटाकर पांच-छह प्रतिशत कर दिया जाए तथा ऋण अदायगी आरंभ करने की अवधि पांच वर्ष हो और भुगतान की अवधि 20 वर्ष हो। कुछ राज्य कुछ जिलों की जिम्मेदारी लेने के लिए आगे आए हैं। यह बहुत अच्छी बात है।

हम उनका धन्यवाद करते हैं और उनके प्रति आभार प्रकट करते हैं। परन्तु वे क्या करने जा रहे हैं? चुने गए जिला प्राधिकरणों की तो छोड़ो इस पर राज्य सरकार के साथ भी चर्चा नहीं की गई है कोई नहीं जानता कि वे वास्तव में क्या करने वाले हैं। उन्होंने इस संबंध में कुछ नहीं किया है।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अपनी बात समाप्त करें।

श्री त्रिलोचन कानूनगो : महोदय, मैं कुछ मिनट का और समय लूंगा क्योंकि मैं जगतसिंहपुर का प्रतिनिधित्व करता हूं जो सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्र है। कृपया घंटी न बजाएं।

उपाध्यक्ष महोदय : आपने पहले ही 20 मिनट ले लिए हैं। मैंने आपके समय की समाप्ति की सूचना हेतु पहले ही बजा दी है।

श्री त्रिलोचन कानूनगो : मैं मुस्करा रहा हूं किंतु यह मुस्कान मेरे चेहरे पर नहीं है।

महोदय यह हृदय-विदारक घटना है। यदि गोद लेने वाले राज्य वास्तव में पुनर्निर्माण और मरम्मत कार्य करना चाहते हैं तो उन्हें दो कार्य दिए जाने चाहिए पहला, उन्हें प्राथमिक से कालेज स्तर की सभी सार्वजनिक संस्थाओं के भवनों का पुनर्निर्माण करना चाहिए जो पूरी तरह नष्ट हो गए है। ऐस्बेस्टॉस उपलब्ध कराने के बजाए उन्हें आर.सी.सी. की छतें बनानी चाहिए।

दूसरा, उन्हें 30 फुट × 15 फुट के एक हाई प्लिन्थ एरिया वाले सामुदायिक भवन की व्यवस्था करनी चाहिए जिसके प्रत्येक ओर 8 फुट का बरामदा हो ताकि इसका उपयोग बाढ़ और तूफान में आश्रय स्थल के रूप में प्रयोग किया जा सके। गांवों को गोद लेने पर यह कार्य किया जाना चाहिए। यदि वे ऐसा नहीं करते हैं तो उन्हें यह कहने की चेष्टा नहीं करनी चाहिए कि अमुक जिला/गांव गोद लिया हुआ है। सड़कों की मरम्मत का कार्य तत्परता से किया जाना चाहिए और इसके लिए धन उपलब्ध कराया जाना चाहिए।

हजारों करघे नष्ट हो गए है और हथकरघे क्षतिग्रस्त हो गए है। उनका जीर्णोद्धार किया जाना चाहिए और बुनकरों को सहायता दी जानी चाहिए। नौकाएं और जाल पूरी तरह नष्ट हो गए है। मछुआरों को नौका और जाल खरीदने के लिए वित्तीय सहायता दी जानी चाहिए।

पान की हजारों बेलें नष्ट हो गई है। वे छोटे और सीमान्त कृषकों का जीवन-आधार है। इन किसानों की सहायता की जानी चाहिए। लघु व ग्रामीण उद्योगों की सहायता की जानी चाहिए।

पौधारोपण का कार्य भी तत्परता से किया जाना चाहिए। यह कार्य इस ढंग से किया जाना चाहिए कि वे राज्य के लोगों को लू और अन्य हानिकारक प्रभावों से बचा सकें।

प्रधानमंत्री जी, ये मेरे सुझाव हैं।

महोदय, मेरे अंतिम किंतु कम महत्वपूर्ण नहीं, सुझाव के अपने लाभ है और आवश्यकता भी है। इस क्षेत्र के लोगों की मन:स्थिति को देखते हुए इस आपदा को "राष्ट्रीय आपदा" घोषित किया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री जी पहले दिन से आप कह रहे हैं कि आप इस आपदा को राष्ट्रीय आपदा मान रहे है। किंतु महोदय जब आप इसे राष्ट्रीय आपदा मान रहे हैं तो फिर इसे राष्ट्रीय आपदा घोषित करने से आपको कौन रोकता है? इसमें क्या कठिनाई है?

यदि इसका अभिप्राय राजनीतिक है तो मेरा कहना है कि ऐसा ही सही। महोदय प्रभावित लोगों की मानसिकता है कि श्री अटल बिहारी वाजपेयी एक उदार व्यक्ति हैं ...*(व्यवधान)* मैं प्रभावित लोगों की मानसिकता के बारे में बता रहा हूं।

मैंने माननीय प्रधानमंत्री को एक पत्र लिखा किंतु मुझे उस पत्र की पावती नहीं प्राप्त हुई है। निश्चित तौर पर मुझे गृह मंत्री को भेजे पत्र की पावती मिल गई है किंतु अभी तक मुझे प्रधानमंत्री से पावती प्राप्त नहीं हुई है जिन्हें मैंने यह पत्र संबोधित किया है।

महोदय प्रेस में खबर है कि इसे राष्ट्रीय आपदा घोषित करने के लिए संविधि में कोई प्रावधान नहीं है।

दसवें वित्त आयोग की रिपोर्ट में पृष्ठ 44, पैरा 9.18 में स्पष्टत: उल्लेख किया गया है और मैं उद्धृत करता हूं:

> "किसी आपदा को एक बार भीषण आपदा माने जाने पर (जो आपने मान ली है) इसे वास्तव में राष्ट्रीय आपदा के रूप में निबटा जाना चाहिए - मैं दोहराता हूं - इसे वास्तव में राष्ट्रीय आपदा के रूप में निबटा

जाना चाहिए जिसके लिए आपदा राहत कोष योजना में प्रस्तावित सहायता व समर्थन से अधिक की आवश्यकता होती है।''

इससे राष्ट्रीय आपदा के रूप में निबटा जाना चाहिए। इसे राष्ट्रीय आपदा माना गया है और इससे राष्ट्रीय आपदा के रूप में निबटा भी जा रहा है किंतु लोगों को बचाने के लिए इसे राष्ट्रीय आपदा घोषित किए जाने में क्या गलत है?

इससे केवल मनोवैज्ञानिक संतोष मिलेगा। इससे उन्हें कुछ और नहीं मिलेगा। मान लीजिए कि आप इसे राष्ट्रीय आपदा घोषित कर देते है और कोई अनुदान नहीं दें तो इस घोषणा का क्या मतलब रह जाता है। किंतु इसे राष्ट्रीय आपदा घोषित करने में क्या गलत है? इससे प्रभावित लोगों को मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक शक्ति मिलेगी। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि कृपया इसे सौ बार राष्ट्रीय आपदा घोषित करें। यदि यह राष्ट्रीय आपदा नहीं है तो फिर यह क्या हो सकती है? नुकसान और क्षति के परिमाण को देखिए; मृतकों की संख्या देखिए। यदि यह राष्ट्रीय आपदा नहीं है तो फिर राष्ट्रीय आपदा किसे कहा जा सकता है? क्या हमें यह नहीं कहना चाहिए कि यह राष्ट्रीय आपदा है? मैं आपसे यह कहने का अनुरोध करता हूं कि दुनियां के सबसे बड़े लोकतंत्र के इस सर्वोच्च मंच से मैं सौ बार घोषणा करता हूं, कहता हूं कि यह राष्ट्रीय आपदा है। यह अनुरोध केवल राजनीतिक व्यक्तियों का नहीं हैं।

श्री नवीन पटनायक प्रभावित क्षेत्रों में तबाह हुए अन्दरुनी गांवों में गए और हर जगह उनसे पूछा गया, ''इसे राष्ट्रीय आपदा घोषित किए जाने के बारे में क्या हुआ।'' यह मांग सभी जगह तेजी से बढ़ रही है। हो सकता है यह मांग राजनीतिक हों किंतु राजनीति को छोड़िए और लोगों को भावनात्मक शक्ति दीजिए। मेरा अनुरोध है कि इसे हमारे दबाव में नहीं अपितु उड़ीसा के लाखों तबाह हुए लोगों की प्रार्थना पर राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाए।

मैं दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की इस सम्माननीय सभा में आपसे, केन्द्रीय सरकार से, भारत के राज्यों से, किसी भी राजनीतिक दल की राज्य सरकारों से और विश्व समुदाय से अपील करता हूं कि वे हमारी सहायता के लिए आगे आएं। हम भीख नहीं मांग रहे है। मनुष्यों के अधिकार के रूप में मैं इस सभा के माध्यम से अनुरोध कर रहा हूं कि उड़ीसा के पुनर्निर्माण के लिए, उड़ीसा की सहायता के लिए आगे आएं। यह तूफान एक नए, आधुनिक और समृद्ध उड़ीसा के निर्माण का एक अवसर बने।

[हिन्दी]

श्री विजय गोयल (चांदनी चौक): महोदय, मेरा प्वाइंट ऑफ आर्डर है। आज जब हाउस दो बज कर दस मिनट पर मिला था तो आपने नागालैंड के इश्यु पर एक एम.पी. को बोलने के लिए परमीशन दी। उसके बाद आपने कहा कि नियम 377 के अधीन मामले सभा पटल पर रखे जाएंगे ...*(व्यवधान)* महोदय, नियम 377 में ऐसा कोई रूल नहीं है और न ही कोई ऐसा रूल है जिसके अंदर आप स्पेशल मेंशन, स्पेशल परमीशन या सबमिशन को परमिट करें। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: आप किस नियम के अंतर्गत व्यवस्था का प्रश्न उठा रहे हैं। कृपया नियम उद्धत कीजिए।

...*(व्यवधान)*

श्री विजय गोयल: महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न नियम 377 के अंतर्गत है और मैं नियम उद्धत कर रहा हूं।

> ''जो सदस्य सभा की जानकारी में कोई ऐसा विषय लाना चाहे जो औचित्य का प्रश्न न हो तो वह उठाये जाने वाले विषय के पाठ की सूचना स्पष्ट तथा सही रूप से लिखित रूप से महासचिव को देगा। सदस्य को ऐसा प्रश्न उठाने की अनुज्ञा अध्यक्ष द्वारा सहमति दिये जाने के बाद ही तथा ऐसे समय और तिथि के लिए दी जायेगी जो अध्यक्ष निश्चित करे।''

आपने इसे उठाने की हमें अनुमति दी है।

[हिन्दी]

जिन लोगों ने नियम 377 के अधीन मामलों के नोटिस दे रखे हैं उनको कभी मौका नहीं मिलेगा, अगर हर बार वे सभापटल पर रखे जाएंगे। ...*(व्यवधान)*

अपराह्न 3.00 बजे

केवल आप इसे पोस्टपोन कर सकते हैं। सर, आपकी सहमति हो सकती है लेकिन आप इसको ''ले'' नहीं करवा सकते हैं।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: यह कहता है:

> ''सदस्य को ऐसा प्रश्न उठाने की अनुज्ञा अध्यक्ष द्वारा सहमति दिये जाने के बाद ही तथा ऐसे समय और तिथि के लिए दी जायेगी जो अध्यक्ष निश्चित करे।''

श्री विजय गोयल: आप अगली तिथि निश्चित कर सकते हैं। पर आप उसे 'ले' मत करिये।

उपाध्यक्ष महोदय: अध्यक्ष महोदय यह विनिर्णय दे सकते हैं कि नियम 377 के अधीन मामलों को सभा पटल पर रखा गए माना जा सकता है, जैसा कि पूर्वोदाहरण है। आप नए सदस्य नहीं है।

श्री विजय गोयल: यह पूर्वोदाहरण का प्रश्न नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय: अनेक बार, उन्हें सभा पटल पर रखा गया माना गया है।

श्री विजय गोयल: मैं पूर्वोद्धरण की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं नियम की बात कर रहा हूँ। जब नियम है, तो आपको केवल उसे स्थगित करना है।

उपाध्यक्ष महोदय: व्यवस्था का प्रश्न कोई नहीं है।

श्री विजय गोयल: महोदय, आप इसके लिए कोई अन्य दिन नियत कर सकते हैं। यह मेरा निवेदन है।

उपाध्यक्ष महोदय: मैं पहले ही बता चुका हूँ। आपने नियम उद्धरित किया है; आपने अन्य मामले के बारे में भी उल्लेख किया है। एक विशेष मामले के रूप में, मैंने उन माननीय सदस्य से अपना निवेदन करने को कहा था। अध्यक्षपीठ को यह अधिकार है; और माननीय गृह मंत्री ने भी इस संबंध में प्रतिक्रिया व्यक्त की है।

[हिन्दी]

श्री विजय गोयल: मेरी रिक्वैस्ट यह है कि आपने ऑनरेबल मैम्बर को परमिट कर दिया जबकि उन्होंने नोटिस नहीं दिया था, लेकिन जिन्होंने नोटिस दिया उन्हें परमिट नहीं किया। आपने उनको कह दिया कि यह सभा पटल पर रखा जाना है। यह मेरा निवेदन है।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: मैंने कहा था, ''इसे सभा पटल पर रखा गया माना गया है।''

[हिन्दी]

श्री विजय गोयल: ऐसे हाउस चलना है तो आप हर स्पीच को ''ले'' करा दीजिए। फिर कोई अपनी बात को उठा नहीं सकेगा। जीरो आवर को भी ''ले'' कर दीजिए।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: श्री गोयल, आप एक वरिष्ठ सदस्य हैं। मैं पहली बार ऐसा नहीं कर रहा हूँ। विगत में अनगिनत बार ऐसा किया गया था। कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

[हिन्दी]

श्री विजय गोयल: इसके ऊपर डिस्कशन होना चाहिए। इस तरह से ''ले'' करने का प्रौसीजर ठीक नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया अध्यक्षपीठ को अपना सहयोग दीजिए। अब श्री माधवराव सिन्धिया।

श्री माधवराव सिंधिया (गुना): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 29 और 30 अक्तूबर की रात को उड़ीसा के समुद्र तटीय क्षेत्रों में भयकर किस्म का चक्रवात आया था और 60 से 70 अथवा लगभग 100 किलोमीटर तक गया।

हम सभी इस भारी चक्रवात के बारे में जानते हैं जो 17 और 18 अक्तूबर को गंजम जिले के गोपालपुर तटीय क्षेत्र में आये हल्के चक्रवात के बाद आया था। तूफान के समय 29 अक्तूबर से 1 नवम्बर तक भारी वर्षा हुई। 35,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में औसत वर्षा 600 मिली मीटर थी और हवा की गति 300 किलोमीटर प्रति घंटा थी।

मुझे बार-बार दोहराने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि जब हम इस भयंकर चक्रवात और उसकी भीषणता की बात करते हैं तो कोई भी भावोद्रेक में आकर उस समय वहाँ के नजारों की कल्पना किए बिना नहीं रह पायेगा। इसलिए मैं इसका स्पष्ट विवरण दूंगा। तेरह जिले प्रभावित हुए थे; दूरसंचार सड़कें और यातायात की अन्य सुविधाएं पूर्णत: तहस-नहस हो गई हैं।

हमने श्रीमती सोनिया गाँधी और उस राज्य के प्रभारी महासचिव के रूप में मैंने दो दिन बाद उन क्षेत्रों का दौरा किया। वह सब पानी में डूबे हुए थे। मुझे खुशी है कि प्रधानमंत्री जी ने भी उन क्षेत्रों का दौरा करने की कोशिश की लेकिन खराब मौसम के कारण वह ऐसा नहीं कर सके। उस समय, अर्थात् 48 घंटे के बाद जब हम भुवनेश्वर हवाई-अड्डे पर पहुंचे तो मैं बहुत हैरान था कि भारतीय वायुसेना की काफी कोशिशों के बावजूद भी वायु सेना के हैलिकाप्टर तक वहाँ उतर नहीं पा रहे थे, हमारे वहाँ पहुंचने से थोड़ा ही पहले बहुत कठिनाई से वे वहाँ उतरे थे।

तीन बड़ी नदियों-वैतरणी, बुद्धबलंगा और शालंदी में आई बाढ़ ने इस तूफान की भयंकरता को और बढ़ा दिया जिससे राज्य का काफी बड़ा भाग बाढ़ में डूब गया। तूफान के कारण राज्य का एक भाग पानी में डूबा हुआ है और दूसरी ओर जो कुछ शेष बचा, वह पूरा का पूरा बाढ़ से प्रभावित हो गया। आप इस विभीषिका की कल्पना कर सकते हैं। जब तक आप उस स्थान का दौरा न करें, उस दृश्य की कल्पना करना बहुत कठिन है। बीस लाख घर नष्ट हो गए हैं। इससे डेढ़ करोड़ लोग प्रभावित हुए हैं। लाखों की संख्या में पशु मर गए हैं। यह अनुमान लगाया जा रहा है कि पंद्रह से बीस लाख हेक्टेयर फसल पानी में डूब गई है। लगभग 2,000 करोड़ रु. की हानि का अनुमान है। इतनी भीषण प्राकृतिक तबाही जो 16 और 17 और फिर 29 तथा 30 को हुई पहले कभी नहीं हुई। हम रक्षा सेनाओं—थल सेना, वायु सेना और जल सेना के आभारी हैं कि उन्होंने हमें इतनी अधिक सहायता प्रदान की। उनके बिना कट कर अलग थलग पड़ गए क्षेत्रों तक पहुँच पाना असम्भव था। इसमें कोई शंका नहीं है। इससे पहले कि हम इन घटनाओं का आलोचनात्मक मूल्यांकन करें हमें इसकी भीषणता को समझना होगा।

मेरे विचार में उड़ीसा की लगभग 50 से 60 प्रतिशत जनसंख्या तटीय जिलों में रह रही होगी, जो इससे प्रभावित हुए थे और स्वाभाविक है उससे सचिवालय प्रभावित हुआ। चूँकि उनके परिवार उन तटीय जिलों में रहते थे, हमने देखा कि अचानक ही तटीय जिलों में रहने वाले लोग जहाँ से सरकारी प्रशासनिक सेवाओं में काफी कार्मिक आते हैं, अपने प्रियजनों की चिन्ता के कारण, जैसा कि हम और आप भी करते हैं, उनका हाल-चाल जानने के लिए तत्काल उन जिलों में जाने की कोशिश करने लगे। जिससे समस्या और बढ़ गई।

मुझे खुशी है कि राज्य सरकार ने आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए तत्काल उन संसाधनों को एकत्रित किया जो उनके पास उपलब्ध थे। राज्य सरकार की केन्द्र सरकार से बड़ी मात्रा में धन की मांग पूरी तरह जायज है और यह बड़ी इसलिए दिखाई दे रही है क्योंकि इतनी बड़ी मात्रा में धन की माँग पहले कभी नहीं की गई है। जब हम 10,000 करोड़ की बात करते हैं तो इसमें हंसने की बात नहीं है। यह सत्य है कि इतनी अधिक धनराशि की आवश्यकता पड़ेगी। हमें खुशी है कि सशस्त्र सेनाओं ने हमें सहायता प्रदान कर अपना सहयोग दिया। इसके अतिरिक्त अनेक राज्य सरकारों ने भी सहायता उपलब्ध कराई है। मुझे यह बताने की आवश्यकता नहीं है कि प्रत्येक राज्य सरकार ने क्या-क्या किया है। इतना कहना काफी होगा कि महाराष्ट्र, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, दिल्ली सरकारें और अपने-अपने तरीके से गोवा, अरूणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल और नागालैंड, पश्चिम बंगाल के सीमावर्ती सम्भवत: राज्य होने के कारण वहाँ के बहुत से लोग प्रभावित थे, मनुष्य के दर्द और दुख को संभवत: अधिक स्पष्ट रूप से महसूस कर सके, ने संसाधन जुटाये। कुछ अन्य राज्य हो सकते हैं जिनका उल्लेख मैंने न किया हो, मेरे विचार में हम उन सभी राज्य सरकारों के आभारी हैं जिन्होंने आवश्यकता के समय राज्य सरकार की सहायता की। यह उम्मीद की जाती है कि यह प्रयास जारी रहेगा। ऐसा प्रतीत होता है कि जिन राज्य सरकारों ने सहायता दी है, उनका इरादा दृढ़ है। यह एक ऐसा कदम है जिसका मानवता के आधार पर स्वागत किया जाना चाहिए।

महोदय, इस चर्चा को आरम्भ करने वाले सदस्य ने इसे गंभीर राष्ट्रीय आपदा घोषित करने के लिए कहा है। उन्होंने दसवें वित्त आयोग की रिपोर्ट का उल्लेख पहले ही कर दिया है। सरकार में मेरे मित्र श्री जार्ज फर्नान्डीज ने बार-बार मीडिया में यह घोषणा की है, "मुझे वह कागज का टुकड़ा लाकर दो जिस पर यह लिखा है।" यह दिसम्बर, 1994 के लिए दसवें वित्त आयोग की रिपोर्ट की एक प्रति है। चर्चा आरम्भ करने वालों ने इसे पढ़कर बताया था। मैं केवल यह कहना चाहूँगा कि आयोग ने इस बात को समझते हुए कि कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जिनके लिए राज्य राहत कोष पूरा नहीं पड़ता है, ने इन असाधारण स्थितियों का उल्लेख किया है। इसलिए उन्होंने यह कहते हुए यह प्रस्ताव दिया कि, "अत:, हम यह प्रस्ताव करते हैं कि आपदा राहत कोष के साथ-साथ राज्य में आपदा राहत कोष, राष्ट्रीय आपदा राहत कोष का सृजन किया जाना चाहिए जिसको केन्द्र और राज्य वित्तपोषित करेंगे और इसका प्रबंध राष्ट्रीय आपदा राहत समिति द्वारा किया जाएगा। मेरे विचार में केन्द्रीय कृषि मंत्री समिति के सभापति हैं और

[श्री माधवराव सिंधिया]

योजना आयोग के उपसभापति हैं और वित्त मंत्री क्रम से पांच मुख्य मंत्रियों के साथ पदेन सदस्य होते हैं। यह तंत्र इस स्थिति से निपटने के लिए बनाया गया है। जब वित्त आयोग को पता चला कि हमें एक ऐसे संस्थान की आवश्यकता है जो कि इतनी भयंकर मानवीय त्रासदी, जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती से निपट सके, निश्चय ही सरकार का कर्त्तव्य है कि वह केवल इसका सहारा ही नहीं ले, न केवल मुसीबतों से घिरे राज्य को राष्ट्रीय राहत कोष से सहायता दे बल्कि यह भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि वह देश में ऐसा वातावरण और मानसिकता बनाये कि हमारे देश के एक भाग में बहुत बड़ी आपदा आ गई है और उसके लिए हम केन्द्र सरकार से आशा करते हैं कि वह काफी कुछ करेगी। वास्तव में प्रभावित राज्य सरकार को वही करना होगा। वैसा वातावरण बनाने के लिए काफी प्रयास करने होंगे और कमी कोई नहीं रहनी चाहिए।

परन्तु पिछले तीन सप्ताहों के दौरान हमने क्या किया है? केन्द्र सरकार केवल 'अर्थ विज्ञान' पर ही बहस करती रही है, अर्थात 'हम इसकी इस तरह घोषणा नहीं करेंगे, हम इसे ऐसा समझना चाहते हैं इत्यादि' जैसे शब्दों के प्रयोग के बारे में। यह सब क्या है? समस्या क्या है? इससे राष्ट्रीय आपदा राहत निधि से किसी तरह सहायता तो मिल सकती है परन्तु वह पर्याप्त नहीं है। उससे हमें केवल 200 करोड़ रुपये ही मिले हैं। सरकार को पूरी आपदा का खाका तैयार करना चाहिए जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। किसी विशेष राज्य के मुख्य मंत्री— इस मामले में उड़ीसा के मुख्यमंत्री परन्तु यह किसी भी राज्य का मुख्य मंत्री हो सकता है–द्वारा कही गई बात को वही महत्व नहीं दिया जाता जो प्रधान मंत्री की बात को दिया जाता है। इसलिए इसकी घोषणा केन्द्र से की जानी चाहिए। सरकार क्यों हिचकिचा रही है? जैसे ही वे हिचकिचाने लगते हैं, जैसे ही बहस शुरू होती है लोगों को हैरानी होने लगती है कि ऐसा क्यों हो रहा है।

क्या यह संभव है कि यह उस अनुपात में नहीं होगा? क्या यह संभव है कि कोई अतिश्योक्ति होगी? केन्द्र ऐसा करने से हिचकिचा रही है या इस बारे में आशंकित क्यों है?

महोदय, प्रधान मंत्री ने प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने की दो बार कोशिश की है। दुर्भाग्यवश, दोनों ही बार खराब मौसम और वर्षा के कारण वे वहां उतर सकने में असमर्थ रहे। इसलिए उन्हें 15,000 फुट या 20,000 फुट की दूरी से ही देखना पड़ा था। इसमें उनकी कोई गलती नहीं है। परन्तु हमारा विश्वास है कि ऐसे प्रयासों को और जारी रखा जा सकता है। फिर भी हम यही कहेंगे कि अभी भी बहुत देर नहीं हुई है। यह एक स्थिति है–मुझे विश्वास है कि प्रधान मंत्री जी मेरी बात से सहमत होंगे–जिसमें राजनीति की कोई गुंजाइश नहीं है। हो ही नहीं सकती। इसलिए, मैं प्रधान मंत्री से अनुरोध करना चाहूँगा कि राष्ट्रीय प्रसारण पर इसे राष्ट्रीय आपदा घोषित करें तथा राष्ट्र को इस संबंध में विस्तृत जानकारी दें। अगर आप ऐसा करते हैं तो हम इसकी सराहना करेंगे क्योंकि मैं कह चुका हूँ कि राजनीति के लिए इसमें कोई स्थान नहीं है।

[हिन्दी]

इसमें कोई गुंजाइश नहीं है, कोई राजनैतिक भावना से प्रेरित नहीं लेकिन आपके यूनियन मिनिस्टर्स जो कर रहे हैं, उस पर हम रिएक्ट नहीं कर रहे हैं।

[अनुवाद]

इसलिए हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप राष्ट्रीय चैनल पर राष्ट्र को संबोधित करें।

एक दिन जनसंचार के कुछ लोग अमेरिका से यहां संगोष्ठी में भाग लेने के लिए आए थे। लगभग एक सप्ताह पहले मैंने उनसे मिलकर बातचीत की थी। मैंने कहा था कि इस बड़े चक्रवात से, जिसे आप समझ भी नहीं सके हैं, 15 मिलियन लोग शिकार हुए हैं। *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: किसका सेल फोन बज रहा है?

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर): उसे जब्त कर लिया जाना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय: हां। हम बार-बार इस संबंध में चेतावनी देते रहे हैं।

श्री माधवराव सिंधिया: मैंने उनसे पूछा कि यह अमेरिकी अखबारों में इस अभूतपूर्व चक्रवात के बारे में किस तरह की खबरें छप रही हैं? मुझे जनसंचार के इन लोगों ने बताया कि बहुत अधिक खबरें नहीं छप रही हैं और तुर्की में आए भूकंप से संबंधित खबरों से भी बहुत कम खबरें छपी हैं। तुर्की में आया हाल ही का भूकंप एक बहुत बड़ी दुर्घटना थी। हमें उन सभी प्रभावित लोगों के प्रति संवेदना हुई। परंतु अगर तुर्की का भूकंप एक विध्वंस था तो यहां की दुर्घटना सभी दुर्घटनाओं से बढ़कर थी। फिर भी अमेरिका के अखबारों में इसे अधिक महत्व नहीं दिया गया है। क्यों? अगर किसी राज्य का मुख्य मंत्री दूरदर्शन पर आता है तो उसकी तरफ बहुत कम ध्यान

दिया जाता है। परन्तु अगर किसी देश का प्रधानमंत्री दूरदर्शन पर आता है तो राष्ट्र का ही नहीं बल्कि पूरे विश्व का ध्यान उस तरफ जाएगा। उसके बजाय हम इन्हीं बातों में उलझे हुए हैं कि इसे राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाए या नहीं या आक्सफोर्ड डिक्शनरी इस विशेष शब्द के लिए क्या कहती है।

[हिन्दी]

ऐसी बड़ी मानव त्रासदी में आप दिल खोलकर घोषणा करिए जिससे लोगों की समझ में आए कि यूनियन गवर्नमेंट पूरी तरह से अपने सभी आर्थिक संसाधनों से रिलीफ के लिए बहुत कुछ करने के लिए तैयार है, तत्पर है।

[अनुवाद]

हमें इस संबंध में मिलजुल कर काम करना चाहिए। मैं अखबार पढ़ते समय रोज यही देखता हूँ। कोई केन्द्रीय मंत्री कुछ कहता है, कोई कुछ। मुझे यह पढ़कर हैरानी हुई कि श्री जार्ज फर्नान्डीज ने उड़ीसा के संबंध में कहा था कि केन्द्र से सहायता बंद कर दी जानी चाहिए। इतना ही नहीं, उन्होंने यहां तक कहा कि यह निर्णय राजनैतिक रूप से प्रेरित लगता है। अब मैं आपसे अनुरोध करना चाहूँगा कि यद्यपि श्री जार्ज फर्नान्डीज इसे सही मानते हैं। फिर भी मैं यही कहूँगा कि किसी बात को कहने के लिए समय और स्थान देखा जाता है। वे एक केन्द्रीय मंत्री के रूप में एक महत्वपूर्ण पद पर आसीन हैं। यद्यपि उन्हें वह बात सही लगती हो फिर भी क्या वे पिछले 50 वर्षों से अपनी राजनैतिक अभिवृत्ति पर नियंत्रण रखते हुए सोच समझकर नहीं बोल सकते?

मैं इस बारे में थोड़ी देर बाद बात करूंगा।

मैं प्रधान मंत्री से अभी भी इसे राष्ट्रीय आपदा घोषित करने के लिए अनुरोध करूंगा। ऐसे कई तरीके हैं जिनके द्वारा आप यह कर सकते हैं। अपनी छवि या प्रतिष्ठा बचाने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। प्रधान मंत्री जी, हमें घूम-घूमकर यह प्रचार नहीं करना कि हमारी जीत हुई है, आखिर हमने इसकी घोषणा कर दी है। हम ऐसा नहीं करेंगे। हमें खुशी होगी और हम आपके आभारी रहेंगे। मुझे आपको यह बताने की आवश्यकता नहीं कि आप संसद और राजनीति में मुझसे काफी पहले आए हैं। इसलिए मैं आपसे यह नहीं कह सकूंगा। परन्तु यह प्रधान मंत्री के लिए गौरव की बात होगी। कृपया राष्ट्रीय दूरदर्शन से भी प्रसारण करें। इस पर प्रकाश डालिए। जैसे ही इसे आधार मिल जाएगा तो आप पाएंगे कि राष्ट्रीय स्तर पर इसकी प्रतिक्रिया दुगुनी हो रही है और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां और दुगुने रूप में सामने आ रही है।

हम आवश्यकताओं की प्रकृति के बारे में बात कर रहे थे। मैं केवल यही कहना चाहूंगा अभी भी राज्य सरकार के कुछ क्षेत्रों में आपूर्ति काफी कम है। पोलीथीन के रोल मिलने काफी कठिन हैं। नए आर्डर दिए जा रहे हैं और पोलीथीन के रोलों के संबंध में हमारे पास काफी मांग आई है। इसलिए वितरण क्षेत्र में कार्य होने से पहले राहत सामग्री पहुँच जानी चाहिए। अगर किसी तरह पोलीथीन रोलों के उत्पादन और उनकी प्राप्ति में सहायता मिल सके तो उसकी कोशिश की जानी चाहिए। कम्बलों के बारे में भी मैं यही कहना चाहूंगा। उड़ीसा सरकार को अभी भी काफी संख्या में कम्बलों की जरूरत है और राहत निधि के संबंध में आश्वासन की भी। मुख्य मंत्री ने अनुरोध किया था कि तुरंत 500 करोड़ रुपये दिये जाने चाहिए। परन्तु अनंतिम राहत कार्य के लिए वे और अधिक राशि चाह रहे थे। राज्य वास्तव में परेशान है क्योंकि राज्य का धन *...(व्यवधान)*

हमें यह सब बातें नहीं लानी चाहिए। यह मजाक की बात नहीं है। भगवान के लिए, इस पर कुछ गंभीरता से विचार करें। सैकड़ों लोगों की जानें चली गई हैं और आप इतना ही कर सकते हैं कि जिसे आप मजाक समझते हैं आप उसमें दखल कर सकते हैं।

श्री विक्रम केशरी देव (कालाहांडी): क्या आप थोड़ी देर के लिए मेरी बात सुनेंगे? मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री माधवराव सिंधिया: मैं अभी चुप नहीं हूं।

उपाध्यक्ष महोदय: उनका व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री माधवराव सिंधिया: वे एक नए सदस्य हैं। वे नहीं जानते कि व्यवस्था का प्रश्न क्या होता है।

श्री विक्रम केशरी देव: मेरा व्यवस्था का प्रश्न उनके द्वारा दिए गए वक्तव्य से संबंधित है।

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया उस नियम को उद्धृत करें।

श्री विक्रम केशरी देव: नियम 376, मैं माननीय सदस्य से पूछना चाहूँगा *...(व्यवधान)*

श्री सोमनाथ चटर्जी: वे कैसे पूछ सकते हैं?

श्री विक्रम केशरी देव: मैं अध्यक्षपीठ से पूछना चाहूँगा। महोदय, आपके माध्यम से मैं यह कहना चाहूँगा कि माननीय सदस्य द्वारा कही गई बात....

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया नियम पढ़िए।

इसमें कहा गया है:

"376 (1) औचित्य प्रश्न इन नियमों के या संविधान के ऐसे अनुच्छेदों के, जिनसे सभा का कार्य विनियमित होता है, निर्वाचन या प्रवर्तन के संबंध में होगा और उसके द्वारा ऐसा प्रश्न उठाया जाएगा जो अध्यक्ष के संज्ञान में हो।"

श्री विक्रम केशरी देव: यह नियमों के अंतर्गत आता है। यह विशेष रूप से चक्रवात के बारे में है। माननीय सदस्य आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए केन्द्र सरकार की असमर्थता के संबंध में बता रहे हैं। परन्तु आज देखा गया है कि उड़ीसा में अपने ही दल के अंदर फूट पड़ी हुई है।

उपाध्यक्ष महोदय: यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। कार्यवाही वृत्तान्त में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय: मैंने विनिर्णय दिया है कि यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

...(व्यवधान)

श्री माधवराव सिंधिया: मैं यहां नम्बर बनाने का प्रयास नहीं कर रहा हूँ। मैं यह पूरी गंभीरता से कह रहा हूँ क्योंकि मैं माननीय प्रधानमत्री या माननीय कृषि मंत्री या जो कोई भी वाद-विवाद का उत्तर दे रहा हो। उनसे उत्तर की अपेक्षा करता हूँ। अब तक उड़ीसा सरकार को दी गई धनराशि 650 करोड़ रुपये है। इसमें से 200 करोड़ रुपये राष्ट्रीय आपदा राहत कोष से दिए गए हैं। इसे या तो खर्च कर दिया गया है या बांट दिया गया है। दूसरे अनुदान में से लगभग 98 करोड़ रुपया खर्च किया जाने वाला है। इससे शेष 450 करोड़ रुपया शेष रह जाएगा। देश के सभी राज्यों की वित्तीय स्थिति को देखते हुए सभी राज्य सरकारें चिंतित है। इसलिए राज्य सरकार स्पष्टीकरण देने के लिए कह रही है क्योंकि केन्द्र कह रहा है, "ये 450 करोड़ रुपये और है, इस पैसे को खर्च करो, उसके बाद हम आपको बताएंगे कि हम इसे किस रूप में मानेंगे।" स्वाभाविक है उनके पास नियोजित बजट है। उनकी कुछ विकास परियोजनाएं हैं और व्यय संबंधी कुछ समस्या है। होता यह रहा है कि इस सारे पैसे को खर्च किया जा रहा है क्योंकि कोई और विकल्प नहीं है। किंतु इस स्थिति में आपके उत्तर में यह आश्वासन दिया जाना चाहिए कि इसे भी अनुदान के रूप में माना जाएगा क्योंकि वर्तमान में राज्य को बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं के अधीन अग्रिम अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के रूप में 100 करोड़ रुपये दिये गये हैं जो अंतत: राज्यों को देने ही थे। सामान्य केन्द्रीय सहायता के रूप में दिसम्बर 1999 के माह के लिए और जनवरी 2000 के एक हिस्से के रूप में लगभग 40 करोड़ रुपये और 10 करोड़ रुपये की चौथी किश्त अग्रिम जारी की जा रही है। दिसम्बर 1999 के लिए देय केन्द्रीय करों का हिस्सा और जनवरी 2000 के लिए देय राशि के एक अंग के रूप में 200 करोड़ रुपये की राशि अग्रिम रूप से जारी की जा रही है। यह राशि भी राज्य को देय है जो राज्य को सामान्यत: दी जाती किंतु यह अग्रिम के रूप में दी गई। फिर 100 करोड़ रुपये का अग्रिम दिया गया। महोदय, इस 450 करोड़ रुपये की राशि पर 9 प्रतिशत ब्याज पड़ेगा और आधिकारिक और तकनीकी तौर पर 31 मार्च, 2000 को इसकी अदायगी की जानी है। हो सकता है आपके मन में यह हो कि आप अन्तत: इसे कुछ और माने और इसे माफ कर दें। किंतु आप ये घोषणाएं अभी क्यों नहीं करते हैं?

श्रीमती गांधी एक शिष्टमंडल के साथ डा. मनमोहन सिंह और मेरे साथ प्रधानमंत्री को मिलने गई थी और उन्होंने आश्वासन दिया था कि वे इस पर विचार करेंगे। डा. मनमोहन सिंह ने एक पत्र लिखा था किंतु अभी तक हमें उसका उत्तर नहीं मिला है। इसलिए हम यह आश्वासन चाहते हैं कि इन राशियों को सामान्य व्यय और सामान्य बजट के अग्रिम के रूप में नहीं दिया जा रहा है। इस राशि में से कुछ पर 9 प्रतिशत की दर से ब्याज लिया जाएगा। उसमें से कुछ का 31 मार्च, 2000 को पुनर्भुगतान करना है किंतु वे विशेष अनुदान हैं।

मेरे विचार से कुछ और कार्य किये जाने की आवश्यकता है और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से सहायता प्राप्त करने के लिए केन्द्र सरकार की सहायता की आवश्यकता है। मेरे विचार से यदि इस विशेष मुद्दे पर विश्व की विभिन्न राजधानियों में जागरूकता पैदा करने के लिए विदेशी मिशनों और दूतावासों को निर्देश दिए जाएं और इस मुद्दे को उन संगठनों के साथ उठाया जाए जो ऐसी परिस्थितियों में अन्य देशों में सहायता के लिए कार्य करती हैं तो इससे काफी सहायता मिलेगी।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अन्त में वहां तत्काल राहत सामग्री, भोजन, धोती, साड़ियों, कपड़ों, बर्तनों, कम्बलों, पोलीथीन रोल, और प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता की आवश्यकता है। किंतु उसके बाद वहां और कार्य किये जायेंगे जिनके लिए केन्द्र सरकार के साथ समन्वय की आवश्यकता है। हम आवासीय इकाइयों, सामुदायिक आश्रम स्थलों, विद्यालयों के निर्माण जैसे मामलों में आपकी सहायता चाहते हैं मुझे खुशी है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय के एक दल को उड़ीसा जाने के लिए कहा गया है-पुस्तकों की आपूर्ति, तटबंधों, सड़कों, पुलों के निर्माण, कृषि सामग्री की आपूर्ति पशुपालन और रबी अभियान अत्यन्त महत्वपूर्ण है ताकि उनसे कम से कम कुछ प्राप्त किया जा सके।

फिर राहत कार्य के माध्यम से रोजगार, बेसहारा लोगों को वित्तीय राहत, पेयजल आदि उपलब्ध कराने की बारी आती है और फिर निश्चित तौर पर दीर्घकालिक पुनर्वास योजनाएं आती हैं। यदि उड़ीसा में इस कार्य में विश्व बैंक और अन्य प्रमुख संस्थान शामिल किये जाएं तो हम आभारी होंगे।

अन्त में मैं एक बार पुन: कहना चाहता हूँ कि यह अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण और खेद का विषय है कि कुछ मंत्रियों ने अपने विचार प्रकट किए हैं। मैं माननीय प्रधानमंत्री से अनुरोध करता हूँ कि वे अपनी मंत्रिपरिषद के कुछ सदस्यों द्वारा इस प्रकार के विचार व्यक्त करने पर रोक लगाएं जैसे विचार उन कुछ सदस्यों ने व्यक्त किए हैं जो उड़ीसा के दौरे पर गए थे। लगता है वे इस सारे कार्य में राजनीति लाने का प्रयास कर रहे हैं क्योंकि कुछ माह बाद राज्य विधान सभा के चुनाव हो सकते है। मैं उन मंत्रियों का नाम नहीं लेना चाहता हूँ क्योंकि मैं इस मामले में किसी पचड़े में नहीं पड़ना चाहता हूँ। किंतु मैं यह कह सकता हूं कि जो उन मंत्रियों ने कहा है वह पूर्णत: असत्य है। जहां तक उड़ीसा सरकार की भूमिका का संबंध है मेरे विचार से यह पूर्णत: असत्य है। उन्होंने इस बारे मे जो कुछ कहा मैं उसका स्पष्टत: खंडन करता हूँ। मैं केवल यह कहूँगा कि यदि आपके मन में ऐसा है, यदि आपको इस बारे में विश्वास है तो भी इस समय अपने विचारों को प्रकट करना उचित नहीं है क्योंकि इस समय सहयोगात्मक वातावरण होना चाहिए। उस भावना में हमें यह प्रयास करना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि राहत उन लोगों तक पहुंचे जिन्हें वास्तव में नुकसान पहुंचा है, जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया है और जिन्होंने अपना सब कुछ खो दिया है मेरी आपसे यह अपील है।

श्री अनादि साहू (बरहामपुर उड़ीसा): उपाध्यक्ष महोदय, 18 अक्तूबर को उड़ीसा के दक्षिणी भाग और आंध्र प्रदेश के एक हिस्से में तूफान आया। किन्तु जैसे प्रकृति को इससे संतुष्टि न हुई हो, 29 अक्तूबर को दोगुने आवेग से फिर तूफान आया और इससे 12 जिलों में भारी तबाही हुई। मैं तूफान और उसके बाद आई बाढ़, दोनों की बात कर रहा हूँ।

इस मामले में जाने से पहले मैं भारतीय मौसम विभाग के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। मौसम विभाग ने 25 अक्तूबर को चेतावनी दी थी कि अन्डमान द्वीप समूह से 500 कि.मी. की दूरी पर तूफान उठ रहा है। उन्होंने तूफान के मार्ग का अनुमान लगा लिया था। किसी पर छींटाकशी नहीं कर रहा किंतु तूफान पारादीप में आया, लगभग छह घंटे तक पारादीप के आस-पास तूफान बना रहा और फिर 48 घंटों तक आन्तरिक भूमि में मंडराता रहा किंतु इसके मार्ग का ठीक से पता नहीं चला।

यह सत्य है कि जब तूफान आता है तो हवा में नमी होती है जिसके कारण मूसलाधार बारिश होती है। इस बात का मूल्यांकन करना मौसम विभाग का कार्य है कि 48 घंटों बाद भी भूमि के ऊपर नमी की मात्रा क्या रही होगी। लगभग 48 घंटों तक पूरे क्षेत्र में 100 कि.मी. प्रति घंटा की रफ्तार वाली हवाओं के बीच मूसलाधार बारीश हुई जिससे क्योंझर और मयूरभंज दो जिलों तथा निकटवर्ती क्षेत्रों में अधिक तबाही हुई तथा उसके कारण अनेक नदियों ने अपना मार्ग बदल दिया। मैं फिर कहता हूँ कि यह किसी पर कटाक्ष नहीं है। यह हमारी कोई कमजोरी है कि हम इस बात का पता नहीं लगा पाए कि किस प्रकार का तूफान आ सकता है और इससे किस प्रकार का नुकसान होगा। हां, यह भीषण तूफान था जो इतिहास में अभूतपूर्व है। किंतु राज्य सरकार को इस बात का भरोसा नहीं था कि वे इससे अपने तरीके से निपट लेगी हालांकि 18 अक्तूबर को भी तूफान आया था। यह अंग्रेजी कविता को गायन का स्थान नहीं है। किंतु मैं निश्चित तौर पर एक अंग्रेजी कविता का एक पद गाऊंगा जिसमें कहा गया है।

"आई फाल्टर वेयर आई फमंली ट्रेड
एण्ड फालिंग विद माई वेट एण्ड केर्स
आई गैदर डस्ट एण्ड चाफ।"

29 तारीख और उसके बाद उड़ीसा सरकार के साथ यही हुआ था। उन्हें चक्रवातों का अनुभव था। यह बात सही हो सकती है कि 29 अक्तूबर, 1999 को आयी विकट कठिनाइयों

[श्री अनादि साहू]

के अनुभव के सामने वे बौने सिद्ध हुए थे। परन्तु दो सप्ताह के बाद, बौना शासन चलाने की स्थिति में आ सकता था और इस मामले को और ज्यादा उचित ढंग से निपटाया जा सकता है।

अभी तक, 10,000 शवों को खोजा जा चुका है और अधिकतर शवों को आर.एस.एस., आनंद मार्गियों और सेना द्वारा खोजा गया है। सरकारी कर्मचारियों-अधिकारियों ने कुछ भी नहीं किया। आज भी, इस बात के साक्ष्य यह दर्शाते हैं कि शव अभी भी पानी में पड़े हुए हैं। शवों को अभी भी पानी में से निकाला जा रहा है। जैसे-जैसे पानी कम होता जा रहा है, शव निकलते जा रहे हैं। क्या यह सुनिश्चित करना राज्य सरकार का दायित्व नहीं है कि भूखे, क्षीणकाय और अधमरे घूम रहे लोगों को किसी प्रकार की सांत्वना दी जाए। अब क्या हुआ है? अभी भी, लोग कह रहे हैं कि एरसेमा के भीतरी भागों तक सहायता नहीं पहुंची है। एरसेमा में, समुद्रतटीय क्षेत्रों में अवैध आप्रवासन हुआ है। पिछले 25 से 30 वर्षों से अवैध आप्रवासी वहाँ पर रह रहे हैं। हमारे पास उनकी सही संख्या उपलब्ध नहीं है। वे बंग्लादेशी हैं और उन्हें वहाँ पर निवास करने की अनुमति दी गई है इस कारण मैंग्रोव वन पूरी तरह से उजड़ गया है और कैसुअरीन वन भी पूरी तरह विनष्ट हो गया है और इसके परिणामस्वरूप 300 किलोमीटर प्रति घण्टे की वायु गति वाला भीषण चक्रवात पूरी तरह से भीतर आ गया था। संकरी खाड़ियों को मछुआरों ने उपयोग में ला लिया है जिसके कारण पांच या छह मीटर ऊंची ज्वार की लहरों को नहीं रोका जा सका और हम सबको इन सब कठिनाइयों का सामना करना पड़ा।

क्या यह प्राकृतिक आपदा है या राष्ट्रीय आपदा है इस संबंध में कांग्रेस पार्टी के मेरे मित्रों ने कई बातें कही है। शब्दों का अर्थ, जैसाकि श्री जार्ज फर्नान्डीज ने कहा, यह नहीं दर्शाता है कि इसे राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाय अपितु इसका सामना राष्ट्रीय आपदा के रूप में किया जाय। अब इससे राष्ट्रीय आपदा के रूप में निपटा जा रहा है। यदि आप ब्यौरों के विस्तार में जाएं तो आपको पता चलेगा कि इससे उसी प्रकार निपटा गया है। आपदा राहत निधि में यह दर्शाया गया कि खर्च की गई धनराशि के लिए केन्द्र और राज्य के वित्त का अनुपात 75 प्रतिशत और 25 प्रतिशत रहेगा। परन्तु जब यह राष्ट्रीय आपदा के समान होती है या राष्ट्रीय आपदा होती है तो भारत सरकार को धनराशियाँ देनी होगी। भारत सरकार पहले ही 950 करोड़ रुपये दे चुकी है जिसमें से कुछ योजना अग्रिम है और कुछ अनुदान है। लेकिन इस धनराशि का क्या हुआ?

पहले चरण में, गंजम जिले को, जिसका मैं प्रतिनिधित्व करता हूँ, 50 करोड़ रुपये की धनराशि दी जानी थी। अब तक मुझे जिलाधीश से यह सूचना मिली है कि उन्हें अभी तक 26.50 करोड़ रुपये ही मिले हैं और बाकी की धनराशि कहाँ गई है? माननीय मंत्री, श्री शांता कुमार जी ने उड़ीसा का दौरा किया था और उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि राज्य को 2.5 लाख मीट्रिक टन चावल दिया गया है। परन्तु अभी तक, राज्य सरकार ने केवल 90,000 मीट्रिक टन चावल ही उठाए हैं, जिसके बारे में मुझे विशेष सहायता आयुक्त की रिपोर्ट मिली है केवल 45,000 टन चावल ही वितरित किया गया है। इसके लिए किसे दोषी ठहराये? लोगों को भोजन नहीं उपलब्ध हो पा रहा है। जैसाकि मैं विशेष सहायता आयुक्त की रिपोर्ट में देखता हूँ, जिन्हें यहाँ के और वहाँ के किसी घोटाले के कारण निलंबित कर दिया गया है, केवल 1,70,000 पोलीथीन चादरों को दिया गया है जबकि 1.50 करोड़ लोग प्रभावित हुए हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि एक परिवार में पांच व्यक्ति होते हैं, ये संख्या 30 लाख परिवारों की बनती है और 30 लाख लोगों को 30 लाख पोलीथीन चादरें मिलनी चाहिए।

महोदय, यह एक तथ्य है कि उड़ीसा में और इस पर बहुत ज्यादा ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है कि मानवीय मूल्यों में गिरावट आयी है। 1866 में, उड़ीसा में भीषण सूखा पड़ा था और उस समय जमींदार और ऊँची जाति के लोग सरकार से सहायता नहीं स्वीकार करते थे। अब, जो कुछ भी हो रहा है, वह यह कि चाहे वो अमीर आदमी हो या वो ऊंची जाति से संबंध रखता हो या कुछ भी सम्मान रखता है या चाहे उसके पास पक्का मकान हो, वो पोलीथीन चादरों और चावल के अपने हिस्से की मांग कर रहा है। आंध्र प्रदेश सरकार ने 13 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से चावल भेजा था और जो लोग सत्ता में है उन्होंने चावल हड़प लिया मैं इसे गलत ढंग से हड़पना नहीं कह रहा हूँ-और कोई भी नहीं जानता है कि चावल कहाँ गया। मैंने माननीय मंत्री महोदय से महंगे चावल नहीं भेजने का अनुरोध किया था क्योंकि ये काले बाजार में चला जाएगा।" अब, कलिंग स्टेडियम में, आप पाएंगे कि सैकड़ों ट्रक बेकार खड़े हैं और इस समस्या से निपटने के लिए लगभग 100 अधिकारियों की आवश्यकता है। लेकिन राज्य सरकार ने केवल तीन अधिकारी लगाए है। ये सारी ऐसी बातें हैं जिसमें आत्मावलोकन की आवश्यकता है। मैं यह नहीं कहता हूं क्या ये प्राकृतिक आपदा है या राष्ट्रीय आपदा या भीषण प्रकृति की एक आपदा है परन्तु यह गम्भीर कुप्रशासन है।

इन आंकड़ों को राजनीतिक रंग देने के लिए कार्रवाई की जा रही है। हमें इतना हो हल्ला करने की क्या आवश्यकता है? हमें इसका सामना करना चहिए। धन खर्च हो रहा है। परन्तु इसे उचित ढंग से खर्च करना चाहिए। ऐसा नहीं किया जा रहा है। मैं विस्तार में नहीं जाऊँगा क्योंकि यहाँ पर मेरे मित्रों द्वारा विस्तारपूर्वक कहा जा चुका है।

कुल 20,000 मानवशक्ति का ह्रास हुआ है। 20,000 मौतें हुई है। लगभग 5,000 यहाँ-वहाँ लापता है। परन्तु इस बात की आवश्यकता है कि हमें इससे समुचित ढंग से निपटना होगा और भूखे, कुपोषण के शिकार और प्रदूषित वातावरण में जीवन व्यतीत कर रहे लोगों पर ध्यान देना होगा। प्रदूषित वातावरण से अर्थ है कि पीने के लिए पानी नहीं है। वायु सेना भोजन के पैकेट गिरा रही है। वे पानी भरे कनस्तर या बैरल नहीं गिरा पा रही है क्योंकि वे फूट जाएंगे। अभी भी लोग प्रदूषित क्षेत्रों, जहाँ पर क्षत-विक्षत लाशें और कहीं-कहीं पर मृत मानव देहें पड़ी है, से पानी पी रहे हैं।

एक कृतिक बल का गठन किया गया है। मेरा सरकार से विनम्र अनुरोध है। कृपया स्थानीय प्रतिनिधियों या मंत्रियों जो उड़ीसा के हों, उन्हें कृतिक बल का सदस्य बनाया जाना चाहिए। जिससे कि वे अपने सुझाव दे सकें और यहाँ और वहां कुछ उपायों को भी सुझा सकें। यह अधिक उचित होगा और यह अपने उद्देश्य में ज्यादा रचनात्मक है।

अब, मैं केवल अल्पकालीन आवश्यकताओं के बारे में बोलूँगा। अल्पकालीन आवश्यकता पोलीथीन की है। मैं नहीं जानता कि एक किलोग्राम पोलीथीन की लागत 74 रुपये होती है या नहीं। परन्तु 18 अक्तूबर को, मैंने पता लगाया था कि आकस्मिक परिस्थिति के कारण इसकी कीमत 50 रुपये और 60 रुपये के बीच में थी। राज्य सरकार ने इसे दिल्ली से 74 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से खरीदा था। अब यह सभा निर्णय करेगी कि यह घोटाला है या नहीं। मैं इस विषय पर विस्तारपूर्वक नहीं बोलना चाहता हूँ। परन्तु पोलीथीन चादरों की तत्काल आवश्यकता है। समुद्रतटीय क्षेत्रों में कम्बलों की आवश्यकता है। खाद्य सामग्री की आवश्यकता है। 15 किलोग्राम से 20 किलोग्राम प्रति गरीबी की रेखा से नीचे के परिवार के लिए और 10 किलोग्राम से 15 किलोग्राम प्रति गरीबी की रेखा से ऊपर के परिवार के लिए अपेक्षित है। इन सभी बातों का ध्यान राज्य सरकार द्वारा रखा जाना होगा न कि केन्द्र सरकार द्वारा। खाद्य पदार्थ भेजे जा रहे हैं। भारतीय खाद्य निगम खाद्य पदार्थों की आपूर्ति कर रहा है। परन्तु बीच में आपूर्ति एजेन्ट और भण्डारण एजेण्ट हैं। वे इससे अत्यधिक लाभ अर्जित कर रहे हैं। यह बिचौलिया प्रणाली खत्म होनी चाहिए। खाद्य पदार्थों को भा.रा.नि.आई. से सीधा ग्राम-पंचायतों को भेजा जाना चाहिए। इस प्रकार से खाद्य सामग्री और दवाइयों को वितरित किया जाना चाहिए। भारी संख्या में लोगों की मृत्यु हो रही है। आपको एस.आर.सी. की रिपोर्ट से पता चलेगा कि इसमें 197 सांप के काटने की घटनाओं और एक मृत्यु को दर्शाया गया है। मैं नहीं जानता। भीषण चक्रवात के कारण, साँपों का विष समाप्त हो गया है और केवल एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है। यह आँकड़े दिए गए हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि सारे साँप गायब हो गए हैं। मैं मगरमच्छों के बारे में नहीं जानता कि क्या असंख्य संकरी खाइयों, जोकि अब खुल गई हैं, के माध्यम से समुद्र में गायब हो गए हैं। दीर्घकालीन योजना बनाई जानी चाहिए। दीर्घकालीन योजना में सबसे पहले समुद्रतट के साथ-साथ शरणस्थलों का निर्माण किया जाना चाहिए। मेरा सुझाव है कि उड़ीसा के 480 किलोमीटर लम्बे समुद्र तट के साथ प्रत्येक पांच किलोमीटर की दूरी पर तूफान और चक्रवात शरण स्थलों का निर्माण किया जाना चाहिए। शरण स्थल इस प्रकार के होने चाहिए। दो मंजिला इमारतों के समान यह भी द्विस्तरीय होने चाहिए। भूमितल को विद्यालयों के लिए उपयोग में लाया जा सकता है और प्रथम तल को तूफान शरण स्थलों के रूप में उपयोग में लाया जा सकता है। ऐसा एक केन्द्र गोपालपुर में समुद्र पर स्थित है जो कि अच्छा कार्य कर रहा है। आंध्र प्रदेश में भी, कई चक्रवात शरण स्थल है। इस पर दीर्घकालीन आधार पर कार्य किया जाना चाहिए।

खारे पानी को रोकने के लिए तटबंध होने चाहिए। धान के खेतों में अत्यधिक लवणता हो जाती है। धान के खेतों के पांच लाख एकड़ में खारा पानी भरा हुआ है। इस समय पूरे समुद्रतटीय क्षेत्र के तत्काल अध्ययन और खारेपानी को रोकने के लिए तटबंध बनाने की आवश्यकता है। इससे बहुत मदद मिलेगी। उमा सालट बे का उदाहरण लीजिए जहाँ पर नमक बनाया जा रहा है। पम्पिंग प्रणाली द्वारा समुद्र से खारा पानी लाया जा रहा है। इस चक्रवात के दौरान, 15-16 फुट ऊंची ज्वारीय लहरों के द्वारा पानी अपने आप 20 किलोमीटर तक फैले धान के खेतों में भर गया। खारेपन को दूर करने के लिए चूने की आवश्यकता होती है। चूना तत्काल उपलब्ध करवाना होता है। मैं नहीं जानता कि क्या किसी ने इस बारे में सोचा है। मैंने देखा है जब भी खारापन होता है पेपर मिल्स से चूना लिया जाता है, वह अंतिम अवशेष होते हैं जो कि धान के खेतों में डाले जाते हैं। 'हुमा साल्ट बे' को भी पर्याप्त धनराशि प्रदान किये जाने की आवश्यकता है।

[श्री अनादि साहू]

इस गंभीर चक्रवात के कारण उड़ीसा में क्या हुआ। लगभग 12,000 लघु पैमाने के उद्योग अंशत: और पूर्णत: नष्ट हो गए हैं। मेरे विचार में उड़ीसा राज्य वित्तीय निगम को लगभग 600 करोड़ रु. की हानि उठानी पड़ी होगी। भारत सरकार को उपयुक्त तरीके से उन उद्योगों को पुन: वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए आगे आना चाहिए। मेरे विचार में उसके लिए उड़ीसा राज्य वित्तीय निगम को कम से कम 200 करोड़ रु. की आवश्यकता होगी। एस आई डी बी आई और आई डी बी आई को दीर्घावधिक आधार पर इस मामले को उठाना चाहिए और यू.एस.एफ.सी. को धनराशि प्रदान करनी चाहिए।

जैसाकि माननीय सदस्य श्री कानूनगो ने कहा है अदायगी में कुछ समय के लिए रोक, अदायगी स्थगित की जानी चाहिए। तीन वर्षों तक मूल राशि की कोई किश्त नहीं ली जानी चाहिए और उस पर ब्याज को माफ कर देना चाहिए ताकि इन 12,000 उद्योगों का पुनरुद्धार किया जा सके। अन्यथा बेरोजगारी होगी और लोगों को काम नहीं मिलेगा। पिछले दस वर्षों से मैं राज्य में देख रहा हूँ कि काफी लोग विभिन्न स्थानों पर काम करने के लिए महाराष्ट्र और गुजरात की ओर कूच कर रहे हैं।

पिछले वर्ष, बजट में केन्द्र सरकार ने कहा था कि जब लोग एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर जाते हैं तो सुनिश्चित रोजगार योजना को पुन:प्रचालित करना चाहिए। 25 प्रतिशत अतिरिक्त धनराशि दी जानी चाहिए। अब तक भी ऐसा नहीं किया गया। एक प्रावधान है कि राज्य सरकार को एक प्रस्ताव देना होता है कि कितनी धनराशि की आवश्यकता है। मुझे नहीं मालूम कि क्या ऐसा प्रस्ताव केन्द्र सरकार के पास आया है अथवा नहीं। उन्हें 25 प्रतिशत अधिक की मांग करनी चाहिए ताकि लोग अपनी दीनहीन परिवार को अपना भरण-पोषण स्वयं करने के लिए छोड़ कर राज्य से न जायें।

अभी तक बिजली उपलब्ध नहीं करवाई गई है। आंध्र प्रदेश ने हमारी सहायता की है। हम आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के आभारी है। मेरे नगर बहरामपुर में पांच दिन के भीतर समूचे क्षेत्र का इस तरह से विद्युतीकरण कर दिया गया था कि हैरानी होती है। लेकिन यहाँ कुछ स्थान ऐसे हैं मेरे निर्वाचन क्षेत्र और श्री नवीन पटनायक के निर्वाचन क्षेत्र में कुछ स्थान कुछ एन.ए.सी. हैं जहां अभी भी बिजली उपलब्ध नहीं करवाई गई है, तो लिफ्ट सिंचाई को तो बात ही क्या करें, जिसे रबी फसल के लिए पुन: प्रचलित करना है।

राज्य सरकार ने कहा है कि रबी के बीजों पर 50 प्रतिशत राजसहायता दी जाएगी। मैं उनसे पूछना चाहूँगा कि इस पर 100 प्रतिशत राज सहायता क्यों न दी जाए और केवल 50 प्रतिशत राजसहायता ही क्यों दी जाए। उन्हें मुफ्त दीजिए। आप केवल एक बार उन्हें देंगे। रबी के बीजों पर 50 प्रतिशत की राजसहायता देकर राज्य सरकार यह कंजूसी का रवैया क्यों अपना रही है? यदि वह नहीं दे सकते हैं, तो वह भारत के कृषि मंत्रालय से कम से कम एक बार यह मुफ्त देने के लिए क्यों नहीं कहते हैं।

अब मैं नकदी फसलों पर आता हूँ। एक फूल, केवड़ा खुशबु देता है। यह एक छोटा पौधा है जो कि बहुतायत पाया जाता है। मैंने कार्यबल के चेयरमैन से अनुरोध किया था, मैंने उन्हें यह कहते हुए एक पत्र भी लिखा था कि एक कृषि विशेषज्ञ के साथ एक अन्य कार्यबल तत्काल वहाँ भेजा जाना चाहिए और यह देखना चाहिए कि यह झाड़ियाँ बढ़े। यह बैम्बू परिवार के हैं और मुझे विश्वास है कि तत्काल कुछ कार्य किया जा सकता है ताकि केवड़ा के फूल का पौधा और अर्क निकालने वाले पौधे बड़ सके। उन अर्क निकालने वालों को पैसा दिया जाना चाहिए क्योंकि वह केवड़ा सुगन्धों का निर्यात करते हैं।

पान, सुपारी के संबंध में मैंने गंजम चक्रवात के दौरान पहले भी कहा था कि इससे कैसे निपटा जाए। इस बात को देखने की तत्काल आवश्यकता है कि पान की बेल, सुपारी, नारियल और केले की पैदावार बढ़ाने पर सही मायनों में ध्यान दिया जाए। भारत सरकार को ऐसा करना चाहिए। मझे विश्वास है कि उड़ीसा सरकार इस समस्या को सुलझा नहीं पाएगी।

अन्त में, मैं रोजगार सृजन कार्यक्रम के संबंध में कहूँगा। भारत सरकार ने पहले भी और अभी हाल ही में रोजगार सृजन कार्यक्रम को आरम्भ किये जाने के संबंध में घोषणा की है। रोजगार सृजन कार्यक्रमों को आरम्भ करने के लिए, आवास निर्माण के मामले पर भी विचार करना चाहिए। 'हडको' को भारत सरकार द्वारा 190 करोड़ रु. की धनराशि दी गई है ताकि वे उन लोगों के लिए आवास का निर्माण कर सके जिनके नाम गरीबी की रेखा से नीचे आने वाले लोगों की सूची में हैं, लेकिन उन लोगों का क्या होगा जिनके नाम गरीबी के रेखा से ऊपर आने वाले लोगों में है और उनके घर नष्ट हो गए हैं और वह अपने घर नहीं बना सकते हैं। मैं भारत सरकार से अपील करता हूँ कि वे ऐसे उपाय करें जिससे बैंक उन लोगों को कम ब्याज, पर चार प्रतिशत अथवा छ: प्रतिशत की दर पर ऋण दे सकें जो कि अपने घर बनाने के इच्छुक हैं। वह ऋण लेकर पुन: अपने घरों का निर्माण करना चाहते हैं। इन शब्दों के साथ, मैं अपना भाषण समाप्त करता हूँ।

श्री हन्नान मोल्लाह (उलूबेरिया): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हम बहुत ही गंभीर प्रकृति के चक्रवात पर चर्चा कर रहे हैं जो कि इस देश में बहुत ही भयंकर रूप में आया है।

महोदय, जैसा कि हमने देखा है, इस तूफान ग्रस्त क्षेत्र में बार-बार तूफान आए हैं। पिछले 176 वर्षों में, हमारे देश के इस हिस्से में लगभग 22 बार तूफान आया। विगत में लाखों लोग प्रभावित हुए थे और हजारों लोग मारे गए थे। तूफान ग्रस्त क्षेत्र और नुकसान की दृष्टि से यह इस क्षेत्र में अब तक का सबसे भीषण तूफान है।

महोदय, जैसा कि पूर्व वक्ताओं द्वारा पहले उल्लेख किया गया है, यह 300 किलोमीटर की हवा के वेग से आया चक्रवात अभूतपूर्व था और ऐसा तूफान पहले कभी नहीं आया था। पहले चेतावनी दिए जाने के बावजूद प्रशासन इस स्थिति से निपटने के लिए तैयार नहीं हो सका। यद्यपि इतनी भयंकर आपदा से निपटना पूर्णत: सम्भव नहीं है, प्रशासन की अकुशलता और ढील एक ऐसा अनुभव है जिसे भविष्य के लिए ध्यान में रखा जाना चाहिए क्योंकि ऐसे चक्रवात दुबारा आ सकते हैं। यहाँ तक कि इस बात की भी चेतावनी दी गई है कि दिसम्बर माह के मध्य में भी इस तरह का चक्रवात आ सकता है।

दूसरा, क्षति का अंकन भी पहले से ही किया जा चुका है। मेरे मित्र तथा पार्टी के प्रतिनिधियों ने समूचे क्षेत्र का दौरा किया है और राहत, बचाव तथा पुनर्वास कार्य के लिए दिन और रात काम कर रहे हैं। कुछ प्रश्नों को ध्यान में रखना चाहिए। मैं अपने मित्र, श्री अनादि साहू के सुझाव से सहमत हूं कि मौसम विभाग के पास कुछ बातों का पता लगाने के लिए और उपयुक्त समय पर इसका निर्णय लेने के लिए कोई बेहतर कार्यप्रणाली होनी चाहिए ताकि लोगों को भी ऐसी बातों की जानकारी हो सके और वह अपना ध्यान रख सकें।

उड़ीसा में प्रचुर मात्रा में सम्पदा के होने पर भी एक निर्धनतम राज्य हैं और इसमें अत्यधिक निर्धन लोग रहते हैं। अनेक दशकों से इस देश के उस भाग का यही भाग्य है। हम नहीं जानते कि ऐसा क्यों हैं, हो सकता है उपयुक्त प्रशासन की कमी के कारण ऐसा हो। महोदय, जैसा कि आप जानते हैं, कुछ भाग सूखे के कारण निरन्तर कष्ट उठा रहे हैं और यह भाग तूफान के कारण समस्याओं का सामना कर रहा है।

इन निर्धनतम लोगों का बड़ा हिस्सा-उड़ीसा के 60 प्रतिशत व्यक्ति, गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं-कृषि पर निर्भर है। ज्यादातर लोग गरीब और सीमांत किसान हैं और सबसे ज्यादा संख्या खेतिहर मजदूरों की है। वे अपनी मेहनत से केवल पेट भरने लायक ही कमा पाते हैं। इस चक्रवात ने चावल की फसल का लगभग 50 प्रतिशत भाग नष्ट कर दिया है और इसका मूल्य लगभग 17.55 बिलियन रुपये था। ये लोग किस प्रकार बच पाएंगे? जो कुछ नष्ट हुआ है वो तो हुआ ही है। अगली फसल को प्राप्त करने के लिए क्या योजना बनाई जाए। यही उस राज्य के कृषि पर निर्भर करने वाले लोगों के समक्ष उपस्थित प्रमुख मुद्दों में एक मुद्दा है।

दूसरी बात, समुद्रतटीय क्षेत्र, जोकि घनी आाबादी वाला क्षेत्र है, में अधिकांश लोग मछली पालन और समुद्र में मछली पकड़ने पर आश्रित हैं। उनकी मछली पकड़ने की नौकाएँ और मकान नष्ट हो गए हैं। नौकाओं सहित उनकी मछली पकड़ने वाली सामग्री नष्ट हो गई है। यदि समुद्रतट पर रहने वाले उन लोगों को, मछुआरों को तत्काल सहायता नहीं उपलब्ध कराई जाती है तो आने वाले समय में उनके सम्मुख अस्तित्व का ही खतरा उपस्थित हो जाएगा। यह चिन्ता का एक अन्य विषय है जिसे ध्यान में रखा जाना चाहिए।

महोदय, 10,000 लोग मारे गए हैं परन्तु आकलन 20,000 से 50,000 तक की संख्या दर्शा रहे हैं। हम वास्तविक संख्या को नहीं जानते हैं। मेरे विचार से हमें इसे निर्वाचकों की सूची से पता लगाना चाहिए। अन्यथा हम वहाँ पर रहने वाले लोगों की पहचान नहीं कर पाएंगे। कई लोगों के नाम उसमें भी नहीं होंगे।

उपाध्यक्ष महोदय: श्री हन्नान मोल्लाह, कृपया अध्यक्षपीठ को संबोधित करें।

श्री हन्नान मोल्लाह: चुनाव आयोग यदि सरकारी अभिलेख में निर्वाचकों की सूची है तो हमें उससे वहाँ पर रहने वाले लोगों का पता लगाना होगा क्योंकि दर्जनों गांवों का अस्तित्व ही समाप्त हो गया है। उन गांवों का कोई निशान नहीं बचा है। यदि आप वहाँ पर जाएंगे तब भी आपको उन गांवों का नामो-निशान नहीं मिलेगा। इसलिए आप इस बात का पता किस प्रकार लगाएंगे कि उन गांवों में कितने लोग रह रहे थे? इसलिए आपको इस बात का पता लगाना होगा कि वास्तव में कितने लोगों की मृत्यु हुई है और तदनुसार हम उनके नजदीकी रिश्तेदारों को मुआवजा प्रदान कर सकते हैं और अन्य लोगों को भी सहायता प्रदान कर सकते हैं।

[श्री हन्नान मोल्लाह]

इन सभी 14 जिलों में चावल के अलावा नारियल, काजू और मूँगफली की फसलें भी नष्ट हो गई हैं। अगली फसल रबी की फसल है। जैसाकि पहले उल्लेख किया जा चुका है समुद्रतटीय भूमि के भीतर 30 किलोमीटर तक समुद्र का पानी आ गया है और ऐसी भूमियों का एक बड़ा हिस्सा खारे पानी से प्रभावित हो गया है। अगली फसल को उगाना अत्यधिक कठिन होगा। हम भूमि के खारेपन को दूर करने की बात को राज्य सरकार पर नहीं छोड़ सकते हैं। यह एक राष्ट्रीय आपदा है। हमारे राष्ट्र के उस हिस्से को, हमारे देश के उस हिस्से को फिर से बनाने के लिए, पूरे देश को उत्तरदायित्व लेना होगा।

इसलिए, ऐसा किस प्रकार किया जाए, यह प्रश्न है। विलवणीकरण किस प्रकार किया जाए और बीजों की और ऋणों की पर्याप्त आपूर्ति के साथ कम से कम रबी फसल को किस प्रकार प्राप्त किया जाए, ये सारे प्रश्न अनुत्तरित हैं। बीजों की आपूर्ति और ऋण अत्यंत महत्वपूर्ण विषय हैं। केन्द्र सरकार को, राज्य सरकार, गैर-सरकारी संगठनों और अन्य संगठनों की सहायता से अपनी पूरी शक्ति लगानी चाहिए और हमें इस बात का पता लगाना होगा कि हम किस प्रकार इस समस्या का सामना कर सकते हैं।

मुझे अत्यंत खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि जो उड़ीसा या दिल्ली में सत्तासीन है, वे इससे राजनीतिक लाभ लेना चाहते हैं क्योंकि विधान सभा के चुनाव नजदीक आ रहे हैं। यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। जब हमारे देश के एक भाग पर खतरा मंडरा रहा है, जब वे मर रहे हैं और कष्ट झेल रहे हैं तब हमें एकजुट होकर, साथ मिलकर इस समस्या के समाधान के लिए कार्य करना चाहिए। यह अत्यन्त महत्वपूर्ण है।

जैसाकि यहाँ पर इस बात का उल्लेख हो चुका है, केन्द्र सरकार के मंत्री कई वक्तव्य दे रहे हैं और चुनावी हथकंडे अपना रहे हैं। यह दुर्भाग्यपूर्ण है, जो लोग राज्य सरकार को चला रहे हैं, वे लोग मिलकर समस्या से निपटने के स्थान पर, आपस में लड़ रहे हैं। इससे उनकी छवि धूमिल होगी। जब पूरा देश इस समस्या से चिन्तित है तब राज्य के सत्तासीन लोग एक साथ मिलकर इस चुनौती का सामना करने के बजाय आपस में लड़ रहे हैं। यह दुर्भाग्यपूर्ण है। कोई भी इस प्रकार का व्यवहार करता है तो वह अपराध करता है। इसलिए, ऐसे व्यवहार से बचना चाहिए और उन्हें समस्या के समाधान के लिए अधिकतम प्रयास करना चाहिए।

अब मैं चक्रवात से हुए नुकसान और जिम्मेदारी लेने के प्रश्न पर आता हूं।

अपराह्न 4.00 बजे

हम इसे राज्य सरकार के जिम्मे नहीं छोड़ सकते हैं। राज्य सरकार कार्य कर रही है। उनके द्वारा प्रयास किये जाने के पहले और बाद भी, उनकी कमजोरियां स्पष्ट है। मैं यह भी समझता हूँ कि दो प्रशासनिक केन्द्र हैं। भुवनेश्वर और कटक और ये दोनों पूरी तरह विनष्ट और बर्बाद हो गए है। वहाँ पर तत्काल कार्य को आरम्भ करने में कठिनाई है। हम इस बात को समझते हैं। हमें राजनीतिक उद्देश्यों के लिए दोषारोपण नहीं करना चाहिए। परन्तु दो सप्ताह के बाद, अब हमें सामाजिक संगठनों और राजनीतिक संगठनों को साथ लेकर हमारी प्रशासनिक मशीनरी को चुस्त-दुरुस्त बनाना चाहिए।

अन्य प्रश्न पारिस्थितिकीय संतुलन का प्रश्न है जोकि पूरी तरह नष्ट हो गया है। चक्रवात के कारण पारिस्थितिकीय संतुलन नष्ट हो गया है। यदि हम इसे ठीक नहीं करते हैं तो भविष्य में भी ऐसी घटनाएं हो सकती है। इसलिए, हम इससे किस प्रकार निपट सकते हैं। केन्द्र सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय को इन समुद्रतटीय क्षेत्रों में भारी मात्रा में वनीकरण कार्यक्रम और मैंग्रूव और अन्य पौधों का पौधारोपण करना चाहिए। इसे तत्काल किया जाना चाहिए। राज्य सरकार और केन्द्र सरकार को साथ मिलकर पंचवर्षीय योजना को तैयार करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कम से कम दो या तीन वर्षों के भीतर हमें पारिस्थितिकीय संतुलन को कुछ हद तक सुधारना चाहिए जिससे कि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके।

यह एक दूसरी समस्या है। एक करोड़ साठ लाख के करीब विभिन्न किस्म की पशु सम्पदा नष्ट हो गई या मर गई है। यह एक बड़ी मात्रा है। छोटे और सीमान्त किसानं इन पशुओं की शक्ति का उपयोग हल जोतने और कृषि संबंधी कार्यों के लिए करते हैं क्योंकि समृद्ध किसान ट्रैक्टर या अन्य उपकरणों का उपयोग करते हैं। परन्तु गरीब और सीमान्त किसान अपनी गायों, बैलों और भैसों पर निर्भर रहते है जोकि सारे मारे गए हैं। तब वे अपनी भूमि को किस प्रकार जोत सकते हैं? सबसे पहले, उन्हें अपनी भूमि को विलवणित करना होगा और फिर उन्हें अपनी भूमि को जोतना होगा। वे ऐसा किस प्रकार कर पाएंगे? केन्द्र सरकार को भी हस्तक्षेप करना चाहिए। परन्तु वे उड़ीसा में गायों को कहाँ से लाएंगे? उन्हें देश के अन्य भागों से लाना होगा। केन्द्र सरकार इसकी व्यवस्था कर सकती है और ऐसा किया जाना चाहिए। इसके साथ ही, स्वचालित हल और अन्य ट्रैक्टरों की भी व्यवस्था की जानी चाहिए जिससे कि रबी की फसल के दौरान इस नुकसान की भरपाई की जा सके।

जैसाकि मैं पहले उल्लेख कर चुका हूँ, एक और समस्या बिजली की है। केवल कुछ शहरों में इसे आंशिक रूप से ठीक किया गया है। सभी ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली नहीं है। ए.ई.एस निगम सरकार की सहायता के लिए आगे आया है। ये क्या करेंगे? उन्होंने कहा है कि यदि सरकार जिम्मेदारी नहीं लेती है तो हम बिजली-दरों में तिगुनी वृद्धि कर देंगे। यदि ए.ई.एस निगम, एक अमरीकन कम्पनी, यदि बिजली दरों में तिगुनी वृद्धि कर देती है तो वे इसका भुगतान कैसे करेंगे? ऐसा इसलिए क्योंकि पहले से ही वे कष्ट उठा रहे हैं और उनके पास कुछ भी नहीं है। यह चिन्ता का एक दूसरा विषय है। केन्द्र सरकार और राज्य सरकार समुचित विद्युत वितरण और प्रसारण को किस प्रकार सुनिश्चित करेगी? यह चिन्ता का एक दूसरा क्षेत्र है जिस पर मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

चिन्ता का दूसरा विषय दूरसंचार है। यद्यपि श्री सिकंदर और श्री पासवान कह रहे हैं कि दूरसंचार प्रत्येक गांव तक पहुंचेगा, परन्तु इसका उड़ीसा के गांवों तक पहुंचना मुश्किल है। इसीलिए कम से कम समय में चरणबद्ध ढंग से इन चौदह जिलों को किस प्रकार दूरसंचार के कार्यक्षेत्र में ला सकते हैं, इसके लिए कोई मास्टर प्लान होना चाहिए। पहले उन्हें ब्लाक स्तर के नगरों को दूरसंचार के कार्यक्षेत्र में लाने का प्रयास करना चाहिए और इसके बाद उन्हें गांवों तक पहुंचने का प्रयास करना चाहिए। इसीलिए केन्द्र सरकार को इस तरह की कोई योजना तुरन्त बनानी चाहिए।

चिन्ता का अगला विषय पाराद्वीप बन्दरगाह है। यह बन्दरगाह न केवल उड़ीसा राज्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है अपितु यह पूरे पूर्वी क्षेत्र के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण है। इस बन्दरगाह से कई वस्तुओं का आयात और निर्यात होता है। इसलिए, इस बन्दरगाह का शीघ्र पुनर्निर्माण किया जाना चाहिए अपितु इसको शीघ्र ही पुनर्प्रचलन में लाया जाना चाहिए। इस हेतु भी मैं सरकार से तुरन्त कोई योजना बनाने का अनुरोध करता हूँ।

कुछ क्षेत्रों में रेलवे लाइन की मरम्मत कर दी गई है परन्तु रेलें बिना सिग्नलों के ही चल रही है। चालकों से सामने देखकर रेलों को चलाने के लिए कहा गया है। यदि उन्हें कोई बाधा दिखाई देती है तो उन्हें रेल को स्वयं ही रोकना होगा।

इस प्रकार वे रेलगाड़ियां सिग्नलों के बिना अपने स्वयं के निर्णय से चला रहे हैं क्योंकि सिग्नल प्रणाली क्षतिग्रस्त हैं। काफी क्षेत्रों में रेल लाइन और अन्य चीजों की मरम्मत नहीं की गई है। यह आधारभूत क्षेत्र है जिनकी तुरन्त मरम्मत किये जाने की आवश्यकता है ताकि स्थानीय प्रशासन इसका उपयोग कर सके और प्रभावित लोग उसका लाभ प्राप्त कर सकें।

चिन्ता का अगला विषय महामारी की समस्या है। हमें मलेरिया, हैजा और आन्त्रशोध जैसी महामारियों के फैलने की रिपोर्टें मिली है। इनसे 90,000 लोग पहले से प्रभावित हो चुके हैं और कुछ लोग मर भी गए हैं। इसका कारण है कि अस्पताल और स्वास्थ्य केन्द्र ठीक प्रकार से कार्य नहीं कर रहे हैं। अत: हमें पता लगाना होगा कि इस चुनौती का मुकाबला हम किस प्रकार कर सकते हैं। यदि युद्ध स्तर पर पर्याप्त और प्रभावी उपाय नहीं किये जाते हैं तो प्रत्येक आपदा के बाद महामारी फैलती है। इसलिए मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि सरकार भी योजना का विस्तार से ब्यौरा दें।

निर्णयों को शीघ्रतापूर्वक कार्यान्वित करने और निगरानी करने के लिए हमें कुशल लोगों और कार्मिकों की आवश्यकता है। अत: योग्य लोगों की आवश्यकता भी है। सरकार को पता लगाना होगा कि किस प्रकार कम समय के अन्दर समुचित रूप से कार्य क्रियान्वित करने और उनकी निगरानी हेतु प्रभावी श्रम शक्ति उपलब्ध कराई जा सकती है।

नन्दन और अन्य चिड़ियाघरों में लगभग सभी पशु मर गए हैं। जो पशु बच गए हैं उन्हें भोजन नहीं मिल रहा है। अत: सरकार को देखने के लिए तुरन्त हस्तक्षेप करना चाहिए कि उन चिड़ियाघरों को किस प्रकार पुन: बनाया जा सकता है और पशुओं को बचाया जा सकता है।

बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में हमारी सेना, नौसेना और वायुसेना ने अभूतपूर्व कार्य किया है। जब वर्दी पहने वाले व्यक्ति ईमानदारी से चुनौती का सामना कर रहे हैं तो मैं आशा करता हूँ कि उनके पीछे रहने वाले लोगो को भी उसी भावना के साथ काम करना चाहिए। उन्हें वर्दी पहने लोगों के प्रयासों का राजनीतिकरण करने का प्रयास नहीं करना चाहिए ताकि वे बेहतर तरीके से काम कर सकें।

जब प्रधानमंत्री को वहां जाना था तो मुझे बताया गया कि उनके लिए किये गये प्रबन्ध इतने खराब थे कि उनके लिए कोई विमान सेवा उपलब्ध नहीं थी। उन्हें हवाई अड्डे पर ही इन्तजार करना पड़ा और उन्हें मजबूर होकर देर रात की उड़ान में जाना पड़ा। वह शाम को वहां पहुंचे थे। रात को अंधेरे में उन्हें कुछ दिखाई नहीं दिया। प्रभावित क्षेत्रों के प्रधानमंत्री

[श्री हन्नान मोल्लाह]

के दौरे को इस प्रकार संचालित किया जाता है, यह केन्द्र सरकार के दृष्टिकोण को दर्शाता है। हमें हमेशा दुहाई दी जाती है कि पूर्व क्षेत्र को क्षति हो रही है। जब पूर्व क्षेत्र में समस्या होती है, जब पूर्व क्षेत्र के लोग सहते है चाहे वह उड़ीसा के हों बिहार के हों अथवा पश्चिम बंगाल के हों अथवा पूर्व क्षेत्र में अन्य क्षेत्र के लोग उन क्षेत्रों में कम ध्यान देते हैं।

यह पूर्व क्षेत्र में रहने वाले लोग की शिकायत है ऐसा बार बार हो रहा है। मैं समझता हूं यह निर्दयता समाप्त होनी चाहिए। जब इस क्षेत्र में गम्भीर समस्या हो तो उसको इस प्रकार निपटना अपराध है।

मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि तत्काल वित्तीय सहायता दी जाए लेकिन यह सहायता केवल सहायता के रूप में न हो यह अनुदान के रूप में हो, अनुदान अधिक देना चाहिए। सहायता के नाम से आपको कल उस धन की वसूली नहीं करनी चाहिए जिसे आपने ऋण की अग्रिम राशि के रूप में दिया है।

महामारी रोकने के लिए आपको विशेष कदम उठाने चाहिए। पेयजल की सबसे बड़ी समस्या है। सरकार को शुद्ध पेयजल की व्यवस्था करने के लिए तत्काल कार्यवाही करनी चाहिए। उस क्षेत्र में जलापूर्ति की समस्या पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए।

मैंने बीजों के बारे में भी बताया है। रबी की फसल का भी ध्यान रखा जाए और समुचित मात्रा में बीज तथा आसान शर्तों पर ऋण दिये जाएं।

मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह काम के बदले अनाज कार्यक्रम शुरू करे। 1978 की बाद में हमने देखा था कि 'काम के बदले अनाज' कार्यक्रम के बहुत अच्छे परिणाम रहे थे। गरीब लोग तुरन्त खाना चाहते थे यदि उन्हें काम करने के बदले खाना दिया जाता है तो पुनर्निर्माण के साथ-साथ उनका अस्तित्व भी बना रहेगा और विकसित होगा। अत: इन बातों के आधार पर मैं अनुरोध करता हूं कि 'काम के बदले अनाज' कार्यक्रम को जोरदार तरीके से आरम्भ किया जाए।

आवास क्षेत्र के बारे में तबाही से बचाव करने वाले मकानों के संबंध में कुछ बातचीत चल रही है हमें उचित प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए योजना बनानी है कि भविष्य में यदि हमें ऐसी आपदा का सामना करना पड़े तो हम किस प्रकार ऐसे तबाही से बचाव करने वाले मकान और भवन बना सकते हैं। हुडको ने इस मामले में कार्यवाही की है लेकिन हमें अधिक मदद की आवश्यकता है क्योंकि नुकसान अधिक हुआ है और 190 करोड़ रुपये में अधिक कार्य नहीं किये जा सकते हैं। नुकसान की तुलना में यह राशि केवल अल्पांश है।

शिक्षा पर चर्चा करते हुए मुझे खेद है कि उड़ीसा में शिक्षा को पुराने स्तर पर लाने में दस साल लगेंगे। वे पिछड़ जाएंगे क्योंकि सभी कालेज और स्कूल बन्द कर दिये गये हैं। वहां पढ़ाई नहीं हो रही हैं। सभी संस्थाएं बन्द हैं और अगामी महीनों में कोई परीक्षा नहीं ली जाएगी। उन हजारों और लाखों विद्यार्थियों का क्या होगा? आपको तुरन्त कोई योजना बनानी चाहिए ताकि शिक्षा का कार्य शुरू हो सके। अस्थायी शैड बनाकर ही तुरन्त कालेज और स्कूल भवन खोले जा सकते हैं। अस्थायी शैडो में ही क्लासें लेनी आरम्भ की जा सकती हैं। बाद में दीर्घकालिक कार्यक्रम बनाकर आप बेहतर तरीके से उन सभी संस्थाओं का पुनर्निर्माण कर सकते हैं।

मैं पहले ही अस्पतालों के बारे में कह चुका हूं। अस्पतालों और स्वास्थ्य केन्द्रों का तुरंत पुनर्निर्माण किया जाना चाहिए। वह भी एक अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्र है। इस संबंध में व्यापक पैमाने पर कार्य किया जाना चाहिए।

कई क्षेत्र हैं जहां केन्द्र और राज्य दोनों को एकजुट होकर कार्य करना चाहिए और गैर सरकारी संगठनों और अन्य संगठनों को एक जगह जुटाना चाहिए। हम दूसरे देशों को भी उनकी सहायता के लिए अनुरोध कर सकते हैं। रूस, टर्की और कई अन्य देशों में जब भी राष्ट्रीय आपदा आती है तो विदेशी सहायता दी जाती है। लेकिन मैं नहीं जानता हमारे देश में क्या हो रहा है। मुझे बताया गया है कि हमारा विदेश मंत्रालय बीच में खड़ा है। कुछ लोग और कुछ देश सहायता करने को तैयार हैं। लेकिन हमारा विदेश मंत्रालय बाधा उत्पन्न कर रहा है। मैं नहीं जानता यह सत्य है अथवा झूठ है। यदि यह बात सही है तो यह गलत हो रहा है और उन्हें स्पष्ट करना चाहिए हम सरकार से अनुरोध करते हैं कि वह धनराशि को काम में लाए। जैसाकि पहले भी कहा गया है कि माननीय प्रधान मंत्री को पूरे विश्व को अपील करनी चाहिए कि जो भी देश इस विनाश के पश्चात् उड़ीसा के पुनर्निर्माण में आगे आना चाहे उसका स्वागत है। इस प्रकार नए उड़ीसा का पुनर्निर्माण किया जा सकता है और इस अभिशाप को वरदान में बदला जा सकता है। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह इस प्रकार से इस समस्या पर ध्यान दें।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं समाप्त करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यगण, चूंकि सभा में सभापति तालिका का कोई भी सदस्य उपस्थित नहीं है अत: यदि सभा सहमत होती है तो मैं वरिष्ठ सदस्य श्री बसुदेव आचार्य को पीठासीन होने के लिए बुलाता हूँ।

कई माननीय सदस्य: जी हां।

अपराह्न 4.15 बजे

(**श्री बसुदेव आचार्य** *पीठासीन हुए*)

प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेश्वरलु (तेनाली): सभापति महोदय, यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि उड़ीसा राज्य में लगातार दो बार पहली बार 17 और 18 अक्तूबर, 1999 को तथा उसके तुरंत बाद 29 अक्तूबर 1999 को तूफान आया। मेरे विचार से यह उड़ीसा राज्य में आई सबसे अप्रत्याशित और अभूतपूर्व तबाही है जहां पर इतनी भारी तबाही हुई है कि जिसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। लोग कहते हैं पिछले सौ वर्षों में विशेष कर उड़ीसा में इस प्रकार की तबाही कभी नहीं हुई। मूसलाधार वर्षा, 300 कि.मी. प्रतिघंटा की रफ्तार से चल रही तीव्र हवाओं और अभूतपूर्व समुद्री लहरों ने मिलकर राज्य में ऐसी भीषण तबाही मचाई कि इसने लोगों को भारी परेशानी पैदा की, फसल नष्ट हो गई और इस प्रकार राज्य का पारिस्थितिकीय संतुलन बिगड़ गया।

सभा के समक्ष आंकड़े रखे गए हैं कि इस तबाही से 1.6 करोड़ से अधिक जनसंख्या, 20000 गांव और 12 जिले प्रभावित हुए हैं। 21.5 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में फसल बर्बाद हुई और 22 लाख से अधिक मकान नष्ट हुए हैं। 10,000 से अधिक लोगों की जानें गई है और 1.6 करोड़ पशु मारे गए हैं। यह क्षति किसी एक राज्य विशेष की क्षति नहीं है यह वास्तव में सारे देश की क्षति है।

हमें केन्द्र सरकार को समय के अनुरूप कदम उठाने, इसे राष्ट्रीय आपदा घोषित करने और कई तरीके से अपनी सहायता देने के लिए बधाई देनी चाहिए। हालांकि राज्य सरकार ने भी राहत प्रदान करने के लिए तत्काल कदम उठाए तथापि लोगों के मन में यह भावना है कि मैं किसी प्रकार के विवाद में नहीं पड़ रहा हूँ-राज्य सरकार के अधिकारियों और तंत्र ने आवश्यकता के समय अपेक्षित सहायता नहीं की और राज्य सरकार समय के अनुरूप कार्य नहीं कर सकी। तथापि राज्य सरकार और केन्द्र सरकार के बीच विवाद का विषय बनता जा रहा। विशेष मुद्दा कि केन्द्र सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई सहायता का राज्य सरकार समुचित उपयोग नहीं कर सकी और इसे पीड़ित लोगों तक उचित ढंग से नहीं पहुंचाया जा सका है, इस समय सही दिशा में उठाया गया सही कदम नहीं है। मैं इस मुद्दे के गुणावगुण में नहीं जा रहा हूँ किंतु पीड़ितों तक इस प्रकार का संदेश नहीं पहुंचना चाहिए केन्द्र सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई सहायता है किंतु वह पीड़ितों या लोगों तक नहीं पहुंच रही है। यह अच्छा संदेश नहीं है। भारतीय के रूप में हम पहले एकजुट होकर और पूरे देश की टीम के रूप में सभी लोगों की परेशानियों को देखेंगे।

महोदय, यह जानकर संतोष होता है कि भारत सरकार ने तुरंत कार्यबल का गठन किया। केन्द्र सरकार ने सशस्त्र सेनाओं को उड़ीसा सरकार को सौंपा और रक्षा मंत्रालय द्वारा राज्य में "आपरेशन सहायता" चलाया गया। केन्द्र सरकार ने अनेक कदम उठाए किंतु मैं विस्तार में जाना नहीं चाहता हूँ। उन्होंने इन आपरेशनों को चलाने के लिए सेना की 35 टुकड़ियां और 5000 जवान राज्य में भेजे हैं।

केन्द्रीय सहायता का विशेष मुद्दा वास्तव में हर किसी को चुभता है। मैं वास्तविक स्थिति नहीं जानता हूँ। जब प्रधान मंत्री ने राज्य का दौरा किया तो उन्होंने कुल 950 करोड़ रुपये की राहत राशि की घोषणा की जिसमें 450 करोड़ रुपये अग्रिम योजना सहायता और 500 करोड़ रुपये आपदा राहत राशि के रूप में दी गई। यह बताती है कि भारत सरकार समय के अनुरूप कार्य कर सकती है किंतु दुर्भाग्यवश कई सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा भेजे गए राहत दलों को राज्य सरकार के अधिकारियों ने भगा दिया है। एक उदाहरण है कि पुरी के आयुक्त ने नेवेली लिग्नाइट निगम द्वारा भेजे गए चिकित्सा दल को वापस भेज दिया है। जब कोयला और खान विभाग के अपर सचिव ने पुरी के आयुक्त से बात की तो उन्होंने पुष्टि की कि उन्हें किसी चिकित्सा दल या किसी प्रकार के सामुदायिक भोजनालय की स्थापना की आवश्यकता नहीं है। जब कोई राज्य को कुछ सहायता राशि भेजता है चाहे यह केन्द्र सरकार हो या अन्य राज्य सरकारें यह पीड़ितों तक नहीं पहुंच सकी है और यह एक विशेष मुद्दा है जो अनेक लोगों के मन में वेदना पैदा कर रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए।

इसके अलावा मैं यहां आंध्र प्रदेश राज्य सरकार द्वारा दी गई सहायता का अवश्य उल्लेख करूंगा और हमारे मुख्यमंत्री श्री चन्द्रबाबू ने अवसर के अनुसार कार्य किया, उसी दिन अर्थात

[प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेश्वरलु]

30 अक्तूबर को उन्होंने राहत दल भेजे और 31 अक्तूबर को हमारे राहत दल बरहामपुर पहुंच गए। उन्होंने अवसर के अनुसार कार्य किया और हमारे पूर्व राहत आयुक्त को बरहामपुर भेजा और उसके तुरंत बाद पुलिस महानिदेशक को भेजा। यह बात वास्तव में प्रशंसनीय है कि अनेक कठिनाइयों के बावजूद हमारे अधिकारी सबसे पहले बरहामपुर पहुंचे।

श्री त्रिलोचन कानूनगो: उन्होंने कानून और व्यवस्था बनाए रखी।

प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेश्वरलु: बरहामपुर पहुंचने पर आंध्र प्रदेश राज्य सरकार के अधिकारियों ने विभिन्न विभागों के कार्यकलापों में समन्वय स्थापित करने के लिए नियंत्रण कक्ष स्थापित किया और उड़ीसा में राहत उपलब्ध कराने वाले वे पहले लोग थे। जब 201755 नम्बर का एक टेलीफोन स्थापित किया गया। मुख्यमंत्री उनसे लगातार संपर्क कर रहे थे और उन्हें राहत उपलब्ध कराने के लिए निर्देश दे रहे थे। राहत आयुक्त 1 नवम्बर को भुवनेश्वर भी गए और मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव व राज्य राहत आयुक्त से भी मुलाकात की।

सभापति महोदय: प्रो. वेंकटेश्वरलु आपको लिखित सामग्री से नहीं पढ़ना चाहिए।

प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेश्वरलु: महोदय, मैं पढ़ नहीं रहा हूँ; मैं केवल कुछ आंकड़े बता रहा हूँ। अत: हमारे राहत आयुक्त ने मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव और उड़ीसा राज्य के राहत आयुक्त से समन्वय स्थापित किया और सभी राहत उपायों की योजना बनाई।

महोदय, इसी तरह पुलिस महानिदेशक तत्काल उड़ीसा पहुंचे और पुलिस विभाग ने पारादीप में लगभग 92 पुलिसकर्मी, कालिंग में लगभग 30 पुलिसकर्मी, कटक में लगभग 90 पुलिसकर्मी तैनात किये और कटक में 93 पुलिसकर्मी और तैनात किए गए। संचार विभाग के कर्मचारी जिनमें से कुछ उड़ीसा के भी थे, वहां भेजे गए। कुल मिलाकर, उड़ीसा के विभिन्न जिलों में राहत कार्यों के लिए लगभग 460 पुलिस कर्मी तैनात किए गए।

उड़ीसा के लिए बहुत सारी राहत सामग्री भेजी गई। आंध्र प्रदेश के सड़क और भवन विभाग ने सड़क साफ करने के लिए वहां अपना दल और सोकेटिंग मशीन आदि भेजे जिस पर 43 लाख रुपये का व्यय आया। उन दो-तीन दिनों में आंध्र प्रदेश के सड़क और भवन विभाग के 268 लोग दिन-रात सड़क साफ करने में लगे रहे। इस आपदा के अगले दिन ही 11,57,000 रुपये मूल्य की दवाएं वहां भेजी गई। दूसरे दिन फिर 4,14,000 रुपये मूल्य की दवाएं वहां भेजी गई। उसके बाद इस तबाही के तीसरे दिन नागरिक आपूर्ति विभाग के कर्मचारियों को पोलीथीन तिरपाल, पोलीथीन बैग, गुड़, बिस्कुट आदि के साथ उड़ीसा भेजा दिया। इन सब पर 2,52,44,551 रुपये का व्यय आया।

बाद में विद्युत सौध अर्थात आंध्र प्रदेश परिवहन तथा विद्युत विभाग में कार्यरत 900 कर्मचारियों को विद्युत आपूर्ति बहाल करने के लिए उड़ीसा भेजा गए। इस पर 74 लाख रुपये का व्यय आया ...*(व्यवधान)*

श्री राजेश पायलट (दौसा): महोदय, मैंने समाचार पत्र में पढ़ा है और मेरे सहयोगी भी कह रहे हैं कि उनकी राज्य सरकार ने दवाईयां और जनशक्ति उपलब्ध कराई है। अब क्या यह भी सच है कि उन्होंने उड़ीसा की सरकार को आठ करोड़ रुपये मूल्य के बिल भेजे हैं?

प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेश्वरलु: बात बिलों की नहीं है।

श्री राजेश पायलट: मैं जानकारी प्राप्त करना चाहता हूं। मेरा प्रश्न अत्यन्त साधारण है। क्या यह सच है जिसे मैंने समाचार पत्र में पढ़ा है कि आंध्र प्रदेश सरकार ने उड़ीसा सरकार को आठ करोड़ रुपये के बिल भेजे हैं? यह सच है अथवा झूठ है?

प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेश्वरलु: यह केवल सहायता है जो उड़ीसा राज्य को आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा दी गई थी।

श्री राजेश पायलट: मैं आपके साथ सहमत हूं। हम उसके लिए आभारी हैं। उससे अधिक हम एहसान मानते हैं। लेकिन क्या यह सच है कि उड़ीसा सरकार को आंध्र प्रदेश की सरकार द्वारा आठ करोड़ रुपये का बिल भेजा गया है?

प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेश्वरलु: नहीं।

श्री माधवराव सिंधिया: वे कुछ भी भेजे। किंतु उन्हें बिल नहीं भेजना चाहिए।

प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेश्वरलु: महोदय, उड़ीसा राज्य को आंध्र प्रदेश सरकार से यही सहायता प्राप्त हुई थी।

सभापति महोदय: श्री रेड्डी कृपया अब समाप्त कीजिए।

प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेश्वरलु: महोदय, मैं एक मिनट में समाप्त करता हूं। 74,42,000 रु. मूल्य के हथकरघा कपड़े उड़ीसा को भेजे गए थे। इसके अलावा आंध्र प्रदेश में गैर सरकारी व्यक्तियों, स्वैच्छिक संगठनों ने और वेतनभोगी लोगों ने भी अंशदान किया है और उड़ीसा को राहत सामग्री जैसी चीजें भी भेजी गई है। यहां तक कि मेरे सहयोगी श्री एम.वी.एस. मूर्ति ने पांच लाख रुपये दिये है। खाद्य पैकेट तैयार किये गये और लगातार 15 दिनों तक वितरित किये गये और इसमें 75 लाख रुपये का खर्च आया। ये व्यवस्था विशाखापत्तनम से भी गयी थी।

महोदय, आंध्र प्रदेश राज्य द्वारा उड़ीसा को पर्याप्त सहायता दी गई। हमें गर्व है कि हमारे मुख्य मंत्री जी ने स्थिति के अनुरूप और मानवता के आधार पर सहायता की। वह पहले व्यक्ति थे जिन्होंने राष्ट्रीय भावना का प्रदर्शन किया और उड़ीसा के लोगों की यह सहायता की।

सभापति महोदय: कृपया अब समाप्त कीजिए।

प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेश्वरलु: महोदय, मैं एक मिनट में समाप्त करता हूं।

इस संबंध में मैं एक बात कहना चाहूंगा। उड़ीसा के लोगों की कठिनाइयां अभी कम है। आने वाले दिनों में यह बहुत अधिक होंगी। अभी जो उन्होंने झेला है वह समाप्त होने वाला नहीं है। आंध्र प्रदेश में हमने ऐसे पर्याप्त अनुभव हुए हैं। हम बारबार चक्रवात और बाढ़ को भी झेलते हैं। बाद के वर्षों के दौरान जब फसल नष्ट हो चुकी है, जब सभी बगीचे नष्ट हो गए हैं जब पूरी की पूरी कमाई समाप्त हो जाती है तो इन लोगों की आने वाली कठिनाइयां और भी बढ़ जाएंगी। इस समय सरकार द्वारा दी जा रही सहायता, चाहे राज्य सरकार हो अथवा केन्द्र सरकार हो, पर्याप्त नहीं होंगी। सरकार को दीर्घकालिक योजना बनानी होगी और यह देखना होगा कि जो लोग कष्ट झेल रहे हैं उनकी सहायता किस प्रकार से की जा सकती है। यहाँ तक बगीचे को बनाने, नारियल के पेड़ ने झुंड लगाने में काफी समय लगता है। बगीचे और पेड़ों के झुंड लगाने के कम से कम दस वर्षों के बाद आर्थिक लाभ कमाने की स्थिति आती है। इन सभी दस वर्षों में प्रभावित परिवारों के पास जीविकापर्जन के लिए कोई आय नहीं होती है। अत: वास्तव में इन की सहायता के लिए दीर्घकालिक योजना की आवश्यकता होती है।

ऐसे समय में हैजे और अन्य महामारियों के फैलने से खतरनाक स्थिति उत्पन्न हो जायेगी। उन स्थितियों से मुकाबला करने में काफी धैर्य रखना होगा। इस मौके पर संघ और राज्य सरकारों को एक दूसरे का साथ देना चाहिए और पुनर्स्थापना के कार्य में अड़चन डालने वाली राजनीतिक अथवा अन्य पहलुओं को महत्व न देते हुए पीड़ितों की सहायता करनी चाहिए। स्थिति का सामना करने के लिए हमें अन्य सभी बातों को गौण समझते हुए प्रभावित लोगों को राहत प्रदान करनी चाहिए।

मैं भारत सरकार के हित के लिए एक छोटा सा उदाहरण दूंगा। लातूर भूकम्प से पीड़ितों के लिए जर्मन से के एफ डब्ल्यू ने कुछ दिया था। आंध्र प्रदेश में 1996 के चक्रवात पीड़ितों के लिए भी जर्मन के एफ डब्ल्यू ने घरों के निर्माण के लिए 42 करोड़ रुपये की अनुदान राशि दी थी। इसी प्रकार अभी भी एजेंसियां चक्रवात पीड़ितों के लिए राहत उपाय आरम्भ करने के लिए धनराशि और अनुदान प्रदान करने के लिए कई अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों से सहायता ली जा सकती है। इन्हीं शब्दों के साथ, मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री के.पी. सिंह देव (ढेंकानाल): सभापति महोदय, मैं ढेंकानाल नामक स्थान से सम्बन्ध रखता हूं। यह भारत में विलय होने वाले पहले राज्यों में से एक था। यह मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैं इस महाचक्रवात को जो इस शताब्दी का भीषणतम और क्रूरतम चक्रवात है, टी-70 कहकर उल्लेख नहीं करना चाहता यह नाम के.पी. सिंहदेव ने नहीं बल्कि भारतीय मौसम विभाग और अन्तर्राष्ट्रीय मौसम निकायों ने दिया है। मेरे माननीय मित्र श्री अनादि साहू और मैं 29 अक्तूबर को मौसम विभाग के 17 तारीख के चक्रवात की बात कर रहे थे। ठीक उसी दुर्भाग्यपूर्ण और विनाशकारी दिन जब वह भयंकर चक्रवात आया था। मौसम विभाग ने कहा था कि पिछला विनाशकारी चक्रवात केवल टी 4.8 था इसका तात्पर्य यह हुआ कि यह 1990 में आंध्र प्रदेश में आए भारी और प्रचंड चक्रवात से लगभग 70 प्रतिशत अधिक तेज था।

इस विशाल प्रचण्ड महाचक्रवात ने भारत के पूर्वी भाग को बुरी तरह नष्ट किया है। 1947 और 1947 के पश्चात् के राज्यों को भूल जाइए, मैं समझता हूं कि पूरा का पूरा भारत है। भारत का पूर्वी भाग 300 किलोमीटर की रफ्तार से चलने वाली हवाओं से नष्ट हुआ, तहस नहस हुआ और क्षतिग्रस्त हुआ और तीन दिनों की लगातार वर्षा बाढ़ लेकर आई। उड़ीसा की कम से कम आधी जनसंख्या के लिए 24 घंटे तक थे।

[श्री के.पी. सिंहदेव]

उड़ीसा का छोटा क्षेत्र जो मानचित्रकार द्वारा काल्पनिक रेखा द्वारा बनाया गया है भारत का अंग है जहां रहने वाले 3.19 करोड़ लोगों में से 1.5 करोड़ लोगों को इस बड़ी आंधी और बरसात के विनाश से गुजरना पड़ा।

महोदय, उड़ीसा का एक तिहाई भाग नष्ट हो चुका है। इसमें से आधा हिस्सा या तो लपेट में आ चुका है अथवा पूरी तरह से तबाह हो चुका है। श्री कानूनगो, श्री साहू मेरे सहयोगी श्री माधवराव सिंधिया और मेरी नेता श्रीमती सोनिया गांधी, मैं और मेरे अन्य कई सहयोगियों ने उन क्षेत्रों का दौरा किया है। बस्ती झलक मात्र कुछ ट्यूबवैल और समतल भूमि है बरगद के पेड़ उखड़ गए है, नारियल के पेड़ उखड़ गए हैं।

यहाँ तक कि ताड़ के पेड़ भी उखड़ गए थे जो कि कुतुबमीनार में बने इस्पात अथवा लौह स्तम्भ की तरह मजबूत होते हैं। यदि ताड़ के पेड़ पर एक भी बूँद पानी की न पड़े तो भी वह 300 वर्षों अथवा इससे भी अधिक समय तक जीवित रह सकता है। ताड़ के पेड़ भी कट गए थे जैसे कि किसी ने उन्हें आरी से काटा हो। यह दृश्य था।

आज दो लाख बच्चे अनाथ हो गए हैं। वे बेसहारा हैं। अन्य आंकड़े मेरे प्रतिष्ठित तथा मेरे गणमान्य साथियों ने दिए हैं। आज के समाचार पत्र के अनुसार राज्य सरकार 10,000 लोगों के मारे जाने का दावा करती है। प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा प्रैस को यह बात लीक हुई है कि 25,000 लोग मारे गए है। ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कापोरेशन (बी.बी.सी.) ने 10,000 की संख्या बताई है। मैं केवल ग्लैडस्टोन और डिजरेली के बारे में सोच रहा हूँ जिन्होंने कहा था 'लाइज डैम लाइज और स्टैटिस्टिक्स।' बात यह है कि 15 लाख परिवारों को तत्काल राहत पहुंचाने और पुनर्वास के लिए यह योजना बनाई गई है, जो कि अब बहुत ही शीघ्र 25 लाख हो जायेगा क्योंकि प्रतिदिन और मृत लोगों की संख्या बढ़ जाती है। 15 मिनट पहले ही डा. सेनगुप्ता कह रहे थे कि कैंटास में शव पाए गए हैं और श्री ब्रजकिशोर त्रिपाठी मुझे इस बात की पुष्टि करवायेंगे कि जगतसिंहपुर क्षेत्र के लोगों के शव चिल्का झील में पाए गए। हम नहीं जानते कि छः मीटर की ऊंचाई पर आई लहर समुद्र में कितने शव बहा ले गयी और वे कहाँ गए, क्या उन्हें शार्क निगल गई अथवा वे कहीं और चले गए अथवा बंगलादेश के तट पर अथवा आंध्र प्रदेश के तट पर चले गए हैं।

अतः महोदय, आज के आंकड़े अर्थात् 29 नवम्बर के आंकड़े केवल आनुमानिक हैं क्योंकि पशु पक्षियों के शव, और इस तबाही की प्रवृत्ति, विस्तार तथा भीषणता के अन्य सबूतों का पता चला है। पूरा नुकसान कितना हुआ है, यह तो भगवान ही जानता है।

उड़ीसा सरकार की जो पिछली रिपोर्ट मैंने देखी है, उसके अनुसार सरकारी विभाग से सम्बन्धित मूलभूत ढांचा 2500 करोड़ रु. का था। अब, मेरे मित्र, श्री अनादि साहू उद्योगों के संबंध में उल्लेख कर रहे है जो कि 3,000 करोड़ के हैं। अब, संपूर्ण कृषि नष्ट हो गई है। आज, हम बहुत भाग्यशाली हैं कि कृषि के नये केन्द्रीय मंत्री यहां उपस्थित हैं जो कि पूर्वी भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं। 1866 के अकाल का प्रभाव भी बंगाल राज्य, बिहार और उड़ीसा में पड़ा था। जहां लाखों लोग मारे गए थे। उस समय पहली बार ब्रिटिशों द्वारा अकाल सहायता के बारे में विचार किया गया था। मेरे विचार में, अकाल संहिता जो कि बहुत पुरानी और अप्रचलित है, के संबंध में अगली सहस्राब्दि के आरम्भ में काफी सुधार की आवश्यकता है।

श्री कानूनगो अकाल संहिता के संबंध में उल्लेख कर रहे थे। वे उड़ीसा विधान सभा के प्रतिष्ठित सदस्य हैं। उड़ीसा में अकाल राहत संहिता में लगभग 20 वर्ष पहले 1980 में संशोधन किए गए थे ...*(व्यवधान)* बाद में इसे उद्यतन अथवा संशोधित किया गया होगा लेकिन इस पूरी संहिता को पिछली बार 1980 में संशोधित किया गया था और उसमें पूरी तरह से बह गए घर के लिए 3500 रु., पूरी तरह से ढहे हुए घर के लिए 2,000 रु. और आंशिक रूप से टूटे हुए घरों के लिए 1,000 रु. की प्रतिपूर्ति दिए जाने का प्रावधान है। आज रुपये की क्या कीमत है? यदि 1960 में रुपये की कीमत 100 पैसे थी तो आज 9 पैसे है।

मैं एक युवा सी.आर.पी. अधिकारी से मिला जो कि अभी हाल ही में कारगिल से वापस आया था। उसने मुझे किसी तरह पहचान लिया और अपने वाहन से उतरा और कहा 'मैं सीधे कारगिल से वापस आ रहा हूं लेकिन मैं उड़ीसा के लोगों विशेषकर कि जगतसिंहपुर और एरसामा के लोगों को सलाम करना चाहूंगा। हमने तो केवल पाकिस्तानियों का सामना किया है लेकिन यहां के लोगों के पास इतनी हिम्मत और साहस है कि उन्होंने सृष्टिकर्ता, और हवा का सामना किया, फिर भी जीवित हैं।' तूफान के बाद यह 18वां दिन था अर्थात् इस महीने की 16 तारीख। लोग बहुत ही धैर्य सहन-शक्ति और साहस के साथ सामना कर रहे थे।

मेरे साथी और मित्र चित्र की भांति जिन कष्टों और विपत्तियों का उल्लेख कर रहे है, वह सत्य है। इस बात से

कोई इंकार नहीं कर सकता है कि पहले पाक्षिक में अथवा इससे अधिक दिनों तक लोगों के पास राहत सामग्री नहीं पहुंच रही थी। वहां पहुंचने का कोई तरीका नहीं था। माननीय मंत्री श्री जार्ज फर्नान्डीज़ और श्री नवीन पटनायक यहां उपस्थित हैं। उन्होंने उस क्षेत्र का दौरा भी किया है। जब वह पारादीप में उतरे तो वहां पर एरासमा, वालीकुडा और असतरांग की तुलना में परिस्थितियां कम कठिन थीं। उन क्षेत्रों में, लोगों का व्यवहार ऐसा था जैसे वे इन लोगों से मिलने के इच्छुक न हों। उन्हें राहत सहायता की आवश्यकता थी। यह एक ही एयर-फोर्स का हैलिकॉप्टर था - सेना विमानन कोर हैलिकॉप्टर - जो कि दो मंत्रियों को वहां ले गया। अन्यथा, वहां पहुंचने का कोई तरीका नहीं था। उन्हें वहां पहुंचने में कुछ समय लगा।

यह सत्य है कि अनेक राज्य सरकारों ने सहायता की। श्री माधवराव सिंधिया द्वारा यह पहले ही कहा गया है और मैं इसे दुबारा दोहराना नहीं चाहूंगा। लगभग ग्यारह राज्य खाद्य सामग्री के लिए आगे आए। वास्तव में, आन्ध्र प्रदेश पहले नम्बर पर था क्योंकि उन्होंने विज़ाग की ओर से राहत सामग्री भेजी। मेरे विचार में, यदि वह पुलिस वाले न आते, तो वह खाद्य सामग्री और वह राहत सामग्री भी लूट ली गई होती क्योंकि प्रभावित लोगों द्वारा नहीं बल्कि असामाजिक तत्वों द्वारा लूटमार की योजना बनाई गई थी।

पहली तारीख को जब मैं भुवनेश्वर पहुंचा तो मेरे विचार में श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी भी मेरे साथ थे। भूतपूर्व केन्द्रीय मंत्री श्री श्रीकान्त जेना भी वहां थे। एक मंत्री और पुलिस महानिरीक्षक इस बात पर दुखी हो रहे थे कि जब वे चान्दबली जा रहे थे, खाद्य सामग्री वाले ट्रक पहुंचने वाले थे, कुछ वाहन आए और राहत सामग्री को लूटा और वापस चले गए। उस समय, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 5 पर लड़ाई-झगड़ा हुआ था और इसलिए असामाजिक तत्वों के लिए भी वह एक अच्छा दिन था।

आन्ध्र प्रदेश के पुलिसवालों और आपके विद्युत बोर्ड का धन्यवाद कि कुछ पुनर्वास कार्य हुआ। उड़ीसा सरकार के पास उनके अधीन कुछ पुलिस बल हैं। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि सबसे पहले संचार व्यवस्था खराब हुई थी; चाहे वह व्यक्तिगत टेलीफोन हों, सड़कें, रेल अथवा वायु सेवा हो, चार अथवा पांच दिनों तक संचार व्यवस्था नहीं थी। इसे धीरे-धीरे पुन: बहाल किया जा रहा है। मुझे संचार तथा रेलवे विभाग का धन्यवाद करना चाहिए और उसकी सराहना करनी चाहिए। उन्होंने बहुत ही बढ़िया काम किया है।

रक्षा मंत्रालय से बेहतर कार्य कोई नहीं कर सकता था। उनके जवानों, नौसैनिकों और वायुसैनिकों ने अपनी जानें जोखिम में डाल दीं और वह बहुत ही सराहनीय कार्य कर रहे थे। यहां तक कि संचार विभाग और रेल मंत्रालय ने भी बहुत बढ़िया काम किया है। लेकिन यह बहुत ही बड़ा काम था। यदि हम संसद में बैठे यह सोचते है कि एक महीने के समय के भीतर, हम उन 14 जिलों में सामान्य स्थिति बहाल कर सकते हैं तो हम चांद तोड़ लाने के लिए कह रहे हैं, हमें अपनी जांच के लिए रांची जाना चाहिए। रांची में एक पागलखाना है।

पर्यावरण पूर्णत: नष्ट हो गया है। जैसा कि श्री हन्नान मोल्लाह उल्लेख कर रहे थे, पर्यावरण में गिरावट आई है। पिछले वर्ष, सूरज की लपटों अथवा गर्मी के थपेड़ों से 3000 से अधिक लोग मारे गए थे मैं समझता हूं आने वाले वर्षों में यह संख्या 3000 से भी अधिक होगी क्योंकि बालासोर से गोपालपुर अथवा बरहामपुर तक कोई पेड़ नहीं लगा हुआ है। आन्तरिक जिलों में भी यही स्थिति है। श्री माधवराव सिंधिया ढेंकानाल और आंगुल के संबंध में उल्लेख कर रहे थे; लेकिन मैं मयूरभंज और क्योंझर, खुर्द और नयागढ़ के बारे में भी यही कहूंगा जो कि कम से कम 100 मील अन्दर है, इसका अर्थ है यह 160 किलोमीटर अन्दर तक है।

भारतीय मौसम विभाग और सैटेलाइट इमैजरी द्वारा तैयार किए गए मानचित्र में यह दर्शाया गया है कि चक्रवात 400 किलोमीटर तक 200 किलोमीटर अन्दर तक गया है, चक्रवात चला गया और चक्रवात के साथ लगातार वर्षा हुई जिससे बाढ़ें आ गई। सभी छोटी-छोटी नदियों में बाढ़ आ गई थी सभी और बांध टूट गए थे। यह बहुत बड़ा कार्य था और जब तक कि कोई वहां नहीं जाता और वह स्थान नहीं देखता, तब तक वह समस्या की गंभीरता को नहीं समझ सकता।

वास्तव में, इन नौ तटीय जिलों में, सभ्यता अथवा निवास स्थान का नामो-निशान ही नहीं रहा। हम नहीं जानते कितने लोग मर गए हैं और हम नहीं जानते कितने लोगों को राहत अथवा पुनर्वास सहायता दी जानी है। वास्तव में, यह उड़ीसा का सबसे समृद्ध क्षेत्र था। बालासोर और बरहामपुर के बीच के क्षेत्र कृषि तथा औद्योगिक रूप से बहुत अधिक समृद्ध हैं। मैं कहूंगा कि मानव संसाधन के रूप से यह एक भंडार था। यही श्री माधवराव सिंधिया ने कहा था। हो सकता है 60% से 70% अफसर वर्ग और उड़ीसा के प्रशासन के लोग इन जिलों से संबंध रखते हों और यह जिले पुराने ब्रिटिश भारत

[श्री के.पी. सिंहदेव]

के जिले हैं जहां शिक्षा प्राप्त करना बहुत आसान था। यह अमर्त्य सेन की पुस्तक 'डैवलपमैन्टल इकोनोमिक्स' की तरह है।

यह वे लोग हैं, जिनकी उस तक पहुंच है। समूची राज्य सरकार की प्रणाली 24 घण्टे के अंदर समाप्त हो गई थी। लेकिन घटना घटित होने के एक महीने बाद अनुदृष्टि स्वरूप हमारे लिए यह कहना आसान है कि उन्होंने कोई प्रतिक्रिया व्यक्त क्यों नहीं की।

यहां मुख्य मंत्री, हमारे एक भूतपूर्व साथी, हमारे प्रतिष्ठित तथा सम्मानित साथी हमारे साथ हैं जिन्होंने उत्तेजित होकर 27 तारीख को रक्षा मंत्री को फोन किया। उन्होंने कहा था। मैं माननीय रक्षा मंत्री का आभारी हूं; सभी अच्छे रक्षा मंत्रियों की तरह, उन्होंने रक्षा मंत्रालय की उच्च परम्पराओं को बनाए रखा। उन्होंने साफ-साफ कहा। वह एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने मुख्य मंत्री की आलोचना नहीं की। जब उन्होंने उन क्षेत्रों का दौरा किया, तो उन्होंने कहा कि किसी ने उनसे इस बात का जिक्र नहीं किया कि उन्हें राहत सहायता नहीं मिली है। लगभग तीन-चार दिन पहले यह बात कही गई थी और इसमें शुद्धि हो सकती है। दि इण्डियन एक्सप्रैस में यह प्रकाशित हुआ था। *...(व्यवधान)* यह तीन-चार दिन पहले प्रकाशित हुआ था, इसे मजाक न बनायें।

यहां एक ऐसा व्यक्ति है जो कि समाज से कट गया था। यहां तक कि वे मुख्य सचिव से भी बातचीत नहीं कर सकते थे जो कि केवल 100 गज की दूरी पर थे क्योंकि उन तीन दिनों हवा 300 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से बहुत भयंकर रूप से चल रही थी। समूचे पूर्वी गोलार्द्ध में बाराबती स्टेडियम सबसे बढ़िया क्रिकेट ग्राउन्ड है; कोई चाय नहीं था; उस समय वहां टिन की चादरें, धातु की चद्दरें और खनिज की चद्दरें आस-पास इस तरह से उड़ रही थी जैसे चीलें उड़ रही हों अथवा द्वितीय विश्व युद्ध के जंकर-88 की तरह प्रतीत हो रहा था; यह बहुत ही दर्दनाक आवाज कर रहे थे।

कटक और भुवनेश्वर की जनता यह सोच कर डर गई थी और वे पत्थर बन गए थे कि किसी भी समय उनके घर गिर सकते हैं। मैंने यह सब अपनी आंखों से देखा है। मैं वह फोटोग्राफ लाया हूं जो कि एरसामा से आम्बिटी जाते हुए ली गई थीं। तीन स्थानों पर कंक्रीट से बने कॉलम और मंडप गिर गए थे। हवा की गति इतनी तेज थी। केवल मुख्य मंत्री थे जिनके पास एक सैटेलाइट फोन था। कुछ घंटों के बाद इरेडियम की बैटरियां अपनी शक्ति खो चुकी थीं और उस सीमित समय में अर्थात् 29 और 30 तारीख को उन्होंने माननीय प्रधान मंत्री, रक्षा मंत्री और मुख्य मंत्रियों से बात की। रक्षा मंत्रालय 27 तारीख को तैयार था लेकिन मौसम इतना अधिक खराब और प्रतिकूल था कि न तो रक्षा मंत्री आ सके और न ही अन्य कोई मंत्री आ सके। जनजातीय कार्य मंत्री, श्री जुएल उराम ही केवल कोलाईकोंडा में उतर सके थे। वे आगे नहीं जा सके। उन्होंने हेलिकॉप्टर से जाने की कोशिश की *...(व्यवधान)*

हिरोशिमा और नागासाकी से भी बुरी तबाही हुई है। जब मैंने 1994 के एशियन खेलों में भाग लिया था, तब मुझे हिरोशिमा जाने का अवसर प्राप्त हुआ था। श्री प्रकाश शाह, जो कि संयुक्त राष्ट्र में हमारे प्रतिनिधि थे, हमें हिरोशिमा ले गए थे। जब उन्होंने उस भयंकर अनुभव के बारे में बताया, तब उन्होंने कहा कि जब आप अपने देश में वापस जायें, तो आप अपनी जनता को बतायें कि इस प्रकार का संकट किसी पर नहीं आना चाहिए, जिस तरह के संकट का सामना चालीस के दशक में हमने किया था। उनकी तरह, मैं भी यह महसूस कर रहा हूं कि किसी को भी इस तरह के कष्टों का सामना न करना पड़े, जिस तरह के कष्टों का सामना हमने किया है। वहां पर सभ्यता का निवास स्थानों का अस्तित्व पूर्णत: मिट गया था। पैंतालीस अथवा पचास गांवों का वहां कोई नामोनिशान ही नहीं था। कुछ गांवों में आपको कोई वृद्ध व्यक्ति, कोई छोटा बच्चा और कोई मध्यम आयु की महिला देखने को मिलेगी जो कि एक-दूसरे से सम्बन्ध नहीं रखती हैं। मैंने देखा कि शव इधर-उधर बिखरे हुए थे और उनका दाह संस्कार करने के कोई साधन नहीं थे, सिवाए इसके कि उन्हें समुद्र में फेंक दिया जाए अथवा नाले में फेंक दिया जाए जो कि पद्मपुर तक जाता है। जो कुछ लोगों के पास है, केवल उसी के सहारे ही जीवित हैं। उनके सिर पर छत नहीं है। एक सौ मील अन्दर, दो गांव इस तरह से नष्ट हो गए हैं जैसे कि समुद्रमंथन हुआ हो। वे सब जनजातीय थे। अनुसूचित जातियां चतायीस में रह रहीं थी। जगतसिंहपुर, केन्द्रपाड़ा, भद्रक और बालासोर में क्या हुआ? श्री अनादिचरण साहू काजू और नारियल के संबंध में बोल रहे थे। वे लोग जो गरीबी की रेखा से ऊपर थे, अब भिखमंगे और बेसहारा हो गए है। वे लोग अब गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे हैं। उड़ीसा में 22 प्रतिशत जनजातीय और 19 प्रतिशत अनुसूचित जाति के लोग रह रहे थे।

प्रो. लकड़वाला ने कहा था कि 58 प्रतिशत लोग गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे थे। किसी को इस बात का पता लगाना होगा कि यह प्रतिशत बढ़ गया है अथवा कम हो गया है। ऐसा इसलिए है क्योंकि अवश्य ही अनेक लोग मारे गए होंगे। इतिहास स्वयं को दोहराता है। मैं विशेष रूप से किसी

को दोषी नहीं ठहराता हूं। 1965 में श्रीमती इन्दिरा-गांधी से श्री अटल बिहारी वाजपेयी तक नेता उड़ीसा में तीर्थ-यात्रा कर चुके हैं। हमें सूखा, बाढ़ और चक्रवात का सामना करना पड़ता है जिससे लोगों तथा राज्य सरकार की संसाधनों को एकत्रित करने की क्षमता नष्ट हो गई है।

आनन्द बाजार पत्रिका से श्री रण्जीत राय ने 'एगोनी आफ वैस्ट बंगाल' नाम से एक बहुत अच्छी पुस्तक लिखी है जिसमें उन्होंने बिहार, असम, उड़ीसा और मध्य प्रदेश तथा आन्ध्र प्रदेश के कुछ भागों पर विचार किया है और इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि प्राकृतिक आपदाओं द्वारा और महाराष्ट्र, गुजरात और कर्नाटक जैसे समृद्ध राज्यों को इन निर्धन राज्यों के समान माने जाने के अव्यवहारिक और मानकीय दृष्टिकोण द्वारा, जिसका प्रथम पंचवर्षीय योजना से ही अनुपालन किया जा रहा है, इस राज्य का आधारभूत ढांचा नष्ट हो गया है।

अत: क्षेत्रीय असन्तुलन पर जोर दिया गया। आज, यदि श्री गमांग अथवा श्री वाजपेयी को भी उड़ीसा का मुख्य मंत्री बना दिया जाए तो वे भी राज्य की स्थिति में सुधार नहीं कर पायेंगे क्योंकि हमारी योजना पर खर्च करने के लिए 10,000 करोड़ रु. की धनराशि की आवश्यकता है। आज लगभग 50,000-60,000 करोड़ रु. का नुकसान हुआ है। जैसा कि मैंने कहा है, आंकड़ों से कुछ पता नहीं चलता है।

श्री प्रभात सामन्तराय (केन्द्रपाड़ा): फिर क्या हो सकता है?

श्री के.पी. सिंह देव : क्या किया जा सकता है, वह यह है कि हमें मिलकर कार्य करना चाहिए। न केवल राज्य तथा केन्द्र जिन्होंने जाने-अनजाने पहले ही बहुत बढ़िया तरीके से प्रतिक्रिया व्यक्त की है बल्कि भारत के लोगों को भी मिलकर कार्यवाही करनी चाहिए। ग्यारह-बारह मुख्य मंत्रियों ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। विपक्ष के नेता ने कुछ जिलों को सहायता देने के लिए भी कुछ राज्य सरकारों के नाम बताए हैं जो बात कुछ लोगों को पसन्द होगी कुछ को नहीं। मेरा जिला उनमें नहीं है। मैं प्रसन्न हूं। आंगुल उनमें से एक नहीं है। जिन लोगों ने कष्ट उठाये हैं, उन्हें यदि राज्यों द्वारा सहायता प्रदान की जाए, हम यह नहीं कहते कि उन्हें हमें कंबल अथवा पोलीथीन देने चाहिए अथवा उन्हें स्कूल अथवा अस्पताल खोलने चाहिए अथवा हमारे रबी कार्यक्रम में उन्हें हमारी सहायता करनी चाहिए। कर्नाटक सरकार ने पहले ही दो मंजिला इमारत बनानी आरम्भ कर दी है ...*(व्यवधान)*

श्री प्रभात सामन्तराय : कहीं नहीं।

श्री के.पी. सिंह देव : नहीं, मैं आपसे क्षमा चाहता हूं। उन्होंने इमारतें बनानी शुरू कर दी हैं ताकि उन्हें आश्रय स्थान के रूप में उपयोग में लाया जा सके। इसी तरह से मध्य प्रदेश सरकार ने एक पुस्तिका छापी है, राज्य सरकार तथा जिला प्रशासन के परामर्श से एक प्रबंध संबंधी योजना तैयार की है। माननीय सदस्यों द्वारा दिए गए महत्वपूर्ण सुझावों का श्री गमांग की घोषणा में उल्लेख किया गया है जिस पर उड़ीसा सरकार कार्य करना चाहती है।

जहां तक कि बचाव तथा राहत कार्य का संबंध है, वह समाप्त हो गया है। एक महीना बीत चुका है। हमें समाज में परजीवी तथा भिखारी नहीं बनाने चाहिए। हम पुनर्वास, जीर्णोद्धार और पुनर्निर्माण के लिए कार्य करें। लेकिन संसाधनों के संबंध में आप क्या कहेंगे? संसाधन कहां से आयेंगे? क्या क्षीण कराधान वाले और 35 वर्षों से प्राकृतिक आपदाओं का सामना कर रहा उड़ीसा जिसने उसे नष्ट कर दिया है और उसकी अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी को तोड़ दिया है, जैसा छोटा राज्य अपने ऊपर निर्भर रह कर राज्य की स्थिति सुधार सकता है। वह नहीं कर सकता है। यह एक इच्छाजनित विचार है। अत: केन्द्र सरकार को सहायता के लिए आगे आना चाहिए और हमें शब्दों के अर्थ में नहीं उलझना चाहिए।

मैं अपने अच्छे मित्र माननीय रक्षा मंत्री के लिए कुछ पढ़कर सुनाना चाहूंगा। चर्चा से पहले हमारी कुछ बात हुई थी। यह इसे राष्ट्रीय आपदा घोषित करने अथवा घोषित न करने के संबंध में है। मैं दसवें वित्त आयोग की रिपोर्ट के पैरा 9.17 को उद्धरित करना चाहूंगा। उसमें कहा गया है:

> "हमने इस मुद्दे पर सावधानीपूर्वक विचार किया है और हमारा विचार यह है कि भीषण किस्म की आपदा पर स्थिति-स्थिति के आधार पर विचार करते हुए निर्णय लेना चाहिए ....."

यह मानकीय दृष्टिकोण नहीं है। यह स्थितिवार दृष्टिकोण है। यह इस सहस्राब्दि की सबसे अधिक भयंकर आपदा है।

> "इसके साथ-साथ, इस आपदा की तीव्रता और विस्तार, अपेक्षित राहत सहायता का स्तर, समस्या से निपटने में राज्य की क्षमता, सहायता तथा राहत प्रदान करने के

[श्री के.पी. सिंहदेव]

लिए योजना में दिए गए विकल्प और लचीलापन, इन सभी कार्यों में अनेकानेक कठिनाईयां है जिनके प्रतिकूल परिणाम हो सकते हैं।''

यह संकेतात्मक शब्द हैं। दसवां वित्त आयोग इसे हम पर लागू नहीं कर रहा है। उसने उसे उनके विशेषाधिकार पर संसद और भारत सरकार पर छोड़ दिया है। हम दसवें वित्त आयोग के आभारी हैं। मैं पैरा 9.18 उद्धरित करता हूं:

''किसी आपदा को एक बार भीषण आपदा माने जाने पर इससे वास्तव में एक राष्ट्रीय आपदा के रूप में निपटा जाना चाहिए जिसके लिए आपदा राहत कोष योजना में परिकल्पित सहायता से अधिक की आवश्यकता होती है।''

इसमें यह नहीं कहा गया है कि केन्द्र से अतिरिक्त सहायता न केवल अग्रिम योजना सहायता अपितु अनुदान की आवश्यकता होगी।

अपराह्न 5.00 बजे

क्योंकि हर चीज का भुगतान करना पड़ेगा जैसा कि आंध्र प्रदेश से प्राप्त सहायता के बदले भुगतान करना होगा। हमें 8 करोड़ रुपये का भुगतान करने के लिए तीसरा अनुस्मारक मिला है। प्रो. वेंकटेस्वरलु मुझे यह कहते खेद है। मैंने स्वयं परसों इस तीसरे अनुस्मारक को देखा है। अत: मैं नहीं जानता कि क्या रक्षा मंत्री उड़ीसा राज्य को पेट्रोल, तेल, डीजल और नागरिक प्राधिकारियों की सहायता के बदले भुगतान करने के लिए कहने जा रहे हैं।

श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति (विशाखापत्तनम): महोदय वह सहायता के अतिरिक्त है *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय : वे नहीं मान रहे हैं।

प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेश्वरलु : महोदय, ऐसा नहीं कि हर चीज के लिए बिल भेजा गया है। कुछ चीजें कीमत पर ही दी जानी चाहिए।

श्री के.पी. सिंह देव : महोदय, हर कोई कह रहा है कि श्री चन्द्रबाबू नायडू भगवान हैं *...(व्यवधान)*

प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेश्वरलु : महोदय, उन्हें यह बात स्वीकार करनी होगी कि श्री चन्द्रबाबू नायडू की अब अन्य स्थानों से अधिक आंध्र प्रदेश में पूजा की जा रही है *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय : वे नहीं मान रहे हैं। श्री सिंह देव कृपया अब अपना भाषण समाप्त करें। अनेक सदस्य बोलने वाले हैं और वाद-विवाद छह बजे तक समाप्त करना है।

श्री के.पी. सिंह देव : महोदय यह एक अत्यन्त गंभीर विषय है। हम विगत 35 वर्षों से परेशानियां झेल रहे हैं। हम यह पहले तूफान का सामना नहीं कर रहे हैं।

सभापति महोदय : मैं जानता हूं। इसीलिए आपको आधा घंटा आबंटित किया गया है।

श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति : महोदय, आंध्र प्रदेश सरकार ने कुछ वस्तुएं उनके अनुरोध पर भेजी हैं। आंध्र प्रदेश सरकार ने उन्हें खरीदा और उनकी आपूर्ति की। ऐसा नहीं है कि उन्होंने उन वस्तुओं को अपने-आप भेजा है *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय : कृपया बैठ जाइए।

प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेश्वरलु : महोदय, वे कह रहे हैं कि 8 करोड़ रुपये का बिल भेजा गया है। यदि वे इस बिल का ब्यौरा दे सकें तो मुझे और आंध्र प्रदेश की जनता को खुशी होगी। उन्हें बताना चाहिए कि यह बिल किन वस्तुओं का भेजा गया है *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय : कृपया बैठ जाइए। वे नहीं मान रहे हैं।

...(व्यवधान)

श्री के.पी. सिंह देव : यह आगे कहता है:

''वास्तव में कई राज्य वित्तीय अनुदान और राहत सामग्री व डाक्टरों का दल आदि भेजकर प्रभावित राज्य की दोनों प्रकार की सहायता देते ही हैं। विपत्ति के समय राष्ट्रीय एकता के लिए हम अपनी योजना में इस आग्रह को औपचारिक आधार पर रखना चाहते है। इसलिए हम प्रस्ताव करते हैं कि राज्यों में आपदा राहत कोष के अलावा एक राष्ट्रीय आपदा राहत कोष सृजित किया जाना चाहिए जिसमें केन्द्र और राज्य अंशदान करेंगे और जिसका प्रबंध राष्ट्रीय राहत समिति द्वारा किया जाए और जिसमें केन्द्र व राज्य दोनों का प्रतिनिधित्व होना चाहिए।''

यह फिर कहता है कि इस राष्ट्रीय आपदा कोष का अध्यक्ष कृषि मंत्री होगा। किंतु मैं प्रधानमंत्री का आभारी हूं कि उन्होंने कार्यबल का अध्यक्ष रक्षा मंत्री को नियुक्त किया है। दसवें वित्त आयोग की रिपोर्ट में इसका उल्लेख नहीं मिलता है। उन्हें इसे राष्ट्रीय आपदा कहने के लिए न जाने कौन सी बात रोकती है जबकि यह पहले ही अन्तर्राष्ट्रीय आयाम ले चुकी है। विगत 49 वर्षों में हमने संविधान में 85 संशोधन किए हैं। क्या हम एक अंग्रेजी शब्द को नहीं बदल सकते हैं और इसे आपदा की तरह मानने के बजाए इसे राष्ट्रीय आपदा घोषित नहीं कर सकते हैं? मैं सरकार से अपील करता हूं कि वह ऐसा करे।

अत: भुगतान की जाने वाली लागत के बारे में चर्चा करते समय हमें मानव जीवन का मूल्य भी निश्चित करना होगा। यह विभिन्न अवस्थाओं में अलग-अलग है। उड़ीसा के तूफान में मरने वाले लोगों को पचास हजार रुपये की अनुग्रह राशि दी गई है और जम्मू-कश्मीर में मरने वालों को 5 लाख रुपये दी गई है। हाल ही में हमने यह राशि कारगिल व अन्य स्थानों पर दी है। इंडियन एयरलाइन्स और भारतीय रेल अलग-अलग अनुग्रह राशि देते हैं। राज्य सरकारें अलग-अलग राशि देती हैं। क्या भारत के पूर्वी क्षेत्र में तूफान से मरने वाले व्यक्ति के जीवन का मूल्य कम है? या क्या वह द्वितीय श्रेणी का नागरिक है? क्या वह कर अदा नहीं करता है? क्या वह हमें वोट नहीं देता है? क्या वह राष्ट्र निर्माण में भाग नहीं लेता है? हम उन लोगों के जीवन के मूल्य की परवाह क्यों नहीं करते जो मर गए हैं? हमने मानव संसाधन खोए हैं। राज्य सरकार ने सामाजिक, आर्थिक और प्रशासनिक अवसंरचना के लिए अपेक्षित राशि दी है, मैं नहीं जानता कि राज्य सरकार ने मानव मूल्य के लिए भी कुछ दिया है या क्या हम मानव मूल्य उनकी गरिमा और सम्मान के बारे में चिंतित हैं जिसे हम विकास के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं।

हालैंड में भी दो युद्धों के बीच प्राकृतिक आपदा द्वारा विनाश हुआ था। काम के बदले अनाज के बूते पर उन्होंने जेवीडर जी का पुनर्निर्माण किया। आज हालैंड, बिजली, इमारती लकड़ी का निर्यात कर रहा है। यही स्थिति स्कैंडिनेवियाई देशों की है। वे पनीर, दूध, मक्खन और निश्चित तौर पर फूलों का निर्यात कर रहे है। इसलिए हमें व्यापक स्तर पर सोचना चाहिए और अन्तर्राष्ट्रीय सहायता प्राप्त करनी चाहिए। मैं नहीं जानता कि हम संयुक्त राष्ट्र से सहायता के लिए अपील करने में क्यों हिचक रहे हैं जिसके हम सदस्य भी हैं। हम इन संबंधों से कुछ प्राप्त करने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। मैं एक बार फिर दोहराता हूं कि केन्द्र सरकार, राज्य सरकारें, सशस्त्र सेनाएं, केन्द्रीय अर्द्धसैनिक बल, प्रादेशिक सेना, नेहरू युवक केन्द्र, आनन्द मार्ग, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, विद्यालय, महाविद्यालय, महिलाएं, डाक्टर, सामाजिक कार्यकर्ता और वे भारतीय जो अमेरिका और जर्मनी में रह रहे हैं, सहायता भेज रहे हैं किंतु एक बाधा है। मैंने उनके पत्र देखे हैं जिनमें उन्होंने कहा कि उन्हें बहुत सारी लाल-फीताशाही का सामना करना पड़ता है।

मेरे पास समाचार पत्र की एक कतरन है। मैं ऐसे व्यक्ति के बारे में बात करना नहीं चाहता हूं जो यहां नहीं है। "एम.ई.ए. बाबूज सैट ऑन यू.एस. उड़ीसा रीलीफ ऑफर" यह "दि इंडियन एक्सप्रेस" की कतरन है। यह 16 नवम्बर को सॉन फ्रांसिस्को की खबर है। इटली, जर्मनी, फ्रांस और जापान के बारे में ऐसी अनेक बाते हैं। मैं नहीं जानता कि वह व्यक्ति कितना विश्वसनीय है जो हमें मिला और हमें बात बताई। मेरा मानना है कि किसी ने भारत के लिए अन्तर्राष्ट्रीय अपील करने में संयुक्त राष्ट्र की आवाज मद्धिम करने का प्रयास किया है हमें इस तुच्छता से ऊपर उठना चाहिए और हमें सोवियत संघ, चीन तथा तुर्की की तरह इसके लिए संयुक्त राष्ट्र से सहायता प्राप्त करनी चाहिए। मैं 1960 में ताशकंद भूचाल की बात कर रहा हूं।

मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं। हमें विगत 35 वर्षों में इतिहास से सीखे सबक याद करने चाहिए। हम उस बारे में लापरवाह रहे है जब भी तूफान आया हमने इसके बारे में चर्चा की और इसे भूल गए। इसलिए आज हम परेशानियां झेल रहे हैं। जब आप रेल संबंधी स्थायी समिति के सभापति थे तो समिति के सदस्य के रूप में हमने कहा था कि जिन क्षेत्रों में रेल सुविधाएं कम है उनके लिए रेलवे की एक अलग उपयोजना होनी चाहिए। इसे सर्वसम्मति से पारित किया गया था। मेरी मांग है कि भारत का वह क्षेत्र जो गरीब है जो प्रतिवर्ष और गरीब बनता जा रहा है जिसका क्षरण हो रहा है उन चार या पांच राज्यों या पूर्वी भारत के उस हिस्से के लिए एक विशेष योजना बनाई जानी चाहिए जो मौसम संबंधी या प्राकृतिक आपदाओं से घिरा रहता है चाहे आप इसे राष्ट्रीय कहें या न कहें।

दूसरा सुझाव संचार के बारे में है। आज हम प्रौद्योगिकी और सूचना प्रौद्योगिकी के युग में हैं। आज सैटेलाइट रेडियो, सैटेलाइट फोन, निरन्तर विद्युत आपूर्ति, कम्प्यूटर है, प्रत्येक आयुक्त के पास विडियो कांफ्रेंसिंग सुविधा उपलब्ध है जैसा कि श्री चन्द्रबाबू नायडू ने किया है। यह लागू किया जाना चाहिए। श्री राजीव गांधी ने 'निकनेट' के माध्यम से प्रत्येक

[श्री के.पी. सिंहदेव]

जिला आयुक्त को कंप्यूटर से जोड़ा था। मैं उनके मंत्रीमडंल में कार्मिक मंत्री था। हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते हैं?

मेरा तीसरा सुझाव यह है कि निवेश का रोजगार और मानव संसाधन विकास से सीधा संबंध है। उड़ीसा में भारी निवेश की आवश्यकता है। इसे अन्य राज्यों ने किस तरह विकसित किया है क्योंकि उससे रोजगार मिलेगा और मानव संसाधनों का विकास होगा। चक्रवात आने के बाद भी हमने आवास और चेतावनी देना जैसे कुछ महत्वपूर्ण उपाय नहीं किए हैं जिसके अंतर्गत दलदल और बाढ़ को रोकने के लिए तटबंध, जल संसाधनों का किफायत से उपयोग और पेयजल, विस्तृत संचार व्यवस्था तथा सड़क, रेल और वायु मार्गों इत्यादि से संबंधित उपाय भी हैं।

मैं माननीय रक्षा मंत्री को एक सुझाव देना चाहता हूं। उस क्षेत्र में सशस्त्र सेना विशेष रूप से इंजीनियरिंग रेजिमेंट होनी चाहिए। इस पर जनरल वैद्य और जनरल कृष्ण राव के समय विचार किया गया था। अगर आप किसी इंजीनियरिंग ब्रिगेड या किसी इंजीनियरिंग रेजिमेंट को लगाते हैं तो इससे आपको तार्किक कठिनाइयों और समय तथा लागत का सामना करने में मदद मिलेगी।

अंत में, मैं ऐसे संकट का सामना करने के लिए कार्मिकों को प्रशिक्षण पर आता हूं, चाहे वह केन्द्रीय राहत संहिता हो या राज्य राहत संहिता, राहत संहिता में इसका उल्लेख है। परंतु कोई प्रशिक्षण नहीं दिया जाता। इसलिए दुर्घटना और इसके लिए धन या राहत दिये जाने के बीच समय का काफी अंतर होता है। हम हर बार यही चर्चा करते रहते हैं कि राज्य सरकार या केन्द्र सरकार की सहायता अपर्याप्त थी और जब तक चर्चा चलती रहती है लोगों की तकलीफें बढ़ती रहती हैं।

मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे इस चर्चा में बोलने का मौका दिया।

श्री प्रभात सामन्तराय (केन्द्रपाड़ा): महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि पिछली 29 तारीख को जब मैंने इस सभा में यह मुद्दा उठाया था तो मेरे सभी साथियों और सरकार ने चक्रवात की गंभीरता के बारे में चिंता व्यक्त की थी। मैं उसी दुर्भाग्यपूर्ण स्थान केन्द्रपाडा का रहने वाला हूं जहां घर या स्कूल या कालेज जैसी कोई चीज नहीं बची। मैं व्यक्तिगत रूप से तथा संयुक्त रूप से आंध्र प्रदेश के मुख्य मंत्री श्री चंद्रबाबू नायडू तथा आंध्र प्रदेश के लोगों द्वारा दिए गए योगदान के लिए उनका धन्यवाद करता हूं, यद्यपि उनके योगदान को कम करने तक के प्रयास किए गए हैं। हम उन्हें हमेशा याद रखेंगे और हम उन रक्षा कार्मिकों को भी नहीं भूलेंगे जिन्होंने हमारी जान बचाई थी। हमने सीधा पर उनके योगदान के बारे में सुना है परंतु हमने उन्हें उस समय देखा है जब उन्होंने हमारे लोगों की जान बचाई थी।

मैं राज्य सरकार और केन्द्र सरकार की कार्यकुशलता की तारीफ सुनता रहा हूं। मैं जानता हूं कि वे सक्षम हैं परंतु फिर भी सच यह है कि चक्रवात आने के एक महीने बाद भी 15 दिन के अंदर आपात राहत सामग्री दिए जाने का वचन पूरा नहीं किया जा सका और राहत सामग्री लोगों तक नहीं पहुंच सकी। अधिकांश स्थानों में परसों तक भी राहत सामग्री लोगों तक नहीं पहुंची थी। 10-12 दिन पहले ही उन लोगों को राहत सामग्री मिली है। सरकार की यही कार्यकुशलता है। हमें इसे उस दृष्टिकोण से देखना चाहिए। मैं इस बात की प्रशंसा करता हूं कि केन्द्र सरकार खाद्य सामग्री और धन प्रदान कर रही है। हमने अपनी आंखों से देखा है कि स्वैच्छिक संगठनों से खाद्य भंडार आ रहे हैं। अगर आज क्रिकेट का मैच होता तो वहां उपस्थित दर्शकों से अधिक खाद्य पदार्थ होते। यहां तक कि पुरी से लेकर बालासोर तक अगर प्रत्येक पंचायत को भी आज एक ट्रक खाद्य सामग्री भेजी जा सके तभी संभवत: सरकार के पास उन्हें देने के लिए पर्याप्त भंडार हो सकेगा। उनकी क्षमता इतनी ही है। परंतु लोगों के पास खाने के लिए खाद्य सामग्री नहीं है। अमीर से लेकर गरीब तक हरेक व्यक्ति सड़कों पर हैं और हम कहते हैं कि हम सक्षम हैं। चक्रवात आने के एक महीने के बाद भी उन लोगों को पोलिथीन का एक टुकड़ा भी नहीं दिया जा सका और हम कहते हैं कि हम उनसे सहानुभूति दिखा रहे हैं तथा हम उनके लिए सब कुछ कर रहे हैं। हम उनकी मदद किस तरह कर रहे हैं? परिवार बह गए हैं। 35 सदस्यों वाले एक परिवार में केवल नौ वर्ष का एक बच्चा ही बचा है। उस बच्चे की देखभाल कौन करेगा? वह किस तरह बचेगा? मैं बहुत दुख के साथ कह रहा हूं कि हम इस तटीय जिले में हम अकाल जैसी स्थिति के बहुत करीब हैं। कृपया हमें बचाइए। मैं केन्द्र सरकार और अपने मित्रों से अनुरोध करता हूं कि हमें इस अकाल जैसी स्थिति और इस प्रणाली की अक्षमता और त्रुटियों से बचाएं।

यह कहा गया है कि चावल, दाल, गुड़ और चूड़े के रूप में राहत सामग्री की आपूर्ति की गई है। परंतु कई ब्लाकों में, जहां मैं गांव-गांव घूमा था, मुझे नहीं पता कि वहां चावल या चूड़ा—क्या पहुंचा है।

महोदय, हमारी महिलाओं को राहत में साड़ियां दी गई हैं, उनका कपड़ा पट्टी (बैंड-एड) के कपड़े जैसा ही है।

सभापति महोदय : श्री प्रभात सामंतराय, आपको इसका प्रदर्शन नहीं करना चाहिए।

श्री प्रभात सामंतराय : हम गरीब हो गए हैं। मैं मानता हूं कि आज हमारे पास दावा करने के लिए कुछ भी नहीं है। परंतु हमने अपना सम्मान नहीं खोया है। क्या ऐसी साड़ियां भेजी जाती हैं। हमारे ऊपर प्राकृतिक आपदा आई है। परंतु हमने कोई अपराध नहीं किया है कि हमें जीने के लिए खाना भी न मिले।

श्री अनिल बसु (आरामबाग): आपको यह कैसे मिली? यह साड़ी तो प्रभावित लोगों को दी जानी थी। आप इस साड़ी को प्रभावित लोगों को दिए बिना इस सभा के अंदर कैसे ले आए? ...*(व्यवधान)*

श्री प्रभात सामंतराय : मैंने कोई अपराध नहीं किया है। हमें घटिया किस्म की साड़ी मिली है। ...*(व्यवधान)*

महोदय, हमने अपने माननीय प्रधानमंत्री को उस समय एक ज्ञापन दिया था जो चक्रवात के पांचवें दिन उड़ीसा का दौरा करने गए थे। मैंने माननीय प्रधानमंत्री को 19 तारीख को एक ज्ञापन दिया था। इसके बाद स्थिति बहुत खराब हो गई। हमने अपने किसानों को प्रेरित किया कि वे खेती करें क्योंकि राहत सामग्री से हमारा बचाव नहीं होगा। परंतु खेती के लिए जितने जल की आवश्यकता है वह उपलब्ध नहीं कराया जा सकता क्योंकि आज तक दूरदराज के गांवों के किसी भी भाग में बिजली नहीं आ सकी है। लिफ्ट सिंचाई के स्थान ऐसे हैं कि कुछ भी नहीं किया जा सकता। डीजल के पंप उपलब्ध नहीं हैं। उड़ीसा में ऐसा चक्रवात चौथी बार आया है। मुझे याद है कि 1971 में जब चक्रवात आया था तो राज्य सरकार ने पंजाब सरकार से सहायता मांगी थी तो पंजाब सरकार हमें अधिक संख्या में ट्रैक्टर नहीं दे सकी थी क्योंकि खेती के लिए बैल तक नहीं थे। जल स्रोतों का उपयोग किया जाना लगभग असंभव है। जिस तरह बिजली और विद्युत की आपूर्ति की जा रही है इससे विद्युत आपूर्ति और लिफ्ट सिंचाई संभव नहीं है और यदि 15 दिसंबर तक बीज नहीं बोए गए तो दूसरी फसल होना भी मुश्किल लगता है। हम जीना चाहते हैं। इसलिए जीने में कृपया हमारी मदद करें।

हमें बताया गया है कि विनाशकारी क्षेत्र के विभिन्न ब्लाकों में रहने वाले लोगों के पुनर्वास के लिए भारत सरकार के सरकारी क्षेत्र के कुछ उपक्रम आगे आ रहे हैं। कुछ सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के नामों का उल्लेख किया गया है परंतु इन सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को स्वयं अपने लिए राहत की जरूरत है। उनसे हमारी मदद करने के लिए कहा गया है। मैं नहीं जानता कि क्या होने वाला है। मैं न तो सरकारी क्षेत्र के उन उपक्रमों का नाम लेना चाहता हूं और न ही उनको आबंटित किए गए ब्लाकों का। मेरी इच्छा है कि सरकारी क्षेत्र के उपक्रम और भारत सरकार हमारी मदद करने को वरीयता देने पर विचार करे।

माननीय प्रधानमंत्री ने अपने विवेक से एक कार्यबल का गठन किया है और इस कार्यबल का नेतृत्व रक्षा मंत्री कर रहे हैं। उन्होंने यह जिम्मेदारी लेने के बाद तीन बार वहां का दौरा किया है। परंतु मुझे यह कहते हुए खेद हो रहा है कि हमें उनसे अपने दुख के बारे में बात करने का कभी मौका नहीं मिला। ...*(व्यवधान)* परंतु सच तो यह है कि उन्हें जो सूचना दी गई है वह सही नहीं है। कुछ ऐसे क्षेत्र जो ब्लाक नहीं हैं या किसी अन्य क्षेत्र के भाग हैं उसे किसी अन्य क्षेत्र के भाग के रूप में शामिल किया गया है। जिससे भारत सरकार के स्तर पर निर्णय लिया जा सके। मैं नहीं जानता कि इन सब बातों का मानदंड क्या है। लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाले संसद सदस्य या विधायक से परामर्श करने में क्या खराबी है?

मैं अपने सम्माननीय साथी श्री माधवराव सिंधिया की बात सुनता रहा हूं। जिस दिन वे विपक्ष के नेता के साथ मेरे निर्वाचन क्षेत्र में आए थे और लोगों के साथ राहत कार्य के संबंध में बात कर रहे थे तो ऐसा क्या हो गया था कि मुख्य मंत्री हेलीकाप्टर में छुपकर बैठ गए थे? क्या यह बात सही नहीं है कि पहले ही दिन से उड़ीसा में सहायता कार्यों की देख-रेख करने वाले राज्य सचिवालय के व्यक्ति कभी भी चक्रवात प्रभावित क्षेत्रों में नहीं गए हैं? क्या यह बात सही नहीं है कि राज्य सरकार के लगभग सभी मंत्रियों ने चक्रवात प्रभावित क्षेत्रों का दौरा नहीं किया है? उन्हें वहां पर क्या हो रहा है उसकी सही जानकारी नहीं थी। वे ब्लाक विकास अधिकारियों, तहसीलदारों और कलेक्टरों की रिपोर्टों पर ज्यादा विश्वास कर रहे हैं। इन रिपोर्टों के आधार पर वे केन्द्र सरकार को सूचना प्रदान कर रहे हैं। पहले हमें प्रकृति के कोप के कारण मौत का शिकार होना पड़ा और यदि ऐसी रिपोर्टों के आधार पर पुनर्वास और पुनर्निर्माण कार्यक्रमों को चलाया जाता है तो मैं आशंकित हूं कि सम्भवत: हमें अप्राकृतिक ढंग से मौत का शिकार होना पड़ेगा।

[श्री प्रभात सामंतराय]

महोदय, मुझे कुछ सुझाव देने हैं जोकि मेरे मस्तिष्क में, लोगों से इस संबंध में बातचीत करने के बाद कि वे सरकारी सहायता के अलावा किस प्रकार अपना जीवन-यापन करेंगे, आए हैं। मैं पहले ही कह चुका हूं कि खेती के लिए पानी और खोज अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा डीजल की कीमत भी बढ़ गई है और बढ़ी हुई कीमत के साथ किसान को खेती जारी रखना कठिन होगा और इससे लाभ प्राप्त करना भी कठिन होगा। प्रभावित क्षेत्रों में उन लोगों के लिए, जोकि खेती करना चाहते हैं, डीजल पर राज सहायता प्रदान किए जाने की आवश्यकता है। चक्रवात प्रभावित क्षेत्रों में जो किसान दूसरी बार फसल उगाने जा रहे हैं उनको भी राज सहायता प्राप्त दरों पर उर्वरक की आपूर्ति की जानी चाहिए। इस समय लगभग एक लाख एकड़ के करीब भूमि क्षारयुक्त हो गई है। लोग यह कह रहे हैं कि इस पर कई वर्षों तक खेती नहीं की जा सकती है और बिना खेती के इन लोगों को सहायता पहुंचा पाना असम्भव है। दुर्भाग्यवश या सौभाग्यवश, यह मेरे निर्वाचन क्षेत्र और श्री कानूनगो के निर्वाचन क्षेत्र की समुद्रतटीय पट्टी है। वहां के लोग कई पीढ़ियों से मछली पकड़ने का कार्य कर रहे हैं और समुद्री कानून उन्हें मछली पकड़ने जाने से रोक रहा है। मैं नहीं जानता कि वे अब किस प्रकार से जीवन-यापन करेंगे। इसीलिए, मैं माननीय प्रधानमंत्री से अपील करता हूं कि कम से कम छह महीनों के लिए इसमें छूट दें जिससे कि वे मछली पकड़ने जा सकें, मछली पकड़े और अपना जीवन यापन कर सकें क्योंकि वे लोग इन क्षेत्रों में खेती नहीं कर सकते हैं।

महोदय, पहले 'काम के बदले अनाज' कार्यक्रम हुआ करता था। इस विनाश के बाद मेरा सुझाव है कि 'सघन पौधारोपण के लिए अनाज' के कार्यक्रम को गम्भीरता से आरम्भ करना चाहिए जिससे कि लोग पौधारोपण करें और अपने परिवारों को भोजन मुहैया कराने के लिए कुछ धनार्जन भी कर सकें। इसके बाद इस क्षेत्र में लोगों के लिए कम लागत वाले मकानों की व्यवस्था की जाने की तत्काल आवश्यकता है क्योंकि प्रत्येक चार या पांच साल में चक्रवात आता है। मैं आशा करता हूं भारत सरकार गरीबी की रेखा से नीचे के व्यक्तियों को इन्दिरा आवास योजना के अन्तर्गत प्रदान किए जाने वाले मकानों के समान मकान प्रदान करने के बारे में विचार करेगी। इसके बाद जो व्यक्ति पक्का मकान बनाना चाहते हैं उन्हें 40,000/- रुपये का ऋण 15 वर्षों के लिए पांच प्रतिशत की दर से प्रदान किया जा सकता है जिससे कि उनके पास पक्के मकान हो सके और भविष्य में इस प्रकार के विनाश से बचा जा सके।

इसके अलावा प्रत्येक जिले में एक दो मंजिले विद्यालय के निर्माण का भी सुझाव रखा जा सकता है जिसे चक्रवात या बाढ़ के आने पर चक्रवात केन्द्रों में बदला जा सकता है। ये लोगों के लिए मददगार हो सकते हैं। वे इन केन्द्रों में शरण ले सकते हैं और अपने प्राणों की रक्षा कर सकते हैं।

इसके अलावा, लाखों ऐसे लोग है जो अपने स्वरोजगार या काम-धंधे के कारण बच गए हैं। वे लोग मछली-पालन कर रहे हैं। उनके पास केले या नारियल या पान के पत्ते के खेत, किराने की दुकान, मुर्गीपालन का काम, जर्सी गायें और ट्रैक्टर इत्यादि हैं। ऐसे कई लोग है जो स्वयं अपने बूते पर जीवन यापन कर रहे हैं। अब उनका सब कुछ नष्ट हो गया है। अब यह भारत सरकार के विवेकाधीन है कि उन्हें 25,000 रु. से 1 लाख रुपये तक के उदार ऋण कम जमानती धनराशि और कम ब्याज दर पर उपलब्ध कराए और पुनर्भुगतान 15 से 20 वर्षों के बीच हो सकता है जिससे कि वे अपना व्यवसाय आरम्भ कर सके। इस प्रकार वे समाज और सरकार पर भार नहीं बनेंगे।

पांच वर्ष पहले उड़ीसा सरकार का उड़ीसा से होकर जाने वाले काकीनाडा से पश्चिम बंगाल के दीघा तक एक राष्ट्रीय राजमार्ग-सह-समुद्री दीवार के निर्माण का प्रस्ताव था, जिससे समुद्री लहरों से बचाव भी होता और इसे कलकत्ता और आंध्र प्रदेश को जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में भी उपयोग में लाया जा सकता है। यह प्रस्ताव विश्व बैंक को भेजा गया है। यदि भारत सरकार रुचि लेती है और उस कार्य को आरम्भ किया जाता है और उस सड़क के साथ-साथ एक किलोमीटर की चौड़ाई में मैंग्रोव का पौधारोपण किया जाता है तो सम्भवत: चक्रवात, जोकि बार-बार आ रहे है, की प्रचण्डता को वनों द्वारा कम किए जाने का अवसर रहेगा।

इन शब्दों के साथ, मैं आप सबसे और भारत सरकार से हमारे लोगों को जीवित रहने और जीवित रहकर अगली सहस्राब्दि को देखने के लिए मदद करने की अपील करता हूं।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज): सभापति महोदय, मैं जानता हूं कि प्रधानमंत्री हस्तक्षेप करेंगे और कृषि मंत्री उत्तर देंगे। मंत्रिमंडल के अन्य सदस्य भी हस्तक्षेप करेंगे। इसलिए मैं समझता हूं कि पूरे वाद-विवाद को छह बजे तक पूरा कर पाना सम्भव नहीं हो पाएगा।

सभापति महोदय : देखते हैं।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : क्या आप 6 बजे से पहले सर्वसम्मति ले लेंगे या इसके बाद लेंगे जिससे कि कोई अपना कार्यक्रम बना सके?

सभापति महोदय : हम इस पर छह बजे के बाद विचार करेंगे। अब श्रीमती गीता अपने विचार रखेंगी।

श्रीमती गीता मुखर्जी (पंसकुरा): सभापति महोदय, मुझे भुवनेश्वर, उड़ीसा जाने का अवसर मिला था। हम जहां तक पहुंचे उस आखिरी गांव में मुझे कुछ महिलाओं ने कहा था, "मां, हमें कुछ नहीं चाहिए। हमें जहर दे दो, जिसे खाकर हम मर सकें।" इस एक घटना से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस भीषण चक्रवात के कारण उड़ीसा के लोगों की क्या दुर्गति हुई होगी। मेरे कई साथियों ने आंकड़े दिए हैं। मैं उन सब आंकड़ों में उलझना नहीं चाहती हूं। एक बात स्पष्ट है कि इस नियम के कारण कि जब तक व्यक्ति की पहचान नहीं हो पाती तब तक उसे मृतकों की आधिकारिक सूची में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। मैं समझती हूं कि इसमें कुछ समस्यायें है। परन्तु जब इस प्रकार की आपदा आती है तो मृतकों के शवों का होना ही पर्याप्त होना चाहिए। जब मैं प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर रही थी, तब मैंने ऐसी कब्रें देखी थी जिनमें शवों और मृत जानवरों को एक साथ दफनाया जा रहा था। सेना के जवान कुछ सामग्री जैसे रेत या किसी अन्य वस्तु द्वारा उन कब्रों को भर रहे थे। आप उसे क्षेत्र में व्याप्त दुर्गन्ध का अन्दाजा नहीं लगा सकते हैं। जो कुछ वहां पर हुआ वह एकदम स्पष्ट है क्योंकि अधिकांश घर टूट गए हैं। ये मकान उस समय ध्वस्त हो गए जब लोग उनके मकानों के भीतर थे। इसीलिए बहुत ज्यादा दुर्गन्ध आ रही थी। इसमें सेना के जवानों की रास्तों को साफ करने के लिए आवश्यकता पड़ रही थी। उन्हें न केवल सामान्य प्रकार के आरों का उपयोग करना पड़ रहा था अपितु उन्हें बिजली चालित आरों का भी इस्तेमाल करना पड़ रहा था। मैंने अपने जीवन में पहले कभी ऐसा नहीं देखा था। सभी बरगद के पेड़ जड़ से उखड़ गए थे। चक्रवात का इतना भीषण प्रभाव हुआ था। हमने ऐसी प्राकृतिक आपदा कभी नहीं देखी थी।

मेरे कई मित्र प्राकृतिक आपदा से ग्रस्त क्षेत्रों का पहले ही उल्लेख कर चुके हैं। मैं समय की कमी के कारण उन्हीं बातों को दोहराना नहीं चाहती हूँ परन्तु उड़ीसा सरकार ने और उड़ीसा के लोगों ने हमसे जो कहा और वे किस प्रकार की मदद चाहते हैं। इन बातों के बारे में कहना चाहती हूं। यह बात एकदम स्पष्ट है, वे मरना नहीं चाहते हैं। वे जीना चाहते हैं और वे हमें जीवन जीने में सहायता प्रदान करने की अपेक्षा रखते हैं। उन्हें कम्बलों की तत्काल आवश्यकता है जिससे कि वे अपने आप की रक्षा कर सके; वे जीवित रहने के लिए भोजन चाहते हैं और काम के बदले अनाज चाहते हैं जिससे कि वे अगली फसल को उगा सके। ये केवल काम के बदले अनाज का प्रश्न नहीं है परन्तु प्रत्येक क्षेत्र में उन्हें किसी न किसी प्रकार की सहायता अपेक्षित है और हमें उस सहायता को पहुंचाना है।

इसके अलावा, जैसाकि आप जानते हैं, खेती के कई क्षेत्रों को खारे पानी ने बर्बाद कर दिया है। अब क्षार मुक्त किया जाना होगा परन्तु इसी के साथ यह भी सही है कि कुछ ऐसे बीज और पौधे हैं जिन्हें उस क्षारयुक्त पानी में उपयोग में लाया जा सकता है और हमारे पास इस उद्देश्य हेतु विशेष संस्थान भी है। मैं सरकार से उन संस्थानों को तत्काल ऐसे बीज या पौधों को दिए जाने का आग्रह करने का अनुरोध करती हूं जिसे खारे पानी में उगाया जा सके। इसके बाद मिट्टी को क्षारमुक्त करने का कार्य किया जाना होगा।

मैंने एक गाँव का दौरा किया था जहां पर 180 बच्चे, स्कूल जाने वाले लड़के, लड़कियाँ थे जिसमें से केवल तीन ही जीवित बचे हैं। आप क्या सोचते हैं? वह विद्यालय भविष्य में कैसे चल पाएगा? यह मात्र एक भवन का प्रश्न नहीं है। भवन की भी अत्यधिक आवश्यकता पड़ती है। यदि भवन नहीं होगा तो इस विनाशकारी परिस्थिति में उन अध्यापकों का क्या होगा?

उन स्थानों पर जो मैंने देखा उसके अनुसार कई पहलुओं पर ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। पौधारोपण अत्यंत महत्वपूर्ण है। मेरे एक मित्र ने कहा जोकि सही भी है कि जगतसिंह क्षेत्र में पिछले दो वर्षों से प्रचण्ड गर्मी पड़ रही है और इस वर्ष सभी वृक्षों के समूल उखड़ जाने के कारण और भी ज्यादा प्रचण्ड गर्मी पड़ेगी। इसलिए जितने पौधों को लगाना हो उन्हें तुरन्त लगाया जाना चाहिए।

मेरे साथ 'उत्कल महिला फेडरेशन' की सचिव महोदया थी। वे मुझसे कह रही थी कि वे केले और पपीते की पौध खरीदने का प्रयास कर रही हैं क्योंकि तीन महीने में वे बढ़ जाएंगे और इससे उन्हें कुछ सहायता मिलेगी। क्या हमें ऐसा नहीं करना चाहिए? क्या हमें पूरे देश में ऐसी पौध को नहीं ढूंढना चाहिए कि हमें कहाँ ऐसी पौध मिल सकती है? इसीलिए, तत्काल ऐसी कुछ वस्तुएं आवश्यक है; और तत्काल कुछ और चीजें भी आवश्यक होंगी और अन्ततः ऐसी वस्तुएं आवश्यक हैं। इन सब बातों पर अत्यधिक गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है।

[श्रीमती गीता मुखर्जी]

कुछ बातों का उल्लेख मेरे मित्र पहले ही कर चुके हैं। जैसाकि मैं कह चुकी हूं, मैं उन बातों को दोहरा नहीं रही हूँ। ये पौधों, ट्रैक्टर और भवनों के बारे में है जो कि भविष्य में ध्वस्त नहीं होंगे। वास्तव में, मैंने एक गांव में देखा कि कुछ लोग केवल इसीलिए जीवित बचे हैं क्योंकि वे लोग दो मंजिला इमारतों की छतों पर चढ़ गए थे। और बाकी सब लोग मारे गए। इसीलिए, इस क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए, इन बातों पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाना होगा।

जहां तक सरकारों का संबंध है, ये लड़ने का समय नहीं है। मैं लड़ाई करने नहीं जा रही हूं। मैं केवल यह कह सकती हूं कि कई राज्यों ने अपने-अपने ढंग से सहायता भिजवाई है। हमें इस बात की प्रतिस्पर्धा में नहीं पड़ना चाहिए कि वहाँ पर कौन पहले पहुंचा और कौन बाद में पहुंचा। वह व्यक्ति पहले जा सकता है क्योंकि उन्हें चक्रवात का अनुभव है और उनके पास चक्रवात से निपटने के लिए प्रशिक्षित लोग हैं। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि वे पहले पहुँच सके। मैं उनका सम्मान करती हूँ। यह एक महत्वपूर्ण बात है। सभी को इस बात को समझना चाहिए। उन क्षेत्रों में जाकर किसी को भी इन बातों को समझना चाहिए। पूरे देश में भी हमारे पास ऐसा काडर होना चाहिए जो भविष्य में चक्रवात की स्थिति से निपट सके क्योंकि उड़ीसा में आया चक्रवात अंतिम चक्रवात नहीं है।

इसलिए, मेरा सुझाव है कि इस चक्रवात को राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाना चाहिए। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि एक बार जब हम इसे राष्ट्रीय आपदा घोषित कर देते हैं तो भारी मात्रा में अन्तर्राष्ट्रीय सहायता प्राप्त हो सकती है। यदि इसे राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाता है तो अन्तर्राष्ट्रीय रेड क्रास की सहायता आ सकती है। जैसाकि आप जानते हैं, अन्तर्राष्ट्रीय रेडक्रास का सभी देशों से सहायता इकट्ठा करने का दायरा बहुत बड़ा है। इसे राष्ट्रीय आपदा घोषित किये जाने के लिए यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण मुद्दा है।

मैं कई अन्य बातों के बारे में नहीं बोलूंगी। पेय जल की आपूर्ति, दवाइयां इत्यादि की तत्काल आवश्यकता है और इनका उल्लेख पहले ही किया जा चुका है। मैं उन बातों को नहीं दोहराऊंगी। परन्तु, जैसाकि मैं कह चुकी हूं, किस कार्य को पहले किया जाना है और किसे बाद में इस बात की प्राथमिकता को ध्यान में रखते हुए इन कार्यों को किया जाना होगा जिससे कि लोगों को, हमारे भाई-बहनों को, जोकि अत्यंत दुख-तकलीफ का सामना कर रहे हैं, अधिकतम आराम पहुंचा सके।

इसे राष्ट्रीय आपदा घोषित करने के लिए मैं एक बार फिर केन्द्र सरकार से अपील करती हूं जिससे हमें पूरे विश्व से और अधिक सहायता प्राप्त हो सके। इसीलिए, हमें औपचारिकताओं में नहीं उलझना चाहिए या इस बात पर जोर नहीं देना चाहिए कि कहाँ पर क्या लिखा है क्योंकि संहिताएं मानव जीवन से ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं हैं। मानव जीवन को बचाने के लिए प्रत्येक संहिता को बदला जा सकता है। यदि किसी संहिता को बदला जाना है तो इसे बदला जाना चाहिए। इसके लिए हम सब तैयार हैं और हम सब इसका समर्थन करेंगे। इसलिए, मैं आशा करती हूं कि सरकार इन बातों को ध्यान में रखेगी और इसे एक राष्ट्रीय आपदा घोषित करेगी।

श्री विक्रम केशरी देव (कालाहांडी): सभापति महोदय, हम एक बार फिर चक्रवात पर चर्चा कर रहे हैं। इस समय, चक्रवात की भीषणता अभूतपूर्व थी और यह उड़ीसा के समुद्रतट पर 300 किलोमीटर प्रति घण्टे की रफ्तार से आया था। 14 जिलों विशेषकर पारादीप, एरेसमा और जगतसिंहपुर के बीच रहने वाले लोगों के लिए यह अचानक आयी आपदा थी। जगतसिंहपुर और केन्द्रपाड़ा निर्वाचन क्षेत्र इससे बुरी तरह प्रभावित हुए हैं और वहाँ पर लोगों का जीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त हो गया है। यदि केन्द्र और राज्य सरकारें उनकी सहायता के लिए आगे नहीं आती है तो और कई महीनों तक स्थिति ऐसी ही रहेगी।

परन्तु महोदय, यह बात देखी जा सकती है कि प्रधानमंत्री ने चक्रवात से निपटने में पूरी गम्भीरता दर्शाई है। इस सरकार ने प्रतिक्रिया की और सभी मंत्रिमंडल स्तर के मंत्री और कृतिक बल के अध्यक्ष के रूप में रक्षा मंत्री ने क्षेत्र का दौरा किया और स्थिति की गम्भीरता का आकलन किया। तदनुसार, जनजीवन को सामान्य बनाने के लिए उन्होंने युद्धस्तर पर गम्भीर और तत्काल कदम उठाएं और धनराशियों को भी प्रदान किया।

महोदय, जैसाकि आप जानते हैं, उड़ीसा में प्राकृतिक आपदाएँ आती रहती हैं। लोग चक्रवात का सामना करते रहते हैं परन्तु उन्होंने कभी भी इतने भीषण चक्रवात का सामना नहीं किया था। वे इसके लिए तैयार नहीं थे। चक्रवात पारादीप के आस-पास छह घण्टे के लिए केन्द्रित था। जब यह सुबह छह बजे आया था, उस समय, यह इतना भीषण नहीं था। परन्तु अन्ततः रात में 10 बजे के करीब चक्रवात भीषण हो गया जब जगतसिंहपुर और केन्द्रपाड़ा के सभी लोग सो रहे थे। इसीलिए लोग इस बात से अवगत ही नहीं हो पाए। इसीलिए केन्द्र सरकार ने इस स्थिति को सुधारने के लिए गम्भीर कदम उठाए हैं।

हम सेना को भी धन्यवाद देते हैं जो तीसरे ही दिन केन्द्रपाड़ा पहुंच गई थी और अपना कार्य आरम्भ कर दिया था। जब वे, बिना सेना के वहां पहुंचे, तो राज्य का तंत्र कहीं पर भी नहीं दिखाई दिया। वे अचम्भित रह गए थे। पूरा का पूरा राज्य तंत्र अचम्भित रह गया था क्योंकि तीसरे ही दिन मैं पी.टी.आई. रिपोर्टर के साथ पारादीप पहुंच गया था। वहां पर दृश्य दिल दहलाने वाला था। 300-400 शवों की चिताए थी। उन्हें जलाया जा रहा था। वहां पर चारों ओर समुद्र का पानी फैला हुआ था। सूखा क्षेत्र केवल 1962 में बना एक्सप्रेस राजमार्ग था, जिसे दिवंगत बीजू पटनायक ने बनवाया था, वे उस समय मुख्य मंत्री थे। राजमार्ग ही एकमात्र आश्रय-स्थल बचा हुआ था। राजमार्ग पर लाखों लोग बैठे हुए थे। हमें पारादीप पहुंचने के लिए इस प्रकार की कठिनाई का सामना करना पड़ा। पारादीप पहुंचने पर, यह बात देखने में आई कि वहां पर पीने योग्य पानी नहीं था। वहां पर अनाज का एक भी दाना नहीं था। आंध्र प्रदेश से डाक्टर अभी-अभी पहुंचे थे। सेना भी आई ही थी। नौसेना की सहायता से ही पारादीप और जगतसिंहपुर पत्तनों और अन्य प्रभावित क्षेत्रों में आपूर्तियां पहुंच पाई थी। इसीलिए, महोदय एक दीर्घकालीन योजना बनाई जानी चाहिए। पहले ही माननीय प्रधानमंत्री और सरकार इसे राष्ट्रीय आपदा के समान मान रहे हैं। इसमें कोई शंका नहीं है। यह अत्यंत आश्चर्य की बात है कि विपक्ष की ओर से इसे राष्ट्रीय आपदा घोषित किए जाने के लिए विचार व्यक्त किए जा रहे हैं। कानून ऐसा नहीं कहता है। कानून यह कहता है कि इस प्रकार की आपदा से राष्ट्रीय आपदा के समान निपटा जाना चाहिए और इससे राष्ट्रीय आपदा के समान निपटा जा रहा है। अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय इस राष्ट्रीय आपदा, जिससे केन्द्र सरकार निपट रही है, के बारे में जान चुका है। संयुक्त राष्ट्र प्रतिक्रिया व्यक्त कर चुका है; अमरीकी सरकार इस पर प्रतिक्रिया व्यक्त कर चुकी है; पूरा विश्व इस आपदा पर प्रतिक्रिया व्यक्त कर चुका है और इस तथ्य को स्वीकार किया कि इस प्रकार की मानवीय त्रासदी को दूर किया जाना चाहिए क्योंकि यह युद्ध के बाद की जैसी स्थिति है। इन समुद्रतटीय जिलों में युद्ध के बाद के जैसी स्थिति एकदम स्पष्ट है।

आप को यह देखकर आश्चर्य होगा कि वहां पर आज भी पेय जल उपलब्ध नहीं है। आज हम राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ और उत्कल विपन सहायता समिति को सलाम करते हैं जोकि वहां पर सराहनीय कार्य कर रहे हैं। वे लोग शव संस्कार कर रहे हैं। वे शवों को ले जाकर चिताओं में जला रहे हैं। वे लोग पशुओं, क्षत-विक्षत लाशों को ले जाकर जला रहे हैं। इस कारण वहां पर मिट्टी के तेल की कमी हो रही है। वहां कमी महसूस की जा रही है। इसीलिए दो दिन पहले मेरी पार्टी ने मुझे पुरी जिले में जाने के लिए कहा जोकि बहुत अधिक प्रभावित नहीं हुआ है परन्तु असलम और ककतपुर बुरी तरह प्रभावित हुए हैं।

मुझे यह देखकर हैरानी हुई कि राहत उपलब्ध कराने के मामले में राज्य प्रशासन आज भी पूरी तरह विफल है। तूफान आने के बाद एक माह बीत गया हैं किंतु आज आप वहां जाते है लोगों से पूछते हैं तो उन्हें एक माल में केवल पांच किलोग्राम चावल मिले हैं। अत: राज्य सरकार इस तरह कार्य कर रही है। यह पूर्णत: विफल रही है, पोलीथीन की खरीद में घोटाला हुआ है। अत: इन सभी बातों पर गंभीरता से विचार करना होगा और इन क्षेत्रों में सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए एक दीर्घकालीन कार्य योजना बनानी होगी। जैसा कि इस सभा के माननीय सदस्यों में उल्लेख किया है कि यह देखने में आया है कि अधिकांश कृषि जलमग्न है और वहां तबाही आई है; ऐसे स्थानों पर धान को नहीं उपजाया जा सकता है जहां से तीन फुट लवणयुक्त कीचड़ को हटाना हो। यह एक जटिल कार्य है। धान के करोड़ों खेत बर्बाद हो गए हैं जो कि उस क्षेत्र की कृषि का मुख्य आधार है। यदि आप उस क्षेत्र के अन्दरुनी भागों में जाएं तो आप देखेंगे कि करोड़ों पशु मर गए हैं जो किसानों का मुख्य आधार हैं क्योंकि वे खेत जोतने के लिए पशुओं पर निर्भर रहते हैं। यदि आप और अन्दरुनी हिस्सों में जाएं तो आप देखेंगे कि कृषक समुदाय पूरी तरह बर्बाद हो गया है।

आज मैं सरकार को पुन: धन्यवाद देता हूं कि प्रत्येक मंत्री जिसने उड़ीसा का दौरा किया है उसने राज्य के लिए एक पैकेज की घोषणा की है - चाहे वे नागर विमानन मंत्री हो, या जनजातीय कार्य मंत्री हो; रक्षा मंत्री हो, लघु उद्योग मंत्री हो; नागरिक आपूर्ति मंत्री हो या खाद्य मंत्री हो। उन्होंने राज्य के लिए व्यापक पैकेज की घोषणा की है किंतु हम इन पैकेजों को कैसे लागू करेंगे? ये पैकेज उन गरीब लोगों तक कैसे पहुंचेंगे जो तूफान से प्रभावित हुए हैं? उड़ीसा राज्य में उस तंत्र का अभाव है।

मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि इस प्रकार की आपदा के दौरान उनकी पार्टी की अन्दरूनी कहल जारी है। जिन लोगों को केन्द्रपाड़ा और जगतसिंहपुर में काम करना चाहिए

[श्री बिक्रम केशरी देव]

था – जैसा आज हमें लोगों से पता चला है – वे दिल्ली में इस बात की 'लॉबिंग' कर रहे हैं कि राज्य का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, क्या त्रासदी है? उड़ीसा में मानवीय दुखों को महसूस नहीं किया जा रहा है अपितु दिल्ली में मानवीय दुखों के साथ इसे देखते हुए खिलवाड़ हो रहा है कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा।

महोदय, निश्चित तौर पर हमारी सरकार एक बड़ा पैकेज लाएगी और यह कार्य बहुत सोच विचार कर करना होगा अन्यथा प्रभावित लोगों के दु:ख कभी दूर नहीं होंगे।

महोदय, इन कुछ शब्दों के साथ मुझे बोलने का अवसर देने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

श्री ब्रजकिशोर त्रिपाठी (पुरी): महोदय, कृपया प्रभावित क्षेत्रों के कुछ सदस्यों को बोलने की अनुमति दी जाए।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज): सभापति महोदय, सर्वप्रथम मैं उड़ीसा के लोगों के साथ परस्पर सहानुभूति दिखाने के लिए इस सभा के सभी सदस्यों के साथ हूं और उड़ीसा में हाल में आए इस संकट में लगभग सभी राज्य सरकारों और सामाजिक संगठनों की भूमिका की प्रशंसा करता हूं।

महोदय, मेरे विचार से इस मामले पर स्थिति की गंभीरता का मूल्यांकन करने और भविष्य के लिए पुनरूत्थान और निर्माण हेतु पूरी प्रतिबद्धता और समर्पण के साथ उड़ीसा के हित के लिए एक राष्ट्र के रूप में कार्य करने हेतु इस सभा में सभी दलों को बिना किसी, राजनीतिक विद्वेष के एकजुट होना चाहिए। यह वह राज्य है जिसके अनेक नेताओं ने हमारे स्वाधीनता संग्राम में योगदान दिया, यह वह राज्य है जो अनेक प्रतिभाओं, बुद्धिजीवियों और विद्वानों का दाता है और यह वह राज्य है जिसने वर्ष-दर-वर्ष गरीबी का सामना किया फिर भी स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ।

यह राजनीति पर चर्चा करने का समय नहीं है, इस समय मैं स्वयं को केवल कुछ सुझावों तक सीमित रखूंगा।

महोदय, यह संकट केन्द्र या राज्यों के राजनीतिक दलों द्वारा पैदा नहीं किया गया है। कुछ कहते है यह ईश्वर का कार्य है। हम भी कहते है यह ईश्वरीय कार्य है किंतु इतना भीषण प्राकृतिक विनाश हमने पहले कभी नहीं देखा, जैसा श्रीमती गीता मुखर्जी कह रही थी कि उड़ीसा में कुछ निचले तबके के लोगों में वास्तव में त्राहि-त्राहि मची है। वे कह रहे है: जहर खाकर मरना चाहिए। अत: हमें उस दृष्टिकोण से उनकी दशा को समझना चाहिए। प्रधानमंत्री जो यहां उपस्थित हैं, ने अपने मंत्रिमंडलीय सहयोगियों के साथ उड़ीसा के अनेक दौरे किए हैं। हमारी पार्टी की नेता और विपक्ष की नेता श्रीमती सोनिया गांधी ने भी उड़ीसा के दौरे किए और वहां लोगों से कई मुलाकातें की। आज यदि हम स्थिति का सामना करने के लिए एकजुट हों और रचनात्मक सुझाव दें तो शायद उससे उड़ीसा वर्तमान संकट से मुक्ति पा सके। हमें आशा है कि हम इस मुद्दे से किसी तरह का राजनीतिक लाभ लिए बिना स्वयं को उसके प्रति प्रतिबद्ध और समर्पित करेंगे।

प्राकृतिक आपदा और राष्ट्रीय आपदा दो अलग-अलग बातें हैं। मेरे प्रिय सहयोगी और मित्र श्री जार्ज फर्नान्डीज ने कई बार इस मुद्दे पर शोर किया था–जिसके लिए हम उनकी तारीफ करते हैं–कि इस देश में संसद से सर्वोच्च कोई नहीं है। संसद की सर्वोच्चता का सदैव पालन किया गया। यदि कानूनों में कुछ कमियां है और यदि कहीं कोई खामी है जिसके चलते हम संसाधन जुटाने के लिए इस आपदा को राष्ट्रीय आपदा घोषित नहीं कर सकते हैं तो फिर हम यहां संसद में किसलिए बैठे हैं? हम स्वयं कार्यवाही की दिशा निश्चित कर सकते हैं। हम अपनी टिप्पणी दे सकते हैं और यदि कल नहीं तो जब सरकार आवश्यक समझे एक विधेयक ला सकती है। हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते हैं? आज यहां वित्त मंत्री की उपस्थिति बहुत आवश्यक थी। मैं जानता हूं कि सरकार के प्रमुख प्रधानमंत्री है किंतु मैं यह भी जानता हूं कि अन्तत: श्री नीतीश कुमार को अब तक के राहत उपायों के बारे में उत्तर देना है जिनका व्यक्तित्व बहुत ओजस्वी है और जिन्हें नागर विमानन मंत्रालय से कृषि मंत्रालय में लाना शायद प्रधानमंत्री को उचित लगा–और इस निर्णय के लिए मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं। किंतु जब वित्त मंत्री आगामी बजट को ध्यान में रखते हुए वर्तमान में सरकार में अपनी क्षमता स्पष्ट नहीं करते और फिर यह पता नहीं लगाते कि संपूर्ण राष्ट्र आन्तरिक व बाह्य स्रोतों से कितने अतिरिक्त संसाधन जुटा सकता है तब तक श्री नीतीश कुमार कुछ नहीं कर सकते हैं। मुझे बताया गया था कि लातूर में भूकम्प के बाद श्री मनमोहन सिंह ने अपनी बुद्धिमत्तापूर्ण सलाह दी थी कि पीड़ित व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए केवल चालीस वर्ष की निर्धारित अवधि हेतु एक प्रतिशत ब्याज पर विश्व बैंक के माध्यम से सहायता देना आवश्यक है। संकट की इस घड़ी में उड़ीसा को पूरी तबाही से बचाने के लिए किस प्रकार संसाधन जुटाए जा सकते हैं यह देखने के लिए इस प्रकार की प्रतिभाओं और विशेषज्ञों की सेवाओं का उपयोग किया जा सकता है। महोदय, आपके माध्यम से मैं प्रधानमंत्री जी से कहना चाहता

हूं कि पहले संसाधनों का पता लगाएं। यदि कोई अर्द्धविराम, विराम, पूर्णविराम या शब्दों का फेर उन्हें इसे राष्ट्रीय आपदा के रूप में घोषित करने से रोक रहा है तो वे अपने विवेक का प्रयोग कर सकते हैं और कोई प्रस्ताव ला सकते हैं। इस मामले में बिना किसी व्यतिक्रम के पूरी संसद उनके साथ होगी। उन्हें कोई प्रस्ताव लाना चाहिए कि सरकार किस प्रकार संसाधन जुटा सकती है। आखिर हमने 1971 में पाकिस्तान के साथ युद्ध के बाद बंगलादेश से आए शरणार्थियों के लिए लेवी दी है। यदि सरकार समझती है कि उसे अतिरिक्त लेवी लगानी है तो हम इस पर देशभक्ति की भावना से विचार करेंगे। मेरे विचार से उड़ीसा के हित की रक्षा के लिए और अतिरिक्त संसाधन जुटाने के लिए सरकार को वह प्रस्ताव लाना चाहिए और संसद इस मामले में किसी विवाद में नहीं पड़ेगी क्योंकि जैसा मैंने कहा यह केवल उड़ीसा तक सीमित मुद्दा नहीं है अपितु सारे राष्ट्र से संबंधित मुद्दा है। उड़ीसा भारत का हिस्सा है और यह वर्तमान में परेशानियों से घिरा है। इस समय भारत चुप नहीं [illegible] सकता है।

अपराह्न 5.54 बजे

[**अध्यक्ष महोदय** *पीठासीन हुए*]

अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं यह भी अनुरोध करता हूं कि पैकेज अलग-अलग न बनाए जाएं-नागर विमानन मंत्रालय का एक पैकेज, रेल मंत्रालय का एक पैकेज आदि। उड़ीसा के आर्थिक पुनरुज्जीवन के लिए व्यापक पैकेज बनाया जाना चाहिए। इस पैकेज में निर्माण योजना का भी प्रावधान होना चाहिए। योजना अनुमान को भूल जाइए। वार्षिक योजना अनुमान उड़ीसा के लिए नियमित बात है। जिस संकट ने उड़ीसा में यह स्थिति पैदा की है उसके लिए नियमित प्रकृति की सहायता योजना की आवश्यकता नहीं है। उड़ीसा के लिए पूर्णतः पुनर्निर्माण व पुनरूत्थान योजना की आवश्यकता है जिसे संसद को स्वीकृति देनी होगी। यदि आप उसके लिए एक व्यापक कार्य योजना और पैकेज लेकर आते हैं और सदन की स्वीकृति प्राप्त करना चाहते है तो मेरे विचार से यहां उपस्थित हम लोगों में से हर कोई उसी बात को दोहराएगा जो आपके उड़ीसा के पुनरूत्थान के लिए आवश्यक है। यह दूसरी प्राथमिकता है।

पहली प्राथमिकता दूसरे पहलू को दी जानी चाहिए। भूमि को लवणों से मुक्त करने के बारे में मैं अन्य सदस्यों के विचारों से पूर्णतः सहमत हूं क्योंकि वहां खारापानी भरा है जिससे न केवल इस वर्ष की कृषि फसलें बर्बाद हो रही हैं अपितु आने वाले अनेक वर्षों तक फसलों को नुकसान पहुंचेगा।

मैं उड़ीसा के सांसदों और उनके माध्यम से संबंधित दलों और विशेषकर पुरी के लोगों का एक कारण से धन्यवाद करता हूं। चक्रवात के दौरान हमारे राज्य के पर्यटक पुरी में फंस गए थे। मैं उड़ीसा के लोगों का धन्यवाद करता हूं कि वहां के गरीब से गरीब आदमी से लेकर होटल के मालिकों तक ने अपनी जान पर खेलकर उनसे अतिरिक्त पैसे की मांग किए बिना सभी पर्यटकों सहित महिलाओं की मर्यादा की रक्षा की। उन्होंने कहा: 'आप हमारा राज्य देखने आए हैं; हम संकट में हो सकते हैं परंतु हम आपको संकट में नहीं डालेंगे।' मैंने यह बात कई लोगों से सुनी। मैं उड़ीसा के लोगों की, विशेषकर पुरी के लोगों की महानता समझ सकता हूं कि जब वे अपने घर में सब कुछ खो चुके थे तब भी उन्होंने बाहर से आए लोगों की मदद की थी।

इसलिए मैं यह महसूस करता हूं कि हम इस विषय में राजनीति की चर्चा बिल्कुल न करें। हमें उड़ीसा के लोगों का साथ देना चाहिए। हां, जब चुनाव हों तब हम राजनीति की बात कर सकते हैं। परंतु इस समय हम पुनरूद्धार और पुनर्वास कार्यक्रम पर ध्यान केन्द्रित करेंगे।

महोदय, कई माननीय सदस्यों और विभिन्न अन्य समूहों ने काफी लंबे समय तक शैक्षिक संस्थाओं, बिजली, पेयजल, स्वास्थ्य और उद्योग जैसे विषयों पर चर्चा की है। परंतु आपकी पुनरुद्धार योजना के अलावा एक आदर्श योजना विशेषज्ञों का पता लगाना हो सकती है। पिछले सत्र के दौरान इस विषय पर चर्चा करते समय माननीय सदस्य श्री एन. जनार्दन रेड्डी ने इस विषय के संबंध में बोलते समय एक बहुत अच्छा सुझाव दिया था। हमारे पास सब कुछ हो सकता है। हमारे पास सेना, नौसेना और वायुसेना हो सकती है। सशस्त्र सेना और 'आपरेशन सहायता' उत्कृष्ट कार्य कर रहे होंगे। हम उनका समर्थन करते हैं तथा उनका सम्मान करते हैं। परंतु हम 20वीं सदी के अंत में अभी भी ऐसे विनाशकारी चक्रवात जैसे संकट के प्रबंधन के लिए वास्तविक तकनीकी विशेषज्ञों की कमी महसूस करते हैं। हमारे पास वह सब नहीं है जो हवाई, संयुक्त राष्ट्र और फ्लोरिडा में है। यहां तक की तुर्की में आए हाल ही के भूकंप के संबंध में हमें बताया गया था तकनीकी विशेषज्ञों ने 48 घंटों के अंदर संकट प्रबंधन का मूल्यांकन किया है। हमारे पास उस प्रकार की विशेषज्ञता की कमी है।

इसलिए उस दिन श्री जगन्नाथ रेड्डी ने यह सुझाव दिया था। क्या आप इस संबंध में सोच सकते हैं या सरकार न केवल आज के लिए बल्कि कभी भी ऐसी स्थिति के लिए हमेशा के लिए किसी राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्था का गठन करने पर विचार कर सकती है? *...(व्यवधान)*

श्री त्रिलोचन कानूनगो : यह भारतीय जन प्रशासन संस्थान के अंतर्गत है। ...*(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : नहीं, मैं वह नहीं कह रहा हूं। संस्थान में एक ऐसा स्थाई केन्द्रीय समूह होना चाहिए जो नियमित आधार पर ऐसे विनाश के लिए हर प्रकार की सहायता प्रदान करने के लिए सक्षम हो।

माननीय प्रधानमंत्री जी, इस समय तक हमने देश के चक्रवात प्रवण क्षेत्रों, सूखा प्रवण क्षेत्रों और बाढ़ प्रवण क्षेत्रों का पता लगा लिया है। हम 21वीं सदी के भविष्य को देख सकते हैं कि हर वर्ष होने वाली ऐसी समस्या का सामना हम अधिक तकनीकी विशेषज्ञता द्वारा कैसे कर सकते हैं तथा इस बात का ध्यान रखें कि अगर यह समस्या आज उड़ीसा में है तो कल आंध्र प्रदेश में हो सकती है। हम यहां ऐसे ही चर्चा फिर चालू कर देंगे।

मैं समझता हूं कि उड़ीसा के लोगों की जान की कीमत पर, जिन्हें मैं इसका शिकार नहीं बल्कि शहीद समझता हूं, हमें भविष्य के बारे में सोचना चाहिए। वे गरीब लोग हैं। वे इसलिए मर गए क्योंकि संकट की घड़ी में उनकी मदद करने के लिए वैज्ञानिक और आर्थिक क्षेत्र से उन्हें देने के लिए सुविधाएं हमारे पास नहीं हैं। हम सभी इसके लिए जिम्मेदार हैं। चाहे हम राजनैतिक स्तर पर और अन्य किसी तरीके से कुछ भी कहें फिर भी इस दुर्घटना की प्रचंडता इतनी अधिक है कि इस धरती की कोई भी सरकार इस समस्या का तुरंत समाधान नहीं कर सकती।

इसलिए महोदय, मैं माननीय प्रधानमंत्री से अनुरोध करता हूं कि कृपया इस स्थिति की जानकारी के लिए विशेषज्ञों की राय अधिक गंभीरता से लें और इस मामले पर एन.डी.ए. बनाम उड़ीसा कांग्रेस की चुनौती या बी.जे.पी. सरकार के लिए उड़ीसा कांग्रेस की चुनौती या उड़ीसा के सीमित मुद्दे के रूप में न लें बल्कि पूरे राष्ट्र के मुद्दे के रूप में लें तथा पूरे उड़ीसा के लोगों की सहायता करे। यह संसद सभी राजनैतिक बाधाओं से मुक्त होकर इस विषय पर चर्चा करेगी।

अध्यक्ष महोदय : अगर यह सभा सहमत होती है तो हम इस विषय पर चर्चा पूरी करने के लिए सभा के समय को एक घंटा और बढ़ा सकते हैं।

अनेक माननीय सदस्य : जी हां।

सायं 6.00 बजे

श्री जगन्नाथ मलिक (जाजपुर): अध्यक्ष महोदय, मैं अपने माननीय सदस्यों की बातें पिछले चार घंटों से सुन रहा हूं और मैं उन सभी बातों को दोहराना नहीं चाहता।

श्री अनिल बसु (आरामबाग): महोदय, क्या प्रधानमंत्री जी आज उत्तर देंगे या कल?

अध्यक्ष महोदय : आपको यह विषय आज ही पूरा करना होगा।

श्री जगन्नाथ मलिक : महोदय, मैं उन बातों को दोहराना नहीं चाहता। जिस विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं उस पर कुछ कहने के पहले मैं भारत के प्रधानमंत्री का धन्यवाद करना चाहता हूं कि वे संकटग्रस्त लोगों की मदद के लिए समय पर पहुंचे थे और विभिन्न राज्यों की सरकारों का भी धन्यवाद करना चाहता हूं, विशेषकर श्री चंद्रबाबू नायडू, आंध्र प्रदेश के मुख्य मंत्री का जो संकट की घड़ी में मदद के लिए आगे आए थे।

हमने कई विषयों पर चर्चा की हैं। महोदय, मैं आपके माध्यम से इस सभा को यह अवगत कराना चाहता हूं कि 29 और 30 अक्तूबर को आए अप्रत्याशित चक्रवात और बाढ़ से उड़ीसा का एक बड़ा भाग, जिसमें 10 जिले भी शामिल हैं, विनष्ट हो गये। चक्रवात की गति लगभग 260 से 320 किलोमीटर प्रतिघंटा थी जिसने 10 जिलों के लगभग सभी पेड़ उखाड़ दिए और लगभग 25 लाख खपरैल के घर तोड़ डाले। चक्रवात से होने वाले तूफान की इस प्रचंडता के बाद बाढ़ आई। इस बाढ़ के साथ 25 फुट ऊंचा ज्वार आया जिससे पांच जिलों के पूरे तटों पर सब कुछ बहा दिया और 30 लाख हेक्टेयर भूमि की पूरी खड़ी फसल को नष्ट कर डाला। इन सब बातों के अलावा इससे लगभग एक लाख लोग और एक लाख से अधिक पशु मारे गए। इस चक्रवात और बाढ़ से होने वाली कुल हानि लगभग 60000 से 70000 करोड़ रुपए तक की थी। इसलिए यह काफी भीषण तूफान था।

इसलिए भारत सरकार-जैसे कि प्रधानमंत्री जी ने पहले ही सहायता दी है-को उन लोगों की मदद तब तक करनी चाहिए जब तक उन्हें अपनी स्थिति सुधारने का मौका नहीं मिल जाता। हम कई विषयों पर बातें करते रहे हैं। परंतु मारे गए लोग

कौन थे? मरने से पहले वे लोग हमें खाना, कपड़ा और हमारे सिर ढकने के लिए छत देने के कामों में लगे थे। वे ही लोग दुर्भाग्य का शिकार हुए। इसलिए सरकार की यह नैतिक जिम्मेदारी है कि सभी संभावनाओं का पता लगाए। ...*(व्यवधान)* यह केन्द्र सरकार की जिम्मेदारी है क्योंकि राज्य सरकार पहले ही असफल हो गई है।

हमारे माननीय मित्र श्री सिंधिया जी कह रहे थे कि 'हमें राजनीति नहीं करनी चाहिए।' मैं उनकी बात से सहमत हूं। परंतु फिर भी यह सच है कि बाढ़ और चक्रवात आने के तीन दिनों बाद भी राज्य सरकार आगे नहीं आ सकी। यह सच है कि राज्य पुलिस से पहले आंध्र प्रदेश की पुलिस प्रभावित क्षेत्रों के अंतिम छोर तक पहुंच गई थी। इसलिए उन्होंने सड़कें साफ करनी शुरू कर दी थीं। उसके बाद सेना वहां पहुंची। जैसा कि मैं जानता हूं कि सेना और पुलिस के द्वारा किए गए काम के अलावा राज्य सरकार ने चक्रवात और बाढ़ के चौथे दिन बाद भी कुछ नहीं किया था। यही वास्तविक स्थिति है।

अब हम ऐसी ही कई बातें कर रहे हैं कि उन्हें किस तरह पुनर्स्थापित किया जाए, उनका किस तरह पुनर्वास किया जाए और अगली फसल कैसे लगाई जाए इत्यादि। मेरे पास अगली फसल के संबंध में निश्चित सुझाव हैं। मुझे यह बताते हुए दुख हो रहा है कि कोई भी माननीय सदस्य यह नहीं जानता कि अगली फसल लगाना बहुत कठिन काम है क्योंकि अगली फसल के लिए बीज एक मौलिक आवश्यकता है।

चूंकि चावल उगाने वाले दस जिले पूरी तरह तबाह हो गए हैं इसलिए ऐसे बीजों की व्यवस्था करना संभव नहीं है जो हमारी स्थितियों के अनुरूप हो। राष्ट्रीय बीज निगम ही एक ऐसी एजेंसी है जो न केवल धान के बीज बल्कि दालों और सब्जियों के बीजों की भी आपूर्ति कर सकती है। राष्ट्रीय बीज निगम जिन बीजों की व्यवस्था कर सकेगा उनमें से अधिकांश हमारी स्थितियों के अनुरूप नहीं हो सकते क्योंकि एक जगह की कृषि-जलवायु स्थिति दूसरी जगह से भिन्न होती है। इसलिए, राष्ट्रीय बीज निगम द्वारा जिन बीजों का प्रबंध किया जाता है, उनका यह पता लगाने के लिए परीक्षण किया जाना चाहिए कि उनमें से अंकुर फूटेंगे अथवा नहीं। यह पहली बात है। बीजों के साथ-साथ हमें पानी, बिजली, कीटनाशकों, उर्वरको इत्यादि का भी प्रबंध करना होता है। अनेक बाते हैं। जिस तरह से भारत सरकार ने कार्य करना आरम्भ किया है, मैं जानता हूं कि निश्चय ही देखने के लिए सभी सम्भव उपाय करेंगे कि पुल, सड़कें, स्कूल, बिल्डिंगें, नहरों पर बने बांध और जो अन्य चीजें नष्ट हो गई है, उन्हें सम्भव समय के भीतर पुन: बहाल कर लिया जाए।

लेकिन मुद्दा यह है कि पैसा कहां से आएगा? राज्य सरकार इतनी निर्धन है कि लोगों की प्रति व्यक्ति आय 6.40 रु. प्रति दिन है। प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष करों से राज्य सरकार की कुल आय केवल 2500 करोड़ रु. है जबकि केवल कर्मचारियों का वेतन व्यय ही लगभग 3500 करोड़ रु. है। अत: आप अच्छी तरह से राज्य सरकार की वित्तीय स्थिति का अन्दाजा लगा सकते हैं। लोगों के कष्टों को कम करने के लिए और स्थिति से निपटने के लिए केन्द्र सरकार और अन्य राज्यों की सरकारें ही उनके बचाव के लिए आगे आ सकती हैं। यहां चर्चा करते हुए मैं उस दृश्य को देख सकता हूं जिसमें एक अपंग बच्ची सहायता के लिए अपनी मां के सामने रो रही है। केन्द्र सरकार एक मां की तरह है और उड़ीसा राज्य अपंग बच्ची की स्थिति में है। अब, सरकार निर्णय ले कि वे किस तरह से राज्य की अधिक से अधिक मदद कर सकते हैं। मैं उदार हृदय प्रधान मंत्री और सभा में अपने सभी सम्मानित मित्रों से अपील करता हूं कि वे एक साथ मिलकर यह प्रयत्न करें कि हमारे सम्मुख जो समस्या है वह दूर हो।

श्री अर्जुन सेठी (भद्रक): माननीय अध्यक्ष महोदय, इस भीषण तूफान और बाढ़ जिसमें उड़ीसा राज्य के लगभग 60 प्रतिशत लोग प्रभावित हुए हैं, के संबंध में चर्चा के दौरान सभी माननीय सदस्यों ने उस दृश्य को चित्रित किया है अथवा इस संकट के दौरान हुए नुकसान, तबाही तथा जान हानि का स्पष्ट विवरण किया है। मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र में लोगों द्वारा झेली जा रही समस्याओं का बहुत संक्षेप में उल्लेख करना चाहूंगा। इसमें कोई शंका नहीं है कि जगतसिंहपुर, केन्द्रपाड़ा, कट्टक और भुवनेश्वर में तूफान की भीषणता अधिक महसूस की गई है और मेरे क्षेत्र, भद्रक और बालासोर जिलों में इतना अधिक भीषण तूफान नहीं आया था। लेकिन मेरे क्षेत्र में बाढ़ का प्रभाव अप्रत्याशित था। इस बाढ़ से काफी दूर-दूर तक नुकसान हुआ है। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में स्थित मध्यम दर्जे की परियोजनाओं के जलाशयों से पानी छोड़ने के कुप्रबंध के कारण ऐसा हुआ है। जब लगातार वर्षा हुई थी तो मध्यम दर्जे की सिंचाई परियोजनाओं के प्राधिकरणों को इस वर्षा के प्रभाव का पता लग सकता था लेकिन उस समय उन्होंने जलाशयों से पानी नहीं छोड़ा। अचानक जब जलाशयों के जल का स्तर बढ़ गया, प्राधिकरणों ने सारा पानी छोड़ दिया और उसके परिणामस्वरूप भद्रक जिले और बालासोर के कुछ भागों के निचले स्तर के क्षेत्र प्रभावित हुए थे। इस क्षेत्र के लोगों ने इस तरह की बाढ़

[श्री अर्जुन सेठी]

कभी नहीं देखी थी इसलिए वे इस भीषण बाढ़ के लिए तैयार नहीं थे। इसके परिणामस्वरूप आवास गृह, छप्पर वाले घर, शैक्षणिक संस्थान, नहरें, एल.टी. प्वाइंट और नहरें, जो कुछ वर्षों पहले बनी थीं, नष्ट हो गयीं। मेरे निर्वाचन-क्षेत्र और बालासोर और भद्रक जिले में आधारभूत सुविधाओं का नामनिशान भी नहीं रह गया है।

महोदय, मेरे माननीय मित्रों ने अन्य सहायक राज्यों के प्रति आभार व्यक्त किया है जिन्होंने संकट की घड़ी में उनकी सहायता की। माननीय प्रधानमंत्री ने भी राज्य का दौरा किया था और मूलभूत ढांचे का पुनर्निर्माण करने के लिए सहायता देने की पेशकश की। लेकिन मैं इस सभा के तथा केन्द्र सरकार के माननीय सदस्यों और विपक्ष के अपने मित्रों का ध्यान इस तथ्य की ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि धनराशि उपलब्ध है, धनराशि उपलब्ध होगी और धनराशि पहले भी प्राप्त हुई है लेकिन प्रश्न यह है कि क्या राज्य स्तर पर तंत्र इन परियोजनाओं को चलाने के लिए तैयार है अथवा नहीं। क्या वे समय पर धनराशि का उपयोग करने के लिए तैयार हैं? यह प्रश्न है।

महोदय, राज्य सरकार की कार्य-व्यवस्था निराशाजनक तरीके से विभाजित हो गई है। मुझे यह कहते हुए दुख हो रहा है कि राज्य का पूरा अधिकारी वर्ग विभाजित हो गया है। भ्रष्टाचार इस तंत्र के भीतर प्रवेश कर चुका है। जब तक इससे निपटा न गया, जब तक विभिन्न विभागों, अधिकारी तंत्र के बीच समन्वय नहीं स्थापित किया जाता तो केन्द्र सरकार द्वारा जो कुछ धनराशि दी जाएगी, उससे कोई भी कार्य समय पर नहीं हो सकता।

महोदय, अर्थव्यवस्था का आधार नष्ट हो चुका है। हमारी अर्थव्यवस्था, कृषि पर आधारित अर्थव्यवस्था है। हम अपने भरण-पोषण और विकास के लिए कृषि पर निर्भर करते हैं। जैसा कि मैंने पहले कहा था, हमारी नहरें, एल.आई. प्वाइंट और पूरी नहर प्रणाली नष्ट हो गई है। गांवों में सड़कों का समृद्ध नेटवर्क नष्ट हो गया है। शैक्षणिक संस्थानों की स्थिति को किसी को देखना चाहिए। कोई विश्वास नहीं कर सकता कि शैक्षणिक संस्थानों का कितना नुकसान हुआ है। कार्य बल के चेयरमैन हमारे माननीय रक्षा मंत्री ने तीन बार उस स्थान का दौरा किया था। लेकिन मैं नहीं जानता कि क्या उन्हें निचले स्तर पर हुए नुकसानों की प्रत्यक्ष जानकारी हुई अथवा नहीं। राज्य सरकार ने एक भिन्न दृश्य का चित्रण किया होगा लेकिन जब तक कि कोई व्यक्ति उस स्थान पर जाकर उन नुकसानों को देख न ले, कोई भी स्थिति की भीषणता का अन्दाजा नहीं लगा सकता है।

अत:, महोदय मैं माननीय मंत्री जी तथा माननीय प्रधानमंत्री जो यहां उपस्थित हैं, से अनुरोध करना चाहूंगा कि वे इस समस्या पर तात्कालिक आधार पर और गंभीरता से विचार करें और जब तक ऐसा नहीं होता, तब तक जो कुछ धनराशि राज्य सरकार को दी जा रही है, वह समय पर उपयोग नहीं की जा सकती है और ग्रामीण मूल ढांचे को मजबूत नहीं किया जा सकता और उसे पुन: बहाल नहीं किया जा सकता है।

महोदय, वे लोग जिनका अपना घर नहीं है, इस सर्दी में जीवित कैसे रह सकते हैं। यह एक बड़ी समस्या है। यह अच्छी बात है कि उन्हें साझा रसोई की सुविधा प्रदान की जा रही है। लेकिन वे इन रसोईयों पर अल्प-काल के लिए ही निर्भर रह सकते हैं। जब तक कि उन्हें अपने जीवन-निर्वाह के लिए कोई बेहतर विकल्प नहीं मिल जाता, वे लम्बे समय तक जीवित नहीं रह सकते। वे सहायता राशि की मदद से अस्थायी रूप से अपने-आपको बनाए रख सकते हैं लेकिन आने वाले समय में वे अपने सहारे जीवित नहीं रह सकते हैं। अत: रबी की फसल को बढ़ाना केवल एक विकल्प है।

अत: मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि इसे तत्काल राष्ट्रीय आपदा घोषित करें ताकि केन्द्र का मंत्रालय इस पूरे मामले की निगरानी कर सके, धनराशि का सही इस्तेमाल कर सकें मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करा सकें और प्रभावित लोगों के जीवन की रक्षा कर सकें।

अध्यक्ष महोदय : अब मंत्री महोदय उत्तर देंगे।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया समझिए। मंत्री महोदय का जवाब चर्चा से अधिक महत्वपूर्ण है।

[हिन्दी]

प्रधान मंत्री (श्री अटल बिहारी वाजपेयी): अध्यक्ष जी, इससे पहले कि मेरे सहयोगी कृषि मंत्री सारी चर्चा का उत्तर दें, इस चर्चा में जो दो मुद्दे उठाए गए हैं, उनके बारे में मैं कुछ कहना चाहता हूं।

एक मुद्दा नेशनल कैलेमिटी के बारे में। 30 तारीख को जब हम चक्रवात की पहली मार से उबरने की कोशिश कर रहे थे, मैंने सार्वजनिक रूप से इस बात की घोषणा की थी, मैं उसको उद्धृत करना चाहता हूं-

[अनुवाद]

"केन्द्र सरकार ने 17-18 अक्तूबर के चक्रवात के लिए उड़ीसा की आपदा राहत राशि का पूरा अंश पहले ही जारी कर दिया है। राष्ट्रीय आपदा माने जाने और अतिरिक्त धनराशि के लिए उड़ीसा सरकार के अनुरोध के जवाब में....."

[हिन्दी]

यह ध्यान देने वाली बात है। उसी वक्तव्य में मैंने कहा था कि हम इसे नेशनल कैलैमिटी के रूप में ट्रीट कर रहे हैं। मैं नहीं जानता कि यह नेशनल कैलैमिटी है, तो भी हमें उसको ट्रीट तो करना पड़ेगा। कौन ऐलान करेगा मैं नहीं जानता। मैं ऐलान कर सकता हूं तो मैं 30 तारीख से कह रहा हूं कि यह राष्ट्रीय आपदा है और हम राष्ट्रीय आपदा के रूप में इसके साथ व्यवहार कर रहे हैं। जो नेशनल कैलेमिटी रिलीफ फंड के लिए धन दिया जाता है और जिस फाइनेन्स कमीशन की रिपोर्ट का हवाला बार-बार दिया गया है, वह भी यह नहीं कहती कि कोई फॉर्मल डिक्लेयरेशन होना चाहिए। वह कहती है कि ऐसा व्यवहार किया जाना चाहिए और इस फंड से रुपया दिया जाना चाहिए। मुश्किल यह है कि उस फंड में रुपया बहुत कम है। सौ करोड़ रुपये की तत्काल घोषणा कर दी गई। बाद में और मदों से धन दिया गया। कांग्रेस पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल मिला था श्रीमती सोनिया गांधी के नेतृत्व में। उससे हम लोगों ने साफ कहा था कि इस मामले में उड़ीसा के लिए धन की कोई कमी नहीं होने दी जाएगी। अब धन का रूप क्या है, उसका रंग क्या है, इस बहस में पड़ने का कोई अर्थ नहीं है। उड़ीसा के मुख्य मंत्री से भी यह बात साफ तौर से कह दी गई और मैं इस बात को फिर यहां दोहराना चाहता हूं कि धन की कमी के कारण वहां किसी तरह आपत्ति का सामना करने में कोई कसर नहीं रखी जाएगी, कोई कमी नहीं होने दी जाएगी। उसके बाद जो धन दिया गया है, मैं उसकी चर्चा नहीं करना चाहता क्योंकि कई मदों में धन दिया गया है, दिया जा रहा है और दिया जाता रहेगा। उड़ीसा हमारी राष्ट्रीय जिम्मेदारी है, हम उसका पालन करेंगे। इसमें सबका सहयोग ले रहे हैं और लेगें। इसमें राजनीति नहीं आनी चाहिए लेकिन राजनीति का आरंभ हमने नहीं किया। यह नेशनल कैलेमिटी वाला मुद्दा ही एक राजनैतिक मुद्दा बन गया है।

श्री जे.एस. बरार (फरीदकोट): आपने हमारी विनती कुबूल कर ली, हम धन्यवाद करते हैं।

[अनुवाद]

हम आभारी हैं कि प्रधान मंत्री ने पहले ही इसे राष्ट्रीय आपदा घोषित कर दिया है।

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : इसके बाद में जो ऐलान किये गये, उन सबमें भी यह दोहराया गया कि यह नेशनल कैलामिटी है, उसी रूप में हम इसका सामना कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी से भी कहा गया कि आप सुझाव दीजिए कि और क्या-क्या वहां होना चाहिए, अगर कोई कमी है, कोई खामी है उसे हम पूरा करने के लिए तैयार हैं। यह राष्ट्रीय आपदा है, इसका राष्ट्र मिलकर सामना करे, यह जरूरी है। इसके लिए किसी ऐलान की आवश्यकता नहीं है। कारगिल में युद्ध छिड़ गया, क्या हमने युद्ध का बाकायदा एलान किया था, नहीं किया ...*(व्यवधान)* जब युद्ध हो रहा है, लोग देख रहे हैं। उड़ीसा में प्रकृति की तांडव लीला का लोगों ने अपनी आंखो से दर्शन किया। टेलीविजन आजकल सारे समाचार, सारी विपदा, सारी आपत्ति घर-घर में लेकर जाता है और इसीलिए प्रदेशों की सरकारों ने, अब मैं अलग-अलग नाम नहीं गिनाता, यह सही है कि आंध्र प्रदेश पहला राज्य था जिसने सहायता दी और पंजाब भी पीछे नहीं है। दूसरे प्रदेशों ने भी सहायता दी है। उड़ीसा की आपत्ति में लोगों को मदद पहुंचाने के लिए सारा देश कोशिश कर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से भी सहयोग लिया गया है, सम्पर्क स्थापित किया गया है। उनसे भी धन हमें प्राप्त हो रहा है। लेकिन उड़ीसा में धन की कमी नहीं है। जो धन उपलब्ध किया गया है, जो सामग्री वहां पहुंच गई है, उसका ठीक तरह से उपयोग किया जाए, इस तंत्र को जरा मजबूत करने की आवश्यकता है। केन्द्र ने जहां आवश्यकता हुई वहां सेना को बुला लिया, जहां आवश्यकता हुई वहां वायुसेना को बुला लिया, जहां आवश्यकता हुई वहां नेवी का उपयोग किया, यदि और भी आवश्यकता होगी तो हम उसे पूरा करेंगे। उड़ीसा के साथ हमारी पूरी सहानुभूति है।

अरे! हमारी दीदी चली गईं, मां की पीड़ा को मैं समझ सकता हूं और सचमुच में उड़ीसा में एक ऐसी त्रासदी हुई है कि जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। लाशें निकल रही हैं, लाशें अभी तक पड़ी हुई हैं, लाशों का अंतिम संस्कार करने के लिए फोर्स लगाई गई हैं, लेकिन उस फोर्स के लोग भी लाशों को ढोते-ढोते तंग हो जाते हैं, वहां से भागना चाहते हैं, यह स्थिति है। लेकिन लोग डटे हुए हैं और इसलिए इस सदन से यह आवाज आनी चाहिए। मैं सदस्यों के भाषणों का

[श्री अटल बिहारी वाजपेयी]

स्वागत करता हूं। यह राजनीतिक मुद्दा नहीं है, न इसे राजनीतिक मुद्दा बनाया जायेगा। आपत्ति में से अगर हम कुछ लाभ निकालना चाहते हैं तो फिर उड़ीसा के पुनर्निर्माण का यही अवसर है और हम इस अवसर का उपयोग, इस चुनौती का उपयोग उड़ीसा के पुनर्निर्माण के लिए करेंगे, यह हमारा संकल्प होना चाहिए और इसके लिए सब लोग मिलकर काम करें, मैं समझता हूं इसकी आवश्यकता है।

मुझे किसी ने एक शब्द सुझाया था– 'उड़ीसारो पुनर्जीवन', उड़ीसा के पुनर्जीवन के लिए हम प्रयास करें और उड़ीसा फिर से अपने पैरों पर खड़ा हो जाए। चुनाव तो आते रहेंगे, जाते रहेंगे। चुनाव जब समय पर आयेगा तो उसकी चिंता की जायेगी, आज हम उस चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए और यह बात सब पक्षों पर लागू होती है। थोड़ी सावधानी बरतने की जरूरत है। विपत्ति में पड़े हुए लोगों की मदद करने के लिए सारे देश की तैयारी है। उस मदद का हम लाभ उठा सकें और उड़ीसा के संकट को हल कर सकें, इस बात की आवश्यकता है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब माननीय मंत्री जी बोलेंगे।

...(व्यवधान)

श्री एन. जनार्दन रेड्डी (नरसारावपेट): महोदय, मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से एक छोटा सा अनुरोध करना चाहता हूं। हमेशा राष्ट्रीय आपदा झेलने वाले राज्य द्वारा अनुरोध किया जाता है कि उस आपदा को 'राष्ट्रीय आपदा' घोर्षित किया जाए। लेकिन राष्ट्रीय आपदा के लिए कोई कार्यवाही योजना निर्धारित नहीं की गई है। यदि माननीय प्रधानमंत्री अथवा भारत सरकार ने उड़ीसा की दशा को देखने के पश्चात् घोषणा कर ही दी है तो हमें कार्यवाही योजना बनानी चाहिए कि किस प्रकार की सहायता, राहत और पुनर्वास के रूप में दी जाएगी और भारत सरकार और राज्य सरकार की भागीदारिता क्या होगी।

इस पहलू पर अध्ययन किया जाना चाहिए। आपने कार्यदल गठित किया है। हो सकता है आपने कार्य दल को यह कार्य सौंप दिया हो।

इसके अतिरिक्त वहां कोई चक्रवात चेतावनी व्यवस्था नहीं है। साधारणतया यह वहां नहीं है। मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी को भी यह बताया है। वहां राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान (नेशनल इंस्टीच्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमैंट) है लेकिन वह तंत्र के रूप में कार्य नहीं कर रहा है। यह शैक्षिक संस्थान के रूप में है जो सैमिनार आदि करता है। पूर्व चेतावनी व्यवस्था स्थापित की जानी चाहिए। कृषि मंत्रालय की यह कार्य करने की शक्ति है लेकिन पिछले चार वर्षों से मंत्रालय यह कार्य नहीं कर रहा है। यदि यह कार्य कर रहा होता तो कम से कम एक सप्ताह पूर्व चेतावनी दी जा सकती थी। यह बचाव, राहत, पुनर्वास और आपदा प्रबंधन के बारे में है। जब आप इसे राष्ट्रीय आपदा के रूप में घोषित करते हैं ...*(व्यवधान)*

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : मैंने इसकी घोषणा की है। आप और अधिक क्या घोषणा चाहते हैं?

श्री एन. जनार्दन रेड्डी : आपने इसे भीषण राष्ट्रीय आपदा के रूप में घोषित किया है लेकिन कोई नहीं जानता क्या कार्यवाही की जा रही है। श्री जार्ज फर्नान्डीज जी इससे जुड़े हैं। वह वहां रक्षा मंत्री और कार्य दल के चेयरमैन के रूप में कार्य कर रहे हैं। लेकिन वहां कोई स्थायी व्यवस्था नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री जी को स्थायी व्यवस्था बनानी चाहिए।

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : यह बात ठीक है।

[अनुवाद]

श्री राजेश पायलेट (दौसा): महोदय, हम सभी भावनाओं की प्रशंसा करते हैं और पूरा सदन एक स्वर में आज इसे राष्ट्रीय आपदा घोषित कर रहा है और माननीय प्रधानमंत्री ने इसे बिल्कुल ठीक ही कहा है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, राष्ट्र की संसद के रूप में अपनी चिंता दर्शाने के लिए मैं आपको एक सुझाव देता हूं। हम सभी को कुछ नियत अंश प्राप्त है। मैं समझता हूं हम सभी अपने नियत अंश से 10 लाख रुपये उड़ीसा आपदा कोष में दान कर सकते है। इस प्रकार हमारे पास लगभग 100 करोड़ रुपये होंगे और यह राशि आगे उनकी सहायता करेगी। मैं समझता हूं सदन सहमत होगा कि उड़ीसा के लोगों को अपनी सहानुभूति प्रदर्शित करते हुए हम प्रत्येक संसद सदस्य से, हमारे अंश में से उनकी इच्छा से 10 लाख रुपये ले सकते है। मैं समझता हूं यदि हम में से प्रत्येक उड़ीसा राहत कोष को 10 लाख रुपये दान करता है तो वह इस संसद का अत्यन्त उदार संकेत होगा। यह उड़ीसा राज्य के लिए भी बहुत अच्छा होगा। यह राज्य की सहायता करेगा।

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : स्पीकर साहब ने महीने भर का वेतन देने का पहले ही ऐलान कर दिया है। आपने 10 लाख रुपए सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना में से प्रत्येक सांसद द्वारा दिए जाने का सुझाव दिया है। उसे मान लेने में कोई ऐतराज नहीं है और मुझे भरोसा है कि उसमें कोई नियम बाधक नहीं बनेगा।

[अनुवाद]

श्री राजेश पायलट : माननीय अध्यक्ष विनिर्णय दे सकते हैं। उन्हें यह शक्ति प्राप्त है। विशेष मामले के रूप में, वह यह कर सकते है और यह उड़ीसा के लिए सही कदम होगा।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज): माननीय प्रधान मंत्री जी सत्र के सत्रावसान से पहले, क्या आप उड़ीसा को पुनर्जीवित करने अथवा उड़ीसा के पुर्नजन्म अथवा उड़ीसा पैकेज के लिए एक सम्पूर्ण कार्यवाही योजना पेश करेंगे ताकि पूरे राष्ट्र को विश्वास में लिया जा सकें। क्या आप कृपया करके उड़ीसा के लिए अपने पैकेज को पेश करेंगे?

अध्यक्ष महोदय : क्या सम्बन्धित मंत्री जी की ओर से कुछ कहा जाएगा? क्या यह पर्याप्त है अथवा आप इसमें कुछ अधिक जोड़ना चाहते है?

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : क्या आप इसमें कुछ जोड़ना चाहेंगे?

[हिन्दी]

कृषि मंत्री (श्री नीतीश कुमार): अध्यक्ष महोदय, जो चर्चा हुई है उसमें मोटे तौर पर तो लोगों ने वहां की व्यथा-कथा ही सुनाई है, उसके बाद कुछ बातों का उल्लेख किया है और सबसे ज्यादा चर्चा हुई है विपक्ष की तरफ से कि इसको राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाए। उसके बारे में प्रधान मंत्री महोदय ने बहुत सफाई के साथ बात रखी है। जिस 10वें फायनेंस कमीशन की रिपोर्ट का उद्धरण दिया जा रहा था, उसको अगर ढंग से पढ़ा जाए, तो उसमें कोई नैशनल कैलेमिटी घोषित करने की बात नहीं है।

श्री जे.एस. बराड़ : नीतीश जी, अब उसको उलझाएं नहीं। प्राइम मिनिस्टर साहब ने उसे क्लीयर कर दिया है।

श्री राजेश पायलट : मंत्री जी, प्रधान मंत्री जी ने उसके बारे में क्लैरिटी कर दी है।

श्री नीतीश कुमार : उन्होंने बिल्कुल क्लीयर कर दिया है। मुख्य रूप से यही चर्चा का विषय है। 10वें फायनेंस कमीशन की रिपोर्ट के पैराग्राफ 9.17 और 9.18 को पढ़ने के बाद जो कुछ भी संभव था, उससे ज्यादा केन्द्र सरकार की ओर से किया गया है। प्रधान मंत्री जी ने स्वयं कहा, पहले ही दिन से कहा कि हम उड़ीसा के चक्रवात को राष्ट्रीय आपदा के रूप में मान रहे हैं और भारत सरकार की ओर से उड़ीसा को राहत देने के लिए एक नहीं अनेक कदम उठाए गए हैं। तत्काल रिलीफ के आधार पर जो संभव था वह किया गया है और स्थाई समाधान सुझाने के लिए, उड़ीसा का पुनर्निर्माण किया जा सके, उसके लिए प्रधान मंत्री जी ने, रक्षा मंत्री जी की अध्यक्षता में एक टास्क फोर्स बनाया है। उस टास्क फोर्स ने यह निर्णय लिया है कि उड़ीसा साइक्लोन रीकंस्ट्रक्शन अथॉरिटी बनाई जाए।

उसके माध्यम से उड़ीसा के पुनर्निर्माण का कार्य किया जाये। चारों तरफ से जितने रिसोर्सेज आयेंगे, उनको इकट्ठा करके उसके माध्यम से किया जाये, यह श्री टॉस्क फोर्स का निर्णय है। टॉस्क फोर्स अपनी पूरी रिपोर्ट देगी। परमानेंट तौर पर क्या कुछ किया जायेगा, इसके बारे में टॉस्क फोर्स अपने सुझाव देगी। अगर आप इजाजत दें तो टॉस्क फोर्स के जो टर्म्स ऑफ रेफरैंस हैं, उनको मैं यहां उद्धृत करना मुनासिब समझूंगा।

[अनुवाद]

यह कार्यदल निम्नलिखित विशेष विचारार्थ विषयों पर कार्य करेगा:

- उड़ीसा के चक्रवात प्रभावित क्षेत्रों में पुनर्वास और पुनर्निर्माण के लिए विस्तृत कार्यवाही योजना को तैयार करना जिसमें अल्पकालिक और दीर्घकालिक दोनों उपाय शामिल होंगे।

- योजना के कार्यान्वयन के तरीके के सम्बन्ध में सिफारिशें करना जिसमें इसका वित्त पोषण, सरकार के साथ-साथ गैर सरकारी संगठनों आदि की भागीदारिता भी शामिल हों।

- देश के उन अन्य क्षेत्रों के बारे में किये जाने वाले उपायों के संबंध में सिफारिशें करना जो ऐसी आपदाओं में प्रवण हैं।

- विभिन्न मंत्रालयों द्वारा किये जा रहे राहत कार्यों का भी समन्वय कार्यबल के माध्यम से किया जाएगा।

[श्री नीतीश कुमार]

[हिन्दी]

ये पांच इसके रेफरैंस के स्पेसीफिक टर्म्स हैं। इसके बाद जितनी भी चर्चा की गई, वे इसके अंदर आती है चाहे स्थायी समाधान हो, शार्ट टर्म हो, मीडियम टर्म हो चाहे रिलीफ आपरेशन हो, सबको टॉस्क फोर्स के माध्यम से कोआर्डिनेट किया जा रहा है। सारे कदम उठाये जा रहे हैं। अगर आप चाहें तो अब तक जो कदम उठाये जा चुके हैं, जो इमीजिएट रिस्पांस है, उसका भी हम उल्लेख कर सकते हैं। टॉस्क फोर्स के गठन होने के बाद जो चार मीटिंग्स हुई हैं, उन मीटिंग्स में जो निर्णय लिया गया है, उसके बारे में अलग-अलग डिपार्टमैंट्स को जवाबदेही सौंपी गयी है। किसी चीज के बारे में प्लानिंग कमीशन को सोचना है, किसी के बारे में एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री को सोचना है और कुछ चीजों के बारे में दूसरी मिनिस्ट्रीज को सोचना है। यह सारा कार्य किया जा रहा है और तेजी से किया जा रहा है। इसमें किसी भी प्रकार की शिकायत की गुंजाइश नहीं है। सरकार की तरफ से कोई कोर-कसर नहीं छोड़ी गयी है और किसी भी प्रकार की आलोचना राज्य सरकार की यहां से नहीं की गई। जिस तरह का वहां साइक्लोन आया है और इस समय वहां जो स्थिति होगी, उसके हिसाब से वहां एक शॉक की स्थिति, ट्रॉमा की स्थिति होना स्वाभाविक है। उसके बाद धीरे-धीरे जो परिस्थिति निर्मित हुई है, उसके हिसाब से वहां भी काम चल रहा है और यहां से जो मदद संभव है, वह हर संभव दी जा रही है। किसी भी माननीय सदस्य ने कोई ऐसी बात नहीं कही है, जो अब तक नहीं की गई। अब यहां जिस तरह के साइक्लोन आते हैं चाहे साइक्लोन हो या इसी प्रकार की परिस्थिति उत्पन्न हुई हो, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री में जो कंट्रोल रूम बना हुआ है, उसके थ्रू सारी चीजों पर नजर रखी गई और उनको पहले से एडवांस में ही वार्निंग दी गई। 25 तारीख से यह सिलसिला शुरू हुआ, यह बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि पूरा सदन इससे अवगत है कि किस तरह से अंडमान के इलाके में दबाव बन रहा था और किस ढंग से वह आगे बढ़ रहा था। इसके बारे में जो कुछ भी जानकारी मिल रही थी, खासकर इंटरनेट के जरिये जो सैटेलाइट इमेज मिल रहे थे, उसके हिसाब से वार्निंग दी गई। मैटीरियोलॉजीकल डिपार्टमैंट्स से जो सूचनायें दी जा रही थीं, उनके द्वारा सचेत किया जा रहा था। ऐसे मौके पर एक कठिनाई यह देखी जा रही है कि इवैक्यूएशन में समस्या आ रही हैं। इवैक्यूएशन के लिए कहा जाता है लेकिन बहुत सारे लोग जल्दी तैयार नहीं होते। किसी को फोर्स भी नहीं किया जा सकता। चारों तरफ कुछ ऐसी त्रुटियां हैं, कुछ कमियां हैं, जिन पर गौर करने की जरूरत है। अगर लोगों को इवैक्यूएट करना है तो किस तरह से कराया जाये? सिर्फ वार्निंग देना स्टेट गवर्नमैंट का काम है, जो वहां दी जा रही है। अब इनको इवैक्यूएट करने के लिए पूरे साधन का इंतजाम होना चाहिए। ये कई ऐसे बिन्दू हैं जिनसे ऐसा लगता है कि पूरे सिस्टम में कुछ कमी है और इस तरह के मैकेनिज्म पर, टॉस्क फोर्स इन सभी बिन्दुओं पर विचार करेगी। ऐसी स्थिति में परमानेंट लैवल पर क्या किया जा सकता है, कोई स्ट्रक्टर बनाया जा सकता है, जिसके बारे में मांग हुई है। इसके बारे में पहले से कार्रवाई हो रही है। टॉस्क फोर्स ने यह फैसला किया कि हर व्यक्ति के पास एक कमरा ऐसा कंकरीट होना चाहिए जो कम से कम ऐसे अवसर पर प्रभावित न हो। इस प्रकार से कदम उठाये जा रहे हैं। गवर्नमेंट एजैंसीज और आउट साइड एजैंसीज भी ये सारे कदम उठा रही है। अब एक सिलसिला चला, चारों तरफ से लोग मदद लेकर पहुंचे। उन दिनों मेरे जिम्मे सरफेस ट्रांसपोर्ट था। मैं पाराद्वीप पोर्ट गया था। मैंने देखा कि ट्रक के ट्रक लदे हुए हैं। कोई पंजाब सरकार का है तो कोई हरियाणा सरकार का। वे सब अनाज से लदे हुए थे। उनको रखने के लिए जगह नहीं थी। रिलीफ मैटीरियल की कमी नहीं है। सवाल यह था कि उसको प्रापर्ली लोगों तक किस तरह से पहुंचाया जाये। अन्ततोगत्वा यह काम राज्य सरकार को ही करना होगा या दूसरी एजेंसीज जो वहां जाती हैं, वह इसमें मदद कर सकती है। सारे लोग चारों तरफ लगे हुए थे।

अब एक सिलसिला ऐडॉप्शन का चला। मैं इसके बारे में जरूर कहना चाहता हूं। आपने कई राज्यों का जिक्र किया, कई राज्य सरकारों की मदद मिली। अखबारों में ऐलान हुआ कि कोई राज्य सरकार एक जिले को ऐडॉप्ट करेगी, यहां मदद करेगी। जब उस समय हमारी नजर में बात आई तो सर्फेस ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री की तरफ से एक प्रोजैक्ट बनाया गया। पारादीप पोर्ट की अगल-बगल में जो ब्लॉक है, यह हुआ कि उसके हर गांव के जितने ऐप्रोच रोड्स हैं, उन्हें दुरुस्त किया जाए, स्ट्रैथन किया जाए। हर गांव में एक इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग बनाई जाए और उसके साथ सोर्स ऑफ वाटर होना चाहिए, ट्यूबवैल डाला जाए। उसे इस स्टैन्डर्ड का बनाया जाए कि वह साईक्लोन शैल्टर का भी काम कर सके। ऐसा पहली बार हुआ कि कंक्रीट टर्म में कोई बाहरी एजैंसी काम कर रही थी। केन्द्र सरकार की तरफ से मदद मिल रही है, राज्य सरकार अपनी नीतियां बना रही है, अपने प्रोग्राम्स बना रही है। बाहर की एजैंसियों को भी कंक्रीट टर्म में यह सोचना चाहिए कि यदि हम कुछ

करना चाहते हैं तो स्पैसीफिकली करें। उसके बाद टॉस्क फोर्स ने यह कदम उठाया और अपने सारे पी.एस.यूज. को कहा कि आप एक-एक ब्लॉक में जाएं और एक स्पैसीफिक काम हाथ में लें। किस तरह लोगों तक भोजन पहुंच जाएं, जाड़े का मौसम आ रहा है, कम्बल पहुंच जाएं, सबकी छत के लिए पौलीथीन शीट उपलब्ध करा दी जाएं, यह इमीडिएट रिक्वायरमैंट है। लेकिन इसके बाद उनके रैस्टोरेशन की जरूरत है। जो सड़कें हैं, उनको रैस्टोर किया जाए। कोई जवाबदेही ले कि हम इतने गांवों की सड़क को रैस्टोर करेंगे। सिर्फ कहने से काम नहीं चलेगा कि हमने ऐडॉप्ट कर लिया। किस प्रकार से ऐडॉप्ट किया, ऐडॉप्ट करने का अर्थ क्या होता है, ऐडॉप्ट करके वे वहां क्या करेंगे-सड़क दुरुस्त करें या लोगों का घर ठीक कर दें या कोई स्कूल बिल्डिंग ठीक कर दें, कोई कम्युनिटी बिल्डिंग ठीक कर दें, वहां कोई साईक्लोन शैल्टर बना दें, कोई स्पैसीफिक प्रपोजल होना चाहिए। इस बात की जरूरत है कि इस तरह का स्पैसीफिक प्रपोजल हो। इस तरह का स्पैसीफिक प्रपोजल मेजर स्ट्रट के कंट्रीब्यूशन द्वारा आया, उन लोगों ने प्रोजैक्ट लिया। हम इस बात का उल्लेख इसलिए कर रहे हैं कि अब टॉस्क फोर्स इन तमाम चीजों पर देख रहा है। जो सारे रिसोर्सेस आ रहे हैं, उनको एक साथ करके राज्य सरकार को सलाह भी देगा। उड़ीसा साईक्लोन रीकंस्ट्रक्शन अथॉरिटी बन सकती है, यह विचार चल रहा है। उसके माध्यम से ये सारे काम राज्य सरकार की मदद से कराए जा सकते हैं। ऐसी परिस्थिति में सबके सहयोग की जरूरत है।

कुछ माननीय सदस्य यह शिकायत भी कर रहे थे कि कोई मैडीकल टीम गई, उसे वहां पर्याप्त सहयोग नहीं मिला। एक खास कार्पोरेशन का जिक्र कर रहे थे। हम इन बातों का उल्लेख नहीं करना चाहते। कोआर्डीनेशन की भी कमी हो सकती है और अलग-अलग आदमी का अलग-अलग रिस्पौंस होता है। लोग अपने-अपने ढंग से सोचते हैं। वह सोच खत्म करके एक कोआर्डीनेटेड ऐफर्ट होना चाहिए और एक ढंग की सोच होनी चाहिए। इस प्रकार के कदम उठाए जाने चाहिए।

इस सदन में चर्चा हुई है और दो-तीन बिन्दुओं पर बात आई जिसका सीधा संबंध सरकार से है। एक बात आई कि साईक्लोन के चलते मिट्टी की सैलेनिटी बढ़ गई है। मैक्रो लैवल पर जो टैस्ट कंडक्ट किए गए हैं, उसके हिसाब से सैलेनिटी का लैवल इतना ज्यादा नहीं है कि अगली क्रॉप नहीं ली जा सके। लेकिन फिर भी माईक्रो लैवल पर ऐनालैसिस करने के लिए आई.सी.ए.आर. को कहा गया है। वे उसके बारे में जांच पड़ताल करेंगे। अभी की परिस्थिति में खासकर कुछ पॉकिट्स में यह समस्या हो सकती है लेकिन बाई एंड लार्ज यह समस्या उतनी ज्यादा गंभीर नहीं है, सैलेनिटी लैवल जो होना चाहिए, जो हमारी मिट्टी बरदाश्त कर सकती है, उसके अंदर ही है। इसलिए वहां अगली रबी क्रॉप ली जा सकती है। जहां तक सीड्स का सवाल है, चाहे जिस चीज के सीड्स की जरूरत होगी, उसे उपलब्ध कराने के लिए केन्द्र सरकार की तरफ से पूरी पहल की गई है और वे उपलब्ध भी कराए जा रहे हैं। कैटल फीड का सवाल है, राज्य सरकार से जो भी रिक्वैस्ट आ रही है, उनको आईडैंटीफाई करके सोर्स बताया जा रहा है। उन्होंने कोई कैटल फीड नहीं मांगा, यह कहा कि हमें बताइए कि कहां है। वह आईडैंटीफाई करके बताया जा रहा है। राज्य सरकार अपनी तरफ से उसे प्रोक्योर करने की कोशिश कर रही है। जितनी असिस्टैंस दी जा रही है, सारी असिस्टैंस का इस्तेमाल वे वहां करेंगे। सारे रिलीफ मैटीरियल को रेलवे और एयरलाइन्स की तरफ से मुफ्त ढोया गया। इस प्रकार से एक नहीं, कई प्रकार की मदद की गई। यदि आप कुल मिलाकर मदद देखें, अभी केन्द्र सरकार की तरफ से जो कुछ किया गया है, उसकी चर्चा की गई। यह नैशनल कैलेमिटी नहीं है तो और क्या है जिसके बारे में इतना ऐफर्ट किया गया। नाईन्थ फाईनैंस कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर कैलेमिटी रिलीफ फंड पहले से बना हुआ है। टैन्थ फाईनैंस कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर नैशनल फंड बना, उसका कौरपस बनाया गया।

शुरू में 200 करोड़ रुपये तय हुआ कि हर साल एक-एक सौ करोड़ रुपया इसमें दिया जायेगा। इसमें 25 परसेंट हिस्सा स्टेट का है और 75 परसेंट सैण्टर का है। इस तरह 700 करोड़ रुपये का कोरपस बनाने की बात थी, लेकिन ढाई साल में ही वह पैसा खत्म हो गया। उससे भी बहुत ज्यादा पैसा पहले ही दिया जा चुका है।

एक नेशनल फंड फॉर केलेमिटी रिलीफ है, उसका पैसा कैसे खर्च किया जाये, इसके बारे में एग्रीकल्चर मिनिस्टर की अध्यक्षता में एन.डी.सी. की एक कमेटी बनी है, जिसमें प्लानिंग कमीशन के डिप्टी चेयरमैन हैं, फाइनैंस मिनिस्टर हैं और प्रधान मंत्री जी हर साल के लिए पांच मुख्यमंत्रियों को उसमें मनोनीत करते हैं। वे बैठकर फैसला करते हैं कि नेशनल फंड फॉर केलैमिटी रिलीफ का पैसा कहां-कहां किस राज्य को जायेगा। जब कोई राज्य सरकार पैसा चाहती है तो उसका सारा प्रोसीजर बना हुआ है। जो भी राज्य सरकार पैसा चाहती है तो उसे मैमोरेण्डम सबमिट करना पड़ता है। जब वह मैमोरेण्डम सबमिट करती है तो उसके बाद सैण्टर की असैसमैंट टीम वहां जाती

[श्री नीतीश कुमार]

है। वह जब वहां से रिपोर्ट लेकर आती है तो इंटर-मिनिस्ट्रियल ग्रुप बैठता है, वह उनकी बात को सुनता है। इसके बाद नेशनल केलेमिटी रिलीफ कमेटी को वह सुझाव देता है और जब वह सुझाव देता है तो उसके बाद कमेटी के सामने इसको पुट-अप किया जाता है और तब वह अन्तिम तौर पर फैसला लेती है कि कहां किसको कितना पैसा देना है। यह प्रक्रिया है।

इसी प्रक्रिया से पहले काम चल रहा था। लेकिन उड़ीसा का मामला आया, जिसको एकदम रेयर सीवियरिटी कहते हैं, रेयरैस्ट ऑफ रेयर सीवियरिटी इसे कहा जा सकता है, इस तरह का यह सुपर साइक्लोन था। इसलिए इसमें सब चीजों को छोड़कर प्रधान मंत्री जी ने 100 करोड़ रुपया विमुक्त करने का निर्णय लिया, 100 करोड़ रुपया दिया। फिर प्रधान मंत्री जी वहां गये तो उन्होंने और 100 करोड़ रुपये का ऐलान कर दिया और फिर 300 करोड़ रुपये का एलान किया जा चुका है। वहां के चीफ मिनिस्टर फाइनेंस मिनिस्टर से आकर मिलें, तो उसके अलावा 300 करोड़ रुपया दिया जा चुका है, इस तरह 500 करोड़ रुपया हो गया।

इसके अलावा प्लान एडवांस पहली बार, जब 17-18 तारीख को प्रधान मंत्री जी वहां गये थे तो उन्होंने प्लान असिस्टेंस का 250 करोड़ रुपये का एलान किया। फिर अभी 200 करोड़ रुपए का किया - इस तरह 450 करोड़ रुपये का यह एलान हो गया। इसके अलावा डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने 273.65 करोड़ रुपया रिलीज कर दिया है।

वहां जो घर गिरे हैं, हुडको ने उसके लिए एफर्ट शुरू किया है। हुडको ने लोन असिस्टेंस के रूप में 487.50 करोड़ रुपेय सैंक्शन किये हैं। इसके अलावा पी.एस.यूज. भी वहां काम कर रहे हैं।

[अनुवाद]

श्री त्रिलोचन कानूनगो (जगतसिंहपुर): ब्याज की दर क्या है?

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार : हुडको का जो पहले से नियम बना हुआ है, वही है। यह कोई नई बात नहीं है, लेकिन इतनी बड़ी मात्रा में वे वहां पैसा दे रहे हैं। उससे एक लाख से भी ज्यादा, शायद एक लाख 30 या 35 हजार मकान बनेंगे। एग्जैक्ट फीगर भी मैं आपको बता दूंगा।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : मंत्री महोदय, आप कृपा करके इतना हम लोगों को समझाइये और बताइये, आपके जो कदम हैं, उनकी और सरकार के काम की तो मैं प्रशंसा करता हूं, लेकिन प्लान असिस्टेंस की बात छोड़िये, वह तो रूटीन सपोर्ट हर स्टेट को मिलती है। जिस ढंग से केलेमिटी के बारे में खुद प्रधान मंत्री जी ने चर्चा की और जो फंड्स आपके पास अवेलेबल हैं, उससे यह पता चलता है कि क्राइसिस मैनेज करने के लिए साधन काफी नहीं हैं, उससे बहुत कम हैं। इसलिए आपका, जो नोडल मिनिस्ट्री का काम डैमेज असेसमेंट करने का है और सरकार को रिकमेंड करने का है, उसमें कितने साधन की जरूरत है कार्यदल को पुनरुज्जीवन योजना के लिए उसके बारे में आपने कोई निर्णय लिया कि नहीं? अगर लिया तो कितने पैसे की जरूरत होगी और उसके लिए आपकी कोई अलग से योजना है कि नहीं, यह सदन को बताइये ताकि सदन इसके बारे में आपसे सहयोग कर सके?

श्री नीतीश कुमार : आप बहुत ठीक बात कह रहे हैं, लेकिन जो प्रोसीजर है, जिसकी बात आप कर रहे हैं, वह तो बाद में फॉलो होगा। स्टेट गवर्नमेंट का मैमोरण्डम आयेगा और पूरे डैमेज का अंतिम तौर पर असेसमेंट करके वे बताएंगे। उसके आधार पर यह बात आयेगी। फिलहाल जो प्रक्रिया है, उसको शिथिल करते हुए प्रधान मंत्री जी ने यह निर्णय लिया है और केन्द्र सरकार ने ये सारे कदम उठा लिये हैं।

यह कोई नहीं कह सकता कि उड़ीसा में जितना नुकसान हुआ, उसमें जो कुछ भी कर दिया गया, उससे समूचा रीकंस्ट्रक्शन हो जायेगा, यह दावा तो कोई नहीं कर रहा। लेकिन जो कुछ भी रिसोर्सेज हैं, आज तक जो नहीं किया गया है, वे कदम उड़ीसा के मामले में उठाये जा रहे हैं।

जो मैं हुडको का कह रहा था, उससे एक लाख 35 हजार मकान बनाने के लिए असिस्टेंस मिलेगी। इस प्रकार से हर तरह से कोई भी कदम ऐसा नहीं है, जो उठाया जाना चाहिए और नहीं उठाया जा रहा है। चाहे किसानों को और भी राहत देने के लिए सोफ्ट लोन देने की बात हो या जो लोन हैं, उनको डैफर करने की बात हो। इसी तरह से और कई जगहों पर रिकवरी हैं, उसको रोक देने की बात है तो एक नहीं, कई कदम उठाये गये हैं।

इसके अलावा जो इफेक्टिड एरिया है, उसमें सारी पोपुलेशन को बिलो प्रावर्टी लाइन मान लिया गया है, और उनको बिलो-प्रावर्टी-लाइन मानकर पूरी पोपुलेशन के लिए हर परिवार को 20 किलो अनाज हर महीने दिया जाता है। यहां कहा गया

कि बिलो-प्रावर्टी-लाइन मानकर जो एसिस्टैंस है, वह अलग दी जाए, जो आधे दर पर दी जा रही है, उसके बाद दी जाए। सारे लोगों को यह भी एसिस्टैंस दी जाए। ...*(व्यवधान)* हम इस बहस में नहीं पड़ना चाहते हैं। हम यह बताना चाह रहे हैं कि जिस प्रकार जितने बड़े पैमाने पर एसिस्टैंस दी जा रही है, जो दी जा रही है, जो जरूरत है, जो कुछ भी दी जा रही है, वह वहां जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाई जाए। ...*(व्यवधान)*

श्री राजेश पायलट : आपकी एप्रोच सही है। जो दिया जा रहा है, वह कम है। ऐसी हालत में 20 किलो अनाज एक परिवार के लिए कम है। आपके हिसाब से ज्यादा है, लेकिन 20 किलो अनाज से एक परिवार की मदद नहीं हो रही है।

श्री नीतीश कुमार : कम की बात नहीं है, जो स्कीम है, उसके हिसाब से सबको मानकर यह किया गया है। इसके अलावा जो भी एफर्ट्स जरूरी है, वे एफर्ट्स किए जा रहे हैं। इस प्रकार केन्द्रीय सरकार की तरफ से जो भी संभव सहायता है, वह दी जा रही है।

[अनुवाद]

श्री त्रिलोचन कानूनगो : महोदय, जहां तक प्रभावित क्षेत्रों का सम्बन्ध है किसी को भी 4 रु. प्रति कलो चावल नहीं मिल रहा है और न ही किसी परिवार को 20 कि. का राशन प्रतिमाह मिल रहा है। मैं आपको सच बता रहा हूं। इसमें सुधार किये जाने की आवश्यकता है। क्या आप इस संबंध में कुछ करेंगे? क्या आप राज्य सरकार के साथ यह मामला उठाएंगे?

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार : खाद्य मंत्री वहां गए भी थे और जो कुछ भी राज्य सरकार ने मांगा है, वह दे दिया गया है। आप यहां पर जो सवाल उठा रहे हैं, इस सवाल को आप अपने स्तर पर भी ले सकते हैं।

[अनुवाद]

श्री त्रिलोचन कानूनगो : आप यह क्यों नहीं करते है?

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार : आप इस बात को ला रहे हैं, तो सरकार की तरफ से कहा जाएगा कि जो दिया जा रहा है, उसे वहां तक पहुंचाइए।

[अनुवाद]

श्री त्रिलोचन कानूनगो : क्या आप राज्य सरकार की कमी को छिपाना चाहते हैं।

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार : राज्य सरकार ने इससे ज्यादा नहीं मांगा है। जो मांगा है, वह दिया जा रहा है। आप यहां से बैठकर यह मत कहिए। ...*(व्यवधान)* खाद्य मंत्री वहां गए थे, उनकी वहां चर्चा हुई और जो मांग की गई, वह दे दिया गया। इसके अलावा भी सहानुभूतिपूर्वक जो भी प्रस्ताव आएगा, सरकार उसको आखिरी चीज न मानते हुए, सहायता देगी। टास्क फोर्स इसको देख रही है। शार्ट टर्म, मीडियम टर्म और लोंग टर्म सहायता उनको दी जानी चाहिए और क्या किया जाना चाहिए, इसके बारे में सरकार निर्णय लेगी।

इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री हरीभाऊ शंकर महाले (मालेगांव): महोदय, सदन में गम्भीर विषय पर चर्चा चल रही है। अंत:करण की भाषा दोनों तरफ से चल रही है, लेकिन माननीय मंत्री महोदय ने कहा कि पंतप्रधान में बहुत सफाई से बात कही है। सफाई शब्द अच्छा नहीं लगता है, इसलिए इसको मिनट-बुक से निकाल देना चाहिए। बात अंत:करण से शुरू हुई है, इसलिए सफाई शब्द अच्छा नहीं लगता है। हम सभी लोग अंत:करण से बोल रहे हैं, यह अंत:करण की भाषा है और गम्भीरता से चर्चा शुरू हुई है। आपने बोला है-पंतप्रधान ने बहुत सफाई से बोला है, यह ठीक नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : सफाई नहीं, साथ-साथ है।

अब सभा कल 30 नवम्बर, 1999 को पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

सायं 6.50 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा मंगलवार, 30 नवम्बर, 1999/ 9 अग्रहायण, 1921 (शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।